26922

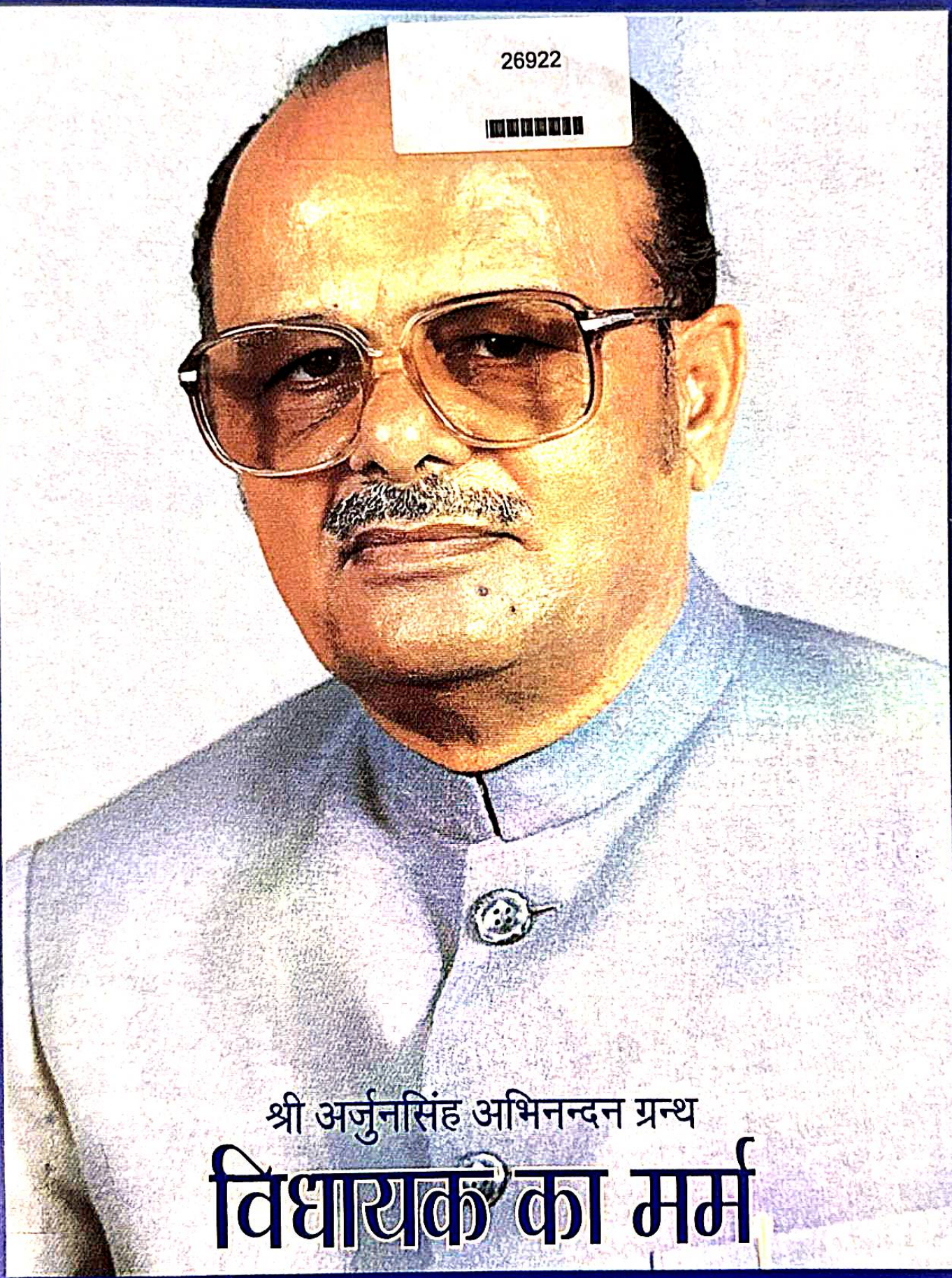

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

विधायक का मर्म

26922

General Knowledge

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL

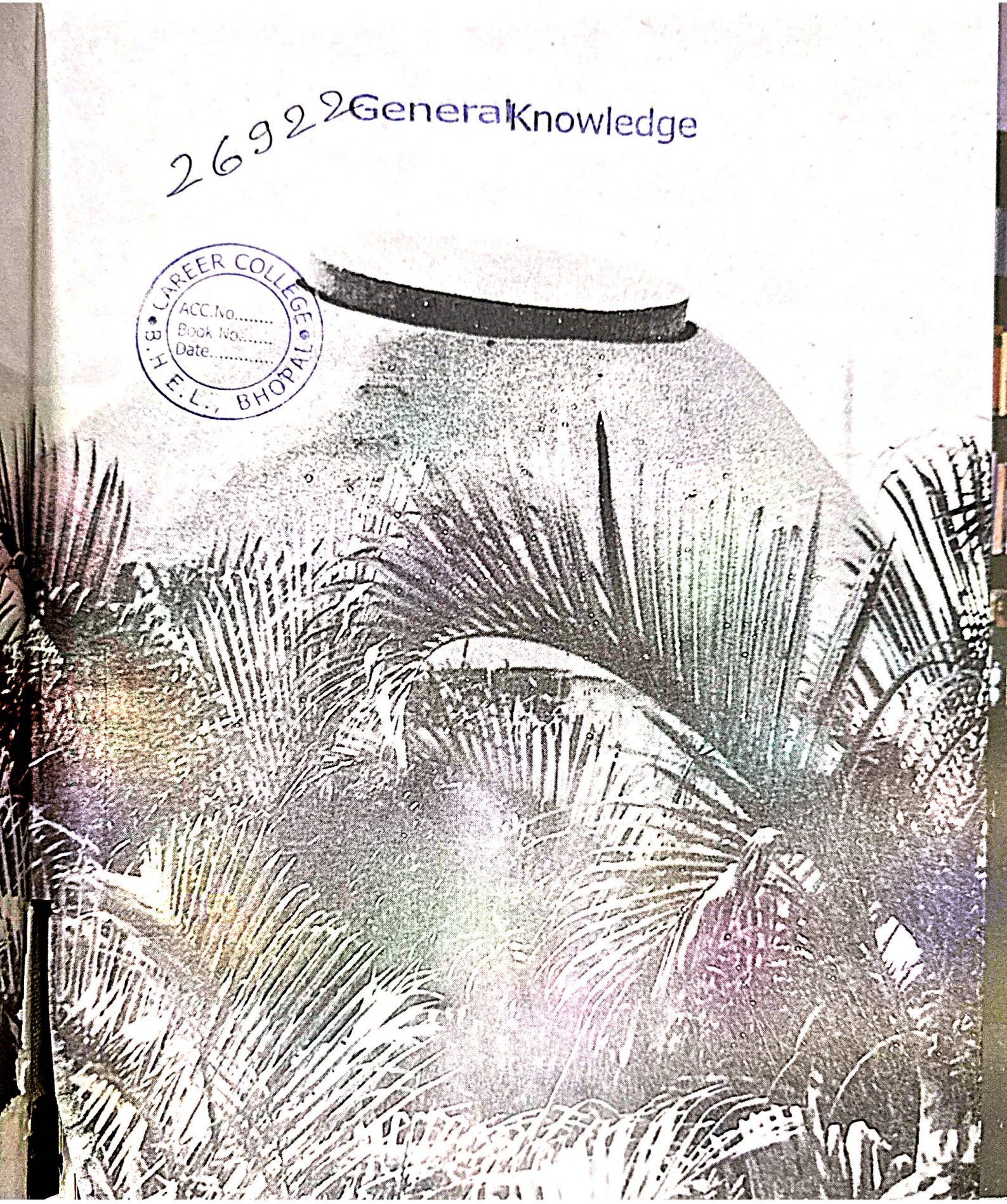

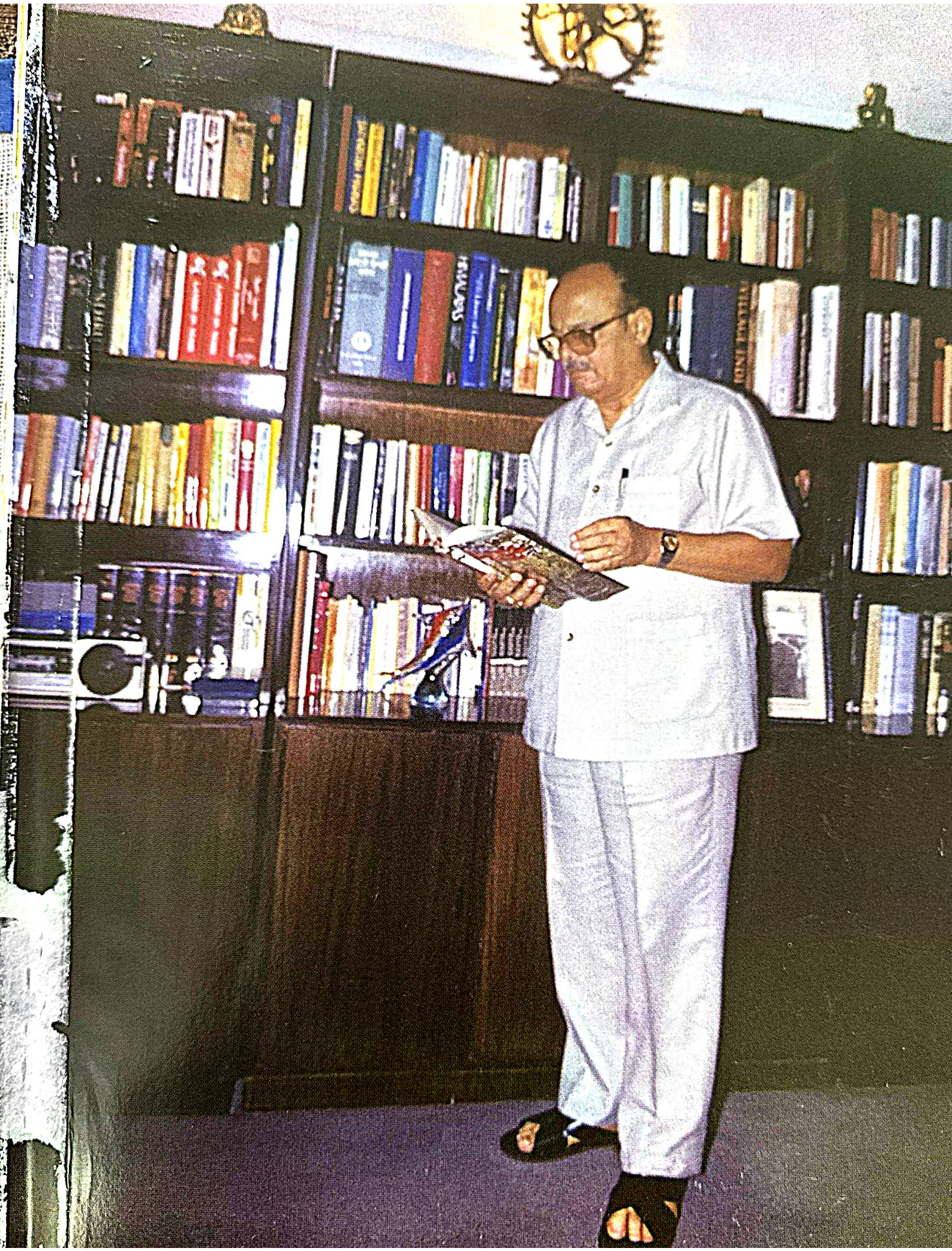

26922

General Knowledge

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL



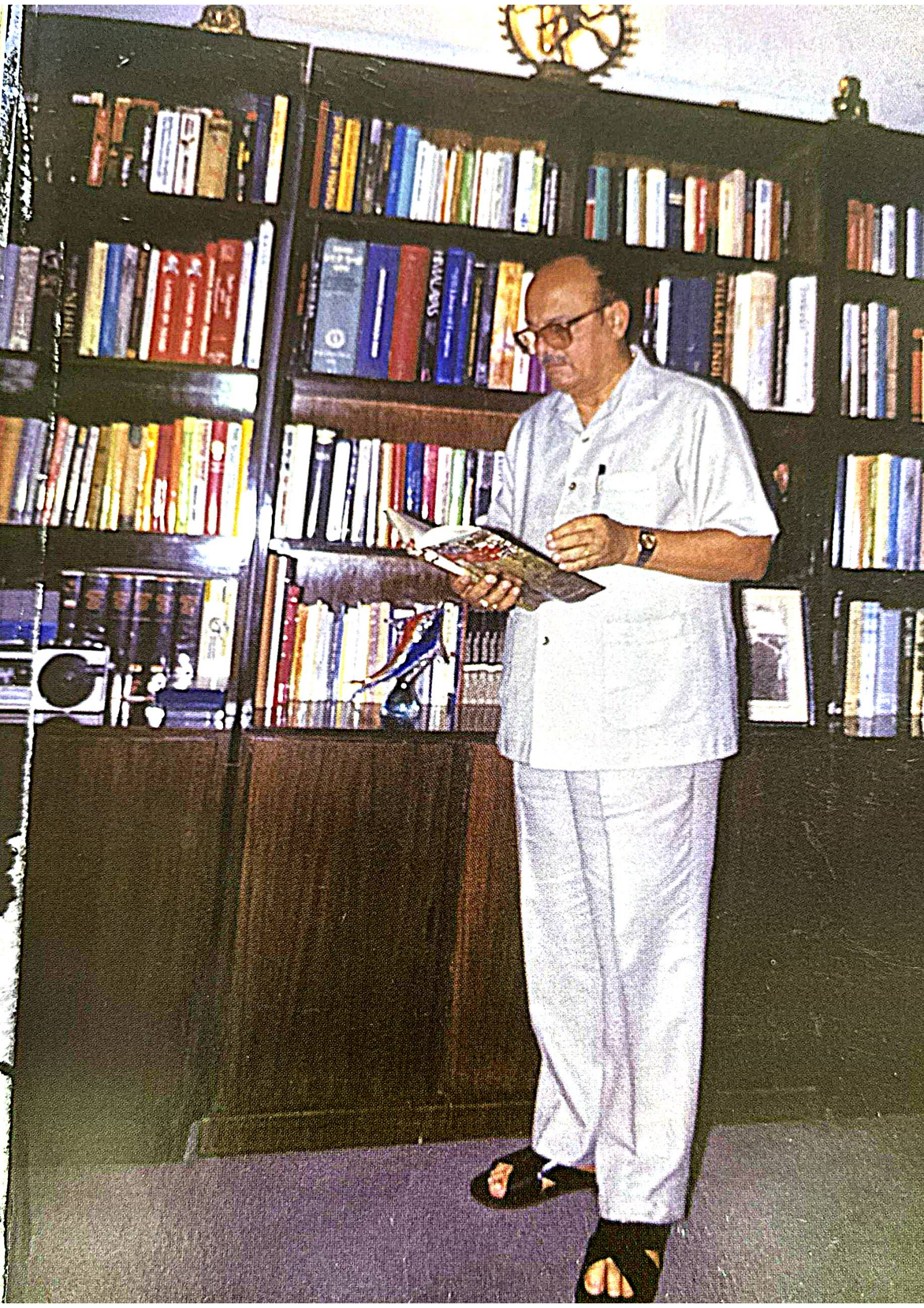

Data Entry Complete

REFERENCE BOOKS

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

विधायक का मर्म

(द्वितीय खण्ड)

संयोजक
मुरारीलाल अग्रवाल

सम्पादक
विष्णु राजोरिया

संयोजन
इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता
प्रकाशन
श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति, भोपाल

26922

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ

द्वितीय खण्ड : विधायक का मर्म

संयोजन : *इण्डियन रायटर्स एसोसिएशन, कोलकाता*

प्रकाशन : *श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति,*
4 इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर,
भोपाल-462011

- प्रथम आवृत्ति
- कार्तिक कृष्ण अष्टमी, विक्रम संवत् 2061, 5 नवम्बर, 2004
- © लेखकों के सौजन्य से संपादक

- **प्रस्तुति दिग्दर्शक : आशीष**
- **मुद्रण निदेशक : मनीष**

कम्पोजिंग : आकृति फोटोटाइपसेटर्स एण्ड प्रोसेसर्स

मुद्रण : आदर्श प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स

4/1,इन्दिरा प्रेस परिसर, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462 011

☎ : *2555442, 2550291*

REFERENCE BOOKS
Data Entry Complete

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ समिति

खुशवन्त सिंह
सैय्यद हैदर रज़ा
प्रो. के. अयप्पा पणिकर
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
जिया फरीदुद्दीन डागर
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
दिग्विजय सिंह
डॉ. बिन्देश्वर पाठक
विष्णु खरे
कमलाकर सोनटके
मदन मोहन जोशी
प्रो प्रेमशंकर रघुवंशी
अजीत जोगी
प्रभात गांगुली
राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल
सुभाष यादव
झुमकलाल भेड़िया
बी.आर.यादव

राजेन्द्र सिंह
महेन्द्र सिंह चौहान
बंशीलाल धृतलहरे
प्रताप सिंह बघेल
श्रीमती उर्मिला सिंह
मोहम्मद अकबर
कांतिलाल भूरिया
चरणदास महन्त
डॉ. आर.के. बिसार्य
सत्यनारायण शर्मा
दीपचंद यादव
मोहम्मद युनुस
बी.एल. सिंह
भूपेन्द्र गुप्ता
मुरारीलाल अग्रवाल
पी.सी. पाठक
आशिस सान्याल
छतरसिंह
विष्णु राजोरिया

इंडियन रायटर्स एसोसिएशन

संरक्षक

महाश्वेता देवी
डॉ. प्रतापचन्द्र चन्द्र
नीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
अमिताभ चौधरी
सेवाब्रत गुप्ता
तरुण सान्याल
डॉ. प्रभा खेतान
डॉ. सुरभि बन्दोपाध्याय
नीतिश बिस्वास
डॉ. एस. घोष
एस. कृष्णमूर्ति
गौतम प्रसाद बरुआ
डॉ. नलिन पटेल
एस.ए.मलिहाबादी
विश्वम्भर नेवार
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
होसेनुर रहमान
देवूलाल बनर्जी
गणेश प्याने
सुचित्रा मित्रा
देवाजंन चक्रवर्ती
सुधांशु शेखर डे
के.सी. धर
संकर मण्डलोई
समित सरकार

कार्यसमिति

प्रेसिडेंट
प्रो. कल्याणमल लोढ़ा
कुलपति, जोधपुर विश्व विद्यालय

उपाध्यक्ष

डॉ. के.सी. भुनया
उड़िया लेखक
गीतेश शर्मा
हिन्दी आलोचक

जनरल सेक्रेटरी

प्रो. आशीष सान्याल
बांग्ला लेखक

मुख्य सलाहकार

मुरारी लाल अग्रवाल

कोषाध्यक्ष

प्रो. श्री शंकर झा
हिन्दी-अंग्रेजी लेखक

सदस्य

सचिन दास
बांग्ला लेखक
कल्याण गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. ज़रीना ज़रीन
उर्दू शायर - आलोचक
प्रणब बरुआ
असमी कवि
ज्योर्तिमय दास
बांग्ला लेखक
सोमेन्दु गंगोपाध्याय
बांग्ला लेखक
डॉ. इन्दु जोशी
हिन्दी लेखिका

संपादन सलाहकार
पद्मभूषण डॉ. विन्देश्वर पाठक
प्रोफेसर डॉ. धनंजय वर्मा
डॉ. उज्जल कुमार मजुमदार
डॉ. अवधेश प्रसाद पाण्डेय
माधव शुक्ल मनोज
प्रो. प्रेम शंकर रघुवंशी
मदन मोहन जोशी
आशिस सान्याल
संपादन सहयोगी
पंकज शर्मा
संजय द्विवेदी
डॉ. हरिकृष्ण दत्त
अहद प्रकाश
मोहम्मद युनुस
उत्पल बैनर्जी
ज्योतिष जोशी
सहायक संपादक
मनोहर चौरे
संपादक
विष्णु राजोरिया

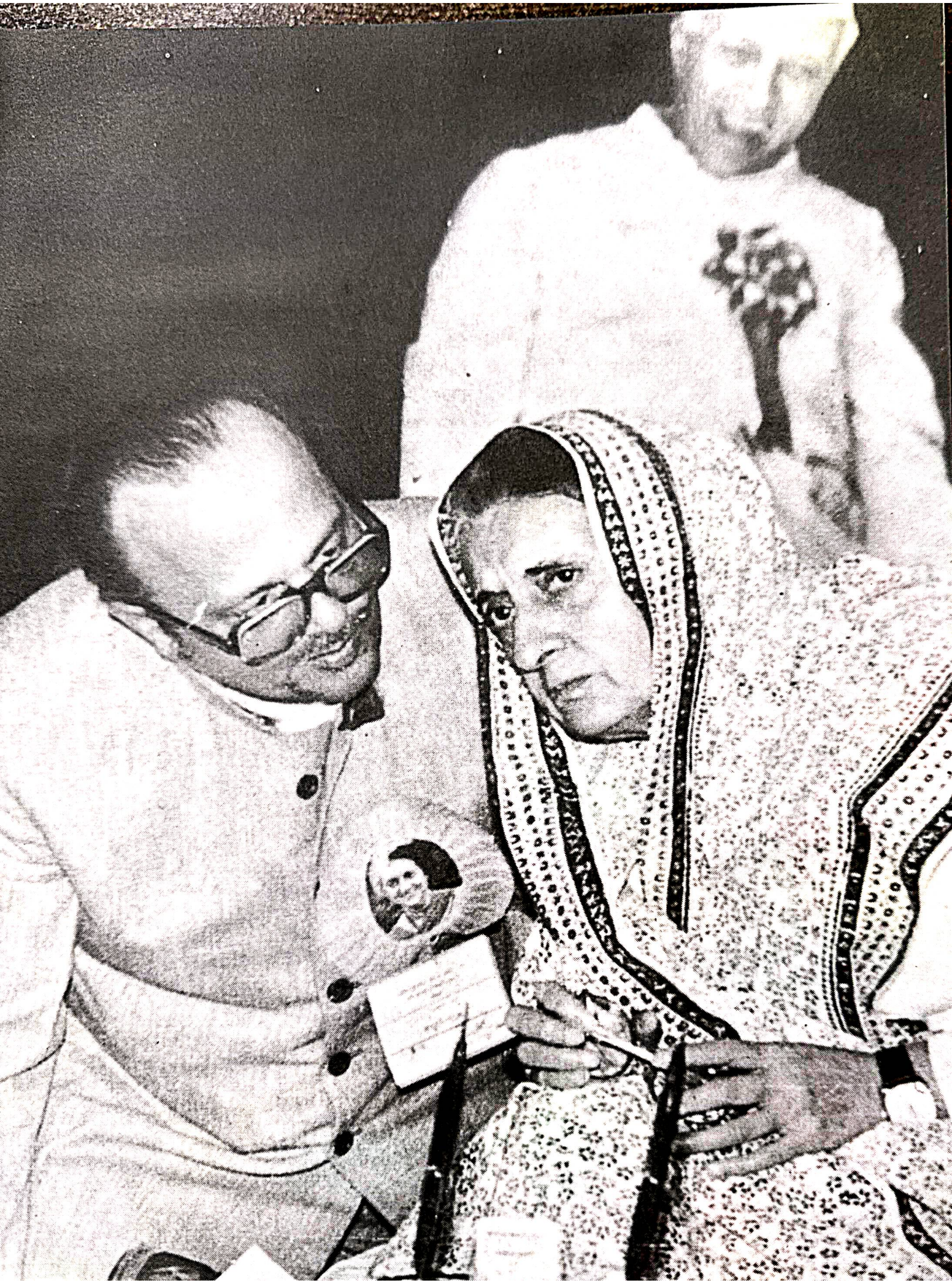

पुरोवाक्

..... इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि विश्व इतिहास के मूक पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं कि जब कभी भी किसी देश के नेताओं ने उन मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना की, जिनसे कि मानव समाज की ऐतिहासिक शृंखला बंधी है, तभी उस देश में भीषण क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। यह कहते हुए मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस देश में भी एक ऐसी क्रान्ति होगी जो कि इन प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तों और मनुष्यों को अपने झोंके में बहा ले जायेगी, चिन्ता तो मुझे केवल इस बात की है कि भारतीय प्रजातन्त्र के शैशवकाल में हम उन परम्पराओं और सिद्धान्तों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं जिनकी आधारशिला पर एक प्रभावशाली और उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो सके। समाजवाद का मूल आधार है – सामाजिक नैतिकता। और सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की प्रतिबिम्ब है, लेकिन जिस समाज के नेताओं में व्यक्तिगत नैतिकता का अभाव हो उनके द्वारा समाजवाद जैसे उच्च नैतिक सिद्धांत की पुष्टि कहाँ तक हो सकती है; यह एक विचारणीय प्रश्न है।.....

यह विचारणीय प्रश्न श्री अर्जुनसिंह ने 5 दिसम्बर 1957 को मध्यप्रदेश की विधानसभा में उठाया था, जब वे सत्रावसान के दिन डॉ.कैलाशनाथ काटजू मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लाये गये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में हिस्सा ले रहे थे। चर्चा की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। 1957 का वर्ष राजनीति में उनके आगमन का वर्ष है। उन दिनों सभी ने यह लक्ष्य किया कि वे एक चिन्तनशील राजनीतिज्ञ के रूप में उभर रहे हैं। उन दिनों उनकी उम्र सिर्फ़ 27 वर्ष ही थी। वे सबसे युवतम विधायक थे।

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम अधिवेशन — 1 जुलाई 1957 को श्री काशीप्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में श्री अर्जुनसिंह ने सदन की सदस्यता की शपथ ली थी। वे मंझोली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में चुनकर आये थे। प्रारंभ से ही उनका ध्यान सदन की नियमानुकूल कार्यप्रणाली पर रहा और उन्होंने बिना उत्तेजित हुए शान्त और गंभीर विचार-विमर्श को ही अपने विधायक व्यक्तित्व के लिए अपनाया। प्रारंभिक दिनों में वे बहुधा अंग्रेज़ी में बोलते थे। इस पर अनेक सदस्यों ने अध्यक्ष के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज़

करवाई कि सदन की भाषा तो हिन्दी और मराठी है फिर श्री अर्जुनसिंह अँग्रेज़ी में क्यों बोलते हैं। जबकि अँग्रेज़ी में बोलने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें बहस के दौरान नियमों को प्रकट करने के लिए अँग्रेज़ी का सहारा लेना पड़ता था क्योंकि उन दिनों ज़्यादातर नियम अँग्रेज़ी में ही थे। चर्चा के अनुकूल नियम उद्धरित करने के लिए उन्हें अध्यक्ष की सहर्ष अनुमति मिल जाती थी।

प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से श्री अर्जुनसिंह ने अपने आपको कभी भी सिर्फ़ अपने चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा। उनके सोच के दायरे में पूरे मध्यप्रदेश की समस्याएँ रही हैं। वे सदन में अपने विचारों का विस्तार इस तरह करते दिखायी पड़ते हैं कि प्रदेश की सीमाएँ भारत देश के विस्तार में घुलने लगती हैं और उनकी चिन्ता प्रादेशिक सीमाओं को फ़लाँगकर राष्ट्र की चिन्ता बन जाती है। उनकी यह चिन्ता स्वाभाविक थी क्योंकि देश को आज़ाद हुए अभी केवल दस साल ही हुए थे। नये राष्ट्र का निर्माण अभी शुरू ही हुआ था और नया मध्यप्रदेश तो अभी एक साल का ही था। ऐसे समय में देश की हृदयस्थली को राष्ट्र के विकासमान शरीर में अपनी धड़कन अनुभव करना थी। श्री अर्जुनसिंह ने इस धड़कन की लय पर ही अपने कदम आगे बढाये।

श्री अर्जुनसिंह ने जब राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया उन दिनों नये राज्य का गठन हो रहा था। पुराने मध्यप्रदेश का छत्तीसगढ़ सहित महाकोशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, भोपाल और राजस्थान के कोटा जिले के उपसम्भाग सिरोंज को मिलाकर नये मध्यप्रदेश का गठन दिनाँक 01 नवम्बर 1956 को हुआ था। इन सबकी रीति-नीति अलग-अलग थी जिसे मिलाकर नयी शासन पद्धति का विकास करना था। इसी के साथ नये राज्य की खनिज सम्पदा का दोहन, उद्योगों का विकास और उन संसाधनों पर गहरी दृष्टि रखना थी जो प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में काम आ सकें और उन्हें इस तरह विकसित किया जाय कि प्रदेश की समृद्धि राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक बन सके।

इस चुनौतीपूर्ण समय में एक निर्दलीय सदस्य के रूप में श्री अर्जुनसिंह अपने लिए विधायक की सही भूमिका खोज रहे थे। वे चौकस-चौकन्ने होकर उन गुणों का विकास कर रहे थे जो केवल सरकार की आलोचना तक सीमित न रह कर रचनात्मक कार्यकलाप में बदल जायें। वे विधायक की उस भूमिका को पाना चाहते थे जिसके बारे में लोकसभा के जनक दादा साहेब मावलंकर ने 1952 में कहा था कि —

प्रत्येक विधायक को यह चिन्ता होनी चाहिए और उसका यह प्रयास होना चाहिए कि वह देश की सामान्य दशाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की तुलना में अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक दशाओं का पता लगाये और उन पर विचार करे तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान तथा प्रगति के लिए कार्य करे। उसका यह मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि वह विधान मण्डल में आए ताकि वह विधान बनाए और ऐसे विधान के

लिए सरकार का मार्गदर्शन करे जो कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति लाने के लिए आवश्यक हो और हमेशा इस बात को ध्यान में रखे कि पुरानी आदतें आसानी से जाती नहीं हैं और केवल कानून बनाने से तब तक कोई उपलब्धि नहीं होगी जब तक कि लोगों के बीच में जाकर कार्य न किया जाय।

इन शब्दों की रोशनी में 26 नवम्बर 1957 की वह चर्चा याद आती है जब सहकारिता से संबंधित एक विधेयक पर बोलते हुए श्री अर्जुनसिंह ने रूल मेकिंग पॉवर की धाँधली की ओर संकेत करते हुए जस्टिस महाजन को याद किया था कि अगर हमारे देश में हर साल सैकड़ों की तादाद में कानून बनते रहे तो एक दिन ऐसा आयेगा कि हर एक नागरिक को घर से बाहर निकलने के पहले एक वकील करना पड़ेगा यह सलाह लेने के लिए कि आज घर से बाहर निकलने पर मैं किन-किन कानूनों का उल्लंघन कर सकता हूँ। शिक्षित समाज तो परेशान हो ही जायेगा, जरा सोचिए कि अशिक्षित समाज का क्या हाल होगा?

श्री अर्जुनसिंह प्रारंभ से ही राजनीतिक बुद्धिमत्ता और प्रशासनिक गुणों का विकास करते रहे। उन्होंने जल्दी ही अपनी विशिष्ट और तर्कपूर्ण संवाद शैली विकसित कर ली थी। वे जहाँ एक ओर सदन में उठाये गये प्रश्नों के माध्यम से सरकार और शासकीय महकमों के अधिकारियों को हमेशा यह आभास कराते रहते कि जनहितकारी योजनाओं के स्वरूप और संचालन पर जनप्रतिनिधियों की कड़ी नज़र है, वहीं दूसरी ओर शासकीय कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण भी कराते। इसका उदाहरण 29 नवम्बर 1957 की सदन में वह आधे घंटे की चर्चा है जो राज्य पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, एकीकरण, समकक्षता आदि विषयों को लेकर श्री अर्जुनसिंह द्वारा 14 नवम्बर 1957 को पूछे गये प्रश्न के संदर्भ में हुई। इस चर्चा के दौरान उन्होंने आठ मुद्दे प्रस्तुत किए और एकीकरण तथा राज्य कार्मिक सेवाओं की समस्याओं को अत्यन्त शोधपूर्ण और सुझावात्मक ढंग से विस्तार से प्रस्तुत किया। इस पर उनकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ.कैलाशनाथ काटजू ने सदन में कहा— ***मैं आपका बहुत अहसानमंद हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को अलग-अलग, साफ़-साफ़ रख दिया। यह एक इशारा होता है काम चलाने का।*** *उन्होंने सदन में ग्रामीण अंचलों के लिए बनाई गई सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए सरकार की प्रशंसा भी की है और नीतियों के पालन और योजनाओं के संचालन में बरती जाने वाली शिथिलताओं का बेबाकी से ज़िक्र भी किया है।*

श्री अर्जुनसिंह के बारे में यह माना जाता रहा कि वे सामन्ती परिवार से आये हैं तो उनके संस्कार भी सामन्ती ही होंगे। पर उनके राजनैतिक आचरण में यह बात शुरू

से ही दिखाई नहीं दी। 31 मार्च 1958 को समाप्त होने वाले वर्ष के निमित्त किये जाने वाले व्यय का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि की माँग पर श्री अर्जुनसिंह ने कटौती प्रस्ताव पेश किया और अपने प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए जागीरदारों के शोषणात्मक रवैये और किसान विरोधी हरक़तों पर तीखा प्रहार करते हुए कुलिया प्रथा की याद दिलायी— इस प्रथा के अन्तर्गत विन्ध्यप्रदेश और बघेलखण्ड में काश्तकारों को उनके घर के आस-पास एकाध एकड़ ज़मीन जागीरदार द्वारा दी जाती थी जिसे कुलिया कहा जाता था। अगर कुलिया वाला जागीरदार की इच्छानुसार नहीं चलता तो उसकी कुलिया छीन ली जाती थी। श्री अर्जुनसिंह ने शासन से आग्रह किया कि बिना ज्यादा टैक्स लगाये किसानों को कुलिया के पट्टे दिये जायें। किसानों की तकाबी वितरण के सम्बन्ध में उन्होंने मौजूदा कानूनों की अड़चनों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया और उन कानूनों को समाजवाद विरोधी करार दिया।

मध्यप्रदेश की खनिज सम्पदा के उचित दोहन के लिए श्री अर्जुनसिंह अपने प्रारंभिक राजनैतिक जीवन से ही चिंतित रहे हैं। प्रदेश के सुदूर हरिजन आदिवासी अंचलों में रहने वाले खेतिहरों और मज़दूरों की तरफ़ उनका ध्यान रहा है और वे एक विधायक के रूप में उनकी समस्याएँ सरकार के सामने रखते रहे। वे डकैती की समस्या के प्रति भी शुरू से चिंतित रहे। सभी जानते हैं कि जब वे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तब उन्होंने इस समस्या का डटकर सामना किया और अनेक डाकुओं के आत्म-समर्पण में सफलता पायी। वे नारी-शक्ति और युवकों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के हमेशा हिमायती रहे।

वे प्रारंभ से ही विशेषज्ञता पर बल देते रहे। 9 फरवरी 1961 को विधानसभा में नाटकों की श्लीलता और अश्लीलता को लेकर बहस छिड़ी हुई थी। अनेक सदस्य इस विषय पर सरकार से हस्तक्षेप करने की माँग कर रहे थे कि सरकार अश्लील नाटकों पर बंदिश लगाये। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने इस विषय पर कलाकारों की राय को ही महत्त्व देने की बात कही। इस चर्चा को याद करते हुए मध्यप्रदेश की संस्कृति-नीति और स्वायत्त **भारत भवन** के रचनात्मक क्रियाकलापों पर ध्यान जाता है जो उनके ही कारण संभव हुए। वे अनेक अवसरों पर अन्य दूसरे क्षेत्रों में भी सरकार को विशेषज्ञों की राय लेने का सुझाव देते रहे हैं। उन्होंने 20 मार्च 1963 को **भारत हृदय बैले** पर हो रही चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि — **यदि संकीर्ण विचारों के आधार पर कला की विशेषता पर विचार किया जायेगा तो भारतवर्ष में कला के लिए यह बड़ा दुर्दिन होगा।**

श्री अर्जुनसिंह सदन में नियमानुकूल आचरण करने के लिए प्रारंभ से ही जाने गये और सही वक़्त पर उचित नियम के स्मरण के लिए विख्यात भी हो गये। 26 मार्च 1962 की एक छोटी-सी घटना यहाँ याद आती है— कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य

श्री शाकिर अली खाँ ने सदन की सदस्यता की शपथ उर्दू में ग्रहण की। इस पर पिछोर से चुनकर आये श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त (वे मध्यप्रदेश के राजस्व मंत्री भी रहे हैं) ने पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाते हुए कहा कि यह शपथ संविधान के अनुसार नहीं है। शपथ तो हिन्दी या अँग्रेज़ी में ही ली जा सकती है। यह सुनकर शाकिर साहब ने याद दिलाया कि संविधान-स्वीकृत चौदह ज़ुबानों में से किसी में भी शपथ ली जा सकती है, उर्दू उनमें से एक है। इस बहस में श्री अर्जुनसिंह ने तत्काल नियमानुकूल हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अभी तो माननीय सदस्य ने खुद शपथ नहीं ली है; औचित्य का प्रश्न वे कैसे उठा सकते हैं? अध्यक्ष ने इसकी ताईद की। श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने ही 7 मार्च 1960 को आय-व्यय पर चल रही एक सामान्य चर्चा के दौरान कहा था कि श्री अर्जुनसिंह को केन्द्रीय मंत्री बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

निर्दलीय विधायक के रूप में श्री अर्जुनसिंह अक्टूबर 1960 तक ही रहे। इन्हीं दिनों वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से काँग्रेस में शामिल हुए। उनका काँग्रेस प्रवेश उस घटना से हुआ जब उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा में यह प्रस्ताव रखा कि विधायकों, मंत्रियों और स्वयं मुख्यमंत्री को अपनी आमदनी और ज़ायदाद का ब्यौरा सदन के पटल पर रखना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ.कैलाशनाथ काटजू ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और उसे मान्यता नहीं दी। इस बात से क्षुब्ध होकर श्री अर्जुनसिंह ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा और पंडितजी ने उनकी भावना का सम्मान करते हुए उन्हें दिल्ली बुलाया और उनके विचार जानकर अत्यन्त प्रभावित हुए तथा उन्हें काँग्रेस में शामिल होकर देश-सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उनका परिचय कराते हुए पंडितजी ने इंदिराजी से कहा — **इंदु!इनसे मिलो, यह हैं अर्जुनसिंह, तुम्हारे साथ ये काम करेंगे।** तब से आज तक वे काँग्रेस के निष्ठावान नेता के रूप में जाने जाते हैं।

उनमें प्रारंभ से ही देश भक्ति अटूट रही है। 1962 में उन्होंने भारत-चीन युद्ध के समय मध्यप्रदेश विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जिसकी सभी सदस्यों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और देश पर घिर आये संकट के समय विधानसभा के सदस्यों को भी सेना में भरती होने का प्रावधान हुआ। सदन के सभी सदस्यों ने श्री अर्जुनसिंह के स्वर में स्वर मिलाकर— राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण करने का संकल्प लिया। श्री अर्जुनसिंह ने तो सेना में भरती होने के लिए अपना आवेदन भी भेज दिया किन्तु कुछ व्यावहारिक बाधाओं के कारण वे सैनिक जीवन में प्रवेश न पा सके पर राजनीति के कर्मक्षेत्र में वे प्रत्येक बाधा को पार करते चले गये और एक सैनिक की ऊर्जा से भरे रहे। वे हमेशा कहा करते हैं कि मैं तो काँग्रेस का एक सिपाही हूँ।

श्री अर्जुनसिंह अभिनन्दन ग्रन्थ का यह दूसरा खण्ड है। इसमें हमने 1 जुलाई 1957 से 30 सितम्बर 1963 तक उनके विधायक जीवन की भूमिका को संक्षेप में संजोया है। इस अवधि में वे निर्दलीय और काँग्रेस के विधायक रहे। यहाँ हमने विधानसभा कार्रवाई से मुख्यतः वे ही अंश चुनकर प्रकाशित किये हैं जिनका सम्बन्ध श्री अर्जुनसिंह के सम्वादों से है। कहीं-कहीं तो पूरी चर्चा भी दे दी गयी है। विधानसभा की कार्रवाई 1957 से 1991 (खण्ड-2,3,4 एवं 5) तक का संकलन-सम्पादन श्री मनोहर चौरे ने किया है। इस कार्रवाई को प्रस्तुत करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि इसे पढ़कर कोई भी पाठक और नवोदित राजनीति कर्मी विधान मण्डल की महिमा और उसकी कार्यप्रणाली से परिचय प्राप्त कर सकें — प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? चर्चा में शामिल होने का अनुशासन क्या है? औचित्य का प्रश्न कैसे प्रस्तुत किया जाता है? स्थगन प्रस्ताव क्या है? सदस्यों को अध्यक्ष के प्रति किन-किन मर्यादाओं का पालन करना होता है? बजट कैसे आता है? राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता कैसे प्रकट की जाती है? संशोधन प्रस्ताव क्या होते हैं? इसके साथ ही कुछ रोचक बहसें और कभी-कभार विधानसभा में होने वाले विनोद तथा कुछ अप्रिय स्थितियाँ भी इन पृष्ठों पर देखने को मिलेंगी और इन सबके बीच उभरता हुआ श्री अर्जुन सिंह का धीर गंभीर राजनैतिक व्यक्तित्व प्रकट होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम सब स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी कर रहे हैं। इस वक़्त हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह नींव डालते वक़्त ऐसा कोई काम न करें जिससे कि सिर्फ़ एक धक्का लगे और इमारत ढह जाये।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
5 सितम्बर 1957



1957

सोमवार, 1 जुलाई, 1957 को मध्यप्रदेश विधानसभा का प्रथम अधिवेशन माननीय श्री काशीप्रसाद पाण्डे के सभापतित्व में ठीक 12 बजे प्रारम्भ हुआ।

पहले दिन शपथ ग्रहण करने वाले 250 सदस्यों में मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू का क्रम पहले नम्बर पर था। मंझोली विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित निर्दलीय सदस्य की हैसियत से एक सौ पचपनवें नम्बर पर श्री अर्जुनसिंह ने शपथ ग्रहण की। पहले दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम ही चला। नये प्रदेश की नयी विधानसभा में सत्ताईस वर्षीय श्री अर्जुनसिंह ने पहली बार सदस्य के रूप में प्रवेश किया था। वे निर्दलीय सदस्य के रूप में मंझोली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आये थे। विधानसभा में प्रवेश के चौथे दिन से ही श्री अर्जुनसिंह ने उसकी कार्यप्रणाली और नियमों पर एक सिद्धहस्त जानकार और परिपक्व वक्ता की तरह बोलना शुरू किया। उस दिन विधानसभा सदस्य श्री रामकिशोर शुक्ल द्वारा एक समाचार पत्र के खिलाफ उठाये गये विशेषाधिकार भंग प्रस्ताव पर इस बात को लेकर चर्चा हुई कि यह प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाये या नहीं? इस विषय पर सदन की राय ली जाये या नहीं? इस प्रश्न पर श्री अर्जुनसिंह ने पाइंट ऑफ आर्डर उठाया-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) :- पाइंट ऑफ आर्डर! माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने यहाँ की नियमावली के नियम संख्या 210 में यह लिखा हुआ है कि- "(i) Not more than one question shall be raised at the same sitting:

(ii) The question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence"

तो चूँकि एक दिन में एक ही प्रिविलेज मोशन माननीय सदस्य ला सकते हैं, इसलिये क्या यह प्रिविलेज मोशन आज आ सकता है?

अध्यक्ष :- आज तो एक ही प्रिविलेज मोशन आया है।

श्री अर्जुनसिंह :- आपने जो रूलिंग दी है उसमें भी लिखा हुआ है कि जब सदन के समक्ष पहले से कोई प्रिविलेज मोशन रखा गया हो और आपकी अनुमति मिली हो तब वह माना जायेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/4 जुलाई, 1957/पृष्ठ 153)

श्री महन्त नैनदास (बालोद बाजार) ने एक अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया कि "इस सदन की राय में नये मध्यप्रदेश में जहाँ-जहाँ मोटर स्टेशन हैं, वहाँ-वहाँ पर एक धर्मशाला और पानी व पाखाने की व्यवस्था करने की ओर सरकार उचित ध्यान दे।" इस विषय पर चर्चा हुई। श्री अर्जुनसिंह पूरे मनोयोग से सुनते रहे। इस चर्चा में श्री रामनिवास शर्मा (अम्बाह) ने भी हिस्सा लिया। श्री अर्जुनसिंह के भाषण के दौरान कई सदस्यों ने उन्हें टोका। उसी समय श्री सुन्दरलाल पटवा ने यह कहा कि "माननीय सदस्य इसका विरोध करने के लिये खड़े हैं या समर्थन करने के लिये? या फिर इच्छा भ्रमण करने के लिये?" यह सुनकर मंझोली से चुनकर आये संयमी श्रोता और वक्ता ने

सिर्फ इतना कहा— "आप वह तर्क इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहले तो Praise किया जाता है और बाद में उसे Condemn किया जाता है जिसमें बड़ी बुद्धि की जरूरत है।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 जुलाई 1957/पृष्ठ 276)

प्रश्न काल में प्रश्नोत्तर शुरू होने के पहले ही श्री अर्जुनसिंह ने अपनी बात इस प्रकार अंग्रेजी में प्रकट की-

श्री अर्जुनसिंह :- On a point of order, Sir I had submitted two starred questions to be answered by the Chief Minister and the date fixed for their answer was 3rd July 1957. The questions were duly admitted as per rule 39, and I was informed of the same on 1st July. On the 2nd July, however, I came to know through a publication No. 13 of this Assembly that two questions Nos. 1132 and 1133 were postponed on your orders to be answered on 11th July 1957. These two questions do not, however, find any place in the list of questions distributed to us last evening. I contend, therefore, that the list of questions distributed to us last evening and on the basis of which questions are to be put to-day, is not a list as specified in Rule 47, and hence no questions can be put on the basis of this list or in the alternative allow to me to put these questions to-day by virtue of the special powers conferred on you by this very Rule 47.

अध्यक्ष :- I will look into it.

मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/11 जुलाई, 1957/पृष्ठ 475)

सदन में 1957-58 का बजट वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष की अनुमति से बजट पर चर्चा शुरू हुई। निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। इस हिस्सेदारी से उनकी जनाभिमुख दृष्टि उजागर होती है, और वह प्रयोजन भी झलकता है कि वे किस पीड़ा से भरकर राजनीति के क्षेत्र में आये हैं। उन्होंने अपने पहले बजट भाषण में आदिवासी-ग्रामीण अंचलों के लिए बनाई गई सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए सरकार की प्रशंसा की और साथ ही नीतियों के पालन और योजनाओं के संचालन में बरती जाने वाली शिथिलताओं का बेबाकी से ज़िक्र किया। उन्होंने उदाहरण देते हुए जिस तरह अपने अंचल की समस्याओं को प्रस्तुत किया उससे उनकी व्यावहारिक राजनैतिक दृष्टि और कुशाग्र बुद्धि का परिचय मिलता है। यह साफ दिखायी पड़ता है कि वे जनजीवन की कठिनाईयों को अत्यन्त निकट से देख रहे हैं और सदन में अपनी बात अत्यन्त विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं -

अध्यक्ष :- अब श्री अर्जुनसिंह अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) :- मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि मैं बजट के उन आयटमों में जिन पर काफी रुपया मंजूर कराने की कोशिश की है और काफी डिटेल में जाने लायक है, उन पर मैं कुछ प्रकाश डालूँगा और वह इस ख्याल से कि हम लोग जब यह रकम पास करते हैं तब विधानसभा से तो यह भी आशा करते हैं कि जिस प्रयोजन के लिये यह रकम पास की जाती है उसका उचित प्रयोग होना चाहिए।

सबसे पहले मैं ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ही संक्षेप में दो-चार बातें कहना चाहता हूँ और वे ये हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वह कट मोशन का इश्यू होगा लेकिन ये जो मोटी-मोटी बातें हैं उन पर कहूँगा। हमारा जो ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वह ऐसा है जिसके लिये इस सदन में और सदन के बाहर भी पब्लिक प्लेटफार्म से सब ही लोग बड़ी ऊँची-ऊँची बातें करते हैं लेकिन जब उन स्कीम्स को कार्यान्वित करने का समय आता है तो हम यह देखते हैं कि काम जितना करना होता है उसका आधा भी नहीं हो पाता है।

उसका मूल कारण यह है कि ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट केवल एक को-ऑर्डिनेटिंग कमेटी है जो स्कीम बनाती है। इसके बाद जब स्कीम को कार्यान्वित करने का समय आता है तब उसके पास कोई एस्टाब्लिशमेंट या स्टॉफ नहीं है। इस स्टॉफ से मेरा मतलब यह नहीं कि उनके पास कोई क्लर्क बगैरह न हो। उदाहरण के लिये ले लीजिये कि अगर अमुक स्थान में ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने यह निश्चित किया कि हमें यहाँ एक स्कूल खोलना है तो ट्रॉयवल वेलफेयर का काम केवल इतने में ही खत्म हो जायेगा कि वह उस जिले के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर को लिख दे कि हम इतना रुपया भेज रहे हैं, आप वहाँ पर स्कूल खोल लें। इसका असर यह होता है कि जब वह रकम डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर के पास जाती है, चूँकि उनके पास पहले से ही एज्यूकेशन डिपार्टमेंट की स्कीम्स रहती हैं तो इन्सपेक्टर को यह लगता है कि उनके ऊपर एक बोझ आ गया। मैं यह कहकर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूँ लेकिन मैं जिले के अधिकारी से बात करके यह बात कह रहा हूँ और उनको यह महसूस होता है कि उनके ऊपर यह बोझ आ गया है। अगर ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास कोई दूसरा तरीका हो या कोई दूसरा एस्टाब्लिशमेंट हो जिससे कि वह हर क्षेत्र में अपना काम स्वयं करा सकें। इससे यह लाभ होगा कि उनके हृदय में जितना अच्छा तथा अधिक काम करने की भावना होती है वह सफल हो जायेगी।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आदिवासी विभाग अपने द्वारा भी स्कूल खोलता है। अगर माननीय सदस्य का किसी अन्य विभाग से सम्बन्ध है तो कृपया वे स्पष्ट कर दें क्योंकि आदिवासी विभाग तो स्कूल स्वयं खोलता है।

श्री अर्जुनसिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने जिले की और विन्ध्य प्रदेश रीजन की बात कर रहा हूँ। जहाँ की जानकारी मुझे है। जब कोई योजना ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट से पास होकर जाती है तो ट्रॉयवल विभाग के जो अधिकारी हैं, वे जिलों में जो कलेक्टर हैं, उनके पास एक सूचना भेज देते हैं कि आप इसको कार्यान्वित करें। जिलों के जो प्रभारी होते हैं उनका उस योजना को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में कोई टीका-टिप्पणी करने में स्थान नहीं होता। जिलाधीश महोदय के पास किसी जगह के लिये रकम आती है, उसे उस जगह वह लगा तो देते हैं लेकिन मैं उनको कोई दोष नहीं देता क्योंकि उनके पास जिले का ही इतना काम होता है जिससे उस योजना को वह कार्यान्वित नहीं कर पाते इसलिये हम चाहते हैं कि शासन इन बातों को ध्यान में रखकर ऐसी योजना बनाये जिससे वह विभाग अधिक काम कर सके क्योंकि यह एक ऐसे समाज के लिये है जिसके हित के लिए हम सब इतने उत्सुक रहते हैं और जिनकी कातर दृष्टि में आज भी सदियों की अमानुषिकता और बर्बरता प्रतिबिम्बित है इसलिये शासन विशेष ध्यान देकर योजनाएँ बनाये।

अब मैं एक सैद्धान्तिक बात कहना चाहता हूँ और मेरी समझ में उसका जिक्र न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आया और न इस बजट में। चूँकि व्यावहारिक दृष्टि से उसका उल्लेख होना चाहिए पर उसमें नहीं है लेकिन वह बात ऐसी है जो हमारे प्रदेश के प्रत्येक अंग पर असर डालने वाली है इसलिये कुछ कहना चाहता हूँ, वह यह है कि आज हमारे प्रदेश में एक-दो नहीं, सौ-दो सौ नहीं, हजार-डेढ़ हजार सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको महीने-दो महीने से नहीं, बल्कि आठ-आठ महीने से वेतन नहीं मिला है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सिद्धान्त को मानती है कि "A contented Civil Service is the just pre-requisite of a stable Government" यदि आप इसको मानते हैं तो फिर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने इस स्थिति के निराकरण के लिये क्या कोई प्रयास अभी तक किया?

दूसरी बात जो कृषि विभाग में जोर-शोर से प्रचार की जाती है, वह यह है कि ऐसी समस्या आई कि चार लाख तकाबी बाँटी गई, पाँच लाख तकाबी कुँओं और तालाबों के लिये बाँटी गई।। कुँओं-तालाबों के लिये तकाबी बाँटने के लिये सरकार ध्यान देती है, वह मैं जानता हूँ लेकिन जैसी कहावत है "फर्स्ट प्रेक्टिस देन प्रीसेप्ट" उसको मैं फिर से सामने लाना चाहता हूँ। आप यहाँ से तकाबी की मंजूरी जिलाधीशों के पास भेजते हैं, उसके लिये उनके पास हजारों अर्जियाँ रहती हैं। जब तक इतनी अर्जियों पर वह ध्यान देते हैं और अर्जियों को मंजूर करते हैं, तब

तक साल आखीर आ जाता है और मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि उन जिलों में खोज की जाये तो कुँओं-तालाबों के लिये आज भी तकाबी दी जा रही होगी। मैं पूछता हूँ कि बरसात के मौसम में अब क्या कुएँ बन सकते हैं? इसके अलावा यह बात भी ध्यान में आई कि जो बजट बनते हैं वह पहली एप्रिल से शुरू होते हैं। आपको एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिनमें 15 मार्च को तकाबी का निर्णय लिया गया कि यह पैसा खर्च हो या न हो लेकिन हमें पूरे पैसे का हिसाब अभी दे दो। यह तो एक ऐसा तरीका है जिसके लिये मैं कहूँगा कि शासन हमको बाध्य करता है कि हम जाली हिसाब पेश करें, तो इस प्रकार जितने निर्माण कार्य हैं उनके लिये शासन को सतर्क रहकर अपनी नीति निर्धारण करनी चाहिये जिससे समय पर काम हो सके।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह डेवलपमेंट स्कीम के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश किया गया है उस पर एक माननीय सदस्य ने औचित्य का प्रश्न भी उठाया था और उन्होंने इस चीज को लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू से लिया था, पर मैं उसे लीगल प्वाइंट ऑफ व्यू से नहीं लूँगा, मैं उसे प्रेक्टिकल प्वाइंट ऑफ व्यू से लूँगा। मैं उसका प्रेक्टिकल आस्पेक्ट बताना चाहता हूँ, यदि किसी चीज को आप सदन के सामने रखना नहीं चाहते तो उसका प्रेक्टिकल अफेक्ट क्या होता है वह मैं बताना चाहता हूँ। वह यह है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के अन्तर्गत हम सारे भारतवर्ष के गाँवों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, किसी-न-किसी डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत लेना चाहते हैं। इसके साथ मैं यह भी मानता हूँ कि सरकार यह कार्य करेगी लेकिन इसी सदन में यह चर्चा हुई कि सरकार प्रॉयरटी के आधार पर गाँवों को लेती है। हम यह भी देखते हैं कि जिस क्षेत्र से या जिस एरिया से कोई माननीय मंत्री होंगे या कि कोई माननीय कांग्रेस के सदस्य होंगे या इस बात को छोड़ भी दिया जाए तो जिस क्षेत्र से ऐसे कोई सदस्य होंगे जो कि स्वतंत्र या सोशलिस्ट पार्टी के होंगे, जिनकी उस स्थान तक पहुँच होगी, उनके क्षेत्र को या उनके स्थान को प्रॉयरटी दी जाती है, याने कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में उनका क्षेत्र पहले लिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह समझती है कि यह सदन कान्फीडेन्स में लेने लायक नहीं है तो हम लोग कह ही क्या सकते हैं? लेकिन यदि यह समझती है कि प्रॉयरटी को निर्धारित करने का सदन को कुछ अधिकार है तो यह लाजिमी है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिटेल्स उसे यहाँ लाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद पुलिस की डिमान्ड है। उसके लिये एक बहुत बड़ी रकम दी गई है और उसके बारे में मैंने कट मोशन भी मूव किया है। मैं उस वक्त उस बारे में बोलूँगा लेकिन संक्षेप में, मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि सरकार ने यह माना है, जो कि राज्यपाल के भाषण के अन्तर्गत भी कहा है कि डाकुओं की समस्या न सिर्फ लॉ एंड आर्डर का सवाल है बल्कि एक सोशल, पॉलिटिकल और इकॉनामिकल प्राब्लम है। इसलिये मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस बजट में उसे कम करने के लिये क्या कोई आर्गनाईजेशन शासन ने उसके लिए रखा है, जो कि इन दो चीजों को कम करे। मैं किसी दल विशेष पर आक्षेप नहीं करूँगा लेकिन इतना निश्चित है कि जिन-जिन क्षेत्रों में डाकू लोग हैं उनमें राजनैतिक कार्यकर्ता सब नहीं तो कुछ सही, सब पार्टियाँ नहीं तो कुछ पार्टियाँ सही - उनसे लाभ अवश्य उठाते हैं। अगर सरकार इस ओर सतर्क है तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या बात है, यदि इस बजट में इसके लिये प्रॉवीजन नहीं; तो आप एक सप्लीमेंट्री डिमान्ड लावें और एक योजना बनावें, एक हाई पॉवर कमीशन नियुक्त कीजिये, जो कि उस क्षेत्र की जानकारी लाकर सरकार को बता सके और जब मेरा कट मोशन मूव होगा तब मैं कुछ जानकारी देने की कोशिश करूँगा।

अध्यक्ष :- आप अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें।

श्री अर्जुनसिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण जल्दी ही समाप्त करूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे विन्ध्यप्रदेश डिवीजन के लिए 20 हजार रुपये मंजूर हुए थे। सोशल वेलफेयर बोर्ड की कल्पना बहुत अच्छी है और एक ऐसा अच्छा साधन है जिसके द्वारा हमारे देश की नारियों की इनर्जी और समय देश सेवा में लग सकते हैं पर उनके लिए जो रकमें दी जाती हैं, उन पर सरकार नियंत्रण रखने की ज्यादा कोशिश करे क्योंकि ऐसा देखा जाता

है कि इन-इफीसियेन्सी और कहीं-कहीं अन्य कारणों से जो रकम उसमें रखी जाती है वह उचित कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है। यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ इसलिए शासन अवश्य नियंत्रण रखने की कोशिश करे।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह देना चाहता हूँ और जो मैंने पहले भी कह दिया है कि मैं नया सदस्य होने के कारण कुछ गलती कर जाऊँ याने जो बातें जनरल डिस्कशन के वक्त नहीं आना चाहिए वे आ जायें तो उनके लिए मुझे क्षमा करेंगे। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/11 जुलाई, 1957/पृष्ठ 535-537)

सदन में उठाए गए प्रश्नों के माध्यम से श्री अर्जुनसिंह सरकार और शासकीय महकमों के अफसरों-कारिन्दों को हमेशा यह आभास कराते रहे कि जनहितकारी योजनाओं के प्रावधानों और उनके संचालन पर जन प्रतिनिधियों की कड़ी नजर बराबर पड़ रही है। इससे प्रशासन हमेशा चौकस रहा। उनके प्रश्नों का आधार हमेशा ही रचनात्मक रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत राग-द्वेष को कभी भी अपने कर्मक्षेत्र में स्थान नहीं दिया। हर वर्ग के शासकीय सेवकों, यहाँ तक कि पुलिस कर्मियों और उनके आश्रितों की भी कम चिन्ता नहीं की है। पुलिस वर्ग, एक ऐसा वर्ग है, जिसकी सेवाओं को कभी भी तहेदिल से एकमत होकर नहीं सराहा गया। सत्तापक्ष उसे सराहता है, तो प्रतिपक्ष उसे दुत्कारता है, अक्सर ऐसा ही होता है। श्री अर्जुनसिंह जी जब सत्तापक्ष के अंग नहीं थे, तब भी उन्होंने इस उपेक्षित पुलिस वर्ग को उसकी जनभावी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सराहा है। उनके पक्ष में वक्तव्य दिए हैं, उनके आश्रितों को मुआवजा देने, पेंशन देने की बात सीधे तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से कही है। यहाँ पूछे गए प्रश्नों से प्रश्नकर्ता की मानसिकता, प्रवृत्ति, उसकी पहुँच और दृष्टि से परिचय होता है। इसी दृष्टिकोण से यहाँ और आगे के पृष्ठों में भी उनके भाषणों, स्थगन प्रस्तावों, चर्चाओं आदि के साथ-साथ श्री अर्जुनसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न, पूरक प्रश्न और शासन की ओर से आए उनके उत्तर प्रस्तुत किये गये हैं-

श्री अर्जुनसिंह :- (a) Will the Chief Minister be pleased to state the amount of money or lands, given to the dependents of those policemen who have been killed in encounters with the dacoits in districts Chhatarpur, Datia and Tikamgarh in Vindhya Divisions during the last Years?
(b) What have been the guiding principles in these awards?

श्री कैलाशनाथ काटजू (मुख्य मंत्री) :- (a) The State Government sanctioned the payment of Rs. 1,000 only each to the dependents of two constables who were killed in encounters with the dacoits. No lands were given.
(b) The guiding principles were (1) the status of the deceased, (2) the number of his dependents, (3) his other family liabilities, and (4) the circumstances of his death.

श्री अर्जुनसिंह :- जो नये रूल्स पुलिस कर्मचारियों को पेन्शन देने के लिये बनाये गये हैं वह अभी पूरे प्रदेश में लागू किये गये हैं या नहीं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित :- डाकूग्रस्त क्षेत्र में लागू कर दिये गये हैं।

श्री अर्जुनसिंह :- Will the Hon. Chief Minister be pleased to state the number of Government servants drawing salaries less than Rs. 700 p.m. in Vindhya Pradesh Region who have not been paid their salaries for more than two months ending 31st May 1957, and why?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू :- The number of Government servants drawing salaries less

than Rs. 700 p.m. in the Vindhya Pradesh Region who had not been paid their salaries for more than two months ending 31st May 1957 was 252. The cases of 217 employees have since already been finalised and necessary orders issued. The cases of the remaining 35 employees are being expedited. The delay was mostly due to the creation or extension of the period of posts. This took some time to complete the formalities.

श्री अर्जुनसिंह :- जो कार्रवाई होना बाकी है वह कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री नरसिंहराव दीक्षित :- हो सकता है कि किसी एक में बहुत देर लग जाये लेकिन यह रुपये-पैसे का मामला एक ही विभाग से सम्बन्धित नहीं रहता है, लेकिन आपको सन्तुष्ट होना चाहिए इसलिये कि एक बड़ी लिस्ट 251 की जो बताई गई थी उसमें से 217 केसेज निबटाये जा चुके हैं और जो बाकी रहे हैं उनके जल्दी निबटाये जाने की कार्रवाई जारी है।

श्री अर्जुनसिंह :- यह मैंने जो प्रश्न पूछा है क्या उसके बाद यह 217 केसेज निबटाये गये हैं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित :- हो सकता है कि आपके प्रश्न आने के बाद निबटाये गये हों, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि नेचरल कोर्स में निपट रहे हैं आपके प्रश्न के कारण नहीं।

श्री होमी एफ. दाजी :- क्या उनमें ऐसे चान्सेज हैं जो इतने दिन से तनख्वाह बन्द थी?

अध्यक्ष :- यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री होमी एफ. दाजी :- ऐसी अवस्था में उनको इण्टेरिम रिलीफ देने के सम्बन्ध में शासन सोचता है या नहीं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित :- यह अलग प्रश्न है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/18 जुलाई, 1957/पृष्ठ 929-30)

18 जुलाई, 1957 को अध्यक्ष महोदय ने राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पढ़ा, जिसमें कहा गया कि 31 मार्च, 1958 को समाप्त होने वाले वर्ष में माँग संख्या 2-भू-राजस्व के निमित्त किये जाने वाले व्यय का भुगतान करने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि के अतिरिक्त, 1,62,40,000 (एक करोड़, बासठ लाख, चालीस हजार रुपये) की धनराशि दी जाये। इस माँग के सम्बंध में अध्यक्ष महोदय के समक्ष कटौती प्रस्ताव पेश किया गया था। अपने प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए और बहस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने जोरदार शब्दों में जागीरदारों के शोषणात्मक रवैए तथा किसान विरोधी जागीरदाराना हरक़तों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने शोषित आदिवासियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शासन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया। श्री अर्जुनसिंह ने विशेष रूप से जागीरदारों द्वारा छोटे किसानों पर किये जा रहे जोर-जुल्मों का जिक्र करते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया -

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के सामने कुछ ऐसे सवाल रखना चाहता हूँ जो कि कहने के लिए बहुत छोटे हैं लेकिन मेरे प्रदेश के कम-से-कम विन्ध्यप्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में बहुत लोगों के ऊपर उनका असर पड़ता है। मैं हर एक पाइंट को सिर्फ मेंशन कर दूँगा। उन पर ज्यादा विस्तार से नहीं कहूँगा क्योंकि समय की बहुत कमी है। समय की कमी के कारण मैं उन पर अधिक प्रकाश नहीं डाल सकूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे यहाँ पूरे प्रदेश में जंगली हिस्सा ज्यादा है और जंगली हिस्सों के बीच हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। आदिवासी भाई वहाँ पर खेती-बाड़ी करने लगे हैं। उनकी भी अपनी खेती की समस्याएँ हैं। वहाँ कई की मन्शा होती है कि वे भी अपने खेत बनायें इसलिये उनको कभी-कभी जंगल काटना पड़ता है। वे धीरे से जंगल काट लेते हैं और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वे जिस जंगल में आम तौर से रहते हैं उनको साफ कर लेते हैं और उन पर खेती शुरू कर देते हैं। 2-4 साल तक खेती होती रहती है और जब उसके बाद वे पट्टे के लिए अर्जी देते हैं तो हमारे यहाँ यह होता है कि तहसीलदार कहते हैं कि आप जंगल विभाग में जाइए, वे

आपको पट्टा देंगे। वे इस मामले पर निर्णय करेंगे। जंगल विभाग में जाते हैं और पट्टा देने के लिए अर्जी देते हैं तो जंगल विभाग कहता है कि यह काम हमारा नहीं है, आप आगे चलिए। इसलिये हम चाहते हैं कि शासन ऐसे नियम बनाये जिससे यदि जंगल कानूनी तौर से काटें या गैर कानूनी तौर से काटें पर किसान को पट्टा मिल जाए। उस कानून में यह बिलकुल निर्धारित कर दिया जाए कि जंगल काटने वाले को कानून के नियमानुसार पट्टा मिल सकता है और कानून में ऐसी व्यवस्था हो जिससे उन्हें (जनता को) भटकना न पड़े।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि विन्ध्यप्रदेश में बघेलखण्ड में पहले काश्तकारों को कुछ ऐसी जमीन दी जाती थी जिसको कुलिया कहते हैं। यह कुलिया किसान के घर के आसपास या और कहीं एकाध एकड़ की होती थी। उस कुलिया पर कोई लगान नहीं होता था। जागीरदारी जहाँ होती थी वहाँ जागीरदार कुलिया देकर उस पर अपना कुछ अधिकार रखता था। उसमें यह होता था कि अगर कुलिया वाला जागीरदार की इच्छा के अनुसार नहीं चलता था तो उसकी कुलिया जागीरदार द्वारा छीन ली जाती थी। अगर कुलिया छीन ली जाये तो किसान का कैसे काम चल सकता है? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि शासन उसका सेम्पल सर्वे करवाये और उस पर बिना ज्यादा टैक्स लगाये उस बाबत निर्णय ले ले और किसानों को कुलिया के लिये पट्टा दे दे।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पट्टे दिये गये थे विन्ध्यप्रदेश में, जैसे एक माननीय सदस्य ने 55/45 का नाम लिया, तो 55/45 के जो पट्टे दिये गये हैं उनमें जहाँ सरकार की ओर से दिये गये वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जो जागीरदारों ने 55/45 के पट्टे दिये थे, उनको कहीं-कहीं अमान्य किया जा रहा है और पटवारी लोग काश्तकारों से यह कहते हैं कि आप हमें पूरा सौ का सौ लगान दें। अब आपको 55/45 की छूट नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार इसको मान्यता नहीं देने वाली है। जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसके विषय में सरकार की ओर से कोई नया नियम नहीं निकला है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आपकी ऐसी नीति है तो सदन में इस तरह का कानून लाइए कि इस तरह के पट्टे जो जागीरदारों द्वारा दिये गये हैं, नहीं माने जायेंगे। लेकिन जब तक कोई कानून यहाँ से पास नहीं होता तब तक मैं निवेदन करूँगा कि आप हर तहसील में आर्डर भेज दें कि इस तरह से गलतफहमी फैलाकर काश्तकारों को तंग न किया जाये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ जो कि आदिवासी भाईयों के बाबत है। आदिवासी भाईयों का खेती करने का एक खास तरीका होता है, उससे हम लोगों के तरीके से जो कि एक आम जगह पर रहते हैं, तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि उनके पास खेती करने के दूसरे साधन हैं और हमारे पास दूसरे साधन हैं ....

अध्यक्ष :- आपका समय हो गया।

श्री अर्जुनसिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। ये लोग डहिया प्रथा से खेती करते हैं। इसमें यह होता है कि जंगल से लकड़ी काटकर खेत पर जला देते हैं और जब जलकर राख हो जाती है तो चावल बोया करते हैं। इसको वन विभाग ने बन्द कर दिया। यह है तो वन विभाग का काम लेकिन राजस्व विभाग उनसे लगान लेता है। इसलिये मैं चाहूँगा कि यह प्रथा फिर से लागू कर दी जाये।

इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह सीलिंग ऑफ लैण्ड होल्डिंग्स का है। मैंने राज्यपाल महोदय का भाषण सुना और मंत्रियों के भाषण सुने, लेकिन कहीं भी सीलिंग ऑफ लैण्ड होल्डिंग्स के बारे में कोई चीज नज़र नहीं आयी। मैं चाहता हूँ सरकार इसके बारे में कोई नीति निर्धारित करे और जो भी कानून बनाये, पहले उसके बारे में एक कमेटी बनाये, इसके बाद कोई कानून बनाया जाये। इतना कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/18 जुलाई, 1957/पृष्ठ 981 से 83)

शिक्षा सम्बन्धी माँग पर हुई बहस में श्री अर्जुनसिंह ने भी सक्रिय हिस्सा लिया

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे बजट में शिक्षा के लिये जो बहुत बड़ा हिस्सा रखा गया है, उसके लिये मैं शिक्षा मंत्री महोदय को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ लेकिन इसके साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि जब उस रकम को खर्च किया जावेगा तब कुछ मूलभूत सिद्धान्तों का अवश्य ख्याल रखा

जावे। वे सिद्धान्त क्या हैं; अध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में सदन के सामने रख देना चाहता हूँ। ये सिद्धान्त शिक्षा के भिन्न-भिन्न अंगों से संबंधित हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको यह देखना चाहिये कि हम पढ़ाते क्या हैं और जब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि हम पढ़ाते क्या हैं तो यह भी प्रश्न आना स्वाभाविक है कि हम कौन-सी पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह की पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना चाहते हैं। जब हम शिक्षा के बजट को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसके लिये हमारे बजट के पृष्ठ 144 पर 9 लाख और 85 हजार की राशि प्रायमरी पुस्तकों की छपाई के लिये रखी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को यह मालूम है कि अब विभिन्न घटक राज्य एक ही नये राज्य के अन्तर्गत आते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों की बात तो अलग, एक ही राज्य के पृथक-पृथक जिलों में अलग-अलग पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जब सत्र प्रारम्भ होता है उस समय क्षेत्र के विद्यार्थियों को यह पता भी नहीं रहता कि हमें इस वर्ष कौन-सी पुस्तक पढ़ाई जावेगी। अगर गणित की पुस्तक है तो गणित तो सब जगह एक ही पढ़ाया जाता है। दो और दो चार ही होते हैं, चाहे महाकौशल हो या मध्यभारत, लेकिन यह निर्धारित किया जाता है कि दो और दो चार, अमुक लेखक के द्वारा लिखा होना चाहिए और वही पुस्तक पढ़ना पढ़ेगी, तभी विद्यार्थी गण पुस्तक नहीं खरीद सकते। इसलिये मैं शासन से यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वह कम से कम प्रायमरी स्टेज के लिये पाठ्य पुस्तक तैयार करने में एक नॉन ऑफिशियल एजूकेशनल बोर्ड अपाइंट करे जिसका सभापति किसी विश्वविद्यालय का उपकुलपति हो और दूसरे मेम्बर अच्छे शिक्षा-शास्त्री हों और इस पर सरकार का कोई नियंत्रण न हो यही संस्था या बोर्ड यह निर्णय करे कि हमें कौन-सी पुस्तक प्रायमरी स्टेज में पढ़ानी चाहिये और वे ही पुस्तकें पूरे प्रदेश में पढ़ाई जावें और एक साथ लागू की जावें।

दूसरे पृष्ठ 166 में एक ग्राण्ट के लिये लिखा गया है प्रेपरेशन ऑफ लीगल एण्ड टेक्नीकल टर्मीनॉलॉजी (विधि सम्बन्धी तथा पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण) जिसमें 45 हजार 300 की माँग की गई है। इसके अलावा 166 पेज में 60 हजार रुपये की माँग की गई है - ग्राण्ट फॉर दि डेवलपमेंट ऑफ हिन्दी एण्ड स्टेट लैंग्वेजेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे मालूम है इन दोनों विषयों के लिये अपनी भारतीय सरकार खुद काफी रकम खर्च कर रही है। जहाँ तक लीगल एण्ड टेक्नीकल टर्मीनॉलॉजी और हिन्दी के डेवलपमेंट का सवाल है, हिन्दी के उत्थान का सवाल है, मैं यह जानना चाहूँगा कि यह रकम अपने बजट में रखकर डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा और दो मामलों में डिमाण्ड की गई है, एक है, हम अपने यहाँ 20 एकड़ से जो कम वाले काश्तकार हैं, उनके लड़कों को पढ़ाने के लिए 2 लाख ग्राण्ट देते हैं। इसी तरह से लेण्डलेस लेबर्स के लिए 30 हजार की ग्राण्ट देते हैं। यह प्रिन्सिपल बहुत अच्छा है, इसके बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। आपत्ति सिर्फ यह है कि अपने यहाँ काश्तकारों की संख्या को देखते हुए यह 2 लाख और 30 हजार की रकम बहुत कम है। इसके द्वारा सही फायदा न पहुँच सकेगा इसलिये मैं चाहूँगा कि ये रकमें बढ़ाई जायें। इसके अलावा जैसा मुझे मालूम हुआ है यह रकम मुख्यतया उन हिस्सों के लिये है जहाँ जनपद सभाओं के द्वारा स्कूल चलाये जाते हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है मध्यभारत का तो नहीं कह सकता लेकिन विन्ध्यप्रदेश में ऐसा नहीं है, अगर यह स्कीम चालू की जा रही है तो मैं चाहूँगा कि इसका लाभ प्रदेश के हर भाग को पहुँचाया जाये। इसके बाद एक आवश्यक बात मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहूँगा और वह यह है कि उन्होंने बजट में स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज के लिए 1 लाख 88 हजार 8 सौ की ग्राण्ट रखी है। हमारे देश में और अपने स्टेट में जो अनुशासनहीनता छात्रों में आ रही है उसका मूल कारण यह है कि शिक्षकगण सिर्फ क्लास रूम में उनके जिम्मेदार होते हैं। जिस वक्त से वे स्टूडेण्ट क्लास रूम में आ जायेंगे और जैसे ही 3.30 बजे या 4 बजे की घण्टी बजी कि फिर स्टूडेण्ट का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, वहीं पर अनुशासन की बात पैदा होती है क्योंकि अब आप उनको कोई हैल्दी एक्टिविटीज न देंगे तो अनहैल्दी ऐक्टिविटीज पैदा हो जायेंगी और इस तरह से अनहैल्दी एलीमेंट उसका फायदा उठाते हैं। इसलिये जो 1 लाख 88 हजार की रकम रखी गई है और जो शायद बजट की एक प्रतिशत भी न होगी, उसको बढ़ाकर ऐसी योजना रखी जाये जिसमें स्पोर्ट्स ऐक्टिविटीज को प्रोत्साहन देकर पूरे प्रदेश के छात्रों को एक हैल्दी ऐक्टिविटीज मिल सके।

इसके अलावा एक स्थानीय समस्या है उसके बारे में निवेदन करूँगा। हमारे रीवा में एक संगीतालय है। शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बजट में उसके लिये 600 रुपये का अनुदान निश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, संगीत विद्यालय प्रदेश में और जगह भी हैं। एक जगह खैरागढ़ में संगीत यूनिवर्सिटी है। विन्ध्यप्रदेश में सिर्फ एक संगीतालय के लिये रकम रखी गई है 600 रुपये, जो बहुत ही कम है, उसे बढ़ाकर ज्यादा किया जाये। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मान्टेसरी स्कूल है उसके बारे में, मैं एक बहुत दुखित बात बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उसे आज 10 वर्ष स्थापित हुए हो गये। महोदय, जिस वक्त यह स्कूल स्थापित हुआ था रीवा में, उसमें एक बस दी गई थी छात्रों को ले आने और ले जाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज 10 वर्ष हो गये, आज भी वही बस वहाँ चल रही है, कहने को चल रही है। वैसे तो वह बस रोज बिगड़ जाती है। फिर किसी ठेले में लड़कों को भरकर और रस्से में बाँधकर उन्हें स्कूल लाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी उन बच्चों को ठेला नहीं मिलता है, तो वे छोटे-छोटे बच्चे तीन-तीन, चार-चार मील से पैदल दौड़ते आते हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चों का पैदल आना कहाँ तक ठीक है और ठेले से आना भी उनका अच्छा नहीं है। यदि वे उसमें से गिर जायें तो कौन जिम्मेदार होगा? जब मंत्रियों के लिये यह नियम रखा गया है कि अगर उनकी मोटर 50,000 मील चल जाये तो दूसरी मोटर 20 हजार रुपये तक की उन्हें मिल जाती है तो 10 वर्ष से जो गाड़ी चल रही है और जो बेकार हो चुकी है, तब क्या उन बच्चों के लिये दूसरी बस नहीं खरीदी जा सकती?

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करना है वह एन.सी.सी. जूनियर और सीनियर डिवीजन के सम्बन्ध में है। उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वह अलग है, मुझे उसके लिये कुछ नहीं कहना है। उनके श्रमदान के सम्बन्ध में कहना है। मैंने देखा है नाम तो बहुत रहता है कि एन.सी.सी. के छात्रों ने एक सड़क बना दी लेकिन वास्तविक जो कुछ बनता है, वह हम भी जानते हैं और मंत्रीजी को भी मालूम है और सदन के सब माननीय सदस्यों को मालूम होगा।

बजट के पृष्ठ 144 पर जो रकम पे ऑफ मीनियल्स के लिये रखी है, उसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में अब मीनियल नाम की कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि अब हम किसी को मीनियल कह सकें। मीनियल शब्द के बजाए कोई दूसरा नाम रखकर रकम की माँग की जा सकती थी। यदि ऐसा किया जाता तो अच्छा होता। इसके लिये मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/22 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1146-47)

शिक्षा सम्बन्धी माँगों पर चल रही बहस में आगे श्री अर्जुनसिंह ने शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा से जानना चाहा :-

श्री अर्जुनसिंह :- क्या माननीय मंत्रीजी एक बात बताने की कृपा करेंगे कि जैसे विन्ध्यप्रदेश सम्भाग में हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क रही है उसी के आधार पर पूरे मध्यप्रदेश में क्या शिक्षा निःशुल्क की जायेगी?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- इस प्रश्न के सम्बन्ध में पहले भी चर्चा सदन में की जा चुकी है। मैं बतला देना चाहता हूँ सदन में, कि यह बिलकुल गलतफहमी है कि विन्ध्यप्रदेश में शिक्षा बिलकुल निःशुल्क रही है। निःशुल्क रही है केवल उन विद्यार्थियों के लिये जिनके माता-पिता, गार्जियन, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं देते थे। मैं यह बात माननीय सदस्यों को फिर बतला दूँ कि मैंने इसकी जानकारी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमने आडर्स देखे और मालूम हुआ कि जिन विद्यार्थियों के गार्जियन एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देते थे उनके लिये शिक्षा निःशुल्क नहीं थी और जहाँ तक मध्यप्रदेश का सम्बन्ध है, वह लोग जिनके पास 20 एकड़ से कम जमीन है, लेंडलेस हैं या 100 रुपये से कम जिनकी तनख्वाह है उनके लिये शिक्षा मेट्रिक तक निःशुल्क है। वैसे अभी पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी :- मैं इसे साफ कर दूँ कि मेट्रिक तक किसी भी विद्यार्थी से विन्ध्यप्रदेश में फीस नहीं ली जाती थी।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस समय पूरी जानकारी के साथ नहीं बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :- माननीय सदस्य की जानकारी का उसमें प्रश्न नहीं है, रिकार्ड देख लिये जायें,

इसके अलावा एक स्थानीय समस्या है उसके बारे में निवेदन करूँगा। हमारे रीवा में एक संगीतालय है। शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बजट में उसके लिये 600 रुपये का अनुदान निश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, संगीत विद्यालय प्रदेश में और जगह भी हैं। एक जगह खैरागढ़ में संगीत यूनिवर्सिटी है। विन्ध्यप्रदेश में सिर्फ एक संगीतालय के लिये रकम रखी गई है 600 रुपये, जो बहुत ही कम है, उसे बढ़ाकर ज्यादा किया जाये। इसके अलावा हमारे यहाँ जो मान्टेसरी स्कूल है उसके बारे में, मैं एक बहुत दुखित बात बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, उसे आज 10 वर्ष स्थापित हुए हो गये। महोदय, जिस वक्त यह स्कूल स्थापित हुआ था रीवा में, उसमें एक बस दी गई थी छात्रों को ले आने और ले जाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, आज 10 वर्ष हो गये, आज भी वही बस वहाँ चल रही है, कहने को चल रही है। वैसे तो वह बस रोज बिगड़ जाती है। फिर किसी ठेले में लड़कों को भरकर और रस्से में बाँधकर उन्हें स्कूल लाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जब कभी उन बच्चों को ठेला नहीं मिलता है, तो वे छोटे-छोटे बच्चे तीन-तीन, चार-चार मील से पैदल दौड़ते आते हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चों का पैदल आना कहाँ तक ठीक है और ठेले से आना भी उनका अच्छा नहीं है। यदि वे उसमें से गिर जायें तो कौन जिम्मेदार होगा? जब मंत्रियों के लिये यह नियम रखा गया है कि अगर उनकी मोटर 50,000 मील चल जाये तो दूसरी मोटर 20 हजार रुपये तक की उन्हें मिल जाती है तो 10 वर्ष से जो गाड़ी चल रही है और जो बेकार हो चुकी है, तब क्या उन बच्चों के लिये दूसरी बस नहीं खरीदी जा सकती?

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करना है वह एन.सी.सी. जूनियर और सीनियर डिवीजन के सम्बन्ध में है। उनकी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वह अलग है, मुझे उसके लिये कुछ नहीं कहना है। उनके श्रमदान के सम्बन्ध में कहना है। मैंने देखा है नाम तो बहुत रहता है कि एन.सी.सी. के छात्रों ने एक सड़क बना दी लेकिन वास्तविक जो कुछ बनता है, वह हम भी जानते हैं और मंत्रीजी को भी मालूम है और सदन के सब माननीय सदस्यों को मालूम होगा।

बजट के पृष्ठ 144 पर जो रकम पे ऑफ मीनियल्स के लिये रखी है, उसके सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि हमारे देश में अब मीनियल नाम की कोई चीज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि अब हम किसी को मीनियल कह सकें। मीनियल शब्द के बजाए कोई दूसरा नाम रखकर रकम की माँग की जा सकती थी। यदि ऐसा किया जाता तो अच्छा होता। इसके लिये मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/22 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1146-47)

शिक्षा सम्बन्धी माँगों पर चल रही बहस में आगे श्री अर्जुनसिंह ने शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा से जानना चाहा :-

श्री अर्जुनसिंह :- क्या माननीय मंत्रीजी एक बात बताने की कृपा करेंगे कि जैसे विन्ध्यप्रदेश सम्भाग में हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क रही है उसी के आधार पर पूरे मध्यप्रदेश में क्या शिक्षा निःशुल्क की जायेगी?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- इस प्रश्न के सम्बन्ध में पहले भी चर्चा सदन में की जा चुकी है। मैं बतला देना चाहता हूँ सदन में, कि यह बिलकुल गलतफहमी है कि विन्ध्यप्रदेश में शिक्षा बिलकुल निःशुल्क रही है। निःशुल्क रही है केवल उन विद्यार्थियों के लिये जिनके माता-पिता, गार्जियन, एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स नहीं देते थे। मैं यह बात माननीय सदस्यों को फिर बतला दूँ कि मैंने इसकी जानकारी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमने आडर्स देखे और मालूम हुआ कि जिन विद्यार्थियों के गार्जियन एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स देते थे उनके लिये शिक्षा निःशुल्क नहीं थी और जहाँ तक मध्यप्रदेश का सम्बन्ध है, वह लोग जिनके पास 20 एकड़ से कम जमीन है, लेंडलेस हैं या 100 रुपये से कम जिनकी तनख्वाह है उनके लिये शिक्षा मेट्रिक तक निःशुल्क है। वैसे अभी पूरा प्रश्न विचाराधीन है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी :- मैं इसे साफ कर दूँ कि मेट्रिक तक किसी भी विद्यार्थी से विन्ध्यप्रदेश में फीस नहीं ली जाती थी।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस समय पूरी जानकारी के साथ नहीं बोल रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :- माननीय सदस्य की जानकारी का उसमें प्रश्न नहीं है, रिकार्ड देख लिये जायें,

स्कूलों के रिकार्ड देख लिये जायें कि फीस ली जाती थी क्या?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- सदन यह निश्चय करेगा कि शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उन पर विश्वास करें या माननीय सदस्य पर और जिसको पूरी जानकारी है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी :- मैं दायित्व के साथ कह रहा हूँ कि फीस वहाँ मेट्रिक तक नहीं ली जाती थी।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/22 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1161)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उद्योग मंत्री श्री तख्तमल जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन में पढ़ा। इस प्रस्ताव में कहा गया "कि 31 मार्च 1958 को समाप्त होने वाले वर्ष में माँग संख्या 21- कृषि के निमित्त किये जाने वाले व्यय का भुगतान करने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु राज्यपाल महोदय को लेखानुदान द्वारा दी हुई धनराशि के अतिरिक्त रुपये एक करोड़, छिहत्तर लाख, बाइस हजार, चार सौ (1,76,22,400) तक की धनराशि दी जावे।" इस माँग के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा बहस में सक्रिय हिस्सा लिया। हमेशा की तरह इस बार भी कृषि सम्बन्धी माँग पर हुई बहस में उन्होंने अपने किसान हितैषी रचनात्मक और व्यवहारिक विचार प्रस्तुत किये तथा शासन से कहा कि तकाबी वितरण संबंधी जो मौजूदा कानून हैं वे उन किसानों को तकाबी मिलने में अड़चनें पैदा करते हैं, जिन्हें सही मायने में तकाबी मिलनी चाहिए। ऐसे कानूनों को उन्होंने समाजवाद विरोधी करार दिया। उन्होंने आदिवासियों की दिक्कतों की ओर भी शासन का ध्यान आकर्षित किया:-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) :-अध्यक्ष महोदय, मुझे एग्रीकल्चर की माँग के ऊपर दो-चार बातें कहना है। सबसे पहले तो मैं 227 पेज पर दी हुई ग्राण्ट-इन-एड की रकम जो 847 हजार है उसके ऊपर यह कहना चाहता हूँ - क्योंकि यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है- कि इसके अन्तर्गत तकाबी के रूप में कुओं के लिए, बाँध बनाने के लिये व अन्य चीजों के लिये तकाबी दी जाती है। उसके बारे में, अध्यक्ष महोदय, मुझे तकाबी देने के सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य पहले कह चुके हैं उस बारे में, मैं कुछ नहीं कहूँगा जिससे तकाबी देने में अड़चन पैदा होती है। मुझे तकाबी देने के जो नियम बने हैं, उनके बरतने में जो दिक्कत पैदा होती है उसकी ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना है। वह इस तरह, आज जो तकाबी देने के नियम हैं, उसके अनुसार उसी काश्तकार को तकाबी दी जाती है जिसके पास इतनी प्रापर्टी हो जो कोर्ट ऑफ लॉ से अटैच की जा सके। आपके नियमों के अनुसार कोई भी मिनिमम होल्डिंग अटैच नहीं की जा सकती और मिनिमम होल्डिंग दस एकड़ की होती है जिसका मतलब यह हुआ कि दस एकड़ से कम ज़मीन रखने वाला काश्तकार अगर तकाबी के लिये अर्जी देता है तो उसे नियम विरुद्ध कहकर लौटा दिया जायेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि या तो आप साफ नियम बना दें कि दस एकड़ से कम जमीन रखने वाले को तकाबी नहीं दी जायेगी, नहीं तो नियम बदल दें, ताकि जमीन रखने की जो पाबन्दी है वह दूर हो जाये। मैं समझता हूँ कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये ऐसी पाबन्दी उचित नहीं होगी।

दूसरी चीज यह है, अध्यक्ष महोदय, कि इम्प्रूव्ड सीड के लिये उसी पेज पर 764 हजार की जो रकम रखी गई है उसके सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूँ कि नियम तो है जरूर इम्प्रूव्ड सीड के लिए, लेकिन इनफैक्ट क्या है? जहाँ तक है मैं यह अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी समय-समय पर अपने छोटे से फार्म के लिए बीज भण्डार से बीज लेता रहता हूँ और वहाँ से जो बीज लेता हूँ और उसकी फसल जब तैयार होती है, तब विभाग हमसे यह कहता है कि आप अपने उपयोग भर के लिये रख लें और बाकी हमको बेच दें और जो उनको बेच दिया जाता है वह बीज फिर दूसरे साल वितरित होता है तो हमारे यहाँ जो फार्म की हालत है हम बीज ठीक तरह से नहीं रख सकते, उसमें अनइम्प्रूव्ड वैरायटी भी मिल जाती है। अगर काश्तकार इम्प्रूव्ड वैरायटी की सीड्स ही चाहते हैं तो आप जाँच करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करें, जिससे उसमें खराब सीड्स मिक्स न हो।

अध्यक्ष महोदय, उसी 227 पेज पर फिशरीज के बारे में लिखा है। उससे लोकल प्रॉब्लम हैं। गोविन्दगढ़ में एक बड़ा टैंक है, उस टैंक को सरकार ने ले लिया है। उसे फिशरीज के लिए लिया गया है। सरकार ने उसे एक साल के लिए ठेके पर दिया था। वह कितने में दिया था उसकी निश्चित राशि तो मुझे मालूम नहीं पर शायद 20 हजार में दिया था। जिस महाशय को टैंक दिया गया है, उसने उसमें 2-3 महीने काम करके छोड़ दिया है इसलिये अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि उस टैंक पर शासन कार्य करने को तैयार है या नहीं?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जापानीज़ मैथड के नाम पर पृष्ठ 213 पर एक माँग रखी गई है। यह जापानीज़ मैथड कहाँ से आयी, इसका ज्ञान सभी को है। एक माननीय मंत्री महोदय जापान गये थे, उन्होंने वहाँ से लौटकर उस मैथड को भारत में और खासकर मध्यप्रदेश में शुरू कर दिया और उस पर लाखों-करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया है। यह मैथड हमारे यहाँ के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ और विन्ध्यप्रदेश इलाके में जापानीज़ मैथड के अनुसार काम एक नहीं, सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। जापानी मैथड प्रचार के नाम पर रुपया खर्च किया जाता है, इसके अतिरिक्त उन्हीं एरियाज में जहाँ यह पद्धति लागू है, वहाँ के लिए बात यही है कि जो तुम करते हो उसे छोड़ दो। जब वहाँ पर पहले से ही इस पद्धति से खेती की जा रही है तो बजाए उनका खास उन्नति की चीजें बनाने के यह कहना कि तुम अपनी पद्धति छोड़ दो, किसानों को भ्रमित कर देता है।

अध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी क्षेत्रों के लिये मेरे ख्याल से इस बजट में कोई सहूलियत उनके लिए नहीं है। इसलिये अब आप आदिवासी क्षेत्रों के लिये 10-15 गाँवों के बीच में एक ऐसी स्कीम बनायें, एक ट्रैक्टर सरकार रखे जिससे काश्तकार लोग यदि जमीन तोड़ना चाहें तो उसकी सहायता से तोड़ सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ आदिवासी लोग जंगल में पेड़ काटकर अपने खेतों में जलाते हैं और ऐसा करने से जो खेत बनते हैं उनमें कपास और धान बोते हैं। इसको डहिया प्रथा कहते हैं। कपास से सूत कातते हैं और कपड़ा बनाते हैं और सूत कातने की स्कीम को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। इस काम में सरकार और भी सहायक हो सकती है और उन्हें सहायता पहुँचा सकती है। मैं चाहता हूँ कि वन मंत्री महोदय से कहकर सरकार के जो प्रतिबन्ध लगे हैं जिससे हमारे आदिवासी काश्तकार उसका पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं, उन्हें दूर करावें।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/23 जुलाई 1957/पृष्ठ 1239-40)

तकाबी नियम के सम्बन्ध में श्री अर्जुनसिंह ने अपने द्वारा दिये गये सुझाव के बारे में पूछा-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, तकाबी रूल्स की जो मैंने एनामली प्वाइण्ट आउट की थी उसके बारे में क्या शासन विचार करेगा?

श्री तख्तमल जैन : तकाबी के रूल्स की चर्चा करते हुए, तकाबी के वितरण में दोष हैं यह शिकायत माननीय अध्यक्ष, सभा भवन के दोनों बैंचेज पर बैठे हुए सदस्यों ने की है। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शासन की इच्छा पद्धति को दुरस्त कर देने की है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/23 जुलाई 1957/पृष्ठ 1257)

सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने मद्य-निषेध कानून पर एक तारांकित प्रश्न किया। श्री अर्जुनसिंह जी ने पूरक प्रश्न किये-

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यभारत मद्य-निषेध कानून मध्यप्रदेश के किन-किन जिलों में कब से लागू किया जा रहा है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मध्यप्रदेश मद्य-निषेध कानून नाम का कोई कानून नहीं है। इसलिये उसको मध्यप्रदेश में लागू किये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : मादक-द्रव्य विधान समस्त मध्यप्रदेश में लागू किया जायेगा या नहीं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे :- विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त :- इसका निर्णय कब तक हो जायेगा?

श्री मथुराप्रसाद दुबे :- निकट भविष्य में।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त :- अभी इस वर्ष कौन-कौन से जिलों में --

श्री मिश्रीलाल गंगवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मध्यभारत मादक-द्रव्य विधान समस्त मध्यप्रदेश में लागू किया जायेगा या नहीं, यह जानना चाहते हैं। जहाँ तक इस कानून का सवाल है अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग कानून हैं। हरेक क्षेत्र में मादक-द्रव्य विधान है, मध्यभारत में अलग है। विन्ध्यप्रदेश में अलग है, महाकौशल में अलग है, इसलिये इसे समस्त क्षेत्रों में लागू करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन शासन नये राज्य के लिये नया विधान तैयार कर रहा है, जो समस्त प्रदेश में लागू किया जावेगा।

श्री अर्जुनसिंह :- क्या केन्द्रीय सरकार से -----

श्री काशीप्रसाद पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर हैं?

अध्यक्ष :- मैंने उनको अनुमति दी है।

श्री अर्जुनसिंह :- क्या केन्द्रीय सरकार से डायरेक्टिव आया है कि जिसमें बताया है कि मद्य-निषेध पॉलिसी पर आप धीरे-धीरे कदम उठाएँ?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल :-केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को कोई आदेश नहीं आया।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त :- मद्य-निषेध भेलसा जिले के अलावा मध्यभारत में और कौन-कौन से जिलों में लागू किया जायेगा?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल :- अभी मद्य-निषेध सिवाय भेलसा को छोड़कर किसी दूसरे जिले में लागू नहीं किया गया है और सन् 1957-58 में यह संभावना भी नहीं है लेकिन 1958-59 में यह लागू करने का विचार है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/29 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1583)

भोपाल में शासकीय कर्मचारियों के घरों, भदभदा कॉलोनी में लगातार चोरियाँ हो रही थीं। भोपाल मध्यप्रदेश की नई-नई राजधानी थी। 26 जुलाई 1957 और इसके आसपास चोरियाँ हुईं। सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सामान से हाथ धोना पड़ा था। एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, श्री जगदीशचन्द्र जोशी, श्री सुन्दरलाल पटवा और श्री अर्जुनसिंह ने दी। इन पाँचों स्थगन प्रस्तावों का विषय एक ही था, किन्तु प्रस्ताव अलग-अलग थे। श्री अर्जुनसिंह ने अपना स्थगन प्रस्ताव रखा--

***अध्यक्ष** : पाँचवा स्थगन प्रस्ताव श्री अर्जुनसिंह का इस प्रकार है-*

"There have been a spate of thefts in the Bhadbhada Colony and the most recent and daring one was committed on 27th night in quarter No. 4/12 occupied by One Mr. Nigam, who was deprived of all his Possessions. Lack of police surveillance and civic amenities to the government employees living there has given rise to grave discontent among the employees, and which if allowed to grow shall have an adverse effect on the efficiency of the administration.

"I move, therefore that the business of the house be adjourned to discuss the grave situation arising out of this incident."

मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने श्री जगदीशचन्द्र जोशी के प्रस्ताव को छोड़कर अन्य प्रस्तावों का जवाब दिया-

डॉ. कैलाशनाथ काटजू (मुख्यमंत्री) :- मेरा पहला विश्वास है कि जितने प्रस्ताव पेश हुए हैं ये आर्डर में नहीं हैं। चोरियाँ होती हैं, यह बड़े दुःख की बात है और हर एक चाहता है कि चोरियाँ न हों परन्तु हर एक चोरी पर एक स्थगन प्रस्ताव लाना, इसके मानी हैं कि विधानसभा के पास और कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं है। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसको लाने के और भी तरीके हैं। कोई सवाल पूछा जाये, शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया जाये, उसके बारे में हाल पूछा जाये। उस पर अगर संतोषजनक जवाब न मिले तो अपने यहाँ के कायदे के अनुसार आधे घंटे की बहस का मौका दे सकते हैं या ज्यादा बहस का मौका दे सकते हैं। मैं उसूलन इस बात को अच्छा नहीं मानता। आपने अभी कहा कि वहाँ पर चोरी जारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ 3-4 महीने से आबादी है। मैंने दरियाफ्त किया, वहाँ पर कुल मिलाकर 3 चोरियाँ हुई हैं। पहली चोरी मई में, दूसरी जून में और अब जुलाई में हुई है। वहाँ पर पुलिस का इन्तजाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जहाँ पर पुलिस रहती है, पुलिस का इन्तजाम होता है वहाँ पर भी चोरियाँ होती हैं, लेकिन उसका इन्तजाम किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अच्छा होता अगर एडजर्न मोशन के बजाये कोई सवाल पूछते, शार्ट नोटिस का सवाल पूछते तो मैं उस वक्त सब बातों को विधानसभा के सामने रखता और उन सब बातों को रखने के लिये तैयार हूँ, अगर कोई इस तरह का सवाल पूछा जाये। वहाँ पर रक्षा का इन्तजाम है, मैं आपको बताऊँ जहाँ रक्षा का इन्तजाम रहता है, वहाँ पर भी चोरी होती है। चोरी भोपाल में ही नहीं, सभी जगह होती है बड़े-बड़े नगरों में चोरी होती है। पुलिस के देखभाल करने के बावजूद भी चोरी होती है। मैं नहीं समझता कि इतनी-सी बात को उठाया गया है और उसे राई का पहाड़ किया गया। यदि विधानसभा के लिये इस तरह की बातों पर स्थगन प्रस्ताव लाया जाये तो अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष :- क्या वहाँ पर कर्मचारियों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध है।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू :- वहाँ पुलिस का इन्तजाम है, पुलिस का कन्ट्रोल रहता है, दिन-रात वहाँ पर पुलिस रहती है। मैंने बताया कि पुलिस का इन्तजाम होते हुए भी चोरियाँ होती हैं। मैंने अखबार पढ़ा, राजभवन में भी चोरी हो गई, जहाँ पर पुलिस के 25-30 आदमी रहते हैं। किसी मिनिस्टर के यहाँ चोरी हुई यह भी मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/29 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1601-1602)

शिक्षा सम्बंधी एक तारांकित प्रश्न सदस्य श्री विमल कुमार चौरड़िया ने शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा से पूछा। प्रश्नोत्तर में श्री अर्जुनसिंह ने एक महत्वपूर्ण सप्लीमेंट्री प्रश्न किया। प्रश्नोत्तर इस प्रकार है-

श्री विमलकुमार चौरड़िया :- (क) क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यप्रदेश की शालाओं में अध्ययन के लिये एक ही वर्ग के लिये जो अलग-अलग पुस्तकें हैं उनका एकीकरण करने के बारे में शासन की क्या योजना है? (ख) कब तक एकीकरण होने की संभावना है? (ग) वर्तमान में मध्यप्रदेश में चौथी कक्षा के लिये कितने प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- (क) प्रकरण शासन के विचाराधीन है। (ख) निश्चित तिथि देना संभव नहीं है। (ग) पाँच प्रकार का।

श्री विमलकुमार चौरड़िया :- यह प्रकरण शासन के विचाराधीन है, इसके लिये शासन ने कोई कमेटी बनाई है या कमेटी बनाने का प्रकरण भी शासन के विचाराधीन है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- शासन विचार कर रहा है कि इस पर किस प्रकार से निर्णय लेना सही होगा।

श्री विमलकुमार चौरड़िया :- शासन का विचार "किस प्रकार निर्णय लेना" कब पूरा हो सकेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- यथाशीघ्र प्रयास कर रहे हैं और अगले एकेडेमिक सेशन से पहले हो जावेगा।

श्री विमलकुमार चौरड़िया :- ऐसा न हो कि शासन नवम्बर से निर्णय ले और मार्च से सेशन शुरू हो जावे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :- क्या शासन को ज्ञात है कि इस प्रकरण में निर्णय न लेने से इस साल विद्यार्थियों को जो कठिनाई होगी, क्या उसे दूर किया जावेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- मैं फिर समझ नहीं पाया। जहाँ पर जो तरीका चल रहा था वह अपनी जगह चालू रहेगा। शासन ने निर्णय किया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न किया जावे, पूरी तरह गौर किया जावे। इण्टीग्रेशन का प्रश्न है, हम जल्दी में फैसला नहीं करना चाहते।

श्री अर्जुनसिंह :- चूँकि यह मामला एक टैक्निकल नेचर से सम्बन्ध रखता है इसलिये निर्णय लेते वक्त क्या बड़े-बड़े एज्युकेशनलिस्ट्स की राय ली जावेगी?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- बिलकुल एज्युकेशनलिस्ट्स की राय पर एज्युकेशन बेसिस पर फैसला होगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :- अजमेर बोर्ड की नाइन्थ और टैन्थ की क्या किताबें होंगी इसकी कोई सूची नहीं है, जिससे नाइन्थ और टैन्थ के विद्यार्थियों को बड़ी दिक्कत हो रही है, शासन इसके लिये क्या कर रहा है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- अजमेर बोर्ड अपना सिलेबस निश्चित कर चुका है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :- क्या अजमेर बोर्ड से सूची मंगाई जावेगी? जो लड़के नाइन्थ में एडमिट होंगे वह क्या पढ़ेंगे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- बोर्ड का प्रास्पेक्टस छपता है, शासन को उसके बीच में आने का प्रश्न नहीं होता।

श्री रामदयालसिंह रघुवंशी :- यह प्रश्न कब से विचाराधीन है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- इण्टीग्रेशन के बाद से।

श्री नारायणसिंह जयवार :- उत्तर में बताया गया है कि पाँच प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है, यह कौन-कौन सा है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा :- यह पाँचों स्टेट से मिलकर एक बना है- मध्यभारत, महाकौशल, विन्ध्य, भोपाल और राजस्थान।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/30 जुलाई 1957/पृष्ठ 1646-1647)

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमाँक-2) विधेयक, 1957 (संख्या 12, 1957 की शुरूआत-

अध्यक्ष : अब विनियोग पर चर्चा होगी।

श्री अर्जुनसिंह :- Hon'ble Speaker, I object to the discussion of Appropriation Bill as it has not been presented in conformity with Article 204 of the Constitution. This Article says-

"As Soon as may be after the grants under Article 203 have been made by the Assembly, there shall be introduced a Bill to provide for the Appropriation out of the Consolidated Funds ----"

Article 203 must therefore be complied with first before the Appropriation Bill can be moved for consideration. I submit that while applying the Guillatine last enening there was a serious omission in so far as the recommendation of the Governor was not signified to the House in respect of those demands thereby violating the mendatory provisions of Article 203 (3) which lays down in clear words that-

"No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the Governor"

In Basu's Constitution of India on page 654 it is mentioned that in England the House of Commons has a self imposed limitation which runs thus-

"This House will receive no petition for any sum relating to public service or proceed upon any motion for a grant or charge upon the public revenue, whether payable out of the Consolidated Fund or out of money to be provided by Parliament, unless recommended by the Crown."

This provision is there to safeguard the public exchequer from what **Anson** in his Law and Custom of the Constitution Vol. I on page 272 calls-

"the casual benevolence of a House wrought upon by the eloquence of a private member against a scramble for public money among unscrupulous polititions bidding against one another for the favour of a damocracy."

In May's Parliamentary Practice on page 675 in third para this self imposed limitation has been expressly removed from one purview of the inherent powers of the Chair to amend rules-

"Unless the recommendation of the Crown by S.O. No. 78 be signified, the Speaker cannot propose the question on a motion which comes within the scope of this standing order. Accordingly, if any motion or bill or proceeding is offered to be moved, whether in the House or in a Committee, which requires but fails to receive the King's recommendation it is the duty of the Chair to announce that no question, can be proposed on the motion or to direct the withdrawal of the bill."

I submit therefore that when a voluntary limitation is sought to be vested with so much sanctity, then there can be no reason whatsoever for a mendatory provision of the Supreme Law of the country, to be circumvented by any orders or rules, and even if such rules or orders were given, it would be clearly ultra vires of the Constitution, to which, I believe everyone conceds, this House is subject to.

अध्यक्ष :- सदन को स्मरण होगा कि जिस दिन पहली डिमाण्ड सदन के समक्ष आई थी, मैंने सदन के सामने गवर्नर साहब का आदेश पढ़कर सुनाया था कि गवर्नर साहब आदेश देते हैं कि इन डिमाण्ड्स को स्वीकृति के लिये सदन में रखा जावे।

श्री अर्जुनसिंह :- पहले माननीय मंत्री जी डिमाण्ड ग्राण्ट्स को नहीं पढ़ा करते ।

अध्यक्ष :- हाँ, मैंने उस दिन पढ़ा तो था उसको।

श्री अर्जुनसिंह :- अध्यक्ष महोदय, जरा इन्फार्म कर दिया जाये। It will be better if that recommendation is read out

अध्यक्ष :-Yes, I will read it out. It is like this-

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त :- मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है-

अध्यक्ष :- अभी तो मैंने एक भी पाइंट ऑफ आर्डर के ऊपर व्यवस्था नहीं दी है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मेरा ख्याल है माननीय सदस्य के द्वारा जो आपत्ति उठाई गई है वह सम्भव है कि जो सूचना उस दिन सदन को माननीय अध्यक्ष ने दी थी, सम्भव है उसकी स्मृति माननीय सदस्य को न हो। माननीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट रूप से सूचना दी थी कि अनुदानों पर गवर्नर की स्वीकृति आ चुकी है और उसके पहले यह कहा गया है कि अनुदानें महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश से पेश की जाती हैं। इसलिये जिस आधार पर माननीय सदस्य ने आपत्ति की, उनका एक ही मुख्य आधार है कि यह डिमाण्ड इसलिये वैधानिक नहीं है कि वह धारा 203 के अन्दर नहीं आती है। उनकी आपत्ति का यही एक मुख्य आधार है उसके लिये मेरा निवेदन है कि इन तमाम अनुदानों के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति है, सिफारिश है और उन्हीं की सिफारिश पर ये तमाम अनुदानें यहाँ पर पेश की गई हैं।

श्री अर्जुनसिंह : Sir, my objection is to those grants which were guillotined yesterday.

The Speaker : The Speaker consulted the House in this respect whether all the demands should be put together or should be put separately and the House agreed that all the demands should be put collectively.

Shri Arjun Singh : Sir, I want one clarification. Did the Hon'ble Speaker read out the recommendation of the Governor?

The Speaker : No, I read it out in the beginning.

Shri Arjun Singh : Is that proper?

The Speaker : I think so. I will read the recommendation again. It is like this :

"Under Article 203 (3) of the Constitution of India, I approve of the motion in respect of demands for grants and appropriation for the yerar 1957-58."

H.V. PATASKAR
Governor, Madhya Pradesh

Raj Bhawan, Bhopal
The 12th day of July 1957

It clearly shows that the Governor approved of the putting of all demands before the House.

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : पाइंट ऑफ आर्डर। माननीय अध्यक्ष, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि डिमाण्ड करने का राइट मिनिस्टर को है। कुल बकाया जो सारी डिमांड्स थीं, उनके बारे में कोई कन्सर्न्ड मिनिस्टर ने डिमाण्ड पेश नहीं की। श्रीमान ने उनका केवल नम्बर पढ़ा था और वह पुटअप कर दी गई, परन्तु मिनिस्टर्स कन्सर्न्ड के द्वारा डिमाण्ड्स पुटअप कर देने के पश्चात् श्रीमान जब उस क्वेश्चन को पुटअप करते, तब वह वैधानिक था और ऐसा नहीं किया गया इसलिये वह अवैधानिक हो जाता है।

श्री सवाईसिंह मंडलोई : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय की ओर से डिमाण्ड प्रस्तुत की गई है हाउस में और उस बारे में किसी भी सदस्य द्वारा उस समय पाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाया गया तो जब उस समय विरोध नहीं हुआ तो इस समय उसका विरोध क्यों किया जाता है?

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि जब एक बार इस विधानसभा से कोई निर्णय लिया जाता है तो उस निर्णय को कभी चैलेंज नहीं किया जा सकता है बजरिए पाइंट ऑफ आर्डर अगर माननीय सदस्य का यह कहना था कि यह डिमाण्ड्स प्रापरली प्रेजेंट नहीं की जा रही हैं तो ...

श्री अर्जुनसिंह : मैं डिमाण्ड के लिये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एप्रोप्रिएशन बिल के लिये कह रहा हूँ।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : जी हाँ, एप्रोप्रिएशन बिल के लिये भी मैं कहता हूँ कि जब पूरी डिमाण्ड्स रखी गईं तभी यह पाइंट ऑफ आर्डर उठाना आवश्यक था। जब वह नहीं उठाया गया तथा एक बार विधानसभा से कोई भी निर्णय किया गया तो उसके बारे में यह प्रिजम्शन होता है कि वह निर्णय कानून के अनुसार, विधान के अनुसार किया गया है। जहाँ तक एप्रोप्रिएशन बिल का सम्बन्ध है, एप्रोप्रिएशन बिल उन्हीं डिमाण्ड्स के बारे में प्रस्तुत किया जाता है, जो डिमाण्ड्स सभा से स्वीकार हो चुकीं और जब कि डिमाण्ड सभा से स्वीकार हो चुकीं तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है तो उसी बिना पर एप्रोप्रिएशन बिल को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उस पर मेरा यह निर्णय है, जैसा कि अभी श्री पटवर्धन ने कहा कि यह आपत्ति उसी समय उठाई जानी चाहिए थी, जबकि माँगें एक साथ प्रस्तुत की गई थीं। फिर भी मैं टेक्निकल पाइंट को छोड़कर उसके सबस्टेंट पर यह कहना चाहता हूँ कि जब डिमाण्ड्स पर गिलोटीन लगाया गया था उस समय मैंने सदन से यह पूछा था कि क्या ये सब माँगें एक साथ सदन के मत के लिये रख दी जावें या एक-एक पढ़कर रखी जावें। उस समय सदन ने एक स्वर से, एक मत से कहा था कि सारी की सारी माँगें एक साथ मत के लिये रख दी जायें। इसलिये मैं नहीं समझता कि अब इस सम्बंध में किसी तरह की कोई आपत्ति उठाई जा सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ कि अगर सदन के सामने ऐसा कोई सवाल आता है कि उसी समय किसी ने आपत्ति नहीं उठाई तो क्या वह संविधान के खिलाफ बात हो जाती है?

अध्यक्ष :- आप एकेडिमिकल सवाल न उठावें।

श्री अर्जुनसिंह : अगर कोई आपत्ति नहीं उठाता है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाता है।

अध्यक्ष : मैंने इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दी है और वह भी टेक्निकल पाइंट पर नहीं।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : पाइंट ऑफ आर्डर, पर जब अध्यक्ष महोदय ने अपनी व्यवस्था दे दी है और फिर भी उस पर चर्चा करना अनुचित है। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था देने के बाद डिस्कशन समाप्त हो जाना चाहिये। जब दूसरा पाइंट ऑफ आर्डर उठाया जाता है तो उस पर ही केवल चर्चा की जा सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं तो चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अध्यक्ष की व्यवस्था को मानता हूँ।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि सदन ने अपनी स्वीकृति दे दी है इसलिये किसी भी माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि सदन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है, जिसे ग़लती कहा जा सकता है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : पाइंट ऑफ आर्डर, कल माननीय वित्तमंत्री जी ने इस बिल को धारा 61 के अन्तर्गत पुनः स्थापित किया है लेकिन धारा 67 के अनुसार विनियोग विधेयक विचार हेतु प्रस्तुत नहीं किया इसलिये उस पर चर्चा नहीं हो सकती।

अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पाइंट ऑफ आर्डर है और वह यह है कि इस विनियोग विधेयक में और बजट में जो आँकड़े दिये गये हैं वे बिलकुल भिन्न हैं। बजट की माँग नं. 28 में जो रकम दी गई है वह 19 लाख 61 हजार रुपये है और विनियोग विधेयक में जो आँकड़ा इस माँग संख्या में बताया गया है वह 38 लाख 32 हजार रुपया है। इसी तरह से माँग संख्या 29 में जो रकम दी गई है, बजट में वह 48 हजार है और विनियोग विधेयक में जो बताई गई है वह 63 हजार है।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : अध्यक्ष महोदय, अभी कन्सीडेरेशन का प्रस्ताव नहीं आया है।

अध्यक्ष : आप ठीक कह रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : मैं वही तो कह रहा हूँ।

अध्यक्ष : मगर आपने अभी कहा कि चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : मेरा निवेदन तो यही था कि इसको धारा 67 के तहत फिर मूव करना चाहिए था, इसके बाद ही चर्चा हो सकती है किन्तु श्रीमान आदेश ऐसा है कि चर्चा हो सकती है तो मैं उस आदेश का पालन करने के बाद पुनः निवेदन करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए। आपका कहने का मतलब यह है कि जब तक माननीय मंत्रीजी इसको मूव नहीं करेंगे, तब तक चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैंने यह सुना था कि जब तक मंत्रीजी इस पर कुछ नहीं कहेंगे तब तक चर्चा नहीं होगी, इसलिये मैंने कहा था कि चर्चा हो सकती है।

अध्यक्ष :अब माननीय वित्त मंत्रीजी विनियोग विधेयक को मूव करें।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष, प्रस्ताव यह है कि "मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमाँक 2) (विधेयक, 1957) संख्या 12, 1957 अर्थात् मध्यप्रदेश एप्रोप्रिएशन (नंबर 2) (बिल, 1957) (नंबर 12 ऑफ 1957)" पर तुरन्त विचार किया जावे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 जुलाई 1957/पृष्ठ- 1687 से 1690)

नियम 126 के अन्तर्गत साधारण जनहित के विषय पर चर्चा शुरू हुई। प्रस्ताव सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी ने रखा। "अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है कि इस सदन के मत में इस वर्ष राज्य के एक बड़े भू-भाग में अतिवृष्टि, ओला एवं फसल के कीड़ों से अप्रत्याशित क्षति के कारण क्षतिग्रस्त हिस्सों का लगान पूरा माफ किया जावे एवं आपत्तिग्रस्त किसानों को उचित मुआवजा देने की अविलम्ब व्यवस्था हो।" राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई ने प्रतिपक्ष के सदस्यों को सुनने के पश्चात् अपना पक्ष रखा। श्री अर्जुनसिंह ने महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया और पूछा-

श्री अर्जुनसिंह : मैं माननीय मंत्रीजी से एक जानकारी चाहता हूँ कि सस्ते अनाज की दुकानें खोलने की बात जो माननीय सदस्य ने कही है क्या उसके लिये कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी? 8 आने का फर्क रहता है, सीधी अनाज ले जाने में सतना से। इसके लिये सरकार सबसिडी नहीं देना चाहती और उसी कारण से वहाँ अनाज की दुकानें नहीं खोली जा रही हैं।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई :मैं समझता हूँ कि अभी जो प्रश्न उठाया गया है उसके सम्बंध में

मैंने काफी स्पष्ट कर दिया है। श्री तिवारी जी ने और माननीय सदस्य ने जो भाषण दिये उन्हें मैंने गौर से सुना है। स्थानीय कलेक्टर और कमिश्नर की रिपोर्टों को देखने से और उस पर जाँच पड़ताल करने से हमें जो न्याययुक्त बात दिखी वह हमने की है।

श्री अर्जुनसिंह : कलेक्टर ने क्या दुकानें खोलने की सिफारिश नहीं की है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : कलेक्टर ने क्या लिखा और कमिश्नर ने क्या लिखा, उनकी लिखा-पढ़ी के बारे में, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। शासन ने जो अन्तिम निर्णय लिया है उसके सम्बन्ध में, मैं कह देना चाहता हूँ कि जो माफी का प्रश्न है और मुआवज़े का प्रश्न है वह शासन मंजूर करने में असमर्थ है, उसे शासन स्वीकार नहीं कर सकता। अब उस प्रश्न को छोड़कर जहाँ पर किसानों की सहायता का प्रश्न आता है वहाँ पर शासन अवश्य ही उन्हें हर तरह से मदद करेगा।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : क्या कारण है, आप माफी की छूट नहीं दे सकते?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : मेरे इतना स्पष्ट करने के बाद भी अगर आप और पूछना चाहते हैं तो फिर मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जिससे कि मैं आपको और कोई कारण दे सकूँ।

श्री अर्जुनसिंह : क्या आप सस्ते अनाज की दुकानें खोलने के बारे में विचार करेंगे?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसान कमजोर हो गये हैं तो हम इस बात का आदेश जारी कर देंगे कि जो वसूली की जाये वह रोक दी जाये। काश्तकारों की माली हालत को देखते हुए उन पर किसी प्रकार की सख्ती न की जाये। चाहे रिमिशन हो या फिर सस्पेन्शन का प्रश्न हो। पुराने मध्यप्रदेश में तो हमने एक नियम बना लिया था कि बरसात जब शुरू हो जाती है तब किसानों के ऊपर कोएरसिव प्रॉसेस जारी किये जायें। कोएरसिव प्रॉसेस की प्रथा हम पसन्द नहीं करते। यदि ऐसे क्षेत्रों में कोएरसिव प्रॉसेस की प्रथा जारी की जाती है और अगर वह चीज मेरे ध्यान में लाई जावेगी तो मैं उसके लिये बराबर आदेश जारी करूँगा कि इस किस्म के किसानों को न सताया जाये। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस प्रकार से सख्ती नहीं बरती जायेगी। अध्यक्ष महोदय, अन्त में यह जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूँ। जब तक कि हमारे लैण्ड पॉलिसी में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर जो व्यावहारिक बात होगी फायदा पहुँचाने की, वह अवश्य ही की जायेगी। माननीय सदस्य ने जो सुझाव अपने प्रस्ताव में रखे हैं और अपने भाषण में जो सुझाव रखे हैं, उन्हें मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूँ।

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि इस भाषण के बाद माननीय सदस्य यदि ठीक समझते हों तो अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : हरगिज नहीं।

अध्यक्ष : प्रस्ताव यह है कि इस सदन के मत में इस वर्ष राज्य के एक बड़े भू-भाग में अतिवृष्टि, ओला एवं फसल के कीड़ों से अप्रत्याशित क्षति के कारण क्षतिग्रस्त हिस्सों का लगान पूरा माफ किया जावे एवं आपत्तिग्रस्त किसानों को उचित मुआवजा देने की अविलम्ब व्यवस्था हो। (प्रस्ताव अस्वीकार हुआ।)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/30 जुलाई 1957/पृष्ठ 1726-1727)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन में मध्यप्रदेश मादक द्रव्य (सिरोंज क्षेत्र तक विस्तार) विधेयक, 1957 (क्रमाँक 1, 1957) की प्रस्तुति की सूचना दी तो सदस्यों ने कानूनी मुद्दे पर बहस की तथा महत्वपूर्ण न्यायिक नजीरें पेश कीं। सदन में चौकस होकर बैठने वाले सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने "प्वाइंट ऑफ आर्डर" उठाया-

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइंट ऑफ आर्डर। माननीय विधि मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष : इससे क्या मतलब, वित्त मंत्री तो हैं।

मादक द्रव्य निषेध विधेयक की धारा में प्रतिपक्ष के सदस्य कुछ संशोधन चाहते थे, लेकिन संशोधन अस्वीकृत हो गया। इस पर सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने यह कहते हुए वाक्आउट किया-

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मादक द्रव्य निषेध विधेयक की धारा 5 को नशे की मदमस्ती में पास किया जा रहा है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और दूसरी बुराईयाँ पैदा होंगी इसलिये हम इस नशाबन्दी के नाम पर नशा-मस्ती के पास होने वाली दफा के विरोध में वाक्आउट करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं श्री तिवारी जी से सहमत हूँ, इसलिये वाक् आउट करता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/31 जुलाई, 1957/पृष्ठ 1818)

माननीय सभापति महोदय ने कहा- प्रस्ताव हुआ कि "मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1957 (संख्या, 1957) अर्थात् दी मध्यप्रदेश लेजिसलेटिव्ह असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (सेकेण्ड अमेण्डमेंट) बिल, 1957 (नंबर 1 ऑफ 1957) पर तुरन्त विचार किया जाये।"

इस विषय पर बहस में हिस्सा लेते हुए श्री अर्जुनसिंह जी ने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया। श्री भँवरलाल नाहटा ने हस्तक्षेप करते हुए "प्वाइंट ऑफ आर्डर" उठाया तथा सभापति महोदय से कहा कि नियमों के अनुसार विधानसभा की भाषा हिन्दी या मराठी है तथा माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल रहे हैं। इनसे हिन्दी में बोलने को कहा जाये। सभापति महोदय (श्री शिवानंद जी) ने व्यवस्था देते हुए कहा कि माननीय सदस्य अंग्रेजी में बोल सकते हैं-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : Hon'ble Chairman, we have before us to-day the law which I beg to submit Sir ....

डॉ. एस.डी. शर्मा : Hon'ble Chairman, this is not a law but a bill.

श्री अर्जुनसिंह : Thank you Sir, we have before us an extraordinary Bill to pass to-day, to which I beg to submit, I have not found parallel and I would expect that this being the first Assembly of the new Madhya Pradesh it should be our earnest endeavour to lay down such precedents and such laws which will not only be befitting to this Assembly but which shall be fit examples to be followed by other Legislative Assemblies.

श्री बी.एल. नाहटा : On a point of order, Sir, according to our rules the official language of our Vidhan Sabha is Hindi or Marathi. But the Hon'ble Member is making his speech in English. He should be asked to make his speech in Hindi.

अध्यक्ष : The Hon'ble Member can make his speech in English.

श्री अर्जुनसिंह : Sir, I am very grateful for your ruling. The kind of legislation that is being sought to be enacted, is a variety of legislation which a representative Government is least enthusiastic to sponsor. Even a cursory glance at the legislative history of the House of Commons spanning centuries together, will not furnish us more than a handful of instances where Parliament has been constrained to pass laws which can be called Personal Legislation. Without in any way casting any asperson on the person for whom this legislation has been introduced, I beg to submit, sir, that this is a piece of Personal Legislation and therefore, I have serious objection to it. I would like to point out that if such a precedent is established, it will create much mischief in the future and open the flood gates of lawless legislation. Sir, my second objection to this bill is on the ground that this bill will bring politics in our educational institution. I do not know whether our learned Law Minister had the time or perhaps had thought it proper to go through the most pertinent remarks of the report of the University Education Commission, Dec. 1948-Aug 1949 which was headed by our

Vice-President of India, Dr. Radhakrishnan who is one of the leading educationalist not only of India, but the world. If and only if the Hon'ble Law Minister considers Dr. Radhakrishnan an eminent authority on the subject, should I draw your attention to page 380-Para 69 of that report. Therein it is mentioned-

Universities should be divorced from Party Politics-

"Students should not be encouraged to engage in party politics though we think it desirable that they take a wholesome and proper interest in election and good Government. If the staff are enlarged as they should be, there will be opportunity for effective mingling of teachers and students. Leadership can be employed which will eradicate the forms of selfish exploitation now in vogue in a few quarters. The fact that many staff-members were side-tracked in the drive for freedom has weakened in some measure their assumption of active responsibiliy which all staff members are expected to discharge. The situation calls for firm but judicious action on the part of college authorities. Further deterioration in morale should be prevented ..."

What I want to point out, which is clear from the heading of the above paragraph that party politics should not come in the University.

I beg to submit, Sir, that by appointing a member of this legislature as Vice-Chancellor of a University, the Government is seeking to infect politics in the field of education- in the field of the University. Any member of this House who has been elected on party platform should not be appointed as Vice-Chancellor, for, it would be too much and unfair to expect him to shed his party bias altogether.

Then, Sir, I would draw your attention to page 421 paragraph 41 which is regarding the Vice-Chancellor-

It reads thus:

"Originally, the Vice-Chancellorship of an Indian University was regarded as an honorary post be filled by a prominent man in his leisure time. If he had academic interests, so much the better, but some times he had not. A Vice-Chancellor coming in from outside and holding office for two or three years could not become intimately acquainted with the details of administration or with the personnel of the University.

"While the universities were solely or mainly "affiliating". This conception of the Vice-Chancellor's office was quite natural and in fact there was not enough work to justify a full time appointee. But now the position has changed. There are numerous unitary teaching universities and most of the "affiliating" universities have added teaching and research to their functions, in some instances on a very large and complex scale. Elsewhere we have strongly urged that the purely affiliating university is ineffective and obsolete in conception and should be abolished. It is not surprising, therefore that the overwhelming mass of opinion offered to us recommends that all universities should in future have full time, paid Vice-Chancellor. with that opinion we concur."

I beg to submit, Sir, that the present appointment which is sought to be regularised is in no way a full time appointment. Had the vice-Chancellor been only a member of this House it could have to a little extent been justified. But here in this case either by accident or design, the determination of which I leave to the Hon'ble Law Minister, the Speaker of this august Assembly happens to occupy the job of the Vice-Chancelior as well. I submit, Sir, that both jobs are full time jobs and how any

human being can be expected to carry out these two onerous duties simultaneously simply defies my comprehension, and it certainly falls short of the requirements laid down in this report.

Then again, on page 422, while enumerating the duties of the Vice-Chancellor, that report mentions inter alia-

".....he must keep the University alive to the duties it owes to the public which it serves, and he must win support for the University and understanding of its needs not merely from potential benefactors but from the general public and its elected representatives. Last he must have the strength of character to resist unflinchingly the many forms of pressure to relax standards of all sorts, which are being applied to Universities."

Sir, I discern a dry smile on the learned Law Minister's face feeling perhaps that I am digressing from my point. I hope the learned Law Minister concedes that the recommendations made in this report are very valuable, and so far as universities are concerned lays down norms, conformity to which is essential for the efficient functioning of the University, and which I cannot but presume, unless the Law Minister wants me to infer otherwise, is the guiding principle and the main purpose of asking this House to enact this law. My only point in quoting these relevant portions from this report is to stress that the learned Law Minister in introducing this Bill has pathetically failed to safeguard that principle and has completely frustrated the purpose of the same.

It has been mentioned that Vice-Chancellor of a University is not only head of a University but he is a Liaison Officer between the University and the public. The Vice-Chancellor of the Jabalpur University will have to act as the Liaison Officer between the public and the University and also the elected representatives of the public. This will be an embarrassing position for any member and much more for the Speaker of this House to maintain. It will be embarrassing on his part to do something which may be questioned on the floor of this House. He is in a dual capacity. It is just possible that as Vice-Chancellor he may do something or say something in the public which may amount to the breach of privilege of this House. I cannot say in view of the vast legal apparatus at its command, that the Government has promulgated the ordinance without looking into all its implications. But the situation is that-May be by coincidence. I leave It to the Hon'ble Law Minister to say. that the august office of the Speaker of the Assembly and the post if the Vice-Chancellor of the Jabalpur University has to come to be occupied by one and the same person, resulting in a great anomaly. Does the Honourable the Law Minister wants us to believe that the State of M.P. is bereft of any other person except a member of this House who can occupy the post of the Vice-Chancellor. If not, what are those compelling reasons that have prompted Government to make such an appointment which may give rise to so many complications? Supposing some disturbance takes place in the Jabalpur University, will Law Minister make the Speaker of the House answerable for those activities or for any breach of law committed in the precincts of the University? Shall we take our Hon'ble Speaker to task? Shall we question his bonafides? We have been elected by the people to safeguard certain elementary principles of democracy and law. What shall be our position and how free will be our criticism if the Vice-Chancellor is alleged to commit any breach of these principles, knowing that he is also the Speaker of

this House? Would it be fair in light of us being human being to expect us to criticise the person of the Speaker as the Vice Chancellor of the Jabalpur University. I would request the Honourable Law Minister to enlighten us on these points. Sir, I would also like to mention one thing-it has been mentioned in the Ordinance that whereas it is expedient to promulgate, etc. I would say that for reasons sake do not use expediency in the case of education, and much less political expediency. It is possible that you may pass this bill by virtue of the brute majority you command this House, but I would request the Law Minister who is fortunately or unfortunately, is also the Education Minister and an eminent educationalist himself to think twice over this matter. Do whatever else you want in other fields of administration, but please do not mutate the arts, for the arts reflect the genius of a nation and if you continue to temper with it indiscriminately, you shall be casting a fateful penumbra over the future of democracy and culture in this State.

My only plea, Sir, is therefore, that before it is too late spare us and this Assembly the dubious repartition which posterity will attribute to us if this Biil reaches the Statute Book.

क्या शिक्षा मंत्री का उससे सम्बन्ध नहीं आयेगा?

श्री सीताराम जाजू : शिक्षा मंत्री का सम्बन्ध वाइस-चान्सलर की नियुक्ति और डिस्मिसल से नहीं आयेगा। मैं बताऊँ, हाईकोर्ट का सम्बन्ध विधानसभा और पार्लियामेण्ट से आता है लेकिन उसके जज़ेज की नियुक्ति और बर्खास्तगी का प्रश्न उससे संबंधित अनुच्छेद या विधान के अन्तर्गत आएगा। इसी प्रकार वाइस-चांसलर की नियुक्ति गवर्नर करेगा और शिक्षा मंत्री उसकी बर्खास्तगी नहीं कर सकता। जिस दिन शिक्षा मंत्री वाइस-चान्सलर को बर्खास्त करेगा तो वह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

श्री अर्जुनसिंह : मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो माननीय सदस्य के कहने की बात कही गई उसको अपनी स्पीच में मैंने इसलिए पर्सनल कहा था कि इस एक्ट के पास करने के बाद यह किसी खास यूनिवर्सिटी में वाइस-चान्सलर के पद पर नियुक्ति की गई है। यह मुझे पर्सनल लगता है। अगर यह सार्वजनिक होता तो मैं समझता कि वह किसी सिद्धान्त को लेकर है। जब एक यूनिवर्सिटी का नाम लेकर बिल पास किया जाता है तो वह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है तो क्या हो जाता है। इसलिये मैंने कहा था।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : ऑनरेबिल स्पीकर, मैं यह बता रहा था कि धारा 3 में स्पष्ट किया गया है। रिमूबल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़। एक माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छी बात कही। एक बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन वकील होने के नाते मुझे ऐसा लगा कि बात पूरी नहीं कही। विन्ध्यप्रदेश की बात कही जो वह पूरी न कह सके। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में उस केस में स्पेसिफिकली पार्लियामेंट ने रिमूबल किया।

श्री अर्जुनसिंह : हम लोग भी मिनिस्टरों से चाहते हैं कि वे पूरी बात कहें। हमारे यहाँ विन्ध्यप्रदेश में पहले मेम्बर डिस्क्वालिफाइड करार दिये गये, उसके बाद लॉ पास किया गया और आपने पहले डिस्क्वालिफिकेशन लॉ पास कर लिया, बाद में नियुक्ति का प्रश्न उठा।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : हम पहले लॉ पास करते हैं तो ज्यादा अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह है कि जहाँ तक इस सदन के सम्बंध में डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने के लिए, यह एक बिलकुल आवश्यक बात होगी कि वाइस-चान्सलर एसेम्बली में आये, एसेम्बली की मेम्बरशिप के लिए खड़े हो सकें। इससे हमारे एसेम्बली का लाभ होने वाला है। वहाँ पर जो वाइस-चान्सलर हैं वे पेड हैं। उनके लिए डिस्क्वालिफ्किेशन रिमूव कर दी गई है। यहाँ पर तो ऑनेरेरी वाइस-चान्सलर की डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट-सी बात है।

दूसरी यूनिवर्सिटीज में ऑनेरेरी वाइस-चान्सलर का प्रावधान नहीं है। ..... इंग्लैण्ड में इण्डेमूनिटी एक्ट बने हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इण्डेमूनिटी एक्ट वहाँ इमर्जेन्सी के बाद पास होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति को नियुक्त करने के लिये नहीं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : हिस्ट्री याद करने की कोशिश करें, इंग्लैण्ड में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इण्डेमूनिटी एक्ट पास हुआ है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/31 जुलाई 1957/पृष्ठ 1835 से 1837, 1846, 1848, 1943)

सदस्या श्रीमती चन्द्रकला सहाय (मुरार) के एक महत्वपूर्ण संकल्प की सूचना सभापति महोदय ने दी- "क्योंकि ग्वालियर में एक अच्छे टीचिंग एण्ड रेसीडेन्शियल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रायः सभी साधन उपलब्ध हैं तथा वहाँ की जनता उसकी स्थापना के लिये अत्यन्त उत्सुक है और उसके लिये अधिकांश आवश्यक धनराशि और साधन एकत्रित करने को तैयार है। अतएव इस सदन के मत में शासन ग्वालियर में शीघ्रातिशीघ्र एक विश्वविद्यालय की स्थापना के हेतु विश्वविद्यालय विशेषज्ञों की एक समिति की नियुक्ति करे जो ग्वालियर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वर्तमान उपलब्ध साधनों का अध्ययन करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। जिसमें यह भी सुझाव दिया जाये कि ग्वालियर में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये वर्तमान साधनों के अतिरिक्त अन्य कौन-कौन से साधनों की आवश्यकता होगी। शासन इस समिति का प्रतिवेदन 3 मास की अवधि में मध्यप्रदेश विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत करे।"

इस संकल्प पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह इस प्रकार बोले-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, आज मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी की हैसियत से सुन रहे हैं हमारी बात को। मैं आशा करता हूँ कि जो प्रस्ताव माननीय सदस्या ने सदन के सामने रखा है उस पर वे अवश्य विचार करेंगे, जितना मटेरियल उन्होंने सदन के सामने रखा उसको दोहराने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ लेकिन जैसी राधाकृष्णन रिपोर्ट की चर्चा उन्होंने की और जिसके कि ऊपर मैं सोचता हूँ कि हमारे मंत्री जी को भी कुछ आस्था है। उस पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ 553 में जो रिकमेन्डेशन राधाकृष्णन कमीशन ने की है कि नयी यूनीवर्सिटी बनाने में हमें प्रोत्साहन देना चाहिये, नंबर 3 में जो रिकमेन्डेशन है वह इस प्रकार है-

"(3) that in the establishing of new Universities freedom be given for pioneering and experiment in educational methods."

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब राधाकृष्णन रिपोर्ट में यहाँ तक लिख दिया है कि नयी यूनिवर्सिटी बनाने के लिये हमको प्रोत्साहन उन स्थानों को भी देना चाहिये जो कि एक्सपोयनियर हैं। मतलब यह है कि जो काम पोयनियर करते हैं उस हालत में यह कहना कि हम यूनिवर्सिटी अमुक स्थान पर इसलिये स्थापित नहीं कर सकते, चूँकि वहाँ पर कॉलेजों की संख्या बहुत कम है। इसलिये स्थापित नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ पर छात्रों की संख्या कम है या हमारे सामने और बहुत-सी कठिनाईयाँ हैं। इन सब कारणों को सामने रखकर हमें ज्यादा अड़चन नहीं डालना चाहिये। जहाँ तक ग्वालियर यूनिवर्सिटी का सवाल है हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं क्योंकि वह एक बहुत बड़ी चीज है और एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है। माननीय सदस्या ने सदन के सामने जो जानकारी रखी है कि वहाँ पर बहुत से साधन उपलब्ध हैं इसके लिये हम उनके आभारी हैं। आगे इसी रिपोर्ट के पृष्ठ 550 पर कमीशन ने लिखा है-

" As to newly constituted administrations, we find that a region like Madhya Bharat will require a University in the near future. At Gwalior and Indore there are strong arts and science colleges, as well as professional institutions. When these two States were separate each had plans for a University, and now the rival claims have delayed the establishment of any".

मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहूँगा कि कम से कम जो यह रिजोलूशन है और इसमें जो सदन के सामने

माँग की गई है उतनी तो पूर्ण करने की शासन व्यवस्था करे क्योंकि इसमें यह नहीं लिखा गया है कि पहले यूनिवर्सिटी बना ही दो। उसमें तो ऑपरेटिव सेन्टेन्स है। वह यह है कि एक समिति ऐसी नियुक्त की जाये जो कम-से-कम इस बात की जाँच करे कि वहाँ जो साधन उपलब्ध हैं वह यूनिवर्सिटी बनाने के लिये उपयुक्त हैं या नहीं। इस बात की ओर माननीय मंत्री जी ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इस समिति के गठन में कोई आपत्ति न उठाकर इस समिति का गठन किया जायेगा, जिससे कि ग्वालियर की जो समस्या है वह हल हो सके। इसके बाद जब कभी किसी स्थान से ऐसी माँग आवे तो उसके लिये यह एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगा। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस प्रस्ताव का समर्थन करें और इसमें जो लिखा है उसके मुताबिक काम करें।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/2 अगस्त 1957/पृष्ठ 1959-1966)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह का वन सम्बंधी तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न और उत्तर :-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र के उन हिस्सों में जहाँ पर ओरिएन्ट पेपर मिल्स को बाँस का 20 वर्ष का ठेका दे दिया गया है, निस्तार के लिए क्या सुविधाएँ व साधन प्राप्त हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल :विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में जहाँ ओरिएन्ट पेपर मिल्स को बाँस का ठेका दिया गया है, जनता के निस्तार के लिये पर्याप्त क्षेत्र सुरक्षित रख लिया गया है। जहाँ से जनता निर्धारित दर पर बाँस प्राप्त कर सकती है। गोविन्दगढ़, उमरिया और शहडोल वन मंडल में बाँस के डिपो भी खोले गये हैं जहाँ से जनता निर्धारित मूल्य पर बाँस प्राप्त कर सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : जनता के लिये जो डिपो खोले गये हैं क्या वे आबादी से 15-15, 20-20 मील की दूरी पर हैं, जहाँ जनता जाने में असमर्थ है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : सब डिपो इतनी दूरी पर नहीं हैं, कुछ 15-20 मील से कम पर भी हैं।

श्री अर्जुनसिंह : क्या कोई और डिपो पास में खोला जायेगा?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह शासन के विचाराधीन है।

श्री रामहित : जिस महीने में श्रीमान दौरे पर गये थे, सतना नगर के चौरसियों ने सुविधा मिलने के लिए प्रार्थना की थी, क्या उस पर कोई कार्रवाई की गई?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : चौरसियों के लिये कोई विशेष कानून नहीं बना है, जो सबको सुविधा दी जाती है वह उनको भी दी जाती है।

श्री रामहित : क्या इस साल जो कूप निस्तार के लिये दिये गये थे उनमें बाँस बिलकुल नहीं थे, जिससे लोगों को असुविधा हुई?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : वहाँ इतने बाँस हैं कि लोगों से काटे नहीं जाते।

श्री अच्युतानन्द : बाँस का जो ठेका दिया गया है, क्या उसके कारण बाँस का भाव बढ़ गया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : बाँस का भाव नहीं बढ़ा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो आम जंगल बाँस के हैं, उनसे किसान बाँस लाते थे, क्या आम जंगल का बाँस जो ओरिएन्ट पेपर मिल से दूर है, मिल वाले कटवाते हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : आम जंगल का ठेका किसी ठेकेदार को नहीं दिया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या मंत्री के पास ऐसी शिकायतें आई हैं कि ओरिएन्ट पेपर मिल्स के कारण निस्तार का बाँस नहीं गया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : ऐसी शिकायत कोई नहीं हुई।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या शासन ने बाँस की कटाई कराई है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : ओरिएन्ट पेपर मिल्स ने कोई कटाई नहीं कराई।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या ऐसी शिकायतें आई हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : शिकायतें नहीं हुई।

श्री सुन्दरलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष, जो अभी कहा गया कि चौरसियों के लिये कोई विशेष सुविधा नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि विशेष सुविधा उन्हें क्यों नहीं दी जाती जब कि जो पान की खेती करते हैं साधारण से कई गुना अधिक लगान उनसे वसूल किया जाता है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : बाँस बहुत सस्ते हैं क्योंकि एक रुपया पर सौ बाँस देते हैं।

श्री काशीराम तिवारी : विन्ध्यप्रदेश के किन-किन भागों का ओरिएन्ट पेपर मिल्स को 20 वर्ष का ठेका दिया गया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल :रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया क्षेत्र।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या छतरपुर जिले में गढ़ी मलेहरा, महाराजपुर और अन्य स्थानों में पान की खेती होती है और उसके लिये किसानों को लकड़ी और बाँस की आवश्यकता होती है जिसके न मिलने पर कमजोर लकड़ी का इस्तेमाल करने की वजह से आंधी, पानी, ओले गिरते हैं; जिससे जनता का लाखों का नुकसान होता है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : होता होगा, लोग मुफ्त में बाँस चाहते हैं और सरकार मुफ्त में देना नहीं चाहती।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : क्या विन्ध्यप्रदेश सरकार के पास उन किसानों की माँग आई थी कि सही कीमत पर लकड़ी और बाँस देकर आवश्यकता उनकी पूरी की जाये, वह मुफ्त में नहीं चाहते?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : माँग तो आई लेकिन जब वे कीमत दें तो उनको हम लकड़ी देने को तैयार हैं।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बाँस जिस भाव में ओरिएन्ट पेपर मिल्स को और किसानों को दिया जाता है उसमें क्या कोई अन्तर है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : किसानों को सवा छै रुपया सैकड़ा बाँस दिया जाता है जिसमें एक रुपया रायल्टी और सवा पाँच रुपये ट्रांसपोर्टेशन आदि का खर्चा सम्मिलित रहता है।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : क्या यह सही है कि ओरिएन्ट पेपर मिल को ठेका देने के पूर्व जिस बाँस का भाव दस रुपया था वह बीस रुपया हो गया?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : मैंने निवेदन किया है कि ठेकेदारों के पास जो बाँस था उसका भाव उन्होंने बढ़ा दिया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी :क्या यह बात सही है कि ओरिएन्ट पेपर मिल्स के मालिक जो बिड़ला हैं, उनके खिलाफ किसानों ने यह शिकायत की थी कि उन्होंने आम जंगल के बाँस कटवा लिये हैं और उस शिकायत को सिर्फ इसलिये दबा दिया गया कि उन्होंने कांग्रेस को चुनाव के लिये तीस हजार रुपया दिया था?

अध्यक्ष : यह सवाल नहीं हो सकता।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 अगस्त 1957/पृष्ठ 2044-45)

नये मध्यप्रदेश की नयी विधानसभा के दूसरे सत्र नवम्बर-दिसम्बर 1957 के पहले दिन 14 नवम्बर को सत्रह स्थगन प्रस्ताव आये। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जिस क्रम से स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उसी क्रम से वे लिए जाएँगे। पहले स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी (रीवा) के द्वारा हुई थी। स्थगन प्रस्ताव सूचना में कहा गया था कि "मध्यप्रदेश के अधिकांश भू-भाग में पैदा हुई अकाल की गम्भीर संकटापन्न स्थिति पर विचार करने हेतु आज सदन की कार्रवाई स्थगित की जाये"। अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए ग्राह्य कर लिया। चर्चा के लिए 4 बजे से 6 बजे तक का समय नियत किया गया। ठीक 4 बजे इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा से सदन में गरमाहट आयी।

आज श्री अर्जुनसिंह जी के सम्बंध में कहा जाता है कि वे "शांत और सुशील स्वभाव" को राजनैतिक हथियार के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि वे विरोधियों के सख्त विरोध और शोर शराबे के बीच भी अपना-आपा नहीं खोते हैं, वे उत्तेजित न होकर मात्र ओंठों में लुप्त हो जाने वाली मुस्कान बिखेर देते हैं। निश्चय ही वे ऐसा करते हैं। शांत चित्त

होकर समस्या को सुलझाना, गम्भीर से गम्भीर विषय का बिना विचलित-उत्तेजित हुए विचार-विमर्श के जरिए हल तलाशने की उनकी यह अपनी शैली रही है, उनके अपने कार्य करने का यह एक सौम्य और रचनात्मक तरीका रहा है। जब वे पहली बार विधानसभा में चुनकर आए तो विरोधियों के साथ सत्तापक्ष की नीतियों के जनविरोधी क्रियान्वयन के खिलाफ बोलते, मत देते। उस समय तो ये पूरी तरह उत्तेजित होकर सदन को अपनी आवेगपूर्ण बहस की गरमाहट से उबाल सकने में पूर्ण सक्षम थे पर उस समय भी उनके रचनात्मक स्वभाव ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उत्तेजना फैलाना, सनसनी फैलाना, ये इनकी कार्यशैली कभी नहीं रही वे तो समस्याओं के मर्म को पहचानने और उनके उचित समाधान में हमेशा रुचि लेते आये हैं। अकाल की समस्या पर बहस में हिस्सा लेते हुए उनके सुझावपूर्ण विचार यहाँ प्रस्तुत हैं-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की अकाल की परिस्थिति को लेकर काफी गरमागरम बहस हो रही है। मैं बहुत गरमागरम बहस तो नहीं कर सकूँगा क्योंकि यह समस्या ही गरमागरम बहस करने की नहीं है। इसमें तो हम लोगों को आपस में बैठकर यह सोचना है और समझना है कि अपने पास जितने साधन उपलब्ध हैं उनको किस प्रकार से उपयोग में लाया जाये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम सहायता पहुँचा सकें और कम से कम तकलीफ़ लोगों को हो। इसके लिये दो-तीन बातें आवश्यक हैं और वे ये हैं। पहला सवाल यह उठता है, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने उपयुक्त शब्द प्रयोग किया, शायद इस परिस्थिति में बहुत ही अच्छी तरह से लागू होगा, लेकिन उपयुक्त न भी समझा जाये, तो भी कम से कम शासन को इतना तो महसूस ही करना चाहिये कि जो उसका नार्मल तरीका है काम करने का, उसे जरा-सा अलग होकर काम करना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप इस विचार में न होंगे तब तक इस शासन की चक्की चलती रहेगी और उसमें लोग पिसते रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी तारीख 11 अक्टूबर को कमिश्नर, संभाग रीवा ने एक मीटिंग बुलाई उसमें कलेक्टर्स और एम.एल.ए. सभी बुलाए गए थे। मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ पर कमिश्नर साहब ने बताया कि गेहूँ के बीज के लिये जो रुपये मिले थे बरसात के पहले उसमें अब 35-36 हजार रुपये बच गये हैं और अब परिस्थिति ऐसी आ रही है कि शायद सूखा पड़ जाने के कारण लोग गेहूँ नहीं बोयेंगे, इसलिये हम गेहूँ के बदले चना खरीद लेंगे और यह भी कमिश्नर साहब ने कहा कि चने खरीदने के लिये मंजूरी नहीं है लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी पर यह रुपया देते हैं, चने का इंतजाम किया जाये। उसमें से 10,000 सीधी जिले को दिया गया, सतना को भी ऐसा ही दिया गया। कहा गया कि दस दिन बाद यह बीज सब जगह पहुँच जायेगा। कुछ समय बीतने पर हमने पूछा कि बीज तो नहीं आया तो हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया कि भोपाल से यह लिखकर आया है कि इस विषय को हम पहले ही जून में तय कर चुके हैं। चूँकि यह रकम गेहूँ के लिये मंजूर थी इसलिये अब इस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो शासन ने यह नहीं सोचा कि जब गेहूँ खेत में नहीं बोया जा सकता है तो फिर उसे चने में ही क्यों न कनवर्ट कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यहाँ के किसी एल.डी.सी., यू.डी.सी. या अण्डर सेक्रेटरी के सामने यह मसला पेश हुआ होगा और उन्होंने लिख दिया कि जून में तय हो चुका है।

श्री जगमोहनदास : चना तो मार्केट में भी एबलेबल है।

श्री अर्जुनसिंह : मार्केट में तो सभी चीजें एबलेबल हैं और ब्लैक मार्केट भी तो हैं? प्रश्न यह है कि मार्केट में कितने लोग खरीदने का सामर्थ्य रखते हैं। इस छोटी-सी बात को लेकर क्यों इतनी बड़ी गलती हुई, इसकी मैंने एक मिशाल दी है और वह इसलिये कि जिससे आप इसे साधारण कार्य न समझें।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूँ वह रिलीफ वर्क्स के लिये है। उसके लिये जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि 50,000/- बहुत थोड़ी रकम है। तो मैं मानता हूँ यह एक नगण्य संख्या है लेकिन इसके साथ-साथ और जो काम चल रहे हैं जैसे पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर, फारेस्ट के अन्दर, उन्हें बढ़ाकर शासन इस 50,000/- को सप्लीमेंट करेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ।

रिलीफ कार्य के लिये मेरा सुझाव जिला सीधी के लिये है। घुघरी डैम की पैमाइश पूरी हो चुकी है। 7-8 लाख रुपया मंजूर है। इस पर तुरन्त काम चालू कर दिया जाये तो उस क्षेत्र में बड़ा काम हो जावेगा।

इसके अलावा जो फेयर प्राइस शॉप आपने खोली है तो वह नाम के लिये भले ही हो, लेकिन किसान के लिये, लोगों की भलाई के लिये नहीं। उसमें गेहूँ 14/- मिलता है। मेरी समझ में तो उसे 95 प्रतिशत लोग भी खरीदने के लिये तैयार नहीं हैं। आप नहीं दे सकते हैं तो कह दीजिए, लेकिन इस तरह खोलने से क्या फायदा? आप भुलावे में क्यों डालते हैं? खरीदने वाले जब न खरीद सकें तो गेहूँ किस काम का? इन दुकानों में मोटा अनाज रखिए तब तो यह लाभप्रद होगी, नहीं तो एक ढकोसला ही रह जायेगी।

तीसरी और अंतिम बात अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट में ही कहना चाहता हूँ। वह यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह समस्या राजनैतिक स्तर से ऊपर उठने की है तो इसमें मुझे बड़ी खुशी है कि सदन के दोनों पक्षों की ओर से ऐसी भावना है लेकिन जैसा अभी कहा जा चुका है और सबको विदित है कि यह प्रश्न राजनैतिक स्तर पर ही रखा जाता है, उसमें भी जिम्मेदारी केवल कांग्रेस की ही नहीं है बल्कि हम लोगों की भी है। जहाँ तक हम देखते हैं और वास्तविक बात छिपाने से कोई लाभ नहीं है, इस समस्या को राजनैतिक स्तर पर बहुधा विरोधी पक्ष ही लाता है। जब कभी कोई ऐसी मीटिंग बुलायी जाती है और जहाँ लोगों को बताना पड़ता है कि क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं कांस्ट्रक्टिव काम के लिए तो वहाँ विरोधी पक्ष जाता नहीं और जब निर्णय हो जाता है तो क्रिटीसाइज़ करने लगते हैं? हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग जिम्मेदारी और कर्त्तव्य पालन से दूर ही रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे कोई निर्णय करें, जिम्मेदारी लें और फिर अगर कोई त्रुटि हो जाये तो हम आलोचना करें। दुःख की बात तो यह है कि इस मर्ज के सबसे बड़े शिकार हमारे देश के नेता हैं, जिनके ऊपर देश की कितनी ही आशाएँ अवलम्बित हैं। नेतृत्व का एकमात्र मापदण्ड कड़ी आलोचना करने की क्षमता ही नहीं है परन्तु साथ ही उन महत्वपूर्ण, जटिल और बहुधा अप्रिय नियमों की जिम्मेदारी लेने की भी क्षमता है।

मैं अपने विरोधी दल के भाईयों से यह प्रार्थना करूँगा कि जब वे इस बात को मानते हैं कि वह राजनैतिक स्तर से उठने की स्थिति है तो कहने भर से कुछ नहीं होगा बल्कि कार्यरूप में उसको करने की ज़रूरत है। सीधी जिले में जब फेयर प्राइस शॉप खुलने का प्रश्न उठा तो कलेक्टर के यहाँ सब लोग बैठे थे, वहीं पर यह तय हुआ कि कहाँ-कहाँ पर फेयर प्राइस शॉप खोले जायेंगे। प्रस्ताव हुआ कि हर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में खोले जाएँ। जब इस तरह से हिसाब लगाया गया तो देखा गया 70-75 हजार मन सिर्फ सीधी जिले के लिये चाहिए, फिर यह प्रश्न उठा कि जब 70-75 हजार मन एक महीने के लिये सिर्फ सीधी जिले के लिए चाहिए तो अभी दस महीने पड़े हुए हैं, तब तक के लिये इंतजाम करना है। काफी विवाद के बाद यह प्रस्ताव माना गया कि एक कानूनगो सर्किल में कम से कम दो फेयर प्राइज शॉप खोली जायें। उसके चौथे दिन लोगों ने यह प्रदर्शन कर दिया कि हर एक ग्राम पंचायत क्षेत्र में खोली जायें। जिन सदस्यों ने या जिन लोगों ने फैक्ट्स देखे थे और यह महसूस किया था कि इसमें कमजोरियाँ हैं और इतना इंतजाम नहीं हो सकता, वे भी बाद में प्रदर्शन में शामिल थे। उसका नतीजा यह हुआ कि जनता समझने लगी है कि शासन कुछ करना नहीं चाहता। लेकिन वास्तविकता यह है कि शासन जो कुछ कर भी सकता है वह नहीं कर पाता है क्योंकि लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/14 नवम्बर 1957/पृष्ठ 71-73)

कुछ प्रश्न-

श्री अर्जुनसिंह : रीवा जिले के अन्दर और विन्ध्यप्रदेश के अन्य जिलों में कहीं पड़ती जमीन का एलाटमेंट एक्स पवाईदारों को किया जाता है और वही जमीन भूमिहीनों को माँगने पर नहीं दी जाती है, क्या यह सच है?

श्री जगमोहनदास : ऐसा नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : यदि मैं कोई विशेष उदाहरण इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत करूँ तो क्या वे उसकी जाँच करेंगे?

श्री जगमोहनदास : अवश्य।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/15 नवम्बर 1957/पृष्ठ 97)

श्री अर्जुनसिंह : जो आश्वासन श्रीमान ने मध्यभारत के लिये दिया है कि अगर बन्दोबस्त रेट से ज्यादा वसूली की गई होगी तो उसे वापस किया जावेगा क्या वह आश्वासन अन्य क्षेत्रों के लिये भी लागू किया जावेगा?

श्री जगमोहनदास : बंदोबस्त के सम्बंध में यह प्रश्न है और उससे संबंधित मध्यभारत क्षेत्र के लिये जो प्रश्न किया गया, उसका मैंने उत्तर दिया।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा आशय तो यह है कि मध्यभारत की तरह विन्ध्यप्रदेश में भी बन्दोबस्त रेट से अधिक लगान वसूल किया गया तो क्या शासन उसको काश्तकारों को वापस करेगा?

श्री जगमोहनदास : जरूर।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/15 नवम्बर 1957/पृष्ठ 103)

श्री अर्जुनसिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि इस वर्ष के आय-व्ययक में शासन ने जिला सीधी के लिये जिन तीन "अ" श्रेणी के औषधालयों को मंजूरी दी थी और जिला मंत्रणा समिति ने जिनको क्रमशः ग्राम खड्डी, भरतपुर और चौराहट में बनाने की सिफारिश की थी वे अभी तक क्यों नहीं बनाये गये हैं?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : चालू वर्ष के विकास-आय-व्ययक में जिला सीधी में एक "अ" श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय के लिये उपबन्ध है, समाहर्ता (कलेक्टर), सीधी ने भरतपुर के नाम की अन्तिम रूप से सिफारिश की है और यह प्रस्ताव अभी-अभी शासन के पास मंजूरी के लिये आया है। मंजूरी के जारी होते ही, लोक निर्माण विभाग प्राधिकारियों से उक्त औषधालय का निर्माण कार्य हाथ में लेने के लिये कहा जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : (अ) क्या समाज कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए एक क्रीड़ा संघ का संगठन करने की शासन की कोई योजना है? (ब) क्या कोई नियम बनाये गये हैं जिनके अधीन जिला क्रीड़ा संघ और अन्य क्रीड़ा क्लब अपना पंजीयन करा सकें तथा शासन से आर्थिक सहायता पाने के योग्य बन सकें?

श्री गणेशराम अनन्त : (अ) यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। (ब) राज्य पुनर्गठन के पहले घटकों में विभिन्न प्रणाली थी। इनके एकीकरण के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, विभिन्न राज्यों की प्रणाली के अन्दर कितनी-कितनी धनराशि क्रीड़ा क्लब को दी जाती है?

श्री गणेशराम अनन्त : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष कोई निधि नहीं दी गई है। जब तक एकीकरण न हो जाये यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अर्जुनसिंह : इस प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि एकीकरण हो रहा है और राज्य पुनर्गठन के घटकों में विभिन्न प्रणाली थी तो क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर का यह अर्थ समझा जाये कि जब तक एकीकरण न हो जायेगा तब तक पिछले आदेशों के अनुसार जो रकम दी जाती थी वह बन्द रखी जायेगी?

श्री गणेशराम अनन्त : जी नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले उत्तर दिया गया है कि इस वर्ष कोई निधि नहीं दी गई है जब तक एकीकरण न हो जाये, यह प्रश्न विचाराधीन है और फिर कहा गया कि पिछले आदेशों के अनुसार जो रकम दी जाती थी, वह बन्द नहीं की जायेगी, तो कौन-सा उत्तर सही है?

श्री गणेशराम अनन्त : जब एकीकरण हो जाएगा तब निधि से दी जाएगी।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 नवम्बर 1957/पृष्ठ/366-67)

श्री अर्जुनसिंह : (अ) क्या लोककार्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सतना थर्मल शक्ति गृह के लिये बनाये गये पानी के जलाशय (रिजरवायर) में जब प्रथम बार पानी भरा गया तो वह गिर गया तथा

यदि हाँ तो उससे राज्य कोष को अन्दाजन कितनी हानि हुई? (ब) क्या इस बात का अभी तक निश्चय किया गया कि ऐसी विपत्ति का कारण क्या है? (स) क्या शासन ने उक्त विषय में पहले ही जाँच कर ली है और यदि हाँ तो उस जाँच के परिणाम क्या हैं?

श्री शंकरलाल तिवारी : (अ) हाँ। लगभग रुपये 6,000 (ब) नहीं। (स) जाँच जारी है।

श्री अर्जुनसिंह : यह रिजरवायर किस दिन टूटा था?

श्री दशरथ जैन : दिनाँक 27 मई 1957 को टूटा था।

श्री अर्जुनसिंह : यह रिजरवायर दिनाँक 27 मई 1957 को टूटा था, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया तो इसकी जाँच होने में इतना विलम्ब होने का क्या कारण है?

श्री दशरथ जैन : इसकी जाँच कई अधिकारियों ने की। पहले सुपरिण्टेंडिंग इन्जीनियर उदयाचलम साहब थे, उन्होंने जाँच की, फिर मेहरोत्रा सुपरिण्टेंडिंग इन्जीनियर हुए, उन्होंने की और अब इस संबंध में विचार हो रहा है कि यह नुकसान हुआ तो कैसे हुआ, इन सबकी जाँच करने में अध्यक्ष महोदय, देर तो लगती ही है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या यह सत्य है कि सेंट्रल वाटर पावर कमीशन की ओर से जो उनके इन्सपेक्टर आये थे उन्होंने बतलाया कि यह जो रिजरवायर टूटा था इसमें डिफेक्टिव मटेरियल प्रयोग हुआ, इसलिये टूटा?

श्री दशरथ जैन : ऐसी बात तो नहीं है। चीफ इंजीनियर के पास रिपोर्ट गई है कि वह जाँच करेंगे तब मालूम होगा कि किन कारणों से तालाब टूटा।

श्री अर्जुनसिंह : पॉवर हाउस कब चालू हो जायेगा?

श्री दशरथ जैन : जब रिजरवायर बनकर फिर से तैयार होगा तब वह चालू हो जायेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/दिनाँक 20 नवम्बर, 1957/पृष्ठ 368,69,70)

सरकार को पुनर्स्मरण कराते हुए अनुपूरक अनुदान माँगों के औचित्य पर बहस में हिस्सेदारी-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, आज तो यह अनुपूरक अनुदान की बात की गई है उसमें जिन-जिन चीजों के लिये माँग की गई है वह केवल 5 मिनट में तो नहीं कहा जा सकता इसलिये मैं कुछ दो-चार ही बातें कह सकूँगा। यह जो रॉयट कम्पेन्सेशन के लिये 35 हजार रुपये की माँग की गई है, उसकी उसूलन तो मैं कोई खिलाफत नहीं करता लेकिन इसके बाद शासन को दो-चार बातों की जिम्मेदारी भी लेनी होगी और वह यह है कि जबलपुर में जब रॉयट हुआ तो उसके लिये शासन सदन से माँग कर रहा है कि इतनी रकम दी जाये। इसका अर्थ यह है कि शासन यह मान रहा है कि इस रॉयट के सिलसिले में शासन की भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी है शासन का प्रबन्ध ठीक नहीं था, शासन वह उचित व्यवस्था नहीं कर सका, इसे शासन इस माँग के द्वारा स्वयं मान रहा है और इसीलिए कम्पेन्सेशन के लिये माँग की जा रही है। दूसरी बात यह है कि जब आप जबलपुर के रॉयट के लिये कम्पेन्सेशन दे सकते हैं तो उसी को लेकर और भी जगह, जैसे सतना या अन्य जगहों में वारदात हुए, वहाँ के लिये भी कम्पेन्सेशन दे सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या और जगहों से शासन के पास रिपोर्ट नहीं आई कि वहाँ भी नुकसान हुआ है, नहीं तो आप आखिर जब जबलपुर को दे रहे हैं तो दूसरी जगहों के लिये क्यों नहीं दे रहे हैं। जैसे अभी कुछ वर्ष पहले इन्दौर में फायरिंग हुई, ग्वालियर में भी एजीटेशन हुआ, रायपुर में तो अभी-अभी दंगा हुआ और लाखों रुपये का नुकसान हुआ, तो इन जगहों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। इसके अलावा आपने रिलीफ वर्क के लिये माँग की है, जब यह निश्चित किया जाने लगे कि हमको किस स्थान पर कौन से रिलीफ कार्य खोलना है, तो मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि इसकी सारी जिम्मेदारी आप अपनी ही न समझकर, सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी, अपने प्रदेश में जितनी पार्टीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी भी समझकर, सबका कॉन्फीडेंस लेकर निश्चित करें। इससे आपको सुविधा मिलेगी और हम सबको भी संतोष अनुभव होगा कि हम भी शासन के काम चलाने में हाथ बँटा रहे हैं। उसके लिये हमें भी उत्तरदायो समझा जायेगा।

तीस हजार रुपये रीवा म्युनिसिपेलिटी को बस स्टैंड का शेड बनाने के लिये, यात्रियों की असुविधा मिटाने के

लिये दिये जा रहे हैं। वहाँ जो दशा इस समय है, उस अनुदान पर कट मोशन मूव करके कुछ बातें सदन के सामने लाना चाहता हूँ। रीवा म्युनिसिपेलिटी में इस समय बड़ी धाँधलेबाजी मची हुई है, वहाँ हाउस के परमिट से लेकर छोटे-छोटे रिक्शेवालों को जब परमिट दिये जाते हैं, उस समय उनसे पाँच-पाँच, छः-छः रुपये घूस के रूप में ले लिये जाते हैं। मैं शासन से प्रार्थना करूँगा कि उसने जो समिति नियुक्त की है, उसकी रिपोर्ट देने में वर्षों लगेंगे, इसलिए वहाँ का तत्काल प्रबंध किया जाना जरूरी है। आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ की म्युनिसिपेलिटी को सुपरसीड (सस्पेंड) करके वहाँ की सारी सफाई करा दी जाये, तो वहाँ का काम ठीक ढंग से चलने लगेगा।

अब मैं एक-दो बातें ट्रॉयवल वेलफेयर आफिसर्स के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में ओरीजिनल बजट के समय मैंने प्रस्ताव रखा था और आज इस सप्लीमेंटरी बजट के समय फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। मैंने यह देखा है कि शासन ने उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। शासन को इन बातों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला होगा। ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जिस पर हमारी ही सरकार लाखों रुपया खर्च नहीं कर रही है बल्कि और लाखों रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुदान के रूप में मिल रहा है। इस प्रकार खर्च के लिये दुगनी रकम हो जाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस डिपार्टमेंट की जो कार्यप्रणाली है, वह बिलकुल गलत है, जब तक इसके लिये अच्छी स्कीम निर्धारित नहीं करते, बांड लेबिल पर कोई फायदा नहीं होगा। कोई जगह सिलेक्ट कर ली और उसे 10 हजार रुपया दे दिया, उस दस हजार रुपये का क्या हुआ, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। यह कोई देखने वाला नहीं है कि इससे कुछ आदिवासियों को फायदा हुआ या नहीं। मैं एक उदाहरण के रूप में एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ट्रॉयवल वेलफेयर ऑफिसर, रीवा ने सीधी डिस्ट्रिक्ट में 3 स्थानों पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिये स्कूल खोलने के लिये आदेश भेजा और यह आदेश हुआ कि डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स इन स्कूलों को चालू करें। पन्द्रह स्कूल शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये भी खोले जाने थे। इन 19 स्कूलों के लिये ट्रॉयवल वेलफेयर ऑफिसर, रीवा ने लिखा है कि जिला परामर्शदात्री समिति की राय से खोले जायें। सीधी में जो ट्रॉयवल वेलफेयर ऑफिसर हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल को अज्ञानतापूर्वक यह लिख दिया कि समस्त प्रकरण जिला परामर्शदात्री समिति को दे दिये जायें। नतीजा यह हुआ कि 15 स्कूल शेड्यूल ट्राइब्स के लिये थे और 3 स्कूल शेड्यूल कास्ट के लिये थे, लेकिन 18 ही स्कूल शेड्यूल ट्राइब्स के लिये खोल दिये गये। शेड्यूल कास्ट के लिये कोई स्कूल नहीं खोला गया। मैंने फिर उनसे यह मालूम किया कि मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि 3 स्कूल शेड्यूल कास्ट के लिये खोलने की आज्ञा आयी है, तो उनने यह बताया कि मेरे पास जो आज्ञा आयी है कि समस्त प्रकरण जिला परामर्शदात्री समिति को भेज दीजिये लेकिन जब उन्होंने फाईल देखी तो सब बातें साफ हो गईं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सबका नतीजा यह हुआ कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई स्कूल नहीं खुल सका। उस डिपार्टमेंट में जिस पर हम सब की आँख लगी हुई है, हम सब यह उम्मीद करते हैं इस विभाग पर खास डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ काम होगा, वहाँ ऐसी गड़बड़ मची हुई है। मैं शासन से यह निवेदन करूँगा कि इस विभाग पर खास तौर से निगरानी रखना चाहिए, और वजह कुछ भी हो, इस विभाग पर आँख उठाने का मौका किसी को न मिले।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 नवम्बर 1957/पृष्ठ422-423)

जागरुक विधानसभा सदस्य के रूप में श्री अर्जुनसिंह का चौकन्नापन उनके इन प्रस्तावों से प्रकट होता है। अकाल की पीड़ा, पीड़ितों को मुआवजा, रीवा नगरपालिका की अव्यवस्था और विभागों में लापरवाही; सब चिन्ताएँ एक साथ-

माँग संख्या 26- विविध विभाग (रुपये 864700)

श्री अर्जुनसिंह : (ब.पृ. 19) 47- विविध विभाग, रुपये 1 की कमी का प्रस्ताव। विभाग की लापरवाही से काम करने के तरीके की तरफ ध्यान आकर्षित करने के हेतु।

माँग संख्या 30- अकाल सहायता (रुपये 20,00,000)

श्री अर्जुनसिंह : (ब.पृ. 22) 54- अकाल-क, अकाल सहायता, रुपये 1 की कमी का प्रस्ताव। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में प्रायरिटीज एवं भिन्न-भिन्न सहायता के कामों के बारे में चर्चा करने हेतु।

माँग संख्या 35- विविध (रुपये 239100)

श्री अर्जुनसिंह : (ब.पृ. 24) 57- विविध रुपये 1 की कमी का प्रस्ताव। रायट में जो लोगों को नुकसान हुआ उनको कम्पेन्सेशन देने की नीति की चर्चा करने हेतु।

श्री अर्जुनसिंह : (ब.पृ. 24) 57- विविध रुपये 1 की कमी का प्रस्ताव। रीवा म्युनिसिपेलिटी के अव्यवस्थित काम चलाने के ढंग की ओर ध्यान आकर्षित करने के हेतु।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 नवम्बर 1957/पृष्ठ 445-446)

कुछ तारांकित प्रतिप्रश्न -

श्री अर्जुनसिंह :क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विन्ध्यप्रदेश विभाग (डिवीजन) के प्रत्येक जिले में रुपये 700/- से कम वेतन पाने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 30 सितम्बर 1957 के अन्त तक दो माह से अधिक का वेतन नहीं दिया गया और क्यों?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या जानकारी प्राप्त हो गई है?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : इस समय जो जानकारी प्राप्त हुई है वह यह है कि 31 अक्टूबर 1957 तक 4 दरख्वास्तें प्राप्त हुईं, उनमें से 2 का निकाल हो गया है और 2 का निकाल अभी नहीं हुआ है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मास मेमोरियल भवन के जलने और उसके बाद हुए उपद्रव के पश्चात कितने ईसाई परिवारों ने रायपुर छोड़ा?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : रायपुर गोलीकांड की जाँच करने के लिये राज्य शासन ने जो जाँच आयोग नियुक्त किया है उसकी कार्रवाईयों में यह प्रश्न आ रहा है। अतः लोकहित में अभी जानकारी देना उचित नहीं समझा जाता।

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रीवा जिले में स्थित महामृत्युंजय का मन्दिर रीवा नरेश को वापस कर दिया गया है? यदि हाँ तो किन कारणों से? (ब) क्या मंदिर को अपने संरक्षण में लेने के लिए रीवा महाराज ने आग्रह किया था? (ग) क्या मन्दिर को रीवा नरेश को लौटाते वक्त इस तरह का कोई आश्वासन सरकार ने प्राप्त कर लिया है कि उक्त मंदिर में, जो किले के अन्दर स्थित है, जनता को पूजा के लिये आने-जाने की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) (ख) तथा (ग) जी नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इस तरह इस मंदिर को वापस करने की बातचीत चल रही है?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : जी हाँ, उनको लिखा गया है।

श्री अर्जुनसिंह : किन कारणों से मंदिर को वापस करने के लिये लिखा गया है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : कारण यही है कि बीच में वापसी की लिखा-पढ़ी चल रही थी, उन्होंने लिखा था कि अमुक स्टेज पर वह वापस लेने को तैयार होंगे। जब वह स्टेज आया तो उनको लिखा गया।

श्री अर्जुनसिंह : जब यह मंदिर रीवा नरेश को वापस लौटाया जावेगा तो उनसे यह आश्वासन लिखित रूप में लिया जावेगा कि वे आम जनता को मन्दिर में जाने से न रोकें?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : उनकी सम्पत्ति मानकर उनको लौटाया जावेगा। इसलिये उनसे किसी प्रकार का आश्वासन लेना उचित होगा या नहीं, इस पर शासन प्रकाश नहीं डाल सकता।

श्री अर्जुनसिंह : जब तक कि मंदिर वापस नहीं किया जाता तब तक पुजारियों की जीविका कैसे चलेगी?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : मन्दिर तो चेरीटेबिल इन्स्टीट्यूशन है और यदि रीवा की जनता में इतनी भावना नहीं है तो मुझे इसके संबंध में अफ़सोस है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/21 नवम्बर, 1957/पृष्ठ 458-459)

प्रजातांत्रिक परंपरा के प्रति निष्ठा : बहस के बीच से एक अंश-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस सिलेक्ट कमेटी की नियुक्ति के ऊपर जो चर्चा चल रही है जैसा सदन के दोनो पक्षों की ओर से कहा जा चुका है कि सदस्यों को पोजीशन करना है। जहाँ तक इसका सवाल है, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से बिलकुल सहमत हूँ। इतना तो शिक्षामंत्री जी को मान लेना चाहिये। हो सकता है समयाभाव के कारण न कन्सल्ट कर सकें, लेकिन जब सदन के दोनों ओर से अब यह विचार प्रकट किये जा रहे हैं तो सबको कन्सल्ट कर लें। मैं इस पक्ष में सभी भाईयों से आशा करता हूँ कि वह इस बात के लिये तैयार हो जायेंगे कि अगर विधि मंत्री सैद्धान्तिक तौर पर कन्सल्ट कर लें तो हम लोग नामों में कोई हेर-फेर न चाहेंगे। इस प्रिंसिपल को माननीय विधि मंत्री स्वीकार कर लें, इतनी प्रार्थना मैं अवश्य करना चाहता हूँ कि यहाँ सवाल विशेष नाम का नहीं है कि "ए" को रखा जाये, "बी" को रखा जाये या "सी" को रखा जाये। जैसा कि माननीय उद्योग मंत्री ने कहा कि सवाल डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन का है , तो मैं आशा करूँगा कि माननीय विधि मंत्री इतना अवश्य करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त नाम पढ़ा गया मैं नहीं था। यदि अध्यक्ष महोदय को या विधि मंत्री महोदय को इसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़े तो मैं उनको पूरा अधिकार देता हूँ कि आवश्यकतानुसार मेरा नाम उसमें से हटा सकते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ अपोजीशन के और साथी चाहें तो विथड्रा करें।

श्री अर्जुनसिंह : मैं अपना नाम वापस लेता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/21 नवम्बर, 1957/पृष्ठ 510-511)

सदन में मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ अमलगमेशन बिल (मध्यप्रदेश सहकारी संस्था सम्मिलन) विधेयक 1957 (क्रमाँक 26, 1957) पर चर्चा हुई। संशोधन प्रस्तुत हुए। श्री अर्जुनसिंह ने पक्ष और प्रतिपक्ष की बहस बड़े ध्यान से सुनी। सहकारी संस्था विधेयक का संबंध गाँव खेड़ों तक से है। कानून कितने और कैसे होना चाहिए, इस संबंध में उन्होंने अपना मत इस प्रकार रखाः-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। को-ऑपरेटिव सोसायटीज़ एक्ट के ऊपर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन खासकर इस संशोधन के पीछे जैसा माननीय सदस्य ने बताया, दूसरा ही कुछ अर्थ है। इसमें सवाल इस बात का है कि शासन कितनी दूर तक, जहाँ तक, इस सदन को और सदन के द्वारा बनाई हुई परिपाटी को अपने साथ में लेकर चलना चाहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आज का नहीं, सदैव का तरीका रहा है कि शासन, हरदम यही शासन नहीं, हरेक शासन, यह कोशिश करता है कि जहाँ तक हो सके, उसके काम में, उसकी कार्यप्रणाली में, ऐसे लोगों का बहुत ही कम हाथ रहे जो उसमें नुक्ताचीनी करते हों। अध्यक्ष महोदय, हाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, उनको ढूँढने की जरूरत नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के विचारों को भी शासन को जानना जरूरी है जो कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण रखते हैं। अगर सरकार उनके विचारों से कन्विन्स नहीं होती तो न हो, परन्तु उसको दूसरा दृष्टिकोण अवश्य सुनना चाहिये। अगर शासन चाहता है कि जो कुछ उसके मन में आवे वही करने दिया जावे तो यह बात ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आदरपूर्वक यह कहना चाहता हूँ और बिना किसी इम्प्यूटेशन के और बिना किसी बुरे ख्याल से कि फिर तो इस विधानसभा की बैठक बुलाने की और उसको गठित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ कितने कानून पास होते हैं तो हमें पता चलेगा कि हम लोग एक-एक सत्र में एक-एक दर्जन कानून पास कर देते हैं। इस प्रसंग में मुझे एक बात याद आयी है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस श्री महाजन थे, उन्होंने इस संबंध में कहा था, उस

समय मैं भी कोर्ट मैं मौजूद था। किसी केस में पैरवी हो रही थी, किसी लॉ प्वाइन्ट के ऊपर तर्क हो रहा था कि इसका वायोलेशन हुआ है। उसी समय उन्होंने कहा था कि मैं इस बात को मानता हूँ कि..... फिर भी आज जो हमारे सामने कानून की स्थिति है वह ऐसी है कि आज हिन्दुस्तान में "जज आफ लॉ" है। आज के भारतवर्ष का एक मामूली नागरिक इस स्थिति में नहीं है कि उसको सब बातें मालूम हों। हो सकता है कि विलायत के नागरिक ऐसे बहुत ही कम होंगे जिनको अपने कर्त्तव्य और अधिकारों का ज्ञान न हो। हमारे देश में निरक्षरता का प्रतिशत ज्यादा है और इसलिये यहाँ के नागरिकों से ऐसी उम्मीद करना कुछ ठीक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है कि वे अपने सब कर्त्तव्यों और अधिकारों से परिचित हों। जस्टिस महाजन ने कहा था, मुझे उनके शब्द तो स्मरण नहीं हैं परन्तु उनका आशय यह था कि अगर हमारे देश में इस प्रकार का रवैया रहा कि सैकड़ों की तादाद में कानून हर साल बनते रहे तो एक दिन ऐसा आवेगा कि हर एक नागरिक को अपने घर से बाहर निकलने के पूर्व एक वकील करना पड़ेगा। यह सलाह लेने के लिए कि आज घर से बाहर निकलने पर मैं किन-किन कानूनों का उल्लंघन कर सकता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यदि वह दिन आयेगा तो शिक्षित समाज परेशान हो जायेगा, अशिक्षित की तो बात ही जाने दीजिये। इस तरह से आगे क्या नतीजा होगा, नहीं कहा जा सकता। माननीय सदस्य ने इसी बात को सामने रखकर यह संशोधन रखा है। उन्होंने आपके सामने कोई अड़चन पेश नहीं की, उन्होंने किन्हीं सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है, उन्होंने तो यह कहा कि सरकार इतना तो अवश्य करे कि रूल-मेकिंग पॉवर के अन्दर जो धाँधली प्रायः होती है उसके ऊपर नियंत्रण रखने की जो व्यवस्था प्रजातांत्रिक परम्परा में है, उसे काम करने का मौका है। मैं यह नहीं कहता कि सभी कानूनों के संबंध में यही रवैया अपनाया जावे परन्तु मेरा यह कहना है कि अधिकांश कानूनों के लिये यही नियम अपनाया जावे। इस सदन के द्वारा निर्मित होने वाले अधिकांश कानूनों में यही नियम अपनाया जाना चाहिये। इससे यह होगा कि शासन की ओर से जो नियम बनाये जावेंगे या जो आर्डर निकाले जावेंगे, जिनका कि प्रॉपर एप्लीकेशन या मिसएप्लीकेशन हो सकता है वे सदन के नियंत्रण में रहेंगे और किसी ऐसे रूल को, जिसका असर अच्छा नहीं है, सुधारने का मौका मिल सके। इसलिये माननीय सदस्य के इस संशोधन का मैं समर्थन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर माननीय मंत्री जी इस बात को एक सिद्धान्त के रूप में देखेंगे और प्रजातांत्रिक प्रणाली पर यदि वह विश्वास करते होंगे और रूल-मेकिंग पॉवर के उपयोग और दुरुपयोग को सामने रखकर विचार करेंगे, तो मैं पूर्ण रूप से उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को अवश्य मानेंगे।

श्री गणेशराम अनन्त (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन पर काफी लोगों ने बहस की, मैं उनकी भावनाओं से बिलकुल सहमत हूँ और उन्होंने जिन बुनियादी चीजों के लिये बहस की मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, पर अध्यक्ष महोदय, यह जो डेलीगेशन है उसके अनुसार अगर आप एक चीज को डेलीगेट कर दें और यह चाहें कि वह रूल फिर हाउस में आवे तो मेरा ख्याल है कि जिसको आप डेलीगेट कर देते हैं उसे फिर यहाँ लाना चाहते हैं।

यह सही चीज है कि डेमोक्रेसी में अपोजीशन पार्टी को सेटिसफेक्शन होना चाहिये और दरअसल में इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिये। पर अध्यक्ष महोदय, इसके लिये आपने एक स्वस्थ परम्परा कायम की है। पुराने मध्यप्रदेश में डेलीगेशन कमेटी नहीं थी, बाद में उसमें संशोधन किया गया। आप देखेंगे कि आपने जो नियम बनाये हैं उससे एक बड़ा अच्छा ट्रैडीशन कायम हुआ है। बहुत-सी चीजें हाउस की टेबिल पर रखी जाती हैं और मुझे मालूम नहीं सभी पर बहस होती है। कमेटी रहेगी तो ठीक ढंग से विचार करेगी। विधानसभा के जो नियम हैं उसमें दिया है।

There shall be constituted a Committee called the Committee on Delegated Legislation for examining each regulation, rule, sub-rule, Byelaw etc. frammed in pursuance of the legislative functions delegated to any authority under an Act and which is required to be laid before the House hereinafter referred to as 'Order'.

उस कमेटी के सामने वह रूल जावेगा, उसके बाद हाउस में उस पर कोई बहस नहीं होगी। कमेटी में ही स्क्रूटिनी होगी कि एक्ट के मुताबिक है या नहीं। यदि शासन आवश्यक समझता है कि उसे हाउस के सामने रखना

चाहिये तो भी रखा जा सकता है। ऐसे कोई नियम जटिल बनेंगे जो कि हर समय सदन में रखे जावें

श्री अर्जुनसिंह : पाइंट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, जो इण्टरप्रिटेशन माननीय मंत्री जी ने रखा है वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष : यह अपनी-अपनी राय की बात है।

श्री गणेशराम अनन्त (समाज कल्याण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सारे नियम जो बनें, वह हाउस के टेबिल पर रखें, यह ठीक नहीं है। उसके बजाय कमेटी में वे ही नियम जावें, जिनकी स्क्रूटिनी जरूरी है और जिन्हें शासन आवश्यक समझे। सारे नियमों पर बहस हो सकती है, स्क्रूटिनी हो सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर ख्याल ही भर रहा तो केवल ख्याली पुलाव से काम नहीं चलेगा। रूल में ऐसा लिखा है कि केवल वही रूल डेलीगेटेड कमेटी को जायेंगे जो सदन के पटल पर रखे जाने वाले होंगे लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि सभी रूल भेजे जायेंगे, चाहे वे टेबिल पर रखे जाने वाले हों या न हों। इसलिये अगर मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मेरा ऐसा ख्याल है तो हमें यह आश्वासन मिलना चाहिये कि जितने रूल वे बनायेंगे वे सब कमेटी को भेजे जायेंगे, चाहे वे टेबिल पर रखने वाले हों या न हों।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/26 नवम्बर 1957/पृष्ठ 805, 806, 807, 808)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने समाज कल्याण मंत्री श्री गणेशराम अनन्त से अपने क्षेत्र की पंचायतों और योजनाओं के संबंध में इस तरह प्रश्न किया। प्रश्नोत्तर यहाँ प्रस्तुत हैं:-

श्री अर्जुनसिंह :(a) Will the Hon'ble Minister for Social Welfare be pleased to state the name and number of schemes for which the Gram Panchayat, Bharatpur of district Sidhi, has raised public subscription and what are the amounts deposited with the district authorities for each scheme? (b) Which of these schemes have been assented to by district authorities and to how many of them has the Government contributed its own share for completion of work? (c) How many of these schemes have actually been undertaken on the assurance of the district authorities to contribute the share, and are now being carried out, and what does Government intend doing to get these works completed?

श्री गणेशराम अनन्त : (क) (ख) और (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या जानकारी आ गई है?

श्री दशरथ जैन : जी नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : जो जानकारी इस प्रकरण में माँगी गई है उसके न भेजने के कारण कहीं यह तो नहीं हैं कि बहुत-सी स्कीम्स हैं जिनके बारे में सरकार ने आश्वासन दिये हैं और उनकी रिपोर्ट न दिये जाने के कारण वे अधूरी रह गई हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं?

श्री दशरथ जैन : जी नहीं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/27 नवम्बर 1957/पृष्ठ 821-822)

मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू से सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने दो प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं :-

Will the Hon'ble Chief Minister be pleased to state- (a) Whether there are any standing orders with the collectors of Vindhya Pradesh Division that no person should be given licence for the possession of more than two arms, the excess numbers be confiscated ? (b) Whether there are any such orders in other Divisions of this State also? (c) Whether Government contemplates removing any disparities that may be

existing in the respect at least in the non-dacoit affected areas of the State?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) और (ख) नहीं, (ग) हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह विदित है कि तथाकथित नियम के अनुसार विन्ध्य क्षेत्र के बहुत से लोगों के लायसेंस जब्त किये गये हैं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : डज इट एराइज, सर?

श्री अर्जुनसिंह : मंत्री महोदय ने यह बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक-दो से ज्यादा बन्दूकों के लायसेंस लोगों को न दिये जायें। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि कलेक्टर्स ने इस नियम को बरतते हुए क्या दो से ज्यादा बन्दूकों के लायसेंस लोगों के जब्त कर लिये हैं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : कोई नियम ऐसा नहीं है। वैसे वह कलेक्टर के विवेक के ऊपर है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि नियम नहीं है लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह हर प्रकरण के गुण व दोष के अनुसार बताया जा सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : अगर मैं कोई खास प्रकरण मंत्री महोदय के सामने रखूँ.....

अध्यक्ष : आप पहले उस प्रकरण को रखें, फिर पूछें।

श्री अर्जुनसिंह : तो क्या मंत्री महोदय उसकी जाँच करेंगे?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : सबकी जाँच करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा कि उन्होंने उत्तर में कहा है कि इस मंदिर की लगभग एक करोड़ की जायदाद है तो फिर क्या शासन यह उचित नहीं समझता कि उसका इन्तजाम कोई अनऑफिशियल मेम्बरों की सोसायटी करे?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह प्रश्न विचाराधीन है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/28 नवम्बर 1957/पृष्ठ 919-20)

27 नवम्बर 1957 को राजस्व मंत्री श्री भगवंतराव मण्डलोई ने भोपाल नगरपालिका के संबंध में एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें प्रस्तावित हुआ कि "भोपाल राज्य नगरपालिका (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1957 (संख्या 29, 1957) पर तुरन्त विचार किया जावे।"

इस विधेयक पर सदन में सदस्यों ने जमकर बहस की तथा शासन की तीखी आलोचना करते हुए उसे तानाशाही, नवाबशाही सरकार ठहराया। 1949 के बाद भोपाल नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए। सरकार ने "वन मैन बोर्ड" बना दिया। यह वन मैन भी सरकारी अफसर होता था। प्रस्तुत संशोधन विधेयक में भी प्रशासक की नियुक्ति का प्रावधान था। चुनाव टाले जाने का आरोप था प्रतिपक्ष का। इस विधेयक पर विरोध प्रकट करते हुए अन्य सदस्यों के साथ श्री अर्जुनसिंह ने भी वाकआउट किया।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि-

"सभी द्वारा विचारित भोपाल राज्य नगरपालिका (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 1957, (संख्या 29, 1957) अर्थात भोपाल स्टेट म्युनिसिपैलिटीज (मध्यप्रदेश अमेण्डमेंट) बिल, विधेयक, 1957 (नवंबर 29 ऑफ 1957) विधि बने"

श्री शाकिर अली खाँ : जनाबे आली, भोपाल की जनता आज के उठाये गये सरकार के कदम को माफ़ नहीं करेगी। इससे पहले जो एलानात थे और जो गुफ्तगू थी वह आज इन तरमीमों के न मानने से बिलकुल साफ हो गये हैं और कि जो प्रेस इन्टरव्यू में कहा गया था, वह ग़लत था। इसलिये हम इस हाउस से विरोध के तौर पर वाकआउट करते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आज के इस विधेयक से सरकार की इच्छा साफ हो गई है, जैसा भोपाल के नवाब का डिक्टेटोरियल शासन था, वही अनडेमोक्रेटिक तरीका इस सरकार का है। इस तरमीम के सम्बन्ध में हमने जो मंत्री जी का जवाब सुना और उसके बाद थर्ड रीडिंग के लिये कहा गया। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या के लिये यह विधेयक लाया गया है। अगर ऐसे कदम विधानसभा के सदस्यों से बरदाश्त

किये जायेंगे तो सरकार तानाशाही करने लगेगी। इसलिये मैं इसके विरोध में वाकआउट करता हूँ।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : अध्यक्ष महोदय, मुँह में राम, बगल में छुरी, वाली नीति अपनाई जाती है और डेमोक्रेटिक सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता है, केवल सिद्धान्त की बात की जाती है। मैंने इसी आशय से यह संशोधन रखा था कि शासन कुछ समझे किन्तु शासन ब्रूट मेजार्टी के आधार पर निर्णय करने वाला है, इसलिये मैं वाकआउट करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से यह साबित हो गया है कि यह शासन प्रजातंत्र के प्रचार में और उसे कार्यान्वित करने में कितना अन्तर रखता है इसलिये मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इसके विरोध में अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकूँ। इसलिये मैं वाकआउट करता हूँ।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी :अध्यक्ष महोदय, जहाँ प्रदेश के चुने हुए प्रतिनिधियों की विधानसभा बैठती है और जहाँ प्रदेश के लिये कानून बनते हैं उस शहर की राजधानी को लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित करने के लिये जब कानून पास होता हो, तब सदन में बैठना लोकतंत्र के विरुद्ध है, इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक तानाशाही मनोवृत्ति का प्रतीक है। जनतंत्र में एकतंत्र का परिचायक ऐसा कानून नहीं बनना चाहिये। इससे जनता के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी हत्या हो रही है, इसलिये इस विधेयक पर मतदान के पूर्व मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूँ।

श्री उदयराम : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर, मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि सदन की राय के बाद, सदन की राय के विरुद्ध वाकआउट करना कहाँ तक उचित है?

अध्यक्ष : अब तो वाकआउट हो चुका है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि "सभा द्वारा विचारित भोपाल राज्य नगरपालिका (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1957 (संख्या 29, 1957) अर्थात भोपाल स्टेट म्युनिसिपैलिटीज (मध्यप्रदेश अमेण्डमेंट) बिल, 1957 (नवम्बर 29 ऑफ 1957) विधि बने।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/28 नवम्बर 1957/पृष्ठ 1000-1001)

श्री अर्जुनसिंह जी के मानवीय व्यक्तित्व, संवेदनशीलता, अध्ययनशीलता और चिन्तन आदि से जो लोग परिचित नहीं हैं वे राज्य कर्मचारियों, गैर शासकीय कर्मचारियों और मजदूरों को दी जाने वाली राहतों-सुविधाओं तथा उनकी उनके प्रति पक्षधरता को भी राजनैतिक हथकंडा बतलाते हैं, ऐसे आलोचकों का ध्यान निर्दलीय विधान सभा सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा 14 नवम्बर 1957 को पूछे गए प्रश्न क्रमाँक 28 की ओर आकर्षित करते हैं। यह प्रश्न राज्य पुनर्गठन के बाद कर्मचारियों के वेतन, वेतन निर्धारण, एकीकरण, समकक्षता आदि गम्भीर विषयों को लेकर था। प्रश्न की महत्ता देखते हुए 15 दिन बाद का यानी 29 नवम्बर 1957 को इस प्रश्न पर विशेष चर्चा के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया। नये मध्यप्रदेश की पहली विधानसभा के पहले सत्र में इन्होंने कर्मचारियों के हित में अपना मत प्रकट किया। आधे घन्टे की विशेष चर्चा के दौरान जो आठ मुद्दे श्री अर्जुनसिंह ने उठाये वे यहाँ ज्यों के त्यों प्रस्तुत हैं। उनका यह भाषण अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी। श्री अर्जुनसिंह ने जिस तरह से एकीकरण और उससे उत्पन्न राज्य कार्मिक सेवकों की समस्याओं को प्रस्तुत किया उसके लिये मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने श्री अर्जुनसिंह की सराहना करते हुए कहा "मैं आपका बहुत एहसानमन्द हूँ कि आपने इन सब चीजों को अलग-अलग साफ-साफ रख दिया। यह एक इशारा होता है काम चलाने का ---"। श्री अर्जुनसिंह के उक्त प्रश्न और सिलसिलेवार कर्मचारियों के संबंध में अपनी बात रखने का तरीका कितना गम्भीर और सुझावपूर्ण है, यह बात मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू के सदन में दिये गये लम्बे उत्तर, टिप्पणियों और आश्वासन को पढ़कर स्पष्ट होती है-

श्री अर्जुनसिंह : Sir, I am grateful to your honour for having allotted me time to raise this discussion on a matter which is the cause of much apprehension and suspense in the minds of a vast majority of public servants of this State. I have already given to the Hon'ble Chief Minister a list of the basic points, a clarification of which would go a long way in allaying much of the suspicion and doubt from the minds of all concerned. I will read those points here for the information of the House.:-

(1) Whether the State Government and the State Legislature will have no voice whatsoever in the matter of integration of services.

(2) Whether the revised scales of pay will be made effective from 1st November, 1956, Irrespective of the fact when the final integration takes place.

(3) Whether intense seniority will ordinarily be effected and whether cases of gross irregularities committed by the administrations of the integrating States before 1st November, 1956 will be set right.

(4) Whether in view of the variance in the powers of the integrating States in the matter of recruitment, fixing of period of probation, etc. the date from which seniority will be counted will be the date on which the appointment order was made irrespective of the fact that a particular employee was confirmed employee or not on 1st November, 1956.

(5) Whether pay-scale of the length of service on a post will be the criterion for determining seniority in respect of a certain class of employees,· e.g. Office Superintendent.

(6) What criterion shall be adopted for fixing persons from erstwhile Bhopal and Madhya Bharat States in the Select Grade, U.D.C.s, since these was no such posts in those States before 1st November, 1956.

(7) What Shall be the fate of those employees, for instance, some Under Secretaries of erstwhile Vindhya Pradesh State, who were substantively holding their posts on 1-11-1956, but in whose place the Inter States Ministers Committee appointed junior persons belonging to the same State and designated the former as officers On Special Duty.

(8) What principle is adopted to select persons to be retained when the strength of some department is to be reduced as a consequence of integration.

I would like to mention here, Sir, with your permission that it would neither be statesmanlike nor practicable on part of the Government to brush aside this matter as another figment of our imagination. I would like to mention here, Sir, that the contention of the State Government that the matter of integration be beyond the purview of this Legislature and that it is the responsibility of the Central Government, is neither borne out by the States Re-organisation Act, nor countenanced by the letter and spirit of the Constitution. I would also like to mention, Hon'ble Sir, that if the Administration and the present Government have been purblind enough to acquiesce in such a gross injustice to the interests of the people of the State, I have nothing to say They will be answerable at the proper place and to the proper authorities. But I would add that this House cannot be asked to forego its rights which are inherent and which are provided by the Constitution. This august Assembly, which is the highest organ of this State cannot be party to such a barter. It is the inherent as well as constitutionally empowered right of this Assembly to have a say in determining

the conditions of service of the employees who run the affairs of this State from day to day. Hon'ble Sir, it may be that the woes and wails of the big and small public servants, who man the farflung outposts of this monolithic State do not reach the olympian height of Bhopal and Delhi, but if a sense of despondency and despair is allowed to pervade amongst them, it shall be a continuing danger to the good Government of this State, for which not only the people who are in power, but all of us here will be equally responsible. I would, therefore, request the Hon'ble Chief Minister to assure us of his Government's good intention in this respect.

डॉ. कैलाशनाथ काटजू (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज एक बड़ी समस्या आपके सामने उठाई गई है। इसकी चर्चा सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने, जब उन्होंने इस विधानसभा के समक्ष भाषण दिया था, दो जुलाई 1957 को, उस समय की थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे आप आज्ञा देंगे कि मैं अपने भाषण में कहीं-कहीं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकूँ क्योंकि मुझे उनका अनुवाद नहीं मालूम है। हमारे बहुत से कर्मचारी हैं और उनके बहुत से पद हैं। इनके इन्ट्रीगेशन का सवाल है, इस सवाल का इस कानून में जिसके संबंध में स्टेट्स रीआर्गनाईजेशन एक्ट बना, उसमें चर्चा की गई है। केन्द्रीय सरकार ने और लोकसभा ने काफी अच्छी तरह से इस मामले में गौर किया है और हिदायतें दी हैं। वे सब दफा 114, 115 और 116 में दी गई हैं। लोकसभा ने यह महसूस किया था कि ऐसे प्रदेश बन रहे हैं जिनमें कई प्रदेश मिलेंगे और वे प्रान्त अलग-अलग रीति के होंगे। हमारे मध्यप्रदेश में पुराना मध्यप्रदेश या महाकौशल जो "ए" स्टेट था मिला, मध्यभारत जो "बी" स्टेट था वह मिला जिसमें कि राज्यप्रमुख थे और भोपाल और विन्ध्यप्रदेश जो "सी" स्टेट थे जहाँ पर चीफ कमिश्नर थे, वे मिले हैं। इनकी रीति-नीति अलग-अलग थी, पद अलग-अलग थे, उनके अधिकार अलग-अलग थे, उनके वेतन अलग-अलग थे और बहुत सी चीजें अलग-अलग थीं। अभी केन्द्रीय सरकार ने उस कानून में सब बातों का उल्लेख किया है और कहा है ये सब इन्ट्रीगेशन कहाँ चले। केन्द्रीय सरकार में चले या हर प्रान्त में चले या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग-अलग चले। बहुत कुछ सोच-विचार करने के पश्चात् यह तय हुआ कि हर प्रान्त में यह काम चले और प्रान्त की सरकार कानून के मुताबिक पूरा इन्तजाम करे, कमेटी बनाये। हमारे यहाँ भी कमेटी बनी- एक सेक्रेटरियों की कमेटी और एक मंत्रियों की कमेटी। सेक्रेटरियों की कमेटी सेक्रेटरी लेबिल पर विचार कर रही है और अगर आवश्यकता हुई तो उस पर मंत्रियों की कमेटी में और केबिनेट में भी विचार होगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि यदि कोई अधिकारी यह समझे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारा नाम लिस्ट में नहीं है, जो पद मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है, वह नीचे कर दिया गया है तो केन्द्रीय सरकार की एक एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसको पूरा अधिकार है, उसके सामने वह अपना मामला पेश कर सकता है। केन्द्रीय सरकार ने गजेटेड आफिसर्स के लिये एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है, जिसमें यू.पी. एस.सी. का एक मेम्बर और एक हाईकोर्ट का जज होगा यदि किसी ऑफिसर को कोई अन्देशा है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो वह इस कमेटी के सामने जा सकता है और अपना मामला पेश कर सकता है। जहाँ तक नान-गजेटेड सर्विसेज का संबंध है उनके संबंध में भी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसमें प्रान्त के पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मेम्बर और कौन-कौन से मेम्बर हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं।

अब मेरे मित्र ने अभी जो पाइन्ट पढ़कर सुनाये हैं उनके संबंध में भी मैं कहना चाहता हूँ कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वह अपील कर सकता है। व्यक्तिगत बात आती है तो भी वह जाकर वहाँ अपना मामला रख सकता है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस सबंध में चर्चा कर दी है कि 4 बातों पर खासकर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इस तरह से हमारे सामने 4 स्टेजेज हैं विचार करने के लिये। पहली स्टेज यह है कि जब यह प्रदेश बना, तब हमारे पास 4 जगहों से आये हुए अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई। हमें इनकी आवश्यकता नहीं थी इसलिये हमने उन्हें दूसरे-दूसरे काम दे दिये। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूँ कि जुडिशियल कमेटी जो हमने बनाई है उसने यह तय किया कि जो ज्यादा

लोग हैं उन्हें दूसरी जगह एब्जार्व किया जाये, इस तरह से यह स्टेज तो हमारे सामने खत्म हो गई लेकिन सवाल यह उठा कि जो अधिकारी ज्यादा वेतन पा रहे थे उन्हें वही वेतन दिया जाये या नहीं, तो इसके लिये यह तय किया कि उन्हें वही तनख्वाह दी जाये, चाहे उन्हें काम रहे या नहीं। उन्हें हम यह तो नहीं कह सकते कि घर चले जाओ। आखिर सब अधिकारियों को कुछ न कुछ काम तो देना पड़ेगा। दूसरा स्टेज हमारे सामने यह है कि हमें केडर का कितना एस्टेब्लिशमेंट रखना है इस संबंध में भी हम विचार कर रहे हैं हमारे पास 63 एस्टेब्लिशमेंट थे, उनमें से 37 तय कर लिये गये हैं और अब 25 जो बच गये हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह काम भी जल्दी खत्म हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, तीसरी स्टेज हमारे सामने इक्वेशन की थी, बराबरी करने की। वैसे यहाँ का जो डिप्टी कलेक्टर है वह महाकौशल क्षेत्र के डिप्टी कलेक्टर के बराबर है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से हमने चर्चा की तो यह नतीजा निकला, जो अंग्रेजी में है। माननीय सदस्य ने अपना भाषण अंग्रेजी में दिया, इसलिये मैं भी अंग्रेजी में पढ़ देना चाहता हूँ। इक्वेशन इस प्रकार से तय की है जो इस प्रकार है :-

"It was agreed that in determining the equation of posts, the following factors should be borne in mind :-

(i) The nature and duties of a post;

(ii) The responsibilities and powers exercised by the officers holding a post, the extent of territorial or other charges held or responsibilities discharged;

(iii) the minimum qualifications, if any, prescribed for recruitment to the post;

(iv) the salary of the post".

CAREER COLLEGE BHOPAL
26922

अध्यक्ष महोदय, ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जिसमें इक्वेशन बराबर हो जाती है। अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यह कोशिश हो रही है कि हमारे जो 4 अंग हैं उनमें इक्वेशन बराबर किया जावे। भोपाल के डिप्टी कलेक्टर, महाकौशल के डिप्टी कलेक्टर के बराबर हैं या नहीं, इस संबंध में विचार किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय न लेकर जल्दी ही अपना वक्तव्य समाप्त कर दूँगा। जब इक्वेशन हो गया है फिर यह आता है कि जो अधिकारी हैं उनकी सीनियरटी कैसे जाँची जाये। मान लीजिये एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है उसमें चारों रियासतों के चार डिप्टी कलेक्टर हैं उनकी सीनियरटी कैसे जाँची जावे, उसके लिये भी केन्द्रीय सरकार ने नियम बना दिया है वह यह है कि :-

"It was agreed that in determining relative seniority as between two persons holding posts declared equivalent to each other, and drawn from different States, the following point should be taken into account :

(i) length of continuous service, whether temporary or permanent, in a particular grade, this should exclude periods for which an appointment is held in a purely stop gap or fortuitous arrangement,

(ii) age of the person; other factors being equal, for instance, seniority may be determined on the basis of age."

मेरे मित्र ने यह पाइंट खास तौर से उठाया था कि हर प्रान्त में सीनियरटी की जो लिस्ट बनी है उसमें जिसकी जो सीनियरटी है, उसमें परिवर्तन तो नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ यह तय हुआ था कि जब तक कोई खास वजह न हो वही की वही रहेगी। तो मैंने अर्ज किया - सरप्लस की बात तो खत्म हो गई, जहाँ तक केडर का सवाल है, 32 बन गये हैं, 25 अभी रह गये हैं, सीनियरटी का वह काम जारी है, पेचीदा काम है, करीब-करीब रोज ही हमारे सेक्रेटरिएट लेबल की जो कमेटी बैठती है, विचार करती है। शासन ने उसको आदेश दिया है, जितनी जल्दी हो इस काम को खत्म करें और उसके लिए जो सिद्धान्त हैं उस पर अमल करें। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यदि किसी मामले में, किसी व्यक्ति के मामले में, किसी इक्वेशन के मामले में, कोई गलती सेक्रेटरिएट लेबल पर है, उसको हम लेंगे, दूर करने की कोशिश करेंगे, वरना वह दूर हो जायेगी उस पर से जो दफा 115 है।

26922

अब मेरे मित्र अर्जुनसिंह ने बहुत-सी बातें अलग-अलग सुझाई हैं। उनका मैं हर एक का जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि आपने फरमाया कि इस विधानसभा को इसमें चर्चा का हक है या नहीं है। मैं तो विधानसभा का सेवक हूँ लेकिन जहाँ तक इक्वेशन और सीनियरटी का सवाल है यह एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है, एक्जीक्यूटिव मामला है, विधानसभा में ऐसे मामले नहीं आते हैं। उनके लिए केन्द्रीय सरकार ने इंडिपेन्डेन्ट जुडीशियल कमेटी बना रखी है, अखबारों में छपेगा, होगा तो पटल पर रख दूँगा उसमें मुझे ताम्मुल नहीं है।

अब रहा सवाल तनख्वाहें कौन-सी दी जायें, मामूली तौर पर कहा जाता है, चारों राज्यों की एक तनख्वाह हो, चार राज्य हैं, कर्मचारियों की चार श्रेणियाँ हैं, 1,2,3,4 जहाँ तक चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का प्रश्न है हमने निर्णय कर लिया है जो कुछ बन पायेगा 1-11-56 से तनख्वाह उनकी रखी जावेगी। जब से नया प्रान्त बना है। मैं यह भी कह दूँ इस सिलसिले में कि यह बात तय हो गई कि जो तनख्वाह मिलती है और जो किसी प्रान्त में किसी पद के मुताल्लिक वेतन या एलाउन्सेज हैं, उसमें किसी किस्म की हम कमी नहीं कर सकते, एक सवाल, जहाँ तक कि नम्बर 4 कर्मचारी हैं उनका यह हो गया है कि 1 नवम्बर 1956 से हो, बाकी 3,2,1 नॉन-गजेटेड और गजेटेड आफिसर्स हैं उनके मुताल्लिक यूनिफार्मिटी के हिसाब से जो तनख्वाह रखी जाती है वह लागू कब से होगी उसके लिए अभी कोई निर्णय नहीं किया है क्योंकि निर्णय करने के ऊपर उसमें रुपये पैसे का मामला है और हम सोचेंगे कि कैसे किया जाये, कितना किया जाये, किसकी तनख्वाह क्या हो, किसकी तनख्वाह कम है, किसकी ज्यादा है। एक तरफ तो यह होता है कि जिस प्रान्त में सबसे ज्यादा तनख्वाह हो वह इस प्रान्त में लगा दी जाये। मान लीजिये आप कि किसी क्लर्क की तनख्वाह भोपाल में 100 रुपये है और प्रांतों में 80-80 रुपये तनख्वाह है तो कहा जाता है कि साब भोपाल की 100 रुपये है इसलिये हमारी भी 100 रुपये कर दीजिये जहाँ कम है, कम तो नहीं करते 100 है तो 100 जरूर करना, इसलिये यह तय नहीं कि तनख्वाह पहली तारीख से रखी जाये या और किसी तारीख से।

तीसरा पाइण्ट आपने कहा है अपने विन्ध्यप्रदेश की बात। मैं विन्ध्यप्रदेश की बात नहीं करता, प्रान्तों में कहा जाता है मुमकिन है किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, यानी 31 अक्टूबर से पहले हर एक प्रान्त का अपना-अपना शासन था। क्या सवाल में थोड़ा-सा इशारा यह है कि प्रान्त तो जा रहे थे तो उसके साथ मुमकिन है किसी अधिकारी के साथ कोई रियायत हुई हो और उसको नम्बर 10 से उठाकर नम्बर 4 पर कर दिया गया हो तो हम क्या करें। जवाब मेरा यह है, जैसा मैंने पढ़कर सुनाया, जहाँ तक इन्टर स्टेट का कारण है उस प्रान्त की लिस्ट सीनियरिटी की बनी हुई है, वह हम मानेंगे। 31 अक्टूबर के ऊपर कोई ऐसा केस हो जिसमें बहुत जबर्दस्त अन्याय हुआ हो, ज्यादती हुई हो तो उस पर विचार करने का हर वक्त अधिकार है, उसको देखेंगे। मगर उसूल यही है कि रखे वही जायेंगे जो कि होना चाहिए। नम्बर 4 आपने उठाया कि सीनियरिटी किस तारीख से ली जायेगी, वह मैंने पढ़कर सुना दिया है। एज है, सेलरी है, सब कुछ है। आप पूछें, आम तौर पर यह रहेगा कि सीनियरिटी मानी जाएगी कि कितनी आपकी सर्विस लम्बी है, कितने वर्ष की है और परमानेंट कितने वर्ष से हैं। यह बाकी सबके लिये एक्सेप्शन अलग-अलग है और यह जो लिस्ट बनेगी उस लिस्ट में सीनियरिटी के लिये ग्रेडेड एपाइन्टमेंट हैं, सब के लिये रखा जायेगा। मुमकिन है कि कोई यहाँ डिप्टी कलेक्टर कहलाये और दूसरी जगह कुछ कहलाये। फिर आपने फरमाया है कि एक सुपरिन्टेन्डेंट, मैं नाम नहीं लूँगा, का पे स्केल तो देखिये आप। मैंने जवाब दिया कि पे स्केल एक चीज है जिस पर विचार किया जा रहा है और जहाँ तक सुपरिन्टेन्डेंट का जो बताया, अब मैं सामने रखना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या है कि सेक्रेटिरिएट के सुपरिन्टेन्डेंट जो मध्यभारत के थे, उनकी तनख्वाह थी 150 से 225 तक, महाकौशल में 250 से 450 तक, विन्ध्यप्रदेश में 200 से 350 तक और भोपाल में है 200 से 250 तक, तो इन सब पर विचार करना है कि यहाँ पर क्या रखा जाये। वह मौजूदा में तो कमी न होगी आइन्दा के लिये क्या रखा जाये, इस पर विचार किया जायेगा।

अन्तिम जो बात आपने कही वह यह कि भोपाल, मध्यभारत के जो लोग हैं उनमें अपर डिवीजन क्लर्क

किस हिसाब से लगाये जायें, तो हमारे यहाँ महाकौशल और विन्ध्यप्रदेश में भी (1) सुपरिन्टेन्डेंट (2) यू.डी.सी. फर्स्ट ग्रेड (3) यू.डी.सी. सेकन्ड ग्रेड और (4) एल.डी.सी. थे। मध्यभारत और भोपाल में इन चार श्रेणियों की तीन ही रखी थीं। (1) सुपरिन्टेन्डेंट (2) असिस्टेंट और (3) लोअर डिवीजन क्लर्क। अब इन सबको सामने लाना है और यह करना है कि किस तरीके से यह मिलाए जायें।

मैं आपका बहुत एहसानमन्द हूँ कि आपने इन सब चीजों को अलग-अलग साफ-साफ रख दिया। यह एक इशारा होता है काम चलाने का, यह भी कहते हैं कि इन्टीग्रेशन का काम धीरे-धीरे चलता है तो ठीक है। यह बैलगाड़ी है धीरे-धीरे चलती है। चारों प्रान्तों को एक साथ मिलाना है उनका इन्टीग्रेशन है। बड़ा मुश्किल पड़ जाता है।

एक पाइण्ट है आपका नं. 7। यह आपने विन्ध्य के लिये खासतौर पर लिखा है कि विन्ध्यप्रदेश के अण्डर सेक्रेटरी का क्या होगा। मैंने जवाब दे दिया कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा। पर यह तो लिखा गया है कि अगर किसी डिपार्टमेंट को वाइन्ड-अप कर दिया जायेगा तो उनका क्या होगा? अगर हम किसी डिपार्टमेंट को कम करेंगे और उसमें जो कर्मचारी होंगे तो उनको किसी को नुकसान न होगा। उनको पूरी तनख्वाह मिलेगी। उनकी परमानेंट सर्विस रहेगी।

हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते। जल्दी करना चाहते हैं। हमने शासन को हिदायत दे दी है कि तुरन्त इस काम को खत्म किया जाये। यह किताब का चैप्टर जो है बन्द कर दिया जावे।

मैं अन्त में यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सभी कर्मचारियों के, सभी अधिकारियों के और माननीय विधानसभा सदस्यों के, जहाँ तक बन पड़ेगा जहाँ तक मेरे ध्यान में है, इस मामले में पूरा-पूरा न्याय होगा। कोई पक्षपात नहीं होगा। मैं कभी पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है। कहते हैं महाकौशल को क्या मिल जाये, मालूम नहीं? ज्यादा मिल जाये। मध्यभारत वालों के साथ ज्यादा रियायत हो जायेगी। यह बात यहाँ नहीं रहेगी। यह शासन इस बात को गवारा नहीं करता। हर एक पदाधिकारी का जो मामला होना चाहिये, जो नियम बनते हैं उसी के मुताबिक होगा। अगर किसी अधिकारी के साथ ज्यादती हुई है, वह अपील पेश करें। वहाँ से न्याय होगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/29 नवम्बर, 1957/पृष्ठ 1137 से 1145 तक)

मध्यप्रदेश विधानसभा में श्री अर्जुनसिंह ने अपने प्रारंभिक राजनैतिक जीवन में ही विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं। यहाँ उनके द्वारा पूछा गया बैंक संबंधी प्रश्न, उसके उत्तर तथा पूरक प्रश्नोत्तर :-

श्री अर्जुनसिंह : (a) Will the Hon'ble Finance Minister be pleased to state whether the Government has any shares in and control over the Bank of Baghelkhand and Rewa, and who are the other share-holders of the Bank and what are the respective values of their shares? (b) Whether this Bank is being amalgamated with the State Bank of India? (c) If so, what compensation will be paid to the share-holders? (d) What shall be the position of the employees of this Bank after its amalgamation?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : (क) शासन को जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार बघेलखण्ड बैंक की सारी पूँजी भारत सरकार में निहित हो गई है। जहाँ तक ज्ञात है 4,000 पूँजी के हिस्से चीफ कमिश्नर, विन्ध्यप्रदेश के नाम में थे, वे वैधानिक परिवर्तनों के कारण अब भारत सरकार के नाम से हो गये हैं। ऐसा मालूम हुआ है कि बाकी के 310 हिस्से भी जिनमें से 30 हिस्से श्री रामनारायण सर्राफ की बेवा के नाम से और 280 हिस्से कलेक्टर रीवा के नाम से थे उनकी भी कीमत चुकाने का नोटिस भारत सरकार की ओर से दे दिया गया है। कलेक्टर रीवा के नाम से टी.बी. फण्ड के हिस्से हैं और इसकी रकम मिलने पर मेडीकल डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। (ख) बघेलखण्ड बैंक को मिला देने के सम्बन्ध में राज्य शासन को निश्चित जानकारी नहीं है लेकिन जहाँ तक खानगी हिस्सों का प्रश्न है सम्भवतः उनकी रकम भारत सरकार वापस देगी। (ग) राज्य शासन को इस सम्बंध में कोई निश्चित जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इण्ट्रीग्रेशन के पूर्व इस बैंक में विन्ध्यप्रदेश गवर्नमेंट के शेयर्स थे और विन्ध्यप्रदेश गवर्नमेंट का उसके मेनेजमेंट पर कन्ट्रोल रहता था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : जो बैंक अपने स्टेट में रजिस्टर होते हैं क्या उन पर शासन का नियंत्रण नहीं होता?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इस बैंक का शासन केन्द्रीय सरकार के हाथ में है।

श्री अर्जुनसिंह : इण्ट्रीग्रेशन के पूर्व से या इण्ट्रीग्रेशन के बाद से?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इण्ट्रीग्रेशन के बाद से।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इस बैंक के मिलाये जाने के बाद उसके कर्मचारियों की ओर से कोई अपील या एप्लीकेशन शासन के पास आई है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जानकारी नहीं है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/ 2 दिसम्बर, 1957/पृष्ठ 1159, 1160)

1 नवम्बर 1957 के मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों की सेवा के संबंध में एक आदेश प्रसारित हुआ।

उक्त राजपत्र में प्रकाशित आदेश के खिलाफ सदस्य श्री अर्जुनसिंह और सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी ने विधानसभा प्रक्रिया के नियम 127 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखा कि "इस सदन का मत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनाँक 1 नवम्बर 1957 के मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों के सेवा के सम्बंध में जो आदेश प्रकाशित किया गया है उसे तत्काल वापस लिया जावे।"

इस प्रस्ताव के मूल प्रस्तावक हैं श्री अर्जुनसिंह। अध्यक्ष महोदय ने पहले प्रस्ताव पढ़ने और बोलने के लिए श्री जगदीशचन्द्र जी जोशी से कहा। श्री अर्जुनसिंह बाद में बोले। श्री अर्जुनसिंह के इस वक्तव्य को पढ़ने से लगता है कि उनका संवैधानिक मामलों पर कितना गहन अध्ययन है। अपने विषय को, अपने विचारों को वे किस तरह अधिकारपूर्वक धाराप्रवाह प्रस्तुत करते हैं। श्री अर्जुनसिंह का यह भाषण पठनीय ही नहीं वरन सन्दर्भ के लिए उदीयमान नव संसदवेत्ताओं की सन्दर्भ पुस्तिका में अंकित करने योग्य है-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को हमारे मित्र श्री जोशी के साथ देने का एक मुख्य कारण यह था, जैसा कि हम देख रहे थे कि इस सदन को इन बातों पर विचार करने के लिये कोई उचित अवसर ही नहीं आ पाया। जिन कारणों से यह मौका नहीं आ पाया है, उनको काफी अच्छे तरीके से हमारे मित्र ने बता दिया है। मैं इस पहलू को सिर्फ एक दृष्टि से देखना चाहता हूँ और उसे सदन के सामने और शासन के सामने रख देना चाहता हूँ क्योंकि एक रिप्रेजेण्टेशन केरेक्टर से, एक चुनाव की पद्धति से सदन में चुने जाने के कारण उस पर इसकी जिम्मेदारी है। इसी कारण से मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि इस बात को हमें दो पहलुओं पर देखना पड़ेगा। एक तो कानूनी पहलू से और दूसरा जैसा कि हमारे मित्र ने बताया है कि उसकी मौलिकता पर विचार करना पड़ेगा। उसमें यह देखना पड़ेगा कि यह कानून उन अधिकारों पर कहाँ तक आघात करता है। आज हम ही नहीं, हमारे पूर्वज भी सदैव से अपने अधिकारों को पाने के लिये त्याग और तपस्या करते रहे हैं। अनगिनत शहीदों के मरने के बाद यह भारत में जो शासन स्थापित हुआ है वह यह नहीं कह सकता कि उसको आज अधिकार देवताओं के दिये हुए हैं। सत्य तो यह है कि ये अधिकार इस देश के जनमत का दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको 10 मिनिट से ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री अर्जुनसिंह : मेरा भी तो प्रस्ताव है।

अध्यक्ष : आपको मालूम होना चाहिए कि इस विषय के लिये बहुत ही सीमित समय रखा गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक लिंगुस्टिक सवाल है उसके सम्बंध में आर्टिकल 19 की व्याख्या

कर दी गई है, अब उसमें कुछ मुझे बढ़ाना नहीं है, सदन स्वयं उस पर विचार करेगा। मुझे तो राज्य पुनर्गठन विधान पर विचार करना है, उसकी धारा 115 को लेकर उसकी सफाई शासन से कराना है कि शासन इस बात को सामने रखे कि क्या उसको सर्विसेज कण्डक्ट रूल द्वारा इन मसलों पर अपना कुछ मत देने या टाँग अड़ाने का अधिकार है? यदि अधिकार नहीं है तो फिर उसने ऐसा विधान सामने क्यों रखा है? धारा 115 (7) के प्रॉवीजनों में लिखा है कि-

Provided that the condition of service applicable immediately before the appointed day to the case if any person referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall not be varied to his disadvantage except with the previous approval of the Central Government.

अध्यक्ष महोदय, सब-सेक्शन (1) इस प्रकार है-

115 (1) Every person who immediately before the appointed day is serving in connection with the affairs of the Union under the administrative control of the Lieutenant Governor or Chief Commissioner in any of the existing States of Ajmer, Bhopal, Coorg, Kutch and Vindhya Pradesh, or is serving in connection with the affairs of any of the existing States of Mysore, Punjab, Patiala and East Punjab States Union and Saurashtra, shall, as from that day, be deemed to have been allotted to serve in Connection with the affairs of the successor State to that existing State.

इसी तरह की सब-सेक्शन (2) भी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अध्यक्ष महोदय, कि जब स्टेट्स का इन्ट्रीग्रेशन हुआ और उनसे जो मध्यप्रदेश राज्य बना, उसके पास जितने इन्ट्रीग्रेशन स्टेट्स के मुलाजिम थे, उनकी सेवाएँ उनको ट्रान्सफर हुईं, उस एप्वाईमेंट डेट पर हुईं और इससे पहले उन पर ऐसे सर्विस कण्डक्ट रूल्स लागू थे जिनके अधीन उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे मालूम है विन्ध्यप्रदेश रीजन में स्टेट इन्ट्रीग्रेशन के पहले ऐसा कोई अधिनियम नहीं था जैसा कि राज्यपाल महोदय ने 1 नवम्बर 1957 को लागू किया है। क्या इस अधिनियम को लागू करने के पहले माननीय राज्यपाल महोदय ने केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली थी? क्योंकि इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि जो अधिनियम लागू किया गया है वह एक प्रकार का सर्विसेज पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसा कि गजट में लिख दिया गया है कि

The Governor of Madhya Pradesh is further pleased to order that the above rules apply to all classes and categories of Government servants serving in connection with the affairs of the State, and with effect from the date of publication of the order in the official Gazette. be also deemed to have been incorporated in the Government servants Conduct Rules (a) of the former States of Madhya Pradesh, Madhya Bharat and Rajasthan in their application to the areas forming part of Madhya Pradesh and (b) of the former States of Vindhya Pradesh and Bhopal.

अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से चाहता हूँ कि इस बात की सफाई कर दे। अगर राज्यपाल महोदय ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट की अनुमति ले ली है तो मैं मानता हूँ मेरा प्वाइंट ठीक नहीं है, लेकिन अगर अनुमति नहीं ली गई तब तो यह अधिनियम अवैधानिक है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि जैसा कहा गया है कि सर्विसेज का कन्ट्रोल करने का अधिकार शासन को होना चाहिये- मैं इस बात को भलीभाँति मानता हूँ कि गवर्नमेंट का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। उसके लिये कुछ न कुछ अधिकार इस विधानसभा को देना पड़ेगा। ठीक है, अनुच्छेद 309 में जो अधिकार दिये गये हैं, मैं चाहता हूँ शासन उनका पालन करे लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी शासन से कह देना चाहता हूँ कि जिस समय सर्विस रूल लागू करे तो वह यह भी देखे कि कि जो फण्डामेंटल राइट्स कॉन्स्टीट्यूशन में दिये गये हैं, जिसकी पृष्ठभूमि सैकड़ों हजारों वर्षों के मानव अधिकारों के संघर्ष में है, उनका उल्लंघन

न हो जाये, इस पर ध्यान देना चाहिये।

मैं नम्र प्रार्थना करता हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि शासन ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे ही देश में, हमें इंग्लिश मुल्क की अथॉरिटीज कोट करने की आवश्यकता नहीं है। सर्विस कण्डक्ट रूल के ही अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट की हमारे यहाँ एक रूलिंग है। ए.आई.आर. 1954 सुप्रीम कोर्ट 202, राजकिशन सर्वेज विनोद का जिक्र करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया है कि गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि किसी भी पोलिटिकल फील्ड्स के आदमी का नॉमिनेशन पेपर प्रपोज कर सकता है, इलेक्शन के वक्त और पोलिंग एजेण्ट की हैसियत से उसमें काम कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है। इस मत के व्यक्त करने का एक खास कारण था। उन्होंने यह खूब अच्छी तरह से देखा कि सर्विस कण्डक्ट रूल के अन्दर शासन का अधिकार होना चाहिये, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि जो व्यक्ति सर्विस के अन्दर हैं, वे भी इस देश के नागरिक हैं और इस नागरिकता के उन्हें मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। इस मूलभूत अधिकार से उन्हें कहाँ तक रोका जा सकता है? इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबन्दी लगाई है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजनैतिक क्षेत्र में यह होल्ड किया गया है तब अब शासन जो यह कहता है कि सर्विसेज पोलिटिकल फील्ड के लिये नहीं बल्कि अपने लिये भी कुछ कहना चाहें तो नहीं कह सकते। तब देखना पड़ेगा कि शासन कहाँ तक न्याय पर चल रहा है और कहाँ तक मनमानी कर रहा है? क्योंकि इसमें एक शब्द डिमांस्ट्रेशन का ऐसा है। वैक्सफोर्ड डिक्शनरी में डिमांस्ट्रेशन की मीनिंग लिखी है-

Demonstrate means-
- To point out,
To indicate,
To make evident,
To exhibit.

यह डिमांस्ट्रेशन के माने डिक्शनरी में हैं।

अध्यक्ष महोदय, सर्विस के दौरान में हो सकता है किसी मुलाजिम के सामने ऐसी कोई बात आ जाये जबकि उसे अपने अधिकारी के पास कुछ निवेदन करने के लिये जाना पड़े और उस समय वह कहता है कि आपने हमारे सर्विस रोल में एडवर्स एण्ट्री कर दी है, उसके लिये मैं आपके सामने कुछ डाक्यूमेंट रखना चाहता हूँ और वह वेलिड डाक्यूमेंट हैं जो कि आपके आफिस में ही मौजूद हैं। इसलिये आप उनका मुलाहिजा कर लें और उनको देखने के बाद आपने जो हमारे सर्विस रोल में एडवर्स एन्ट्री की है उसको सुधार दें। अध्यक्ष महोदय, उस कर्मचारी को जवाब मिल सकता है कि आप यह डिमांस्ट्रेशन कर रहे हो। मैं यह कह देना चाहता हूँ कि इंग्लिश लॉ के अन्दर लिखा है कि-

Under English Law the right to strikes or the right of the subject to withhold his labour, so long as he commits no breach of contract or tort or crime is one of the important liberties of the subject. (Hilsburies Laws of England and, Hailsham Edition, Vol. VI, Page 392)

अध्यक्ष महोदय, यह शासन नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ के जो कानून हैं उनकी पृष्ठभूमि इंग्लिश कानून में नहीं है। हमारे यहाँ जितने कानूनों के मूलभूत सिद्धान्त हैं वह सब इंग्लिश कानून पर चलते हैं। यह बड़े शर्म की बात हो सकती है। पर बात तो सत्य है और जब ऐसी बात है तो शासन क्यों न उन्हीं पृष्ठभूमि पर चले?

अध्यक्ष महोदय, It must not be forgotten that Government derives its powers from men and that rights of life and liberty are inalienable, that these rights are not something that Government graciously confers upon men, but things no Government can take away from men. It must be plainly understood that it is respect for the dignity of the individual that most sharply differentiates democratic from totalitarian systems, Granted this basis principle, it follows that any conduct of the State that

impairs dignity of man is dangerous. And any argument that finds its ultimate sanction in force rather than in reason strikes at the integrity of the individual and thus at the basis of the principles of democracy.

हमारे यहाँ जो संविधान है, उसमें निगेटिव राइट नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में यह है कि किन मूलभूत अधिकारों का हनन शासन नहीं कर सकता। हमारे यहाँ नागरिक को जो मूलभूत अधिकार हैं उन्हें बिना reasonable cause के शासन restrict नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, It is passing strange that a Government which day in and day out swears by the gospel of socialism should seek devise ways and means to prey upon the weaknesses that only poverty breeds.

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 दिसम्बर, 1957/पृष्ठ - 1197-1199)

शासकीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों , आचरण आदि पर शासकीय आदेशों और उप-आदेशों को कानून की शक्ल देकर शासकीय कर्मचारियों पर असंवैधानिक बन्दिशें लगाने संबंधी सत्तापक्ष की मंशाओं पर कुछ सदस्यों ने भारी प्रहार किये। शासन ने अपना स्पष्टीकरण देते हुए घुमावदार भाषा में प्रतिपक्ष की दलीलों को उल्टा-सीधा भड़काने वाला करार दिया, तो संबंधित प्रस्ताव रखने वाले सजग सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने तुरन्त अपनी और प्रतिपक्ष की मंशा को स्पष्ट किया-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक क्लेरीफिकेशन कर दूँ, हम लोग आपके कॉन्स्टीट्यूशन राइट को क्लेम नहीं करते, उसको चैलेंज नहीं करते, आप अपने कॉन्स्टीट्यूशन राइट को अनकॉन्स्टीट्यूशनली एक्सरसाइज करें, उसको हम चैलेंज करते हैं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/2 दिसम्बर 1957/पृष्ठ 1205)

इसी विषय पर चर्चा आगे बढ़ी और श्री अर्जुनसिंह ने हस्तक्षेप किया, पूछताछ की-

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : तब उनके वैधानिक रास्ते कहाँ बन्द कर दिये? और विधान के अनुसार हम उनकी दिक्कत सुनने के लिये तैयार थे।

श्री अर्जुनसिंह : आर्टिकल 19 के कारण वायंड तो नहीं हुआ?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : नहीं हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : तब तो आप जो चाहें करें।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : तो इस तरह से हमने कर्मचारियों पर बंधन नहीं लगाया। एक तरफ तो कहते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में इफीशिएन्सी होनी चाहिए और दूसरी तरफ बंधन की बात कहते हैं और कर्मचारियों के कानों में गलत-गलत उपदेश देते हैं।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : उनके पेट भरेंगे तो वे किसी की सुनने को तैयार नहीं और यदि पेट नहीं भरेंगे तो सबकी सुनेंगे।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : नया मध्यप्रदेश बनने के बाद सरकार ने समय-समय पर सहूलियतें दी हैं और समय-समय पर उनकी उचित माँगों को स्वीकार भी किया है, उससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये और यदि उन्हें संतोष नहीं हुआ तो हमारे कर्मचारियों को तो इस बात का संतोष है कि उनकी उचित बातें मध्यप्रदेश सरकार स्वीकार करती चली जाएगी, इसलिये उचित और अनुचित का अनुपात माननीय सदस्य समझ गए होंगे।

शासन ने जो नियम बनाये हैं, वह शासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से हमारे यहाँ ठीक व्यवस्था हो, इस दृष्टि से बनाये हैं, यह नियम है और नियम कॉन्स्टीट्यूशन के फोर कॉर्नर्स (----------) के भीतर हैं। संविधान की कहीं भी अवहेलना नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी आपत्ति एस.आर.सी. की दफा 115 के आधार पर की गई कि केन्द्रीय सरकार से अनुमति ली गई है या नहीं। मैं कहता हूँ कि इस दफा का यह मतलब बिलकुल नहीं है कि केन्द्रीय सरकार की

अनुमति लेने की आवश्यकता है। इसके बनिस्बत में इन्ट्रीग्रेशन ऑफ सर्विसेज का जो मैनुअल है उसकी कुछ धाराओं की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूँगा, जिससे कि उनको संतोष हो जाएगा कि हमें केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेने की जरूरत है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से थोड़ा-सा अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ-

"It will be recalled that at the December Conference of State Representatives, in addition to the items dealt with in paragraph 2, the question whether any protection should be given in respect of rules and conditions applicable to Government servants affecited by re-organisation, immediately before the date of re-organisation, the matter of travelling allowance, discipline, control, classification, appeal, conduct, probation and departmental promotion was also considered. The Government of India agree with the view expressed on behalf of the State representatives that it would not be appropriate to provide for any protection in the matter of these conditions.

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ कहना चाहता हूँ कि -
manual cannot have a force of an Act.

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : उसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों के लोगों द्वारा व्यवस्था दी है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : पार्लियामेंट ने दी है या नहीं?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मैं अपने प्रस्ताव का प्रतिपादन कर रहा हूँ। मैं अगर कारण भी देता हूँ तो आप उसको सुनने के लिये तैयार नहीं हैं और उल्टे कहते हैं कि कारण नहीं बताएँ। इसके संबंध में अधिकारियों ने व्यवस्था दी है और इंटरप्रिटेशन के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने, दोनों ने मिलकर यह व्यवस्था दी है कि अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब मेरी मान्यता यह है कि उसकी पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान पृष्ठ 97 और 98 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैं इस एक्सट्रेक्ट को पहले ही पढ़ देना चाहता था लेकिन इण्टरप्शन के कारण नहीं पढ़ सका। इसमें जो दिया है वह इस प्रकार है-

"In respect of such conditions of service as have been specifically dealt with in the preceding paragraphs, it will be open to the State Governments to take action in accordance with the decisions conveyed therein and so long as State Governments act in conformity with these decisions they may assume the Central Government's approval in terms of the proviso to sub-section (7) of section 115 in the States Re-organisation Act"

श्री अर्जुनसिंह : क्या इसे पार्लियामेंट ने पास किया है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मेरा कहना है कि पार्लियामेंट में पास होने के बाद नियम का कोई इंटरप्रिटेशन होता है या नहीं। आपने अपने ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन लगा लिया है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/2 दिसंबर 1957/पृष्ठ 1206-1207)

बहस के अन्त में यह प्रश्न कि "इस सदन का मत है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनाँक 1 नवम्बर 1957 के मध्यप्रदेश राजपत्र में मध्यप्रदेश राज्य के कर्मचारियों की सेवा के संबंध में जो आदेश प्रकाशित किया गया है उसे तत्काल वापस लिया जावे।" इस विषय पर रिवीजन की माँग की गई और वह जैसा कि निश्चित था, प्रस्ताव के पक्ष में 38 मत आये तथा प्रस्ताव के विपक्ष में 97 मत आये और प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया।

आदिवासियों के संबंध में पूछा गया श्री अर्जुनसिंह का प्रश्न, उत्तर तथा पूरक प्रश्न :-

श्री अर्जुनसिंह : Will the Hon'ble Minister for Trible Welfare be pleased to state (a) Whether the Government has laid down Uniform Principles throughout the State

to determine whether a certain tribal area is fit to be declared a scheduled area as contemplated in Article 244 of the Constitution and what are these principles? (b) What is the percentage of Tribal population in those areas of this State which are already scheduled areas as defined in the Constitution? (c) Whether any areas in the V.P. Division of this State fulfil these conditions and whether the State Government has contemplated or contemplates in the near future to recommend to the President to declare them as scheduled areas.

राजा नरेशचन्द्र सिंह : (क) प्रश्न केन्द्रीय शासन के विचाराधीन है। (ख) साधारणतया 50 प्रतिशत (ग) भाग (क) के उत्तर के प्रकाशन में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री अर्जुनसिंह : अभी मध्यप्रदेश में क्या कोई शेड्यूल्ड एरियाज हैं।

श्री शिवभानु सोलंकी : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : जब शेड्यूल्ड एरियाज ऑलरेडी हैं तो वह किन्हीं आधारों पर ही कायम किये गये होंगे तो फिर कौन-सा प्रिंसिपल विचाराधीन है?

श्री शिवभानु सोलंकी : अब नये सिरे से राज्य पुनर्गठन के कारण शेड्यूल्ड एरियाज का निर्धारण होगा।

श्री अर्जुनसिंह : भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि साधारणतया 50 प्रतिशत, तो क्या यह सत्य नहीं है कि 50 प्रतिशत से कम आबादी पर भी मध्यप्रदेश में शेड्यूल्ड एरियाज हैं?

श्री शिवभानु सोलंकी : अभी हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक, पिछड़ापन तथा आवागमन आदि की स्थिति सब पर विचार कर हम उसे अभी निश्चित कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं पूछता हूँ कि 50 प्रतिशत से कम में भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं या नहीं?

श्री शिवभानु सोलंकी : होंगे।

श्री अर्जुनसिंह : होंगे नहीं, हैं या नहीं?

श्री शिवभानु सोलंकी : अभी निश्चित नहीं बता सकता।

श्री अर्जुनसिंह : बाकी जो अभी विचाराधीन है वह कब तक फाइनलाइज हो जायेगा?

श्री शिवभानु सोलंकी : इसके लिये किन-किन सिद्धान्तों की सिफारिश होनी चाहिये, इन सब बातों की जानकारी मँगाई गई है और उसके आ जाने के बाद ही कुछ फाइनलाइज हो सकेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/4 दिसंबर, 1957/पृष्ठ 1372-1373)

26 नवम्बर 1957 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचना दी कि "आज मेरे पास सात अविश्वास के प्रस्ताव की सूचनाएँ आई हैं। उनमें से एक 28 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित है, परन्तु उसको मैं नियम 127 के अधीन नियमानुकूल नहीं मानता, इसलिये मैं उसे न पढ़ूँगा। शेष 6 प्रस्तावों की सूचना क्रमशः श्री तामस्कर, श्री चन्द्रप्रताप तिवारी, श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय, श्री बसन्त सदाशिव प्रधान, श्री जगदीशचन्द्र जोशी तथा श्री विमलकुमार चौरड़िया द्वारा दी गई है। अब मैं प्रथम श्री तामस्कर की सूचना में दिया प्रस्ताव पढ़ता हूँ। वह प्रस्ताव इस प्रकार है-

"श्री कैलाशनाथ काटजू के नेतृत्व में चलने वाले मंत्रिमंडल पर सदन अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

अध्यक्ष महोदय ने आगे कहा कि मैं इस सूचना को नियमानुसार मानता हूँ। अतः श्री तामस्कर के प्रस्ताव के लिये जो सदस्य सहमत हों वे खड़े हों।

चूँकि 36 माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए सदन द्वारा इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी गई।

"अब मैं चाहूँगा कि माननीय तामस्कर जी जिन कारणों पर यह अविश्वास प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं वे कल शाम के 6 बजे तक उनको मुझे दे दें। उनसे कारण आ जाने पर ही मैं दिन निश्चित

करूँगा, जिस दिन इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। अब चूँकि इस प्रस्ताव को सदन ने अनुमति दे दी है इसलिये इसी विषय के शेष प्रस्ताव लाने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।''

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 नवम्बर 1957/पृष्ठ-773-74)

28 नवम्बर, 1957 को माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि ''मुझे सदन को एक बात जाहिर करनी थी कि अविश्वास प्रस्ताव के प्रस्तावक सदस्य ने कुछ मुझे उन कारणों की एक प्रतिलिपि दे दी, जिनके आधार पर इस प्रस्ताव पर वे चर्चा करना चाहते हैं। अब मैं दिनाँक 4 और 5 के शुरू के दो घन्टे इस चर्चा के लिये मुकर्रर करता हूँ।''

अध्यक्ष द्वारा निश्चित तिथि और समय पर मंत्रिमंडल के खिलाफ रखे गये अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर पहली बार चुनकर आये नौजवान निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। वे एक परिपक्व गंभीर संसदवेत्ता की तरह बोले। उनका वक्तव्य ठोस और प्रामाणिक आरोपों पर आधारित था। उन्होंने सदन में विरोधी दल के नेता की हैसियत से मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखने और उस पर चर्चा प्रारम्भ करने की जिम्मेदारी का बड़ी कुशलता के साथ निर्वाह किया। उन दिनों सभी ने यह लक्ष्य किया कि श्री अर्जुनसिंह एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ के रूप में उभर रहे हैं।

निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए चुनौती भरे आरोप शासन के सिर पर मढ़ने शुरू किये तो सत्तापक्ष तिलमिला उठा। एक सदस्य ने तो ''प्वाइण्ट ऑफ आर्डर'' के जरिये अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया कि श्री अर्जुनसिंह का भाषण लम्बा हो रहा है। एक सदस्या तो उनके तीखे प्रहार से ऐसी विचलित हुईं कि उन्होंने श्री अर्जुनसिंह के पिताश्री की याद दिलाई कि उनके (श्री अर्जुनसिंह जी के) पिता को भ्रष्टाचार के मामले में घूसखोरी के अपराध में दण्डित किया गया था और वह हथकड़ियाँ पहनाकर जेल भेजे गये थे।

इस सन्दर्भ में श्री अर्जुनसिंह जरा भी विचलित नहीं हुए। वे बड़ी दबंगता के साथ बोले कि ''अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है और आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरे पिता दण्डित हुए हैं। कम से कम उनमें एक मर्द की तरह सब कुछ बर्दाश्त करने का साहस तो था और वे कानून की महाशक्ति के आगे झुके नहीं। वे यहाँ-वहाँ राजनैतिक संरक्षण के लिये घिघियाते नहीं फिरे।''

बहस के दिन जो लोग सदन में उपस्थित थे वे श्री अर्जुनसिंह के साहसिक और तर्कपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत अभिभूत हुए-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय सदस्य का पूरा भाषण सुनने के बाद दो प्रमुख चीजें मालूम हुईं। एक तो यह कि वे समझते थे कि यह अविश्वास का प्रस्ताव लाने लायक नहीं था और इसके मेरिट्स में जाकर उन्होंने कहा कि यह हो सकता था, यह क्वेश्चन के जरिये पूछा जा सकता था, इसके लिये शासन से कहा जा सकता था, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, कि मंत्री लोग बोलेंगे वह तो हम सुनेंगे लेकिन बाकी जो सदस्य बैठे हुए हैं उनके पास इस प्रस्ताव का केवल एक जवाब है और वह जवाब है ''प्वाइण्ट ऑफ आर्डर।'' तो अगर प्वाइण्ट ऑफ आर्डर से जवाब देना चाहते हैं तो हम सुनेंगे आप उठाइये प्वाइण्ट ऑफ आर्डर।

श्री गौतम शर्मा : अभी जो माननीय सदस्य बोले वह भी प्वाइण्ट ऑफ आर्डर ही था?

श्री अर्जुनसिंह :जी हाँ। तो मेरा यह निवेदन है कि मैं पुलिस और डाकू समस्या से उत्पन्न परिस्थितियों पर कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह सबको मालूम है कि पुलिस की स्थापना दो सिद्धान्तों को लेकर होती है। एक तो यह कि पुलिस का पहला काम है क्राइम्स को प्रिवेण्ट करना, कोई अपराध न हो सके, यह तो

पुलिस का मुख्य काम है। फिर अगर ईश्वर की मर्जी ऐसी हो और अपराध हो गये तो तत्काल अपराधी को पकड़कर उसे सजा दिलाने के लिये अदालत को सौंपना उसका दूसरा काम है। मैं सदन के सामने कुछ ऐसी बातों को रखूँगा जिससे मैं यह तो नहीं कहता कि ऐसा साबित हो जायेगा कि ये उस प्रिन्सिपल का पालन करने में असमर्थ रहे लेकिन सन्देह उत्पन्न हो सकता है जनता में कि इन दो मूलभूत बातों का पालन पुलिस नहीं कर रही है। तब इसके लिये हमारे सदन और मंत्रिमंडल को कुछ सोचना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं गत सत्र की अधिकृत विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 888 की ओर सदन का ध्यान ले जाना चाहता हूँ जिससे हमारे मध्य इन्दौर से आये हुए माननीय काँग्रेस सदस्य श्री बाबूलाल पाटौदी ने कहा था- "अध्यक्ष महोदय, मैं शहरों की बात कहता हूँ। मैं स्वयं इन्दौर नगर से चुनकर आया हूँ। जिसको हम कहते हैं कि मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा नगर है, जहाँ राजनैतिक जागृति काफी है, वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके खिलाफ मैंने नहीं, हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने भी, जो मेरे साथ ही इंदौर से चुनकर आये हैं, एस.पी. से शिकायत की कि वहाँ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो नागरिक अशान्ति पैदा कर रहे हैं, जो जन-जीवन की सुरक्षा में आघात पहुँचाते हैं। परन्तु अध्यक्ष महोदय, अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि सैकड़ों शिकायतें एस.पी. के पास, डी.आई.जी. और होम मिनिस्ट्री में भेजने के बाद भी आज तक उन शिकायतों पर कोई गौर नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो शहर की सुरक्षा को खतरे में डालने का प्रयत्न नित्य-प्रति कर रहे हैं, हमारी माँ, बहिन, बेटियों की इज्जत और हमारे जान-माल पर हमेशा हाथ डालने को तैयार हैं और हम कुछ नहीं कर सके, इससे अधिक अफ़सोस की बात क्या हो सकती है।"

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से एक शब्द भी नहीं कहना चाहता हूँ। मैं शासन से केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर माननीय सदस्य श्री पाटौदी सही कह रहे थे तो जब इस प्रदेश के वित्त मंत्री ने ऐसी शिकायत की थी.....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) अध्यक्ष महोदय , मैं माननीय सदस्य को इण्टरफियेर नहीं करना चाहूँगा लेकिन जो कुछ पाटौदी साहब का बयान उन्होंने पढ़ा है उसमें मेरा नामोल्लेख किस रूप में हुआ है, उसको गलत इण्टरप्रेट न करना चाहिये। उसको मेरे लिये आप इण्टरप्रेट करें इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती।

श्री अर्जुनसिंह : मैं सहर्ष मानता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी की बात को। मैंने तो पढ़कर सुनाया है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैंने एस.पी. से कोई रिपोर्ट नहीं की।

श्री अर्जुनसिंह : ठीक है पाटौदी जी, आप नोट कर लीजिये, वित्त मंत्री जी ने कोई शिकायत नहीं की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह पूछना चाहता हूँ, मैं वित्त मंत्री जी का नाम नहीं लूँगा, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा कि अगर काँग्रेस दल के प्रमुख व्यक्तियों की ओर से ही ऐसी शिकायत हो तो यह अन्दाज करने की बात है, अध्यक्ष महोदय, कि साधारण नागरिकों की ओर से की गई शिकायतों पर क्या होता होगा? यह गौर से सोचने की बात है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक और जघन्य और इम्पोरटेंट चीज सदन के सामने रखना चाहता हूँ जिसकी नोटिस माननीय गृह मंत्री जी को दे दी है। मैं मानता हूँ कि किसी पुलिस अधिकारी का नाम लेकर किसी कार्य को कहना इस तरह से न्यायपूर्ण न होगा क्योंकि उन कर्मचारियों की बहुत-सी सीमाएँ होती हैं, अध्यक्ष महोदय, जिस विषय में, मैं कहना चाहता हूँ वह एक पत्र है। उस पत्र की एक फोटोस्टेट कापी है उसको मैं सदन के पटल पर रखता हूँ। इसकी सूचना मैंने माननीय मंत्रीजी को लिखकर दे दी है। वह पत्र बलवीरसिंह, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट शिवपुरी का लिखा हुआ है और वह पत्र इस प्रकार है -

प्रायवेट एण्ड परसनल, //श्री// शिवपुरी 20-7-57

श्री रामशरणसिंह जी, नमस्ते,

"आपके पास यह पत्र लेकर श्री कोकसिंह साहबपुरा सुल्तानसिंह आ रहे हैं। आपके यहाँ की डकैती के मामले में आपने पुतईसिंह पुत्र नरायनसिंह को गिरफ्तार कर रखा है ये अपने रिश्तेदार हैं। आप इस बारे में ठा. सा. कोकसिंह जी से बातचीत करके, मालूमात करके वह जैसा बतावें कार्यवाही करने का कष्ट करें। वैसे तो मैं स्वयं भिण्ड तक इस बारे में आता व तुमसे कहता, मगर ऑपरेशन में बिजी होने के कारण नहीं आ सकता हूँ इसलिये पत्र भेज

रहा हूँ। आप इस लड़के की जैसे भी हो सके, जमानत करा दें। यह अपना निजी काम समझना।

आपका शुभचिन्तक
बलवीरसिंह

मैं किसी एक कर्मचारी के प्रति ऐसी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि सही बात यह है कि इस पत्र के लिखने की जिम्मेदारी केवल उस पर नहीं है, मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि कोई कर्मचारी इस तरह से ऐसे पत्र लिखेगा, जब तक कि उसकी पृष्ठभूमि राजनैतिक कुचक्रों की छाया में न हो।

"राज्य के कुछ भागों में व्याप्त डाकू समस्या के उन्मूलन के लिये पिछले कुछ सप्ताहों से मेरे शासन द्वारा उठाये गये दृढ़ कदमों से, विधानसभा के सदस्य निःसंदेह परिचित होंगे। विगत अनेक वर्षों से आर्थिक, ऐतिहासिक तथा राजनैतिक कारणों से विन्ध्यप्रदेश के कुछ भागों में, महाकौशल के सागर तथा दमोह जिलों में तथा चम्बल घाटी में यह समस्या वर्तमान है। यह हमको अपने अतीत से एक तरह से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है तथा इसका उन्मूलन वह सर्वोपरि कार्य है, जिसे मेरे शासन ने अब अपने हाथ में लिया है।"

तो अध्यक्ष महोदय, इस भाषण के दौरान में यह कहा गया है कि- "यह हमको अपने अतीत से एक तरह से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है।"

अब मैं अध्यक्ष महोदय, सतना से आये हुए माननीय विधायक श्री शिवानन्द के भाषण का उल्लेख करता हूँ। यह भाषण विधानसभा की गत सत्र की कार्रवाई की अधिकृत विवरण-पुस्तिका के पृष्ठ 368 पर है-

"अध्यक्ष महोदय, अब मैं डाकुओं की समस्या पर आता हूँ। डाकुओं के बारे में कहा जाता है कि इस काँग्रेस के शासन में डाकुओं की समस्या और ज्यादा बढ़ गई है बनिस्बत राजाओं के जमाने के। राजाओं के जमाने में भी इतनी समस्या नहीं थी। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि राजाओं के समय में राजा लोग खुद डाकू होते थे और डाके डालते थे। उस समय वे दूसरों को डाकू नहीं बनने देना चाहते थे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि डाकुओं को जो मदद देने वाले लोग हैं, वे ये ही राजे हैं। उल्टे ये लोग कहते हैं हमारे इलाके में डाका पड़ा। यानी कहने का मतलब कि दोनों तरफ से ये लोग काम करते हैं। इसलिये ऐसे राजाओं और जागीरदारों जिनकी आज जागीरें छीनी जा चुकी हैं, जिनके आज तमाम साधन छीने जा चुके हैं वे ही लोग आज इन डाकुओं की मदद कर रहे हैं और कहते हैं कि डाके डालो, यह हाल है।"

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं बिजावर से आये हुए विधायक ने पुलिस की चर्चा के विषय में भाग लेते हुए जो कहा है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : सब सुन चुके हैं।

श्री अर्जुनसिंह : जी नहीं, याद नहीं रहता है। भूल जाते हैं। कम से कम सुन तो लीजिये उन्होंने कहा है-

"मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र में लोगों को डकैतों के प्रति घृणा नहीं है वे तो डकैतों को बागी कहकर पुकारते हैं और लोग बड़ी इज्जत से उन्हें देखते हैं, क्योंकि वे लोग किसी का खून करके फरार नहीं हुए, परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से उन्हें यह गलत रास्ता अपनाना पड़ा।"

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक प्रश्नोत्तर की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रश्न है- (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि छतरपुर में डाकू देवीसिंह के गिरोह के एक सदस्य महीपसिंह ने श्री एल.पी. गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर और मजिस्ट्रेट छतरपुर के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन दिनाँक 8 मई 1957 को इस आशय का बयान दिया था कि छतरपुर के वकील श्री जंगबहादुर सिंह साक्षी के समक्ष दो बार देवीसिंह से मिले और गत साधारण निर्वाचनों में उसकी सहायता की याचना की?

श्री अ.स. पटवर्धन : प्वाइण्ट ऑफ आर्डर। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह प्रश्न सभा में नहीं पूछा, सदन में माननीय सदस्य ने उपस्थित होते हुए भी, तो ऐसे प्रश्नों की चर्चा माननीय सदस्य क्यों करते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ केवल उसका रिफरेंस दे रहा हूँ। मैंने इसकी नोटिस दे दी है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि 164 धारा के अधीन जो बयान दिया गया है, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं? तो क्या उस माफिक का बयान अदालत में हुआ है या नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : वह तो शासन ने खुद ही कहा है। तो प्रश्न था- (ख) क्या श्री जंगबहादुर सिंह का कोई संबंधी गत साधारण निर्वाचन में उम्मीदवार के रूप में लड़ा और किस पक्ष (पार्टी) से तथा उसका परिणाम क्या रहा? (ग) इस बयान के दिये जाने के पश्चात क्या शासन ने श्री जंगबहादुर सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है जैसा कि डाकू गिरोहों को अन्य आश्रय देने वालों, उनके सहायकों और साथियों के विरुद्ध की गई है? (घ) क्या यह सच है कि गत साधारण निर्वाचन के पूर्ववर्ती कुछ माहों से शासन को छतरपुर के जिला अधिकारियों से डाकू देवीसिंह के गिरोह के साथ श्री जंगबहादुर सिंह की कथित साजिश के बारे में लगातार प्रतिवेदन (रिपोर्ट्स) प्राप्त होते रहे थे।

इसका उत्तर दिया है। डॉ. कैलाशनाथ काटजू : "(क) हाँ, (ख) जंगबहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती गायत्रीदेवी गत साधारण निर्वाचन में बिजावर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा की सदस्यता के लिये उम्मीदवार के रूप में लड़ीं और निर्वाचित हुईं। (ग) श्री जंगबहादुर सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (घ) नहीं।"

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : मेरे प्रश्न का माननीय सदस्य ने जवाब नहीं दिया।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। शासन ने खुद जवाब दिया है। मैं इस पर कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहता। मैं शासन से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

श्रीमती गायत्रीदेवी : प्वाइण्ट ऑफ आर्डर। माननीय सदस्य ने एक दूसरे माननीय सदस्य के विषय में यहाँ पर कुछ चर्चा की है, उसके विषय में, मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण की अनुमति चाहती हूँ।

अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति दूँगा। जैसे ही माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें, आप माँग लीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रोसीडिंग को मैं सदन के सामने पढ़कर शासन से केवल यह प्रश्न पूछता हूँ कि जैसा माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि हमें यह समस्या विरासत में मिली है, क्या समस्या के साथ-साथ माननीय शिवानन्द के कथनानुसार आचरण भी विरासत में मिला है जिसका आक्षेप उन्होंने राजाओं पर लगाया था।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि अच्छा तो यह होता कि पार्टी इन माननीय सदस्य को अधिक समय दे देती।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज हम सब स्वतंत्र भारत की इमारत खड़ी कर रहे हैं, इस वक्त हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि यह नींव डालते वक्त ऐसा कोई काम न करें, जिससे कि सिर्फ एक धक्का लगे और यह इमारत ढह जाये।.....

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहना चाहता हूँ कि .....

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : क्या माननीय सदस्य वितंडावाद का अर्थ बतायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। इस संबंध में शासन की क्या नीयत है यह बिलकुल साफ है। मैं शासन को चुनौती देता हूँ कि अगर उसके हाथ इस मामले में साफ हैं तो वह एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति करे, जो सभी राजनैतिक दलों का डाकुओं से क्या संबंध है, उसकी जाँच करे और वह चाहे काँग्रेस का हो, सोशलिस्ट का हो, जनसंघ का हो या स्वतंत्र हो, उसे उचित दण्ड मिले। अगर शासन में यह करने की हिम्मत नहीं है तो कृपा करके वह अपनी सच्चाई की डींग हाँकना बन्द कर दे। इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि विश्व-इतिहास के मूक-पृष्ठ इस बात के साक्षी हैं कि जब कभी भी किसी देश के नेताओं ने उन मूलभूत सिद्धान्तों की अवहेलना की, जिनसे कि मानव समाज की ऐतिहासिक श्रृंखला बंधी है, तभी उस देश में भीषण क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। यह कहते हुए मुझे इस बात की चिन्ता नहीं है कि इस देश में भी एक ऐसी क्रान्ति होगी जो कि इन प्रतिक्रियावादी सिद्धान्तों और मनुष्यों को अपने झोके में बहा ले जायेगी, चिंता तो मुझे केवल इस बात की है कि भारतीय प्रजातंत्र के शैशवकाल में हम उन परम्पराओं और सिद्धान्तों को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं जिनकी आधारशिला पर एक प्रभावशाली और उन्नत राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस समाजवाद के आडंबर करने वाले शासन से मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवाद कोई तमाशा नहीं है कि ढोल बजाकर लाया जा सकता है।

समाजवाद का मूल आधार है सामाजिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की प्रतिक्रिया है लेकिन जिस समाज के नेताओं में व्यक्तिगत नैतिकता का अभाव हो उनके द्वारा समाजवाद जैसे उच्च नैतिक सिद्धान्त की पुष्टि कहाँ तक हो सकती है यह एक विचारणीय प्रश्न है।

श्री तुलाराम सगर : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य का भाषण लम्बा हो रहा है उनके लिए समय निश्चित कर दिया जाये।

श्री अर्जुनसिंह : Let not the future historians of India record that these architects of the nation, while building the superstructure of the temple of liberty in this land, whose foundations are cemented by the blood of our country's Martyrs, preferred to use the quicklime of political expediency, which are into the very vitals of the nation.

श्रीमती गायत्रीदेवी (बिजावर) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको सुनकर मुझे विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। हमारे मध्यप्रदेश के सभी माननीय सदस्यों पर जो डाकूग्रस्त क्षेत्रों से आये हैं यह आरोप लगाया जाता है कि यह डाकुओं से मिले हुए हैं, चाहे वह विरोधी पार्टी के हों, या काँग्रेस पार्टी के। उसका कारण स्पष्ट है। जब पुलिस का अत्याचार होता है तो जो विशेष कार्यकर्ता वहाँ के होते हैं, चाहे वे किसी पार्टी और किसी दल के हों, उनके लिये तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि वह पुलिस के अत्याचारों का विरोध करें। नतीजा यह होता है कि कर्मचारी अपने को जस्टीफाई करने के लिये उन पर आरोप लगाते हैं कि वह डाकुओं से मिले हुए हैं। छतरपुर जिले में इस प्रकार की स्थिति बहुत दिनों से है। माननीय सदस्य ने जिस स्टेटमेंट के लिये कहा वह स्टेटमेंट उस समय दिया गया, जब वह व्यक्ति पुलिस कस्टडी में था, उस पर मुकदमा चल रहा था। तब पुलिस उसको रिमाण्ड पर ले गई। उस समय उसने बयान दिया। माननीय सदस्य परिस्थिति से परिचित नहीं थे, वे छतरपुर के निवासी नहीं हैं लेकिन उनके इन्ट्रेस्टेड होने का कारण यह हो गया कि उनके ससुर छतरपुर के सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस हैं। छतरपुर के निवासी नहीं हैं लेकिन उनके इन्ट्रेस्टेड होने का कारण यह हो गया कि उनके ससुर छतरपुर के सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस हैं।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : जो खुद काँच के मकान में रहते हैं उनको दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये।

श्रीमती गायत्रीदेवी : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट देने के बाद वह व्यक्ति जब बहुत से मुकदमों से छूट गया, उसने काउण्टर एफीडेविट किया कि पुलिस के लोगों ने मुझे मारपीट करके जबरदस्ती बयान लिया है, उसने इस सम्बन्ध में एक उपमंत्री का भी नाम लिया जो माननीय सदस्य आज यह बड़े जोरदार शब्दों में बाईबिल को टीच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शासन की नीति पक्षपातपूर्ण है और भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वालों को दण्ड देने में पक्षपात किया जाता है। उन माननीय सदस्य का ध्यान उस नज्जारे की ओर आकर्षित कराना चाहती हूँ कि जब उनके पिता को भ्रष्टाचार के मामले में, घूसखोरी के अपराध में दण्डित किया गया था और हथकड़ियाँ पहनाकर जेल भेजे गये थे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मैंने कहा है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है और आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि मुझे इसका दुःख नहीं है कि मेरे पिता दण्डित हुए हैं।

At least, he had the courage to face everything like a man, and bowed down before the Majesty of Law. He did not go about cringing for political protection. A Government which applies varying standards of conduct to the different citizens can hardly claim to be democratic is nothing but an oilgarchy, which is but a stepping stone to despotism what about those blustering sores of corruption behind which is seen your spotless Kaddar?

अध्यक्ष : मुझे यह बताइये कि आपका प्वाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि भाषण मैंने दिया है किसी माननीय सदस्य को कुछ कहना था तो मुझसे कहते।

श्री विश्वनाथ तामस्कर द्वारा मुख्य मंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू के मंत्रिमंडल के खिलाफ रखा गया अविश्वास प्रस्ताव अमान्य हो गया। दिनाँक 5 दिसम्बर 1957 को विधानसभा का यह सत्र अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस एक छाता है जिसके अन्दर सब आकर ज़माने की बौछार से बचना चाहते हैं। एक दिन ऐसा आयेगा जबकि उनकी संख्या इतनी बढ़ जायेगी कि उन्हें बौछार से बचना तो मुश्किल हो ही जायेगा, उस छीना-झपटी में वह छाता भी नष्ट हो जायेगा और जो छींटे पड़ेंगे वे सबके ऊपर ही पड़ेंगे और उससे कोई बच न सकेगा।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
— 12 मार्च 1958

1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958 1958

1958

द्वितीय मध्यप्रदेश विधानसभा का चौथा सत्र 1 सितंबर, 1958 से शुरू हुआ। लगभग मिलते-जुलते विषयों को लेकर सदन में सात स्थगन प्रस्तावों की सूचना अध्यक्ष महोदय, पंडित कुंजीलाल जी दुबे ने पढ़कर सुनाई। विषय थे- अनाज समस्या, प्रान्त में खाद्यान्नों के भावों में वृद्धि, प्रान्त में खाद्यानों का अभाव, प्रान्त में अकाल की स्थिति, खरीफ फसल को वर्षा से हानि, सदस्य श्री जगदीशचंद्र जोशी की गिरफ्तारी और टीकमगढ़ जिले में भूमिहीनों द्वारा जमीन जोतना।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को विधानसभा के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारियों की सूचना भी दी। गिरफ्तारी की सूचना पढ़े जाने पर सदस्य श्री होमी एफ.दाजी ने जो वक्तव्य दिया सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने उसका समर्थन किया। चर्चा इस प्रकार है-

श्री होमी एफ. दाजी : यह जो सूचना पढ़ी है, उस संबंध में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन कम-से-कम अपोजीशन के तमाम लोग इसी खाद्य समस्या के संबंध में गिरफ्तार किए गए हैं, इससे हम लोगों में घोर असंतोष है। इसलिए मैं लीडर ऑफ दी हाउस से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब अनाज समस्या पर डिबेट हो तो उसके पहले इन तमाम लोगों को बेल पर छोड़ दिया जाये और विधानसभा में भाग लेने की सुविधा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वे लोग नहीं आयेंगे, जो कि उस इलाके के प्रतिनिधि चुने गए हैं, तब तक इस समस्या पर डिस्कशन करना एक तमाशा होगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन प्रतिनिधियों को इस डिबेट के पहले अधिवेशन में भाग लेने की विशेष अनुमति दी जाये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के कथन का समर्थन करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि हमारे संभाग के माननीय सदस्यों को इस सदन में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की जाये।

अध्यक्ष : आप लोगों ने कहा, माननीय मंत्रियों ने सुन लिया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 सितंबर, 1958/पृष्ठ - 8)

राजस्व मंत्री श्री भगवंतराव मंडलोई ने "मध्यप्रदेश भूमि राजस्व संहिता विधेयक, 1958 (संख्या 20, 1958) को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव सदन में रखा। सदस्य श्री अर्जुनसिंह को भी इस प्रवर समिति का सदस्य बनाया गया। मध्यभारत, सिरोंज, भोपाल, महाकौशल, विन्ध्यप्रदेश में भूमि व राजस्व संबंधी अलग-अलग कानून-कायदे थे। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् सबका एकीकरण करना, समाजवादी नीतियों के तहत उनमें रद्दोबदल करना, यह सब अतिमहत्वपूर्ण कार्य था। अतः यह एक महत्वपूर्ण विधेयक था। इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा प्रारंभ हुई। श्री अर्जुनसिंह ने अपना दृष्टिकोण इस प्रकार रखा -

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस नवीन मालगुजारी कानून को इस विधानसभा में प्रस्तुत करके माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने इस प्रदेश की एक समस्या को हल करने का प्रयत्न किया है, जो कि इस प्रदेश के निर्माण होने के बाद विभिन्न रूपों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न हुई थी। तमाम कानूनों के एक दूसरे से भिन्न होने और उनमें लगे हुए प्रतिबंधों और उनके चले हुए मुकदमों के ऊपर या और प्रकार के हक-हुकूक के ऊपर असर होता था क्योंकि उनमें कोई समानता न थी इसलिए जहाँ तक यह मसला है, मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री धन्यवाद के पात्र हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल गजट में पब्लिश होकर मिला, तब मैंने इसका सबसे पहला चेप्टर और सबसे पहला आर्टिकल लैंड के बारे में पढ़ा, मैं उम्मीद करता था कि ऐसा शासन और ऐसी पार्टी के द्वारा चला हुआ शासन जो समाजवादी समाज को अपना लक्ष्य मान चुका है, कम-से-कम लैंड के टाइटिल के बारे में तो अवश्य ही समाजवादी ढंग से कानून में प्रावधान किया होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद हुआ जब मैंने उस सेक्शन 54 को पढ़ा, जिसमें लिखा है कि—

Save as otherwise provided by any law for the time being in force all lands, public roads, lanes and paths bridges, ditches, dykes and fences on or beside the same, the beds of rivers, streams, nalas, lakes and tanks, and all canals .....

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान रखने का दावा तो नहीं रखता, लेकिन केवल लिटरल मीनिंग उसका यह समझता हूँ कि जिन-जिन बातों का उल्लेख इस सेक्शन में किया गया है, उनमें से इस प्रदेश में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनका स्वामित्व आज भी प्राइवेट पर्सन के पास है। हो सकता है ऐसा हो या न भी हो। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी भी समाजवादी समाज में ऐसी चीजों पर, जैसे ज़मीन हुई, पानी हुआ, बिजली हुई या कोयला हुआ, इन पर तो मैं समझता हूँ कि केवल शासन का ही आधिपत्य होना चाहिए। न कि किसी व्यक्ति विशेष का। किसी प्राइवेट आदमी का इन पर आधिपत्य तो होना ही नहीं चाहिए। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन चीजों पर किसी प्राइवेट आदमी का ही आधिपत्य क्यों और कैसे है? अगर उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूँ कि यह शायद भूल से गलती रह गई होगी या फिर कोई त्रुटि रह गई होगी तो जब हम देखते हैं, टेन्योर होल्डर्स की तरफ तब भी वही शब्द सामने आता है, वह है, भू-स्वामी। एक दूसरे संदर्भ में एक माननीय सदस्य ने राजस्व मंत्री जी से इस शब्द का एक्सप्लेनेशन माँगा था, तब उन्होंने एक सुझाव दिया, उपाध्यक्ष महोदय, शायद माननीय श्री प्रधान जी ने इसको उचित रूप से नहीं रखा, इसलिए राजस्व मंत्री जी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। प्रश्न यही है कि भूमि स्वामी के नाम के पीछे क्या अड़चन है? सवाल यह है कि अगर आप स्टेट को ही एक प्रोप्राइटर मानते हैं, जो जमीन राज्य में स्थित है, उसको आप भूमि स्वामी कह सकते हैं कि भूमि स्वामी उस तरह का भूमि स्वामी नहीं है जैसा कि लोगबागों ने समझ रखा है। उस इंटरमिजियरी को तो खत्म कर दिया। उनको खत्म करने के बाद राज्य के हर एक साधनों पर राज्य का ही आधिपत्य आ गया है लेकिन अब भी हम भूमि स्वामी की परिभाषा जो दे रहे हैं, उससे लोगों के मन में एक शंका पैदा हो जाती है, जो अनुचित नहीं होगी क्योंकि आपने लैंड की जो डेफीनेशन दी है, वही गलत है। आपने इसकी टाइटिल को ही लिमिट कर दिया है। टेन्योर होल्डर्स को इसके द्वारा राइट्स दिए जा रहे हैं, अगर टेन्योर होल्डर्स उन शर्तों का उल्लंघन करेंगे, तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है। बाद में वे यह नहीं कह सकते कि यह जमीन हमारी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री अगर समझते हैं कि मैंने उनको गलत नहीं समझा है और गलत इंटरप्रिटिशन नहीं लगाया है तो कम से कम इस बात की एक ही शब्द में घोषणा करें कि कोई भी जमीन या जिन-जिन बातों का सेक्शन 54 में उल्लेख किया गया है, उन चीजों पर केवल राज्य का ही आधिपत्य है। किसी भी प्राइवेट आदमी का उन पर आधिपत्य नहीं रहे। उसके बाद टेन्योर्स डिसाइड करें, उनको क्या दें, यह सब बाद में विचार करने की बात है। अगर आप यह नहीं करते हैं तो यह आपकी ज्यादती होगी। यह समाजवाद के प्रति आपका मेंटल प्रिजर्वेशन है। समाजवाद का साफ उद्देश्य है कि किसी भी पदार्थ पर, जो कि आम लोगों के उपयोग में आने वाली चीज है, उस पर किसी प्राइवेट आदमी का आधिपत्य नहीं रहेगा। उस पर केवल राज्य शासन का ही आधिपत्य रहेगा।

उस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि अगर शासन समाजवाद को अहमियत से देखता है और उस पर सुदृढ़ है तो यह एक अच्छा सुअवसर मिला है जबकि कानून में कुछ परिवर्तन कर लें। अगर अभी ऐसा शासन करता है तो फिर भविष्य में लोगों को कुछ कहने का मौका नहीं मिल सकेगा। फिर कोई यह नहीं कह सकता कि यह भूमि मेरी है, इसका मैं मालिक हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में दूसरे घटक राज्यों के द्वारा विभिन्न तरह के एक्ट्स पास किए गए हैं, और उन्होंने विनोबा जी के चलाये हुए भू-आंदोलन का समर्थन भी किया है और यह एक आधार माना गया है। जमीन उसी की होनी चाहिए जो उसे जोतता है। किसी एक व्यक्ति को यह कहने का अधिकार न रहे कि यह जमीन मेरी है। आप इस सेक्शन के सब सेक्शन को देखें तो आपको विदित हो जायेगा :

Where the state Government claims any right under sub-section (1) and the claim is disputed by any person, it shall be decided by the collector. .....

यह कितनी हास्यास्पद बात है कि स्टेट कलेक्टर के पास जाया जावे। आपके कानून की मंशा यही है तो मैं कहूँगा कि आपका भू-दान के बारे में कहना ठीक नहीं है। विनोबा भावे के भू-दान का समर्थन एक मखौल है। आप उस पर विश्वास नहीं करते और जब आप विश्वास नहीं करते तो जैसे समाजवादी समाज की स्थापना आप करना चाहते हैं, वह प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा इस देश में नहीं दिया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्टिक सोसायटी स्थापित करना है तो एक ही जरिया है कि प्राइवेट इंडिविजिवल का सोसायटी पर आधिपत्य स्थापित न हो, यदि आधिपत्य स्थापित होगा तो वह सोशलिस्टिक सोसायटी को नष्ट करके रहेगा। सोशलिस्टिक पैटर्न की बात ऑल इंडिया काँग्रेस कमेटी के माननीय सदस्यों के ध्यान में भी आयी और अंत में वह प्रस्ताव में आया। उसके ऊपर बहुत वाद-विवाद हुआ और इस देश के प्रमुख दल, काँग्रेस का विचार है कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी अच्छा है।

There was an apprehension in the minds of many congressmen even then this vague definition may be too confusing and leave much scope for the departure from the accepted principles of socialism which may make all the difference between an acquisitive and possessive society and a socialistic society This measure is a classic example of such departure which arises from an intellectual muddle headedness about the very basic tenets of socialism.

श्री जगमोहन दास : आबड़ी अधिवेशन के प्रस्ताव में परिभाषा की गई है।

श्री अर्जुनसिंह : पैटर्न की डेफीनिशन करके आपने हमारी बात का खंडन करना चाहा लेकिन मेरा यही तो आक्षेप है कि समाजवाद की विभिन्न परिभाषाएँ हो सकें, यही आपकी चेष्टा है ताकि समाजवाद का डंका बजाते हुए आप कितनी भी प्रतिक्रियावादी चीज लोगों पर लाद दें।

श्री जगमोहन दास : उसमें डैफीनिशन है।

श्री अर्जुनसिंह : जो चीजें समान उपयोग की हैं, उन पर प्राइवेट आदमी का आधिपत्य होना चाहिए। यह मेरा कहना है और मैं आपसे पूछता हूँ कि धारा 54 के द्वारा यह होता है कि नहीं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा सवाल जो कि सैद्धान्तिक था, मैंने सदन के सामने रखा ताकि चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकें और प्रवर समिति जो इसे विस्तृत रूप से देखेगी, वह उस मूल सिद्धांत के ऊपर अवलोकन कर सके। इसके अलावा जिन विस्तृत मामलों में हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, उन पर मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते अभी कुछ विशेष चर्चा करना उचित न होगा लेकिन इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपने जो टेन्योर होल्डर्स को अलग-अलग डिवाइड किया है और उनका विभाजन घटक राज्यों में जो टेन्योर होल्डर्स थे, उनके पैटर्न को जो आपने फिट किया है, बाई लॉट किया है। जैसे विन्ध्यप्रदेश में 3, मध्यप्रदेश में 4, मध्यभारत में 5 और राजस्थान में 6, जैसे इस तरह से आपने लॉट डाल दिया हो। अगर ऐसा नहीं था तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त बिल ड्राफ्ट किया गया था, तो पहले कुछ ही बातों का

उल्लेख किया गया था, सारी बातों का उल्लेख नहीं किया गया था, तो उन कुछ ही बातों से यह प्रकट हो जाता है कि कुछ ही बातों पर विचार करके ही यह डिसीजन किया गया है और मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति के सामने जब यह जाएगा तो पूरा विचार करके जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि .....तो सारी बातों पर विचार करके त्रुटियों को हटा दिया जायेगा।

अब रहा संशोधन, जो श्री चौरड़िया जी ने दिया है। इस संबंध में मेरा मत है कि जैसा मैं राजस्व मंत्री जी को समझ सका हूँ, उनको इस बात की कोई जल्दी नहीं है कि प्रवर समिति किसी निश्चत तारीख तक अपनी रिपोर्ट दे। अगर उनकी मंशा यह है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें तीन-चार महिने पारित होने तक लग जायें और इसलिए इस बीच अगर इसे पब्लिक ओपीनियन इलिसिट करने के लिए भेज दिया जाये तो मैं समझता हूँ कि सारे रिप्रजेन्टेशन और इवीडेन्सेज को सामने रखकर सेलेक्ट कमेटी अपना डिसीजन देने के लिए बेटर क्वालीफाइड होगी। मैं आशा करता हूँ कि राजस्व मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 सितंबर, 1958/पृष्ठ- 39-40-41)

प्रश्नोत्तर काल में सदस्य श्री युगलकिशोर सक्सेना के मूल प्रश्नोत्तर के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने पूरक प्रश्न किए-

श्री युगलकिशोर सक्सेना : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि उप गृहमंत्री महोदय ने जनसम्पर्क के सिलसिले में भिंड जिले में प्रत्येक परगने में कितने-कितने दिन दौरा किया? (ख) प्रत्येक परगने में कितनी धनराशि उप गृहमंत्री जी ने स्वीकृत की? (ग) क्या उसमें शासन द्वारा राशि दी गई थी? (घ) क्या यह सच है कि जनता द्वारा जो धनराशि जमा की गई थी, उस सम्बन्ध में शासन ने अपनी धनराशि की कोई स्वीकृति नहीं दी, इस कारण जनता अपना जमा शुदा हिस्सा वापस माँग रही है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू :

(क) परगना भिंड :	8-1/2 दिन जनसंपर्क दौरा
	4 दिन अन्य
परगना लहार :	4 दिन
परगना गोहद :	2 दिन
परगना मेहगाँव :	2.2 दिन

(ख) जनसंपर्क के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक परगने में निम्न प्रकार है—

	रुपये
(1) परगना भिंड	17,825
(2) परगना मेहगाँव	10,450
(3) परगना लहार	11,100
(4) परगना गोहद	10,150
कुल	**49,525**

(ग) जी हाँ (घ) जनसंपर्क धनराशि के अतिरिक्त ब्लाक अथवा प्लान बजट में जो भी धनराशि उपलब्ध थी, वह तत्संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृत व वितरित कराई गई। अधिकांश में स्वीकृति दे दी गई है किन्तु कुछ प्रकरण शेष हैं व कुछ में रकम वापसी की कार्यवाही की जा रही है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : यह फर्क हर एक परगने के लिए क्यों रखा गया है कि एक में 2-2, 4-4 दिन और भिंड में 8 दिन?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह तो प्रोग्राम के लिहाज से भी है और इसलिए भी कि भिंड मेरी कांस्टीट्वेन्सी है, जिसमें भी मुझे दौरा करना था।

अध्यक्ष : यह प्रश्न डिफरेन्ट है। इसमें नहीं उठता।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : यह जो उत्तर में रकम विवरण बताया गया है, प्रत्येक परगने में यह फर्क क्यों है? और पक्षपात पूर्ण धनराशि क्यों स्वीकृत की गई है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : कहीं चंदा ज्यादा मिला है, कहीं कम मिला है। मेहगाँव और गोहद की जनसंख्या लगभग बराबर है। प्राप्त चंदा व अनुपात के हिसाब से भी यह राशि है, जो बराबर वितरित की गई है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : इस अनुपात के लिहाज से भिंड परगने में कहीं ज्यादा दी गई है?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : उपरोक्त अनुपात के लिहाज से भिंड परगने में ज्यादा नहीं दी गई है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : मेहगाँव और लहार परगने में क्या यही अनुपात है?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुनसिंह : क्या जनसंपर्क दौरे के अंतर्गत यह भी नियम है कि प्रत्येक मंत्री अपने क्षेत्र के अंदर अधिक दौरा करें?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : जो कुछ नियम हैं, उनको ध्यान में रखकर ही किया जाता है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या ऐसी शिकायतें नहीं आई हैं कि भविष्य में मंत्री अपने क्षेत्र में दौरे न किया करें?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : ऐसी शिकायतें नहीं आईं।

श्री सुंदरलाल पटवा : क्या चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार का सरकूलर जारी किया गया है कि माननीय मंत्री महोदय अपनी कांस्टीट्वेन्सी में शासकीय दौरे में न जायें?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह पिछली विधानसभा में उत्तर दिया जा चुका है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कहाँ की रकम की वापसी की जा रही है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : बहुत लंबी लिस्ट है, आपको अपने यहाँ का मालूम करना हो तो मैं बता सकता हूँ।

श्री सुंदरलाल पटवा : क्या भिंड परगने को मंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण अनुदान ज्यादा दिया गया है?

अध्यक्ष महोदय : आपके सवाल का उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री सुंदरलाल पटवा : क्या भिंड परगना श्रीमान की कांस्टीट्वेन्सी है?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह तो विधानसभा की जो लिस्ट है, उसमें लिखा रहता है, आप देख सकते हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 सितंबर, 1958,/पृष्ठ- 59, 60, 61)

सदस्य श्री वंशपतिसिंह का मूल प्रश्न तथा अन्य सदस्यों और सदस्य श्री अर्जुनसिंह के पूरक प्रश्न और उनके उत्तर-

श्री वंशपतिसिंह : (क) क्या खाद्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1958 से 30 जून 1958 तक कितने मन चावल छत्तीसगढ़ से सतना भेजा गया? (ख) कौन-कौन से लोग चावल ले गए?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 1958 से 30 जून 1958 तक 1,83,971 मन चावल छत्तीसगढ़ से सतना भेजा गया (ख) सूची संलग्न है।

श्री वंशपतिसिंह : क्या शासन के पास इस जिले से बाहर चावल निकालने की कोई शिकायत आयी है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : ऐसी तो कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री वंशपतिसिंह : क्या शासन इस बात की जाँच करेगा कि यह चावल यहाँ मध्यप्रदेश में न बिक कर बाहर गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अगर कोई शिकायत आयेगी या सदस्य महोदय यहीं लिखकर देंगे तो जाँच अवश्य की जावेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या शासन के पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि सतना से कितना चावल बाहर गया और कितना सतना में रहा?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : इसकी पूरी निगरानी रखी जाती है लेकिन जैसा कि मैंने उत्तर दिया, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या इस बात का कोई रिकार्ड है कि सतना में कितना चावल पहुँचा?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : प्रश्न के उत्तर में ही जवाब लिखा हुआ है। इसका रिकार्ड कलेक्टर ऑफिस में होना चाहिए लेकिन जितनी माहिती मिल सकती थी, उतनी यहाँ दी गई है।

श्री हरिभाऊ जोशी : सतना में कितना चावल भेजा गया, इसके बारे में मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल यह है कि जो चावल सतना में पहुँचा है, उसके बारे में रिकार्ड है कि इतना चावल वहाँ पर पहुँच गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : इसके लिए पूर्व सूचना चाहिए।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : जो चावल सतना पहुँचा है और जिन दुकानदारों को यह चावल बेचने दिया गया है, क्या इसकी स्टाक चेकिंग की रिपोर्ट फुड इंस्पेक्टर ने दी है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जी नहीं।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : क्यों नहीं दी, इसका कारण बतलायेंगे?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : ऐसा प्रश्न ही नहीं उठा इसलिए देने का मौका नहीं आया।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : यह तो फुड इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी होती है कि जो माल उनके क्षेत्र में आता है, उसकी जाँच करें और साथ ही दुकानदारों का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे सरकार को इसकी सूचना दें?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : ऐसी आज तक कोई शिकायत ही नहीं आयी है इसलिए ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मंत्री महोदय के कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक कोई शिकायत न आये, तब तक नार्मल रूल्स एंड प्रोसीजर जो हैं, उन्हें फालो ही न किया जावे?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : शासन को विश्वास है कि जो शासकीय अधिकारी हैं, वे तत्परता से काम करते हैं। अगर कोई लापरवाही करते हैं तो यह तो जनता के प्रतिनिधियों का कर्त्तव्य है कि उस बात को शासन के सामने रखें।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या इस बात की शिकायतें शासन के पास आयी हैं कि छत्तीसगढ़ से बिहार को चावल भेजा गया है और इस संबंध में अखबारों में भी छपा है कि चावल चोरी से निर्यात किया गया है। तो सरकार ने इसके बारे में अभी तक क्या कार्रवाई की?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अखबारों में ऐसी खबरें तो रोज छपती हैं। इस संबंध में कोई लेखी शिकायत शासन के पास नहीं आयी है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अखबारों में जो बातें छपती हैं, क्या वे सभी असत्य रहती हैं?

अध्यक्ष : आप ऐसा प्रश्न न करें।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या मंत्री जी दावा करते हैं कि समाचार पत्रों में जो कुछ छपता है, वह सब असत्य छपता है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अधिकांश सत्य छापते हैं।

श्री सुंदरलाल पटवा : मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि समाचार पत्रों में जो प्रशासन संबंधी बातें छपती हैं, क्या श्रीमान उनके बारे में ध्यान देकर कोई कार्रवाई करेंगे।

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जी हाँ। मिनिस्टरों के पास विभाग से जो शिकायत आती है, उन पर बराबर कार्रवाई की जाती है।

श्री होमी एफ. दाजी : ऐसी हालत में इस बारे में जो शिकायतें अखबारों में छपती हैं, तो क्या वे आपके ध्यान में आयी हैं कि चावल बाहर भेजा गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : कौन-सी तारीख को छपा और कितना चावल गया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है, आप यदि इस संबंध में जानकारी देंगे तो हम मालूम कर लेंगे।

श्री शाकिर अली खाँ : आपके सामने डिपार्टमेंट के बारे में जो नुक्ताचीनी होती है, क्या उसकी कटिंग डिपार्टमेंट पेश करता है या नहीं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : बराबर पेश करता है।

श्री शाकिर अली खाँ : तो क्या इस संबंध में कोई कटिंग पेश हुई है या नहीं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : याद नहीं आ रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : अखबारों में जो चावल का चोरी से निर्यात होने के बारे में छापा गया है, क्या वह सत्य है या असत्य है, इस बात की जाँच की गई है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : उत्तर दे दिया गया है कि इस संबंध में कुछ याद नहीं है।

श्री खूबचंद बघेल : जवाब में दिया गया है कि जो चावल लिया गया है, उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु व्यापारियों ने चावल खरीदा तो इस तरह से कोई भी आदमी ले जाता है और उपयोग करता है, तो उसके कंट्रोल के लिए आपके पास क्या उपाय हैं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : ऐसी कोई लेखी शिकायत करे, तो जाँच की जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने यह कहा कि यह जनप्रतिनिधि का कर्त्तव्य है कि वह आपके सामने ऐसी बातें लायें, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इस कार्य में असमर्थ है। मुझे जोशी जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। जो शिकायत लायी गई तो एक माननीय सदस्य ने यह बात इस विधानसभा में कही। उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : अखबारों में जो शिकायतें होती हैं, उनकी कटिंग हरेक डिपार्टमेंट के पास जाती है, हमारे पास भी आती हैं और हम उसकी इंक्वायरी कलेक्टर या दूसरे आफिसर से करवा लेते हैं और अगर उसमें कुछ ऐसी बात होती है तो उसके बारे में हुक्म दे देते हैं। यह कार्रवाई होती है, अगर खास शिकायत होती है। जैसी होमीदाजी साहब ने खास शिकायत की थी तो उसका जवाब भी उनको दे दिया गया था। तभी तो ऐसी बातें इंक्वायरी तहकीकात में होती हैं, जो अखबार में आयीं या आप लोगों ने भेज दीं।

अध्यक्ष : सावधान! सावधान! सवाल यह है कि क्या शासन यह बता सकता है कि जितना चावल छत्तीसगढ़ से गया, वह सतना को पहुँचा या नहीं क्योंकि शिकायत यह है कि वहाँ का चावल बाहर चला गया?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : इसकी शिकायतें तो कलेक्टरों को ताकीद कर दी गईं। आज की ही खबर है कि कुछ गाड़ियाँ फारेस्ट से जा रही थीं, वे पकड़ी गईं। कोई चोरी छिपे से गई होगी। लेकिन हमारी तरफ से जितने नाके हैं, जहाँ सड़कें आदि हैं, वहाँ पुलिस का नाका रखा है। फुड इंस्पेक्टर्स खासतौर से मुकर्रर कर दिए गए हैं। इतना इंतजाम करने के बाद भी कुछ चोरी छिपे चले जाते हैं। जो पकड़े गए हैं, उनके केसेस चल रहे हैं, चालान हो रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे अगर चोरी से कुछ जाते होंगे तो जैसे उससे हमारी चोरी हो जाती है, तो उससे हमारा पूर्व कारोबार नहीं रुकता, वैसे भी हमारा तो ख्याल है कि इस चोरी से हमारी सप्लाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 सितंबर, 1958/पृष्ठ-66-67-68)

श्री अर्जुनसिंह विधानसभा में पूरी तैयारी और अध्ययन के साथ उपस्थित होने वाले सदस्य रहे हैं। पूरी कार्यसूची और छपे प्रश्नोत्तर आदि का अध्ययन करके ही वे सदन में आये हैं। सदन में भी वे पूरी तरह चौकन्ने और सजग होकर मौजूद रहे। कार्रवाई के एक-एक शब्द को ध्यान से सुनकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। सदस्य श्री शाकिर अली खाँ के मूल प्रश्नोत्तर के दौरान श्री अर्जुनसिंह द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न में उपरोक्त विशेषता देखने को मिलती है—

श्री शाकिर अली खाँ : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसाद जी के दिनाँक 18, 19 और 20 जुलाई को भोपाल आने पर और भोपाल में ठहरने पर हुकूमत ने कुल कितना धन व्यय किया एवं भिन्न-भिन्न विभागों से कुल कितना खर्च हुआ?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : शासन ने तारीख 18, 19 और 20 जुलाई 1958 को राष्ट्रपति के भोपाल आगमन पर और यहाँ ठहरने पर कुल 6953 रुपये खर्च किये। विभिन्न विभागों द्वारा किया गया खर्च इस प्रकार है—

रुपये

राज्यपाल के सैनिक सचिव द्वारा	1,269
लोक निर्माण विभाग द्वारा	5,000
शिक्षा विभाग द्वारा	625
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा	59
	6953

श्री शाकिर अली खाँ : जो जवाब दिया गया है कि पी.डब्ल्यू.डी. ने पाँच हजार रुपया खर्च किया तो इसमें क्या वह खर्चा भी शामिल है जो सदर मंजिल की 6 इंच की सीढ़ियों पर दुबारा 3 इंच और बनाई गयीं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : आज के प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में शासन द्वारा यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के आगमन के सिलसिले में लोक निर्माण विभाग ने 1,136 रु. खर्च किए और इस प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि लोक निर्माण विभाग ने 5 हजार रुपये खर्च किए तो कौन-सा उत्तर सही माना जाए?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : दोनों जवाब अपनी-अपनी जगह पर सही हैं। शासन ने यहाँ बहाना नहीं लिया कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है। एक खर्चा राष्ट्रपति के आने तक की तैयारी का है और दूसरा उनके जाने के बाद का है। यह भी मेरा अनुमान था कि माननीय सदस्य जब पूरक प्रश्न पूछेंगे तो दोनों का उत्तर साफ कर दिया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 2 सितंबर 1958/पृष्ठ - 71, 72)

मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री काशीप्रसाद पांडे। अन्य सदस्यों के साथ श्री अर्जुनसिंह का पूरक प्रश्न—

श्री काशीप्रसाद पांडे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पुराने विन्ध्यप्रदेश के आठों जिलों के लिए भिन्न-भिन्न फसलों की औसत उपज कितनी निर्धारित की गई है?

श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई : भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश राज्य के आठों जिलों के लिए भिन्न-भिन्न फसलों की औसत उपज संलग्न विवरण के अनुसार निर्धारित की जा रही है?

श्री काशीप्रसाद पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टेंडर्ड आउटटर्न कब निर्धारित किये गए हैं?

श्री जगमोहनदास : यह अभी निर्धारित किए जा रहे हैं। नये मध्यप्रदेश के निर्माण के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। अभी केन्द्रीय कृषि मंत्रालय को सुझाव भेजे गए हैं, उनकी स्वीकृति के बाद ही अंतिम निर्धारण हो सकेगा।

श्रीमती गायत्री पुमार : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अभी निर्धारित की जा रही है तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब अभी तक औसत उपज का निर्धारण नहीं था तो इस बात का अंदाजा किस प्रकार से लगाया जाता है कि फसल को कितना नुकसान हुआ है?

श्री जगमोहनदास : जिलाधीशों द्वारा फसलों के अंतिम पूर्वानुमान मनों या टनों में जो होता था, उसके अनुसार किया जाता था।

श्रीमती गायत्री पुमार : क्या विन्ध्यप्रदेश में भी जिस तरह से महाकौशल क्राप एक्सपरिमेंट किया जाता है, उसी तरह से किया जावेगा?

श्री जगमोहनदास : क्राप एक्सपरिमेंट के लिए कहा गया है लेकिन यहाँ पर अभी तक जो पहले आउटटर्न फसलों का होता था, उसके आधार पर अनुमान किया जाता था।

श्री काशीप्रसाद पांडे : मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभावग्रस्त क्षेत्रों में फसलों का स्टेंडर्ड आउटटर्न किन सिद्धांतों पर तय किया गया?

श्री जगमोहनदास : फसलों का जो अंतिम पूर्वानुमान था, उसके आधार पर।

श्री नारायणसिंह जयवार : यह जो निर्धारित किया है, यह भविष्य के लिए किया गया है परन्तु इसके पहले क्या रिकार्ड किया गया है, वह बतायेंगे?

श्री जगमोहनदास : वह पहले फसल कितनी आती थी, उसके अनुमान के आधार पर किया जाता था और नया जो निश्चित किया गया है, उसका भी ध्यान रखा गया है।

श्री अर्जुनसिंह : यह जो सूची दी गई है, इसमें जो अनाज दिया हुआ है, यह किसके द्योतक हैं।

श्री जगमोहनदास : पौंड्स के।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैंने प्रश्न से समझा कि अनाज के दाने गिनाये गए हैं।

श्री जगमोहनदास : वह पौड्स के द्योतक हैं, पौंड्स गलती से नहीं छपे।

श्री होमी एफ. दाजी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अभावग्रस्त क्षेत्र में कितनी औसत उपज पर आप उसको मानते हैं?

श्री जगमोहनदास : इस संबंध में विधानसभा के पटल पर, जो नियम बने हैं, वे रखे जा चुके हैं।

अध्यक्ष : मुझे अभी सूचना मिली है कि आपकी जानकारी के लिए वह विधानसभा पुस्तकालय में रखी हुई है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 सितंबर 1958/पृष्ठ 143-144)

सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी का मूल प्रश्न। प्रश्नोत्तर काल में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने पूरक प्रश्न किया—

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : (क) क्या वित्तमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राज्य के कुछ हिस्सों में विदेशी शराब की दुकानें सन् 1957 तथा 1958 में खोली गई हैं? (ख) यदि हाँ तो खोलने की इजाजत देने के क्या कारण थे?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : (क) हाँ (ख) इसके खोलने की आवश्यकता थी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : विदेशी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत देने की क्या आवश्यकता थी?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इसका कारण यह था कि शिवपुरी के आसपास 40 से 70 मील के इर्द गिर्द कोई दुकान नहीं थी और वहाँ औषधि के लिए या बच्चों को देने के लिए और मनोरंजन के स्थान पास होने के कारण बहुत से यात्री आया जाया करते थे, जिसकी वजह से आवश्यकता हुई। दूसरे रायगढ़ में कानूनी मामला आ गया था, जिसकी वजह से दयाराम अग्रवाल का जो लायसेंस था, उसको कंटिन्यू करना पड़ा। इस बीच जब कि श्री दयाराम का लायसेंस केंसिल किया गया था तो दिनशा एंड कंपनी को लायसेंस दिया गया था, अतः श्री दयाराम का लायसेंस रिन्यू हो जाने के बाद भी दिनशा एंड कंपनी का लायसेंस बनाये रखना पड़ा। इसमें भी कानूनी बात आ गई थी, इसलिए लायसेंस कंटिन्यू करना पड़ा।

श्री बसंत सदाशिव प्रधान : क्या शासन की मद्य निषेध की पॉलिसी है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : यह गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है।

श्री बाबूलाल मौर्य : क्या इसका कारण यह भी नहीं हो सकता कि देशी शराब की दुकान बंद हो गई है इसलिए अंग्रेजी शराब की दूकानें खोली गई हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह जो आपने आवश्यकता बताई है, इसके लिए किसी का आवेदन पत्र आया था या प्रतिनिधिमंडल आया था या आपको स्वयं प्रतीति हुई?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जो लायसेंस दिए गए हैं, वे आवश्यकता के अनुसार ही दिए गए हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : यह लायसेंस कहाँ दिए गए हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : शिवपुरी और रायगढ़ में।

श्री सुंदरलाल पटवा : मेरा प्रश्न था, आवश्यकता जो महसूस हुई, यह किसकी माँग पर हुई या शासन ने स्वयं आवश्यकता महसूस की?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैंने निवेदन किया कि रायगढ़ में श्री दयाराम का लायसेंस केंसिल किया गया और दूसरे को दिया गया। मामला चला और यह महसूस किया गया कि श्री दयाराम का लायसेंस रिन्यू किया जाना चाहिए चूँकि इस बीच में दूसरे को यानि दिनशा एंड कंपनी का लायसेंस दिया जा चुका था, इसलिए उनको भी जब तक शो-काज नोटिस देकर अलग न करें, कंटिन्यू करना पड़ा। जिला शिवपुरी के आसपास आवश्यकता थी और विभाग को यह जानकारी थी इसलिए खोलना पड़ा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि शिवपुरी के आसपास की आवश्यकता शासन को कैसे महसूस हुई?

अध्यक्ष : यह बताया गया है।

श्री हरिभाऊ जोशी : शासन की मद्य निषेध नीति के विपरीत यह जो शराब की दूकानें खोली गई हैं और मंत्री महोदय ने कहा कि दवाओं के लिए आवश्यकता होने के कारण परमीशन दी गई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या शासन इस बारे में सतर्कता से ऐसी आज्ञा प्रसारित करेगा कि बिना डाक्टरों के सर्टिफिकेट के किसी को शराब नहीं मिलेगी।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इससे यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ये जो दुकानें खोली गई हैं, उन पर ऐसा कोई नियंत्रण है कि किस तादाद में शराब बेच सकते हैं या खुली छूट है कि चाहे जितनी बेचें?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इसके नियम हैं, अलग से सूचना दें तो डिटेल में बता सकता हूँ। इस समय मेरे पास डिटेल नहीं हैं।

श्री वसंत सदाशिव प्रधान : इन दूकानों से शासन को क्या आमदनी होने वाली है या हुई है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : सूचना चाहिए।

श्री होमी एफ. दाजी : रायगढ़ में नया लायसेंस क्यों दिया गया जबकि इसके पहले वहाँ तीन दूकानें मौजूद हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : तीन दुकानें नहीं थीं, श्री दयाराम की एक दुकान थी उसका लायसेंस केंसिल करके दिनशा एंड कंपनी को लायसेंस दिया गया। श्री दयाराम ने शासन को अपील की। उसमें यह पाया गया कि उनका लायसेंस रिन्यू होना चाहिए। अतः उसका लायसेंस रिन्यू किया गया। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, दिनशा एंड कंपनी को चूंकि इस बीच में लायसेंस दिया जा चुका था, इसलिए उसको कंटिन्यू करना पड़ा।

श्री काशीराम तिवारी : किन विशेष कारणों से रायगढ़ में विदेशी शराब की ज्यादा आवश्यकता है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि एक लायसेंसी वहाँ था, उसका लायसेंस कई कारणों की वजह से रद्द हुआ और दूसरे को लायसेंस दिया गया, उसने फिर शासन से अपील की और उसका लायसेंस रिन्यू करना पड़ा।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : दयाराम जी का लायसेंस किस डेट को रिन्यू किया गया?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : तारीख हमारे पास नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जहाँ पर देशी शराब की दूकानें खोलने की इजाजत दी गई है, क्या वहाँ पहले पुरानी शराब की दूकानें थीं, या जहाँ नहीं थीं, वहाँ भी इजाजत दी गई?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सुंदरलाल पटवा : प्रश्न उपस्थित होने न होने का नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। कोई प्रश्न उपस्थित होता है या नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार माननीय अध्यक्ष महोदय को है।

अध्यक्ष : वह मुझसे ही कह रहे हैं।

श्री कन्हैयालाल मेहता : दयाराम का लायसेंस क्यों केंसिल किया गया?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : उसके बारे में कंपलेंट्स थीं, इसी वजह से केंसिल किया गया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 सितंबर, 1958/पृष्ठ-252-53)

सदस्य श्री युगलकिशोर सक्सेना का मूल प्रश्न। प्रश्नोत्तर के बीच सदस्य श्री अर्जुनसिंह का पूरक प्रश्न—

श्री युगलकिशोर सक्सेना : क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यभारत शासन द्वारा सन् 1957-58 में किसानों को मंडल भिंड में बगीचों के लिए रकम दी गई? (ख) अगर दी गई, तो

किसको कितनी-कितनी दी गई?

श्री कैलाशनाथ काटजू : (क) हाँ। मध्यप्रदेश शासन (मध्यभारत नहीं) की ओर से रु. 8000 स्वीकृत किए गए थे (ख) कुछ भी वितरण नहीं हो सका।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : यह रकम क्यों नहीं वितरण हुई?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान :बगीचे लगाने का सीजन जुलाई में होता है और 1957-58 का बजट अगस्त में पास हुआ, इसलिये समय पर रकम भेजने में देर हुई।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : किन तारीखों में इस रकम का अलाटमेंट हुआ?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : रकम भेज दी गई थी, अलॉटमेंट की तारीख इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : क्या इसकी सूचना जनता को दे दी गई थी कि बगीचों के संबंध में सरकार की यह योजना है?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : जनता को योजना की तो जानकारी रहती है और उसको फिक्र रहती है कि कब रकम आये और उसका उपयोग करें, वैसे भी जनता को सूचना दी जाती है।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : क्या इस वर्ष के बजट में भी इस रकम का प्रावधान किया रखा गया है?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : हमेशा रहता है।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा कि श्रीमान ने बताया कि अगस्त में बजट पास हुआ इसलिए रकम समय पर वितरित नहीं हुई, जब शासन को मालूम था कि इस रकम का उपयोग सीजन निकल जाने की वजह से नहीं हो सकेगा फिर उसकी माँग बजट में क्यों की गई?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : बजट की रकम एक-दो महिने पहले ही तय कर ली जाती है। उनको रख लिया जाता है ताकि शायद मौका मिले तो उसका उपयोग हो सके।

श्री काशीराम तिवारी : क्या श्रीमान यह बताने की कृपा करेंगे कि शब्द "बगीचों के लिए" का क्या मतलब है?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : बगीचे साधारणतया फल के लिए होते हैं और उसके लिए यह रकम रखी जाती है।

श्री कन्हैयालाल मेहता : क्या संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया गया कि रकम वक्त पर वितरित क्यों नहीं हुई?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : देर से रकम यहीं से गई, जवाब तलब करने का कोई प्रश्न ही नहीं था।

श्री बाबूलाल मौर्य : अगस्त में जो रकमें बजट में पास हुईं, तो केवल यही रकम वितरित नहीं हो सकी या और भी?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : प्रश्न बगीचों की तकाबी का है, मैंने बता दिया कि इन बगीचों का सीजन जुलाई का होता है, जुलाई में बगीचे लग जाने चाहिए लेकिन उसकी रकम हम देर से भेजें तो उसका उपयोग नहीं हो सकता।

श्री बाबूलाल मौर्य : इस वर्ष की रकम समय पर दी जा सकेगी या नहीं?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : इस साल बहुत पहले ही रकम भेज दी गई है?

श्री सुंदरलाल पटवा : आठ हजार की रकम लोन के रूप में दी जाने के लिए थी या सहायता के रूप में?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : योजना पढ़ने से सारी जानकारी मिल जायेगी। यह रकम लोन के रूप में दी जाती है।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : रकम पुराने बगीचों के लिए है या नये?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : नये।

श्री शिवप्रसाद : यह रकम किसी एक जिले के लिए है या हर जिले के लिए?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : हर जिले के लिए यह रकम थी।

श्री बालमुकुन्द मुदगल : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडल भिण्ड के लिए जो रकम स्वीकृत की गई है, वह सिर्फ भिण्ड मंडल के लिए की गई है या मध्यप्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी स्वीकृत की गई है?

श्री श्यामसुंदर नारायण मुश्रान : मैंने बतलाया कि वह रकम हर एक जिलों के लिए रहती है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 सितंबर 1958/पृष्ठ-257-258)

सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने एक विशेषाधिकार भंग होने संबंधित सूचना अध्यक्ष महोदय को दी, जिसमें कहा गया कि एक पुलिस थानेदार ने एक कान्स्टेबिल के साथ सदस्य के घर में घुसकर घर की तलाशी ली थी तथा तलाशी के समय विधानसभा के वर्तमान सत्र से संबंधित उनके प्रश्नों, लोक लेखा समिति की कार्रवाइयों, उनकी ड्रॉफ्ट रिपोर्ट, गवाहों के बयानात की प्रतियाँ तथा इसी प्रकार जनरल सेल्स टेक्स विधेयक की प्रवर समिति की कार्रवाइयों को देखा, पढ़ा तथा उसमें नोट लिए।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी से यह जानना चाहा कि वे सूचना के किस भाग को विशेषाधिकार भंग होने के क्षेत्र में मानते हैं और किस प्रकार उससे विशेषाधिकार भंग हुआ, अध्यक्ष ने इन बातों को स्पष्ट करने के लिए कहा।

विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चल रही बहस के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने एक औचित्य का प्रश्न उठाया। चर्चा के जिन क्षणों में यह प्रश्न उठाया, वह उनकी गहरी अध्ययनशीलता को उजागर करता है। संक्षिप्त संदर्भ सहित चर्चा यहाँ प्रस्तुत है-

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि विधिमंत्री जी ने अभी जो कहा वह ठीक है, आपने अपनी सूचना में यह नहीं लिखा है कि किस प्रकार विशेषाधिकार भंग किया गया।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप कहें तो बता देता हूँ। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि एवीडेंस बताने से मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं स्वयं पब्लिक एकाउंट्स कमेटी का मेम्बर हूँ। मेरे पास उसकी ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है, जो कि ऑफिस से भेजी गई है। आप चाहें तो इसे कन्फर्म कर सकते हैं। मैं साथ ही प्रवर समिति का मेम्बर भी हूँ। जो एवीडेन्सेज हैं, वे मेरे पास विधानसभा सचिवालय से भेजे गए हैं, मैं इनके पजेशन में था। अब सवाल रह जाता है कि उन्होंने किस हिस्से का प्रचार किया और यह कि किससे किया। जो पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट है वह अभी यहाँ पेश नहीं हुई है। आप इजाजत देते हैं, इसलिए कह देता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि से बताने में कुछ अड़चनें हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : सदन को बताने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरी दृष्टि से उचित नहीं है।

अध्यक्ष : मैं आपसे कहना यह चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे सूचना है, आपके पास कोई ड्रॉफ्ट रिपोर्ट पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की नहीं भेजी गई है, केवल मिनिट्स भेजे गए हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो पाइंट्स ड्रॉफ्ट किए गए हैं, वे भेजे गए हैं, आप उसे वेरिफाई कर लें। मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मध्यभारत रोडवेज के संबंध में कुछ रिपोर्ट है। ग्वालियर पाटरीज के संबंध में भी रिपोर्ट का कुछ भाग है और भी ग्वालियर के संबंध में है, वह मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इस तरह से वहाँ पर दो-तीन संस्थाएँ हैं, जो कि चीजें बनाती हैं और उनके बारे में रिपोर्ट्स हैं। इसी से हमने रिपोर्ट की है कि इसे ट्रेप अप कर दिया जाये, एक के बारे में कहा है कि मैन्टेन किया जाए। ये जो पोर्शन है, इनका जिक्र किया है। अगर आप कहते हैं तो मैं नाम भी बता सकता हूँ। तो उन्होंने पढ़कर उनको सुनाया, गवाहों के सामने, जो पुलिस खुद तलाशी के समय पकड़कर लायी थी। नंबर दो वाक्य इस प्रकार है कि जिस समय पुलिस .....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक औचित्य प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, नियम 165 में साफ दिया है कि -

(1) Alll proceedings and the report of any legislature Committee shall be confidential and not be disclosed or otherwise published by any person uniil they are laid on the Table of the House or published under the order of the Speaker rule

अध्यक्ष महोदय : पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट के बारे में क्या माननीय विधि मंत्री जी स्पेसिफिक मेटर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वे जान सकते हैं? साथ ही माननीय सदस्य जो यहाँ पर बातें बता रहे हैं क्या वह बताया जा सकता है। नियम 169 बिल्कुल साफ है। इसलिए उसके बारे में न तो माननीय सदस्य ही बता सकते हैं न ही विधि मंत्री जी ही जानने की इच्छा रख सकते हैं।

श्री अनंत सदाशिव पटवर्धन : आप भी प्रिविलेज मोशन ले आइये।

अध्यक्ष : मैंने तो स्वयं उनसे पूछा है इसलिए वे सदन में कह सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : नियम 169 को आप पढ़ेंगे तो.....

अध्यक्ष : मैंने उसे पढ़ा है। यह तो सदन के सामने ही चल रहा है। मैंने उन्हें इस बात का अधिकार दिया है कि जो हिस्सा पब्लिश हुआ है, उसे वे बताएँ। माननीय सदस्य इसे समझने का यत्न करें कि जब तक किस बात का प्रकाशन हुआ, उसका कुछ निश्चयात्मक उल्लेख नहीं किया जाता, विशेषाधिकार समिति को विचारार्थ क्यों भेजा जाए। यह प्रश्न रहने ही वाला है। अतः स्थूल रूप से उल्लेख करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं दिखती।

श्री अर्जुनसिंह : बेहतर होगा, यदि उसको निलम्बित कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस रूल को जानता हूँ। फिर भी मैंने उनको अधिकार दिया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 सितंबर, 1958/पृष्ठ- 310-311)

प्रश्नोत्तर :

श्री अच्युतानंद मिश्र : (क) क्या समाज कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रीवा जिले के किन-किन ग्राम पंचायतों के सरपंचों के खिलाफ जनता द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप सन् 1956 के 18 जुलाई से लेकर सन् 1958 के 17 जुलाई तक कलेक्टर रीवा जिला विशेषाधिकारी, ग्राम पंचायत, रीवा संभाग, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर, रीवा संभाग के पास पेश किए गए? (ख) क्या मऊगंज तहसील के ढेरा न्याय पंचायत के सरपंच के खिलाफ ढेरा ग्राम पंचायत के पंचों के द्वारा सरकारी कोष का दुरुपयोग करने, ग्राम पंचायत के एक्ट की धाराओं का उल्लंघन करने व मनमानी ढंग से कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं? (ग) यदि हाँ, तो उन आरोपों पर कलेक्टर, रीवा जिले द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

श्री गणेशराम अनंत : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है (ख) जी हाँ (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री अच्युतानंद मिश्र : न्याय पंचायत सरपंच, ढेरा के खिलाफ जो अभियोग वहाँ के पंचों द्वारा लगाए गए थे, उसकी जाँच किस अधिकारी द्वारा की गई, अब तक उसमें क्या कार्रवाई हुई?

श्री गणेशराम अनंत : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए।

श्री अच्युतानंद मिश्र : इसमें पूर्व सूचना की कतई जरूरत नहीं है। मेरा सवाल साफ है। प्रश्न के भाग (ख) में पूछा गया है कि क्या मऊगंज तहसील के ढेरा न्याय पंचायत के सरपंच के खिलाफ, ढेरा ग्राम पंचायत के पंचों द्वारा सरकारी कोष का दुरुपयोग करने के आरोप लगाये गए हैं ?, ग्राम पंचायत की एक्ट की धारा का उल्लंघन करने व मनमाने ढंग से कार्य करने के आरोप लगाए गए हैं? इसका उत्तर दिया गया है, जी हाँ। जो ये आरोप लगाये गए, वे किन-किन तारीखों को लगाए गए, किन अधिकारियों के पास कब लगाकर भेजे, उन पर क्या कार्रवाई हुई?

श्री गणेशराम अनंत : अध्यक्ष महोदय, जो सरपंच के खिलाफ आरोप लगाए गए, उस पर जाँच हुई, उसके बाद उनसे एक्सप्लेनेशन माँगा गया।

श्री अच्युतानंद मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में जो सत्र हुआ, उस सत्र में विधानसभा में यह सवाल किया गया था, उसका भी शासन ने यही उत्तर दिया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : तीन हिस्से हैं, दो के संबंध में उन्होंने कहा कि जानकारी एकत्रित की जा रही है, एक का अब उन्होंने जवाब दिया है। आप किस हिस्से के संबंध में पूछ रहे हैं?

श्री अच्युतानंद मिश्र : अध्यक्ष महोदय, भाग (ग) के संबंध में।

श्री गणेशराम अनंत : अध्यक्ष महोदय, भाग (क) का सवाल काफी विस्तृत है, जिसकी जानकारी अभी नहीं आई है। इसमें पूछा गया है कि पंच और सरपंच के खिलाफ क्या-क्या शिकायतें थीं, और उन पर क्या कार्रवाई की गई, यह जानकारी अभी नहीं आई है।

श्री खूबचंद बघेल : यह जानकारी किससे मँगाई गई है और कितने दिनों में आने की संभावना है?

श्री गणेशराम अनंत : जब से प्रश्न आया है, जानकारी मँगाई गई है। कोशिश की जा रही है कि जानकारी शीघ्र आवे।

श्री अर्जुनसिंह : यह प्रश्न गत सत्र में भी पूछा गया था तो क्या माननीय मंत्री जी का मतलब यह है कि गत सत्र से ही अब तक जानकारी नहीं आई है?

अध्यक्ष महोदय : गत सत्र में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, उनके उत्तर जो शासन द्वारा दिए गए, तो वह सदन के पटल पर रख दिए गए, तो मैं यह जानना चाहता था कि क्या आपने उस उत्तर को देख लिया है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ही जब कह रहे हैं तो देखने की क्या आवश्यकता है।

श्री गणेशराम अनंत : गत सत्र में एक न्याय पंचायत के बारे में पूछा गया था, जिसका विवरण जवाब में दे दिया गया है।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने प्रश्न (ग) का उत्तर दिया है कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ कि किस तिथि को उत्तर माँगा गया और किस तारीख तक उत्तर दिये जाने का यह काम कलेक्टर महोदय ने लिखा है?

श्री गणेशराम अनंत : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट बता दिया है कि गत सत्र में जो जानकारी दी गई है, उससे यह अलग प्रश्न है।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : अभी जो मंत्री महोदय ने कहा, वह क्या बिना जानकारी के कहा?

अध्यक्ष महोदय : आपका कहना है कि तारीख की जानकारी नहीं आई।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक्सप्लेनेशन काल किया गया, वह किस तारीख को किया गया?

श्री गणेशराम अनंत : मार्च 1958 को।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मार्च 1958 को मंत्री जी के पास उत्तर आया कि एक्सप्लेनेशन माँगा गया है तो क्या मार्च 1958 के बाद उनके विभाग ने कलेक्टर को पत्र लिखा, जिससे कि अन्य विवरण आ सके?

श्री गणेशराम अनंत : जब यह प्रश्न पूछा गया तो जानकारी मँगाई गई और अभी जानकारी नहीं आई है।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो सका है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी कहते हैं कि जानकारी नहीं आई है।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : कौन-कौन तारीखों को आपने कलेक्टर, रीवा को लिखा?

श्री गणेशराम अनंत : एक टेलीग्राम तारीख 5-9-58 को कलेक्टर, रीवां को दिया।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : क्या उसके पहले कोई उत्तर विभाग से नहीं माँगा?

श्री गणेशराम अनंत : नहीं, जो प्रश्न पूछा गया था, उसका जवाब दिया गया है।

श्री जगदीशचंद्र जोशी : क्या विभाग से पहले कोई इत्तला नहीं दी गई?

श्री गणेशराम अनंत : अध्यक्ष महोदय, पुराना जो प्रश्न पूछा गया था, उस पर जवाब दिया गया था और उस पर से आरोप लगाया और एक्सप्लेनेशन माँगा गया और इसके बाद क्या कार्रवाई हुई, इसकी जानकारी उपलब्ध होना है, हमने अपने विभाग से दिनाँक 5-9-58 को एक टेलीग्राम दिया हुआ है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की जो शिकायतें आती हैं, उसके पश्चात् ही क्या विभाग से जानकारी मँगाई जाती है या नॉरमल तौर पर मँगाई जाती है?

श्री गणेशराम अनंत : प्रश्न पूछने पर।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 सितंबर 1958/पृष्ठ - 460-61-62)

वित्तमंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रदेश सर्व सामान्य

विक्रय कर विधेयक सन् 1958 (संख्या 15, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश जनरल सेल्स टेक्स बिल 1958 (नंबर 15 आफ 1958) अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन के समक्ष चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। वित्तमंत्री जी ने बताया कि यह विधेयक विधानसभा भवन के द्वारा गत धारा सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस विधेयक को विधानसभा भवन ने प्रवर समिति को सौंपने की सिफारिश की थी और यह विधेयक प्रवर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था और उस पर प्रवर समिति ने पूर्ण गंभीरतापूर्वक विचार किया और अपना प्रतिवेदन विधानसभा में इस अधिवेशन में प्रस्तुत किया है। विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। बहस के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बड़े ही विनोदपूर्ण ढंग से जगह-जगह चुटकियाँ लीं।

सदस्य श्री नेमीचंद (महासमुंद) ने बहस के दौरान कहा :- "मेरा इस विषय में निवेदन है कि इस धारा को बिल्कुल ही निकाल दिया जाए और खर्च लेने का बिल्कुल ही अधिकार न रखा जाए। अगर इस संबंध में, मैं कुछ बात कहूँ तो शायद आपको बुरा लगे, इसमें इतनी बुराइयाँ हैं कि उनका कहना उचित नहीं मालूम होता। यदि कोई सरकारी कामकाज आता है तो कई ऐसे कांड हो जाते हैं जो भयानक होते हैं" इतने में श्री अर्जुनसिंह ने चुटकी लेते हुए कहा- "आश्चर्य तो यह है कि इतनी बुराइयों के बावजूद भी आप वहाँ गए।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/11 सितंबर 1958/पृष्ठ 666)

बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री स्वामी कृष्णानंद ने बोलना शुरू किया और कहा कि "- - -इसलिए मेरा यह निवेदन है कि मिठाई और पान तो इसमें से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। छोटे-छोटे बच्चों को मिठाइयों का बहुत शौक होता है। जब कि वित्तमंत्री महोदय ने बच्चों की पुस्तकों को इसमें छूट दी है तो फिर कोई कारण नहीं है कि मिठाइयों पर भी छूट न दी जाए? बचपन में मुझे कसरत का बड़ा शौक था, मेरे पिताजी मुझे रोजाना एक आना देते थे और मैं कसरत करने के बाद जलेबी खाता था--" वे आगे बोल पाते कि सदस्य श्री अर्जुनसिंह बिना बोले नहीं रहे-

श्री अर्जुनसिंह : वह तो आज भी है, आपको।

श्री स्वामी कृष्णानंद : जी हाँ, आज भी है।

अध्यक्ष (श्री कुंजीलाल जी दुबे) : अब वैसी जलेबियाँ खाने को नहीं मिलती हैं।

म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 सितंबर 1958 पृष्ठ 667-668)

एक और टिप्पणी-

मध्यप्रदेश पशु पक्षी बलिदान निषेध विधेयक पर चर्चा पूर्वानुबद्ध हुई। चर्चा आगे बढ़ी। चर्चा में हिस्सा लेते हुए बहस के दौरान सदस्य श्री गोकुलप्रसाद कतरोलिया ने एक जगह कहा- "उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पशु पक्षी बलिदान निषेध विधेयक को पास करने की बात सोच रहे हैं तो हमारा सबसे पहला धर्म यह हो जाता है कि देखें कि क्या एक इंसान दूसरे इंसान को उस स्तर पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है, जहाँ इंसान-इंसान के अधिकारों का हनन करता है। एक तरफ तो हमारी भावना बन रही है कि इंसान-इंसान में हम सर्वश्रेष्ठ बनें। हमारी सारे लोग पूजा करें और तब तो माननीय सदस्य को सबसे पहले विधान सभा के लिए खड़े होने की इच्छा भी न करनी चाहिए थी। उनको तो अपनी आत्म शक्ति द्वारा ऐसा करना चाहिए था, जिससे संसार के प्राणी प्रभावित होते और सोचते कि भाई अब तो हमें उनकी आत्म शक्ति का लोहा मानना ही होगा लेकिन माननीय सदस्य को सबसे पहले विधानसभा के लिए खड़े होने की ही सूझी और उन्होंने पशु पक्षी बलिदान निषेध विधेयक पेश कर जनता की वाहवाही हासिल करने का सोचा ...."

इतना कहने पर सदस्य श्री विमल कुमार चौरड़िया ने जिन्होंने इस अशासकीय विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया, बीच में बोलते हुए कहा- "इसमें वाहवाही भी होगी कि नहीं, क्योंकि आपके ख्याल से तो मेरी बहुत बदनामी ही हो जायेगी।" इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने एक वाक्य में टिप्पणी की तथा दूसरा वाक्य उपाध्यक्ष महोदय ने जोड़ा—

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य चाहते हैं कि आप माननीय सदस्य न होकर महर्षि होते।

उपाध्यक्ष : और भगवा वस्त्र पहनकर घूमते।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/12 सितंबर 1958/पृष्ठ - 800)

चावल निर्यात के संबंध में हुए प्रश्नोत्तर से उद्‌भूत सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा 2 सितंबर 1958 को सदस्य श्री वंशपति सिंह द्वारा पूछा गया मूल प्रश्न—

श्री वंशपति सिंह : (क) क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी 1958 से 30 जून 1958 तक कितने मन चावल छत्तीसगढ़ से सतना जिला में भेजा गया? (ख) कौन-कौन से लोग चावल ले गये?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 1958 से 30 जून 1958 तक 1,83,971 मन चावल छत्तीसगढ़ से सतना भेजा गया (ख) सूची संलग्न है।

इस प्रश्नोत्तर पर पूरक प्रश्न भी उठाये गए। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न किए तथा उन्होंने शासन का ध्यान चावल निर्यात में हो रही अफरा-तफरी और तस्करी की ओर दिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने चावल-निर्यात प्रतिबंध कानून से और उसमें उत्पन्न परिस्थितियों के सिलसिले में उपरोक्त प्रश्नोत्तर से उद्‌भूत विषय वस्तु को सार्वजनिक महत्व की विषय वस्तु निरूपित किया तथा उस पर विस्तार से चर्चा की।

पूरी चर्चा और माननीय खाद्यमंत्री का जवाब तथा अन्य सदस्यों के द्वारा उठाए गए मुद्दे—

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आज दिनाँक 2 सितंबर 1958 को पूछे गए प्रश्न संख्या 29 पर आधे घंटे की चर्चा का अवसर मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अपने प्रदेश के चावल-निर्यात प्रतिबंध कानून और उससे उत्पन्न हुई परिस्थितियों के संबंध में है। इसके पहले कि इस निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की बात क्यों हुई, मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहूँगा कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सदन से और इस प्रदेश के सभी हिस्सों से एक साथ आवाज उठी जबकि इस प्रदेश में दुष्काल फैलने लगा और इस सदन ने इसे इतने महत्व का प्रश्न समझा कि दिनाँक 18 नवंबर 1957 को माननीय अध्यक्ष ने इस विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के लिए स्वीकृति दी। उस स्थगन प्रस्ताव को इंदौर से आये हुए माननीय सदस्य श्री होमी एफ. दाजी ने रखा था। चर्चा के दौरान में माननीय सदस्य ने बताया था, जो उस दिन की कार्रवाई में पृष्ठ 256 पर है—

"अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों ने वार्डर पर अपनी गोडाउन्स खोल रखी हैं और उनमें माल भर रहे हैं और बाहर भेजते जा रहे हैं। यह चीज अखबारों में आ चुकी है, जिम्मेदार अखबारों में आ चुकी है कि व्यापारी माल स्टाक कर रहे हैं।"

अध्यक्ष महोदय, यह नवंबर 1957 में चर्चा हुई, उसके पश्चात् 20-12-57 को शासन की ओर से दि एम.पी. एक्सपोर्ट कन्ट्रोल आफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर लागू किया गया, उसके तीन दिन पश्चात् एक दूसरा आर्डर लागू किया गया। "मध्यप्रदेश राइस कंट्रोल आफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1957 लागू किया गया। जो पृष्ठभूमि थी उसमें स्पष्ट था कि सदन के सभी माननीय सदस्यों ने और बाहर जनता ने, अखबारों ने यह आवाज उठाई कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाए। माल के मालिक लोग पहले से ही अपनी पेशाबंदी कर रहे थे कि कहीं निर्यात पर प्रतिबंध न लगायें। जितने राइस पैदा करने वाले एरिया थे, वे उनमें अपनी दुकान खोलकर स्टॉक कर रहे थे, यह आवश्यक था और स्वाभाविक था कि जिस दिन आपने चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसी दिन या उसके पहले से इंटरडिस्ट्रिक्ट यातायात पर प्रतिबंध लगाते।

उपाध्यक्ष महोदय, शासन की तरफ से कहा जा सकता है कि ऐसा आदेश दिया गया है, ऐसा प्रतिबंध लगाया गया, किन्तु उसके बाद जो इस प्रदेश में घटनाएँ घटीं, जो जानकारी सदन को शासन की ओर से और अन्य माननीय

सदस्यों की ओर से समय-समय पर दी गई, उससे समस्या कुछ प्रतिकूल ही दिखाई देती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस निर्यात कानून को तोड़ने की जो शिकायतें हुईं और जो प्रश्न माननीय सदस्यों की ओर से सदन में पूछे गए, उन पर शासन की ओर से जो सबसे बड़ा जवाब दिया गया, वह इतना ही था कि चूँकि शासन के पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई इसलिए शासन ने इस पर कोई एक्शन लेना उचित नहीं समझा। तारीख 2-9-58 को इस प्रश्न पर जो अनुपूरक प्रश्न हुए हैं, उनमें से कुछ मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। श्री होमी एफ. दाजी ने पूछा कि क्या शासन के पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि सतना से कितना चावल बाहर गया और कितना सतना में रहा"। इसके उत्तर में श्री सज्जनसिंह विष्नार ने बताया कि "इसकी पूरी निगरानी रखी जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने उत्तर दिया, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है"। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद श्री कपिलदेव नारायणसिंह जी ने यह पूछा "क्या मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो चावल सतना पहुँचा है और जिन दुकानदारों को यह चावल बेचने के लिये दिया गया है, क्या इसकी रिपोर्ट फुड इन्सपेक्टर ने दी है?" श्री सज्जनसिंह जी विष्नार ने इसके उत्तर में कहा कि "जी नहीं।" फिर श्री कपिलदेव नारायणसिंह जी ने प्रश्न किया कि "क्यों नहीं दी, इसका कारण बतलायेंगे?" इसके उत्तर में कहा गया कि "ऐसा प्रश्न ही नहीं उठा, इसलिये देने का मौका नहीं आया।" पुनः श्री कपिलदेव नारायणसिंह जी ने प्रश्न किया "यह तो फुड इन्सपेक्टर्स की ड्यूटी होनी चाहिये कि जो माल उनके पास आता है उसकी जाँच करें और साथ ही दुकानदारों का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वे सरकार को इसकी सूचना दें।" इसके उत्तर में श्री सज्जनसिंह जी विष्नार ने फरमाया कि "ऐसी आज तक कोई शिकायत ही नहीं है इसलिये ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आया।" इसके पश्चात् उपाध्यक्ष महोदय, श्री होमी एफ. दाजी ने यह पूछा कि "ऐसी हालत में इस बारे में जो शिकायतें अखबारों में छपती हैं तो क्या वे आपके ध्यान में आई हैं कि चावल बाहर भेजा गया है?" श्री सज्जनसिंह जी विष्नार द्वारा इसका उत्तर दिया गया कि "कौन-सी तारीख को छपा और कितना चावल गया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप यदि इस संबंध में जानकारी देंगे तो हम मालूम करेंगे?" इसके बाद श्री शाकिर अली खाँ ने पूछा कि "क्या इस संबंध में कोई कटिंग पेश हुई है?" उत्तर में श्री विष्नार ने फरमाया कि "याद नहीं आ रहा है।" इसके पश्चात् श्री हरिभाऊ जोशी ने प्रश्न किया कि "अखबारों में जो चावल का चोरी से निर्यात होने के बारे में छापा गया है, क्या वह सत्य है?" इसके उत्तर में श्री सज्जनसिंह जी विष्नार ने कहा कि "उत्तर दे दिया गया है कि इस संबंध में कुछ याद नहीं है।" इसके बाद डॉक्टर खूबचंदजी बघेल ने प्रश्न किया कि "जवाब में दिया गया है कि चावल लिया गया है उनके नाम उपलब्ध नहीं हैं किन्तु व्यापारियों से चावल ख़रीद कर तो इस तरह से कोई भी आदमी ले जाता है और उपयोग करता है तो उनके कन्ट्रोल के लिये आपके पास क्या उपाय है"? इसके उत्तर में श्री विष्नार ने फरमाया कि "ऐसी कोई लेखी शिकायत करें तो जाँच की जावेगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शासन से यह पूछना चाहता हूँ कि कब से शासन का यह रवैया हो गया है कि जब कोई शिकायत की जावेगी तो कार्रवाई करेंगे, मैं समझता हूँ कि शासन के इस डिपार्टमेन्ट का यह प्रथम कर्तव्य है कि जब "डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस" आर्डर पास हुआ तब से ऐसा प्रबंध करते कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, चाहे प्रदेश के अन्दर ही क्यों न जाये, चावल जाने पर बराबर निगरानी रखते। उक्त आर्डर पास करने का मतलब इतना ही था। इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में कल मंत्री महोदय ने यही बात की है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कन्ट्रोल रहेगा। चूँकि शिकायत नहीं की गई है इसलिये बेचने नहीं दिया जा सकता, इसका क्या मतलब है? सवाल सिर्फ इतना है कि जिस चीज को शासन ने मंजूर किया है, उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये। इस प्रश्न के उत्तर में शासन द्वारा यह बताया गया कि एक जनवरी 1958 से 30 जून 1958 तक 1 लाख, 83 हजार, 971 मन चावल छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से सतना भेजा गया, उसके आँकड़े परिशिष्ट "घ" में दिये गये हैं। इस विषय में और कुछ कहने से पहले मैं शासन को और सदन को यह बता देना चाहता हूँ कि सतना-रीवा डिवीजन का 'रेलहेड" हैं। वहीं से फूड ग्रेन बाहर जाता है और वहीं से फूड ग्रेन अन्दर आता है। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के मुताबिक पुराने विन्ध्यप्रदेश से सन् 1948 से 1957 तक सरप्लस

एक्सपोर्ट किया जाता रहा है। उसके आँकड़े इस प्रकार हैं-

1948	70,000 मन	बम्बई स्टेट को
1949	24,984 मन	,,
1950	58,320 मन	,,
1952-53	41,211 मन	,,
1954	81,656 मन	,,

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कुछ चावल अन्य प्रदेशों को भेजा गया, जिसका एवरेज लगाने पर लगभग 2 लाख मन प्रति वर्ष विन्ध्य से चावल निर्यात होता था। इस प्रकार इतना सरप्लस राइस विन्ध्यप्रदेश एक्सपोर्ट किया गया। इसके बाद इन्हीं छः महीनों के अन्दर, शासन द्वारा दी हुई जानकारी के अनुसार 1 लाख, 83 हजार, 971 मन चावल सतना आया। इसमें डिस्ट्रिक्ट रायपुर के आठ स्टेशनों से जो चावल भेजा गया है, उसके आँकड़े शामिल नहीं हैं।

इसलिये यदि हम यह कहें कि इन 6 महीनों में इतना चावल सतना जिले के विन्ध्य के भू-भाग में आया, जो कि 5-7 वर्षों में एक्सपोर्ट किया जाता था तो प्रश्न आता है कि इतना चावल सतना में आने पर उसके भावों पर क्या असर हुआ? मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ जो कि भावों के उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह समझ सकूँ लेकिन एक कॉमनसेन्स के नाते इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इतना चावल, जब छत्तीसगढ़ से आया तो उसका असर यह होना चाहिये था कि सतना मंडी में चावल का भाव गिर जाता। अभी उपाध्यक्ष महोदय, हम अवलोकन करें कि मई, जून और जुलाई में सुपीरियर, मीडियम और कोर्स चावल के क्या भाव थे तो हमको भलीभाँति विदित हो जावेगा। मई में सुपीरियर चावल का भाव कोट नहीं किया है। मीडियम का भाव रु. 18.85 का था और कोर्स का रु. 17.77 मन था और जून में सुपीरियर का भाव 20.85 मन था और मीडियम का रु. 19.38 मन और कोर्स का भाव रु. 18.38 मन था। जुलाई में सुपीरियर का भाव कोट नहीं किया है, लेकिन मीडियम का भाव रु. 22.86 मन था और कोर्स का भाव रु, 20.00 प्रति मन था। अध्यक्ष महोदय, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तरफ तो हजारों, लाखों मन गल्ला सतना में आ रहा है लेकिन जितनी उसकी प्रतिक्रिया होना चाहिये थी यानी भाव गिरना चाहिये थे उसके बजाय भाव बढ़ते जा रहे हैं। माह जुलाई में कोर्स चावल का भाव वह हो गया था, जो माह जून में सुपीरियर का था। उपाध्यक्ष महोदय, इससे क्या प्रतीत होता है? मैं शासन से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सतर्कता केवल इस पर केन्द्रित रहती है कि उन निरपराधियों को पकड़ा जाये, जो किसी के भड़कावे में आकर दो-चार दुकानें लूटने लगते हैं? आपका ध्यान दूसरी तरफ उन लोगों पर नहीं रहता जो बड़े-बड़े सेठ लोग हैं, जो हजारों, लाखों रुपया चावल का इस तरह से निर्यात करके कमाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि शासन ने किन बातों की जानकारी देने में असमर्थता प्रकट की है। मैं आपको बताऊँगा कि बिलासपुर से 27 हजार मन और रायपुर से 1 लाख, 85 हजार मन चावल आया। शासन ने सदन को इस प्रकार की जानकारी नहीं दी कि यह चावल किसके पास से सतना में आया। जिन लोगों ने डिस्पैच किया, क्या उन लोगों से सतना के लोगों ने रेल्वे द्वारा डायरेक्ट खरीद लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जब रेल्वे द्वारा ट्रान्जेक्शन हो रहा है तो कोई भी जो खरीदेगा, रेल्वे रसीद लेकर रेल्वे में तो छुड़ाने के लिये जावेगा ही। जब लाखों मन गल्ला आ गया तो किसी महाजन ने जाकर उसे छुड़ाया ही होगा, लेकिन शासन को इसकी भी जानकारी नहीं है और न जानकारी देता है कि कितने लोगों के पास गल्ला आया। मैं जिन लोगों के नाम जान चुका हूँ, वह मैं बता देना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है एक तो श्री दिनेशकुमार-राकेशकुमार हैं, दूसरे मांगीलाल-रामलाल, तीसरे भीमराज और चौथे रामादीन-शीतलप्रसाद नाम के व्यापारी हैं, जिनके नाम गल्ला आया है। जहाँ तक पहली फर्म दिनेशकुमार-राकेशकुमार के नाम की फर्म है तो ऐसी कोई फर्म सतना में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इस नाम की फर्म न होते हुए भी उसके नाम से गल्ला आया है और उन्होंने रेल्वे रसीद सतना में छुड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न उठता है कि इतना सारा चावल गया कहाँ? इस संबंध में शासन से पूछा जाता है तो शासन निरुत्तर हो जाता है और कहा जाता है कि "शिकायत क्यों नहीं की, शिकायत की जाने पर जाँच करेंगे।" जब ऐसी-ऐसी

असाधारण बातों की शिकायत करने की आवश्यकता है तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा दिन शासन चलाने से लाचार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि शासन इस बात की जाँच करे और जानकारी हासिल करे कि इतना सारा चावल गल्ला मण्डी में वितरित हुआ या नहीं ? मुझे माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि हमने सब नाकों पर पुलिस बैठा दी है और हम पुलिस द्वारा गल्ले की रोकथाम करेंगे। मैं निवेदन करूँगा कि शासन को मालूम होना चाहिये कि आज डेवलपमेंट का युग है, दूसरे प्रदेशों की बाउन्ड्रीज लगी हैं और वहाँ गल्ला नहीं है और डेवलपमेंट रोड बनी है और इन सबके द्वारा चावल दूसरे प्रदेशों में भेजा जा सकता है। फारेस्ट रोड आपने बनवाई है, डेवलपमेंट रोड आपने बनवाई हैं, उनके जरिये चावल भेजा जा सकता था। यह रोक करने का समय तो वह था जब कि लोग चावल ले गये थे, उस समय चावल ले जाने पर निगरानी रखने की आवश्यकता थी। यह देखा जाता कि अमुक लोग चावल लाये हैं वह हिसाब दें कि किसने कितना चावल कहाँ-कहाँ बेचा है। इसके लिये शासन ने कुछ नहीं किया है।

"It is obvious therefore that the Food Department has bungled and bungled hopelessly, on a matter of life and death to the people of this State. No Government should or can tolerate such trifling with the destinies of the people at the hands of an inept and corrupt bureaucracy

The only course left the Hon'ble Food Minister is to order a Judicial enquiry under a High Court Judge into the whole sordid scandal so that those people whose gluttony for gold has been satiated at the cost of untold human misery are brought to book irrespective of their status. If you do not have the wisdom and the courage to do this and there by discharge your responsibility to the people of this State then at least adopt the honourable way of getting out and leaving us to our fates.

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी (खाद्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सबको मालूम है कि 20 तारीख को फूड पर डिबेट होने वाली है, उसमें सब पोजीशन क्लीयर की जायेगी। आपने सतना के बारे में प्रश्न उठाया है। सतना विन्ध्यप्रदेश का रेल्वे सेंटर है और वह जगह ऐसी है कि वहाँ से रीवा और सीधी को सड़क से सब चीजें जाती हैं और दूसरी तरफ छतरपुर, टीकमगढ़ और पन्ना जाने को वहाँ से रास्ता है। सतना ट्रेड का बढ़ा सेंटर है, आपने बताया है मेरे पास फिगर्स नहीं हैं, सतना में माल आया करता था।

श्री अर्जुनसिंह : आया नहीं करता था, जाया करता था।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : आपको आने का नहीं मालूम।

श्री अर्जुनसिंह : आने का नहीं मालूम।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : हमारे मध्यप्रदेश में 8 जिले हैं जिनमें से दो-चार जिले ऐसे भी हैं जिनमें चावल काफी होता है। उन दो-चार जिलों में चावल इस्तेमाल होता है और वहाँ से बाहर भी जाता था। छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड के इलाके में, सिवनी और मंडला के इलाके में चावल की फसल को नुकसान हुआहै, 14 जिलों में चावल की फसल को नुकसान पहुँचा है। छत्तीसगढ़ में नुकसान होने के बावजूद कुछ चावल ऐसा था जो सूबे भर में जाता था। जैसे वह जाया करता था वैसे ही जाता रहा। छत्तीसगढ़ से 3 लाख टन से 5 लाख टन तक चावल दूसरे प्रदेशों को जाया करता था। इस साल हमने वहाँ चावल पर रोक लगा दी है क्योंकि चावल की फसल छत्तीसगढ़ में, विन्ध्यप्रदेश और दूसरे इलाके सिवनी, मंडला और बालाघाट में खराब हुई है। रोक हमने इसलिये लगाई है कि फसल अच्छी नहीं हुई और रोक लगाने से जो चावल सरप्लस होता था वह सरप्लस नहीं हुआ। हमारे प्रदेश में चावल के जाने-आने की पहले कोई रोक नहीं थी।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यही तो जानना चाहता था कि जब आपने निर्यात में रोक लगाई है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में क्यों रोक नहीं लगाई?

इंटर डिस्ट्रिक्ट में कोई रोक नहीं है। सवाल यह है कि रेल्वे से वैगन मिलने में मुश्किल होती थी। जब हमने देखा कि विन्ध्य रीजन में स्केयरसिटी है तो रेल्वे को लिखा था कि चावल लाने के लिये यहाँ सहूलियत से वैगन दो क्योंकि यह सूखा वाला हिस्सा है लेकिन व्यापारियों को इसके साथ-ही-साथ यह शर्त लगा दी कि जब हम चावल लाने में तुम्हारी मदद करते हैं तो इतना हमारा भी कंट्रोल रहेगा कि वह चावल यहाँ बिके और भाव भी ज्यादा न रहे, अगर इतनी शर्त हमारी कबूल करते हो तो हम चावल लाने में वैगनों की मदद तुमको करते हैं। उसी के अन्तर्गत सतना में एक लाख मन चावल आया।

श्री अर्जुनसिंह : मंत्री जी के कहने का तात्पर्य यह है कि सतना में जो चावल आया वह वहाँ पर खुली हुई चीप ग्रेन शॉप्स में गया?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : जो आया उसकी लिखा-पढ़ी वहाँ के कलेक्टर के पास होगी, हमारे पास नहीं है क्योंकि कलेक्टर और व्यापारियों के दरमियान में यह चीज कही थी तो उसी के मुताबिक इंतजाम हो सका। तो चावल काफी आया लेकिन जब अखबारों में खबर छपी कि बड़ी गड़बड़ी मची है और वहाँ से चावल बाहर दूसरे प्रदेशों में जा रहा है तो हमने रेल्वे को लिखा कि वैगनों के लिये फिर रेस्ट्रिक्शन कर दो और जितना पहले जाता था, उससे ज्यादा वैगन नहीं देना है। तो अब सतना के लिये उतना चावल नहीं आ रहा है, जितना आता था लेकिन इसके साथ यह कह दूँ कि शहडोल में चावल आने के लिये वैगन नहीं मिल रहा तो वहाँ के लिये भी चावल सतना आता था और वहाँ से शहडोल जाता था, तो सतना एक ऐसा सेंटर था कि जहाँ काफी, करीब एक लाख मन के चावल आया। यह ताज्जुब की चीज नहीं है, क्योंकि वहाँ से विन्ध्यप्रदेश के आठों जिलों के लिये चावल गया और एक लाख मन कोई चीज नहीं है, बहुत थोड़ा है। हम जो गेहूँ भेज रहे हैं वह भी बहुत भेज रहे हैं इसलिये हमको बुरा नहीं मालूम हुआ कि इतना चावल वहाँ क्यों आया? अब सवाल यह है कि बाहर हमने कैसे जाने दिया? मैंने परसों एक सवाल के जवाब में बताया था और आज भी बताया कि जब हमारे पास अखबारों से खबरें आईं कि वहाँ से बाहर जा रहा है तो उसको चेक करने की कोशिश की गई। आपने एक सवाल उठाया था और हमारे डिप्टी मिनिस्टर ने जवाब दिया कि कोई खास शिकायत नहीं आई तो उसका मतलब यह है कि या तो शिकायत आई कि बाहर जाता है और हमने कलेक्टरों को ताकीद कर दी है कि कड़ी निगरानी रखी जाये, लेकिन खास शिकायत का मतलब यह है कि कोई कहे फलाने वक्त फलाँ आदमी माल लेकर जा रहा है तो उसको पकड़ें और उसके ऊपर केस चलायें। वैसे आप शिकायत करते हैं तो हम अफसरों को ताकीद करते हैं कि कड़ी नजर रखिये, हमारे जो फुड इंस्पेक्टर हैं, इनकी निगरानी कीजिये। पिछले सेशन में एक सवाल के जवाब में बतला चुका था कि विन्ध्य रीजन के एक जिले में तीन रोड दूसरे प्रदेशों को जाते हैं, जहाँ अपनी हद खत्म होती है, वहाँ पुलिस चौकी हैं, हमारे एक इंस्पेक्टर अलग रहते हैं .....

श्री अर्जुनसिंह : यही तो कह रहा हूँ। तीन नहीं तेरह रोड्स हैं।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : 13 रोड्स हैं यह तो माना, मैंने तीन नहीं कहा लेकिन वहाँ कितनी चौकियाँ हैं?

श्री अर्जुनसिंह : यह आपको जानने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : तीन रोड तो सीधी हैं, तेरह होंगी। टीकमगढ़ को होगी, पन्ना को होगी इस प्रकार हो सकता है कि तेरह हों लेकिन जहाँ भी रोड्स हैं वहाँ हमारी चौकियाँ कायम हैं। अब फारेस्ट रोड जहाँ है तो ऐसी साधारण रोड्स में जनरली डाले (ठेले) जा नहीं सकते। ऐसे कोई रास्ते होंगे लेकिन वह भी मैंने परसों आपको बताया था। एक ऐसी शिकायत हुई थी उस पर अफसर लोग पहुँचे और फारेस्ट रोड पर जाकर उन्होंने 10-12 गाड़ियाँ जो माल से लदी जा रही थीं, उनको जाकर पकड़ लिया और कार्रवाई की। अब ऐसी कभी खबर मिल गई तो कार्रवाई की जाती है। अब जो पक्की रोड्स हैं, उनमें सभी जगह चौकियाँ कायम हैं और वहाँ हमारा पूरा इंतजाम है। अब इतना हमारा सब इंतजाम है, पुलिस का इन्तजाम है लेकिन दुनियादारी है, सब कुछ होता रहता है। इसको आप बिल्कुल सीलबन्द करें तो यह जरा मुश्किल सवाल है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : थोड़ी-थोड़ी शासन की ओर से चोरी की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : यह बात मजाक की ठीक है ...

श्री शाकिर अली खाँ : क्या आप ताईद कर रहे हैं कि ठीक है?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : यानी देखिये, चोरी भी जब साबित हो, अदालत में गवाही ठीक हो। तो सब वकील ही जानते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : पहले आप चोरी देखिये तब गवाही का सवाल होगा?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : अगर कोई पकड़ा जायेगा तो बराबर चालान किया जायेगा।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : चौदह आना हिस्सा पुलिस और कर्मचारियों की जेब में चला जाता है।

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : इन्तजाम तो हमारा हो रहा है और स्वयं हम कार्रवाई कर रहे हैं। अखबारों में खबरें आती हैं और हम भी उन खबरों को देखते हैं। रतलाम, बालाघाट, सिवनी से बंबई राज्य में माल जाते पकड़ा गया है इसकी खबरें आई थीं। सबका इन्तजाम होता है। इसके बाद बहुत से मुकदमे हर जगह चल रहे हैं अब उनमें कामयाबी-नाकामयाबी होना दूसरी बात है।

श्री शाकिर अली खाँ : अखबारों के अलावा किसी दूसरे जरिये से भी आपके पास शिकायत आती है?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : शिकायत नहीं आई। मुकदमे चल रहे हैं। जब कोई आप का सवाल हो तो हम वहाँ से खास तौर से जानकारी माँगते हैं। जब आपने सवाल किया था तब हर जगह से लिस्ट आई थी कि इतनी जगह इतने मुकदमे चल रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : कितना माल वहाँ से आया इसकी जानकारी आपने नहीं दी, न इसको बताया?

श्री अर्जुनसिंह : जिनकी जानकारी दी गई कि चावल वहाँ आया और आपके पास कोई जानकारी नहीं है तो क्या इसकी इन्क्वायरी करेंगे?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : देखिये, यह आज आपका नोटिस मिला, एक-दो रोज मिलता तो कलेक्टर के यहाँ से जानकारी माँगते। 20 तारीख को जो डिवेट होने वाली है, उसमें यह सारी बातें मालूम हो जायेंगी।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उनको आज ही नोटिस मिला, इसलिए पूरी जानकारी देने से लाचारी है। इसलिए जानकारी देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को 10-15 मिनट का मौका दिया जाये। किसी दूसरे दिन माननीय मंत्री महोदय जानकारी दे दें।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अध्यक्ष महोदय,, यह सिर्फ आधे घंटे का प्रश्न था। पूरी जानकारी पर आज जो चर्चा होने वाली है, उसमें शासन अवश्य प्रयत्न करेगा। अभी जो कहा गया कि एक लाख मन चावल आया है तो यह तादाद इतनी बड़ी नहीं है कि इस पर आज विशेष नुक्ताचीनी करें।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : चावल किन-किन के पास आया है, इसकी जानकारी दी जाये। चूँकि शासन ने उत्तर नहीं दिया, इसलिए किसी दूसरे दिन जवाब देने के लिए माननीय मंत्री महोदय को 10-15 मिनट का समय चाहा गया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/12 सितंबर, 1958/पृष्ठ 800-807)

प्रश्नकाल : तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री वृन्दा सहाय : (क) क्या लोक स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया, यह बताने की कृपा करेंगी कि सन् 1958-59 के वर्ष में प्रदेश के किन-किन जिलों में कहाँ-कहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोलने का निश्चय शासन ने किया है? (ख) गत वर्ष प्रदेश के किन-किन जिलों में कहाँ-कहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोली गई हैं?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : (क) मध्यभारत क्षेत्र - (1) जिला धार में कैसूर (2) जिला शाजापुर में नलखेड़ा (3) जिला रतलाम में मोमिनपुरा (4) जिला बड़वानी में धनोरा और निवाली (5) जिला भेलसा में पठारी में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज खोली जावेगी तथा 10 आयुर्वेदिक औषधालय (6) जिला भिंड में सुखंडू (7) जिला मुरैना में बड़ापुरा (8) जिला मंदसौर में मुलथानपुरा (9) जिला धार में नलवाड़ा (10) जिला झाबुआ में रजई

(11) जिला रतलाम में हथनोरा (12) जिला शाजापुर में तिलावद मेना (13) जिला बड़वानी में भवती (14) जिला भेलसा में बरो (15) जिला गुना में महिदपुर में स्थापित किए गए हैं। भोपाल क्षेत्र - (1) बमुलिया (तहसील सीहोर), जिला सीहोर (2) मरदानपुर (तहसील बुधनी), जिला सीहोर (3) सुनवाहा (तहसील बेगमगंज), जिला रायसेन और (4) बकतरा (तहसील बरेली), जिला रायसेन, एलोपैथिक डिस्पेंसरीज प्रस्तावित हैं। आयुर्वेदिक औषधालय कहीं नहीं खोले जावेंगे। विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र - (1) चंदिया, (जिला शहडोल) (2) पलरा, (जिला टीकमगढ़) (3) धीरा, (जिला रीवा) में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोला गया है। (ख) प्राप्त जानकारी के अनुसार सिर्फ भोपाल क्षेत्र में कोठरी, शामपुर, रेहटी, जावर और नजीराबाद, जिला सीहोर में एलोपैथिक डिस्पेंसरीज खोली गईं।

ट्रॉयवल वेलफेयर विभाग द्वारा स्थापित - (1) लेप्रासी चिकित्सालय, धार (2) बी.डी. यूनिट, बड़वानी (3) टी.बी. अस्पताल, खरगौन (4) व्ही.डी. यूनिट, झाबुआ। एक आयुर्वेदिक औषधालय सिर्फ मध्यभारत क्षेत्र में रतलाम में खोला गया।

श्री वृन्दा सहाय : जिला ग्वालियर के कस्बे भितरवार में क्या कोई डिस्पेंसरी खोलने की शासन की स्कीम है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मध्यभारत क्षेत्र के लिए 3 डिस्पेंसरीज की जानकारी प्राप्त होकर उनकी सेंक्शन आ गई है, मंदसौर जिले में और खरगौन जिले की बड़वानी तहसील में भवती ग्राम में खोली जावेंगी।

श्री काशीप्रसाद पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि महाकौशल की जानकारी क्यों नहीं दी गई?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : वहाँ अस्पताल नहीं खुल रहे हैं।

श्री नारायणसिंह जयवार : जो उत्तर दिया गया है वह मध्यभारत क्षेत्र और विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र का है तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाकौशल क्षेत्र के हर गाँव में क्या अस्पताल खोल दिए गए हैं या वहाँ पर बीमारी ही नहीं होती है, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री काशीप्रसाद पांडे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतने बड़े महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा क्यों की गई?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : महाकौशल क्षेत्र में जनपदों द्वारा कुछ एलोपैथिक डिस्पेंसरीज संचालित हैं, ऐसी कुल डिस्पेंसरीज की संख्या 183 है, जिनके प्रान्तीकरण की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त ऐसे 36 अस्पतालों को खोले जाने का प्रकरण विचाराधीन है, इसके अतिरिक्त सप्लीमेंटरी बजट में महाकौशल क्षेत्र के लिए प्रावीजन किया गया है।

श्री हरिभाऊ जोशी : नलवाड़ा की डिस्पेंसरी के लिए सन् 1957-58 में प्रावधान था या सन् 1958-59 के लिए प्रावीजन है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं कह रहा हूँ कि क्या यह सही है या गलत कि यह डिस्पेंसरी 1957-58 से है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जो दिया गया है, वह सही है।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या इस डिस्पेंसरी में स्टाफ आ चुका है या अस्पताल की इमारत देखकर मंत्री अच्छे हो जाते हैं।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : कभी-कभी जल्दी की वजह से, उद्घाटन वगैरह की जल्दबाजी में अस्पताल खुल जाते हैं, लेकिन बाद में जिस स्टाफ की नियुक्ति की जाती है, उसका स्क्रूटमेंट नियमों के अनुसार होने में देर हो जाती है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या शासन की यही पॉलिसी है कि उद्घाटन की जल्दबाजी में अस्पताल खुल जाएँ और डाक्टर न भेजे जायें?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : ऐसा होता है कि अक्सर हमारे भाई बड़े चिन्तित रहा करते हैं कि उनके यहाँ जल्दी अस्पताल खुल जाएँ और उनकी जल्दबाजी के कारण भवन तो बन जाता है, लेकिन स्टाफ भेजने में देर लग जाती है।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या शासन ऐसे अस्पतालों को, जिनका भवन बन चुका है और स्टाफ नहीं है, अस्पताल खुल गया, ऐसा मानता है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : धीरे-धीरे कार्य तो आरंभ हो जाता है, कंपाउंडर जाने लगते हैं और दूर-दूर के क्षेत्रों के लिए बहुधा डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, सब चाहते हैं कि बड़े-बड़े शहरों में रहें, इसलिए देर होती है।

श्री वीरेन्द्रसिंह : इसमें बताया गया है कि 1958-59 तक कहाँ-कहाँ अस्पताल खोलने का शासन ने निश्चय किया है और उसमें धनोरा और निवाली का भी नाम है। लेकिन इसमें मुझे जहाँ तक जानकारी है, वहाँ अस्पताल पहले से मौजूद है तो क्या शासन ऐसे ही छोटे गाँवों में अस्पताल खोलने की कोई योजना बना रहा है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जो स्थिति थी, मैंने उसका उल्लेख कर दिया।

श्री रमाकांत खोड़े : क्या ये औषधालय जिला एडवायजरी कमेटी की राय से खोले जाते हैं? और निमाड़ जिला एडवायजरी कमेटी ने सबसे पहले लोणासा ग्राम में अस्पताल खोलने के लिए निवेदन किया था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : जिला एडवायजरी कमेटी की राय बड़ी उपयोगी होती है लेकिन एक बार जो कुछ तय हो गया, उसके बाद भी माननीय सदस्य ऊँचा-नीचा करते रहते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : ऊँचे-नीचे का क्या मतलब?

श्री रमाकांत खोड़े : क्या निमाड़ में जिला एडवायजरी कमेटी ने लोणासा में अस्पताल खोलने के लिए निर्णय किया था और उसके बाद क्या माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि कमेटी ने उस राय को बदल दिया।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : डिटेल्स की जानकारी नहीं है।

श्री सुंदरलाल पटवा : गत वर्ष डिस्पेंसरीज खोलने का जो लक्ष्य था, क्या विभाग द्वारा उससे कम डिस्पेंसरीज खोली गई हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : सूचना चाहिए।

श्री बालमुकुंद मुदगल : जिलेवार ग्रामों के चुनावों के क्या नियम हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इसकी अलग से सूचना चाहिए।

श्री बाबूलाल मौर्य : माननीय मंत्री जी ने कहा कि महाकौशल क्षेत्र में 36 अस्पताल खोले जा रहे हैं तथा अन्य जनपदों के अस्पतालों का एकीकरण किया जा रहा तो क्या ये अस्पताल महाकौशल क्षेत्र की पंचवर्षीय योजना में हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : माननीय सदस्य को गलतफहमी हो गई है, मैंने कहा है कि महाकौशल क्षेत्र के लिए कोई योजना नहीं है, लेकिन विभाग द्वारा सभी स्थानों से जानकारी मँगाई गई है, उसमें यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

(म.प्र.विधानसभा कार्रवाई/18 सितंबर 1958/पृष्ठ 926-28)

श्री हंसराज : (क) क्या शिक्षामंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला छतरपुर में सहायक अध्यापक पद के लिए जो चुनाव माह अप्रैल, 1958 में हुआ था, उसमें कुल कितने उम्मीदवार आये थे? (ख) उन उम्मीदवारों में हरिजन उम्मीदवार कितने थे तथा उनमें से कितने हरिजन उम्मीदवार चुने गए?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : (क) 203 (ख) तीन हरिजन पदाभिलाषी थे, उनमें से किसी को नहीं चुना गया।

श्री हंसराज : जिला छतरपुर में सहायक अध्यापक पद के लिए जो चुनाव माह अप्रैल में हुआ था, उनमें कितने लोगों को लिया गया?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : 143 को लिया गया था।

श्री हंसराज : क्या कारण है कि 143 आदमी जब चुनाव में लिये गए तो 3 हरिजनों में से किसी को नहीं लिया गया?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : उन्होंने यह बताने का कष्ट नहीं किया था कि वे हरिजन हैं।

श्री बाबूलाल मौर्य : इन पदों में से कितने स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : नियमानुसार हरिजनों को लिया जाता है। यह मैंने अभी आपको बताया है कि तीनों हरिजनों में से किसी ने यह नहीं बताया कि वे हरिजन हैं।

श्री हंसराज : इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से इन लोगों के नाम आये थे और इम्प्लायमेंट एक्सचेंज में इन लोगों ने जो प्रार्थना-पत्र दिए थे उसमें हरिजन लिखकर दिया गया था। तो गलती इन कैंडीडेट्स की नहीं थी। इम्प्लायमेंट एक्सचेंज ने ऐसी गलती क्यों की?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यह प्रश्न इम्प्लायमेंट एक्सचेंज से संबंधित है उनसे पूछा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री तुलाराम सगर : माननीय अध्यक्ष, प्वाइंट ऑफ आर्डर, श्री मौर्य जी कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष : उनके प्रश्न का उत्तर दिया गया है।

श्री बाबूलाल मौर्य : मैंने पूछा था कितने स्थान हरिजनों के लिए सुरक्षित रखे गए थे?

अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने तो बताया कि उसके अंदर नियमानुसार जितने रखे जाना चाहिए थे, उतने रखे थे।

श्री बाबूलाल मौर्य : मैं संख्या जानना चाहता हूँ कि कितने रखे गए थे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : नंबर बताना अभी संभव नहीं है। वैसे हर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा विभाग की ओर से आज्ञा प्रसारित की गई है कि जो चुनाव किए जाते हैं, उनमें नियमानुसार हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जायें और उनके स्थान सुरक्षित हैं, इस चुनाव में तीन हरिजन थे।

श्री किशनलाल मालवीय : छात्र वृत्तियाँ शिक्षा विभाग की ओर से दी जाती हैं। यदि वे मिडिल फेल हो जाते हैं तो नहीं दी जाती हैं। ऐसी दशा में उनको एक वर्ष के अंदर क्या नौकरी देने की कृपा करेंगे?

अध्यक्ष : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि उनको विदित नहीं था कि इन उम्मीदवारों में हरिजन थे कि नहीं तो यह उत्तर कैसे दिया कि तीन हरिजन थे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : बाद में पता चला, उसी के अनुसार बताया।

श्री बाबूलाल मौर्य : इन पदों के लिए मिनिमम योग्यता क्या निर्धारित की गई थी?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : इन पदों के लिए मिडिल पास, मिनिमम योग्यता थी। जहाँ तक इस क्षेत्र का संबंध है, चयन के लिए लेखी परीक्षा ली जाती थी। जो लोग लेखी परीक्षा में पास नहीं होते थे, उनको नहीं लिया जाता था लेकिन जहाँ तक शासन का संबंध है, वह हरिजनों को इसके लिए भी छूट देगा।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा मंत्री महोदय ने बताया, बाद में पता लगा कि तीन हरिजन उम्मीदवार भी थे और यह भी बताया कि नियमानुसार इन सीट्स में सुरक्षित स्थान हरिजनों के भी थे, तो हम समझे कि सुरक्षित स्थानों पर सवर्ण लोग ले लिए गए?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यह प्रश्नकर्ता के प्रश्न के उपरान्त ज्ञात हुआ। अब जब चुनाव होगा तो उसमें इन लोगों का ख्याल रखा जायेगा।

श्री प्रीतराम : इसके पहले हरिजन हैं या नहीं इसको जानने के लिए शासन कुछ सोच रहा है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : कैंडीडेट्स जो सो जाने वाले हैं, उनको जगाना संभव नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितंबर 1958/पृष्ठ 930-931)

स्थगन प्रस्ताव : जबलपुर में विद्यार्थी आंदोलन :-

सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव और उस पर हुई चर्चा -

अध्यक्ष : मेरे पास जबलपुर के कुछ विद्यार्थियों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, उसके संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव आया है। यह स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह का है। प्रस्ताव इस प्रकार है-

'The Students agitation over the three year Degree Course affair at Jabalpur has reached a serious stage and because of the mishandling of the situation by the authorities concerned complete hartal was observed by all students of Jabalpur on 17-9-58. Apart from this three students are on hunger strike. The fast deteriorating situation has created an explosive atmosphere in the city which may at any time lead to unfortunate happenings. This, House, therefore, be adjourned to day to discuss this extraordinary matter of urgent importance."

इस संबंध में शासन को क्या कहना है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : हड़ताल करने की जो चर्चा है वह तो अब खत्म हो चुकी है। यह ऑटोनामस बॉडी है। उससे संबंधित यह प्रश्न है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह स्थगन प्रस्ताव दूसरे कारण से भी नहीं जाना चाहिए।

अध्यक्ष : मैं आपसे केवल एक बात जानना चाहता हूँ और वह यह है कि यह आंदोलन कब से शुरू हुआ है?

श्री अर्जुनसिंह : एजीटेशन ने तो अब गंभीर रूप धारण कर लिया है।

अध्यक्ष : वह एक दूसरी बात है। हड़ताल किस कारण से हुई है? असली कारण क्या है?

श्री अर्जुनसिंह : हड़ताल कारण नहीं है लेकिन जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, वह हड़ताल के कारण है।

अध्यक्ष : यह कब से है?

श्री अर्जुनसिंह : कई दिन से है।

अध्यक्ष : जिस समय शुरू हुई थी उसी समय एडजोर्नमेंट मोशन लाना चाहिए था। आपने तो नियमों को अच्छी तरह पढ़ा है।

श्री अर्जुनसिंह : कहीं भी हड़ताल हो जावे और एडजोर्नमेंट मोशन लायें, ऐसा तो नहीं है। वहाँ परिस्थिति गंभीर हो गई है। 27 तारीख को हड़ताल हुई, फिर मैं यह प्रस्ताव लाया।

अध्यक्ष : तुरन्तता नहीं है, इस कारण मैं इस प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं देता।

एक श्री शाकिर अली खाँ का भी इसी तरह का प्रस्ताव है, जिसे मैंने अनुमति नहीं दी। प्रस्ताव इस प्रकार है : "जबलपुर शहर के शासकीय विद्यालयों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने मैट्रिक के तीन वर्षीय कोर्स को सन् 1961 तक जारी रखे जाने की माँग को लेकर सेकेंडरी बोर्ड के कार्यालय के समक्ष तारीख 15-9-1958 को प्रदर्शन किया क्योंकि माँगें पूर्ण न किए जाने के कारण नगर के विद्यार्थियों में पूर्ण असंतोष फैल गया है।

अतः इस सार्वजनिक अविलंबनीय प्रश्न पर विचार करने के लिए आज दिनाँक 18-9-1958 को सदन की कार्यवाही स्थगित रखी जावे।"

मैंने सदन को कुछ दिन पूर्व ---

श्री शाकिर अली खाँ : इस सिलसिले में क्या माननीय मिनिस्टर साहब ने यह फर्माया है कि हड़ताल खत्म हो गई है। क्या भूख हड़ताल भी खत्म हो गई?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : भूख हड़ताल भी खत्म हो गई।

श्री शाकिर अली खाँ : खुशी की बात है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितंबर, 1958/पृष्ठ 985-86)

वर्ष 1958-59 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

अध्यक्ष महोदय ने समस्त अनुपूरक अनुदान माँगें एक साथ सदन में प्रस्तुत करते हुए कहा - "फरवरी-अप्रैल 1958 सत्र में सदस्यों के सुझाव पर समस्त अनुपूरक माँगें एक साथ सदन में प्रस्तुत की गई थीं, जिससे समय की काफी बचत हो गई थी। अतः मैं यह उचित समझता हूँ कि यदि सदन की राय हो तो समस्त अनुपूरक अनुदान एक साथ प्रस्तुत हुए, ऐसा समझा जाये" यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुपूरक माँगों पर बहस शुरू हुई। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी बहस में हिस्सा लिया। पूरी बहस इस प्रकार है -

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अनुपूरक अनुदान पर जो बहस हुई, वह बहुत ही रोचक बहस हुई, और ....

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपको मजा आया।

श्री अर्जुनसिंह : मुझे तो इतना मजा आया कि मैं बोलने ही वाला नहीं था। मजा ही लेने वाला था, लेकिन अंत में सोचा कि कुछ कह ही दूँ। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जिस भावना से आज इस सदन में विभिन्न

माँगों पर अपना मत प्रकट किया है, वह निःसंदेह प्रशंसनीय है, यहाँ पर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। सदन में प्रत्येक ओर से इस डिपार्टमेंट को एक नेशनल डिपार्टमेंट के तौर पर संचालन करने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराया गया और हम समझते हैं कि इस प्रदेश के किसी भी शासन को, चाहे वह किसी भी दल का शासन क्यों न हो, एजुकेशन जैसे अहम मसले को नेशनल प्वाइंट ऑफ व्यू से ही देखने में इस प्रदेश और अपने देश की भलाई है। इस बात को सामने रखते हुए अगर हम यह कहें कि हमारे प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट का रवैया नेशनल इण्टरेस्ट को सामने रखकर नहीं है; तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, जब हमारे पास कोई फिक्स्ड स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई निर्धारित हमारे पास रेवेन्यू नहीं है तो फिर जैसा माननीय तामस्कर जी ने कहा कि यह फिलिंग एण्ड स्टार्ट की पॉलिसी में यह पॉलिसी रहेगी तो भविष्य में नागरिक भी इसी तरह का काम करेंगे और उनके द्वारा देश की कितनी उन्नति हो सकेगी, यह तो भविष्य ही बतायेगा? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हम यह आशा तो अवश्य करते हैं कि एजुकेशन की अहमियत को समझते हुए माननीय शिक्षामंत्री जी इस बात को छोड़कर कि वे ही इस विषय के बहुत जानने वाले हैं, मैं मानता हूँ कि वे एक अच्छे शिक्षा शास्त्री हैं, इन बातों को जानते हैं और एक अच्छे अध्यापक भी रहे हैं, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं जो इस बारे में काफी जानते हैं। जिस प्रकार राजस्व मंत्री जी ने पिछली बार कहा कि रेवेन्यू कोड के ऊपर जानते हैं आप, माइण्डेड है, तो कम से कम शिक्षा मंत्री जी से भी हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि एजुकेशन की ओर उनका भी ओपन माइण्ड हो और आशा करता हूँ कि वे माननीय सदस्यों के द्वारा बताये हुए रास्ते पर चलने का प्रयत्न करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, लॉ डिपार्टमेन्ट के बारे में एक बहुत बड़ी धनराशि इसमें रखी गई है, जिसके बारे में विशेष चर्चा भी सदन में हुई और लोगों ने यह कहा कि इस बड़ी भारी रकम का शासन के खिलाफ निर्णय होना भी एक कारण है। इसका कारण यह है कि शासन इस बात को नहीं देखता है कि कौन-सा मुकदमा चलाना चाहिए और कौन-सा नहीं चलाना चाहिए। माननीय सदस्यों ने कहा और मुझे भी एक जानकारी है और अगर माननीय विधि मंत्री इसका खंडन नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि सत्य है। एक ऐसा प्रकरण भी है ताकि लॉ डिपार्टमेन्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिन दोनों के एक ही मंत्री महोदय हैं, से संबंधित है। एक केस में लॉ डिपार्टमेन्ट ने क्लीयर ओपीनियन दी कि इस मामले को शासन अदालत में न ले जाये, यह मामला ऐसा है कि इसमें शासन हार जायेगा और उसके होते हुए भी शिक्षा विभाग ने उसको अदालत में दायर किया और जहाँ तक .....

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मामले का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम लेने से उस मामले पर कोई बुरा असर पड़े। मैं उनके कक्ष में जाकर बतला सकता हूँ और शायद जाँच करने पर उनको पता चल भी जायेगा? यदि ऐसा मामला है तब यह सोचने की बात है कि एक ओर हमारा विधि विभाग जो कि इसलिए ही बना हुआ है कि शासन को लीगल ओपीनियन दे और दूसरी ओर विभाग की ओपीनियन को एक ओर रखकर किसी ऑफीसर के पर्सनल विडिक्टिवनेस के कारण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को निभाने के लिए उस ओपीनियन के खिलाफ सोचा।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : चूँकि यहाँ पर व्यक्तिगत स्वार्थ की बात आई है इसलिए मैं समझता हूँ कि अच्छा होगा अगर उस केस का नाम ले लिया जावे, नहीं तो मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ पर एस्पेशन होता है।

श्री अर्जुनसिंह : वे गलत समझ रहे हैं। यह मामला उनके व्यक्तिगत स्वार्थ का नहीं है, स्टेट की मशीनरी को विडिक्टिवनेस के लिये युटिलाइज नहीं होना चाहिए ऐसा आशय मैं इसलिए निकालता हूँ क्योंकि जब लॉ डिपार्टमेन्ट अपनी ओपीनियन देता है कि अमुक केस को मत फाइल करो तो फिर क्या कारण है कि दूसरा डिपार्टमेन्ट उसको फाइल करता है? आखिर उसको सोच समझकर ही तो किया गया होगा। इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आपने टूरिज्म के लिये 20 हजार रुपये की बस का प्रावधान किया है, उसमें एक स्थान खजुराहो भी है और वहाँ 20 हजार की बस जायेगी। इसमें मेरा माननीय सदस्यों से मतभेद है। मैं टूरिज्म को विशेष स्थान देता हूँ क्योंकि जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की कमी है उसको पूरा करने के लिए टूरिज्म एक अच्छी चीज है लेकिन जैसा कि मंत्री

महोदय ने कहा कि ऊँच-नीच हो जाती है। जब ऊँची-नीची देखते हुए आपने 20 हजार की बस का प्रावधान किया है जिससे खजुराहो तक पर्यटक आयेंगे तो वहाँ पहुँचने पर वे झोपड़े में रहेंगे, सड़क पर रहेंगे या बस में रहेंगे।

श्री काशीप्रसाद पांडे : वहाँ के महाराजा साहब ने रेस्ट हाउस बना रखा है और उनका होटल भी है।

श्री अर्जुनसिंह : महाराजा साहब का तो कोई रेस्ट हाउस नहीं है, गवर्नमेन्ट का रेस्ट हाउस है, लेकिन उसमें भी तीन-चार कमरे हैं जबकि खजुराहो में सीजन में पाँच सौ आदमी प्रतिदिन आ जाते हैं। तीन-चार कमरों में कैसे रह सकते हैं। यह मैं पूछना चाहता हूँ कि चार-पाँच सौ आदमी प्रतिदिन आते-जाते हैं तब तीन-चार कमरों में कैसे रह सकते हैं।

उपाध्यक्ष : वे पाँच सौ जैसे अब रहते हैं, वैसे ही रह लेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : क्या समझकर शासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसके बाद मैं एन.सी.सी. के बारे में भी कहना चाहता हूँ क्योंकि एन.सी.सी. ऐसे विभाग से संचालित होता है जो देश के नवयुवकों का चरित्र ऊँचा करने वाला है, लेकिन यहाँ भी वही प्रकरण दिखाई पड़ता है। हमारा आदर्श ऊँचा है, लेकिन जब कोई काम कार्यान्वित करने जाते हैं तो जितने एन.सी.सी. के ऑफीसर, विभाग और उनके द्वारा चलाये हुए जितने भी प्रकरण हैं, उनको इतना भी एन्करेजमेंट नहीं मिलता? इसके लिए मैं एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं एक और बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता। हमारे प्रदेश में एक संस्कृत कमीशन अप्वाइंट किया गया है। मुख्यमंत्री शायद उसके सर्वेसर्वा हैं। उनको संस्कृत से बहुत प्रेम है और मैं समझता हूँ और भी सदस्यों को संस्कृत से प्रेम है। मैं तो संस्कृत नहीं जानता, ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता, लेकिन इससे लोगों में खासकर, उन लोगों में जो संस्कृत से प्रेम रखते हैं, आशा फैल गई है कि उन्हें भी इससे लाभ उठाने का मौका मिल सकेगा। सीधी जिले के भीतरी ग्राम में एक संस्कृत विद्यालय है। लगभग 7 महीने माननीय मंत्री जी को तथा शिक्षामंत्री जी को जबानी और लिखकर और हर तरह से यह अवगत कराते रहे हैं कि उस ग्राम के लोगों ने जिन्हें संस्कृत से बहुत प्रेम है, अपने श्रमदान से लगभग 8-9 हजार रुपयों की एक बिल्डिंग बनाई है लेकिन अब उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे उसमें संस्कृत विद्यालय खुलवाकर उसका सारा खर्चा वहन कर सकें। उन्होंने 3-4 हजार रुपया कर्जा लिया है। जो स्कूल है वह भी सरकारी है, लेकिन उसे किसी प्रकार की एड नहीं मिलती है। लोगों ने बिल्डिंग इसलिये बना दी है कि जब कभी भी सीधी जिले में फिर से संस्कृत स्कूल खोलने का प्रश्न आयेगा तो वे बिल्डिंग दे देंगे। जब आप प्राथमिकता देने के लिये तैयार हैं तो फिर इस मसले में आपने प्राथमिकता को बालाये ताक क्यों रख दिया है। मैं समझता हूँ शिक्षा मंत्री जी ने अब शायद कोई कार्रवाई की होगी तो पता नहीं लेकिन अब तक तो मुझे निश्चित याद है कि कोई कार्रवाई वहाँ पर संस्कृत स्कूल खोलने के लिये नहीं की गई है। एक पैसा भी अनुदान के रूप में इस विद्यालय को शासन ने नहीं दिया है। बस मुझे इतना ही कहना था।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितम्बर 1958/पृष्ठ 1021-1022-23)

अनुपूरक अनुदान पर चल रही बहस का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि पाठ्य पुस्तकों के नेशनलाइजेशन को लेकर निहित स्वार्थों ने उन्हें धमकी दी है। उन्होंने कहा - "जहाँ तक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है नेशनलाइजेशन करने पर काफी चर्चा हुई। मुझे तो कहा गया कि हम तुमको तबाह कर देंगे लेकिन मैं समझता हूँ कि वेस्टेड इन्टरेस्ट ....." इतने में बीच में ही सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कहा - "हम लोग जरा जानें तो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को किसने तबाह करने की बात कही। कौन तबाह कर सकता है।"

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : केवल एक पब्लिशियर ने यह कहा है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितम्बर 1958 पृष्ठ 1025)

बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बहस का जवाब दे रहे शिक्षा और विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल

शर्मा को टोकते हुए इस प्रकार कहा —

श्री अर्जुनसिंह : श्रीमान् यहाँ हम पब्लिक स्पीच सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, न्याय विभाग के सम्बन्ध में जो शंका पैदा की गई थी, उसका एक भी उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया। यहाँ पर जो शंकाएँ की जाती हैं उनका स्पष्टीकरण भी हम चाहते हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : न्याय विभाग की माँग स्पष्ट है। जिस बात पर माँग है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहाँ तक अदालत के मामलों का संबंध है, पक्ष में फैसले होते हैं या विपक्ष में होते हैं, उससे इस बात का जोड़ मिलता नहीं है। जहाँ हाईकोर्ट सुनता है और अपने तरीके पर फैसला करता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 सितम्बर 1958 पृष्ठ/1029)

अतारांकित प्रश्नः

श्री अर्जुनसिंह : क्या लोक-कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले में घुंघुरी लघु सिंचाई योजना व नरकुई लघु सिंचाई योजना में काम कब तक शुरू होगा?

श्री शंकरलाल तिवारी : घुंघुरी योजना - प्राक्कलन इत्यादि आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर। नरकुई योजना - भू-मापन तथा अनुसंधान-कार्य पूर्ण होने पर एवं आवश्यक प्राक्कलन इत्यादि तैयार होने पर।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितम्बर 1958/पृष्ठ 1072)

श्री अर्जुनसिंह : क्या लोक-कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द डेम से विद्युत लेने के लिए उत्तरप्रदेश सरकार से अब तक क्या समझौता हुआ व वहाँ के विस्थापित लोगों को कितनी धनराशि मुआवजे के रूप में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा दी गई?

श्री शंकरलाल तिवारी : रिहंद बाँध से इस प्रान्त में विद्युत आदि मिलने का प्रश्न अभी भी क्षेत्रीय परिषद में विचाराधीन है। बाँध के क्षेत्र से अभी किसी को न विस्थापित किया गया है और न कुछ मुआवजा ही दिया गया है

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितम्बर 1958/पृष्ठ 1072)

वित्तमंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1958 (संख्या 3, 1558) पर चर्चा चल रही थी। बहस में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री बसन्त सदाशिव प्रधान (धार) ने अपने भाषण में एक स्थान पर कहा कि "....पिछली बार भी जब डिक्री के रकम का अनुदान माँगा गया था तो उसे बड़ी धूर्तता (क्लेवरली) से टाला गया था। कल भी जब पूछा गया तो माननीय वित्तमंत्री जी ने उसको टाल दिया ...."

सदस्य श्री प्रधान द्वारा प्रयोगिक शब्द 'धूर्तता' के संबंध में सदस्य श्री वैदेहीचरण पाराशर ने औचित्य का प्रश्न उठाया। 'धूर्तता' शब्द परिभाषित किया जाने लगा। इसी नोंकझोंक के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने एक टिप्पणी की-

श्री वैदेहीचरण पाराशर : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जानना चाहता हूँ कि क्या धूर्तता शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वह पार्लियामेन्टरी शब्द है?

श्री बसन्त सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मैंने धूर्तता शब्द का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष : आप क्या मतलब लगाते हैं धूर्तता का।

श्री वैदेहीचरण पाराशर : मैं धूर्तता का अर्थ बुरे अर्थ में मानता हूँ।

अध्यक्ष : आपका अर्थ है क्या?

श्री वैदेहीचरण पाराशर : धूर्त उस व्यक्ति को कहते हैं जो जानबूझ कर बेईमानी और चालाकी करता है।

अध्यक्ष : किसको कहते हैं धूर्त, मैं जरा फिर से सुनूँ।

श्री वैदेहीचरण पाराशर : मेरी तुच्छ बुद्धि में धूर्त उसको कहते हैं जो जानबूझ कर बेईमानी से भरी हुई चालाकी करता है। बेईमानी से भरी हुई चालाकी को धूर्तता कहते हैं।

अध्यक्ष : आपका 'धूर्त' शब्द से क्या मतलब है श्री प्रधान?

श्री बसन्त सदाशिव प्रधान : क्लेवरली मैंने कहा। धूर्तता से टाला है ऐसा मैंने कहा है। जिस भाव को मैं इंग्लिश में प्रकट करता हूँ।

श्री वैदेहीचरण पाराशर : मेरा नम्र निवेदन है कि क्लेवरली का अर्थ 'धूर्तता' कहीं नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपने उसको किस अर्थ में प्रयोग किया है?

श्री बसन्त सदाशिव प्रधान : क्लेवरली के अर्थ में मैंने उसका प्रयोग किया है। वैसे में हिन्दी का पंडित तो नहीं हूँ, पर मेरी दृष्टि में जो भाव था क्लेवरली का उसको मैंने धूर्तता के रूप में प्रयोग किया है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानजी ने उसको चतुराई के रूप में प्रयोग किया है।

श्री अर्जुनसिंह : लेकिन धूर्त लोग अक्सर चतुर होते ही हैं।

श्री बसन्त सदाशिव प्रधान : माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी चतुराई से इस प्रश्न को हल कर दिया और चतुराई शब्द का प्रयोग कर दिया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1124)

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1958 पर हो रही चर्चा के दौरान एक यह रोचक प्रसंग आया—

श्री सुंदरलाल पटवा : क्या लोक-लेखा समिति की रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं वे निष्पक्ष ढंग से नहीं लिखी गई थीं?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैं पटवाजी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो रूपक इस सभा भवन के सामने पेश किया है, उसके अनुसार में इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं गृहिणी बन सकूँ। लेकिन मैं गृहस्थ जरूर हूँ और गृहस्थी की चर्चा जरूर कर सकता हूँ। गृहस्थी के जीवन के अनुभव की चर्चा जरूर कर सकता हूँ।

श्री सुंदरलाल पटवा : यदि परम्परा के अनुसार एकाध शेर हो जाए तो और अच्छा होगा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अगर आपको पति होने का दावा है तो पति बनने के पहले परीक्षा प्रधानता जरूर होनी चाहिए और साथ ही विवेक भी। आपके मन में परीक्षा प्रधानता इतनी कठोर है जो मानवता की सीमा का उल्लंघन कर जाती है, तो मैं कहूँगा कि आप पति भी नहीं बन सकते और न ही गृहस्थिन।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : ऐसे पति को तो तलाक दे देना चाहिए।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : क्या आशा कर सकते हैं, क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि जहाँ पर एक साथ रहकर, बैठकर, सहयोग से काम करें, वहाँ पर जो अपनी परीक्षा का माप है वह कितना कठोर हो।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : वे माप बडे प्रेम से करते हैं।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : जो मानवीय सीमा है उसे भी आप भूल जा सकते हैं।

श्री सुंदरलाल पटवा : जब गलतियाँ होती हैं तो उन्हें मन्जूर कर लेना चाहिए जैसा कि वनमंत्री कहते हैं कि कुछ इधर भी होती हैं और कुछ उधर भी। पर झगड़ा तो इस बात का है कि आप गलतियाँ भी करते हैं और ऊपर से मन्जूर नहीं करने का दुराग्रह भी करते हैं।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैं गलती के लिए निवेदन करना चाहता हूँ कि ....

श्री अर्जुनसिंह : पति और पत्नी के आपस के झगड़े की चर्चा क्या इस बहस में हो सकती है।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : पति अगर जबरदस्ती पत्नी बनता है तो क्या किया जा सकता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1137)

प्रश्नोत्तरकाल : तारांकित प्रश्नोत्तर

मूल प्रश्नकर्ता श्री जगदीशचन्द्र जोशी। अन्य सदस्यों के साथ सदस्य श्री अर्जुनसिंह के पूरक प्रश्न। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं —

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : (क) क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जिले के किन-किन ग्रामों में 30-9-57 से 20-8-58 तक सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं? (ख)

उन्हें क्रमशः कितने-कितने मन गल्ला दिया गया। (ग) दिनांक 20-8-58 को कितनी अर्जियाँ सस्ते गल्ले की दुकान खोलने हेतु जिला दफ्तरों में पड़ी हैं?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : (क) व (ख) सूची पुस्तकालय में रखी है। (ग) 19 अर्जियाँ।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : जिन स्थानों में बरसात के कारण गल्ला नहीं जा सका था, क्या उन स्थानों में गल्ला पहुँच गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जी हाँ। बैलगाड़ी और ट्रक द्वारा भेजा गया है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : किस तारीख को गल्ला भेजा गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : एक स्थान में एक मन गल्ला भेजा गया है तो किस प्रकार आगे का इंतजाम होगा?

अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज। आप क्या चाहते हैं?

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया जो इस प्रकार है—

अध्यक्ष : यदि उन्होंने ऐसा कहा होता तो मैं उनको बाध्य करता शब्द वापिस लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी के संबंध में कहा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है। मैं श्री सीताराम जाजू से जानना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विचित्र मालूम होता है, सब इंतजाम हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : अभी आपने कहा है कि ट्रक से गल्ला भेजा गया है तो क्या बरसात में ट्रक जा सकते हैं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : मैंने दोनों बातें बताई हैं, ट्रक और बैलगाड़ी दोनों ही तरह से जाता है।

श्री काशीराम तिवारी : उन जिलों के उन इलाकों से जहाँ खाद्य की कमी अनुभव करते थे, क्या कुछ लोग बरसात के पहले या बाद में स्वयं गल्ला लेने को आगे आए?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : यह जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री काशीराम तिवारी : इन चार जिलों में सबसे ज्यादा सस्ता गल्ला मिलने की कहाँ व्यवस्था की गई है? दुकानें कहाँ-कहाँ खोली गई हैं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : मेरे पास इसकी सूचना है। रीवा में 134, सीधी में 94, पन्ना में 52 और टीकमगढ़ में 2 दुकानें खोली गई हैं।

श्री गोविन्द नारायणसिंह : कुछ जगह जहाँ अनाज नहीं पहुँच सका, क्या वहाँ शासन की ओर से कोई प्रबन्ध किया गया है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जी हाँ, अनाज पहुँचाये जाने की व्यवस्था की गई है।

श्री अर्जुनसिंह : सीधी की जो लिस्ट आपने दी है उसमें ग्राम कोटा में जो सस्ते अनाज की दुकान थी,उसमें जून के आखरी हफ्ते में गल्ला खत्म हो गया था और अभी तक एक दाना भी वहाँ गल्ला नहीं है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : मेरे पास सूचना नहीं है, अगर ऐसी बात होगी तो जाँच कर ली जावेगी।

श्री होमी एफ. दाजी : उन दुकानों पर प्रति व्यक्ति कितना गल्ला एक वक्त में दिया जाता है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : पाँच सेर।

श्री वैदेहीचरण पाराशर : बरसात के कारण ऐसे कौन से मार्ग बाकी रह जाते हैं जहाँ मार्ग पर ट्रक नहीं चलते और बैलगाड़ी चली गई?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : यह कामन सेन्स की बात है कि बैलगाड़ी सभी जगह जा सकती है।

श्री शाकिर अली खाँ : अध्यक्ष महोदय, यह किस किस्म का कामन सेन्स है जहाँ रास्ता नहीं है फिर भी बैलगाड़ी चली जाती है?

अध्यक्ष : मैं जहाँ तक समझता हूँ आपका कहना यह है कि जहाँ ट्रक जा सकते हैं वहाँ ट्रक जाते हैं और जहाँ बैलगाड़ी जा सकती है वहाँ बैलगाड़ी जाती है।

श्री शाकिर अली खाँ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ का रास्ता बन्द है, वहाँ बैलगाड़ी कैसे चली गई?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जहाँ बैलगाड़ी नहीं गई होगी वहाँ आदमी भेजा गया होगा।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ बैलगाड़ी नहीं जा सकती होगी वहाँ बैल गया होगा और जहाँ बैल नहीं जा सकता होगा वहाँ हाँकने वाला गया होगा?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : यह तो आपके समझने की बात है, मैंने कहा कि अनाज की पूरी-पूरी व्यवस्था की गई है। जिस तरह से भी अनाज पहुँचाया जा सकता था, पहुँचाया गया।

श्री रामकिशोर शुक्ल : यह 19 स्थानों पर जो गल्ले की दुकानें खोलने की दरख्वास्तें पेन्डिंग पड़ी हैं, वहाँ दुकानें क्यों नहीं खोली गईं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : मैंने कहा है कि कोई भी अर्जी नहीं है, सिर्फ 19 अर्जियाँ पेन्डिंग पड़ी हैं। आप किसी विशेष स्थान का नाम बतावें तो बताया जा सकता है।

श्री रामकिशोर शुक्ल : यह 19 दुकानें क्यों नहीं खोली गईं?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : जल्दी ही निर्णय होने वाला है या हो गया होगा।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि एक आदमी को कितना गल्ला दिया जाता है और सीधी में एक आदमी को गल्ला प्राप्त करने के लिए कितने मील का रास्ता तय करके जाना पड़ता है?

अध्यक्ष : आप एक प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : मैं जानना चाहता हूँ कि एक आदमी को एक समय कितना गल्ला दिया जाता है?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी होमी एफ. दाजी साहब के उत्तर में कहा कि पाँच सेर मिलता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 सितम्बर 1958/पृष्ठ-1165-67)

ACC No. 26922
Book No.....
Date.....

औचित्य का प्रश्न :

राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं तथा खाद्यान्न स्थिति पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा जारी थी। सदस्य श्री सीताराम जाजू ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि "... आपके अशोक मेहता सहयोग देना चाहते हैं, आचार्य कृपलानी सहयोग देना चाहते हैं, लेकिन जब सहयोग का समय आता है तो त्यागपत्र देते हैं। एक तरफ तो आप ही इमरजेन्सी की स्थिति कह रहे हैं और दूसरी तरफ जब नेशनल इमरजेन्सी आती है तो विरोधी दल के लोग सहयोग नहीं देते। आपके सब वेग एलीगेशन्स हैं और आपकी यह आदत है कि राष्ट्रपिता से लेकर छोटे-से-छोटे नागरिक के प्रति दुराचरण की बातें कहना, लांछन की बातें कहना, जिनको सुनकर शर्म आती है। जिनका जीवन चरित्र ही काला-काला हो वे अगर सफेद बातें कहें तो सुनी नहीं जा सकतीं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर छोटे-से-छोटे नागरिक के प्रति आप क्या-क्या बातें कहते हैं, उनको सुनकर शर्म आती हैं और कहते हुए भी शर्म आती है।

अध्यक्ष :आर्डर-आर्डर प्लीज। आप क्या चाहते हैं?

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया जो इस प्रकार है-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि माननीय सदस्य ने कहा कि आपका आचरण राष्ट्रपति से लेकर नीचे-से-नीचे के आदमी तक शरमनाक बातें करना है। यह शब्द उनको वापस लेना चाहिए क्योंकि यह उनका बिलकुल गलत कहना है।

अध्यक्ष :यदि उन्होंने ऐसा कहा होता तो मैं उनको बाध्य करता शब्द वापिस लेने के लिए, लेकिन उन्होंने आपकी पार्टी के संबंध में कहा है किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा है। मैं श्री सीताराम जाजू से जानना

चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा है?

श्री सीताराम जाजू : मैंने कहा था कि उनकी पार्टी का आचरण ऐसा है कि राष्ट्रपति से लेकर छोटे-से-छोटे नागरिक के चरित्र के बारे में न मालूम क्या-क्या कहते हैं जिसको दोहराना लज्जास्पद है।

श्री सुंदरलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के बारे में कहा गया है, मैं उसका सदस्य हूँ और मुझे लक्ष्य करके ही माननीय सदस्य ने ऐसा कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आपको लक्ष्य करके नहीं कहा है और न ही उन्होंने आपका नाम लिया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितंबर 1958/पृष्ठ : 1366)

अध्यक्ष महोदय के माध्यम से राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई ने सदन के समक्ष 20 सितम्बर 1958 को यह प्रस्ताव रखा— "यह सदन राज्य में अभावग्रस्त क्षेत्रों की समस्या और अन्न समस्या पर विचार करे।"

इस प्रस्ताव पर चल रही चर्चा के दूसरे दिन माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। उनके भाषण में सहयोगी रचनात्मक रुख और समाजवादी दृष्टिकोण से साक्षात्कार होता है— है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस डिबेट का यहाँ पर विश्लेषण किया है वह एक ऐसा विषय है जिस पर कि इस प्रदेश की करीब 329 लाख जनता का भाग्य निर्भर करता है और उसकी अहमियत इस बात से आँकी जा सकती है कि अपने देश में प्रति वर्ष दो परसेन्ट पापुलेशन इनक्रीज होने की वजह से अगर इस प्रदेश में प्रत्येक आदमी की जरूरत या उसकी इच्छाएँ प्रतिदिन के हिसाब से केवल दो औंस बढ़ाई जायें तो इस प्रदेश में दो मिलियन टन ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस विषय पर होने वाली बहस एक विशेष अहमियत रखती है। माननीय राजस्व मंत्री ने उस दिन अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए जो हमें आँकड़े दिए हैं मैं उन आँकड़ों का खण्डन नहीं करूँगा क्योंकि माननीय राजस्व मंत्री ने जो आँकड़े दिए हैं उनको मैं शासन की नेकनीयती का प्रतीक मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि जो विशेष परिस्थिति अपने प्रदेश के कुछ सम्भागों में निर्माण हो रही थी, शासन ने उसके मुकाबले के लिए कदम उठाया। वह पर्याप्त या अपर्याप्त था अथवा उसके निभाने, करने में क्या त्रुटियाँ थीं या क्या खामियाँ रह गईं, यह दूसरी बात है, जैसा कि सदन के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि उनको हमें प्रेक्टीकल साइड से लेटिच्युड देना चाहिए और वह सब लेटिच्युड देते हुए मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह जो तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपए की जो समूल धनराशि विभिन्न तरीकों से सहायता पहुँचाने के लिए बतलाई गई, जिस वक्त विशेष रूप से इसकी आवश्यकता थी उस वक्त उसे नहीं खर्च की गई। आज आप आँकड़े बतलाकर हमारा मुँह इस बात में तो बन्द कर सकते हैं कि हम यह कहें कि आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने कब किया, इसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जहाँ तक मुझे अपने संभाग का ज्ञान है, मई के महीने के शुरू के हफ्ते में माननीय राजस्व मंत्री वहाँ पधारे और उस संभाग के कलेक्टरों की कांफ्रेन्स हुई। उसमें क्या हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी तो मैं देने से लाचार हूँ क्योंकि मुझे न है और न हो सकती है, लेकिन जो अन्य सोर्सेज से मुझे जानकारी है वह यह है कि माननीय राजस्व मंत्री ने कुछ लाख रुपया रिलीफ वर्क्स के लिए भेजने को कहा जिसके ऊपर से यह प्रोग्राम बना कि इतने रिलीफ वर्क्स मई के अंत में फिर से शुरू करने हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि जो नए तालाब रिलीफ वर्क के लिए बन रहे हैं उनके उपयोग के लिए कोई स्कीम होनी चाहिए क्योंकि जो लाखों-करोड़ों रुपए से चीज बन रही है वह साल भर के लिए ही हो जाए, यह उचित नहीं है। मैं मानता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री ने दूरदर्शिता का परिचय दिया जब उन्होंने इस बात को कहा कि इसके लिए मैं बिलासपुर का जो इंजीनियर है उसको तीन-चार महिने के लिए रीवा में स्थानान्तर करूँगा जिससे कि उन तालाबों से जो नए निर्माण हुए हैं, इरीगेशन का काम किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इन दो ही बातों के बारे में कहना चाहता हूँ, जहाँ तक रिलीफ वर्क्स के लिए

रुपया पहुँचाने की बात है, मैं इस संबंध में कोई अतिशयोक्ति कहूँ तो मैं उसके खण्डन के लिए तैयार हूँ। आप अपने कलेक्टर्स की रिपोर्ट से और हम लोगों ने जो खुद वहाँ जाकर आँखों देखा है, उस पर से मैं यह कह सकता हूँ कि मई के अन्त तक वहाँ रुपया न पहुँचने के कारण यह काम नहीं हो सके। प्रत्येक जिले के हजारों रुपये रह गए और उसी से अब मानसून रिलीफ वर्क्स चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मुझे जहाँ तक जानकारी है शासन के वह अफसर जो कि प्रत्येक तालाब से हजारों एकड़ सिंचाई करने के लिए प्रबंध करने वाले थे, जून के अंत तक रीवा में पधारे नहीं और जुलाई में पधारे होंगे जबकि बरसात शुरू हो गई। पानी बरस गया इसलिए एक भी तालाब नहीं बना। इसमें क्या दिखता है, शासन की शिथिलता। कहा कि इमरजेन्सी हम फील करें तो हम इमरजेन्सी फील नहीं करते तो हमारे फील करने, न करने से कुछ नहीं होता। इमरजेन्सी आपको फील करना चाहिए और उसी से काम होता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूँ एक पहलू के ऊपर जिसके बारे में मुझे बहुत बड़ी आशा थी। हमारे कार्यकुशल राजस्व मंत्री और हमारे खाद्य मंत्री, जिनको मैं कोई विशेषण देने में लाचार हूँ वे इस ओर कुछ संकेत करने की कोशिश करेंगे कि हमारी खाद्य समस्या जो है उसके बारे में हमारी नीति क्या है? आपने जो फिगर्स दिए हैं और जो काम दिखाया है उससे सिम्पटम्स को ट्रीट किया है। खाद्य समस्या जैसे अहम प्रश्न पर शासन की नीति क्या है? न तो इस नए राज्य की विधानसभा में इस पर कोई प्रकाश पड़ा और जहाँ तक मुझे मालूम है, इसके पहले जो विधानसभा थी, न उस विधानसभा में और न उसके बाहर शासन के किसी भी मंत्री ने खाद्य नीति पर कोई भी प्रकाश डाला। इस अवस्था में हम यह कहें कि खाद्य नीति शासन के पास है ही नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रिलीफ वर्क्स के द्वारा आपने सिम्पटम्स को ट्रीट किया है। जो लोग मेडिकल विभाग में हैं वे यदि सिम्पटम्स को ट्रीट करते हैं तो उनको क्वेक कहते हैं। मैं माननीय राजस्व मंत्री को क्वेक कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, पर खाद्य मंत्री में तो क्वेक की एलीमेन्टरी क्वालिटी भी नहीं है जिनको कि शासन ने खाद्य विभाग सौंपा है। उस अवस्था में यदि शासन द्वारा चलाई हुई इस खाद्य नीति में कोई हल्ला मचे तो कोई आश्चर्य नहीं है। शासकीय दल ने इस प्रदेश में समाजवादी समाज की स्थापना की पालिसी डिक्टेट की है। बहत अच्छी पॉलिसी इस खाद्य जैसे अहम् मसले पर लागू की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं अगर सोशलिज्म के बारे में कोई गलती कहूँ तो माननीय मंत्री जी मुझे दुरुस्त कर दें, लेकिन सोशलिज्म के जो मूलभूत सिद्धांत हैं कि जिस चीज की जरूरत देश के बहुसंख्यक लोगों को हो, उसके उत्पादन और विभाजन पर शासन का नियंत्रण होना चाहिए।

श्री होमी एफ. दाजी : सोशलिज्म की यह परिभाषा नहीं है। सोशलिज्म के अन्दर ट्रेड को जगह नहीं है, मार्केटिंग कहना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अगर यह परिभाषा है तो मैं लाचार हूँ। यह परिभाषा तो उस ओर से होनी चाहिए थी। खाद्य पर हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के 80 प्रतिशत लोगों का जीवन निर्भर है। यह व्यवसाय ऐसा है जिसका हमारे देश के लोगों पर रोज असर पड़ता है, जिसमें कि देश के 80 प्रतिशत लोग लगे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर सोशलिस्टिक बेसिस पर जो कदम शासन ने उठाए हों, उनका उल्लेख किसी माननीय मंत्री ने नहीं किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नेशनेलाइजेशन किया गया इंश्योरेन्स कम्पनीज का, नेशनेलाइजेशन किया गया हैवी इंडस्ट्रीज का, नेशनेलाइजेशन किया गया रोडवेज का और नेशनेलाइजेशन किया गया छोटे-छोटे कारोबारों का। लेकिन फूड जैसी अहम चीज का सोशलाइजेशन करने के लिए एक भी कदम नहीं उठाया, यदि उठाया हो तो मैं अपने को करैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। जब इस प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो जाती है, जब चारों तरफ से हाहाकार मच जाता है, तब शासन सजग होता है और फिर उस विषय में प्रयास करता है। उसके पश्चात् जैसे ही समस्या शांत होती है, मुँह ढककर सो जाते हैं। खाद्य समस्या के प्रति जो शासन का रवैया रहा है उसका नतीजा यह हुआ है कि खाद्य समस्या आज नहीं बल्कि न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियों को सताएगी। मैं शासन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि फूड की समस्या को हल करना चाहते हैं तो फूड ट्रेड के सोशलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाइए। इस संबंध में यह कहना भी आवश्यक है कि अपने ही प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी ऐसी आवाज

उठी है। खाद्य जैसी समस्या पर केन्द्र का नियंत्रण है, हम केवल केन्द्रीय सरकार से याचना कर सकते हैं। इस प्रकार शासन का यह कहना गलत है। संविधान के सातवें शेड्यूल की लिस्ट 3 की एन्ट्री 33 इस प्रकार है-

Trade and Commerce in, and the production, supply and distribution of—

(a) the products of any industry where the control of such industry by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, and imported goods of the same kind as such products,

(b) foodsfuffs, including edible oil-seeds and oils,

इससे स्पष्ट है कि फूड ट्रेडर्स पर नियंत्रण करने का प्रादेशिक शासन को अधिकार है। रही यह बात कि अगर उस विषय पर पार्लियामेन्ट ने कोई लॉ पास किया है, तो उस विषय पर हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रादेशिक विधानसभा में लेजिस्लेशन लाना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। यह बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस विषय पर शासन ने कोई लेजिस्लेशन नहीं किया है और इस कारण नहींकिया है कि शासन के पास फूड ग्रेन की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। केन्द्र द्वारा इस विषय में एक कानून पास किया गया, जिसकी कुछ धाराओं के अंतर्गत राज्य शासन को अधिकार दिए गए हैं। मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, 4 जुलाई 1957 को, सेन्ट्रल गवर्नमेंट द्वारा एसेन्शियल कमोडिटीज एक्ट की सेक्शन 3 के अन्तर्गत प्रादेशिक सरकार को अधिकार प्राप्त हुए। 22 दिसम्बर 1957 को उस आर्डर का प्रयोग किया गया। पाँच महिने तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या इन पाँच महिनों में आपके पास कोई जानकारी नहीं आई कि प्रदेश में क्या हो रहा है या प्रदेश की क्या स्थिति है, खाद्यान्न की किस प्रकार से उलटफेर हो रही है, किस प्रकार व्यापारियों द्वारा बराबर गल्ले का निर्यात किया जा रहा है? इसकी कोई जानकारी शासन को नहीं थी। खैर, 'देर आए दुरुस्त आए।' इसके बाद 30 दिसम्बर को एक्सपोर्ट कंट्रोल आर्डर जारी किया गया। इतने दिन बाद यह बात दिमाग में आई कि एक्सपोर्ट बन्द किया जाए। कन्ट्रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर के संबंध में जिन बातों का हवाला मंत्री महोदय ने दिया है और जिन जिलों के नाम बताए हैं, उनको मैंने जल्दी-जल्दी में नोट किया है। उनमें रीवा, सीधी, दुर्ग, मन्दसौर के कुछ हिस्सों के नाम हैं। जहाँ स्मगलिंग के केसेज पकड़े गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन आँकड़ों को देखने के पश्चात् हमारा यह कहना उचित मालूम देता है कि शासन सोता रहा जबकि चावल स्मगलिंग के कई केसेज बॉर्डर पर पकड़े जा रहे थे। जितने केसेज पकड़े गए हैं उनसे यह मालूम पड़ता है कि उन हिस्सों में भी जहाँ पर चावल की पैदावार नहीं होती है, उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में भी चावल के स्मगलिंग के केसेज पकड़े गए हैं। इससे स्पष्ट है कि व्यापारियों ने अवैध निर्यात करने का जाल पूरे प्रदेश में फैला रखा है। किसको बेचा जाता है, इसकी जानकारी माननीय खाद्य मंत्री को नहीं है या उनके पास है भी तो वे देने में असमर्थ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रदेश से अवैध निर्यात कम से कम एक करोड़ रुपए के चावल का हुआ है यदि गवर्नमेंट इसकी जाँच करने के लिए कोई कमीशन बिठाये तो मैं उसको यह बता सकता हूँ कि कितने चावल का अवैध निर्यात हुआ और उससे कितने लोगों की किस्मतें बनी हैं। शासन कमीशन बनाये या नहीं बनाये, इस पर हम जोर नहीं दे सकते, यह तो उसकी नीयत का सवाल है। यदि शासन का हाथ साफ है तो ऐसा कमीशन नियुक्त करने में कोई अड़चन न होना चाहिए। जो रिपोर्ट सन् 1957 में फूड इन्क्वायरी कमेटी ने संसद में 1957 में की उसको अशोक मेहता ने प्रस्तुत किया था। खाद्य मंत्री महोदय के पास उसको पढ़ने के लिए समय है या नहीं परन्तु उसके डिपार्टमेन्ट के लोगों ने अवश्य पढ़ा होगा। उस रिपोर्ट में दो रिकमन्डेशन्स की गई हैं। एक तो है पेज 80 पर-

For the present, it should ordinarily be sufficient to undertake open market purchase and sale of foodgrains by the Government as a regular measure, socially part of the wholesale trade, exercise control over traders operating in the rest of the market through a system of licensing, maintain a sizeable reserve stock of wheat and rice, arrange for the regular import of a certain quantity of rice and wheat and organise

propaganda for the consumption and production of subsidiary food.

इसके अलावा इस रिपोर्ट के पृष्ठ 85 पर लिखा है -

The most important work which this Organisation will be required to undertake is what are commonly known as buffer stock operations. In our view, buffer stock operations can be a most effective instrument for the stabilizations of the prices of foodgrains. The main idea of such operations is simple. Whenever prices tend to fall, even if such fall is not general but is confined to a particular locality, this Organisation should step in and start purchasing at reasonable prices. Similarly, when prices tend to rise, this Organisation should sell at reasonable prices. The Organisation will, from time to time, have to fix limits of prices at which it would buy or sell, within the range of prices for its operations which will be fixed by Government on the advice of the proposed Price stabilizations Board.

अध्यक्ष महोदय, इस बोर्ड ने हमारे देश के लिए कोई नवीन सुझाव नहीं दिए हैं। इस प्रकार के बोर्ड दुनिया के हर देश में चाहे वे सोशलिस्टिक हों, चाहे केपेटेलिस्टिक देश हों। केपेटेलिस्टिक देशों में भी कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका, इटली आदि में इस समय बोर्ड नियुक्त हैं। फूड स्टफ जैसे गम्भीर मामले पर किसी भी व्यापारी को कीमत ऊँच-नीच करने का मौका नहीं दिया जाता है। परन्तु अपने इस समाजवादी देश में किसान के गल्ला पैदा करने के बाद उसकी कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता और बड़े सेठ लोग गल्ले को खरीद कर मनमाने भाव घटाते-बढ़ाते रहते हैं।

(इसके पश्चात् सभा उपाहार के लिए स्थगित हुई तथा 3 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, समय की कमी के कारण मैं अब केवल अपने प्रपोजल्स जो मैं शासन के समक्ष रखना चाहता हूँ, उनका ही उल्लेख करूँगा। मेरा शासन से यह अनुरोध है कि वह प्राइसेस को, स्केयरसिटी एरियाज को कंट्रोल करने के लिए क्रॉनिक स्केयरसिटी एरिया के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाए जिसमें शासन के कुछ एक्सपर्ट्स तो हों ही लेकिन अगर आप उचित समझें तो कुछ विधानसभा के प्रतिनिधिगण भी रख लें और उसका अन्वेषण करें, जैसा कि उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हुआ है। दूसरे जहाँ-जहाँ पर ग्राम सभाएँ या ग्राम पंचायतें हैं, खास तौर से स्केयरसिटी एरियाज में हैं, वहाँ आप उनको हर साल कुछ न कुछ सबसिडी दें जिसके द्वारा अपने यहाँ कुछ न कुछ लोकल प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड कर सकें और यदि आप वहाँ किसी समय ज्यादा सहायता न पहुँचा सकें, आपका गेहूँ वगैरह वहाँ किसी कारण समय पर न पहुँच पावे तो उस कमी को वे अपने स्टॉक से मीट कर सकें। इसके अलावा में शासन के सामने प्राइज स्टेबिलाइजेशन बोर्ड के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ और मैं सोचता हूँ कि शासन अगर उसको लक्ष्य करके कुछ प्रयत्न करेगा तो अवश्य ही शासन को इस जटिल समस्या पर काबू पाने का अवसर मिलेगा।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अर्जुनसिंह : केवल एक मिनट अध्यक्ष महोदय।

So far our co-operation is concerned, we can only assure the chief Minister that every effort will be made on our part to give all co-operation in the matter of national importance, but it must be understood that our co-operation cannot be one of silence nor can we acquiesce in your acts of commission and omission. Apart from this I have no doubt that every member out this House to which every political fraction he may belong, will come forward to do his duty by the country At a time when the destiny of our nation is simmering in the crucible of fate, it is the solemn duty of all of us to put our shoulders to the yoke, so that the millions of our countrymen may be able to keep this trust with destiny of which we so feelingly spoke at dawn

of our independency.

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/ पृष्ठ - 1375-79)

संकट की उपरोक्त स्थिति पर चर्चा आगे बढ़ी। सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह ने सदस्य श्री अर्जुनसिंह के भाषण के बाद अपना भाषण शुरू करते हुए श्री अर्जुनसिंह के रचनात्मक और सहयोगी दृष्टिकोण की प्रशंसा की तथा उनकी इस नीयत पर पूरा-पूरा यकीन करते हुए कहा - 'सबसे पहली बात यह है कि अभी कुछ देर पहले श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि हम गवर्नमेन्ट के साथ को-ऑपरेशन करेंगे, पूरा-पूरा सहयोग देंगे। वह ऐसा कर सकते हैं। कुछ विरोधी दल भी ऐसे हो सकते हैं जो अपना पूरा-पूरा सहयोग सरकार को वास्तविक रूप में प्रदान करें किन्तु अपोजीशन की बहुत-सी पार्टीज ऐसी हैं जो सहयोग नहीं करेंगी।' सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह ने आगे अपने भाषण में प्रतिपक्षीय दलों की नीतियों पर आघात करते हुए थीसिस के कुछ उद्धरण अंग्रेजी में प्रस्तुत किए तथा वे यह प्रतिपादित कर रहे थे कि प्रतिपक्ष की प्रवृत्ति ही है विरोध करने, आन्दोलन करने की। इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बीच में बोलकर अध्यक्ष महोदय का ध्यान इस प्रकार आकर्षित किया -

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय किसी खाद्य समस्या पर बहस हो रही है या किसी पार्टी के थीसिस पर बहस हो रही है?

अध्यक्ष : यहाँ पर बहस के दरमियान जो बातें कही गई हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी समझ में उचित हो तो आता है, मेरी समझ में तो नहीं आता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1381)

बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह ने आगे कहा ... "मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस आंदोलन की एक पृष्ठभूमि है। उस राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर यह कार्रवाई हुई। अभावग्रस्त क्षेत्रों के प्रति सहृदयता, सहानुभूति उसका आधार नहीं है। ... इस प्रकार यह कार्रवाई एकाएक नहीं हुई। न अभावग्रस्त क्षेत्र हो जाने के कारण हुई। इसकी अपेक्षा अन्यत्र है। दिव्य दृष्टि से देखी जा सकती है।' इन टिप्पणियों पर बीच में बोलते हुए श्री अर्जुनसिंह ने कहा - 'अभावग्रस्त क्षेत्र तो सरकार ने ही घोषित कर दिया है, हम कहें या न कहें।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1382)

उपरोक्त विषय पर आगे बोलते हुए सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह ने यह बतलाना चाहा कि ऐसा कहना सही नहीं है कि मध्यप्रदेश की प्रगति बहुत धीमी हो रही है। इसके साथ उन्होंने उत्पादन प्रगति संबंधी कुछ अन्य प्रदेशों के आँकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि "... इसके अलावा केरल के संबंध में एक बात और विशेष है। उन्होंने पहले तय किया था कि केरल में वे 4 दशमलव कुछ लाख टन उत्पादन बढ़ायेंगे। लेकिन बाद में जब केरल में साम्यवादी मंत्रिमंडल आया तो उस समय 2.76 लाख टन उत्पादन बढ़ाने का रिवाइज्ड टारगेट निश्चित हुआ। प्रतिशत जो ऊपर दिया है वह रिवाइज्ड टारगेट के आधार पर है।"

सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह की साम्यवादी मंत्रिमंडल संबंधी उपरोक्त टिप्पणी को दुरुस्त करते हुए एक सजग, अध्ययनशील संसदवेत्ता की तरह उन्होंने कहा - "इसमें एक साल केन्द्रीय सरकार के रूल का भी सम्मिलित है।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1384)

अपने भाषण के अंत में श्री गोविन्द नारायणसिंह ने श्री अर्जुनसिंह के भाषण को

रिफर किया। श्री अर्जुनसिंह ने तुरन्त एक पंक्ति में उसका जवाब दिया -

श्री गोविन्द नारायणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा समय समाप्त हो रहा है। मुझे बहुत-सी आवश्यक बातें कहना थीं किन्तु भूमिका कुछ बढ़ गई इसलिए लोग हँस रहे हैं। केवल एक बात कहकर समाप्त करता हूँ। श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि सोशलिज्म लाने के लिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आन करना आवश्यक है। मैं निवेदन करूँगा कि आप एक बात का ध्यान रखें कि यह पाश्चात्य प्लानिंग के आधार पर है। समयाभाव के कारण यदि मैं इसे एक फ्रेज में कहूँ तो --

श्री अर्जुनसिंह : आपका संविधान किस आधार पर है?

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1385)

अकाल और खाद्यान्न संकट पर हो रही बहस आगे बढ़ी। अन्य सदस्य भी बोले। इस गम्भीर समस्या पर चल रही बहस के बीच सदस्य श्री अर्जुनसिंह सत्तापक्ष के सदस्यों को आँकड़ों और तिथियों तथा सूचनाओं से बीच-बीच में यथासमय अवगत कराते रहे। इसी विषय पर सदस्य श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन का भाषण शुरू हुआ। इस बीच श्री अर्जुनसिंह ने उन्हें एक सूचना दी -

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : प्रान्तीय सरकार केन्द्र को एप्रोच कर रही थी, हमारा अधिकार क्या है, हम कितनी राहत लोगों को दे सकते हैं। और इस समस्या के संबंध में क्या कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, केन्द्र ने अशोक मेहता कमेटी की नियुक्ति की, उन्होंने बड़ी-बड़ी सिफारिशें कीं और लाँग टर्म योजना देश के सामने रखी। मैं आज उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में तीन सुझाव रखना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि शासन उन पर आवश्यक विचार करेगा। पहली बात यह है कि हमें लाइसेंसिंग करना चाहिए। जितने फूड के डीलर्स हैं, उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य करना चाहिए। जैसा सेल्स टेक्स के सम्बन्ध में किया गया है। ग्रेन मर्चेन्ट्स को लाइसेन्स अनिवार्य कर देने से मालूम हो सकेगा कि किस व्यापारी के पास कितना स्टाक है। उसे डिक्लेरेशन ऑफ स्टाक करना चाहिए। ऐसा करने में मुझे तो कोई आपत्ति मालूम नहीं होती।

श्री अर्जुनसिंह : केन्द्र द्वारा 4 जुलाई सन् 1957 को अधिकार दे दिया गया है, अब अगर हमारी सरकार उसका प्रयोग ही न करे तो केन्द्रीय शासन हमारे शासन को बुद्धि तो नहीं दे सकता।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : ठीक है, मुझे यह मालूम है कि सब कलेक्टरों को कान्फीडेन्शल आर्डर्स किए गए हैं कि जहाँ अधिक गल्ला हो उसको पकड़ें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1391)

लोक लेखा समिति के निर्वाचित सदस्य -

अध्यक्ष महोदय : लोक लेखा समिति (1958-59) के लिए प्राप्त नाम निर्देशन-पत्रों की वापसी के लिए दिनांक 23 सितम्बर 1958 के 1 बजे तक का समय निश्चित किया गया था। वापसी के पश्चात केवल 10 उम्मीदवार बचे हैं। अतः निर्वाचन की आवश्यकता नहीं है। मैं निम्नलिखित उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित करता हूँ -

1 - श्री अर्जुन सिंह
2 - श्री गोविन्द नारायणसिंह
3 - श्रीमती मंजुलाबाई वागले
4 - श्री सवाईसिंह मंडलोई
5 - श्री शारदा चरण तिवारी
6 - श्री धन्नालाल जैन

7 - श्री रामचन्द्र भाई शाह
8 - श्री रामदयालसिंह रघुवंशी
9 - श्री मदनलाल अग्रवाल

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1495)

प्रश्नोत्तर काल : तारांकित प्रश्नोत्तर :

मूल प्रश्नकर्ता सवाईसिंह मंडलोई। अन्य सदस्यों के साथ श्री अर्जुनसिंह के पूरक प्रश्न। पूरे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं —

श्री सवाईसिंह मंडलोई : (क) क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1958-59 में खरगौन तहसील (जिला निमाड़) के कितने मिडिल स्कूल के भवनों का एक्सटेंशन वर्क्स होने वाला है? (ख) प्रत्येक वर्क्स पर कितनी धनराशि खर्च होने वाली है? (ग) क्या उक्त कार्यों के टेण्डर बुलवाये गए हैं? (घ) उक्त कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : (क) किसी का नहीं। हाँ, यदि पर्याप्त जनसहयोग मिलता है तो भवन वृद्धि पर विचार किया जा सकता है। (ख), (ग) व (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सवाईसिंह मंडलोई : जब कि किसी भी मिडिल स्कूल का विस्तार शासन नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में क्या कोई नए भवन बनाए जा रहे हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जनसहयोग पर निर्भर है।

श्री सवाईसिंह मंडलोई : एक बार जनसहयोग से 15,000 रु. की बिल्डिंग बनी तो उसमें आज तक दवाखाना नहीं खुला, फिर स्कूल के लिए दूसरा भवन बनवा दिया जाए तो क्या शासन उस पर विचार करेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : सहयोग मिलेगा तो स्कूल जरूर खोल दिया जाएगा।

श्री सवाईसिंह मंडलोई : क्या इस वर्ष सनावद मिडिल स्कूल के लिए बीस हजार रुपए दिए गए जबकि जनता की ओर से एक पाव आने की भी मदद नहीं मिली?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : सनावद का स्कूल पहले से बन रहा था उसके लिए फेन्सिंग, रोड और अन्य आवश्यक बातों के लिए रुपए की जरूरत थी। अपूर्ण भवन बनाकर पूरा करना शासन का कर्तव्य है। उसके ड्रेनेज, रोड्स आदि के लिए रुपया दिया गया।

श्री अर्जुनसिंह : मैं शासन से जानना चाहूँगा कि जनता के सहयोग के बारे में हर विभाग की नीति अलग-अलग रहती है किसी को जनता का सहयोग प्राप्त हो जाता है फिर भी दवाखाना नहीं दिया जाता और कहीं जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता फिर भी स्कूल खोल दिए जाते हैं। क्या शासन ऐसी नीति अपनाएगा कि सहयोग की नीति सबके लिए एक-सी हो?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मैं अपने विभाग के बारे में कह सकता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि जब किसी विभाग से कुछ पूछा जाता है तो कहते हैं जनसहयोग मिले तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जनसहयोग मिलने पर भी वह काम नहीं किया जाता और कहीं-कहीं बिना जनसहयोग के ही काम करा दिया जाता है तो क्या शासन की यह नीति है कि किसी मंत्री का क्षेत्र हो वहाँ जनसहयोग की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष : वह तो अपने विभाग के ही संबंध में उत्तर दे सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे विभाग के मंत्री भी इसका उत्तर दे सकते हैं सबकी ज्वायण्ट रिस्पान्सिबिलिटी है।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : शासन की यह नीति किस दिनाँक से हो गई है कि जहाँ पर 50 प्रतिशत के आधार पर रकम नहीं मिलेगी वहाँ पर कहीं पर भी शाला भवन निर्माण नहीं करना है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यह नीति जो फाइनेन्स डिफिकल्टी पूरी तरह से फेस कर रहे हैं, उसके आधार पर निश्चित की गई है।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : कब से नीति अपनाई गई है? हम गांवड़े के रहने वाले हैं, नहीं जानते हैं। सरकार के पास तारीख वगैरह नोट होगी। अगर तारीख न बता सकें तो महिना बता दीजिए?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : 17 जनवरी 1958 को प्लानिंग और डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट में चर्चा हुई कि रुपया आगामी प्लान में कम रहने के कारण उन तमाम कामों को बन्द कर देना चाहिए जो शुरू नहीं हुए हैं। उसी को दृष्टि में रखते हुए तमाम कार्य बन्द हो गए। उसके बाद शासन ने यह देखा कि तमाम काम बन्द होने से उलझन होती है, इसलिए हमारे पास जो पुराना तरीका जनसहयोग का था कि जहाँ रुपया मिलता था, वहाँ काम होता था, वही तरीका अब चल रहा है।

श्री हरिभाऊ जोशी : तो क्या बिना आर्थिक जनसहयोग के शिक्षा विभाग का कोई काम नहीं किया जा सकेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जी नहीं, अलग-अलग प्रकार के भवन रहते हैं। जिन भवनों के लिए जो बहुत बड़ी कीमत के होते हैं और जिनसे उसी जगह के रहने वाले और पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा होता है उनके लिए यह शर्त नहीं लगाई जाती। मसलन इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारतें, इंजीनियरिंग कॉलेज के होस्टल्स, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की इमारत। इन सब में शासन स्वयं उनको बनाता है। अगर सहयोग मिल जाए तो उसका स्वागत करता है।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : श्रीमान् के यहीं पर जो शिक्षा भवन का भवन बनने वाला है, उसके लिए कहीं से जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया गया?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : लेक्चरर शाला नहीं, एक पूरा ब्लाक साइंस का बनना है जहाँ साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट तक होगा और जैसा पहले कह चुका उसके लिए जनसहयोग का प्रश्न नहीं उठता। वह ऐसी चीज है जिससे सर्वसाधारण लाभान्वित होने वाले हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मंत्री महोदय ने कहा, ऐसी जगह पर जिसका सार्वजनिक उपयोग हो सकता है उसमें जनसहयोग का प्रावधान नहीं रखेंगे। तो हर जिले में कॉलेजों को अपग्रेड कर रहे हैं और पूरे जिले के लोग उससे लाभान्वित होंगे तो ऐसी हालत में क्यों इंसिस्ट करते हैं कि पचास प्रतिशत रकम वहाँ के लोग दें।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मैं सदन में बता चुका, इसके लिए दो स्पष्ट उत्तर हैं। एक तो केवल जिले के लोग इससे लाभान्वित होंगे लेकिन इससे बड़ी बात बताऊँ कि जो केन्द्रीय योजना थी उसमें एक तिहाई कॉलेज अपग्रेड होने वाले थे और उसमें पूरा का पूरा रुपया हमें पंचवर्षीय योजना में से निकालना था। लेकिन रुपया कम होने के कारण यह काम बन्द होने वाला था। इसलिए यह तरीका चालू करके हम केन्द्रीय शासन और प्लानिंग कमीशन को बता सकें कि हमारे यहाँ लोगों के दिल में इतना उत्साह है कि वह स्वयं अपना भार वहन करने को तैयार हैं और छोटी-छोटी जगहों में साठ-साठ हजार रुपए इकट्ठे किए हैं, कहीं पर तो दो-दो, चार-चार रुपए गरीबों ने भी दिए हैं। इस तरह से अपने प्रदेश के लोगों का उत्साह बताया और कहा। हमारे प्रदेश के लिए जो उनकी नीति है उनमें थोड़ी हमें सहायता दें।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था इस सम्बन्ध में चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी छोटे से प्रश्नों का उत्तर एक लम्बे-चौड़े भाषण के रूप में देते हैं, यह कहाँ तक उचित है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है, अभी जो प्रश्न किया गया था, उसके सम्बन्ध में सरकार की जो नीति थी वह स्पष्ट कर रहे थे।

श्री हरिभाऊ जोशी : शहरों के अमीरों से तथा भोपाल के अमीरों से हॉल बनाने के लिए सहयोग लेने के लिए कहा गया है तो शिक्षा विभाग की ओर से कभी जन सहयोग का प्रयत्न किया गया है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : भोपाल के कॉलेज में गाँवों के विद्यार्थी आते हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी ओर से जनसहयोग का प्रयत्न किया गया है?

श्री सवाईसिंह मंडलोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर है और वह यह है कि जिस व्यक्ति का प्रश्न हो उसको सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन करने का अधिक अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष : ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं।

श्री सवाईसिंह मंडलोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करने के लिए मैंने मौका मांगा तो नहीं मिल सका इसलिए मैंने कहा है।

अध्यक्ष : इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखती, संभव है मैंने आपको नहीं देखा हो।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1525-27)

अतारांकित प्रश्न :

श्री अर्जुनसिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के उस भाग को जिसमें कि आदिम जातियों की संख्या ज्यादा है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की कोई योजना है?

राजा नरेशचन्द्र सिंह : प्रश्न विचाराधीन है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1699)

अपने निर्वाचन क्षेत्र के गरीबी के मारे अनुसूचित जाति के लोगों, जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके पढ़ने वाले बेटे-बेटियों के सम्बन्ध में सदस्य श्री अर्जुनसिंह का यह प्रश्न उनके जनवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उनके द्वारा इस प्रकार के पूछे गये प्रश्नों से संबंधित महकमे के अधिकारी और कर्मचारी चौकन्ने रहे हैं तथा उनको बराबर ख्याल बना रहा है कि उनके क्रियाकलापों पर भी कोई नजर रखे हुए है-

श्री अर्जुनसिंह : क्या आदिम जाति कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के अंतर्गत मंझोली निर्वाचन क्षेत्र में दिनांक 1 अप्रैल 1957 से 1 अगस्त 1958 तक कितने अनुसूचित जाति के छात्रों को कितनी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई व कितनी रात्रि पाठशालाएँ खोली गईं?

राजा नरेशचन्द्र सिंह : 1 जुलाई 1957 से 28 फरवरी 1958 तक 15 हरिजन छात्रों को 600 रुपए छात्रवृत्ति दी गई है। जनवरी 1957 से जून 1957 तक 11 रात्रि शालाएँ, जुलाई 1957 से दिसम्बर 1957 तक 11 रात्रि शालाएँ, जनवरी 1958 से जून 1958 तक 10 रात्रि शालाएँ, जुलाई 1958 से 11 रात्रि शालाएँ चालू हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1722)

मध्यप्रदेश स्थानीय शासन (संशोधन) विधेयक, 1958 (संख्या 25, 1958) पर चर्चा चल रही थी। सदस्य श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर बहस कर रहे थे। उन्होंने अपनी बहस में कहा - "... कुछ भी कहें, हमारे यहाँ भला होता था या लोगों का बुरा होता था, कि जो कुछ होता था वह जल्दी से हो जाता था, लेकिन अब आपकी पॉलिसी इन डिसीसिव पॉलिसी है, टू इयर्स एट ए टाइम, थ्री इयर्स एट ए टाइम डिसीजन की आपकी आदत हो गई है। क्षमा करें, अभी क्या तय करना है, ग्राम पंचायतें रहीं, केन्द्र पंचायतें रहीं, मण्डल पंचायतें रहीं, नो डिसीजन, अभी तक कुछ तय नहीं है।"

सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने विनोदपूर्ण ढंग से श्री तामस्कर के उपरोक्त वक्तव्य पर व्यंगात्मक टिप्पणी करते हुए कहा - "निर्णय तो आत्मविश्वास पर हो तव किया जा सकता है।"

इस बीच सभा उपाहार के लिए स्थगित हुई।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1767-1768)

औचित्य का प्रश्न :

सदस्या श्रीमती गायत्री देवी पुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने कहा कि जनहित में इसका उत्तर देना उचित नहीं है। इस विषय पर औचित्य का प्रश्न उठाया गया। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी इसमें हिस्सा लिया।

श्रीमती गायत्री देवी पुमार : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सचिवालय

के तृतीय वर्ग कर्मचारियों द्वारा 9 अगस्त 1958 को (मूक प्रार्थना) की जाने के बाद शासन द्वारा कोई चेतावनी शासकीय कर्मचारियों को दी गई है? (ख) यदि हाँ, तो क्या और कब? (ग) क्या मूक प्रार्थना को शासन डिमांस्ट्रेशन मानता है?। (घ) शासन किस-किस प्रकार के कार्यक्रम (एक्शन) को शासकीय कर्मचारियों के लिए डिमांस्ट्रेशन मानता है।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) से (घ) इस प्रश्न का उत्तर देना शासन जनहित में उचित नहीं समझता।

जनहित में शासन द्वारा जानकारी न देने के सम्बन्ध में औचित्य प्रश्न और अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्रीमती गायत्री देवी पुमार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर में शासन ने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देना शासन जनहित में उचित नहीं समझता। मेरा इस विषय में औचित्य का प्रश्न है और उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का सम्बन्ध है, (ग) में यह पूछा गया है कि क्या मूक प्रार्थना को शासन डिमांस्ट्रेशन मानता है और (घ) में यह पूछा गया है कि शासन किस प्रकार के कार्यक्रम (एक्शन) को शासकीय कर्मचारियों के लिए डिमांस्ट्रेशन मानता है। मेरा निवेदन है कि प्रश्न के इन दोनों भागों का उत्तर जनहित में देना आवश्यक है। जब तक हमको और कर्मचारियों को यह मालूम न हो कि कौन-कौन सी चीजें डिमांस्ट्रेशन के अंतर्गत आती हैं, तब तक उनको करने से कैसे रोकेंगे। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहती हूँ।

अध्यक्ष : मैं इस विषय में पहले व्यवस्था दे चुका हूँ कि जनहित में किसको माना जाए इसका निर्णय शासन करता है। शासन जिस समय इस तरह का उत्तर दे उस समय अध्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करेगा। शासन ने यह कहा हैं कि इसका उत्तर देना जनहित में उचित नहीं है, उस विषय में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यही मेरी व्यवस्था है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक प्रश्न एडवरटाइज्मेण्ट के संबंध में पूछा गया था उसका उत्तर शासन की तरफ से यह दिया गया था कि किसको आदेश दिए जा रहे हैं यह जनहित में बताना उचित नहीं है। इस पर अध्यक्षीय व्यवस्था हुई थी कि इसको जनहित में बताना आवश्यक है, इसको छिपाना जनहित में अनुचित है। मेरी प्रार्थना है इसी प्रकार की व्यवस्था आप इस समय दें कि इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का उत्तर जनहित में देना आवश्यक है।

तारांकित प्रश्नोत्तर (पूर्वानुबद्ध)

श्री नरसिंहराव दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इस प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का उत्तर भेजा गया था वह या तो डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं गया या फिर छपा नहीं है। (ग) और (घ) का उत्तर होना चाहिए कि मत का प्रश्न है। जो कुछ शासन को जानकारी है, इस प्रश्न के उत्तर में बताना जनहित में उचित नहीं है।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : इस मूक प्रार्थना (डिमांस्ट्रेशन) में कितने लोगों ने भाग लिया?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : तृतीय वर्ग के कर्मचारी जितने भी उस समय उपस्थित थे, उनमें से लगभग सभी ने भाग लिया।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : जो बीमारी कर्मचारियों में इतनी व्याप्त है कि उसमें शत प्रतिशत लोगों ने भाग लिया, इसको मिटाने का कोई उचित तरीका निकालें।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार सरकार कार्य करती है, कर्मचारियों को भी उन्हीं नियमों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। नियमों के अंतर्गत ही कर्मचारीगण डिमांस्ट्रेशन नहीं कर सकते।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मंत्री महोदय ने अभी कहा कि जहाँ तक प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का सम्बन्ध है, उसमें मत का प्रश्न है। बिलकुल यही बात उनसे पूछी जा रही है कि इस विषय में शासन का क्या मत है जिसे वह हमारे ऊपर लाद रहे हैं। इस विषय में शासन का मत क्या है, जो मूक प्रार्थना वह करते हैं, वह डिमांस्ट्रेशन की परिभाषा में आती है या नहीं? जब आप पैनालाइज़ करते हैं तो यह देखना चाहिए कि उनके मूलभूत अधिकार क्या हैं, किसके लिए आप पैनालाइज कर रहे हैं। यह प्रश्न इस समय मत का नहीं है, स्पष्टीकरण का है, इसका स्पष्टीकरण शासन को करना चाहिए।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : आजकल यह हवा फैली हुई है। नए-नए तरीके डिमांस्ट्रेशन के ईजाद किए जा

रहे हैं। उनके लिए कोई एन्टीसीपेशन नहीं हो सकता। सरकार यह चाहती है कि डिमांस्ट्रेशन न हों, कर्मचारियों को डिसिप्लेन के अन्दर काम करना चाहिए, शासन उनकी सही बात को मानता है, उनके प्रेशर को नहीं मानता।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : क्या चुप रहना भी कोई डिमांस्ट्रेशन है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : नहीं साहब, वे नंगे पैर आवें और डिमांस्ट्रेशन करें, अखबारों में छपे और आपके लिए यहाँ सवाल हो गया, यह सब तरीका है।

श्रीमती गायत्रीदेवी पुमार : शासकीय कर्मचारियों के लिए कोई सर्विस कांडक्ट रूल्स क्या बने हुए हैं?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू :जी हाँ बने हुए हैं।

श्रीमती गायत्रीदेवी पुमार : इस सम्बन्ध में क्या कर्मचारियों को निम्नलिखित सर्कुलर भेजा गया था?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू :आपने पढ़ तो दिया, यह रूल ही है।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फरमाया कि डिमांस्ट्रेशन के आजकल बहुत से नए-नए तरीके निकाले गए हैं तो क्या सर्विस कांडक्ट रूल्स के अंतर्गत यह भी स्पष्ट है कि जो भी नए तरीके डिमांस्ट्रेशन के निकाले जाएँ उन सब पर प्रतिबन्ध है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : सवाल यह है कि क्या करते हैं। वे दफ्तर आवें, तरीके से काम करें यह सब जेबा है लेकिन बाकी दूसरे काम नहीं जेबा देते।

श्रीमती गायत्रीदेवी पुमार : आपके यहाँ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट से क्या कोई सर्कुलर, मेमोरेंडम नं. 6730, 622-1 दिनांक 20 अगस्त 58 उनके पास भेजा गया था?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : जी हाँ, भेजा गया था।

श्रीमती गायत्रीदेवी पुमार : तो क्या उसमें मूक प्रार्थना को भी डिमांस्ट्रेशन माना गया है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : अगर दफ्तर में होगा तो माना जाएगा।

श्री काशीराम तिवारी : मूक बैठकर अपना काम करते हुए यदि मूक रूप से और काम करने के लिए माँगा जाए तो भी क्या वह डिमांस्ट्रेशन में माना जाएगा?

अध्यक्ष : वह कैसे उठेगा।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : इसी वास्ते लिखा गया था कि यह बताना पब्लिक इन्टेरेस्ट में नहीं है लेकिन फिर भी सप्लीमेन्टरी हो ही रही है।

श्री अर्जुनसिंह :मूक प्रार्थना जो हुई थी वह ऑफिस टाइम के पहले हुई थी या बाद में हुई थी?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं उठेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है कि क्या ऑफिस टाइम के बाद भी प्रार्थना करना डिमांस्ट्रेशन में आएगा?

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी उत्तर देना उचित नहीं समझते तो मैं उनको प्रेस नहीं कर सकता।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : सरकारी कर्मचारी जितने घंटे दफ्तर में काम करते हैं उतने घंटे के लिए सरकारी कर्मचारी हैं या चौबीसों घंटे उन पर कानून लागू रहता है?

अध्यक्ष : प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : जो लोग चुप थे वे काम छोड़कर चुप थे या काम कर रहे थे?

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि - 'वे उत्तर नहीं दे सकते तो मैं उनसे कह नहीं सकता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 सितम्बर 1958/ पृष्ठ - 1799-81)

अतारांकित प्रश्नोत्तर :

श्री अर्जुनसिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के अंतर्गत मंझोली निर्वाचन क्षेत्र दुष्काल सहायतार्थ कितनी सस्ते गल्ले की दुकानें और कहाँ-कहाँ खोली गईं व दिनाँक 31 अगस्त 1958 तक उनमें कितने मन गल्ले की बिक्री हुई?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : जानकारी एकत्रित की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले में मंझोली निर्वाचन क्षेत्र में गत वर्ष हुए जन सम्पर्क दौरे में, जनसम्पर्क निधि से कितनी धनराशि किन-किन कार्यों के लिए दी गई?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : जानकारी संलग्न है। **टीप-** इनमें से ग्राम झगरहा तथा जमुआ ग्राम के लिए क्रमशः मरम्मत मार्ग एवं कूप के लिए जो रकम स्वीकृत की गई थी, जनता का सहयोग न प्राप्त होने के कारण स्वीकृत रकम नहीं दी जा सकी।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के अंतर्गत मंझोली निर्वाचन क्षेत्र में दिनाँक 1 अप्रैल 1957 से 1 अगस्त 1958 तक स्थानीय विकास फंड से किन-किन कार्यों के लिए कितनी धनराशि दी गई?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : जानकारी निम्नवत् है —

कार्य का नाम (1)	ग्राम का नाम (2)	स्वीकृत धनराशि (3) रुपए
सड़क	बघवार, मानकेसर, मोघावल	3,400
पुलिया	रघुनाथपुर	---
तालाब	जमुआटीकर, पांद, हनुमानगढ़	5,427
कुएँ	अमिलिया, भरतपुर, रघुनाथपुर, कुबरीमोह, कुबरीपुरा, अमरपुर, बड़ाटीकढ़	2,620
ग्राम पंचायत घर	भरतपुर, शिकारगंज	950
लायब्रेरी	भरतपुर	750
गांधी स्मारक	बघवार	202

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1834)

एक टिप्पणी :

विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विक्रम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक (क्रमांक 32, 1958) पर बहस जारी थी। विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा बहस का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में एडमिनिस्ट्रेशन की काफी चर्चा की। एक स्थान पर उन्होंने कहा-... मैं अदब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्रकार के इन्टरफियरेन्स के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी बोर्ड के डिसीजन में डायरेक्ट या इन डायरेक्ट हम हस्तक्षेप करें। एडमिनिस्ट्रेशन पाइन्ट ऑफ व्यू मेरे दिमाग में कम आ सका है। मेरे जीवन का अधिकतर भाग यूनिवर्सिटी में ही व्यतीत हुआ है, मंत्रिमंडल में कम, फिर मेरा दिमाग ज्यादा जोर कर जावे, मेरा दिमाग मटला जावे तो मैं नहीं कह सकता लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में काम करने के नाते कोई भी शासकीय इंटरफियरेन्स उसमें हो तो यूनिवर्सिटी का क्या होगा ....''

इस बीच श्री मनोहर सिंह मेहता ने पूछा — ''बनारस में क्या हो रहा है, उसे आप अच्छा मानते हैं या नहीं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने कहा — ''माननीय सदस्य बहुत जल्दी उतावले हो गए; लेजिस्लेचर के जरिए इन्टरफियरेन्स एक चीज होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए दूसरी चीज होती है।''.

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने टिप्पणी की — 'कुछ लोगों का ख्याल हो गया है कि आपके दिमाग में एडमिनिस्ट्रेशन का ज्यादा असर हो गया है बजाये यूनिवर्सिटी के।'

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 26 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1887)

ओरिएन्ट पेपर मिल का बाँस का ठेका देने सम्बन्धी प्रश्नोत्तर से उद्भूत सार्वजनिक महत्व विषयक चर्चा—

सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त द्वारा 22 सितम्बर 1958 को पूछे गए बाँस-वन सम्बन्धी तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्नों और उत्तरों के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कुछ वैधानिक मुद्दे उठाते हुए पूरक प्रश्न किए थे। पूरक प्रश्नोत्तर देश के नामी बिड़ला उद्योग समूह के कारखाने, 'ओरिएण्ट पेपर मिल' के बाँस संबंधी ठेके तथा उसके शर्तनामे पर केन्द्रित हुए-

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : (क) क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शहडोल जिले के अंतर्गत बाँसों के झाड़ों का ठेका किनको कितने वर्षों का, कितने रुपयों में, किन प्रतिबन्धों के अंतर्गत कब दिया गया? (ख) क्या ठेकेदार उक्त प्रतिबन्धों का पालन कर रहा है? (ग) यदि नहीं, तो ठेका निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? (घ) बाँस कट करके शहडोल के बाहर कहाँ जा रहा है? (ड) क्या बाँस का बाहर जाना पट्टे की शर्त के विपरीत है? (च) यह ठेका किस विधान के अंतर्गत दिया गया है?

श्री शंभूनाथ शुक्ल : (क) शहडोल जिले के 784 वर्गमील 259 एकड़ बाँस के वन मेसर्स ओरिएंट पेपर मिल्स को 4 अगस्त 1956 से 30 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। इस रकबे से बाँस निकासी की मुख्य शर्त है कि प्रदेश के बाहर ओरिएन्ट पेपर मिल्स के अन्य किसी पेपर मिल के उपयोग के लिए निकास करने पर रु. 7-1/2 प्रतिटन रायल्टी देना होगी और प्रदेश में पेपर मिल स्थापित होने पर उसके उपयोग के लिए रु. 6 प्रतिटन रायल्टी देनी होगी। अनुबंध की धारा 2 (बी) व (ई) के अनुसार मेसर्स ओरिएन्ट पेपर मिल्स को केन्द्रीय शासन से लायसेन्स प्राप्त होने के दिनाँक से तीन वर्ष की अवधि में अथवा उस अवधि में जो केन्द्रीय शासन बढ़ावे, विन्ध्यप्रदेश में पेपर मिल स्थापित करना होगी। (ख) हाँ। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (घ) ब्रजराजनगर। (ड) नहीं। (च) कंट्रेक्ट एक्ट।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1296-97)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने एक अध्ययनशील, सजग और चिन्तनशील संसदवेत्ता की तरह उपरोक्त प्रश्नोत्तर की महत्ता पर गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण किया। इस प्रश्नोत्तर से उद्भूत सार्वजनिक महत्व के विषय पर उन्होंने आधे घंटे की चर्चा की। यह चर्चा उनके पूँजीवाद के खिलाफ जनवादी रुख और दृष्टिकोण को उजागर करती है -

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से दिनाँक 22 सितम्बर को पूछे गए प्रश्न के सम्बन्ध में आज आधे घंटे की चर्चा करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सदन को विदित है कि यह सवाल उस विषय से संबंधित है जिसके बारे में इस सदन में और सदन के बाहर अनेकों तरह से बातें की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब बातों को यहाँ कहने से अपने को लाचार समझता हूँ, जिनकी पृष्ठभूमि राजनैतिक दावपेंचों में है क्योंकि उन सबके बारे में मेरे पास अधिकृत जानकारी न होने से मैं अनुचित समझता हूँ कि यहाँ मैं उस दिशा में कोई आक्षेप करूँ लेकिन जो कुछ सदन को शासन द्वारा बताया गया, जो कुछ सदन के सदस्यों को अन्य सूत्रों से मालूम हुआ, उसको सामने रखकर हम कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं और सदन के सामने कुछ कह भी सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, शासन द्वारा जानकारी दी गई कि बाँस के वन ओरिएंट पेपर मिल्स को 4 अगस्त 1956 को 30 साल की लीज पर दिए गए। वह इस शर्त पर कि 3 साल के अन्दर उस एरिया में, विन्ध्यप्रदेश में वह एक पेपर फैक्टरी कायम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस शर्त का सम्बन्ध है, मैं उसी का उल्लेख इसलिए ज्यादा कर रहा हूँ क्योंकि वह शासन के उस उद्देश्य का द्योतक है कि हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास शीघ्रातिशीघ्र हो लेकिन अध्यक्ष महोदय, उस उप-नियम और इस कंडीशन के बारे में शासन की तरफ से दो तरह की बातें सुनने को मिली हैं। यह पुनः मैं अपनी जानकारी से नहीं कहना चाहता हूँ जिस प्रश्न पर सदन में चर्चा हो रही है उसमें माननीय वन मंत्री जी ने कहा था कि -

"अनुबन्ध की धारा 2 (बी) व (ई) के अनुसार मेसर्स ओरिएंट पेपर मिल्स को केन्द्रीय शासन से लायसेन्स प्राप्त होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि में अथवा उस अवधि में जो केन्द्रीय शासन बढ़ावे, विन्ध्यप्रदेश में

पेपर मिल स्थापित करना होगी।" अध्यक्ष महोदय, यह 22 सितम्बर को जो प्रश्न हुआ था उसके उत्तर में है और उसके बाद 23 सितम्बर को माननीय उद्योग मंत्री से मैंने एक प्रश्न पूछा है कि -

"क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिड़ला की ओरिएंट पेपर मिल्स को दी गई लीज में यह शर्त है कि लीज दिए जाने की 3 वर्ष की अवधि में कागज का कारखाना लगावेंगे एवं क्या इस शर्त का कम्पनी द्वारा पालन किया गया है?"

इसका उत्तर दिया गया - "नहीं," प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि जब तक इस विषय में ...

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : उद्योग मंत्री जी का जवाब जो है उसको फिर से दुहरा दीजिए।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने प्रश्न किया कि "क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बिड़ला की ओरिएंट पेपर मिल्स को दी गई लीज में यह शर्त है कि लीज दिए जाने की 3 वर्ष की अवधि में कागज का कारखाना लगावेंगे एवं क्या इस शर्त का कम्पनी द्वारा पालन किया गया है?

यह पूरा प्रश्न था, उसका पूरा उत्तर है "नहीं, प्रश्न उपस्थित नहीं होता।"

इस तरह से दो बातें कह देने पर हमारी वह शंका फिर उत्पन्न हो गई जो इस सदन में बार-बार उत्पन्न की गई कि हमें इस लीज की प्रतिलिपि क्यों नहीं दिखाई जाती, जिसके बारे में बजट सत्र में इसके बारे में चर्चा करते हुए माननीय सदस्यों ने कहा है। जिसके बारे में माननीय वन मंत्री महोदय ने भी कहा था कि जनहित के बहाने उसको छिपाएँगे नहीं, तो मैं चाहूँगा कि उस शंका का निवारण आज वन मंत्री महोदय द्वारा होना चाहिए।

इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, हम यह देखना चाहते हैं कि हम अपने उस उद्देश्य में जिस उद्देश्य से यह लीज दी गई थी, कहाँ तक सफल हो सके। मैं समझता हूँ कि सदन को यह ज्ञात होगा कि यहाँ की जनता हर वक्त अकाल से ग्रस्त रहती है इसलिए उनको एक आल्टरनेटिव मीन्स ऑफ एम्प्लायमेन्ट दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कुछ फेक्ट्स सदन के सामने रखने के बाद निवेदन करूँगा। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हो सकी है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि यह लायसेन्स 4-8-56 को दिया गया। रॉ-मैटीरियल के लिए लीज अक्टूबर 56 में दी गई, ओरिएंट पेपर मिल्स को 17-9-56 को जो भूमि की आवश्यकता थी, उसके लिए उन्होंने दरख्वास्त गवर्नमेन्ट को दी। उसके पश्चात् बाद में नोटीफिकेशन एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड एक्ट के अंतर्गत निकाला गया और इस जमीन को हस्तगत करने के लिए जो कि 14 नवम्बर, 57 को, लगभग एक साल बाद निकाला गया। इसके पश्चात् अध्यक्ष महोदय, भूमिस्वामियों को मुआवजा देने का समझौता दिनाँक 20 जुलाई 58 को किया गया। लगभग एक साल बाद ही एग्रीमेन्ट किया गया। जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, आज की तारीख तक कम्पनी को जमीन नहीं दी गई है, जिससे वह काम चालू कर सके। जब प्रश्न उठाया गया तो शासन द्वारा कहा जाता है कि इस उद्देश्य' को हम पूरा कर रहे हैं और जल्दी-से-जल्दी फैक्टरी कायम कर रहे हैं, जिससे लोगों को आजीविका का साधन मिल सके। मैं मानता हूँ कि माननीय वनमंत्री महोदय का कहना कि राज्य पुनर्गठन के कारण उत्पन्न कठिनाइयाँ इसमें बाधक रहीं, इस कारण विलम्ब हुआ। यह तर्क अच्छा हो सकता है लेकिन शासन को यह मानना पड़ेगा कि किन्हीं भी मामलों में, जिनमें कितने ही लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न रहता है, उनमें चाहे राज्य पुनर्गठन के कारण कठिनाई हो, या और तरह की कोई कठिनाइयाँ हों, शासन को विशेष ध्यान देकर कार्रवाई करना चाहिए, किन्तु वह सब कार्रवाई करने में यह शासन असमर्थ रहा। इसका कारण तो वन मंत्री महोदय ही बता सकेंगे, मैं कारण बताने से लाचार हूँ। अब रहा प्रश्न यह कि फैक्टरी अभी तक बनी क्यों नहीं, इसका एक कारण यह बताया जाता है कि फारेन एक्सचेन्ज की कठिनाई थी, हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिल सकी, इसलिए मशीनें आयात नहीं की जा सकीं। मैं यह बताना चाहता हूँ कि फारेन एक्सचेन्ज का प्रश्न नहीं है। हमारे बजट में जो बड़ी योजनाएँ रखी गई हैं, उनके लिए फारेन एक्सचेन्ज मिला है, फैक्टरीज आज भी कायम की जा रही हैं, जिनको प्राथमिकता दी जा रही है और जो देश के लिए जरूरी हैं। मुझे सूचना मिली है कि ओरिएन्ट पेपर मिल्स ने एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई दफा शासन से यह प्रार्थना की कि आप केन्द्रीय सरकार को सिफारिश

भेजिए कि यह मिल हमारे प्रदेश के लिए उपयोगी है और बहुत जरूरी है, इसके लिए अमेरिकन फाइनेन्शियल सिस्टम से मदद दिलायें जिससे यह फैक्टरी कायम की जा सके। लेकिन दुख है कि शासन ने ऐसी कोई सिफारिश आज तक नहीं की। मैं इसका कारण बताने मैं लाचार हूँ, इसका कारण वन मंत्री महोदय ही बता सकेंगे।

अब प्रश्न आता है कि आज पोजीशन क्या है, अगर इस अभिप्राय से 30 वर्ष का ठेका दिया गया था कि वहाँ एक फैक्टरी कायम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, शासन भी इस बात को मानेगा कि वह उद्देश्य कुछ समय के लिए सफल नहीं हो रहा है। निकट भविष्य में भी ऐसा नहीं दिखता कि फैक्टरी बन सकेगी क्योंकि अभी तक जमीन ही नहीं मिली है। साल-डेढ़ साल फैक्टरी को कायम होने में लगेंगे, उसके बाद मशीनों के बारे में फौरेन एक्सचेन्ज की दिक्कत सामने आएगी, उसके लिए शासन प्रयत्न नहीं कर रहा है, द्वितीय योजना में भी फौरेन एक्सचेन्ज मिलने में कठिनाई होगी। इस प्रकार तीन-चार साल का समय आसानी से लग जाएगा। 5 साल बाद फैक्टरी बनेगी। हम यह आशा करें तो अनुचित नहीं होगा तब हमको इसका दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा। यह कहाँ तक उचित होगा कि इस लीज को इन्हीं शर्तों पर लागू रखें। 7-1/2 रुपया प्रतिशत रायल्टी लें, उस बाँस पर जो इस प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाएगा। दिनाँक 3 अप्रैल 1958 को जो चर्चा सदन में की और वन मंत्री महोदय ने जो आँकड़े वन विभाग की डिमान्ड के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि लगभग 2,100 वर्गमील क्षेत्र का जंगल विन्ध्य भू-भाग में है जिसमें से इस लीज के देने से पहले पूरा 2,100 वर्गमील जब हम तीन साल की साइकल में वर्क करते थे उस वक्त राज्य को साढ़े छः लाख रुपए का मुनाफा होता है। अध्यक्ष महोदय, उनके ही कथनानुसार अब इस ओरिएंट मिल को 1,400 वर्गमील का लीज दिया गया है और 700 मील निस्तार के लिए छोड़ दिया गया है। तो इस 1,400 वर्गमील का उनके ही कथनानुसार 4 साल की साइकल में वर्क अगर हम करते हैं तो उन्हें एक लाख टन अनुमानित बाँस निकलने की संभावना है। इस तरह साढ़े सात लाख की राज्य को आमदनी होगी और 700 वर्गमील निस्तार के लिये छोड़ा गया है उससे दो लाख की आमदनी होगी। इस तरह कुल मिलाकर साढ़े नौ लाख रुपए की आमदनी का अनुमान वह करते हैं। यह आँकड़े माननीय वन मंत्री महोदय ने ही दिए हैं, लेकिन एक चीज वन मंत्री जी शायद बताना भूल गए कि विन्ध्यप्रदेश एक ऐसा एरिया है जो पहले से बहुत पिछड़ा हुआ है। जो 2,100 वर्गमील एरिया है इसमें का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली दफा इस बिड़ला कम्पनी को देने के पश्चात् ही खुला है इसलिए जो जंगल पूर्व विन्ध्यप्रदेश में हैं उनका एरिया पूरा 2,100 वर्गमील कहना उचित न होगा। इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी भी है क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, जिनमें पहली बार बिड़ला कम्पनी ने बाँस काटे हैं। ऐसे एरिया से अगर आमदनी साढ़े-छः लाख मानी जाये तो उचित न होगा। इससे विदित होगा, माननीय अध्यक्ष, कि जो आमदनी पहले होती थी वह साढ़े-छः लाख से कुछ ज्यादा होती थी। आजकल लकड़ी के ठेके से जो आमदनी होती है वह पहले की अपेक्षा दुगनी-तिगुनी होती है। ऐसी हालत में अगर यह कहा जाये कि पहले आमदनी साढ़े-छः लाख होती थी और अब भी साढ़े-छः लाख की ही होती है, तो यह कुछ जमता नहीं है। इस हिसाब से 12-13 लाख रुपए आमदनी उसकी भी होनी चाहिए और यह कोई अतिशयोक्ति भी न होगी। अब प्रश्न यह है कि अगर यह मिल कायम होने वाली है तो ठीक है, नहीं तो इस हालत में यह कब तक उचित होगा कि हम अनिश्चितकाल तक के लिए अपने यहाँ से इस तरह बाँस का निर्यात करने दें। वन मंत्री जी को मालूम होगा कि बाँस का मूल्य करीब 90 रुपए प्रति टन है। हो सकता है कि यह गलत हो, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार करीब यही रेट है। ऐसी हालत में इस पूरे एरिया के बाँस को साढ़े-सात रुपए टन के हिसाब से निर्यात करना कहाँ तक उचित होगा? तो शासन को यह सोचना होगा और हमको भी कन्विन्स करना होगा कि शासन के पास ऐसे क्या कारण हैं और वह ऐसा क्यों करना चाहता है। एक तर्क वन मंत्री जी ने यहाँ और रखा कि लीज को बढ़ाने की शक्ति तो केन्द्रीय सरकार को ही है। वे चाहें तो बढ़ायें या न बढ़ायें। मैंने उस समय इसका खण्डन किया था और कहा था कि इसका उत्तरदायित्व केन्द्र पर नहीं बल्कि राज्य शासन पर ही है। मैंने फिर से इसको देखा और आज मैं यह कह सकता हूँ कि मैंने गलत खण्डन किया था। वन मंत्रीजी का कहना सही था, लीज को बढ़ाने का अधिकार संविधान के मुताबिक केन्द्रीय शासन

को ही है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में उसमें जरा भिन्नता है। इण्डस्ट्रीज के लीज को बढ़ाने के लिए तो अधिकार केन्द्र शासन को ही है, लेकिन जहाँ तक रॉ-मटीरियल्स का सवाल है, जो स्टेट सब्जेक्ट की चीज है, उनके सम्बन्ध में ऐसा कोई एक्ट मुझे नहीं मिला कि उसका अधिकार भी केन्द्र शासन को ही हो। अगर कोई ऐसा एक्ट है तो उसके मुताबिक में दुबारा अपने को दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरे ख्याल से उसके बारे में अधिकार राज्य शासन को ही है। इसलिए अगर राज्य शासन केन्द्रीय सरकार को रोक नहीं सकता तो यह कह अवश्य सकता है कि जो फैक्टरी के लिए लीज बढ़ाई जाती है तो वह हमारे राज्य के हित में, हमारे हित में, हमारी आय के हित में उचित नहीं है। हम इस पर साढ़े सात रुपए फी टन के हिसाब से निर्यात लागू करें, अगर आप नियंत्रण लागू करना चाहते हैं और साढ़े सात से बढ़ा नहीं सकते हैं तो कम-से-कम उसका आधा तक ला दें। इन्हीं बातों के बारे में, मैं चाहता हूँ कि माननीय वन मंत्री शंका समाधान करें। हम उन पर आरोप नहीं लगाते क्योंकि हम आरोप तभी लगाते हैं जब हमारे पास उसकी अधिकृत जानकारी होती है। हँसी के बतौर वन मंत्री जी ने उत्तर में कहा था कि जहाँ का पानी मीठा होता है, सभी पानी पीना चाहते हैं।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल (वन मंत्री) : वह सिर्फ बिड़ला जी की जीप के लिए कहा था।

श्री अर्जुनसिंह : मैं भी लाइट वे में ही कहूँगा। सीरियस न मान लें। माननीय वन मंत्री जी मीठा पानी पियें, किन्तु उसका मीठा स्वाद उनके ही अधरों तक न रह जाए, जो प्रदेश की जनता है, पिछड़े लोग हैं, उनके मुँह में भी मिठास पहुँचे, इसके लिए प्रयास होना चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1895-98)

वन मंत्री श्री शम्भूनाथ शुक्ल ने सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा की गई चर्चा का जवाब देना शुरू किया। एक जगह उन्होंने कहा कि "...शायद आपने लीज का प्रश्न किया था, आपने लायसेन्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, आपने कहा है कि लीज दो-तीन साल में मिल जावेगी, वहाँ लीज शब्द होने से यह बहस हो गई। बहुत छोटी-सी बात है, जो पकड़ में आ गई....."

वन मंत्री जी वाक्य भी पूरा नहीं कर सके और बीच में श्री अर्जुनसिंह ने उस पर विनोदपूर्ण टिप्पणी की कि, — "पकड़ में तो हम आपके बिना कहे ही आ जाते हैं।"

वन मंत्री श्री शम्भूनाथ शुक्ल का जवाब जारी रहा। चर्चा के कुछ अंतिम शब्द —

अध्यक्ष : आपको कितना समय और लगेगा।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : दो मिनट में समाप्त कर दूँगा।

अध्यक्ष : सभा का समय 5 बजे बाद दो मिनट के लिए बढ़ाता हूँ।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : यह मामला हमारे विचाराधीन है और हम इस पर सोच रहे हैं कि क्या करें। यह लीज का जो मसला है उनको घटाने-बढ़ाने का अधिकार हमारा है, लेकिन लायसेन्स को घटाने-बढ़ाने का अधिकार केन्द्रीय शासन को है और लीज भी केन्द्रीय शासन की स्वीकृति पर होती है। सन् 1951 के एक्ट के तहत जो इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में बना है और उसका जो शिड्यूल है उसके मुताबिक उनका इस पर पूरा अधिकार है। हमारी इसके लिए मजबूरी है। मगर खुशी इस बात की है कि हमने उनसे बातचीत की है उससे ऐसा लगा कि काम जल्दी ही शुरू हो जावेगा चाहे यह आपकी वजह से हो या ....

श्री अर्जुनसिंह : इसका पूरा श्रेय आपको ही देंगे, हम नहीं लेंगे।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : खैर किसी का श्रेय सही, लेकिन मैं यह कहूँगा कि इसमें गति अवश्य आ गई है। इंजीनियर आ गया है, मकान भी बनने लगे हैं, आफिस भी बनने लगा है लेकिन मिल कब तक बनेगा, यह मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं चाहता अवश्य हूँ कि जल्दी-से-जल्दी बने और यह स्वाभाविक भी है। लीज-डीड में टेबल पर रख दूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1900-01)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपने एक तारांकित प्रश्न के जरिये जमींदारी उन्मूलन कानून के बाद भी जारी जमींदारों की शोषणात्मक जमींदाराना हरकतों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया तथा उनके खिलाफ जाँच करने की माँग की। प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज व्यवस्था में आस्था और विश्वास करने वाले निर्दलीय युवा विधायक श्री अर्जुनसिंह में सामंतशाही के खिलाफ व्याप्त रोष; प्रस्तुत प्रश्न और पूरक प्रश्नों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है-

श्री अर्जुनसिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला सीधी, तहसील गोपदनास के ग्राम बड़खेड़ा महाबलीसिंह में वहाँ के भूतपूर्व पवाईदारों ने ग्राम की आबादी के हिस्से को भी सीर, खुदकाश्त के नाम पर अपने नामों पर एलाट करा लिया है और ग्रामवासियों से जमींदारी उन्मूलन के पूर्व की तरह लगान वसूल करते हैं?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : बन्दोबस्त रिकॉर्ड के आधार पर एवं मौके की जाँच के आधार पर जो भूमि पवाईदार के कब्जे में सीर या खुदकाश्त की थी, उनके नाम एलाट की गयी है, जिला व तहसील में ग्रामवासियों की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आबादी या उनके कब्जे में उन्मूलन के पूर्व थी, पवाईदार के सीर में एलाट कर दी गई है तथा पवाईदार पूर्व की भांति अब भी उनसे लगान वसूल करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : क्या शासन को ज्ञात है कि पूरा गाँव जमींदारी उन्मूलन के पहले उनके सीर में दर्ज था?

श्री जगमोहनदास : उनके नाम जितनी जमीन थी, यह उत्तर में स्पष्ट बताया गया है कि उनको दी गई।

श्री अर्जुनसिंह : यही तो प्रश्न है, उस भू-भाग में ऐसे गाँव के गाँव थे जिनमें पवाईदार की सीर भी दर्ज थी, एलाटमेंट के वक्त पूरा गाँव सीर में दर्ज था और वही सीर की हैसियत से एलाट कर दिया गया तो क्या यह शासन के ध्यान में है? इस प्रकार तो वह सभी भूतपूर्व जमींदार जिनके पूरे ग्राम सीर में दर्ज थे अब भी वह गाँव के गाँव एलाट करा के जमींदार बने रहेंगे।

श्री जगमोहनदास : उत्तर दिया गया है कि बन्दोबस्त रिकॉर्ड के आधार पर एवं मौके की जाँच के आधार पर जो भूमि पवाईदार के कब्जे में सीर या खुदकाश्त की थी, उनके नाम एलाट की गई है। जिला व तहसील में ग्रामवासियों की ओर से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आबादी जो उनके कब्जे में उन्मूलन के पूर्व थी, पवाईदार के सीर में एलाट कर दी गई है।

श्री अर्जुनसिंह : जमींदारी जमींदार के कब्जे में थी, पूरा गाँव उनके सीर में दर्ज था, पूरा गाँव सीर में लिखा था। विभाग अगर एलाट करेगा तो पवाईदार बने रहेंगे?

श्री जगमोहनदास : मैंने कहा है कि भूमि एलाट की गई है, गाँव एलाट नहीं किया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं जानना चाहूँगा कि श्रीमान इसकी जाँच करेंगे कि पूरा गाँव उनकी सीर में उनके नाम दर्ज था और आज भी विभाग की ओर से गाँव एलाट कर दिया गया है, जिसका लगान विभाग वसूल कर रहा है?

श्री जगमोहनदास : जाँच जरूर की जायेगी लेकिन इसका सम्बन्ध भूमि से है गाँव से नहीं है।

श्री काशीराम तिवारी : गाँव की आबादी के लिये क्या विन्ध्यप्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था थी?

(उत्तर नहीं दिया गया)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/29 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 1924-25)

29 सितम्बर 1958 को अध्यक्ष महोदय, पंडित कुंजीलाल जी दुबे ने शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश शिक्षा विधेयक, 1958 (संख्या 31, 1958), अर्थात् दि मध्यप्रदेश सेकेण्डरी एज्युकेशन बिल, 1958 (नं. 31 ऑफ 1958) प्रतिस्थापनानुसार प्रवर समिति को सौंपे जाने एवं चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। इसके पहले विधेयक को रखते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा ने बतलाया कि "यह बिल जैसा कि सदन को ज्ञात है इसलिये लाया गया है

कि मध्यप्रदेश में जो अलग-अलग बोर्ड चल रहे हैं उनका एकीकरण हो सके''। इस विधेयक पर बहस शुरू हुई। बहस में श्री अर्जुनसिंह ने भी पूरी रुचि और सक्रियता के साथ हिस्सा लिया। उनके इस भाषण में उनकी शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच और अध्ययनशीलता से साक्षात्कार होता है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सेकेण्डरी एज्युकेशन बोर्ड की स्थापना करने के लिए जो बिल प्रस्तुत हुआ है, इसके बारे में, जहाँ तक यह प्रश्न है कि हमारे प्रदेश के इन स्कूलों का सम्बन्ध अपने प्रदेश के अन्दर-ही-अन्दर गठित बोर्ड से रखा जाये, मैं इसका स्वागत करता हूँ और यह स्वाभाविक बात है, अगर शासन ने यह कदम उठाया है तो यह वांछनीय कदम था, इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमको देखना पड़ता है कि हमारे जिस विभाग का प्रश्न आता है तो उस विभाग की नीति क्या है? अपने कार्य को चलाना है तो इसके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना होगा और उससे उसकी कार्यप्रणाली पर और उसके चलाये हुए कार्य से क्षमता या अक्षमता नापी जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, और विभागों का जिनका सम्बन्ध इस प्रदेश की जनता से है, उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि शिक्षा विभाग का प्रभाव इस देश के वर्तमान नागरिक या भावी नागरिक के जीवन पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग की नीति की ओर जरा हम अधिक गौर करके देखें तो अनुचित न होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से मैं इस ओर जब देखता हूँ तो मुझे शिक्षा विभाग, एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के लिए यह कहना पड़ता है कि शायद हमारे शिक्षा मन्त्री जी के पास अपने विभाग को चलाने के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं है या नहीं की है। इसलिये कि अभी विधानसभा के प्रश्नोत्तर के समय अन्य जानकारी जानने के लिए हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने यह कहा है कि एज्युकेशन की अटॉनॉमी को नष्ट नहीं कर देना है और जब यह बिल हमारे सामने आया तो मुझे ऐसा लगा, शायद माननीय शिक्षा मंत्री इस बोर्ड द्वारा एक अपने प्रदेश में सुपर कण्ट्रोल्ड एज्युकेशनल अथॉरिटी बनाना चाहते हैं जिसके अधिष्ठाता उनके ही विभाग के हों और बोर्ड जिससे उनके इशारे पर नाचे। इस प्रकार दो प्रकार की विरोधी बातें शिक्षा मंत्री द्वारा प्रतिपादित की जाती हैं, तब मैं यह समझता हूँ कि उनके पास कोई नीति नहीं है तो वह अनुचित नहीं है। मैं एक बात की ओर और उनका ध्यान आकर्षित करूँगा। दो-तीन महीने पहले की बात है, केरल गवर्नमेंट ने एक एज्युकेशनल बिल पेश किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस गवर्नमेन्ट की नीति के बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कहूँगा केवल आपके द्वारा उसकी सदन को जानकारी देना चाहता हूँ और उसके सम्बन्ध में सदन को विदित होगा कि उस एज्युकेशनल बिल को लेकर केरल प्रान्त में और केरल प्रान्त में ही नहीं बल्कि सारे देश मे कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी और कितना राष्ट्रपति महोदय ने उसको महत्वपूर्ण समझा कि अपने पावर्स का उपयोग करते हुए उन्होंने उस बिल को सुप्रीम-कोर्ट को रेफर किया और सुप्रीम-कोर्ट की फुल बेंच ने अपनी सिफारिश की। वह सिफारिश उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ प्रस्तुत नहीं कर सका हूँ इसके लिए मैं दोषी हूँ, लेकिन स्मरण-शक्ति से सब्जेक्ट टु करेक्शन, कह सकता हूँ कि सुप्रीम-कोर्ट ने यह माना कि शिक्षा के सम्बन्ध में यदि हम ऐसे नागरिक पैदा करना चाहते हैं जो अपनी शक्ति से अपने विचारों को व्यक्त कर सकें और कार्य-रूप में परिणित कर सकें तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप घातक होगा। उनका जो मेन आब्जेक्टिव है वहाँ सरकार को दखल देना चाहिए, लेकिन और किसी क्षेत्र में सरकार को दखल नहीं देना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि शिक्षा मंत्री यह कहेंगे कि .....के आधार पर उसको चेलैंज किया गया है और उसे सुप्रीम-कोर्ट की निगाह में लाया जा सकता है फिर भी उसका जो मूलभूत उद्देश्य है वह 'स्टेट वर्सेस प्रायवेट कण्ट्रोल' है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि आपने जो बोर्ड का गठन किया है, लगभग क्यों, निश्चित रूप से 30 मेम्बर्स उसमें हैं .....आवाज 42 हैं।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गणित में बहुत कमजोर रहा हूँ शायद गलती हो गई हो लेकिन मैंने देखा है कि पाँच या 6 चुने हुए मेम्बर्स हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बोर्ड के मेम्बर्स जो हैं वह 1/3 से ज्यादा इलेक्टेड मेम्बर्स नहीं हैं, बाकी नॉमीनेटेड मेम्बर्स हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त बिल का ड्राफ्ट किया गया था क्या एज्युकेशनल ऑटॉनामी का ध्यान रखा गया था? एज्युकेशनल ऑटॉनामी की आड़

में माननीय शिक्षा मंत्री प्रायः बड़े भीषण भाषण दिया करते हैं, लेकिन आज उनको सब भूल गया है और वह उस सर्वमान्य सिद्धान्त के प्रतिकूल तत्वों का प्रतिपादन कर रहे हैं इसके लिए तो केवल तामस्कर जी द्वारा प्रयोग किये गये विशेषण उपयुक्त होंगे। एज्युकेशनल ॲटॉनामी को तो हम मानते हैं। एज्युकेशनल ॲटॉनामी की हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी डींग हाँकते हैं और दूसरी ओर हम से मंत्री जी मुहर लगवाना चाहते हैं कि 2/3 मेम्बर्स नियुक्त किये जावें। अगर हम बोर्ड को पावर देंगे तो सेक्शन 9 (3) और 9 (4) में बताया गया है --

"(3) If the Board does not within a reasonable time take action to the satisfaction of the State Government the State Government may, after considering any explanation furnished or representation made by the Board, issue such direction consistent with this Act as it may think fit, and the Board shall comply with such directions.
(4) When any emergency in the opinion of the State Government requires that immediate action should be taken, the State Government may, exercise such of the powers of the board under this Act, as it deems necessary without previous consultation with the Board and shall forthwith inform the Board of the action taken."

उपाध्यक्ष महोदय, इमरजेन्सी पैदा हो सकती है किस तरह से, यह तो शिक्षा मंत्री जी ही बतायेंगे। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के सम्बन्ध में ऐसी इमरजेन्सी पैदा हो जायेगी जिसमें शिक्षा के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट को तात्कालिक एक्शन लेना पड़ेगा ऐसा कम सम्भव है। यह दूसरी बात है कि बोर्ड के मेम्बरों द्वारा दो पेपर लीक आउट करवाकर इमरजेन्सी पैदा की जावे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब बातें उस भावना की द्योतक हैं जिसके कारण मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग रेजीमेन्टेशन करना चाहता है। इसके खिलाफ मैं में सदन में आवाज उठाता हूँ और सदन के बाहर भी इसके खिलाफ आवाज उठाऊँगा। अगर आपकी शिक्षा को ॲडाप्ट करने की यही नीति है तो आप किसी प्रकार की दूसरी बात न करें। एज्युकेशनल ॲटॉनामी की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसका कारण यह है कि हमारी यह आदत हो गई है कि हम शिक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं। अगर आपको एज्युकेशनल फील्ड में ॲटॉनामी को नहीं रखना है तो आप उसे नीचे से प्रारम्भ करें। एज्युकेशन के मामले में वहाँ का बजट है उसका बहुत बड़ा भाग शासन को खुद बरदाश्त करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में हमको ग्रान्ट देना पड़ती है और वहाँ तनख्वाह देना पड़ती है। आप नियंत्रण रखें कि पैसे का उपयोग ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। गेम्स के लिये जो लाखों रुपया दिया हुआ है तो वह रुपया गेम्स फण्ड में इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं इस पर आप अपना नियंत्रण रखें, लेकिन इस पर आप अधिकार न रखें कि कौन-सी पुस्तक पढ़ाई जावे और जो पुस्तक पढ़ायी जावे उसमें कौन-कौन-सी चीजें रहेंगी। इस पर विभाग कन्ट्रोल रखना प्रारम्भ न करें वरन् आप देश के नागरिकों के जीवन का स्तर ऊँचा होने में बाधक सिद्ध होंगे। हमारे माननीय मंत्रीजी और प्रवर समिति इस बात पर विशेष ध्यान दें कि कम्पलीट एज्युकेशनल ॲटॉनामी जिस तरह यूनिवर्सिटी में है उस तरह सेकेण्डरी एज्युकेशन के स्टेज में भी हम रखें।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/29 सितम्बर /पृष्ठ - 1998-2001)

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर :

सदस्य श्री शाकिर अली खाँ के मूल अल्प सूचित प्रश्न और पूरक प्रश्न तथा उनके उत्तरों के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने पूरक प्रश्न किये -

श्री शाकिर अली खाँ : (क) क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बैंक ऑफ भोपाल लिमिटेड में शासन का कितना रुपया जमा था? (ख) बैंक बन्द हो जाने के बाद शासन अपना रुपया लेने के लिए क्या कार्रवाई कर रहा है? (ग) जनता के रुपये की वापसी के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है? (घ) गवर्नमेंट लिक्विडेटर शीघ्र नियुक्त करने में क्या आपत्ति है? (ङ) इस बैंक के हिसाब-किताब को स्टेट बैंक में शामिल कर देने से शाखा कायम रखने में शासन को क्या आपत्ति है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : (क) बैंक ऑफ भोपाल में शासन का कोई रुपया जमा नहीं है। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) बैंकिंग कम्पनीज एक्ट तथा इन्डियन कम्पनीज एक्ट में निहित प्रणाली के अनुसार बैंक को स्वेच्छा से अवसायन (वालेन्टरी लिक्विडेशन) में जाना होगा तथा एक अवसायक (लिक्विडेटर) की नियुक्ति की जावेगी जो कि बैंक के साहूकारों (क्रेडीटर्स) को निधि के प्राप्तता के अनुरूप भुगतान करेगा। (घ) बैंक शासकीय विभाग का अंग नहीं है अतः नियमानुसार इस सम्बन्ध में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कार्रवाई करेगा। (ङ) रिजर्व बैंक ने बैंकिंग कम्पनीज एक्ट, 1949 की धारा 22 के अनुसार लायसेंस देना अस्वीकार कर दिया है तथा बैंक की स्वेच्छा से अवसायन किये जाने का सुझाव दिया गया है। इस सुझाव के अनुसार कार्रवाई हो रही है। अतः इस प्रकरण में शासन को आपत्ति होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री शाकिर अली खाँ : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि अगर रुपया आपका जमा नहीं है तो गवर्नमेंट के कितने हिस्से थे?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मध्यप्रदेश गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। पूर्व भोपाल राज्य के हिस्से थे जो प्रेसीडेण्ट के नाम पर हस्तांतरित कर दिये गये।

श्री शाकिर अली खाँ : वह कितने के थे?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : तीन लाख रुपये के।

श्री शाकिर अली खाँ : गवर्नमेंट के बैंक में डायरेक्टर कौन थे जब बैंक बन्द किया?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : डायरेक्टर तो पूर्व भोपाल राज्य के चले आ रहे थे। एक डिप्टी सेक्रेटरी था और कामर्स विभाग से एक अधिकारी था।

श्री शाकिर अली खाँ : क्या यह सही नहीं है कि फाइनेंस सेक्रेटरी, पी.डब्लयू.डी. सेक्रेटरी अब भी इसके डायरेक्टर हैं?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : बताया न कि फाइनेंस के डिप्टी सेक्रेटरी हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इसमें भूतपूर्व भोपाल स्टेट का हिस्सा था और मध्यप्रदेश शासन का हिस्सा नहीं है, ऐसा मंत्री जी ने बताया लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो राइट्स, लाइबिलिटीज और एसेट्स गठित राज्यों के थे, वह क्या मध्यप्रदेश के नहीं हैं।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि जो भोपाल राज्य का हिस्सा था वह प्रेसीडेन्ट के नाम कर दिया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : राज्य पुनर्गठन के बाद एस.आर.सी. एक्ट के मुताबिक सब-लाइबिलिटीज स्टेट की, मध्यप्रदेश शासन को ट्रॉन्सफर हो गई हैं, अब यह नहीं कहा जा सकता कि राज्यपाल के द्वारा होता था तो अब भी उन्हीं के द्वारा होता रहेगा?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मध्यप्रदेश शासन ने इस बात की माँग की थी लेकिन उन्होंने मध्यप्रदेश शासन की इस माँग को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि प्रेसीडेन्ट के नाम पर जो चीज हो गई है, वह केन्द्रीय शासन की संपत्ति है और यह विवाद अब भी चल रहा है।

श्री शाकिर अली खाँ : इसमें जवाब में लिखा है कि कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है, पब्लिक की इत्तला के लिए यह जानना जरूरी है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : उसके लिक्विडेशन की जाब्ते की कार्रवाई हो रही है। पहले उसका हिसाब ऑडिट होगा। हिसाब ऑडिट हो जाने के बाद उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सर्टिफाई करेगा और सर्टिफाई हो जाने के बाद एक लिक्विडेटर की नियुक्ति करेंगे और वही लिक्विडेटर आगे की कार्रवाई करेगा।

श्री शाकिर अली खाँ : जब तक इसका फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिये क्या इसका इन्तजाम कर लिया गया है इसके डायरेक्टर्स इस दर्मियान में रुपया न निकाल सकें? क्योंकि जब से बैंक बन्द हुआ है, मैंने सुना है कि रुपया वापस निकाल रहे हैं, तो क्या इस बात का इन्तजाम किया जायेगा कि इस दर्मियान में रुपया न निकाला जा सके?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : शासन इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। शासन शासकीय डायरेक्टर्स को आदेश दे सकता है कि जब तक लिक्विडेटर की नियुक्ति न हो जाये तब तक वे उसकी देखरेख रखें।

श्री शाकिर अली खाँ : क्या यह सही है कि उसका काफी रुपया अब तक निकाल लिया गया है।

अध्यक्ष : यह शासन कैसे बता सकता है?

श्री शाकिर अली खाँ : क्या गवर्नमेन्ट के सेक्रेटरी उसके अब भी डायरेक्टर मौजूद हैं।

अध्यक्ष : इसकी आप सूचना दे दें तो वे बता देंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/30 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 2036-38)

18 सितम्बर 1958 को सदस्य श्री रामकिशोरी शुक्ल ने एक स्थगन प्रस्ताव सूचना अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में दी थी, जिसमें कहा था, जैसा कि माननीय उप गृहमंत्री श्री नरसिंहराव दीक्षित ने अपने वक्तव्य में बतलाया कि, "शहडोल जिला स्थित ब्योहारी क्षेत्र से गत आम चुनाव में सोशलिस्ट विधायक के निर्वाचन के उपरान्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार राजनीतिक नृशंस हत्याएँ की जा रही हैं। प्रस्ताव में बताया गया था कि सेमरा ग्राम के मालिकराम, मुदरिया ग्राम के रामसेवक, नौढिया ग्राम के हरिश्चन्द्र, खड्डा ग्राम के ठाकुर राम तथा ग्राम पंचायत बाँसा के अध्यक्ष श्री बंसगोपाल के घर तीन सदस्यों की हत्याएँ हो चुकी हैं तथा अन्य कार्यकर्ताओं को धमकियाँ दी जा रही हैं।"

उप गृहमंत्री श्री नरसिंहराव दीक्षित ने अपना वक्तव्य जारी रखते हुए कहा कि "यदि माननीय सदस्य कत्ल में मारे गये किसी भी व्यक्ति के बारे में यह कहकर कि वह सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य था तथा केवल राजनैतिक कारणों पर उसकी हत्या की गई, ऐसा कहें तो उसके लिए शासन कुछ नहीं कर सकता। जब तक यह भी नहीं बतलाया जावे कि हत्या करने वाले भी किसी पार्टी के सदस्य थे।"

राजनैतिक हत्या की उपरोक्त परिभाषा पर आक्षेप करते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने जो कहा -

श्री अर्जुनसिंह : माननीय उपमंत्रीजी ने अभी यह बताया है कि राजनैतिक हत्या तभी मानी जा सकती है जब कि माननीय सदस्य यह कहें कि जिन लोगों ने उनकी हत्या की वे भी किसी राजनैतिक पार्टी के थे, तो अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि किसी साधारण नागरिक के लिये यह बताना ...

अध्यक्ष : मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा नहीं होगी अगर आप कोई क्लेरीफिकेशन चाहते हैं तो आप उसे क्लेरीफाई करा सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यही चाहता हूँ कि यह कैसे संभव हो सकता है कि कोई एक साधारण नागरिक जबकि पुलिस खुद ही बताने में असमर्थ है तब कैसे बता सकता है? इस प्रकार का तर्क उपस्थित करके माननीय उपमन्त्री इस पर परदा डाल रहे हैं।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : परदा नहीं डाला जा रहा है बल्कि परदा उठाया जा रहा है। जो शख्स 288 व्यक्तियों के सामने आकर यह कहे कि यह राजनैतिक हत्या की गई है और उसका कोई प्राइमाफेसी एवीडेंस भी उनके पास नहीं है। जब वह यह भी न बता सके कि किसी राजनैतिक व्यक्ति ने हत्या की है तब तक उसके लिये इस प्रकार का स्टेटमेंट देना उचित प्रतीत नहीं होता।

श्री अर्जुनसिंह : आपने पूछा भी तो नहीं उनसे?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : पूछने की आवश्यकता नहीं है। जब डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पेड़ पर से गिरने से उसकी मृत्यु बतायी गई है तब ऐसी हालत में ये ही कारण स्वयं साबित करते हैं कि राजनैतिक हत्या नहीं हुई है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/30 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 2081, 2082, 2083)

1 सितम्बर 1958 को विधायक श्री लक्ष्मीनारायण नायक ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी, जिस पर शासन ने आश्वासन दिया था कि वह पूरी जानकारी प्राप्त कर सदन में प्रस्तुत करेगा। इस स्थगन प्रस्ताव पर, 30 सितम्बर 1958 को राजस्व मंत्री श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई ने सदन में अपना वक्तव्य पढ़ दिया।

इस शासकीय वक्तव्य को सुनकर अध्यक्ष ने सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण नायक के इस स्थगन

प्रस्ताव को अनुमति नहीं देते हुए कहा - "जितनी बातें प्रस्ताव में कही गई हैं, उन सबसे शासन ने इन्कार किया है। जैसा प्रस्ताव में कहा गया है, शासन के अनुसार वस्तुस्थिति वैसी नहीं है, अतः शासन का निवेदन सुनने के पश्चात् मैं इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं देता।"

सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अध्यक्षीय व्याख्या में निहित बारीक बिन्दुओं को पकड़कर औचित्य का प्रश्न उठाया —

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइन्ट ऑफ आर्डर रेज कर रहा हूँ वह यह है कि आपने अभी फरमाया है कि जो बातें एडजर्नमेण्ट मोशन में कही गई हैं, उसके विपरीत शासन का वक्तव्य है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या केवल इतना ही सफीशिएन्ट है कि जो बातें एडजर्नमेण्ट मोशन में कही गई हैं, उनके विपरीत शासन ने कहा है, इसलिए प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती?

अध्यक्ष : मैंने सभी कारण नहीं दिये हैं, उसके और भी कारण हैं। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा है, इस सम्बन्ध में मुकदमे अदालत में चल रहे हैं, वे मामले सबज्युडिस हैं। मैं उन मामलों को डिस्कस करने की कैसे अनुमति दे सकता हूँ जो कि अभी सबज्युडिस हैं। अनुमति न देने का केवल यही कारण नहीं है कि शासन ने प्रस्ताव में कही गयी बातों से इन्कार किया है, किन्तु जैसा अभी बताया है, इसके कुछ और कारण भी हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 2085)

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधेयक, 1958 को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा पूर्वानुबद्ध हुई। लम्बी बहस के दौरान प्रस्तुत अंश में सदस्य श्री अर्जुनसिंह की रोचक टिप्पणी मिलती है—

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह तो बार-बार कहा गया है कि कुंजियों पर पढ़ाई नहीं होनी चाहिए और वे नहीं छपनी चाहिए, लेकिन वे छपती हैं और शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाती है और पाठ्यक्रम के अनुसार हम उसको रोक नहीं सकते। जब गलत तरह की दवाओं या दूसरी चीजों को रोकने के लिये कानून बन सकता है तो क्या ऐसी किताबों को रोकने के लिये कानून नहीं बन सकता, इस पर माननीय मंत्री महोदय का क्या कहना है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : माननीय सदस्य वकालत करते हैं - ....

श्री शाकिर अली खाँ : मंत्री साहब को मालूम होना चाहिए कि माननीय सदस्य केवल वकालत ही नहीं करते हैं वे मध्यभारत शासन में लॉ मिनिस्टर रहे हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मुझे मालूम है। जहाँ तक कानून का सवाल है, मैं यह उनको बतला देना चाहता हूँ कि कोई भी पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तक में प्रकाशित सूची में यह लिख सकता है कि अमुक पुस्तक सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है और उसको कोई ऐसा करने से रोक नहीं सकता। अगर कोई यह कहे कि यह प्रिस्क्राइब्ड है तो उसमें फाल्सिटी होगी। इसी तरह से अगर कोई दवा विक्रेता यह कहे कि हमारी दवा इस फार्मूले के अनुकूल है और यह दवा फलाँ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड है तो वह पकड़ा जा सकता है, लेकिन यदि कोई यह कहे कि फार्मूला यह है और इसके अनुकूल मैंने बनाई है तो उसको रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसी तरह से जब कोई पुस्तक विक्रेता यह कहता है कि मेरी पुस्तक सिलेबस के अनुसार है तो उसको रोका नहीं जा सकता।

श्री अर्जुनसिंह : जहाँ तक दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन का सवाल है उसके लिये प्रिस्क्रिप्शन को पेटेन्ट करवाना पड़ता है, क्या इसी तरह से पुस्तकों के बारे में नहीं किया जा सकता?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : सिलेबस को पेटेन्ट करेंगे तो एक नई चीज दुनिया में हो जावेगी।

श्री अर्जुनसिंह : आपने तो दुनिया को बहुत सी नयी चीजें दी हैं, एक यह भी दे दीजिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 सितम्बर 1958/पृष्ठ - 2116- 2117)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा 18 मार्च 1958 को दी गई एक सूचना पर अपना अध्यक्षीय निर्णय देते हुए पं. कुंजीलाल दुबे ने कहा, "उन जैसे संसदीय व्यवहार में कुशल व्यक्ति से ऐसी आशा करूँगा कि वे कोई ऐसा कदम न उठायें जो चिरस्थापित परम्पराओं को आघात

पहुँचाये। अध्यक्ष का निर्णय और उस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य इस प्रकार है-

अध्यक्ष : श्री अर्जुनसिंह की ओर से एक सूचना दिनाँक 18-4-58 को इस आशय की प्राप्त हुई थी कि विधानसभा के सदस्य श्री गणेशराम अनन्त के कण्डेक्ट की जाँच करने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये। मैंने इस प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार किया। प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन शासन की ओर कार्रवाई के लिए भेजा जाता है और उसमें उल्लिखित आरोपों तथा आक्षेपों की जाँच करना और उनके यथायोग्य कार्रवाई करना शासन का उत्तरदायित्व हो जाता है और उक्त प्राक्कलन समिति समय-समय पर उस कार्रवाई की जानकारी समिति द्वारा उठाये गये आरोपों तथा आक्षेपों का सन्तोषजनक पालन होने तक प्राप्त करती रहती है। प्राक्कलन समिति के प्रथम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में उक्त समिति तथा शासन के बीच जो विचारविमर्श चल रहा है, उससे मुझे इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जाँच हो रही है और मेरा अनुमान है कि उचित समय पर इस सम्बन्ध में समिति का प्रतिवेदन सदन के समक्ष उपस्थित होगा।

सदस्य की विचाराधीन सूचना को मैंने अपने चेम्बर में ही अस्वीकार कर दिया था, कारण कि मुझे उसके लिए पर्याप्त सामग्री प्राप्त है, ऐसा प्रतीत नहीं होता था। मैंने सूचना देने वाले सदस्य को पत्र द्वारा विस्तार से अस्वीकृति की सूचना दी थी। उन्होंने यह आग्रह किया कि मेरे साथ उनका व्यवहार हुआ था, उसको प्रकाशित करने की आज्ञा दी जाये।

उक्त पत्र में मैंने सदस्य महोदय को यह आश्वासन दिया था कि यदि सम्भव हुआ और सदन के हितों के प्रतिकूल नहीं हुआ तो मुझे इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देने में आपत्ति नहीं होगी। तद्नुसार मैं यह वक्तव्य दे रहा हूँ।

मेरे और सदस्य के बीच में हुए पत्र-व्यवहार के पत्रों में प्रकाशन के सम्बन्ध में भी मैं अपना निर्णय विस्तार से दे चुका हूँ और फिर दुहराना चाहता हूँ कि अध्यक्ष को प्रस्तावों इत्यादि को चेम्बर में निर्णय करने का अधिकार है और उनका उल्लेख सदन में करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के निर्णय प्रायवेट रूलिंग की परिभाषा में आते हैं और इन निर्णयों का प्रकाशन संसदीय परम्पराओं और व्यवहार के अनुकूल नहीं है। अतः मैं सदस्य महोदय को फिर परामर्श देना चाहता हूँ कि उन जैसे संसदीय व्यवहार में कुशल व्यक्ति से ऐसी आशा करूँगा कि वे कोई ऐसा कदम न उठायें जो चिरस्थापित परम्पराओं को आघात पहुँचायें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ और साथ ही आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि मेरी ओर से न कोई ऐसा कदम उठाया जायेगा और न ही मेरी ओर से ऐसा कार्य होगा जो संसदीय परम्पराओं को आघात पहुँचा सके। इसके साथ ही आपने जो बताया है कि विचाराधीन सूचना को अपने चेम्बर में अस्वीकार कर दिया था, कारण कि पर्याप्त सामग्री प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, उक्त मोशन इस गारन्टी पर डिसअलाऊ कर दिया था कि जो प्राक्कलन समिति के बारे में उल्लेख किया गया है कि उक्त समिति और शासन के बीच जो विचारविमर्श चल रहा है, उससे मुझे इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जाँच हो रही है, इससे मुझे भ्रम हो रहा है। कृपया इसका स्पष्टीकरण कर दिया जाये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 सितम्बर 1958/पृष्ठ 2123-24)

महामहिम राज्यपाल श्री हरिविनायक पाटसकर के आदेश से 30 सितम्बर 1958 को विधानसभा सत्र का अवसान हुआ।

नये मध्यप्रदेश का दूसरा बजट सत्र। पहले दिन, 28 फरवरी 1958 को महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। भारत के महान सपूत मौलाना अबुलकलाम आजाद के असामयिक निधन पर सदन ने इस महान पुरुष के सम्मान में दो मिनट तक खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

3 मार्च 1958 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदस्य श्री शिवानन्द द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर श्री अर्जुनसिंह ने अपनी ओर से संशोधन प्रस्तुत किया -

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जावें —

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में अकाल प्राप्त परिस्थिति को सर्वपक्षीय स्तर पर दूर करने का प्रयत्न करने के लिये कोई योजना का उल्लेख नहीं है तथा कर्मचारियों की सेवाओं के एकीकरण के संबंध में सही मानों में क्या प्रगति हुई है इसकी तफसील संतोषजनक नहीं है।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च, 1958/ पृष्ठ - 77)

कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधनों के बाद इस ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। सदस्य श्री विमल कुमार चौरड़िया (गरोठ) और श्री जगदीशचन्द्र जोशी (रीवा) के बाद सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा में हिस्सा लिया —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस अकाल की परिस्थिति को लेकर जिन माननीय सदस्य ने कृतज्ञता-ज्ञापन प्रस्ताव रखा है, उन्होंने भी और विरोधी पक्ष की तरफ से भी, जो बहस की गई उसको सुनने के बाद मैं कुछ आश्चर्य में पड़ गया कि आखिर इस बहस का तात्पर्य क्या है? अगर इस बहस का तात्पर्य यह है कि हम उन अकाल-पीड़ित क्षेत्रों में अपने सामर्थ्य के मुताबिक, अपने साधनों के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को पहुँचा सकें तब तो मैं समझता हूँ कि यह तरीका बहस का कदापि नहीं है, लेकिन अगर हमारी निगाहें आज से 4 वर्ष आगे आम चुनाव पर लगी हैं, तब इस प्रस्ताव में इस प्रकार की बहस हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं दो चीजों को बहुत साफ कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुधा हम देखते हैं कि पब्लिक लाइफ तथा एडमिनिस्ट्रेशन में अपने देश में कुछ चन्द लोग ही मिलेंगे, जो कि यह कहने को तैयार हैं कि अमुक स्कीम, अमुक काम मैंने किया है, इसकी सफलता और असफलता दोनों की जिम्मेदारी हमारे कंधे पर है, इसे मानने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले पंडित नेहरू ने अमरीका से एक बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर एपलवी को यहाँ बुलाया और उनसे कहा कि आप हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का निरीक्षण करें और बतायें कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन किस ओर जा रहा है और इसमें क्या खामियाँ हैं? उन्होंने उसमें जो एक वाक्य लिखा है वह शायद इस प्रदेश और इस देश को ही नहीं बल्कि सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिये और साथ ही पब्लिक लाइफ के प्रत्येक मनुष्य के लिये बहुत ही उपयुक्त है। उन्होंने यह लिखा है कि "The passing of the file is a cultivated art in India"अपने कंधे से दूसरे कंधे पर जिम्मेदारी डालना यह भारत में एक कला है। यह चीज, अध्यक्ष महोदय, न केवल एडमिनिस्ट्रेशन पर लागू होती है परन्तु मैं समझता हूँ यह चीज एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा पब्लिक लाइफ पर लागू होती है। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे समझें कि कोई ज़िम्मेदार व्यक्ति इस सदन में या बाहर पब्लिक प्लेटफार्म में जो बात कहता है वह कल यह न कहने लग जायेगा कि यह बात उसने नहीं कही। वह यह कहेगा कि मैंने तो केवल टीका-टिप्पणी ही की है। यह तरीका एक नॉर्मल प्रोसीजर के लिये हो सकता है, लेकिन अकाल की जहाँ परिस्थिति है, अगर वहाँ यही रवैया अख्तियार किया जायेगा तो मैं समझता हूँ कि हमारी असफलता ही रहेगी। हमारी भावी संतानें हम पर ही आरोप लगायेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि यह कहना इस समय शायद पोलिटिकली बहुत उपयुक्त नहीं होगा लेकिन मैं उस रिस्क को लेता हूँ और वह इसलिये कि इस गरमागरमी के बीच में वास्तविकता का निरूपण हो सके, मैं जानता हूँ कि शासन यह सोचता है कि हमको विरोधी पक्ष की ओर से सहयोग नहीं मिलता। हो सकता है कि उनका यह कहना कुछ हद तक सही है लेकिन शासन से मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि आज तक उन्होंने इस सहयोग को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं?

मैं नहीं समझता कि सिवाय इस सदन में या प्लेटफार्म पर या प्रेस स्टेटमेंट देने के पश्चात् एक भी कदम शासन ने ऐसा उठाया है, जिससे निःसंकोच सभी लोग सहयोग दे सकें। उदाहरण के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय, रीवा संभाग को ले लीजिये। रीवा में कितने जिले हैं और हम वहाँ क्या-क्या कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं

यह मानता हूँ कि हमारे पास रुपया ज्यादा नहीं है, फिर भी शासन ने यह नहीं कहा कि 10 लाख रुपये आपको देते हैं, आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, वहाँ की पंचायत में हैं, आप किसी भी दल के हों, आप बैठिये और बताइये कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या काम खोले जायें।

आज तक अध्यक्ष महोदय, शासन ने इस प्रकार का कोई भी प्रयत्न नहीं किया और जब यह प्रयत्न नहीं होगा तब मंत्री महोदय को कोई उम्मीद करना बेकार है। कुछ लोगों को "मान न मान मैं तेरा मेहमान" बनने में संकोच है और किसी चीज के लिए होता तो मैं मानता और अपने आप हमको आपके पास जाने में जरा शर्म लगती लेकिन इन विषम परिस्थितियों को लेकर हमको शर्म को दफना देना चाहिए। हमको यह न भूलना चाहिये कि जन-नेतृत्व का एकमात्र मापदंड कटु आलोचना करने की क्षमता ही नहीं है बल्कि उन महत्वपूर्ण और बहुधा राजनैतिक दृष्टिकोण से खतरनाक निर्णयों की जिम्मेदारी बटाने में भी है और जब हम इस बात को लेकर चलेंगे तब मैं समझता हूँ कि सही माने में हम कुछ कर सकेंगे।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो सीधी जिले के दौरे पर गये थे और वहाँ की परिस्थितियों को देखा है और वहाँ की वास्तविकता का उन्हें कुछ ज्ञान हुआ, उनसे आज फिर अपील करता हूँ कि आप जिला लेबल पर, संभागीय लेबल पर सभी दलों के प्रतिनिधियों की समिति बनायें और इस कार्य के लिये जो कुछ भी रुपया दे सकें, खुले दिल से दें। आप किसी को धोखा न दें। आप उनको साफ बता दें। आपका प्रदेश है, आपका खजाना है, आप उसे देख लीजिए और उसे देखकर बतायें कि कितना दे सकते हैं। जितना दे सकते हों उसको आप उस काम में लगायें। तब मैं देखूँगा कि कैसे हमारे जोशी जी नहीं आयेंगे, कैसे दूसरे लोग नहीं आयेंगे। आप किस मुँह से कहते हैं कि हमको सहयोग नहीं मिलता?

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक चीज और भी कहना चाहता हूँ इस अकाल के ही प्रश्न को लेकर, आपके प्रदेश के उच्च अधिकारियों में और विभिन्न संभागीय अधिकारियों में कुछ विचार-विषमता है। मैं साफ कहता हूँ कि लोग ऐसा समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो बदनाम हैं ही। हम लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन जो आपके ही मुलाजिम हैं, जो आपके ही द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनको भी कह देना कि तुम्हारी रिपोर्ट असत्य है, उचित नहीं है। कार्य-स्थल पर जो अधिकारी हैं उनको जरा बुरा लगता है और कार्य में शिथिलता आती है। पर यह मेरा इम्प्रेशन है, हो सकता है यह गलत हो। इसकी ओर मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात इण्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में कहना चाहता हूँ। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो प्रगति इण्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में बताई है वह मैं मानता हूँ कि वह उनके मुताबिक ठीक होगी क्योंकि आखिर उन्होंने किसी आधार पर ही तो यह एड्रेस बनाया होगा, लेकिन जब हम इण्टीग्रेशन की हिस्ट्री देखते हैं, जो कि एक-डेढ़ साल पुरानी ही है, जिसे कोई नहीं भूला होगा, तब यदि हम इस इण्टीग्रेशन डिपार्टमेंट को डिस-इण्टीग्रेशन डिपार्टमेंट नाम दें तो कोई अनुचित बात न होगी। जहाँ पर इतने दूर तक पहुँच जाने के बाद भी शासन दो मुँह से बात करता है। कोई कहता है हमारा अब यह नियम है, कोई कहता है कि हमारे पास नियम ही नहीं हैं। कोई कहता है कि नियम फाइनल होने के हैं, फाइनल हो जाने पर आपको बता देंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिर यह क्या मखौल है? जब आपके पास कोई ढर्रा चलने को नहीं है तो आप किस तरह से हम लोगों से बार-बार कहते हैं कि सब ठीक हो रहा है और कहते हैं जब फाइनल हो जाएगा तब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आप कह देते हैं हम सुन लेते हैं और हम भी जो चाहते हैं कह देते हैं, लेकिन आप यह न भूलें कि आपके और हमारे बीच कहा-सुनी में नुकसान किसका हो रहा है। यह तो छोड़ दीजिए कि हमारे प्रदेश के, मध्यप्रदेश के सौ, दो सौ, पांच सौ, हजार कर्मचारियों का नुकसान हो जायेगा, उनके साथ अन्याय हो जायेगा। यह संभव भी हो सकता है कि उनके साथ जो अन्याय हो उसको दुरुस्त करने के लिये उनके पास कुछ थोड़े से भी ऐसे साधन हों जिनके सहारे वे कोर्ट में जा सकें लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस धांधलेबाजी से सबसे बड़ा नुकसान होगा हमारी जनता का, प्रजा का और वह इसलिए कि जब आप किसी व्यक्ति को जिम्मेदार पद पर रखते हैं और उसके मन में यह विचार सदैव रहता है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है तब उससे कार्य-कुशलता

की उम्मीद करना व्यर्थ है। जब आप अपने मुलाजिमों के मन में विश्वास पैदा करने में असमर्थ हैं, तब जनता में विश्वास पैदा करना तो मुश्किल ही प्रतीत होता है और बिना विश्वास के किसी भी दिशा में प्रगति होना असंभव है। मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय इस बात पर विशेष ध्यान दें, वरन् अनजाने में ही इस प्रदेश के शासन में शिथिलता और अकर्मण्यता आ जावेगी।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च, 1958/पृष्ठ - 81-83)

सदस्य श्री शाकिर अली खाँ के एक तारांकित प्रश्नोत्तर के दौरान श्री अर्जुनसिंह ने भी पूरक प्रश्न किये —

श्री शाकिर अली खाँ : (क) क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल शहर में कोर्ट एक स्थान पर न होने तथा अन्य असुविधाओं संबंधी विषय पर शहर के वकीलों व नागरिक समिति द्वारा कोई मेमोरेण्डम उन्हें मिला है? (ख) यदि उत्तर हाँ में है, तो शासन ने इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का निश्चय किया है? (ग) क्या यह सच है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जब अदालत का मुआयना किया था उस समय स्थानीय वकीलों ने तमाम अदालतों के अलग-अलग रहने से जो असुविधाएँ वकीलों तथा जनता को हैं उस बारे में प्रतिनिधित्व किया था तथा मुख्यमंत्री जी ने इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था? (घ) यदि हाँ तो इस समय तक उस पर क्या कार्यवाही की गई?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : (क) जी हाँ। (ख) यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है। (ग) जी हाँ। (घ) कुछ भवनों का निरीक्षण किया गया है। उसमें जो न्यायालय के लिये उपयुक्त होगा तथा सुविधा से उपलब्ध हो सकेगा उसको लिये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शाकिर अली खाँ : यह कब से विचार हो रहा और कब तक विचार होता रहेगा।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : अभी इसमें बहुत-सी बातें हैं और इमारतों का भी प्रश्न है। साथ ही साथ यह प्रश्न भी है कि भोपाल में कितनी अदालतें रखी जायें, इसके बारे में हाईकोर्ट विचार कर रही है। इन अदालतों में से कुछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेज सकते हैं या नहीं और किन-किन अदालतों को एक साथ रखना आवश्यक है। भोपाल में भवनों की कमी के कारण काफी कठिनाइयाँ हो रही हैं इस कारण शासन इसके ऊपर गौर कर रहा है। मैंने बड़ी-बड़ी जगहों पर प्रेक्टिस की है और मैं जानता हूँ कि अदालतें अलग-अलग जगहों पर स्थित हैं। लखनऊ में तीन जगह स्थित हैं।

श्री शाकिर अली खाँ : जहाँ पर पी.डब्ल्यू.डी. का आफिस है क्या यह इमारतें अदालतों के लिये मुनासिब नहीं हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मुनासिब जगहें तो हैं, सेक्रेटरिएट की बिल्डिंग बड़ी मुनासिब है, लेकिन सेक्रेटरिएट की ज्यादा जरूरत महसूस की गई थी।

श्री अर्जुनसिंह : क्या यह सच है कि यहाँ पब्लिक प्रासिक्यूटर का ऑफिस Staircase में लगता है।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यहाँ की कठिनाइयाँ हैं।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मंत्री महोदय को यह भी एक्सपीरियन्स है कि कहीं पर पब्लिक प्रासीक्यूटर का ऑफिस Staircase में लगे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : ऐसा अनुभव नहीं है, जहाँ तक हमारे ऐसी राजधानी आई हो।

श्री वसन्तराव सदाशिव प्रधान : वकीलों को दरअसल सुविधा है, ऐसा शासन ने निर्णय लिया है या नहीं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यदि वकील हमारी असुविधा को अनुभव करें तो वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या यह सच है कि जब कोर्ट भवन लिया गया था तब वकीलों को यह आश्वासन दिया गया था कि तीन-चार महीने के अन्दर दूसरा भवन तैयार करके दे दिया जावेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : चार महीने मैं इमारत तैयार हो जावेगी, ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या इसी सवाल पर भोपाल के वकीलों ने एक दिन गैर-हाजिर रहकर प्रोटेस्ट किया था?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जी हाँ, ग़लत काम किया गया था।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या चीफ सेक्रेटरी ने डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज को लिखा था कि इन वकीलों को जो गैर-हाजिर रहे हैं, मिसकण्डक्ट का नोटिस जारी किया जावे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जनहित की दृष्टि से यह नहीं बताया जा सकता।

श्री होमी एफ. दाजी : इसका मतलब यह है कि ऐसा लिखा गया था।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जैसा मैंने कहा था कि यदि वकील लोग अदालतों से इस तरह से गैर-हाजिर रहते हैं तो यह बहुत ही अशोभनीय बात है।

श्री वसन्तराव सदाशिव प्रधान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि श्री होमी एफ. दाजी ने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछा था कि क्या वकीलों ने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने उत्तर दिया कि ग़लत काम था। तो मेरा निवेदन यह है कि वह किस-किस प्रकार का काम था इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं था तथा उस पर ओपीनियन नहीं माँगी थी, विशिष्ट प्रकार का एक्शन हुआ था या नहीं ऐसा ही जानना चाहा था और माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने ओपीनियन दे दिया कि जो कुछ वकीलों ने कदम उठाया था वह ग़लत था। मैं कहना चाहता हूँ कि वे ऐसी ओपीनियन नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप ओपीनियन देने के सम्बन्ध में प्रोटेस्ट करते हैं?

श्री वसन्तराव सदाशिव प्रधान : उनका कहना है कि जो कुछ कदम उठाया गया था वह ग़लत था। ग़लत था, यह एक प्रकार का आक्षेप लगाया गया है। इस संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था?

अध्यक्ष महोदय : माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने जो अनुपूरक प्रश्न आगे पूछा जाने वाला था उसको एन्टीसिपेट करके उत्तर दिया है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात अशोभनीय नहीं मालूम होती कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कीमती काग़जात और रिकार्ड बरामदे में पड़े हैं और पानी में बरबाद होते हैं और चोरी जाते हैं? मतलब यह है कि इस तरह से नष्ट हो रहे हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : यहाँ के क्या हालात हैं उनसे शासन परिचित है और दोनों जिलों की अदालतें हेड क्वार्टर में आ जावें यह भी प्रयत्न हो रहा है। भोपाल में इमारतों की क्या स्थिति है यह शासन अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि पुरानी इमारतें ले ली गई हैं और उनको कठिनाई हो रही है। शासन इस कठिनाई को दूर करने का पूरा-पूरा प्रयास कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि शासन को भोपाल में जो कठिनाई है उसको देखा जावे और उसके अनुसार बात सोची जावे तो ठीक रहेगा।

श्री शाकिर अली खाँ : आप कब तक इसका फैसला फरमा देंगे।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : तय सिर्फ़ शासन ही नहीं करता, शासन और हाईकोर्ट दोनों मिलकर करते हैं।

श्री शाकिर अली खाँ : मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कब तक इसका फैसला कर देंगे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : इसका फैसला करने में दोनों शामिल हैं। जो दूसरा है उसमें इन्डिपेंडेंट जुडीशियरी का मामला है।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या शासन को यह मालूम है कि हाईकोर्ट ने यह तय कर दिया है कि कहाँ इमारत रहेगी और उसका ब्लूप्रिन्ट भी चीफ जस्टिस साहब ने मंजूर कर दिया है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : आपकी जानकारी पूरी-पूरी सही नहीं है।

श्री होमी एफ. दाजी : तो कितनी सही है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : अभी विचार चल रहा है कि कितने ए.डी.जे. रहें, कितने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में भेजे जावें, यह सब तय नहीं हुआ है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : शिक्षा मंत्रीजी ने यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न कह दिया है। अदालत किस भवन में, किस मोहल्ले में हो, भवन निवास, अदालत निवास कहा हो, क्या इसके सम्बन्ध में शासन का कोई दखल नहीं है? क्या सब पावर्स हाईकोर्ट इन्डिपेन्डेंट जुडीशियरी को ही हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : ये बातें दोनों के सहयोग से निश्चित होंगी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यदि हाईकोर्ट का निर्णय विरुद्ध हो तो फिर किसका निर्णय सही होगा?
डॉ. शंकरदयाल शर्मा : इस तरह की चीज मैं बिजुअलाइज नहीं करता।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/11 मार्च 1958/पृष्ठ 272 से 274 तक)

3 मार्च, 1958 को वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने वर्ष 1958-59 के बजट अनुमान माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किये। इसके साथ ही अपना तीस पृष्ठीय 'बजट भाषण' भी सदन में पढ़ा। इस पर सदन में चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। उनके वक्तृता से लगता है कि प्रारम्भ से ही वे समाजवादी विचारों के पक्षधर रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में सामंतशाही, जमींदारी और उसके प्रर्वतकों तथा सिफारिशदारों पर बेझिझक प्रहार किया है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिद्धहस्त अर्थशास्त्री की तरह बजट भाषण पर विचार किया, उसकी विवेचना की तथा उसके मूल्यवान पहलुओं पर सदन के समक्ष अपना मत व्यक्त किया —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट माननीय वित्त मंत्रीजी ने सदन के सामने रखा है, उसके ऊपर किसी एक्सपर्ट की हैसियत से बहस करने में लाचार हूँ। उतनी मुझमें क्षमता नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 टच-स्टोन्स को रखकर इसको देखना चाहता हूँ और उसके बाद मैं 2-3 बातें ही कहना चाहता हूँ। उसके बाद समझूँगा कि शायद मैं अपना कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को इस प्रदेश की जनता के सामने रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी के मन में बड़ा उल्लास रहा होगा, यह मैं जानता हूँ लेकिन यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ और यह पूछना भी चाहता हूँ कि इस प्रदेश के कॉमन मेन के सामने, आम मनुष्य के सामने यह बजट किस रूप में आया? वह इसको क्या समझते हैं?

अध्यक्ष महोदय, बहुत से आँकड़े उसमें दिये हैं। वे करोड़ों की संख्या में हैं। हमारे यहाँ के लोग 100 से ज्यादा गिनती नहीं जानते हैं और वह भी 5 प्रतिशत लोग 100 तक गिनती जानते हैं और बाकी तो 10-10 तक गिनते हैं और फिर गुणा कर लेते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इस बजट के साथ-साथ जिन आशाओं की तरफ, जिन लक्ष्यों की तरफ वित्त मंत्री जी ने और इस प्रदेश के शासन ने उँगली उठाई है वह कहाँ तक उचित है और वह कहाँ तक सफल हुए हैं।

हमारे यहाँ आजादी प्राप्त हो जाने के बाद देश में थोड़े दिनों के लिए एक आरामतलबी-सी छा गई थी। यह होना स्वाभाविक ही है। 60-70 वर्ष की तपस्या करने के बाद जो चीज मिले उसको पा जाने के बाद थोड़ी शिथिलता आ जाना स्वाभाविक है लेकिन अध्यक्ष महोदय, हो यह रहा है कि वह शिथिलता जो कि उन कर्मठ नेताओं के लिए एक विश्राम होना चाहिए था, वह उनकी आदत बन गई है। आज अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सिवाय अपने देश के कुछ चंद नेताओं को छोड़कर जिस समाजवाद की हम लोग डींग हाँकते हैं उसमें नेताओं को विश्वास नहीं है।

हमारे देश में क्राइसिस तो बहुत से आते हैं जैसे फूड क्राइसिस, फारेन एक्सचेन्ज क्राइसिस आदि, लेकिन जो असली क्राइसिस है, जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वह है क्राइसिस आफ फेथ। जब लोगों को अपने पर विश्वास नहीं होता है तब वह अपने को अकर्मण्य समझता है। वह जिस सिद्धान्त को सामने रखकर चलता है जब उसे उस पर विश्वास नहीं है तब उस सिद्धान्त पर आधारित अन्य स्कीमें कैसे चल सकती हैं। यह राजनीति है। डेमोक्रेसी का जमाना है। वोट पर खेल होते हैं। स्वाभाविक है कि जिसको जन-समूह के वोट लेने हैं उसको कोई-न-कोई प्रोग्राम तो सामने रखने ही पड़ेंगे और सामने रखने के लिये इससे बढ़कर अच्छा प्रोग्राम क्या हो सकेगा जिसमें कि आप उनसे कह सकें कि हम आपके लिये तो घी की नदियाँ बहाने वाले हैं। मगर होता क्या है, यह अध्यक्ष महोदय, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस सदन के तमाम सदस्य अपने ही सीने पर हाथ रखकर पूछें तो उनको असली आवाज़ आयेगी कि देश किस दिशा में जा रहा है। उसका कारण यह है कि आज शासन वर्ग जो

है, कांग्रेस पार्टी जो आज शासन में है, और पार्टी का नाम मुझे इसलिए लेना पड़ गया क्योंकि उसी के प्रोग्राम के ऊपर यह बजट आधारित है, तो उस पार्टी में, अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों का बहुमत है जो कि समाजवाद के सिद्धान्त को ईमानदारी से मानते ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस एक छाता है जिसके अन्दर सब आकर ज़माने की बौछार से बचना चाहते हैं। एक दिन ऐसा आयेगा जब कि उनकी संख्या इतनी बढ़ जायेगी कि उन्हें बौछार से बचना तो मुश्किल हो जायेगा और उस छीना-झपटी में वह छाता भी नष्ट हो जायेगा और जो छींटे पड़ेंगे वे सबके ऊपर ही पड़ेंगे और उससे कोई बच न सकेगा। अध्यक्ष महोदय, आप मुझे क्षमा करें जब तक आप इस तरफ गौर नहीं करेंगे तब तक कोई भला नहीं होने वाला, चाहे आप 30 करोड़ एज्युकेशन या डेवलपमेंट पर ही क्यों न रख दें, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिये मैं शासन से यह निवेदन करूँगा कि जब कभी भी आप कोई स्कीम या प्लान अपने सम्मुख रखें तो उसको कार्यान्वित करते समय यह विचार तो अवश्य करें कि जिस उद्देश्य को लेकर आपने रखा है वह कहाँ तक पूरा होता है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी एक सदस्य महोदय ने कहा कि जब हमने 50 लाख रुपया किसी कार्य के लिए रखा है तो वह खर्च हो ही जाना चाहिए, मैं यह कहता हूँ कि आप एक करोड़ रुपया खर्च कीजिये लेकिन उसे सही तरीके से खर्च कीजिये ताकि कम-से-कम कुछ लोगों को तो उससे फायदा पहुँचे और अगर आपने 27-28 करोड़ रुपया भी रखा और सही तरीके से वह खर्च नहीं हुआ तब उसके लिए यही कहा जाएगा कि कुछ नहीं हुआ। तब यह ताज्जुब की बात होगी कि इतना खर्च होने पर भी कुछ क्यों नहीं हुआ। कारण स्पष्ट है लेकिन उसकी ओर देखने का कष्ट कोई करता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतिहास का पंडित तो नहीं हूँ लेकिन हमारे सामने बैठे हुए सदस्य पूर्ण रूप से जानते हैं और वे यह भलीभाँति जानते होंगे कि किसी देश में समाजवाद नौकरशाही के प्रयत्न से नहीं आया है। जब किसी देश में प्रगतिशील कदम उठाये गये हैं तब उसके पीछे उस देश के चन्द उत्साही और क्रान्तिकारी भावना से ओत-प्रोत मनुष्य थे जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज इस देश में जिन लोगों के हाथों में शासन की बागडोर है और जो समाजवाद की रूपरेखा इस देश में कायम करना चाहते हैं, उन्हें जब खुद ही उस बारे में Mentalreservationsहै तब उनसे समाज को प्रेरणा मिलना तो असंभव है। यही कारण है कि हमारा प्लैन केवल प्लैन ही रह गया है। अध्यक्ष महोदय, इस Mentalreservationsका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब हम कोई टैक्स लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने यह प्रश्न आ जाता है कि किस एरिया में यह टैक्स लगाया जाये और किस एरिया में नहीं। इस बात का निर्णय यह मद्देनजर रखकर किया जाता है कि अमुक क्षेत्र में टैक्स लगने पर कहीं कांग्रेस के वोट्स कम न हो जायें। इसका उदाहरण है कि भोपाल और विन्ध्यप्रदेश में एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लगा है, पर उसे मध्यभारत तथा महाकौशल में नहीं लगाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, वह टैक्स छोटे-छोटे किसानों पर तो लगता नहीं है, तीन हजार रुपये वार्षिक आमदनी वाले किसानों पर लगता है, फिर क्या कारण है कि आपने कुछ एरिया में वह टैक्स नहीं लगाया। इसका स्पष्ट यही मतलब है कि आपको उस एरिया में वह टैक्स लगाना राजनैतिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से दूसरा उदाहरण है- जब से जमींदारी खत्म हुई तब से हमेशा किसी-न-किसी नेता के मुँह से यह सुनने में आया करता है कि हम सीलिंग ऑफ लैण्ड करना चाहते हैं। इसका मतलब यही था कि आप जमींदारों का पक्ष लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बड़े-बड़े राजा, नवाब खत्म हो गये तब न मालूम क्यों आप इन छोटे-छोटे जमींदारों से डरते हैं और अब पिछले दिनों में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, तब आप माफ करें यह जवाब दे दिया गया था शासन की ओर से कि वह रिपोर्ट अभी हमारे पास आयी ही नहीं है इसलिये उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को यह जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर आपने रूलिंग दे दी है कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती। अतः मेरा यह निवेदन है कि आपकी रूलिंग के अनुसार अभी इस पर चर्चा न हो।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी प्रमाण मिल जायेगा, फिर भी अच्छी बात है अगर आप चाहते हैं तो उस पर चर्चा नहीं होगी, लेकिन आपको इस बात में संकोच क्यों

होता है? आखिर वे कौन से हौआ हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं और जबकि हमारे देश में बड़े-बड़े राजा, नवाब समाप्त हो गये फिर वे क्यों बने हुए हैं? 150 एकड़ या जो कुछ भी निर्धारित करें, उससे ज्यादा ज़मीन है, उनको देने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? उसके लिए कारण स्पष्ट है। आपने उनसे नहीं माँगा, क्यों? उन लोगों का ही बोलवाला है जिनके पास ऐसे साधन हैं, जमीनें हैं। उनके लिए मजबूरी है। अगर वे खुश रहेंगे तो वे आपको वोट दिलवायेंगे क्योंकि शासन में आना है। उन लोगों को देखें, उनके विरुद्ध कोई ऐसी बात न करें जिससे 100 के बजाय 5 वोट मिलें।

मैं शासन के सामने ये चन्द बातें रखना चाहता हूँ। इसके पहले कि आप यह उम्मीद रखें कि आपकी योजना बिलकुल सक्सेसफुल होगी, आप गरीबी, बेरोजगारी और इस देश में फैले हुए दुष्काल से संघर्ष करने में जनता का सहयोग प्राप्त करेंगे। आप अपने मन के अन्दर हो रहे संघर्ष की ओर ध्यान दें। जब आप इस संघर्ष को जीत लेंगे तो एक दिन इस देश में समाजवादी ढाँचा बन के रहेगा।

आगे बहस में हिस्सा लिया सदस्य श्री काशीप्रसाद पाण्डे (सिहोरा) ने। उन्होंने वित्त मंत्री महोदय पर बजट तैयार करने में अपनायी गयी भेदभाव पूर्ण दृष्टि की आलोचना की। बहस सुन रहे सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने इस बीच एक टिप्पणी की—

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : विकास के बजट की परिस्थिति ऐसी है कि हमारे पुराने महाकौशल को केवल 6 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च करने के लिए मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, जब हम महाकौशल की जनसंख्या का विचार करते हैं, जब हम महाकौशल के क्षेत्रफल का विचार करते हैं तो 6 करोड़ 11 लाख की रकम हमारे लिए बहुत कम होती है। यह रकम देखने में बहुत ही कम लगती है। जब हम मध्यभारत का बजट देखते हैं, जहाँ पर इसका डेढ़ गुना खर्च होने वाला है। जबकि हमारे यहाँ 6 करोड़ 11 लाख खर्च होगा तो मध्यभारत में विकास योजना पर 10 करोड़ 26 लाख खर्च होगा।

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : इसमें चम्बल डेम भी सम्मिलित है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, चम्बल डेम हो या और कोई भी डेम हो, लेकिन.....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय सदस्य को यह भी ध्यान रखना है कि इसमें 7 करोड़ की रकम चम्बल बाँध की है।

श्री अर्जुनसिंह : चम्बल महाकौशल में नहीं है यही तो उनको शिकायत है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यदि आप इसमें से चम्बल डेम और कोरबा को निकाल दें तो महाकौशल की परिस्थिति और भयंकर होने वाली है। आप जरा इसमें से कोरबा की रकम निकाल दीजिये तो महाकौशल के 22 जिलों में खर्च होने के लिए क्या मिलता है जरा वित्त मंत्री जी इस पर विचार करें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/12 मार्च, 1958/पृष्ठ - 404, 405,406 एवं 407)

श्रम मंत्री श्री वी.वी. द्रविड़ ने सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया कि "मैं मध्यप्रदेश निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण) विधेयक 1958 (संख्या 2, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्यूई प्रोपर्टी (वेसिडेटिंग) बिल, नम्बर 2, 1958 (बिल 2 आफ 1958) का पुनःस्थापन करता हूँ। श्री द्रविड़ ने माननीय अध्यक्ष के माध्यम से कहा कि यह प्रस्तावित किया जाता है कि उक्त विधेयक पर तुरन्त विचार किया जावे। इस विधेयक के प्रस्तुतिकरण के साथ ही एक के बाद एक औचित्य के प्रश्न उठते चले गये। सदस्य श्री होमी एफ. दाजी ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा - यह पूरा चैप्टर का चैप्टर फॉयनेन्शियल मैटर्स से डील करता है। बजट पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात् वोटिंग ऑफ ग्रान्टस होना चाहिये और दूसरा काम नहीं हो सकता। कोई बिल इन्ट्रोड्यूस ही किया जा सकता है। यह तो बिल है इसको पुनः स्थापित किया जा सकता है, पर इस पर बहस नहीं हो सकती। अध्यक्ष ने श्री दाजी के औचित्य के प्रश्न पर अपना निर्णय दिया कि इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री वी.वी. द्रविड़ ने मध्यप्रदेश निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण) विधेयक, 1958 (संख्या 2, 1958) को प्रस्तुत करते हुए कहा -

श्री वी.वी. द्रविड़ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इवेक्यूई प्रापर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिये कस्टोडियन और असिस्टेंट कस्टोडियन की नियुक्ति होती है। पूर्व में मध्यभारत में उनकी नियुक्ति की गई थी परन्तु उनका समय समाप्त हो चुका था और उसकी मुद्दत बढ़ाने के लिये समय पर विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की जा सकी। यद्यपि वे अपना काम करते रहे। बाद में इस तरह की विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। किन्तु बाद में परीक्षण के पश्चात् ऐसा प्रतीत हुआ कि इस तरह से पीछे के समय को वेलिड करते हुए शासन केवल विज्ञप्ति निकालकर काम ले, यह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिये इस संबंध में शासन को ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ा और उसी को वैधानिक रूप देने के लिये यह विधेयक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर तुरन्त विचार किया जावे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि -

"मध्यप्रदेश निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण) विधेयक, 1958 (संख्या 2, 1958), अर्थात् मध्यप्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्यूई प्रापर्टी (वेलिडेटिंग) बिल, 1958 (बिल नम्बर 2, ऑफ 1958) पर तुरन्त विचार किया जावे।" .....

श्री होमी एफ. दाजी : (पूर्वी इन्दौर शहर) अध्यक्ष महोदय, यूँ तो यह विधेयक बहुत सरल और सिम्पल है लेकिन हमारे मित्र ने जो स्पष्टीकरण किया है उसके सम्बन्ध में सवाल यह है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस विधेयक के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में बताया गया है-

"Doubts had arisen about the validity of certain appointments of Assistant Custodian of Evacuee Property made by the Government of the erstwhile Sate of Madhya Bharat under the Administration of Evacuee Property Act 1950 (XXXI of 1950) and also about the validity of the proceedings taken by them under the Act....."

आज हाईकोर्ट में रिट्स पेन्डिंग है जिसके अन्दर नोटिफिकेशन्स को चैलेन्ज किया गया है, जजमेंट रिजर्व है और उसमें यह प्रतीत हुआ कि हमारे मामले फेल होने वाले हैं और रिट का पॉवर सेक्शन 6 ऑफ दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवेक्यूई प्रापर्टी एक्ट, 1950 में दिया हुआ है, इसलिये रिट हार जायेंगे। इस बिल को लाकर हाईकोर्ट के सामने बहस करके निर्णय हासिल करने की बहुत ही नाजायज कोशिश की जा रही है।

लेकिन हाईकोर्ट में जब बहस समाप्त हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व्ड है, उसके बाद आर्डिनेन्स लाया गया और उसको वैलिडेट करने के लिये यह एक्ट लाना बहुत ही अनुचित है। इस प्रकार का जो सिद्धान्त लेकर चलते हैं, टेक्निकली उसके खिलाफ न हो लेकिन भाव के अन्दर जुडीशियरी की स्वतंत्रता के अन्दर यह दखल है। इस प्रकार से ऑर्डिनेन्स निकालकर हाईकोर्ट के अन्दर दखल करना आजकल एक आम रिवाज़ हो गया है। इसी तरह से शॉप्स स्टेबलिशमेंट एक्ट के अन्दर जब बहस समाप्त हो गई और जजमेन्ट रिजर्व होने लगा तो एक दिन का एडजर्न माँगा और रात में ही आर्डिनेन्स निकालकर उस प्वाइंट को खत्म कर दिया गया।

इस विधेयक पर की जाने वाली चर्चा पर आगे फिर दूसरा औचित्य का प्रश्न उठा। दूसरा औचित्य प्रश्न उठाया सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने। औचित्य प्रश्न (दो) और उस पर हुई पूरी चर्चा इस प्रकार है-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : प्वाइंट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ। जब कोई मेटर हाउस में आता है और किसी कोर्ट में वह पेंडिंग माना जाता है तो आप तुरन्त उस पर वाद-विवाद बन्द कर देते हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि इस बिल से उत्पन्न होने वाले बहुत से मामलों पर हाईकोर्ट में रिट्स पेंडिंग हैं। तो ऐसी सूरत में क्या उचित होगा कि विधानसभा में इस पर चर्चा करें जबकि चर्चा के दरमियान उन मामलों के ऊपर कहना जरूरी पड़ जायेगा जिनके वेलीडेशन के लिये गवर्नमेंट ने बिल रखा है।

अध्यक्ष : मेरे पास कोई फैक्ट्स नहीं हैं जिनके ऊपर निर्णय दूँ क्योंकि बिल में ऐसी कोई बात नहीं मिली, सिर्फ माननीय सदस्य का स्टेटमेंट ही है।

श्री अर्जुनसिंह : मंत्री जी ॲथारिटेटिवली बता सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में रिट्स पेंडिंग है तो यह एक्ट क्यों ला रहे हैं?

अध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य का स्टेटमेंट है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा अहम् सवाल है, जुडीशियरी की प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुँचना चाहिए, यह चीज नोटिस में आती है। एक ऑनरेबिल मेम्बर के जरिये चाहे वह किसी दल का हो, कहना मामूली बात नहीं है। यह तो मंत्रीजी को बतलाना चाहिए कि प्रकरण जुडीशियरी में पेंडिंग है या नहीं। वैसे विधेयक तो वे पास करवा सकते हैं और उसके पास कराने के लिये उनके पास रास्ता है लेकिन उनको बता देना चाहिए और अध्यक्ष महोदय ऐसा कर सकते हैं कि जुडीशियरी में चूँकि पेन्डिंग है, इसलिये कोई ऐसी चीज रेफर न की जाये जिससे जुडीशियरी की प्रतिष्ठा पर आघात हो। और अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ यह बात आपको मंत्रीजी से पूछना चाहिए क्योंकि हाउस के जो प्रिविलेजेज हैं साथ ही जुडीशियरी के जो हकूक हैं उसके कस्टोडियन आप हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : मैं नम्बर और नाम वगैरह बता सकता हूँ।

अध्यक्ष : आप बैठें। पहले प्वाइंट ऑफ आर्डर पर निर्णय दे दूँ। क्या आप समझते हैं यदि कोई बात निर्णय के लिये हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट में पेंडिंग हो तो उसके सम्बन्ध में यह सदन कोई कानून नहीं बना सकता?

श्री अर्जुनसिंह : विधेयक लाया जा सकता है लेकिन मैं इसलिये कहता हूँ कि जब इसी पर रिट्स जुडीशियरी में पेंडिंग है तो कोई भी माननीय सदस्य अपनी बहस में उस चीज को कैसे कहेगा।

अध्यक्ष : तो आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर इतना ही है न कि कुछ रिट्स हाईकोर्ट में पेन्डिंग हैं, इसलिये यह विधेयक नहीं आ सकता।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य ने यह कहा कि जिस चीज को वेलिड करने के लिये ऑर्डिनेन्स निकाला गया उसी को सबज्युडिस रखकर यह विधेयक लाया गया है।

श्री वी.वी. द्रविड़ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं करता कि इस बिल के सम्बन्ध में जो अभी बात कही गई है कि इस तरह के कुछ रिट्स हाईकोर्ट में पेन्डिंग हैं, यह बात सही है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं अर्ज करूँ, माननीय मंत्री जी ने यह मंजूर किया है कि जिस एक्ट को वेलिडेट कराने के लिये वे यह बिल लाये हैं, उन्हीं एक्टों के अन्तर्गत कुछ केसेज कोर्ट में सबज्युडिस हैं, उसके बाद मैं यह प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाता हूँ कि इस समय इस बिल पर न चर्चा हो सकती है और न विधेयक यहाँ लाया ही जा सकता है।

अध्यक्ष : अब मेरा निर्णय यह है कि विधेयक भी आ सकता है और उस पर चर्चा भी हो सकती है।

सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर .अध्यक्षीय निर्णय हुआ। इस निर्णय के बाद सदस्य श्री छोटेलाल भारद्वाज ने औचित्य का प्रश्न उठाया। औचित्य प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय हुआ और बात आगे बढ़ी है, चर्चा के लिए। ..... माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने फिर औचित्य प्रश्न उठाया। उस पर बहस हुई तथा माननीय अध्यक्ष ने अपना निर्णय सुनाया। औचित्य प्रश्न, बहस और निर्णय इस प्रकार है-

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ आर्डर।

As the Bill before the House shows that we are required to validate certain appointments about which doubts had arisen about their validity. I want to point out, Sir, that in 1955, when their appointments were made, the powers to make appointments were vasted in the State Government. In 1956 an amendment was passed by the Parliament by which the powers to make appointments were taken away from the State Government, and were vasted with the Central Government, which is as below–

"The Central Government may by notification in the official Gazette appoint for any State a Custodian and as many Additional Deputy or Assistant custodian's of

Evacuee property as may be necessary for the purpose of discharging the duties imposed on the Custodian by or under this Act, and the same person may be appointed as the Custodian or as the case may be, Additional, Deputy or Assistant Custodian of Evacuee Property for two or more States."

Therefore the differance now, Sir is that the Central Government is the appointing authority, The point is whether this State Legislature can validate an appointment about which it has no appointing power and that power is with the Central Government.

श्री वी.वी. द्रविड़ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, जिन नियुक्तियों को वेलिडेट करने का प्रश्न है, उनके सम्बन्ध में उस वक्त यह पॉवर स्टेट गवर्नमेंट के पास था। उसके अनुसार नियुक्तियाँ वेलिडेट करने के लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति ली गई है।

अध्यक्ष : जिस समय यह गलती नियुक्तियों में हुई थी उस समय प्रदेश शासन को अधिकार था, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है, उन्होंने इन्कार किया है। उन्हीं नियुक्तियों को कानूनी तौर से जायज बताने के लिए यह विधेयक लाया गया है इसलिये जो उस समय अधिकार था और अब नहीं है, उसके बारे में, अर्थात् जो नियुक्तियाँ गलत हुई हैं या गलती से हुई हैं उसके लिए विधानसभा को अधिकार है।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में जो आपकी व्यवस्था हुई है, उसे मैं मानता हूँ। लेजिस्लेचर को अपने स्टेट सब्जेक्ट के निस्बत रिट्रॉस्पेक्टिव करने का अधिकार है। इसमें दो मत नहीं हो सकते। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सन् 1955 में ये एप्वाइंटमेन्ट किए गए उसके बाद सन् 1956 से सन् 1958 तक लगातार ये नियुक्त लोग काम करते रहे। इस सम्बन्ध में एक महीने पहले आर्डिनेन्स लाया गया और यह आर्डिनेन्स उस वक्त लाया गया जबकि उन गलतियों को सुधारने का अधिकार नहीं था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सन् 1956 से लेकर सन् 1958 तक के बीच में जो उन्होंने कार्य किया, क्या उसको वेलिडेट कर सकते हैं?

अध्यक्ष : सन् 1956 से 1958 के बीच के समय के सम्बन्ध में यह विधेयक नहीं लाया गया है। सन् 1955 में जो नियुक्तियाँ हुईं और जिनमें कोई गलती रह गई थी, चाहे वह गलती रही हो या न रही हो, लेकिन जिसमें गलती होने का संदेह है केवल इस संदेह को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है ताकि उन नियुक्तियों के द्वारा जो कार्य हो चुके हैं वे गैर-कानूनी न हो जावें। इसमें सन् 1956 से 1958 के बीच के समय का जिक्र नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : काम वह सन् 1956 से 1958 तक करते रहे।

अध्यक्ष : सन् 1956 और 1958 के दरमियान यदि कोई गलती रह गई है तो वह उठायी जा सकती है। इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके एक्ट्स को हम वेलिडेट कर दें लेकिन एप्वाइंटमेन्ट इनवेलिड हो जावेंगे।

अध्यक्ष : मैंने निर्णय दे दिया।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कारवाई/14 मार्च 1958/पृष्ठ 601, 602, 603, 604, 609, 610, 611)

.. उक्त विधेयक, 'मध्यप्रदेश निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण) विधेयक, 1958 संख्या 2, 1958 पर चर्चा आगे बढ़ी -

श्री छोटेलाल भारद्वाज : मैं सुन नहीं सका माननीय वित्त मंत्री को। मैं तो आज उनको कोई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक ऐसे सदस्य से कह रहा हूँ जो उनसे अधिक जवान हैं। तो अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीरता से सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस बिल को इस रूप में लाने दें? मेरा प्रस्ताव है कि आप इस बिल को साफ-साफ जनमत के लिये प्रकाशित करें। मैं मानता हूँ कि यहाँ जो सदस्य बैठे हैं वे भी एक जनमत के प्रतीक हैं लेकिन इस बिल को जो लाखों लोगों के ऊपर असर डालने वाला है और अध्यक्ष महोदय, यदि लाखों लोगों

को मालूम हो जाये कि उनकी सम्पत्ति ले ली जाने वाली है हाईकोर्ट के अन्दर, तो सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में याचिकाएँ इस सदन में प्रस्तुत हो जायेंगी, तो मेरा प्रस्ताव है और चुभते हुए आक्रमण के साथ कि एक और यह बिल जहाँ आपकी अकर्मण्यता का द्योतक है, जो आपके पशु बहुमत का द्योतक है, वहाँ यदि आप इस प्रकार हाईकोर्ट की व्यवस्था को बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको जनमत के लिये प्रकाशित किया जाये।

अध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत हुआ कि यह विधेयक जनमत जानने के लिये परिवहरण किया जावे।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। और इसके बाद मैं इस बिल के ऊपर दो-चार बातें कहना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब हमें अपने देश के एक महान् ज्युरिस्ट मिले हैं तब इस तरह के विधेयक इस शासन के द्वारा इस विधानसभा में लाये जाते हैं और तब हम लोगों को कुछ कहने में भी संकोच होता है और आश्चर्य की भी सीमा नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, यह बिल तीन चीजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। पहली यह कि डेमोक्रेसी में एक सिटीजन और स्टेट के बीच रिलेशनशिप क्या होनी चाहिये, आदर्श रिलेशनशिप क्या होनी चाहिये। इसके बाद दूसरी चीज, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है वह यह है कि गोया इस प्रजातंत्र में जुडीशियरी (न्यायालय) को जिस स्थान पर हमारे कान्स्टीट्यूशन मेकर्स ने, हमारे देश के महान् नेताओं ने रखा है वह किस विचार को लेकर रखा है और उसको इस बिल से कितना आघात पहुँचता है। तीसरी बात यह है कि हमारा जो कान्स्टीट्यूशन है, जो संविधान है उसके प्रॉवीजन के कितना विपरीत यह बिल जाता है। इन तीन चीजों के ऊपर मैं कहता हूँ। पहली चीज, जो आदर्श संबंध प्रजातंत्र में स्टेट और नागरिक के बीच में होता है और जो एक सेल्फ प्रोब्लम्ड प्रिन्सिपल है उसके दृष्टिकोण से यह विधेयक अनुचित है। शायद अपनी जल्दबाजी में या मैं यह कहूँ तो अनुचित न होगा कि शायद उन खामियों को, जो शासन को बहुत दूर तक हानि पहुँचा सकती हैं, सुधारने के लिये शासन ने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। प्रजातंत्र स्टेट सिटीजन से ओबीडिएन्सडिमांड करती है, स्टेट सिटीजन से टैक्सेज डिमांड करती है, स्टेट सिटीजन से इमर्जेन्सी के वक्त पर जीवन भी डिमांड करती है लेकिन साथ ही साथ इन सब डिमांड्स के होते हुए जब स्टेट और सिटीजन के बीच में मतभेद होता है, तब न्यायालय के सामने स्टेट और सिटीजन बराबरी से खड़े होते हैं। अगर किसी प्रजातंत्र में इस प्रकार के स्थान को ऊँचा-नीचा करने की कोशिश की गई तो यह निश्चित है कि प्रजातंत्र की न केवल नींव हिलकर रहेगी बल्कि वे सर्वविदित सिद्धान्त नष्ट हो जावेंगे, जिन पर प्रगतिशील संसार आगे बढ़ने की सोच रहा है। वही चीज इस विधेयक के द्वारा ही नहीं ऐसे अनेक विधेयक इस विधानसभा में आये हैं, जहाँ पर यह वैलेन्स डिस्ट्राय करने की कोशिश की गई है। मैं यह नहीं कहता कि यह कोशिश किस धारणा को लेकर शासन करता है, यह तो शासन खुद जानता है और जनता भी जानती है। यहाँ यह सब कहने की ज़रूरत नहीं है। यह खतरे की घंटी है, जिसके लिये न केवल विरोधी पक्ष के लोगों को बल्कि शासन पक्ष के लोगों को, जिनके हाथ में देश की बागडोर है, ध्यान देना चाहिये, इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ कि स्टेट के ऑर्डर के खिलाफ और इस एक्ट के अन्दर जो खामियाँ हैं और जिनके अन्दर ऑर्डर किया गया उसको चैलेंज किया हाईकोर्ट में, उसके बाद क्या यह उचित था कि शासन अपनी उन खामियों को, जो उसे हाईकोर्ट में मुकदमों के दौरान में मालूम हुईं इस तरह से दूर करें। अगर यह पहले से मालूम हो गई होतीं तो सन् 1955 में गलती हुई थी, आज तीन साल हो गये, पहले इसको रिमूव कर सकते थे। सन् 1957 में इसका सुधार किया जा सकता था लेकिन, सन् 1958 में यह बात शासन के सामने आयी तो में समझता हूँ कि इसका शासन स्पष्टीकरण करेगा। यह खामी शासन के सामने तब आयी, जबकि यह मामला हाईकोर्ट के सामने रेफर किया गया और शासन ने देखा कि जो इनवेलिड एप्वाइंटमेंट हुए हैं उन्हें वेलिड करना चाहिये। जो एप्वाइंटमेंट्स की गड़बड़ी हो गई है उसके लिये यह विधेयक लाया गया है, जो एप्वाइंटमेंट्स इनवेलिड हैं उन्हें वेलिड करने के लिये यह बिल लाया गया है। तब अध्यक्ष महोदय, हम वहाँ आ जाते हैं कि शासन कहाँ तक स्टेट और सिटीजन के वेलेन्स को कायम रख सकेगा। अध्यक्ष महोदय, इस देश में एक ओर महान् गरीबी है और एक ओर अमीरी है। जहाँ इतना ऊँचा-नीचा फर्क अभाग्यवश वैसे ही मौजूद है, वहाँ अगर स्टेट अपना बल मजबूत की तरफ देगा

तो सोसिएलिस्टिक पैटर्न कैसे आ सकता है। मैं पूछता हूँ कि क्या शासन ने इस सदन को कांफिडेन्स में लिया और बताया कि ऑफिसरों ने ऐसे कौन से काम किये हैं जिसके कारण से शासन को यह बिल लाना पड़ा, केवल इसलिये यह बिल लाया गया कि जो नियुक्तियाँ इनवेलिड हैं उन्हें वेलिड करना है। सिटीजन्स के राइट्स पर इस तरह से हमला करना संविधान के खिलाफ हो जाता है। अगर आप नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन इस समय तो यही दिखता है कि केवल अपनी खामियों को दबाने के लिये अपने इल्लिगल केस को लीगेलाइज करने के लिये आपने यह बिल रखा है, तब मैं तो इसका समर्थन करने में असमर्थ हूँ।

अध्यक्ष महोदय, अब दूसरी बात यह आती है कि यह एक्ट कहाँ तक अपने संविधान की धारा के प्रतिकूल है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई सिविल लॉ नहीं है। इवेक्यूई प्रॉपर्टी कहने से हम यही समझते हैं कि यह जायदाद का मामला है। जो लोग इस देश को छोड़कर पाकिस्तान चले गये हैं, उनकी जायदाद का प्रबन्ध किसके नाम किया जाये। मुसलमान लोग यहाँ से चले गये हैं और वहाँ के जो हिन्दू यहाँ आये हैं उनके नाम करके यह किसको दी जाये, इसके सम्बन्ध का यह एक्ट है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में कुछ पेनल प्रॉवीजन्स भी हैं। इस इवेक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 32 में ये प्रॉवीजन्स हैं, जो इस प्रकार हैं, पहले 29, 30, 31 सेक्शन्स थे लेकिन उन्हें बाद में अमेंड कर निकाल दिया गया है। 32 सेक्शन इस प्रकार है —

"Penalty for causing to evacuee property— Any person who wilfully destroys or causes damage to any evacuee property or unlawfully converts it to his own use shall be punishable, with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both."

ये प्रॉवीजन्स अभी भी मौजूद हैं। 3 साल की सजा उन लोगों के लिये यह विधेयक देता है जो कि इस सम्पत्ति को नष्ट करता है या अपने खुद के लिये काम में लाता है। रूल्स के मुताबिक कस्टोडियन की डिक्लेरेशन करता है इवेक्यूई प्रॉपर्टी का। डिक्लेरेशन एक्ट के बाहर नहीं करता है जो इल्लिगल एप्वाइंटमेंट्स हुए हैं उनकी लीगलाइज करने के लिये ही यह बिल लाया गया, यह साफ जाहिर होता है। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर किसी कस्टोडियन का एप्वाइंटमेंट इनवेलिड है और अगर वह आदमी, जो कि अभी भी उस पर कब्जा रखे हुए है वह आज दूसरे के हाथ बेच देता है और उसका पैसा खुद ले लेता है, तो उसे सेक्शन 32 के अनुसार सजा मिलेगी, उसके अनुसार उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। अगर वह इस कानून में आ जाता है तो इस विधेयक का मतलब यह है कि हम उसे पेनल प्रॉवीजन को रिट्रॉस्पेक्टिव असर दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मुझे शासन का ध्यान आर्टिकल 20 की तरफ खींचना पड़ रहा है -

"20 (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the Commission of the act charged as an offence, nor be subjected to the penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of offence."

तो मैं कहता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह कानून संविधान के बिलकुल विपसीत है। मैं इसके बारे में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता था लेकिन मैं सदन में पिछले कई सत्रों में दी हुई रूलिंग के ऊपर विचार करने के पश्चात् इस पर प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठा सका। मैंने इस तरह से प्वाइंट ऑफ ऑडर नहीं उठाया क्योंकि उसमें शायद उसका पूरी तरह से समावेश नहीं हो सकता था। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे और मैं माननीय मंत्री महोदय के अलावा यदि माननीय मंत्री महोदय को कोई एतराज न हो तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि श्रद्धेय हैं, उनसे और लॉ मिनिस्टर से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूँ जिससे कि उनके कानूनी ज्ञान की और उनकी शिक्षा की जानकारी प्राप्त कर सकें और उससे लाभ उठा सकें। मैं चाहता हूँ कि आप लॉ मिनिस्टर को इस बात का स्पष्टीकरण करने को कहें।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, यह है कि ....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मिनिस्टर होने पर कानून भूल जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आप ऐसा समझते हैं, पर मैं ऐसा नहीं समझता। लेकिन, यदि यही रवैया रहा तो समझने लगूँ तो कोई ताज्जुब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि औचित्य का प्रश्न उठाया और उसके बारे में आपने अपनी रूलिंग दी उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है और उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ रिट्स हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। उन्होंने उनके बारे में स्पष्टीकरण देने में असमर्थता दिखाई। जब कुछ नहीं कह सके तब उन्होंने यह किया। असमर्थता शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया इस शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। उन्होंने यह नहीं बताया कि कौन-कौन मामलों में, कौन-कौन प्रकरणों में और किन वजूहातों के सम्बन्ध में वहाँ मामले हैं। जब वह चीज हमारे सामने नहीं है तब मुझे आपसे इस बात की अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है इस पर बात बोलने के लिये। मैं इतना जानता हूँ कि रिट्स ऐसे मामलों को लेकर हाईकोर्ट में पेंडिंग है इसलिए यह प्रश्न रह गया है कि जो एप्वाइंटमेंट कस्टोडियन के हुए हैं वे इल्लिगल हैं और इसलिए उनके द्वारा किए गए काम भी इल्लिगल हैं इसलिये ऐसे किए गए किसी भी मामले पर, यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं लाचार हूँ। अगर मुझे व्यक्तिगत इस बात की जानकारी होती तो मैं प्रकाश डालता और आज उसे सदन के सामने रखकर अपने उस औचित्य के प्रश्न को दुहराता क्योंकि जब कोई भी मामला न्यायालय में पेंडिंग रहता है तो उस पर इस सदन में चर्चा नहीं हो सकती लेकिन, चूँकि मेरे पास वह मामला नहीं है इसलिए इस प्रदेश की ज्युडिशियरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भी ऐसा करना ठीक नहीं है इसलिये मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बात का वह स्पष्टीकरण करें कि ऐसे प्रकरण को लेकर जो हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा करना किस हद तक जस्टीफाइड है। उसके मैरिट्स और डीमैरिट्स के बारे में सदन में चर्चा करना किस हद तक जस्टीफाइड है?

इस प्रकार का यह पहला बिल नहीं रखा गया है। इसके पहले के सत्र में दो-तीन ऐसे बिल आए जिनके न केवल इण्टरप्रिटेशन के ऊपर चर्चा हुई बल्कि उनके बेसिक कंस्ट्रक्शन के ऊपर चर्चा हुई है और उनके फण्डामेंटल सिद्धान्तों के ऊपर चर्चा हुई है। क्या मैं शासन से यह आशा करूँ कि भविष्य में इस विधानसभा में ऐसे बिल नहीं आयेंगे? इस विधानसभा का बहुत-सा समय उसके फण्डामेंटल सिद्धान्तों पर चर्चा करने में चला जाए और कोई भी लॉ बनाया जाए तो उसमें उन प्रगतिशील सिद्धान्तों का अवलोकन किया जावे, जिन पर आज समाजवाद के सिद्धान्तों को कायम करने का आप हमेशा ढिंढोरा पीटा करते हैं।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय (लोरमी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है, वह सिद्धान्तों से बड़ा असम्बद्ध है। सिद्धान्तों पर बड़े गंभीरता से विचार व्यक्त किये गये हैं। सबसे पहले मैं बतलाऊँगा कि लोकतंत्र और एकतंत्र दोनों के बीच का अन्तर। आज के लोकतंत्र और पुराने जमाने के एकतंत्र की अगर तुलना की जाये तो मुझे यह दावे के साथ कहना पड़ता है कि पहले का एकतंत्र आज के लोकतंत्र से अच्छा है। अध्यक्ष महोदय, संस्कृत में एक श्लोक है - "न्याय-पथा न प्रविचलन्ति धीरः।"

अध्यक्ष महोदय, पृथ्वी चल सकती है, पहाड़, पर्वत चल सकते हैं, चन्द्र और सूर्य चल सकते हैं, ऐसी अचल वस्तुऐं चल सकती हैं लेकिन धीर पुरुष न्याय के पथ से कभी चलायमान नहीं होते हैं, न्याय-पथ को छोड़ते नहीं है— यह है नीति। लेकिन आज क्या हो रहा है, न्याय-पथ को भ्रष्ट करने के लिए आपका लोकतंत्र दौड़ लगा रहा है। यह देख विवश होकर यह कहना पड़ता है कि इस लोकतंत्र से पहले का एकतंत्र अच्छा था। आप देखें कि राजा हरिश्चन्द्र ने ...।

श्री वी.वी. द्रविड़ : अगर एकतंत्र अच्छा होता तो आप आज यहाँ बोलने के लिये खड़े नहीं होते।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : मंत्री महोदयजी, केवल गप्प मारने को ही लोकतंत्र नहीं कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राजा हरिश्चन्द्र ने स्वप्न में दान दिया और प्रातःकाल ही अपना सर्वस्व त्यागकर केवल पत्नी सहित वनवास को चले जाते हैं, इसको वचन कहते हैं। इसी तरह से महाराजा दशरथ ने कभी अपनी एक गृहणी को वचन दिया था उसका

परिणाम यह होता है कि राजा दशरथ को राम जैसे पुत्र को, जो त्यागने योग्य नहीं थे, त्यागना पड़ता है।

श्री अर्जुनसिंह : मंत्री महोदय ने मध्यप्रदेश की गृहणी को यह वचन दिया है कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसको वे पूरा कर देंगे। ...

उक्त विधेयक पर बहस के दौरान सदस्य श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन (देवास) ने कहा : "माननीय अध्यक्ष, यह विधेयक जो अभी सभा के सामने है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इस विधेयक पर विशेषतः विरोधी दल की ओर से बहुत आघात किया गया है और वह मुख्यतः दो कारणों से - (1) औचित्य के कारण (2) वैधानिक।" आगे उन्होंने कहा कि "इस तरह से विधेयक पास करने की शक्ति न केवल हमारी विधानसभा को ही है बल्कि भारत की सभी विधानसभाओं को है, न केवल संसद को ही है बल्कि दुनिया का कोई भी राष्ट्र ऐसी शक्ति के बगैर अपना काम नहीं चला सकता।"

इस पर श्री अर्जुनसिंह ने कहा - "क्या माननीय सदस्य यह भी मानते हैं कि इसकी कुछ सीमाऐं भी होती हैं।"

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : मैं उस पर भी चर्चा करूँगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/14 मार्च, 1958/पृष्ठ - 615, 616, 617, 618 व 620)

नियम 127 'क' के अधीन सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया। सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई बोले। इसके बाद सदस्यों ने बहिर्गमन किया। श्री अर्जुनसिंह ने भी बहिर्गमन किया -

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं शासन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि "इन्दौर नगर निगम के चुने हुए सदस्यों में नागरिक समिति के प्राप्त बहुमत को शासन ने नामजदगी के जरिये अल्पमत में लाकर कांग्रेस को बहुमत में ला दिया है। इससे असंतुष्ट होकर जनता द्वारा काले झण्डों का प्रदर्शन हुआ। अब 16-3-58 की रात से पाँच व्यक्ति (अब अध्यक्ष महोदय, उनकी संख्या 10 हो गई है) भूख हड़ताल कर रहे हैं। 20 मार्च को मेयर का चुनाव होना है। क्षुब्ध वातावरण के समय शान्ति भंग हो सकती है। अप्रजातांत्रिक शासकीय कार्यवाही का सुधार अत्यावश्यक है।"

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सरकार का जो ध्यान आकर्षित किया गया है उसके संबंध में मेरा यह कहना है कि जो नामजदगियाँ की गई हैं वे अल्पमत को बहुमत में लाने के प्रयास में नहीं की गई हैं परन्तु जो भी नामजदगियाँ की गई हैं वे नगर निगम के विधान के अन्तर्गत जो धारा है उसके अनुसार की गई हैं और शासन के द्वारा जो भी नामजदगियाँ गई हैं उनसे कभी यह अपेक्षा नहीं की गई है कि वे अमुक पक्ष का ही समर्थन करें इसलिये यह जो शासन के ऊपर आरोप लगाया गया है कि शासन ने जानबूझ कर ऐसा किया है, ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जो शान्ति भंग की बात कही गई है, तो जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त है, वहाँ एक नागरिक समिति बनी है वह इस विषय को लेकर अशान्ति पैदा करने में प्रयत्नशील है परन्तु शासन शान्ति स्थापित रखने में सतर्क है। (सदन से बहिर्गमन)

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : माननीय मंत्री जी के भाषण देने के पश्चात् उसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं और इसके पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ध्यान आकर्षित करने के नोटिस को स्वीकार कर लिया। इन्दौर नगर निगम की नामजदगियों के संबंध में माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह प्रजातंत्र को चुनौती है और हम सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ बहिर्गमन करते हैं। (अपने पक्ष सहित बहिर्गमन)

श्री विमल कुमार चौरड़िया : अभी स्वायत्त शासन के मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट होता है कि

शासन ने साजिश की है, जिसका कि यह नमूना है। (बहिर्गमन)

श्री अर्जुनसिंह : अगर समाजवाद की आड़ में ऐसा हो सकता है तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। (बहिर्गमन)

श्री रामकिशोर शुक्ल : इस नामजदगियों के सिद्धान्त के विरोध में मैं अपनी पार्टी के साथ सदन का त्याग करता हूँ। (अपने पक्ष सहित बहिर्गमन)

श्री शाकिर अली खाँ : शासन ने गैर-जम्हूरियत का जो रवैया अपनाया है उसके खिलाफ मैं अपनी पार्टी के साथ वाक आउट करता हूँ। (अपने पक्ष सहित बहिर्गमन)

अध्यक्ष : श्री श्याम कार्तिक .....

अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री .....

श्री श्याम कार्तिक : अध्यक्ष महोदय, मैं बाहर चला गया था, अब सदन के भीतर आ गया हूँ।

अध्यक्ष : जब आप बाहर चले गये थे और मैंने आपका नाम पुकारा था तो आप उपस्थित नहीं थे इसलिये मैंने माननीय वित्त मंत्री का नाम पुकारा, अब आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता।

श्री श्याम कार्तिक : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत थोड़ा बोलना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मुझे बड़ा दुख है, अब मैं आपको बोलने का समय नहीं दे सकता, आप बैठ जावें, माननीय वित्त मंत्री जी ...

श्री श्याम कार्तिक : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष : पहले मैंने आपको बोलने के लिये कहा था लेकिन आप खड़े हुए फिर बाहर चले गये।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/18 मार्च 1958/पृष्ठ - 783-84)

मध्यप्रदेश निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण) विधेयक, 1958 (संख्या 2, 1958) पर चर्चा आगे बढ़ी। 14 मार्च 1958 को उपाध्यक्ष/सदस्य श्री अ.स. पटवर्धन जी की चर्चा अधूरी रह गई थी क्योंकि सभा उपाहार के लिए स्थगित हो गई थी। उस दिन 3-00 बजे पुनः सभा प्रारम्भ हुई और कुछ समय बाद उपाध्यक्ष श्री अ.स. पटवर्धन ने सभापति का आसन ग्रहण कर लिया था। शेष चर्चा 18 मार्च 1958 को पुनः आगे बढ़ी। सदस्य श्री अ.स.पटवर्धन की चर्चा से। मध्यप्रदेश निष्क्रांत संपत्ति प्रबन्ध (मान्यकरण), 1958 (संख्या 2, 1958) को माननीय श्रम मंत्री श्री व्ही.व्ही. द्रविड़ ने इस अपेक्षा से सदन में प्रस्तुत किया था कि वह बिना लम्बी बहस के जल्दी ही पारित हो जायेगा। 18 मार्च. 1958 को इस विधेयक पर माननीय सदस्य श्री अ.स. पटवर्धन ने विधेयक के पक्ष में अपनी दलीलें देते हुए चर्चा पुनः प्रारम्भ की, इसके बाद कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया। इसी बीच श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया-

श्री अर्जुनसिंह : (मंझोली) अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि यह बिल अपने संविधान के अनुच्छेद 20 के प्रतिकूल है। आर्टिकल 20 में जो बताया गया है वह सर्वविदित है, उसके शब्द इस प्रकार हैं -

"20 (1) No person shall be convicted of any offence except for violation of a law in force at the time of the commission of the Act. Charged as an offence nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under, the law in force at the time of Commission of the offence."

अध्यक्ष महोदय, साथ ही इसके आर्टिकल 245 को बताना चाहता हूँ जिसमें लेजिस्लेटिव पावर्स का विवरण है, उसमें बताया गया है—

"245 (1) Subject to the provisions of this constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of territory of India, and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

वसूज कमेन्ट्री आन दि कांस्टीट्यूशन आफ इण्डिया (Commentary of the Constitution of India) के पेज

258 पर लिखा है -

"(vi) It may legislate either prospectively or retrospectively The only Constitutional limitation upon the power of retrospective legislation is that imposed by art. 20, Taxing laws are no exception to this Competence of the Legislatures (Created by the Constitutions."

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस बिल के द्वारा हम कुछ एक्ट्स को ऑफेन्स का रूप दे रहे हैं, जो ऑफेन्स नहीं थे, जिस चीज के वेलीडेशन करने के लिये विधेयक लाया गया है उसमें वास्तविकता यह है कि लगभग 2/3 महीनों में ऐसा कोई नियम नहीं था, जिसमें इस प्रकार के कस्टोडियन को पॉवर्स हों। अध्यक्ष महोदय, कस्टोडियन ने इवेक्यूई प्रॉपर्टी को डिक्लेयर किया है उस प्रापर्टी को मालिक बेचना चाहे तो इवेक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट में प्रॉवीजन है कि इवेक्यूई ने प्रॉपर्टी को बेचने का प्रयत्न किया तो उसे सजा दी जा सकती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय पेनल प्रॉवीजन को Retrospective असर दे रहे हैं इसके लिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ कि इन धाराओं को नजर में रखते हुए यह बिल इस विधानसभा में पास करने लायक है या नहीं।

अध्यक्ष : इस औचित्य प्रश्न के ऊपर जो माननीय सदस्य ने उठाया है कि यह विधेयक संविधान की धारा 20 का विरोधी है, मेरी यह व्यवस्था है कि यह विधेयक संविधान की धारा 20 का विरोध नहीं करता। यह विधेयक उस समय यदि कोई फौजदारी केसेज हुए हों उनको वेलिडेट नहीं करता है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूँ।

अध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन स्पष्ट है। जो फौजदारी केसेज उस समय हुए हों उनको यह विधेयक वेलिडेट नहीं करता है। इस संबंध में अभी उपाध्यक्ष ने भी अपने भाषण में बहुत स्पष्ट कहा है।

श्री अर्जुनसिंह : सिविल नेचर के मान सकता हूँ, यह तो क्रिमिनल नेचर के हैं।

श्री वी.वी. द्रविड़ (श्रम मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा-सा विधेयक है और काफी सरल इसका मतलब है। मुझे यह ख्याल नहीं था कि इस विधेयक के विषय में इतनी चर्चा होगी किन्तु इस विधेयक का एक पहलू ऐसा है कि जिसको लेकर यह चर्चा यहाँ हुई। मैं इस चर्चा का स्वागत करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा हमारे सदन के माननीय सदस्यों की दक्षता प्रकट होती है जो कि इस सदन का जो मूल उद्देश्य है और उसका जो गौरव है उसकी रक्षा के लिये आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष, बहुत सारे जो मुद्दे उठाये गये हैं वे वैधानिक स्वरूप के हैं और मुझे यह स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि मैं कोई विधि-विधान शास्त्री हूँ लेकिन नागरिक के रूप में, एक नागरिक की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है जिसके विषय में मुझे स्वयं आस्था है, उसकी पूरी तरह से चिन्ता रखते हुए मुझे इस संबंध में जो प्रतीत हुआ वह निवेदन करूँगा और मैं जो कहूँगा वह प्रमाणिक रूप से कहूँगा। उसमें फाल्स प्रेक्टिस की दृष्टि से कोई बात नहीं कहूँगा। कुछ प्रिलिमिनरी चीजें कही गयी हैं। यह कहा गया है कि शासन की गलती हुई है फिर जो शासन स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसका एक प्रमाण बताया गया है कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह कहा है कि कुछ संदेह प्रतीत होता है और उसको दूर करने के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इसके बजाय ऐसा क्यों नहीं कहा गया कि गलती हुई है और उसको दूर करने के लिये यह बिल लाया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष, यदि यह ऐसी स्पष्ट और तयशुदा बात होती तो यह आक्षेप ठीक होता किन्तु वास्तव में जैसी भी स्थिति थी वह वास्तव में प्रकट कर दी गई है।

अध्यक्ष : ऐसी स्थिति में, मैं यह आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी शंका को दूर करने के लिये विधेयक का लाना उचित होगा।

श्री वी.वी. द्रविड़ : माननीय अध्यक्ष, मैं उसी को निवेदन कर रहा था। मैंने यह निवेदन किया कि जब प्रकरण सामने आया और जो वैधानिक परामर्श इस विषय में शासन को मिला उससे यह प्रतीत हुआ कि संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति को वेलीडेट करने के लिये केवल नोटिफिकेशन से काम लेना वैधानिक दृष्टि से उचित न

होगा, इसको एक कानून के द्वारा ही करना आवश्यक है। यह बात जब सामने आई तब इस तरह से विधेयक लाया गया। इस विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों के विवरण में 'संदेह' शब्द कोई प्रैस्टिज के ख्याल से नहीं लाया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने जो उत्तर दिया उसका ठीक से स्पष्टीकरण नहीं किया।

अध्यक्ष : उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि हमको यह वैधानिक सलाह दी गई थी

श्री अ.स. पटवर्धन : जब एप्वाइंटमेण्ट हुआ तो फिर साल भर एक्सप्लेन नहीं किया?

श्री वी.वी. द्रविड़ : ये नियुक्तियाँ वैधानिक रूप से ठीक इसलिये नहीं थीं क्योंकि जिस समय पहले नोटिफिकेशन निकाला गया उसमें सामान्यतः जैसे शब्द होते हैं कि "अन्टिल फर्दर ऑर्डर्स" ऐसे शब्द नहीं थे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ऐसे शब्द नहीं थे इसलिये दिक्कत पैदा नहीं होती।

श्री वी.वी. द्रविड़ : चूँकि यह शब्द नहीं थे इसलिए यह त्रुटि प्रतीत हुई।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : गलती नहीं त्रटि प्रतीत हुई।

श्री वी.वी. द्रविड़ : इसमें जो बाद में लीगल एडवाइज़ मिली कि नोटिफिकेशन जो हुआ वह वैधानिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं हो सकता और इसके लिये हमें लॉ लाना चाहिये। दूसरे यह आपत्ति की गयी है कि इस कानून द्वारा कस्टोडियन द्वारा की गई सभी बातें जायज करार दी गई हैं किन्तु माननीय अध्यक्ष, ऐसी बात नहीं है। माननीय पटवर्धनजी ने कहा उसके अनुसार तो कस्टोडियन द्वारा की गई उचित कार्यवाही ही वेलिड होगी। उसके अलावा अगर कोई व्यक्तिगत रूप से या गलत रूप से अपने दायरे के बाहर कार्य किया हो।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि कस्टोडियन की हैसियत से अगर कुछ थोड़े समय में उन्होंने सजा दी होगी तो वह भी वेलिडेट कर दी जाएगी या नहीं?

श्री वी.वी. द्रविड़ : इसका कोई आउटस्टेंडिंग इश्यू होगा उसी पर विधान का प्रभाव पड़ेगा।

श्री अर्जुनसिंह : इवेक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट में इसका प्रॉवीजन है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कस्टोडियन ने अगर किसी को तीन महीने के अन्दर पनिश किया होगा तो आप उसे वेलिडेट करेंगे या नहीं?

श्री वी.वी. द्रविड़ : मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। जब आपने प्रथम यह आपत्ति उठाई थी तो उसका उत्तर पटवर्धन जी ने दिया था और बताया गया कि कोई ऐसी कार्यवाही जो पुरानी हो गई उसके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं आता है। केवल आउटस्टेंडिंग इश्यू होगा, उसके ऊपर ही इसका असर हो सकता है क्योंकि मान लीजिये कि किसी समय किसी बारे में किसी पर कोई सजा या ऐसी कोई कार्यवाही की गई होगी तो उसके कोई पुनः परिवर्तन होने की शंका नहीं पैदा होती।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, माननीय अध्यक्ष, कि यह बतलाया गया कि इस मामले में टेक्निकल गलती ही नहीं है बल्कि डेमोक्रेसी के स्पिरिट का अतिक्रमण किया गया है। इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, हमारा इतना ही निवेदन है कि शुरू से यह अधिकारी कार्य कर रहे थे, उनकी नियुक्ति की तारीख के बाद भी वे काम करते रहे हैं और शासन ने नये सिरे से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया या कार्य नहीं किया जो पूर्व में नहीं था और बाद में आरोपित किया गया हो। ऐसी नई नियुक्तियाँ नहीं की हैं कि जो लोग उस वक्त काम न करते हों और उनका कोई कार्य न चला हो और उनको नये तौर पर रखकर कुछ अधिकार दिये हों, ऐसी बात होती तो बात दूसरी है। नोटिफिकेशन जो प्रारम्भ में निकला था उसके अनुसार वे कार्य कर रहे थे लेकिन जो बात हुई वह सिर्फ यह थी कि वे लोग उसकी मियाद खत्म होने के बाद भी काम करते रहे और उसी को वैलिडेट किया जा रहा है। कोई कार्यवाही ही न हुई और उसकी पूर्ति के लिये हम रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हों यह बात नहीं है। जो बोनाफाइडी कार्यवाही वे करते थे उसी के भीतर कुछ लेकुना मालूम हुआ और उसी को ठीक करने के लिये यह बिल लाया गया। यह भी कहा गया कि गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया की ज्यूरिस्डिक्शन होने पर प्रांतीय सरकार को इस प्रकार का बिल नहीं लाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष, इस संबंध में यह बताया जा चुका है कि उस समय इसकी ज्यूरिस्डिक्शन प्रादेशिक शासन के हाथ में थी उसी वक्त की टेक्निकल गलती को दुरुस्त करना है तो प्रादेशिक शासन को करना चाहिए लेकिन जब इसकी ज्यूरिस्डिक्शन केन्द्रीय सरकार के हाथ में चली गई है तब इसके बारे में केन्द्रीय शासन

से परामर्श करके उसकी स्वीकृति लेकर ही हम यह काम कर रहे हैं।

श्री बृजलाल वर्मा : जो आपको केन्द्रीय शासन से स्वीकृति मिली है क्या वह यहाँ बता सकते हैं।

श्री वी.वी. द्रविड़ : मेरा यह निवेदन काफी होना चाहिए कि इसमें केन्द्रीय शासन की स्वीकृति ली है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसके जानने का सदन को अधिकार है कि आपने कब स्वीकृति ली थी और उसकी तारीखें आपको बतलानी होंगी।

श्री वी.वी. द्रविड़ : तारीख मैं बता रहा हूँ। यह कहा गया कि इतनी देर से कार्य क्यों किया गया। जब 55 का मामला था तब 58 तक रोक कर क्यों रखा गया। मैंने बतलाया है कि अभी कुछ समय पहले तक इसका कोई विवाद पैदा नहीं हुआ बल्कि बोनाफाइडी सारी कार्यवाही चल रही थी और किसी को कोई आशंका थी ही नहीं तो सवाल ही नहीं उठता था लेकिन जब शासन के ध्यान में यह बात आयी वह सर्व-प्रथम 10-12-57 को सरकारी वकील की सूचना पर ध्यान में आयी। तब महसूस हुआ कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : यह 10-12-57 को शासन के नोटिस में आया या शासन के नोटिस में तब आया जब इस पर हाईकोर्ट में बहस हुई। ..... आप यह तो मानते हैं कि अन्याय हुआ ?

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/18 मार्च 1958/पृष्ठ - 795, 796, 797, 798, 799, 800)

माँग संख्या 26, विविध विभाग पर बहस शुरू हुई। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बहस में हिस्सा लिया —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस माँग के बारे में, मैं 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ।

श्री रामचन्द्र अनन्त सर्वटे : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों का कट-मोशन है उनको बोलने का समय पहले मिलना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जरूरी नहीं है। इसका यह मतलब होगा कि भाषण देने के लिये जितने कट-मोशन विरोधी दल की ओर से आते हैं उन्हीं लोगों को पूरा समय दिया जाये और लोगों को न बोलने दिया जाये?

श्री रामचन्द्र अनन्त सर्वटे : जिन लोगों के कट-मोशन हों, उन्हें पहले चान्स दिया जाये।

श्री शाकिर अली खाँ : वह तो इसलिये कट-मोशन नहीं देते कि उनको कोई एतराज नहीं होता। वह तो सपोर्ट करने आते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस माँग के ऊपर 2-4 बातें कहना चाहता हूँ जो कि ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंध रखती हैं। अध्यक्ष महोदय, ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे प्रदेश का ही नहीं बल्कि हमारे देश का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके प्रिन्सपल के ऊपर, जिसके पॉलिसी से ऊपर तथा जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर दो मत नहीं हो सकते। इसमें हम नुक्ताचीनी करने से बिलकुल लाचार हैं क्योंकि वह केवल नुक्ताचीनी होगी। हमारी आलोचना इस डिपार्टमेंट के निस्बत यह है कि जब इस डिपार्टमेंट के पीछे दलों की सद्भावना है तब इस डिपार्टमेंट को, खास तौर से इस तरह से काम चलाना चाहिये कि इसे सदैव हर सहयोग मिलता रहे, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम अपने प्रदेश में देखते हैं तो ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधानसभा से ट्रॉयवल वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिये एक लंबी रकम दी जाती है। हम उसके देने में संकोच नहीं करते। वह उनका डिपार्टमेंट जो शताब्दियों से कुचले हुए, दबे हुए, शोषित लोग हैं और हम उनकी मदद करना चाहते हैं। उनको इस ढंग से मदद करते हैं कि वह हमारी बराबरी में चल सकें परन्तु अध्यक्ष महोदय, जिस मिशनरी स्पिरिट से, जिस लगन से और जिस भावना से कार्य करना चाहिए वह कार्य करने में यह डिपार्टमेंट सर्वथा असमर्थ है। असमर्थ है अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूँ और अगर डिपार्टमेंट चाहे भी तो नहीं कर सकता और उसका कारण है। कारण यह है कि यह डिपार्टमेंट जो है, जैसे और डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के हैं वैसे ही यह भी है। इस डिपार्टमेंट के लोगों को यह नहीं महसूस होता कि हमारी जिम्मेदारी बहैसियत अफसरान के नहीं है बल्कि हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसको निभाना हमारा फर्ज़ है और इसी का परिणाम होता है कि जितनी भी स्कीम्स आती हैं, लम्बे-लम्बे प्रपोजल गवर्नमेंट के आते हैं और उन्हें जब कार्यान्वित किया जाता है तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। अध्यक्ष महोदय, इस डिपार्टमेंट पर मैंने पिछले सत्र में भी कहा था कि नाम तो इसका

डिपार्टमेंट है लेकिन यह डिपार्टमेंट के रूप में एक्जिस्ट (Exist) नहीं करता है, क्योंकि सिवाय चन्द अफसरों के और कोई कन्ट्रोलिंग स्टॉफ नहीं है, कोई फील्ड स्टॉफ नहीं है और इस डिपार्टमेंट के सारे काम दूसरे डिपार्टमेंट्स से होते हैं। एज्यूकेशन के मामले में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को लिखेंगे, अगर मेडिकल के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो डी.एम.ओ. को लिखेंगे और कोई काम किसी विभाग से कराना चाहते हैं तो उस विभाग को लिखेंगे और इसके बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म और वह किस रूप में कार्यान्वित होता है इसकी जानकारी और जिम्मेदारी इस विभाग की समाप्त हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास अपने खुद के ही इतने काम रहते हैं। क्या वे इन कामों में भी उसी तरह से जुटते हैं, जैसे कि और कामों के लिए। एक उदाहरण दूँ। अध्यक्ष महोदय, जिला छतरपुर में, इसके ऊपर एक सवाल भी छतरपुर से आये हुए एक विधायक ने रखा था जिसका उत्तर गोलमाल करके दे दिया गया, छतरपुर में कुसयारुध में एक बस्ती हरिजनों के लिए बसाई गयी। 26 घर बनाये गये जो कि 22 हजार 1 सौ रुपये की लागत से बने। अध्यक्ष महोदय, सन् 1954-55 में यह मकान बने और उसी साल की बरसात में इनमें से पाँच मकान गिर गये। तीन हजार रुपये इसके लिए अगले बजट में फिर सेंक्शन हुआ। इस तरह से पच्चीस हजार रुपया उसमें खर्च किया गया लेकिन अध्यक्ष महोदय, शासन चाहे जो कुछ भी कहे, आज उन मकानों में एक भी आदमी नहीं रहता है और अब वे मकान ऐसे रह भी नहीं गये हैं कि कोई आदमी वहाँ रह सके। शासन तो कहेगा कि हमने हरिजनों के लिए 25 हजार रुपये के घर बनवा दिये। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपने बनवाया, अच्छा किया लेकिन किसके लिये बनवाया, कोई आदमी उनमें रह सकता है। आप कह सकते हैं कि सीजनल रहते हैं लेकिन मेरी समझ में सीजनल रहना समझ में नहीं आता।

लीगल एड के बारे में भी इसमें प्रॉवीजन है। मैंने देखा, डेवलपमेंट एस्टीमेट जो दिया गया है उसमें विन्ध्यप्रदेश के लिए लीगल एड के लिये इस साल बजट में कोई रकम नहीं रखी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में फिर कहना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर नहीं कह रहा हूँ कि विन्ध्यप्रदेश के लिये क्या नहीं रखा गया है, मैं उस भावना से नहीं लेता हूँ लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर अपने पिछड़े भाइयों को हमें आगे बढ़ाना है तो हम उन बातों की ओर ध्यान दें जो हम दूसरों को दिखा सकें कि साहब, हमने इतने स्कूल बनवा दिये, इतने हॉस्पिटल बनवा दिये और इससे प्रगति हुई। प्रगति तो तब कही जायेगी जबकि आप उनकी रोज की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकें। आये दिन हम अदालतों में देखते हैं कि जो लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं, कानून नहीं जानते वे अदालतों में रोज आते हैं, अगर थोड़ी-सी भी गलती उनसे हो गई तो जंगल विभाग के लोग या रेवेन्यू विभाग के लोगों ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। अध्यक्ष महोदय, ऐसी अवस्था में अगर शासन इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता कि उन्हें करेक्ट लीगल एड मिल सके तो वे कहाँ जायें? अध्यक्ष महोदय, यह सवाल अभी दो-तीन महीने पहले गुमाश्ता जी सीधी जिले में गये थे तब उनके सामने भी आया था। वहाँ के आदिवासियों में उन्हें कुछ देखने को मिला। उन्होंने बताया कि हम लोगों को साहूकार लोग जब कोई गल्ला देते हैं तो गल्ला देने के कन्सीडरेशन में एक रुपया ले लेते हैं। गल्ला देते हैं तो उसका ब्याज लेते हैं, सवाया लेते हैं लेकिन जरूरत के वक्त मेहरबानी करके जो गल्ला उन्होंने दिया उसके लिये वे रुपया ले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, बताइये, आपका कानून कहाँ है, किसी कानून के आधार पर सरकार ने उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके द्वारा उन्हें रोक सकें और रोकें भी क्यों? इलेक्शन के समय में यही साहूकार लोग तो आपको वोट दिलाते हैं। हो सकता है कि आपने रोक की तो वोट न मिलें। तो अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप यह बात कहना बन्द कर दीजिये, हम इस वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि यह डिपार्टमेंट एक वृहद् डिपार्टमेंट है और इससे संबंधित हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी पापुलेशन है जिसके कल्याण के लिए सब लोग संलग्न हैं। मैं इस विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सुझाव देना चाहता हूँ चाहे वे उसको ठीक मानें या न मानें कि यहाँ इस लेजिस्लेचर की आप इस डिपार्टमेंट के लिए विधानसभा की स्टेंडिंग कमेटियाँ बनायें जो आपको समय-समय पर सुझाव दे सकें और इस तरह से जो इस विभाग का मुख्य

कर्तव्य है इसको पूरा करने में आपकी मदद कर सकें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/19 मार्च, 1958/पृष्ठ - 891, 892, 893)

माँग संख्या 26 पर चर्चा करते हुए सदस्य श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय ने अपने भाषण में एक स्थान पर विनोद किया तो श्री अर्जुनसिंह भी इस विनोद में सहज ही शामिल हो गये —

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, एक आदिवासी क्षेत्र है वहाँ कौरव-पाण्डव नाम की योजना सरगुजा इलाके में रखी गई है। इस योजना में जमीन, भूमि, वर्ष भर को खाने के लिए और दूसरे साधन देने का प्रयत्न किया गया परन्तु ठीक उसकी देखभाल न होने के कारण वहाँ कोई नहीं रहा ...

उपाध्यक्ष : कौरवों को आगे रखा, इसमें आपको क्यों आपत्ति होना चाहिए।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मालूम नहीं सरकार कौन-कौन से नाम रखकर योजना रखती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इसमें जितने नौकर, निरीक्षक, इन्सपेक्टर रखे थे उनके नाम भी गिना सकता। चार दर्जन प्रकार के नाम हैं वह कौरव-पाण्डव की सब रकम खा गये .....

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्याय जी, महाभारत तो नहीं हुआ?

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : अब फिर उसके लिये दो लाख रुपया ऋण दिया जा रहा है जैसे पहले आदिवासी दरिद्र थे आज वह वैसे ही रह गये। योजना बड़ी अच्छी थी लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उसका रक्षण नहीं किया और पैसा बर्बाद कर दिया।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/19 मार्च 1958/पृष्ठ - 896)

सदस्य श्री रामकिशोर शुक्ल के मूल प्रश्न, उत्तर और पूरक प्रश्नोत्तर में श्री अर्जुनसिंह की दिलचस्प हिस्सेदारी —

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) सिंहावल खंड के मुख्यालय को सिंहावल से अमलिया हटाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है। (ख) सिंहावल ग्रामखंड के एकदम उत्तरी भाग में है तथा आवागमन के लिए जो मार्ग हैं वे केवल खुले मौसम में ही उपयोगी हैं, जिससे प्रशासकीय कार्यों में कठिनाइयाँ होती हैं। खंड परामर्शदात्री समिति ने भी मुख्यालय को अमलिया हटाने की सिफारिश की है।

श्री रामकिशोर शुक्ल : क्या सरकार की पॉलिसी है कि उस स्थान में ही हैड क्वार्टर बनाया जावे जहाँ ऑल वैदर रोड हो?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री बाबूलाल मौर्य : यह पता कब चला कि हैड क्वार्टर ठीक स्थान पर नहीं है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : विकास परामर्शदात्री समिति ने इसका प्रस्ताव करके भेजा और कलेक्टर ने सिफारिश की है।

श्री अर्जुनसिंह : इस ब्लॉक में कितने की बिल्डिंग्स बन चुकी हैं?

अध्यक्ष : प्रश्न को दोहराएँ।

श्री अर्जुनसिंह : वहाँ से क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं?

अध्यक्ष : एक समय में कैसे उत्तर दे दें।

श्री अर्जुनसिंह : वहाँ कितना खर्चा हो चुका है?

अध्यक्ष : सम्बन्धित को बहुत-सी जानकारी है, लेकिन इस समय शासन के पास साधारणतया जानकारी है या नहीं यह चीज देखने की है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हेड क्वार्टर बदलने का कारण यह भी है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को वहाँ की जनता ने मारा था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इसकी जानकारी माननीय सदस्य को ज्यादा होगी।

श्री अर्जुनसिंह : शासन का एक ऑफिसर जनता द्वारा पीटा गया और शासन को इसकी जानकारी तक नहीं,

क्या यह शासन के लिये शर्म की बात नहीं है?

अध्यक्ष : यह मत का सवाल है।

श्री रामकिशोर शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि सिंहावल में जो हैडक्वार्टर कायम किया गया था वह किस कन्सीडरेशन से किया गया था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अध्यक्ष महोदय, उस समय सुझाव आये थे। विन्ध्यप्रदेश राज्य था और लिखा-पढ़ी होकर तय हुआ था।

श्री अर्जुनसिंह : क्या यह जो हैड क्वार्टर कायम किया यह विन्ध्यप्रदेश गवर्नमेंट का कमिटमेंट नहीं माना जा रहा है, जो उसे बदला जा रहा है?

अध्यक्ष : यह पॉलिसी का सवाल होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज पॉलिसी का सवाल हो रहा है लेकिन भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश शासन ने जो हैडक्वार्टर रखा क्या उसको छेड़छाड़ करना शासन उचित समझता है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रोसीडिंग्स है कि कई जगह के प्रपोजल्स माँगे गये, हो सकता है उस समय कठिनाइयों पर विचार न किया गया हो। परामर्शदात्री समिति द्वारा इस पर रिकन्सीडरेशन हुआ है। इसका प्रोसीजर यह है कि विकास समिति इस पर विचार करती है और फिर वह अन्तिम निर्णय के लिये भेजती है। 28-2-58 तक का समय इसके लिये दिया गया था कि इस पर आक्षेप भेजें। जो आक्षेप होंगे उन पर विचार किया जावेगा।

श्री अर्जुनसिंह : 28 तारीख तक का समय दिया गया है, तो क्या यह सच नहीं है जो सुझाव माँगे गये वे नये ब्लॉक के हैड क्वार्टर कायम करने के हैं या पुराने को चेंज करने के हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इस ब्लॉक के सम्बन्ध में सिफारिशें माँगी गई थीं और कलेक्टर की ओर से रिपोर्ट भी आ गई है और शासन की ओर से जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसमें कहा गया है कि लोगों को कोई आपत्ति हो तो वे सूचित करें, जिसके पश्चात् निर्णय लिया जावेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1958/पृष्ठ -917-918)

मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने महामहिम राज्यपाल की सिफारिश पर वर्ष 1958-59 के लिए तीन माँगें- माँग संख्या - 7 गाड़ियों पर कर, माँग संख्या - 12, राज्याध्यक्ष, मंत्रिगण तथा सचिवालय अध्यक्ष व माँग संख्या - 17 पुलिस। क्रमशः छः लाख, अट्ठावन हजार आठ सौ, एक करोड़, ग्यारह लाख बावन हजार तथा चार करोड़, अड़सठ लाख तेरह हजार रुपयों वाली अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन के समक्ष मंजूरी प्राप्ति के लिए प्रस्तुत कीं। इन माँगों पर जो कटौती प्रस्ताव आए, उनमें सदस्य श्री अर्जुनसिंह के कटौती प्रस्ताव भी आये जो माँग संख्या-12 और माँग संख्या-17 पर थे। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बतलाया कि तीनों माँगों और उनके ऊपर आये हुए सब कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा होगी। श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा में एक जागरूक सदस्य की हैसियत से मुद्देवार हिस्सा लिया —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस डिमान्ड पर चर्चा करते समय मुझे शासन के सामने कुछ ऐसी बातें रखनी हैं जो कि हमको इस बात के लिए बाध्य नहीं करेंगी कि हम उनसे कोई निर्णय निकालें, वह फैक्ट्स ही ऐसे होंगे जिससे शासन स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकता है और क्या कार्यवाही करना चाहिये यह अन्दाज लगा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बहुत व्यापक डिपार्टमेंट है जिसके अन्दर प्रदेश की बहुत-सी बातें आती हैं और जिसका सम्बन्ध प्रदेश के कोने-कोने से रहता है और इसका मुख्य सचिवालय भोपाल में स्थित है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि शासन के यदि इस विभाग में कमजोरी रहेगी तो उसका असर पूरे प्रदेश पर पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश बनने के बाद हमारे प्रान्त के, हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि नया प्रदेश बन

रहा है जिसमें चारों ओर से आये हुए लोग इस प्रदेश की सर्वोन्मुखी उन्नति में अग्रसर होंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुख की बात है कि ये आशाएँ अधूरी रह गई हैं, इस सदन के अन्दर और बाहर ऐसा नारा अवश्य लगता है कि इस प्रदेश में कोई किसी के खिलाफ कार्य नहीं करना चाहते लेकिन इस प्रदेश में आज भी रीजनलिज्म का बोलवाला है। चारों राज्यों के कर्मचारियों में भी है और चारों राज्यों के नेताओं के गठित मंत्रिमण्डल में भी है। अध्यक्ष महोदय, हम उम्मीद करते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दिनों प्रदेश के बाहर रहे हैं और जिन्हें किसी विशेष प्रदेश से संबंधित नहीं कहा जा सकता उनके मंत्रित्व-काल में तो रीजनलिज्म का नाम भी न रहेगा परन्तु में समझता हूँ कि उनकी इच्छाओं के रहते हुए भी वह रीजनलिज्म को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। एक नहीं कई उदाहरण अध्यक्ष महोदय, दिये जा सकते हैं लेकिन उदाहरण देने से ही काम नहीं चलेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में ऐसे काम किये जाते हैं जिसकी आपको कानों-कान खबर नहीं रहती। ऐसी बातें जानने पर जो आपके पीछे-पीछे की गयी हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय कोई ठोस कदम उठायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण है, बी.डी.ओज़ का सिलेक्शन जून, 1957 में हुआ। 19 कन्डीडेट्स सिलेक्ट हुए उसमें से 17 एपाइन्ट हो गये लेकिन दो नहीं हुए, कोई कारण नहीं बताया गया कि क्यों एपाइंट नहीं हुए। 19 वेकेन्सीज थीं। बाद में यह कहा जा रहा है कि अब चूँकि नियम बदल गये हैं इसलिये आपको पुनः सिलेक्शन में बैठना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अब 19 का सिलेक्शन हो गया तो इन दो को ही छोड़कर बाकी को क्यों एपाइंट किया। मैंने इसकी जानकारी आठ महीने पहले मुख्यमंत्री जी को दी थी, उन्होंने मेरे सामने स्टेनो को बुलाकर मुख्य सचिव को एक पत्र डिक्टेट भी कर दिया था लेकिन मुझे मालूम नहीं उस पर क्या हुआ, क्या हुआ यह मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जानें, मुझे इतना मालूम हुआ है कि आज या कल मैं उन दोनों का फिर सिलेक्शन होने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो रीजनलिज्म की बात कही उसका यह एक उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय, शासन इमोशनल इन्टीग्रेशन की दुहाई देता है परन्तु माननीय मंत्रियों के यहाँ ऐसे प्रकरण फॉरवर्ड किये जाते हैं जिनकी पृष्ठभूमि रीजनलिज्म में होती है। एक सरक्यूलर सचिवालय से निकला है बहुत छोटी-सी बात के लिये जो दर्शित करता है कि शासन छोटी-छोटी-सी बातों की तरफ ज्यादा ध्यान देता हैं और असली बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। केन्द्र में यह कायदा है कि जब से कोई फाइल चलने वाली होती है उसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है जिससे कि वह नष्ट न हो और एक हेडिंग दे दिया जाता है जिससे कि पता लगता है कि वह अमुक विषय की है। पुराने मध्यप्रदेश में ऐसा था कि वह फाइल कवर जब फाइल पूरी हो जाती थी और दाखिल दफ्तर होने को होती थी तब लगाया जाता था। अब इन दो नियमों में से कौन-सा अच्छा है वह तो मैं नहीं कह सकता। तो बिना इस बात की जाँच किये एकदम सरक्यूलर पर सरक्यूलर निकाले जाते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कि अधिक समय बर्बाद किया जावे। इन्टीग्रेशन का सवाल है उस पर क्यों समय नहीं दिया जाता। हम किन सिद्धान्तों पर इन्टीग्रेशन करते जा रहे हैं, आप कहते हैं कि फाइनल होगा तब बतायेंगे। फिर आप भी कहते हैं कि चार डिपार्टमेंट्स के संबंध में मंत्री स्तर पर अन्तिम निर्णय हो चुका है। दोनों चीजें कैसे हो सकती हैं यदि आपने अन्तिम निर्णय ले लिया है तो किन सिद्धान्तों पर ले लिया है। इसके लिये क्या सिद्धान्त है। क्या हर एक विभाग के लिये अलग-अलग सिद्धान्त हैं या सबके लिये एक ही सिद्धान्त है। आपको यह कहने में संकोच होता है। आपका किसी भी डिपार्टमेंट के लिये कोई सिद्धान्त नहीं है। जो कुछ आप करना चाहते हैं वही करते हैं। इसके संबंध में, मैं ओ.एस.डीज और अन्डर सेक्रेटरी की नियुक्तियों के सम्बन्ध में, कह चुका हूँ।

अब अध्यक्ष महोदय, बजट में राज्य के अतिथियों के आदर-सत्कार के संबंध में 10,000 की रकम रखी गई है, परन्तु मुझे सख्त अफ़सोस है कि स्टेट गेस्टों का आदर ही नहीं किया जाता। इस संबंध में, मैं आपको एक-दो उदाहरण देना चाहूँगा। इस संबंध में मुझे जितनी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। मध्यप्रदेश बनने के पश्चात् इस नगर में लोकसभा के अध्यक्ष पधारे थे और उन्होंने अपने आने की सूचना भी दी थी कि मैं अमुक तारीख को भोपाल पहुँच रहा हूँ। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनको लेने के लिये

स्टेशन पर कोई नहीं गया। शासन को शायद नहीं पता होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पधार रहे हैं।

अध्यक्ष : मैं उस समय यहाँ पर नहीं था।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ। जो बात हुई वह मैं कह रहा हूँ, यह तो शासन का काम है, उसको ध्यान देना था, लोकसभा के अध्यक्ष का बड़ा पद होता है और वह ऑर्डर ऑफ प्रेसीडेन्ट में चौथा या पाँचवा है। उनके लिये शासन के पास कोई इज्जत नहीं है।

अध्यक्ष : उनको स्टेशन पर लेने के लिये मेरे सचिव गये थे।

श्री अर्जुनसिंह : यही तो गनीमत थी कि उन्होंने तत्परता दिखायी और स्वयं इसका इन्तजाम किया वरन् शायद उन्हें ताँगा पकड़कर हवाई अड्डे जाना पड़ता।

श्री विमल कुमार चौरड़िया : उनसे मंत्रिमण्डल के लिये क्या लाभ है।

श्री अर्जुनसिंह : अब मैं एक मंत्री की भी बात बताता हूँ, वे केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ परन्तु इतना बतला देना चाहता हूँ कि वे फूड मिनिस्टर थे, उनको भी स्टेशन पर लेने के लिए कोई नहीं गया। बम्बई से दिल्ली जाते हुए उनकी तबियत खराब हो गई और उन्होंने रास्ते से सूचना दी कि वह भोपाल में रुककर कुछ दवाईयाँ लेना चाहते हैं। दवाईयों की कौन कहे, उनको देखने के लिये भी स्टेशन कोई नहीं गया।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : आप जो कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अगर मुझे जानकारी नहीं है तो क्या मुख्यमंत्री जी देंगे। दूसरी बात मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूँ। मध्यप्रदेश बनने के पश्चात् से लगभग 50 लाख रुपया डाकुओं के अभियान में खर्च हुआ है। इसमें शासन को सफलता भी मिली है। अध्यक्ष महोदय, डकैतियाँ कम हुई हैं इससे अन्दाज यह लगाया जाता है कि पिछले वर्षों में ज्यादा रुपया लगाया गया होगा और तब से अब तक व्यय होता चला जा रहा है। पिछले सत्र में मैंने शासन के सामने कुछ बातें रखीं थीं, एक पुलिस ऑफिसर के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत किये थे यदि उसकी जाँच की गई थी तो उस जाँच का क्या हुआ, इस सदन को पता नहीं है, हो सकता है कि पाँच वर्षों में कभी पता भी चल सकता है। मैंने यह भी बतलाया था कि इस संबंध में आपको सफलता क्यों नहीं मिली। इसका मुख्य कारण यह है कि डाकुओं का संबंध राजनीतिक पार्टियों से है और इस बात को प्रमाण देकर सिद्ध कर सकता हूँ इसी कारण वहाँ सफलता नहीं मिल रही है।

श्री विमल कुमार चौरड़िया : रिफॉर्मेटरी स्कूल में डाकुओं को भर्ती किया जाता है।

श्री नरसिंहराव दीक्षित (उप-गृहमंत्री) : चौरड़िया जी जैसा उनको सिखा रहे हैं, वैसा वह कहते जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : वह हमको नहीं सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ लेकिन आप सीखते नहीं तो क्या किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूँ कि प्रश्न के रूप में यह बात सामने आती है कि जिला अधिकारियों का जो सम्बन्ध है, प्रजा से है उसको शासन देखे। जो जिला अधिकारी हैं, उनको छूट दें, वे अमुक कार्य करें। यह बात मैं बिना पार्टी विचार के कह रहा हूँ। अगर आप उनको किसी निजी काम से रोकें तो दूसरी बात है। अगर कोई शिकायत आये तो उस पर क्या किया जाना चाहिए, बहुधा शिकायतें हम लोग आप से किया करते हैं। हम यह कहते हैं कि अमुक ऑफिसर ने हमारे कहने से कोई कार्य नहीं किया। अब आप उसका तबादला कर दीजिये, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार की शिकायतें आपके सामने आयें तो उनकी आप जाँच करें। जाँच करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि पार्टी फीलिंग का पर्दा उस पर न डाला जाये। अध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर डकैती के संबंध में कही गयी बात आपको बुरी लगी हो तो उसका बुरा न मानें, बल्कि आप उसकी जूडीशियल इन्क्वायरी करवा लें। इसकी इन्क्वायरी एक जुडीशियल ऑफिसर को नियत किया जाकर हो सकती है और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने यह इन्क्वायरी करने की हिम्मत की तो जो बातें मैंने कही हैं उनसे कहीं ज्यादा सनसनीखेज और अशोभनीय रहस्योद्घाटन होगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च/1958/पृष्ठ - 967, 968 एवं 969)

सदस्य श्री अ.स. पटवर्धन जी ने उपरोक्त माँगों पर चर्चा करते हुए सुझाव दिया कि "मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूँगा कि अगर संभव हो तो पटवारियों को यह आदेश दिया जाये कि बन्दूकों के लायसेंस की जो अर्जियाँ हैं, वह ले लें और तहसीलदार के मार्फत कलेक्टर के पास जैसे ही जायें, वहाँ स्टाफ की कमी है उसमें वृद्धि की जाये, उनका शीघ्रता से निपटारा कर दिया जाये क्योंकि उसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। फटाकेदार बन्दूक देहातों में हर किसान के पास होती है और उसको देने में शासन को कोई आपत्ति भी नहीं है क्योंकि आमतौर से लायसेंस दिये हैं। तो ऐसी हालत में दरख्वास्तें पहुँचा दी जायें और पटवारियों की मार्फत उन बन्दूकों का लायसेंस वितरण किया जाये तो उनकी दिक्कत दूर हो जायेगी और शासन के कानून में इससे कोई बाधा नहीं पड़ने वाली है।"

इस सुझाव पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने चुटकी लेते हुए कहा - "जो फीस दी जाती है वह भी पटवारी को दे दी जाये तो अच्छा होगा क्योंकि उसको जमा करने में दस दिन लगते हैं।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1958/पृष्ठ -985)

तीनों माँगों पर बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय ने बहस की शुरूआत विनोदपूर्ण ढंग से इस तरह की -

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय (लोरमी) : अब मैं पुलिस विभाग के बारे में उदाहरण देकर बताऊँ क्योंकि अगर मैं भाषण दूँ तो भाषण से काम चलता नहीं है। माननीय सदस्य कहते हैं उदाहरण चाहिए। अच्छा, मैं उदाहरण देता हूँ - इस दस मिनट के समय में मुझे मंत्रियों के नाम पर रोना पड़ेगा, 11 मिनट मैं नहीं रो सकता हूँ, इसके लिये अध्यक्ष महोदय आज्ञा नहीं देंगे, इसलिये 10 मिनट के ही रुदन में, मैं क्रमशः संक्षेप में कह दूँ तो ठीक है। पहले मैं वृन्दावनगढ़ तहसील के विषय में कहूँगा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि उपाध्याय जी को रोने के लिये 10 मिनट के बजाय 12 मिनट का समय दे दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : रोने के लिये तो मैं एक मिनट भी नहीं दे सकता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : वह आपको रुलाने के लिये रो रहे हैं।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : यहाँ दिये गये सुझावों पर अमल नहीं किया जाता इसलिये रोना ही है और वह भी अरण्यरोदन, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1958/पृष्ठ -987)

माँग संख्या - 28 : अकाल सहायता के सम्बन्ध में सदस्य श्री अर्जुनसिंह का कटौती प्रस्ताव -

श्री अर्जुनसिंह : अकाल रुपया 1 की कटौती का प्रस्ताव।

(To draw the atiention of the Government towards the inadequate relief measures and their fullyimplementation.)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/21 मार्च 1958/पृष्ठ - 1112)

माँग संख्या 27 : भूराजस्व एवं माँग संख्या - 28 अकाल सहायता पर शुक्रवार, 21 मार्च 1958 को हुई अधूरी बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बहस में भाग लेते हुए कहा -

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू और अकाल सहायता की डिमांड के ऊपर बहस करते हुए मुझे कुछ बातों की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि भूमिहीनों को भूमि बाँटने का सवाल हमारे लिये इतना कठिन क्यों बना हुआ है? उन्होंने क्वेश्चन

मार्क तो बहुत लगाये लेकिन उनके उत्तर में केवल एक उदाहरण मात्र दिया। शायद अनुशासन की रोक थी, इसलिये वे उसका उत्तर नहीं दे सके। उसका उत्तर साफ-साफ यह है अध्यक्ष महोदय, कि जो लोग शासन में हैं वे इन भूमिहीनों की समस्या के बारे में प्रगतिशील कदम उठाने का केवल ढिंढोरा पीटना चाहते हैं और उसका कारण स्पष्ट है कि शासन की बागडोर जिनके हाथ में है, वे खुद ही वही लोग हैं जिनके पास ज्यादा ज़मीन है। इसलिये उनसे यह आशा करना कि वे इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे, यह मुश्किल बात है। उसका उदाहरण अपने ही प्रदेश में मिलता है।

अभी कुछ दिनों पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि मद्रास राज्य में ...

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि दूसरे प्रदेश की बातें इस शासन में लाना ठीक नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा नहीं है, इसलिये मैं उसका जिक्र नहीं करता। जब अपने में रिजर्वेशन है तब उसको कार्यान्वित करना मुश्किल ही है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से मार्किंग टाइप कर रहा है। जो तरीका आज से 2-4 सौ साल पहले से आ रहा है वही तरीका आज स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् भी, स्वतंत्रता के युग में भी, चल रहा है। यह विभाग उस सिपाही की तरह है जिसे किसी अभियोग की सजा में दलेल दी गई हो और जो एक ही स्थान पर खड़ा होकर कबायद कर रहा हो। न एक कदम आगे बढ़ पाता है और न एक कदम पीछे जा पाता। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि शासन लैंड रेवेन्यू लेना बन्द कर दे, जो कि कुछ लोगों का यह मत अवश्य है कि लैंड रेवेन्यू लिया ही न जावे। पर मेरा विचार यह है कि लैंड रेवेन्यू लेने के तरीके में फर्क होना चाहिए। प्रजातंत्रीय शासन में लैंड रेवेन्यू एक कांट्रीब्यूशन माना जाए। वह सरकार की आमदनी न मानी जावे। दोनों तरीकों में अलग-अलग सायकालॉजी रहती है, यदि लैंड रेवेन्यू कांट्रीब्यूशन माना जावेगा तो उसमें दूसरी सायकालॉजी काम करेगी और यदि लैंड रेवेन्यू इन्कम मानी जावेगी तो उसमें अलग सायकालॉजी काम करेगी। इसी कारण से लैंड रेवेन्यू के बारे में इतनी शिकायतें हैं। मैं उसकी ओर शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। लैंड रेवेन्यू को इन्कम माना गया है, इसीलिये जनता को शिकायतें हैं।

विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने और काँग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जमींदारी समाप्ति के पश्चात् हमने समझा था कि एक प्रक्रिया होगी जो निरंतर आगे चलती आएगी। जमींदारी अबॉलिशन एक 'मीन्स' समझा गया था, 'एण्ड' नहीं समझा गया था। परन्तु इस महत्वपूर्ण कदम को लेने के बाद शासन में जो लोग हैं वे उसको 'एण्ड' समझकर बैठ गए हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से देखता हूँ कि जिस दिन से जमींदारी समाप्त हुई है उस दिन से 8-10 साल हो गए, जो कदम आगे आने चाहिए थे वह नहीं आये हैं, बल्कि उससे उल्टा ही काम हुआ है। जहाँ पर जमींदार लोग अपने नाज़ायज़ तरीके से "टैक्स इन काइंड" लिया करते थे, उसकी मंजूरी कानून के मुताबिक नहीं थी। उसको आज शासन कैश में परिणित करके लेना चाहता है। इसका प्रमाण दिया है और दूसरा प्रमाण मैं देना चाहता हूँ यदि राजस्व मंत्री उसका खण्डन करें तो मुझे खुशी होगी। विन्ध्य में कुलिया, कुछ जमीन लोगों को देते थे, जिस पर लोग तरकारी, भाजी बगैरह बोकर अपना निर्वाह करते थे। उस पर कोई लगान नहीं लिया जाता था। जब शादी वगैरह होती थी तो जमींदारों द्वारा तरकारी या दूसरी चीजें मँगा ली जाती थीं। साल के कुछ दिनों में उनसे काम भी ले लिया करते थे, पर कैश नहीं लिया जाता था। जब जमींदारी खत्म हुई तो लोगों ने सोचा कि बड़ा दुख छूटा, उन्होंने सोचा कि अब मनमानी उस कुलिया में खेती कर सकेंगे। आज अध्यक्ष महोदय, एक विचित्र स्थिति है कि आप उस कुलिया पर भी लगान लगाना चाहते हैं।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई (राजस्व मंत्री) : मैं पूछना चाहता हूँ कि कर दिया या करने वाले हैं?

श्री अर्जुनसिंह : यह सही है कि अभी लगा नहीं, पर लगाने की योजना है।

(इसके पश्चात् सभा उपाहार के लिए स्थगित हुई और 3 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने संकेत दे ही दिया है कि वे इस लगान को लगाने वाले हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब आप इस तरह से कदम गावों में उठाते हैं तो वहाँ क्या प्रतिक्रिया होगी? अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ और जो लीगल काम्प्लिक्ट पैदा हो गया है, उसके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने पहले भी कहा था और मंत्री

महोदय से भी कहा था कि हमारे यहाँ जमींदारी उन्मूलन के बाद सीर एलॉटमेंट का काम शुरू हुआ जिसमें नियम बनाया गया कि जिन जमींदारों के पास मिनिमम एरिया से कम भूमि है उन्हें भूमि दी जायेगी या कि जो भूमि पर लगातार तीन वर्ष से काबिज हैं तो ऐसे काबिजदार को भूमि दी जायेगी या ऐसे लोगों को भूमि दी जायेगी जिनके पास भूमि है ही नहीं लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर हो कुछ और ही रहा है। जिन आदमियों का पहले से कब्जा नहीं था, जिनके पास पर्याप्त भूमि थी, उन्होंने भी जो भूमि पड़त थी, उस पर अतिक्रमण करके अधिकार कर लिया है और वही भूमि उनके नाम एलॉट भी कर दी गई। जिस वक्त एग्रीब्ड लोगों की अर्जियाँ दी गईं कि यह भूमि इन्हें न दी जाये, क्योंकि यह सार्वजनिक चारागाह है और सबके निस्तार में बाधा पड़ेगी तब अदालतें कहती हैं कि 400 एकड़ के प्लॉट से अगर 50 एकड़ दे भी दिया गया तो बाकी हिस्से में मवेशी चर सकते हैं। इस ओर अदालतें ध्यान नहीं दे पातीं कि इनको यह भूमि पाने का कानूनन हक भी है या नहीं। इसका कारण यह है कि एलॉटमेंट का फाइनल कोर्ट तहसीलदार है। तहसीलदार के पास एप्लीकेशन देने पर उसकी जाँच कानूनगो द्वारा हो जाने पर एलॉटमेंट कर दिया जाता है। उसकी अपील केवल कलेक्टरी में हो सकती है लेकिन वह इस आधार पर हो सकती है कि जबकि कोई एग्रीब्ड पार्टी हो। ऐसी स्थिति में पड़त जमीन में एग्रीब्ड होने का कारण यह हो सकता है कि वह चारागाह था और सार्वजनिक निस्तार उस पर होता था लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस तरह एग्रीब्ड पर्सन कहलाया जाने वाला आता नहीं है और उसके कारण वे अपील नहीं कर पाते हैं और कलेक्टर के आगे कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे कई प्रकरण हैं कि जिनमें न तो कब्जा था और न एप्लीकेशन में लिखा है कि किस जमीन को चाहते हैं और जिस जमीन का लिखा है तो उसका कोई खाता भी नहीं है और न वह किसी खाते पर थी। फिर भी भूमि का एलॉटमेंट कर दिया गया है, यदि मंत्री महोदय जाँच करें तो मैं इसकी डिटेल दूँगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल-सहायता के ऊपर भी कुछ कह देना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में शासन के प्रयत्न को मानता हूँ। शासन इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी समझकर प्रयत्न कर रहा है, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप उन क्षेत्रों में, जहाँ से कि रिपोर्ट आ गई है कि फसल को नुकसान हुआ है, लगान की माफी की घोषणा तुरन्त कर दें। इसके लिये मैं मानता हूँ कि यह नियमों के प्रतिकूल है, उन नियमों के जो सौ साल पहले बनाये गये थे लेकिन लोगों पर एक साइकॉलॉजीकल इफैक्ट पड़ता है। जब किसान यह सुनते हैं कि लगान में से कुछ छूट दे दी गई है तब वे यह समझते हैं कि शासन हमारी मदद करना चाहता है। वरन् आप चाहे कितने ही आँकड़े दीजिए कि हमने यह काम किया और वह काम किया, उसका कोई असर नहीं होता। सहयोग की बात जब आप करते हैं तो उसके लिये आपको एटमॉस्फियर क्रियेट करना चाहिये और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप चाहे कितना ही दें, पर रेमिसन दें। इसका उपाय यह है कि जितना आप समझें आना, दो आना, तीन आना, चार आना, लेकिन आप रेमिसन दें।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/21 मार्च 1958/पृष्ठ - 1172-1173)

शिक्षा विभाग सम्बन्धी माँगों पर चल रही बहस में हिस्सा ले रहे सदस्य श्री बाबूलाल पाटोदी (मध्य इन्दौर शहर)। उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि "हमारे शिक्षा विभाग के ऊपर जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री पर अधिक बोझ है और इस कारण शायद हमारे विभाग का काम ....."

श्री पाटोदी बोल ही रहे थे कि बीच में सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा ने कहा- "बोझ उठाने में वे बहुत मजबूत हैं।"

श्री बाबूलाल पाटोदी बोले - "तभी उठा रहे हैं।"

यह सुनकर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने विनोद किया - "शायद बोझ कम करने के लिये ही पिछली सत्र में उन पर नो-कान्फिडेन्स लाये।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1958/पृष्ठ - 1325)

माननीय सदस्य श्री परमानन्द भाई पटेल (पनागर) ने माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया कि शिक्षा विभाग सम्बन्धी विषय पर बोलने वालों की संख्या अधिक है अतः समय बढ़ाया जाये -

श्री परमानन्द भाई पटेल (पनागर) : अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिये मैं प्रार्थना करूँगा कि एक घंटे का समय बहस के लिये और बढ़ा दिया जाये।

श्री युगलकिशोर सक्सेना : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि जो पी.एस.पी. के विरोधी सदस्य बैठे हैं, उनको बोलने के लिए शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिससे एक भी पी.एस.पी. के विरोधी सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया गया, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि उनको समय दिया जायेगा कि नहीं।

अध्यक्ष : इसमें कोई औचित्य प्रश्न नहीं है। विरोधी सदस्यों द्वारा मुझे कोई ऐसी सूची नहीं दी गई कि इनको इस क्रम से प्रॉयर्टी के साथ में बोलने का अवसर दिया जाये, आप जानते हैं कि विरोधी सदस्यों में कई ग्रुप हैं। जिनको बोलने का अवसर देना मैं उचित समझता हूँ, उनको अनुमति देता हूँ। इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं दिखाई देता। श्री परमानंद भाई पटेल ने जो प्रश्न उपस्थित किया है, उस पर मैं विचार करूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, नाम दिये गये हैं।

अध्यक्ष : आपने एक नाम दिया है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1958/पृष्ठ - 1331)

प्रश्नों के उत्तरों से उद्‌भूत सार्वजनिक महत्व के विषय पर आधे घंटे की चर्चा 12 मार्च 1958 को सदस्य श्री शाकिर अली खाँ साहब के एक तारांकित प्रश्न के उत्तरों तथा पूरक प्रश्नोत्तरों को माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने सदन में गम्भीरता से सुना और तथ्य ग्राह्य किये -

श्री शाकिर अली खाँ : (क) क्या लोक कार्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नागदा (उज्जैन जिला) के पास मेतवास बाँध जो श्री बिरला द्वारा बनवाया गया है, क्या उसकी इजाजत उन्होंने शासन से प्राप्त कर ली थी? (ख) क्या उपरोक्त बाँध बन जाने से पास के गाँव वालों को आने जाने के रास्तों में असुविधा होने की शिकायत शासन को प्राप्त हुई है? (ग) अगर उत्तर हाँ में है, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या किया? (घ) क्या यह सच है कि दूसरा बाँध पिपलोदा, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन में बाँधने की इजाजत श्री बिरला के कारखाने को इस शर्त पर दी गई थी कि वह पहले बाँध तथा दूसरे बाँध से होने वाली आवागमन में असुविधाओं को दूर करने के लिये पास के रास्तों पर रपटे या पुल बनवायें? (ङ) क्या यह सच है कि इस शर्त को पूरा किये बिना ही दूसरा बाँध पिपलोदा पर बन गया है? (च) यदि उत्तर हाँ में है, तो शासन ने कारखानेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? (छ) क्या शासन बाँध के करीब रास्तों पर रपटे बनवाने के लिये कोई कार्यवाही कर रहा है?

श्री शंकरलाल तिवारी : (क) हाँ। (ख) हाँ। (ग) तथा (छ) शासन ने चम्बल व चाम्बला नदियों पर दो पुल बनाने का निर्णय लिया। (घ) तथा (ङ) पहले इन शर्तों पर इजाजत दी गई थी किन्तु बाद में भूतपूर्व मध्यभारत शासन ने दो पुल बनाना निश्चित किया। (च) उपरोक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री शाकिर अली खाँ : उत्तर में बताया गया है कि पुल बनवाने की जिम्मेदारी मध्यभारत शासन ने अपने ऊपर ले ली है और वह नहीं बने हैं इसलिये शिकायत की जा रही है कि पानी के आने जाने के कारण जनता को जो तकलीफ होती है, जो दिक्कतें होती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या कुछ किया है?

श्री दशरथ जैन : शिकायत तो है लेकिन जो दो पुल बनाने हैं उसके लिए उनमें से एक का तो 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और दूसरे का काम शुरू होने वाला है।

श्री शाकिर अली खाँ : पुल बनने से पहले कोई ऐसा काम हो जाता कि जिससे दिक्कतें रफा हो जाएँ।

श्री दशरथ जैन : इसके लिये पैरी के जरिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का इन्तजाम किया गया है।

इन प्रश्नोत्तरों से उद्‌भूत सार्वजनिक महत्व का मुद्‌दा उठाया सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने। उनके द्वारा उठाये गये इस मुद्‌दे पर सदन में आधे घंटे की बहस रखी गई। इस सम्बन्ध में माननीय

मुख्यमंत्री महोदय डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने कहा, "मैं समझता हूँ यह ऐसा सुन्दर भाषण है कि सब माननीय सदस्य सुन लें तो बहुत अच्छा है।"

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा दिनाँक 12 मार्च 1958 के प्रश्न क्रमाँक 42 पर दिये गये उत्तरों से उद्‌भूत है। इस प्रश्न में जो बातें दी गई हैं वे इस प्रकार हैं —

(1) नागदा के पास मेतवास बाँध बिरला कम्पनी की तरफ से बनवाया गया था।

(2) पिपलौदा बाँध, तहसील खाचरौद, जिला उज्जैन में बनाया गया।

(3) पहले बाँध को बँधवाते वक्त बनाने की इजाजत बिरला कम्पनी को दी गई।

(4) दूसरे बाँध के बनाने के पहले उनके ऊपर एक शर्त रखी गई कि वे पहले बाँध तथा दूसरे बाँध से होने वाले आवागमन में असुविधाओं को दूर करने के लिये पास के रास्तों पर दो पुल बनवायें, इस शर्त को बिरला कम्पनी ने नहीं माना।

(5) पाँचवीं बात यह है कि इन कन्डीशन्स को बिरला कम्पनी ने नहीं माना।

(6) छठी बात यह है कि भूतपूर्व मध्यभारत गवर्नमेंट ने 2,61,000 रुपये से दो पुल बनवाना वहाँ मन्जूर किया। अब पहला सवाल यह उठता है कि अगर बिरला साहब ने कन्डीशन्स को कैरी आउट नहीं किया तो क्या कारण है? दूसरा यह है कि उन्होंने कन्डीशन्स को नहीं माना तब वे क्या कारण थे, जिनकी वजह से सरकार को ढाई लाख रुपये के लगभग मन्जूरी देकर निर्माण कार्य को पूरा करना पड़ा और एक चीज और है जो कि प्रश्नों में नहीं आई है और जिसके बारे में Subject to Correction from the minister सदन को बताना चाहता हूँ। इस रकम की मन्जूरी होने के बाद इसी कम्पनी को यह रकम भी दे दी गई, कहने का मतलब यह है कि यह ठेका भी इसी कम्पनी को दे दिया गया कि पुल बनाना है, वह भी आप बनायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसके प्रोप्रायटी के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, इस पर किसी वाद-विवाद की जरूरत नहीं है। केवल एक बात मैं शासन से पूछना चाहता हूँ वह यह है कि किसी साधारण नागरिक की तरफ से क्या ऐसा काम होता है, जैसा बिरला कम्पनी ने किया, शासन ने क्या कार्रवाई की? शासन के पास यह उत्तर जरूर होगा कि भूतपूर्व मध्यभारत सरकार ने इस बात की मन्जूरी दे दी थी इसलिये सरकार कमिटमेंट मानकर चलती है, हम उसमें रद्‌दोबदल नहीं करना चाहते। इन्टीग्रेशन ऑफ स्टेट्स अजीब डाक्यूमेंट है।

अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे यहाँ शासन ने एक रवैया अख्तियार कर लिया है, इसके उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, कई मिलेंगे जिनका मैं इस वक्त उल्लेख नहीं करना चाहता। केवल एक प्रश्न हमने उठाया है लेकिन हम आगे आयेंगे, ऐसें एक नहीं, अनेकों एग्रीमेंट हुए हैं चाहे वह जिस कारण से हुए हों। मैं किसी पर्सनल आदमी को नहीं लाना चाहता, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन उन एग्रीमेंट्स की प्रोप्रायटी के बारे में अवश्य जानना चाहूँगा कि शासन अगर अपने हाथ साफ चाहता है तो उसको स्पष्ट करे और यदि शासन उससे लाचारी जाहिर करता है तो इस विधानसभा को अधिकार है कि यह सब फैक्ट्स विधानसभा के सामने और जनता के सामने लाये।

Doctrine of Commitment - I can almost anticipate the answer of the Governmen that it is a Commitment of the old M.B. Government and this Government can have no say. This excuse of Commitment is trotted out at will by the Government. when commitment in favour of the poor employees is raised, it is shroouded in mystery under pretext of public interest, but when unreasonable and-patently favourble Commitments are made in favour of the people who oil the party machinery then it is sought to be upheld on the principle of Commitment and public interest is only a second Consideration.

How long I ask will this socialist structure of ours be propped up by the pillars of Capitalism? what kind of socialistic pattern will this be where the socialistic fabric is spun in the capitalistic yarn? I can not end before drawing a parallel with another

affair which has been exercising the mind of the country since a few months. I mean the Mundhra L.I.C. affair. In that episode we witnessed the undefying spectacle of a few high officers paralysed before the dictates of another high official. In this Case we have the unparallelled spectacle of a whole Government paralysed or shall I say hypnotised by the Omnipotent Birla. In the centre they are lucky in having a tiger of Kamaon in the Cabinet to keep these man-eaters at bay but unfortunately in our State Though it is famous for its tigers, we have name to grace the treasury benchis to protect this infant slati from these so called vegetarian man-eaters, whose depredetians are getting more fregunt and omivous.

It is not my intention to throw and on any one, but it is certainly my inferes and I presumme the interest of this August House to know the facts and the true facts behind thin serdid deal. I There fore demand an upon enguiry in to th whole affair.

डॉ. कैलाशनाथ काटजू (मुख्यमन्त्री): मैं समझता हूँ यह ऐसा अच्छा सुन्दर भाषण है कि सब माननीय सदस्य सुन लें तो बहुत अच्छा हो।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सुझाव पर बहुत खुश हूँ लेकिन दुःख तो यह है कि सब तो समझ लेते हैं, लेकिन जिनको मैं समझाना चाहता हूँ वह किसी भी भाषा में नहीं समझ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो खुशी होगी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भाषा में वह समझ सकें मुझे बता दें तो मैं उसी भाषा में बोलूँ, आप समझा दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ माननीय मंत्री जी पूरा प्रकाश डालें। उसके बाद अगर कोई ऐसी बात मुझे या सदन की नज़र में आयी तो फिर उसके ऊपर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री दशरथ जैन (लोक-कार्य उपमंत्री) :माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे प्रश्न पर स्थिति स्पष्ट करने का मौका दिया जिसको लेकर वह काफी भ्रामक प्रचार जनता के बीच में किया करते हैं और बहुत किस्म की गलत-सलत बातें जनता के सामने किया करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है, आज वह मौका हमको यहाँ सदन में माननीय सदस्य ने दिया।

गवर्नमेंट के जहाँ तक उत्तर का प्रश्न है जो कि उस दिन माननीय शाकिर अली खाँ साहब को दिया गया था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई, जिसकी वजह से यह सवाल यहाँ पैदा होता है और इस हाफ एन ऑवर की चर्चा की नौबत आती। लेकिन मैं तब भी उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का मौका हमको दिया। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि माननीय सदस्य जानते हैं और इसका प्रश्न बिलकुल क्लियर है। उसमें किसी प्रकार की छिपाने या इस तरह की कोई चीज नहीं थी।

सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह जो बाँध बने हैं उन बाँधों का सम्बन्ध नागदा की फैक्ट्री से है और डेवलपमेंट के लिये हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपये की सेंक्शन इन्डस्ट्रीज को दी है और इसलिये दी है कि उद्योगों का विकास हो, लोगों को रोजी मिले और इस प्रकार से कुछ ऐसी व्यवस्था हमारे सामने आये कि बेरोजगारी न रह जाये। तो इस प्रकार की एक फैक्ट्री नागदा की है और सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उसने यह फैक्ट्री खोली। माननीय सदस्यों को उसके नाम से चिढ़ है, लेकिन हमारा मतलब तो फैक्ट्री से है। हम इस बात पर नहीं जाना चाहते कि वह किस उद्योगपति ने खोली और किसने नहीं खोली। सबसे पहले जो बाँध बनवाया गया, उसके लिये शासन ने मन्जूरी दी थी और यह बाँध बनाना शुरू हुआ। उसके बाद जनता की शिकायतें आयीं कि अगर यह बाँध बन जायेगा तो उससे जनता को आवागमन में असुविधा होगी और इसी बात को दृष्टि में रखकर जब शासन के पास दूसरा बाँध बनाने का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने यह शर्त लगा दी कि कम्पनी वहाँ आवागमन की सुविधा दे। इसलिये जो मन्जूरी कम्पनी को दी गई वह मैं पढ़ देना चाहता हूँ—

(1) बाँध ऐसी जगह बनाना होगा जहाँ से मौजूदा मार्गों से प्राप्त होने वाली यातायात की सुविधाएँ कायम रहें।

(2) चम्बल व चाम्बला नदियों पर दो रपटें कम्पनी द्वारा बनायी जावें।

(3) यदि कम्पनी दो रपटें बनाने के लिये तैयार न हो तो ऐसी दशा में प्रस्तावित बाँध की उँचाई केवल तीन फीट रहे।

(4) बाँध का प्रस्तावित स्थान बदलकर द्वीप के समीप लाया जावे तथा बाँध की चौड़ाई 12 फीट रखी जावे ताकि उसका उपयोग हाई लेवल कॉज वे के समान किया जा सके। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मंजूरी और यह शर्तें हमारी थीं।

श्री अर्जुनसिंह : यह शर्त थी कि नहीं कि बिरला को दोनों पुल बनाने पड़ेंगे?

श्री दशरथ जैन : हाँ, यह शर्त थी। तो अध्यक्ष महोदय, उसके बाद और भी तीन शर्तें थीं। सन् 1954 में यह दूसरा बाँध बनाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई। उसके बाद क्या हुआ कि जब शासन ने इस प्रकार के रिफरेंस दिये तो बिरला कम्पनी वालों ने कहा कि आपने जो सुझाव दिये हैं उनसे बड़ी कठिनाई होगी और अगर इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने आयीं तो बड़ी परेशानी होगी और इससे अच्छा यह होगा कि हम दूसरी जगह अपनी फैक्ट्री ले जायें और वहाँ वर्क करें। तो अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह की बात हमारे सामने आई तो उस पर बहुत विचार-विनिमय हुआ और सबसे पहला जो उन्होंने डी.ओ. लिखा था, उस सिलसिले में यह तय हुआ कि मीटिंग बुला ली जाये और बातचीत कर ली जाये। 21-12-54 को यह मीटिंग हुई और उस बैठक में यह तय हुआ कि दोनों पार्टी मौकों पर जायें, मौके का मुआयना करें और देखें कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब वे इस बात की जाँच कर चुके तो दूसरी बैठक 5-2-55 को की गई और उसमें यह तय किया गया कि यह मामला बहुत गम्भीर है और इसलिए इस मसले को अगर मंत्रिमण्डल तक पहुँचा दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मंत्रिमण्डल में यह चीज आयी और, अध्यक्ष महोदय, सारी बातों की जाँच करके एक रिपोर्ट तैयार हुई। यह मार्च, 1955 की बात है। इसके बाद मंत्रिमण्डल ने तय किया कि श्री श्यामलाल पाण्डवीय और द्रविड़ साहब दोनों आदमी जायें और स्थल का निरीक्षण करें। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने भी यह आवश्यक कार्रवाई करने के बाद केबिनेट के सामने यह सारा मामला रखा और मध्यभारत में बैठकर इस समस्या के ऊपर बहुत गम्भीर विचार किया और देखा कि अगर यह फैक्ट्री रहेगी तो इसका क्या फायदा होगा और न रहेगी तो इसका क्या फायदा होगा और इसके ऊपर सारी बातों की जाँच करने के बाद बिरला ब्रदर्स से बातचीत करके मंत्रिमण्डल से यह निर्णय हुआ जो मैं पढ़कर सुनाता हूँ—

(1) औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने और जनता की सुविधा को दृष्टि में रखकर शासन ने चम्बल और चाम्बला पर उक्त बाँध के निर्माण के कारण गाड़ी के रास्ते डूब में आने के फलस्वरूप उन स्थानों पर दो पुलों का निर्माण जिनकी सम्मिलित लागत लगभग रु. 3,50,000 होगी, शासन के व्यय से निर्माण करना स्वीकार किया है। (2) बाँध का विवरण राज्य के जन-कार्य विभाग द्वारा मान्य कराना होगा। (3) पुलों का निर्माण कार्य ग्वालियर रेयन कम्पनी, नागदा की पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बनाये गये प्लान व स्पेसिफिकेशन के अनुसार करना होगा। (4) यह भी सम्भव है कि बाँध का निर्माण पुलों के निर्माण-कार्य से पहले हो जाये। ऐसी स्थिति में आवागमन अवरुद्ध हो जाने पर कम्पनी को अपने व्यय से आवश्यकतानुसार नावें रखकर फैक्ट्री चलाना होगी जब तक कि पुल बनकर तैयार न हो जाये। फेरी का संचालन कम्पनी के व्यय से होगा। तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का निर्णय मध्यभारत शासन ने 22-11-55 को लिया।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मंत्री महोदय के कहने का मतलब यह है कि वह पुल बनाना कम्पनी की एड के भीतर आप समझ रहे हैं?

श्री दशरथ जैन : आप जरा सुनें, आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं सुनना तो वह चाहता हूँ जो आप सुनाना नहीं चाहते।

श्री दशरथ जैन : तो इस प्रकार मध्यभारत मंत्रिमंडल द्वारा यह निर्णय लिया गया और उसके बाद एग्रीमेंट कम्पनी से हुआ और उसके अनुसार बाँध कम्पनी बनवा रही है और अध्यक्ष महोदय, आपको और आपके द्वारा

सदन को यह सूचना देना चाहता हूँ कि हर्ष की बात है कि चम्बल बाँध का काम 75 प्रतिशत पूरा हो चुका है और दूसरे बाँध के लिये चाम्बला पर साइट तय की जा रही है। पहले जो साइट तय की गई थी उसे कुछ टेक्निकल अड़चनों के कारण सही नहीं पाया गया और दूसरी जगह साइट तय कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के लिये बजट में 1,34,000 रुपये चम्बल के लिये और 1,27,000 रुपये चाम्बला के लिये प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लोगों को कष्ट न हो इसलिए कुछ और कार्रवाई की जा रही है। अभी माननीय श्री जगमोहनदास जी जब जन-सम्पर्क के दौरे पर गये थे तो उन्होंने देखा कि यहाँ फेरी सर्विस के बावजूद लोगों को कष्ट होता है इसलिए यह निर्णय हो गया है कि कम्पनी नीचे की ओर एक रपट और बँधवा दे तो इस प्रकार कठिनाइयाँ दूर हो जावेंगी। इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है उसमें कोई तथ्य नहीं रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने कहा कि बिरला कम्पनी से जो शर्त हुई थी उसको क्यों नहीं पूरा करवाया गया तो जैसा कि मैंने आप से कहा कि जो शर्त पहले दी गई थी मध्यभारत शासन ने उसको रिवाइज कर दिया।

श्री अर्जुनसिंह : यही तो प्रश्न है। क्यों रिवाइज किया गया?

श्री दशरथ जैन : अध्यक्ष महोदय, कोई कन्डीशन, कोई शर्त ऐसी नहीं थी जो बिरला कम्पनी को कैरी आउट करने के लिये होती।

श्री अर्जुनसिंह : आपने शर्तें रिवाइज क्यों कीं, यह तो बताइये?

श्री दशरथ जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने केबिनेट का निर्णय आपको बताया, औद्योगिक विकास और जनता की सुविधा को दृष्टि में रखकर बताया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता की सुविधा अगर बिरला कम्पनी वाले बना लेते तो भी इतना ही होता लेकिन पब्लिक एक्सचेकर से रुपया देने का सवाल क्यों पैदा हुआ?

श्री दशरथ जैन : अध्यक्ष महोदय, यदि उसमें कोई दिक्कत होती तो साइट चेंज कर सकते थे?

श्री अर्जुनसिंह : यह कहिए कि बिरला जी की एक धौंस आपके लिये काफी है।

श्री शंकरलाल तिवारी (लोक-कार्य मंत्री) : इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टेट का काम है।

श्री दशरथ जैन : मैं अर्ज कर रहा था कि पहला आपने जो प्वाइंट उठाया कि बिरला ने वे शर्तें क्यों नहीं कैरी आउट कीं, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि वे शर्तें नहीं थीं जैसा कि मैंने प्रश्न के उत्तर में भी बताया है। दूसरा जो जिक्र हुआ कि मध्यभारत शासन की तरफ से वे शर्तें हटा दी गई थीं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो उस दिन उत्तर दिया गया था उसके (घ) और (ङ) में कहा गया है कि "यह सच है कि दूसरा बाँध पिपलोदा, तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन में बाँधने की इजाजत श्री बिरला के कारखाने को इस शर्त पर दी गई थी कि वह पहले बाँध तथा दूसरे बाँध से होने वाली आवागमन में असुविधाओं को दूर करने के लिये पास के रास्तों पर रपट या पुल बनवायें? (ङ) क्या यह सच है कि इस शर्त को पूरा किये बिना ही दूसरा बाँध पिपलोदा पर बन गया?" और इसका उत्तर दिया गया है कि "(घ) तथा (ङ) पहले इन शर्तों पर इजाजत दी गई थी किन्तु बाद में भूतपूर्व मध्यभारत शासन ने दो पुल बनाना निश्चित किया।" इसमें कहीं स्पष्ट नहीं है कि आपने पूरी शर्त रिवाइज की।

उपाध्यक्ष महोदय : यह केबिनेट का डिसीजन है।

श्री दशरथ जैन : इस प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, शर्तों का प्रश्न खत्म हो जाता है। दूसरा प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि इस राज्य शासन को क्या पड़ी थी कि ढाई लाख रुपया इन पुलों के ऊपर खर्च कर दिया। इसके लिये मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक था और इसके लिये यह खर्च करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल आपका यह है कि बिरला को ही यह काम क्यों सौंपा गया। इसके लिये मेरा कहना है कि बिरला कम्पनी का लाखों-करोड़ों रुपये का काम वहाँ पर चल रहा था, चार करोड़ का उसका काम था। जब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम उनका चला हुआ था तो उसी में यह काम आसानी से हो सकता था और हमारा भी पैसा बचता था, हम जनता का पैसा बरबाद नहीं करना चाहते और हमारे सामने व्यक्ति

विशेष का कोई प्रश्न नहीं है। न हम इसके खिलाफ हैं और न पक्ष में हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि यह कैसा कमिटमेंट है जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल स्पष्ट है कि जो दो पुलों को बनाने का कमिटमेंट किया गया वह बिरला के लिये नहीं किया गया, यह वहाँ की जनता के लिये किया गया जिससे कि उनको आने-जाने में सुविधा होगी और इससे जो एम्प्लायमेंट मिलता है वह भी जनता को फायदा होता है। मध्यभारत शासन और बिरला के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था वह बिलकुल बराबर है और उसमें कोई अनुचित बात नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इसमें कोई जुडीशियल इन्क्वायरी कमेटी बिठा सकते हैं?

श्री दशरथ जैन : माननीय सदस्य को तो जुडीशियल इन्क्वायरी का भ्रम हो गया है। हर एक बात में वे जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाना चाहते हैं। हमें शक है कि कल को अपने आचरण के बारे में भी न कहने लगें कि जुडीशियल इन्क्वायरी बैठे। तो अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अर्ज किया इसमें कोई दोष नहीं है और कम्पनी ठीक तरह से अपना एग्रीमेंट पूरा कर रही है। जहाँ तक सुविधा और असुविधा का प्रश्न है जब नये हिन्दुस्तान का जन्म हुआ है तो जो उसके पहले की त्रुटियाँ हैं वे तो हम सबको भुगतनी पड़ेंगी इसलिए कहना चाहूँगा कि इस तरह से भ्रम पैदा न करें और इस तरह की गलत बातें जनता में पैदा न करें, यही मेरा निवेदन है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/28 मार्च 1958/पृष्ठ - 1546 से 1550 तक)

माननीय लोक कार्य मंत्री श्री शंकरलाल तिवारी ने 28 मार्च 1958 को अपने विभाग से संबंधित जो माँगें रखीं, उन पर आज भी चर्चा जारी रही। सत्ता पक्ष के एक सदस्य श्री रामनिवास बांगड़ ने शासन को अनेक सुझाव दिये तथा अपेक्षा की कि उनका क्रियान्वयन हो। इस चर्चा में रुचिकर और विनोदपूर्ण नोंक-झोंक हुई -

श्री छोटेलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव दिये जा रहे हैं उनको माननीय मंत्री जी लिखते नहीं हैं, लिखते रहें तो ठीक है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय मंत्री जी तो हवाई जहाज से चलते हैं, उनको क्या पता?

श्री रामनिवास बांगड़ : माननीय मंत्री जी अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : आप मानपत्र के साथ माँग-पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री रामनिवास बांगड़ : हम तो जो काम अच्छा होता है उसकी प्रशंसा करते हैं और करनी ही चाहिए। यह नहीं कि अच्छा काम भी हो तो भी हम उसकी बुराई करें।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : पी.डब्ल्यू.डी. प्रशंसा के ठेके नहीं देती है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह आपका प्रशंसा डिपार्टमेंट है क्या?

श्री रामनिवास बांगड़ : तो ग्वालियर में रोड्स नहीं बन रही हैं, उनको भी बनाना चाहिए। भिण्ड और मुरैना जिलों में जहाँ कि डाकुओं का बड़ा आतंक है और जिसे आपको समाप्त करना है, वहाँ भी उन जिलों में सड़कों का निर्माण करना चाहिये ताकि आवागमन के साधन सुलभ हो सकें और शासन को डाकुओं को दबाने में सहायता मिल सके।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने जो अनुदान की माँग की है या कि ब्रम्हाजी मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अभी यह उपाधि उन्हें मिल गई है ....

श्री शंकरलाल तिवारी : वह उपाधि मैं आपको वापस किये देता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस उपाधि के लायक नहीं हूँ। अच्छा, विश्वकर्मा ले लीजिये। विश्वकर्मा जी ने जो अनुदान माँग की है....

श्री छोटेलाल भारद्वाज : विश्वकर्मा नहीं, मय दानव कहिए।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/31 मार्च 1958/पृष्ठ - 1626)

28 मार्च 1958 को प्रस्तुत लोक कार्य विभाग की माँगों पर हुई बहस में सदस्य श्री अर्जुनसिंह

ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया —

श्री अर्जुनसिंह : उसके बारे में मुझे कुछ बातें सदन के सामने कहनी हैं। जैसा कि पिछले दिन भी और आज भी बहस के दौरान में सभी माननीय सदस्यों ने शासन का ध्यान अपने प्रदेश में छोटी सिंचाई की योजनाओं की तरफ आकर्षित किया, उस बारे में, मैं उन सब सदस्यों के साथ अपनी आवाज भी मिलाना चाहता हूँ, चाहे वे इस पक्ष से बोले हों या उस पक्ष से, कि आप छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दें। हमारे देश में और हमारे प्रदेश में खास तौर से पैसे की बहुत बड़ी कमी है और हम लोग बड़ी-बड़ी स्कीमें बनाते हैं और वे रुपये की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाती हैं। लोगों का इतना ही सन्तोष रह जाता है कि हमारे शासन ने स्कीमें इतनी बड़ी-बड़ी बनाकर रख दी हैं कि लाखों एकड़ जमीनों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन कार्यान्वित कितनी होती हैं यह तो पिछला रिकार्ड ही बतला रहा है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि शासन अब बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं को सामने नहीं लाएगा और छोटी सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देगा खासकर उन हिस्सों में, उन पहाड़ी हिस्सों में जहाँ कि समतल भूमि नहीं है, वहाँ छोटी सिंचाई योजनाएँ ही सफल हो सकती हैं और इसी के द्वारा आज भूमि को अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है।

इसके बाद मैं रिहन्द डैम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि सदन को विदित है, अपने प्रदेश के पूर्वी कोने में यह डैम बन रहा है जिसमें कि अपने प्रदेश के 44 गाँव डूब रहे हैं, कई हजार एकड़ भूमि डूबेगी जिसका कैचमेण्ट एरिया अपने प्रदेश में काफी दूर तक है। इसके बनाने का सवाल जब आया तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट और विन्ध्यप्रदेश गवर्नमेन्ट में समझौता हुआ। एक सवाल जुलाई के सत्र में रखा गया तो शासन ने इन्कार कर दिया कि हमारी जानकारी में नहीं है लेकिन अब शासन को यह सूझ आ गई है और शायद रिकार्ड भी आ गया है और अब शासन मानता है कि रीवा दरबार से और यू.पी. गवर्नमेन्ट से इस बारे में कुछ समझौता हुआ था। ....

श्री शंकरलाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, रिहन्द डैम के बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, न माँग में है, न कटौती में है।

श्री अर्जुनसिंह : लेकिन सिंचाई विभाग से सम्बन्धित तो है?

श्री शंकरलाल तिवारी : वह तो बहुत बड़ा है, फिर भी हम सुझाव तो सुनने के लिये तैयार हैं लेकिन मेरी समझ में रिहन्द डैम का यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सिंचाई विभाग भी तो बड़ा है और रिहन्द डैम भी बड़ा है।

उपाध्यक्ष : रिहन्द डैम तो हमारे राज्य में है भी नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, रिहन्द डैम ही भर तो अपना नहीं है, बाकी सब अपना है, यही तो कहना है मेरा। भूमि हमारी डूबेगी, किसान हमारे बेदखल होंगे लेकिन हमको मिलेगा क्या, वह शायद अन्-पार्लियामेन्टरी हो इसलिए मैं कहना नहीं चाहता हूँ। ('हम समझ गये,' की आवाज) तो विधानसभा में आये दिन हमारे मिट्टी के शेर गरजते हैं लेकिन जब वहाँ जाते हैं जहाँ म्याऊँ का ठौर है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा शासन का ध्यान और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब इतना बड़ा भू-भाग हमारा डूब रहा है तो हमारे शासन को भी अड़ जाना चाहिए और यह कहना चाहिए कि ज्यादा न दीजिए तो कम से कम जो एग्रीमेंट हुआ है उतना पानी और बिजली तो दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, जो विन्ध्यप्रदेश का एरिया है, वहाँ सिंचाई के लिये जो सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर हैं वह बिलासपुर में रहते हैं। विन्ध्यप्रदेश उनके सर्किल में आता है। मैं एक स्पेसिफिक उदाहरण देता हूँ कि शासन ने एक महीना पहले ही डैम बनाने का निश्चय किया है। उसकी एक्जीक्यूटिव सेंक्शन दे दी गई है और सारी चीजें कम्प्लीट हो चुकी हैं और तीन-चार साल पहले से यह मामला पड़ा हुआ था। उसके बाद अभी जब शासन का ध्यान उस ओर गया तब उसने अपने सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को वहाँ जाने को कहा और कहा कि वह फिर से देखकर यह बताये कि किस तरह से काम शुरू किया जाये। सिर्फ इतने से काम के लिये सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को चार महीने तक वहाँ पहुँचने का अवकाश नहीं मिला। इस प्रकार उस काम में चार महीने का विलम्ब हुआ।

उसका परिणाम यह हुआ कि बजट में जो रुपया उस काम के लिये रखा गया है अब उसका कुछ हिस्सा खर्च कर सकते हैं और नहीं।

श्री गोविन्द नारायणसिंह : क्या पी.डब्ल्यू.डी. के इन्जीनियर की स्लगिशनेस थी कि वहाँ नहीं पहुँच सका या ओवर वर्क था उस पर?

श्री अर्जुनसिंह : मैं स्लगिशनेस नहीं बता रहा हूँ। मैं यह बता रहा हूँ कि बिलासपुर उनका ऑफिस होने से उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे समय पर वहाँ पहुँच सकें इसलिए मैं शासन से कहता हूँ कि जब महाकौशल और विन्ध्यप्रदेश दोनों स्थानों पर काफी सिंचाई योजनाएँ चल रही हैं तो विन्ध्यप्रदेश सर्किल को पृथक बना देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात पेमेन्ट के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। पेमेन्ट का जो तरीका अभी है उसको सरल बनाया जाना चाहिए। आये दिन हमारे यहाँ शिकायत आती रहती हैं, जो मजदूर रोज काम करते हैं उनकी बराबर शिकायत रहती है कि उनके पेमेन्ट के सिलसिले में अक्सर, यह जवाब मिल जाया करता है कि अमुक अधिकारी नहीं हैं इसलिए पेमेन्ट नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, एक रवैया और है- पी.डब्ल्यू.डी. के मुलाजिम कहीं आते हैं और माइनर सिंचाई योजना तय करते हैं। जहाँ योजना तय करते हैं वहाँ वे यह नहीं पूछते कि वह किसकी ज़मीन है। उसका उदाहरण हमें देखने को मिला। सीधी तहसील में दो-तीन तालाबों को मिलाकर एक सिंचाई योजना रखी गई। उसके लिये 27,000 रुपये भी मन्जूर हुआ। वहाँ एकदम काम शुरू कर दिया गया, चूँकि वहाँ अधिक काम की जरूरत थी, बहुत ज्यादा मजदूर आये और काम में लग गये। इत्तफ़ाक से जब चार-पाँच दिन काम निकला तो जिनके पास उस जमीन और तालाब का पट्टा था, वह सज्जन आ धमके और काम बन्द करवा दिया। तीन-चार हजार रुपये का वहाँ काम हो चुका था उनके पैसे का भी सवाल था। वे हमारे पास आये तो मैंने जाकर समझा-बुझाकर काम शुरू करवा दिया। तीन दिन का काम फिर चला लेकिन बाद में उन्होंने अदालत में अर्जी दे दी। नतीजा यह हुआ कि 27 हजार का काम बिलकुल ठप्प पड़ा हुआ है। दो-तीन हजार रुपया सरकारी खर्च भी हो गया और काम भी बन्द हो गया। .....

श्री शंकरलाल तिवारी : कब की बात है यह?

श्री अर्जुनसिंह : अभी अधिवेशन में आने के पहले की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं चाहूँगा कि शासन उस स्कीम को पूरी करे और ज़रूरत पड़े तो उस तालाब को एक्वायर करे, यदि सरकार चाहेगी तो जिनके पास उस तालाब का पट्टा है वह भी राजी हो जायेंगे। तो मैं पी.डब्ल्यू.डी. के मुलाजिम के रवैये के ऊपर बात कर रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि वे जो योजना बनायें उसकी पूरी जाँच कर लिया करें। क्योंकि दो-तीन हजार रुपया खर्च हो गया, काम भी नहीं हुआ, उसमें उनका क्या गया? रुपया तो जनता का गया। अब रह गई बात तारीफ की सो तो बहुत से लोग कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर भी जैसा कि हमें और डिपार्टमेंट्स के हर साल के अन्त में कार्य-विवरण पुस्तिकाएँ देखने को मिलती हैं जिसमें यह विवरण रहता है कि हमने इतने-इतने कार्य किये हैं, निकले तो बहुत अच्छा होगा ट्रॉयवल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर और मेडीकल डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पुस्तिकाएँ हर साल निकलती हैं। इस डिपार्टमेंट का इस तरह का कोई साहित्य-सृजन करने का इमेजिनेशन नहीं है या हम लोगों के हाथ में आ जाने से शासन को कोई खतरा हो तो मैं नहीं कह सकता। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल इस प्रकार की रिपोर्ट हम लोगों को इस विभाग की देखने को मिलेगी।

श्री सीताराम सूरजमल जाजू (नीमच) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय लोक कार्य मंत्री महोदय ने अपनी माँगें प्रस्तुत की हैं उनका हृदय से समर्थन करने के लिये और विरोधी सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका विरोध करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है कि इस सभा भवन पर एक-एक मिनट में सैकड़ों रुपया खर्च होता है इसलिए औपचारिकता की बातें कि "मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखी गई माँगों का समर्थन करता हूँ और मैं विरोधी दल के सदस्यों द्वारा रखे गये कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूँ।", न कही

जावें तो कोई हर्ज नहीं होगा।

उपाध्यक्ष : इसके अलावा भी कई बातों को लम्बा किया जाता है, यदि वे भी न की जावें तो इससे भी ज्यादा समय बच सकता है।

श्री सीताराम सूरजमल जाजू : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यदि सभा भवन के समय का सदुपयोग करना है तो जो डिस-ऑर्डर के प्वाइंट बीच-बीच में उठाने की आदतें कुछ लोगों की पड़ी हुई हैं, उनको बन्द कर दिया जावे तो अधिक अच्छा होगा। मुझे कुछ बातें निवेदन करनी हैं। सबसे प्रथम मुझे यह निवेदन करना है कि जिन परिस्थितियों में हमारा यह विशाल प्रदेश बना, उन परिस्थितियों के अनुसार जो स्थिति आज यहाँ है उसका विवरण करते हुए स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमीशन ने कुछ बातें सुझाई थीं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उस विषय में सदन को शासन बतायेगा कि उन्होंने आज तक केन्द्रीय शासन से उन आशाओं को पूरा करने के लिये क्या-क्या सहायता माँगी है।

श्री अर्जुनसिंह : आप उनको क्यों काँटों में घसीटते हैं?

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/31 मार्च 1958/पृष्ठ - 1626, 1627, 1628)

बहस आगे बढ़ी। एक सदस्य श्री हरिभाऊ जोशी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि हमारे यहाँ एक मंत्री जी गये थे और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि एक फाइल टेबल पर बहुत दिन तक न पड़ी रहे, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो यह भी देखना जरूरी है कि फाइलों का बहुत दिनों तक निपटारा क्यों नहीं होता। एक टेबल पर इतने दिन तक फाइल क्यों पड़ी रही? इसी बीच सदस्य श्री अर्जुनसिंह बोले- ''सबसे ज्यादा टाइम तो मिनिस्टरों के टेबल पर ही एक फाइल को लग जाता है तो उसका क्या इलाज है?''

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/31 मार्च 1958/पृष्ठ - 1632)

3 अप्रैल 1958 को माँग संख्या 5- वन व माँग संख्या 18- वैज्ञानिक विभाग पर हुई बहस का जवाब वन मंत्री श्री शम्भुनाथ शुक्ल ने दिया। बीच-बीच में सदस्यों ने वन मंत्री महोदय से प्रश्न भी किये, स्पष्टीकरण भी माँगा तथा सुझाव भी दिए।

बहस के दौरान सदस्यों ने बिरलाजी के लिये ओरियन्टल पेपर मिल को दी जाने वाली लीज, उसके समय और दर तथा वसूली पर एतराज उठाये थे अतः वन मंत्री ने बिरलाजी के सम्बन्ध में बोलना शुरू किया ही था कि बीच में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने पूछा—

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय बिरलाजी पर आने के पूर्व अच्छा हो कि इस बात के बारे में कुछ कह दें कि महाकौशल क्षेत्र में जो जंगल मालगुजारों के पास थे उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : मालगुजारी जंगलों को वन विभाग के अधीन लेने का शीघ्रातिशीघ्र हम प्रयत्न कर रहे हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 1799)

वन मंत्री श्री शम्भुनाथ शुक्ल ने अपना भाषण जारी रखा। आगे फिर इसी बीच श्री अर्जुनसिंह ने मजदूरों की मजदूरी न दिये जाने की शिकायत पेश की—

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : चिरोंजी एक अच्छी चीज है। उससे काफी आमदनी होती है। बहुत-सी जगहों में चिरोंजी पर टैक्स माफ है। कुछ जगहों पर टैक्स है। चिरोंजी से विन्ध्यप्रदेश से काफी आमदनी होती है ...

श्री अर्जुनसिंह : सीधी जिले में पिछले वर्ष जिनको तेंदू पत्ती का ठेका दिया गया उनकी तरफ से मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई।

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह नहीं कहा गया। यह कहा गया कि मजदूरों को पीटा गया लेकिन सेठ जी हैं नहीं किससे पूछें।

श्री अर्जुनसिंह : डी.एफ.ओ. की तरफ से सेठ जी को चिट्ठी लिखी गई कि मजदूरों को मजदूरी दें। सेठ जी ने लिखा हम मजदूरी नहीं देंगे।

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : हाँ, अगर यहाँ होते तो इस बारे में कुछ करते। इस विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मजदूरी अगर बकाया होगी तो दिलायेंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 1804)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह के प्रश्नकाल के दौरान पूछे गये दो तारांकित प्रश्न, उनके उत्तर और पूरक प्रश्नोत्तर—

श्री अर्जुनसिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जिला सीधी में सन् 1944-45 के राइस प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाले कुछ एजेन्टों को कमीशन सरकार की आज्ञा हो जाने के बावजूद भी अभी तक नहीं दिया गया?

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी : सीधी जिले में सन् 1944-45 के राइस प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाले एजेन्टों को कमीशन देने का शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है और न उन एजेन्टों को इस समय कोई कमीशन ही देना बाकी है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि राइस प्रोक्योरमेंट की स्कीम के अन्तर्गत सन् 1944-45 में काम करने वालों के लिये कोई कमीशन निर्धारित किया गया था?

श्री सज्जनसिंह विष्नार : अध्यक्ष महोदय, उसमें कुछ शर्तें हुई थीं।

श्री अर्जुनसिंह : शर्तें हुई थीं तो उसमें कोई कमीशन देने की शर्त भी शामिल थी?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : ऐसी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर दिया गया है कि राइस प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाले एजेन्टों को कमीशन देने का शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है और न उन एजेन्टों को इस समय कोई कमीशन ही देना बाकी है, अगर माननीय मंत्री जी के सामने यह सवाल आ जाएगा कि जिसमें शासन के कमीशन देने की शर्त की है और कमीशन देने का शासन का आदेश भी हो चुका है तो क्या आप कार्यवाही करेंगे?

अध्यक्ष : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर कंट्राडिक्टरी है। उत्तर में एक तो आप यह कहते हैं कि सीधी जिले में सन् 1944-45 के राइस प्रोक्योरमेंट स्कीम के अन्तर्गत काम करने वाले एजेन्टों को कमीशन देने का शासन ने कोई आदेश नहीं दिया है और दूसरी बात यह कहते हैं कि "और न उन एजेन्टों को इस समय कोई कमीशन ही देना बाकी है।" तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी हैं, तो यह क्या है?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : कमीशन देने का कोई आदेश नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप कहते हैं कि शासन ने आदेश नहीं दिया तो जब आदेश नहीं दिया तो यह बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना बाकी है?

अध्यक्ष : उन्होंने एक्सप्लेन तो कर दिया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह शासन को सूचना है कि इतना बाकी नहीं है?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : यह मध्यप्रदेश के जमाने की बात नहीं, पुरानी बात है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : पर आप इसके लिये जिम्मेदार हैं।

अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर स्पष्ट दिया है कि कोई कमीशन नहीं देना है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूँगा कि शासन ने यह कहा है कि उन एजेन्टों को कोई कमीशन देना बाकी नहीं है जो एजेन्ट थे उनको देना बाकी नहीं है तो यह सूचना कहाँ से प्राप्त हुई कि उनको देना बाकी नहीं है?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : मेरे पास जो सूचना आई है, जो रिकॉर्ड है, एबेलेबिल है उस पर से जवाब दिया है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि एजेण्ट सरकार ने कायम किये थे या नहीं?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : मैंने उत्तर दिया है कि बाकी की शर्तें हुई थीं लेकिन कमीशन देने की बात नहीं हुई थी।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या उन्होंने कमीशन का क्लेम किया है शासन के ऊपर?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : जी हाँ।

श्री होमी एफ. दाजी : क्लेम कब पेश हुआ?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : तारीख तो नहीं है मेरे पास।

श्री लखेश्वरलाल पालीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब प्रोक्योरमेंट एजेन्ट से काम लिया गया है तब क्या मुफ्त में ही काम लिया गया?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : कोई उनके द्वारा काम ही नहीं हुआ। काम तो गवर्नमेंट लेबल पर हुआ है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जब शासन ने एजेण्ट तय किये और उन्हें कमीशन नहीं दिया गया तो क्या इसकी जाँच शासन करायेगा?

श्री सज्जनसिंह विश्नार : अगर आप कोई ठोस केस बतायेंगे तो जाँच करायी जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रीवा स्थित लक्ष्मण बाग मंदिर, जिसमें कि एक करोड़ की सम्पत्ति बतायी जाती है उसकी सुव्यवस्था के लिये गैर सरकारी लोगों का सहयोग लेने का क्या प्रयत्न किया गया है? (ख) इस मंदिर के मठाधीश होने के लिये उम्मीदवारों में से किसे और किन सिद्धान्तों के आधार पर चुना गया और इस चुनाव में महाराज रीवा की भी राय ली गई या नहीं?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) तथा (ख) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री अर्जुनसिंह : अभी विचार खत्म हुआ है या नहीं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : अभी खत्म नहीं हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : शासन के सामने कौन-सा प्रश्न विचाराधीन है? जितनों ने अर्जी दी है मठाधीश बनने की वह या यह कि गैर सरकारी लोगों का सहयोग लेने के बारे में?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : ये दोनों प्रश्न भी विचाराधीन हैं और तीसरा यह कि जो अन्य इस प्रकार के मंदिरों की जायदाद है उस बारे में भी सामान्य विचार कर रहे हैं और अशासकीय सहयोग लिया जाये या नहीं इस पर विचार कर रहे हैं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/4 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 1855-56 एवं 1856-57)

सदस्य श्री वकैय्याराज पामभोई का मूल प्रश्न। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अत्यन्त महत्वपूर्ण पूरक प्रश्न किये —

श्री वकैय्याराज पामभोई : (क) क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्तर जिले में भूमि लगान के अतिरिक्त भू-लगान के फी रुपया पीछे कितने प्रकार के कर लिये जाते हैं और प्रत्येक कर किस दर से? (ख) क्या ये कर मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में वसूल किये जा रहे हैं?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : (क) (1) पटवारी सेस, भू-राजस्व की राशि पर एक आना प्रति रुपया की दर से वसूल किया जाता है। यह केवल पूर्व-बस्तर राज्य के क्षेत्र में ही वसूल किया जाता है। (2) अनिवार्य जनपद सेस, यह कर भू-राजस्व की राशि पर तीस पाई प्रति रुपया की दर से वसूल किया जाता है। (ख) यह जानकारी जिलों से मँगायी जावेगी। प्राप्त होने पर पटल पर रखी जावेगी।

श्री पामभोई : भूतपूर्व बस्तर राज्य में पटवारी सेस लगाने के फी रुपये में एक आना वसूली चालू रखने का क्या कारण है?

श्री जगमोहनदास : जो पूर्व प्रथा थी वह अभी चालू रखी गई है।

श्री बाबूलाल मौर्य : क्या बस्तर जिले के ग्रामीणों की हालत अन्य जिले के ग्रामीणों से अच्छी है?

श्री जगमोहनदास : मैं उत्तर तुरन्त नहीं दे सकता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह रकम कब से वसूल की जा रही है?

श्री जगमोहनदास : पहले से ही की जा रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह व्यवस्था कब तक चालू रहेगी?

श्री जगमोहनदास : विचार हो रहा है कि इस सम्बन्ध में क्या किया जावे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब इतने वर्षों से वसूली की जा रही है तो अभी भी शासन का विचार जारी है?

श्री जगमोहनदास : कानून पर विचार हो रहा है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या शासन विचार का समय निर्धारित कर सकत" है?

श्री जगमोहनदास : समय निर्धारित करना तो कठिन है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : क्या शासन को पता है कि बस्तर जिले में जमीन का लगान एकड़ के पीछे तीन या चार आने है?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, अलग-अलग लगान है, कहीं कम भी है।

श्री जगदीश नारायण अवस्थी : यह जो वसूली हो रही है, यह किस कानून के अन्तर्गत हो रही है?

श्री जगमोहनदास : पुरानी प्रथा के अनुसार।

श्री अर्जुनसिंह : क्या M.P. Land Revenue Code 1954 अब भी लागू है?

श्री जगमोहनदास : प्रथा लागू है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इस कानून में पटवारी सेस वसूली का प्रावधान है?

श्री जगमोहनदास : गैर कानूनन वसूली नहीं हो रही है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रावधान है या नहीं?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, जो वसूली हो रही है वह कानून के विपरीत नहीं है। स्पष्ट सेस का नाम सम्बन्धी प्रावधान न हो तब भी वसूल किया जा सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : जब स्पष्ट प्रावधान नहीं है तो किस प्रावधान के अन्तर्गत वसूली की गई?

श्री जगमोहनदास : गैर कानूनी नहीं है। पर्टीक्यूलर केस में वसूली हो सकती है।

श्री अर्जुनसिंह : कोई भी टैक्स जब तक कि लेजिस्लेचर ॲथोराइज न करे वसूल नहीं किया जा सकता, तो यह पर्टीक्यूलर कहकर कैसे वसूल किया जा रहा है?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, यह पुरानी प्रेक्टिस है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या कोई प्रेक्टिस लॉ का फार्म ले सकती है?

श्री जगमोहनदास : माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि यह किस तरह से गैर कानूनी है।

श्री अर्जुनसिंह : जब कानून में प्रावधान नहीं है तो क्या गैर कानूनी नहीं है?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, कानून में स्पष्ट सेस के नाम से प्रावधान नहीं लेकिन पहिले से वसूल हो रहा है और जनरल प्रॉविजन कानून में है ही।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : क्या वहाँ 80 प्रतिशत ग्रान्ट गवर्नमेंट देती है?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठेगा क्या?

अध्यक्ष : नो।

श्री मुरलीधर धुले : बस्तर जिले में लगान वसूली के लिये भूतपूर्व मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड के अलावा कौन-सा कानून लागू है?

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, वही कानून है।

अध्यक्ष : अब प्रश्नों का समय खत्म हो गया।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/7 अप्रैल, 1958/पृष्ठ - 1956,1957 एवं 1958)

कृषि और उद्योग मंत्री श्री तख्तमल जैन ने अपने कृषि विभाग की माँगें प्रस्तुत कीं। इन माँगों में एक सिविल सप्लाईज (नागरिक आपूर्ति) की भी आयी। इसका जवाब दे रहे थे खाद्य मंत्री श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी। जवाब के दौरान खाद्य मंत्री श्री सिद्दीकी से जब ज्यादा प्रश्न किये जाने लगे तो वे बोले - "मुझे 15 मिनट तो मिले हैं और उसमें भी आप हमको बयान नहीं करने दे रहे हैं" .... (हँसी)

इस पर अर्जुनसिंह ने कहा - "15 तो आपने ही माँगे हैं और माँग लेते।"

तब सदस्य श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर बोले - "आपका डिपार्टमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है और सब से ज्यादा इल्जाम भी भ्रष्टाचार के उसी पर हैं इसलिए आपका समय बढ़ाने की सिफारिश हम भी करते हैं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/7 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2003)

कृषि और पशुपालन संबंधी माँगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे कृषि मंत्री श्री तख्तमल जैन। मंत्री महोदय से श्री अर्जुनसिंह ने एक जानकारी माँगी -

श्री तख्तमल जैन : जानवरों के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मेरे पास आँकड़े हैं। एक महाशय ने कहा कि इन्कवेटर से 75 परसेन्ट अण्डे सड़ गये मुझे मालूम हुआ। हो सकता है सड़ गये हों लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी हैन्डिल करने वाले की गलती से सड़ गये होंगे वैसे बाहर हजारों अण्डे इससे तैयार किये जाते हैं, तकसीम किये जाते हैं, यह एक नया इंस्ट्रूमेंट है, हो सकता है कि बिजली की कम-ज्यादा पॉवर हो गई होगी, मैं इसे देखूँगा लेकिन यह कहना कि यह इंस्ट्रूमेंट नाकामयाब है, यह मैं सोचने को तैयार नहीं हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आपने छत्तीसगढ़ को मुर्गे कितने दिये हैं?

श्री तख्तमल जैन : वह फिगर्स भी मेरे पास हैं लेकिन मैं आपको ऑबलाइज नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो गया है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/7 अप्रैल 1958/पृष्ठ -2018-2019)

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन विधेयक पर जोरदार बहस हुई। विधेयक का नाम था- 'मध्यप्रदेश बिक्रीकर (संशोधन तथा मान्यकरण) विधेयक, 1958, (क्रमांक 6, 1958) अर्थात् दि मध्यप्रदेश सेल्सटैक्स लॉज (अमेडिंग एण्ड वैलिटिंग बिल, 1958)। विरोधी दल के सदस्यों ने सदस्य श्री तामस्करजी के इस कथन कि शासन ऐसे कानून बनाने व संशोधन करने में गलती करता है, सदस्य श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन ने कहा —

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन (देवास) : विशेषतः इस विधेयक के विरुद्ध जो आक्षेप लगाये गये हैं, जो आपत्तियाँ उठाई गई हैं, वे दो प्रकार की हैं। पहली आपत्ति श्री तामस्करजी की यह थी कि शासन कानून बनाने में गलती करता है। जनता के अधिकारों पर उससे प्रघात होता है और जब लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं, वहाँ पर उनको न्याय दिया जाता है तो उस दिये हुए न्याय को भी शासन उनसे छीनना चाहता है और फिर दुबारा कानून में संशोधन करके, इस तरीके से जो हमारी जनतंत्र प्रणाली है उसके उद्देश्य को शासन की कलम से निरस्त किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार से शासन खुद इनडिसिप्लिन करता है और फिर शासन के अन्तर्गत जो विभाग हैं, जो दूसरे अन्य लोग हैं, जो उसके अधिकारी हैं उनकी भी इनडिसिप्लिन करने की अवैधानिक या अनियमित कार्रवाई करने की आदत-सी पड़ जाती है और यह प्रजातंत्र प्रणाली के लिये अत्यन्त घातक है क्योंकि उससे शायद संभवतः लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न होने का डर है कि जब शासन स्वयं अनियमितता करता है और उसको फिर वैधानिक स्वरूप भी अपने बहुमत के बल पर देता है तो फिर लोगों को उस कानून के तोड़ने के लिये प्रोत्साहित होना पड़ता है या वे प्रोत्साहित होते हैं। इसके बाद उनके पास कोई दूसरा जरिया नहीं होता है सिवाय इसके कि कानून के विरोध में अमल करें। माननीय दाजी ने यह बताया कि इसमें जो टर्न-ओवर है जिसको हाईकोर्ट ने यह माना है कि 5 हजार रुपयों का जो मालफरोख्त करता है उससे सेल्सटैक्स लिया जा सकता है। ...

आगे श्री पटवर्धन जी ने यह भी कहा—

... कानून बनाने की शक्ति का विभाजन हमारे संविधान में दिया गया है और अनुच्छेद 245 यह कहता है

कि संविधान में निर्धारित मर्यादा के अन्दर, उसमें बताई हुई सीमा के अन्दर, प्रत्येक राज्य विधानसभा को ऐसा कानून बनाने का सार्वभौम अधिकार है। तो यह परिणाम होता है कि इस विधानसभा को किसी भी प्रकार का कानून बनाने का अधिकार इन मर्यादाओं के अन्दर है।

श्री अर्जुनसिंह :ये जो मर्यादाओं की सीमा आप बता रहे हैं तो क्या उन मर्यादाओं की सीमा के अन्दर ही इस विधानसभा का सम्बन्ध है या नहीं?

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : है और वह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संविधान में उन सीमाओं की व्याख्या की गई है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/8 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2079, 2080, 2081)

उपरोक्त विषय पर श्री पटवर्धन जी के जारी भाषण तथा प्रस्तुत की जा रही नजीरों और कानूनों के नाम पर अपनी टिप्पणी करते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कहा - "हम लोगों को खुशी होती अगर माननीय सदस्य अपने लॉजिक से ही हम लोगों को कन्विन्स करते, इनको बताने से क्या लाभ।"

इस पर श्री पटवर्धन जी की ओर से इशारा करते हुए सदस्य श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर ने कहा - "उसमें एक और आप जोड़ लीजिये मध्यप्रदेश जनपद अमेण्डमेंट एक्ट, शायद आपको काम देगा।"

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/8 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2082)

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने माननीय सदन के विचारार्थ 'मध्यप्रदेश विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1958, (संख्या 12, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश एप्रोप्रियेशन (नम्बर 2) बिल, 1958 (नम्बर 12 आफ 1958) नामक विधेयक प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। विधानसभा में सजग रूप से बैठने वाले सदस्य ने एक विशेष जानकारी की ओर अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया इस चर्चा का वह अंश इस प्रकार है —

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : तो पानी हमारा है, नदी हमारी है और समझौता करने के लिये हम उत्तरप्रदेश दौड़े। अध्यक्ष महोदय, मैं विन्ध्यप्रदेश का जो बतला रहा था, वहाँ तो वे परास्त हो गये। मेरा कहना यह है कि जब हमारे यहाँ पानी का साधन है, जब हमारे यहाँ एल्यूमीनियम के कारखाने खोलने के साधन सबसे पहले हो सकते हैं तो क्या कारण है कि हम उत्तरप्रदेश को दौड़ें। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट आज से 11-12 वर्ष पहले लिखी गई थी। इस रिपोर्ट का उद्धरण इस प्रकार है -

"There are few areas in India and indeed in the world where attractive occurenecs of bauxite are found in such close association with coal fields and hydro electric sites as in Surguja State.

12 वर्ष पहले यह रिपोर्ट लिखी गई थी।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : किताब का नाम और पेज बतायेंगे?

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : माननीय सदस्य जैसे खुद इधर-उधर की कहते हैं, वैसे दूसरों को समझते हैं, किताब का नाम भी सुन लीजिये —

The Geology and Mineral Resources of Surguja State E.S.A. India.

By

Sir Cyril S. Fox. D.Sc. F.G.S.M.I. Min E.–

Published by order of His Highness Government of Surguja.

Eastern State Agency

Copies obtainable from the Dewan, Surguja State.
Ambikapur
Bengal Nagpur Railway.
Price- 4-0-0

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : कहिये, आपको और क्या चाहिये?

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : पेज नम्बर बताइये?

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : पेज नम्बर 49 है।

श्री अर्जुनसिह : अध्यक्ष महोदय, आपको यह मालूम होगा कि परसों एक प्रश्न पूछा गया था, उस पर मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि इस तरह की कोई सर्वे रिपोर्ट हमारे पास घटक राज्यों से नहीं आयी है। तो यह रिपोर्ट मंत्री महोदय की जानकारी में है या नहीं?

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : जरा आप शांतिपूर्वक बैठिये। मैं एक-एक प्रश्न का उत्तर देने वाला हूँ। मंत्री महोदय का प्रश्न मंत्री महोदय से पूछें।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2167-78)

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ी। इसी बीच असंसदीय शब्दों के प्रयोग तथा उनको निकाले जाने पर सदन गरमा गया। बहस में भाग लेते हुए और बहस शुरू करते हुए सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी ने कहा "...एक तो जिस विधेयक के बाबत मैं कह रहा हूँ, वह दरअसल एप्रोप्रिएशन बिल है या कहीं मिसएप्रोप्रिएशन बिल तो नहीं हो जायेगा, इस बात को समझना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर ..."

श्री जोशी जी के इन शब्दों पर मंत्री डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने आपत्ति उठाते हुए कहा - "अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि 'मिस एप्रोप्रिएशन बिल हो जायेगा' इस प्रकार का कहना कहाँ तक उचित होगा?"

अध्यक्ष महोदय ने कहा -"ये शब्द वास्तव में ठीक नहीं हैं। माननीय सदस्य को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिये।"

सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने इस विधेयक पर हुई बहस में हिस्सा लिया। सदन में पैदा हुई गरमाहट और कुछ सदस्यों के बहिगर्मन के बाद श्री अर्जुनसिंह का भाषण हुआ उनके भाषण के पहले चल रही कार्रवाई के कुछ अंश यहाँ भी प्रस्तुत हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो आपत्ति उठायी, वह सदन की मर्यादा का प्रश्न है। आप यह कहते हैं कि एप्रोप्रिएशन बिल मिसएप्रोप्रिएशन बिल तो नहीं हो जायेगा।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, पर मुझे बोलने का मौका तक नहीं मिल पाता है और बैठने को कहा जाता है .....

श्री काशीराम तिवारी : On a point of order Sir, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि क्या माननीय सदस्य मिसएप्रोप्रिएशन में एक्सपर्ट हैं जो आप उसकी परिभाषा करना चाहते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : On a Point of order Sir, अभी माननीय तिवारी जी ने कहा, वह व्यक्तिगत क्लीयर एक्सपर्शन माननीय सदस्य पर है। क्या माननीय सदस्य ऐसा कह सकते हैं, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष : आप (श्री जोशी जी की ओर देखते हुए) भी अपने शब्द वापस लें, और आप (श्री काशीराम तिवारी की ओर देखते हुए) भी अपने शब्द वापस लें। यह मेरी व्यवस्था है।

श्री काशीराम तिवारी : यदि माननीय जोशी जी अपने शब्द वापस लेंगे तो मैं फौरन अपने शब्द वापस ले लूँगा।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : आपका एक निर्णय हो गया।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

अध्यक्ष महोदय : सावधान। सावधान।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से बाहर जाता हूँ (वाक-आउट किया)

अध्यक्ष महोदय : आप जायें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय ...

अध्यक्ष : सावधान। सावधान।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी पार्टी के साथ वाक-आउट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप जायें।

अध्यक्ष महोदय : (कुछ माननीय सदस्यों की आवाज पर) मैं श्री काशीराम तिवारी से कहूँगा कि वे अपने शब्द वापस लें।

श्री काशीराम तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि जो शब्द वापस नहीं लिये गए और माननीय सदस्य ने वाक-आउट किया तो क्या उन शब्दों को आज की प्रोसीडिंग में से डिलीट करने की आप व्यवस्था करेंगे?

अध्यक्ष महोदय : जो पाइन्ट आपने उपस्थित किया है उस पर मैं विचार करूँगा।

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 1958 (संख्या - 12, 1958) पर चर्चा (क्रमशः)

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रिएशन बिल पर हो रही चर्चा पर मैं 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे इस बजट पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई, उस पर मैं बिलकुल नहीं जाना चाहता क्योंकि वह चर्चा के बाहर होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ डेवलपमेंट बजट के आँकड़े देना चाहता हूँ। रेगूलर बजट के आँकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। हो सकता है, जोड़ में कुछ गलती हो गई हो क्योंकि मैं मैथमैटिशियन नहीं हूँ इसलिए मैथमैटिक्स के काम में गलती हो सकती है। शिक्षा विभाग पर 49,29,500 रु., मेडिकल विभाग पर 5 लाख 8 हजार रु., एग्रीकल्चर पर 47,61,800 रु., को-ऑपरेशन पर 17 लाख 7 हजार रु., इण्डस्ट्रीज पर 36 लाख, 83 हजार रु. तथा ट्रॉयवल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर पर 22 लाख, 60 हजार, कुल 1,74,49,300 रु. है। इस प्रकार की रकम ग्राण्ट्स-इन-एड और सब्सीडीज डेवलपमेंट बजट में है। यह उनको रकम दी है। अध्यक्ष महोदय, यह ग्राण्ट-इन-एड और सब्सिडी हमारे बजट और इस विधानसभा के द्वारा जो स्वीकृत कराई जाती है, उसके पीछे लक्ष्य कौन से हैं?

एक तो यह कि ऐसी पनपती हुई इंडस्ट्रीज को, ऐसे अनडेवलप्ड रीजन्स को, ऐसी अनडेवलप्ड इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दी जाये कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो जायें और पैरों पर खड़े हो जाने के बाद उनको दी हुई सब्सिडी को ऋण के रूप में परिवर्तित कर दें तो और प्रदेश के इकॉनॉमिक ढाँचे को बढ़ाने में वे सफल हो सकती हैं। दूसरी, इस नियत से दी जाती है, जिस इंस्टीट्यूट को ग्राण्ट दी जाती है वह उन ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने में सफल हो सकें जिनके लिये वह दी जाती है। माननीय अध्यक्ष, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान सन् 1957-58 की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ। उस कमेटी ने ट्रॉयवल वेलफेयर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स की ग्राण्ट के बारे में चर्चा की है। वह रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत हो चुकी है। मैं उसकी अधिक व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ, उसको सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उस संबंध में, मैं एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक इंस्टीट्यूशन को जो ग्राण्ट दी गई, उसको उदाहरण के रूप में रखकर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। दलित वर्ग संघ, बिलासपुर को सन् 1955-56 में साठ हजार रुपये की ग्राण्ट दी गई। जैसा कि सदन को मालूम होगा कि एक अस्पृश्यता निवारण समिति कायम की गई थी और उसका लक्ष्य ऐसा है कि जिसके विषय में सदन का कोई भी सदस्य यह कहने को तैयार नहीं होगा कि ग्राण्ट न दी जाये, ऐसे ऑबजेक्ट्स को आगे नहीं बढ़ाया जाये तब केवल सदन का ही नहीं बल्कि मंत्री महोदय का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि जब भावना से हम कोई ग्राण्ट देते हैं तब हमें उस पर खास निगरानी रखनी चाहिए कि वह पैसा न खाये। दलित वर्ग संघ का इतिहास अद्वितीय है। सन् 1955-56 में उसे 60 हजार रुपया दिया गया और जो नियम होते हैं, उन नियमों के ऊपर दलित वर्ग संघ की ओर से किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं किये और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद शासन की ओर

से वे नियम नहीं रखे गये। जब नियमों के आधार पर ही रुपया दिया जाता है तब शासन का यह कर्तव्य था कि वह अप्रा नामजद किया हुआ एक आफीसर भी ...

श्री राजारामसिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट ऑफ आर्डर, सदस्य महोदय सन् 1955-56 के एप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं या आज के?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उस परंपरा पर बोल रहा हूँ जो अभी तक चली आ रही है।

श्री बाबूलाल मौर्य : आप कहाँ के दलित वर्ग संघ की बात कर रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : बिलासपुर में स्थित महाकौशल दलित वर्ग संघ।

श्री बाबूलाल मौर्य : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में अभी ऐसा कोई संघ एक्जिस्ट नहीं करता है अतः उस पर चर्चा करना बेकार है।

श्री राजारामसिंह : बिलासपुर के लिये कोई 60 हजार रुपया इस वर्ष नहीं दिया गया। मध्यप्रदेश या मध्यभारत किसके बारे में कह रहे हैं? आप पहले जानकारी ले आइए, फिर कुछ कहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, शायद उस पर कुछ ग़लतफहमी हो गई है। अपने सदन के द्वारा निर्मित प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट में जो बात आयी है, उस पर मैं कहना चाहता हूँ।

श्री बाबूलाल मौर्य : यह बाम्बे प्रदेश में आयी है या मध्यप्रदेश में?

श्री अर्जुनसिंह : मध्यप्रदेश में। अगर आपको सुनायी नहीं पड़ता है तो मैं क्या करूँ?

श्री बाबूलाल मौर्य : यह केस कहाँ चल रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : वह मैं बता रहा हूँ। साठ हजार रुपये उनको दिये गये और उनके कहीं भी नियमों पर हस्ताक्षर नहीं किये गये, जो सन् 1955-56 में रुपया दिया गया वह इस विधानसभा के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए वह यहाँ नहीं आता है लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस पर मैं आ रहा हूँ। इसी संघ को सन् 1956-57 में ...

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री अर्जुनसिंह से, आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है यह सन् 1955-56 के लिये नहीं है और उसने जिस डिपार्टमेंट को एक्जामिन किया है वह सन् 1956-57 के लिये किया है, इसलिए जिस अनुदान का जिक्र मेरे मित्र श्री अर्जुनसिंह कर रहे हैं, उसका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है और न एस्टीमेट्स कमेटी ने कोई जिक्र किया है।

(इसके पश्चात् सभा उपाहार के लिये स्थगित हुई तथा 3 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कि जिस दलित वर्ग संघ का पिछला रवैया यह था उसी दलित वर्ग संघ को सन् 1956-57 में बल्कि सन् 57 के माह मार्च में 30 हजार रुपया फिर से अनुदान में दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस 30 हजार रुपये को देने में प्रोसीजर अमल में लाया गया, वह भी अद्वितीय है। 28 मार्च 1957 को डिपार्टमेंट का प्रपोजल हुआ, 29 मार्च 1957 को फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सेंक्शन दी, एक कंडीशन के साथ। वह कंडीशन यह थी कि पिछले 60 हजार रुपये या जो कुछ भी ग्राण्ट दी गयी थी उस सब का पूरा हिसाब जब संघ दे दे उस वक्त वह 30 हजार रुपये उसे दिये जायें। ऐसी कंडीशनल मन्जूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट की होते हुए भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने उसे नहीं माना और 30 मार्च को हेड आफिस इन्दौर से 30 हजार रुपये का पेमेन्ट संघ के प्रेसीडेन्ट को कर दिया गया। इस समय यह बताना भी आवश्यक हो जाता है कि संघ का प्रेसीडेन्ट कौन-सी ऐसी हस्ती थी जिसके कारण फाइनेंशियल सेंक्शन के प्रोसीजर को ही नहीं बल्कि मॉरलिटी को भी बालाये ताक रखकर पेमेन्ट कर दिया गया। वह हस्ती कोई और नहीं, समाज सेवा मंत्री थे। मैं इस समय इसके औचित्य और अनौचित्य पर नहीं जाता। प्रश्न यह है कि इस तरह से हमारे रुपये का उपयोग होगा कि सदन के मेम्बर अथवा शासन के मिनिस्टर नब्बे-नब्बे हजार रुपये अपनी ही इन्स्टीट्यूशन के लिये ले लिया करेंगे तो कैसे शासन हमसे उम्मीद करेगा कि हम लोग और इस प्रदेश की प्रजा आपके ऊपर विश्वास करें? आये दिन इसी प्रकार की शिकायतें सदन में इस ओर से और उस ओर से होती हैं। नॉन-आफिशियल इन्स्टीट्यूशन को

ग्रान्ट देने में आवश्यकता से अधिक देर होती है, यहाँ तक कि उनका काम ठप्प हो जाता है। एक ओर यह हालत है और दूसरी ओर दो दिन में पूरा प्रोसीजर कम्प्लीट कर दिया जाता है। फाइनेंशियल सेंक्शन कण्डीशनल होने के बावजूद भी पेमेण्ट कर दिया जाता है, यह कितना बड़ा नियमों का उल्लंघन है। इसके अलावा एक और नियम का उल्लंघन हुआ और वह इस तरह कि 30 हजार रुपये की रकम 25 प्रतिशत के हिसाब से इन्स्टॉलमेंट्स में दी जाना चाहिए थी लेकिन इसके विपरीत पूरा 30 हजार रुपया एकमुश्त दे दिया गया। पिछले दिये गये रुपयों का उपयोग संघ ने किस प्रकार किया, इसका अन्दाज एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट से सहज ही लगाया जा सकता है। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 28 हजार 831 रुपये का हिसाब मिला है, 1987 रुपये हरिजन डे एण्ड डिनर पर खर्च हुए, साढ़े तेरह सौ रुपये फर्नीचर पर और जीप की खरीदारी पर 13 हजार रुपये, इसी तरह के और भी एकाउण्ट्स हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान खासतौर पर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जब डेढ़ करोड़ रुपये की आप ग्राण्ट-इन-एड दे रहे हैं, ऐसी हालत में उसके उपयोग की तरफ वित्त मंत्री महोदय का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिये ...

श्री बाबूलाल मौर्य : पाइन्ट ऑफ आर्डर। गलत इन्फर्मेशन दे रहे हैं। डिनर का आप क्या मतलब समझते हैं?

श्री अर्जुनसिंह : डिनर का मतलब जो डिक्शनरी में होता है, मैं वही समझता हूँ।

श्री राजारामसिंह : मैं जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि यहाँ 'डिनर' का मतलब इन्टर-कास्ट डिनर से है।

श्री बाबूलाल मौर्य : यह जाति-भेद मिटाने के लिये है।

अध्यक्ष : इन्टर-कास्ट डिनर से मतलब है।

श्री अर्जुनसिंह : जो शब्द एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में दिये गये हैं, वही शब्द मैंने कहे हैं,

अध्यक्ष : एस्टीमेट्स कमेटी ने क्या लिखा है?

श्री अर्जुनसिंह : उसमें सिर्फ लिखा है 'हरिजन डे एण्ड डिनर।' अब उसमें मैं एक शब्द भी न तो जोड़ रहा हूँ, न घटा रहा हूँ। मुझे बताइये, आखिर आप भी तो सदस्य थे उसके। मैं इस बात को वित्त मंत्री के सामने रखना चाहता हूँ कि जो डेढ़ करोड़ रुपये का यह मामला है, कहीं लूट का सामान न बन जाये ....

श्री भँवरलाल नाहटा : अध्यक्ष महोदय, यह कौन-सा प्रॉविजन है जिसके अनुसार एस्टीमेट्स कमेटी की एब्स्टरैक्ट रिपोर्ट पर कमेण्ट किया जा रहा है?

अध्यक्ष : क्या आप इस पर मेरी व्यवस्था चाहते हैं?

श्री भँवरलाल नाहटा : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : इस पर वित्त मंत्री जी का ध्यान सिर्फ इसलिए मैं आकर्षित करना चाहता हूँ कि ग्राण्ट-इन-एड कहीं लूट न मान ली जाये, जिसको करने के लिये अभी एक माननीय सदस्य को वाक-आउट करना पड़ा। इसलिए जब आप एक भी पैसा किसी भी प्रायवेट संस्था को दें, उसके हेड चाहे जितने बड़े अधिकारी या मंत्री महोदय क्यों हों लेकिन उससे एक-एक पैसे का हिसाब आप लें और जब तक वह हिसाब न दें तब तक आप दूसरी बार ग्राण्ट न दें और हिसाब न देने पर दी हुई रकम भी वापस माँगें। इतना ही इस पर मुझे, अध्यक्ष महोदय, कहना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ।

जिन मंत्री महोदय के संबंध में मैं अब कहना चाहता हूँ, वह यहाँ इस समय शायद मौजूद नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग और नेचुरल रिसोर्सेज की डिमाण्ड पर बहस के दौरान वन मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि बिरला को जो हमने बाँस का ठेका विन्ध्यप्रदेश रीजन में दे रखा है, उससे सब फायदा ही फायदा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि वहाँ अब क्या हो रहा है। इस बात की जानकारी शायद उन्हें नहीं थी या सदन को उन्होंने जानकारी देना उचित नहीं समझा और वह यह है कि जिस काम के लिये बिरला को 30 साल का बाँसों का ठेका दिया गया था, वह अब नहीं किया जा रहा है। मैं शासन से यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सही नहीं है कि वहाँ पर जो पेपर फैक्टरी कायम करने की स्कीम थी और जिसके लिये बिरला को लीज दी गई थी, अब उस लीज को बिरला साहब ने रिवाइज करवा लिया है और पेपर फैक्टरी की जगह पर अब वह पल्प

फैक्टरी कायम करने जा रहे हैं। पेपर फैक्टरी जो खुलने वाली थी और जिसके लिये बड़ी जोरदार दलील दी गई, अब उसकी जगह पर एक नयी इण्डस्ट्री अगर कायम करनी थी तो उस बात को विधानसभा की जानकारी में न ला करके उस लीज को कैसे रिवाइज कर दिया गया है? मैं जानता हूँ उसका कारण स्पष्ट है क्योंकि उड़ीसा और प्रान्त की बाउण्डरी से मिले हुए हिस्सों में जो ऑलरेडी फैक्टरीज उनकी रन कर रही हैं उनको काफी रॉ-मटीरियल नहीं मिलता और इसलिए अब वहाँ पर पल्प फैक्टरी कायम हो रही है। उन्होंने सोचा कि शहडोल में एक नयी इण्डस्ट्री कायम करेंगे तो लाखों रुपये का सामान अपनी अगल-बगल की फैक्ट्रीज को दे सकेंगे। यदि वहाँ पर पेपर फैक्टरी खोली जाती तो लाखों आदमियों को उससे रोजी-रोटी मिलती लेकिन यह कर रहे हैं कि जो बगल की उनकी फैक्टरीज हैं इसके जरिये उनका प्रोडक्शन ठीक कर सकेंगे। उसका नतीजा यह है कि जो फैक्टरी अपने प्रदेश में कायम होती वह तो मर गयी, मुझे अध्यक्ष महोदय, बड़ा ताज्जुब होता है कि

While our factory is being reduced to pulp, the treasury benches present a sense of masterly inactivity.

शायद वह हमारे मंत्री जी इस समय यहाँ मौजूद नहीं हैं, इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय को तो उसके लिये नहीं कह सकता लेकिन उनके ध्यान में भी मैं यह बात लाना जरूरी समझता हूँ कि जब कोई ऐसा कदम शासन द्वारा उठाया जाता है कि जिसमें स्टेट का फाइनेन्शियल लॉस होता है तो क्या उनके ध्यान में भी वह लाया जाता है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वित्त मंत्री जी इसकी हमें जानकारी देंगे।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जो हमारे यहाँ फैमिन के लिए एलॉटमेंट रखा गया है, उसके ऊपर जितनी चर्चा हुई, उस दौरान में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो रकम फैमिन के लिए रखी गयी है वह इससे न हो जाये कि आप एक तरफ यह कहते जा रहे हैं कि रुपये का मोल और मनुष्य के जीवन का मोल एक तराजू में नहीं करने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब भी समय है, अगर आप जीवन-रक्षा करना चाहते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट से इस बात के लिए रुपया माँगें तो यदि बिहार गवर्नमेंट को 3 करोड़ मिल सकता है तो आपको क्यों न मिलेगा? परन्तु मंत्रिमण्डल से हमको कहा जाता है कि हमें माँगने की आदत नहीं इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं। उसके बजाय मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब फैमिन शब्द बेकार चीज है, उसको डिक्शनरी से निकाल दीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वह आज नहीं हजारों वर्ष पहले की बात है, रोम में नीरो नाम का एक पागल बादशाह हुआ था, उसने कविता बनाने के लिये पूरे रोम में आग लगवा दी थी, वह स्वयं छत पर बैठकर देख रहा था और रोम जल रहा था। अध्यक्ष महोदय, बाद में जब लोगों ने हल्ला मचाया कि इससे बड़ा नुकसान हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन ठहराया जाये तो यह निश्चय हुआ कि वहाँ पर जो क्रिश्चियनिटी बढ़ रही थी, उन्हीं पर यह अपराध ठहराया जाये। नीरो ने यह आदेश निकाल दिया कि जितनी यह बरबादी हुई है, यह सब क्रिश्चियनों ने आग लगाई है। जिस समय कम्युनिक पर दस्तखत हो रहे थे, उसके एक कोन्सिलर ने यह शब्द कहे थे—

"Petronious-Hark,, Nero before you sign that decree for by signing this decree you shall be striking a blow at Roman Justice for which history shall never forgive you."

नीरो ने उत्तर दिया, अध्यक्ष महोदय, उसने कहा -

Thank you Petronious but by the time I have finished with these Christians history shall not know that they ever existed, Hon'ble Sir, it is not a matter of history who has been forgotten Nero or the Christians."

अध्यक्ष महोदय, इतिहास बता रहा है कि इतिहास ने किसको भुलाया। इसी तरह से मंत्री महोदय कहते हैं कि जो शब्द उपयोग किया जा रहा है, उसको डिक्शनरी से निकाल दिया जाये किन्तु किसी शब्द को शब्दकोश से निकाल देने से वह समस्या सुलझ जायेगी, इसकी अगर हम लोग उम्मीद पा लें तो हम लोग तब कहना बंद कर दें।

श्री गोविन्दनारायणसिंह (रामपुर बघेलान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने एक पुरानी लोकोक्ति 'नीरो बाज फिडलिंग व्हाइल रोम बाज बर्निंग' कहकर अपना भाषण समाप्त किया। किसी भी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष या शासन विशेष के ऊपर आसानी से आरोप लगाना और वह भी इस प्रकार का भयंकर आरोप लगाना, चाहे वह मनुष्य; विरोधी दल का हो या कांग्रेस दल का हो, उससे कोई तात्पर्य मेरा नहीं है, बहुत शोभाजनक नहीं है। नीरो ने जिन परिस्थितियों में आग लगवाई थी, अगर आज थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाये कि आग लग गई तो वह परिस्थति सर्वथा भिन्न थी ...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : पोलिटेक्निक में आग लग गयी।

श्री गोविन्दनारायणसिंह : लग गयी होगी, उसमें आश्चर्य की बात नहीं। ...

श्री अर्जुनसिंह : और शिक्षा मंत्री जी डिनर भी कर रहे थे।

श्री गोविन्दनारायणसिंह : लेकिन एक नीरो ने अपनी भावना विशेष की संतुष्टि के लिए आग लगवायी थी, यहाँ पर भावना विशेष, व्यक्ति विशेष की संतुष्टि के लिए कोई भी ...

श्री अर्जुनसिंह : अगर माननीय सदस्य का यह कहना है कि वहाँ पर आपने आग नहीं लगाई तो मैं माने लेता हूँ।

श्री गोविन्दनारायणसिंह : आपके उदार-हृदय के लिये धन्यवाद है। अब जो ऑब्जेक्टिव कण्डीशन होती हैं उनमें कोई घटना घटे, जो अनिवार्य होती है तो वह दोषपूर्ण होती है, उनके लिए साधारणतया मार्ग बताया जाता है। उसकी ओर ध्यान देना आपने पाप समझ रखा है। यह आपके पाप-पुण्य की परिभाषा है, जो मैंने अब तक समझी है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2177, 2178, 2179, 2180, 2181 एवं 2182,)

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक पर बहस चल रही थी। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बीच में एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहा -

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : मैं इसको इसलिये कह रहा हूँ, अध्यक्ष महोदय, कि राजकीय सम्पत्ति का दुरुपयोग होता है और बहुत से दल-पोषक कार्यों के लिये और ऐसे लोगों को जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनके सम्बन्ध में धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भोपाल में ललवानी का जो सेण्टर है वहाँ राजस्थान से 16 हजार रुपये की 260 भेड़ें मँगायी गयीं। और वे भेड़ें ...

श्री बाबूलाल मौर्य : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, भेड़ों के बारे में जो यहाँ पर माननीय सदस्य रेफर कर रहे हैं, यह एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट से सम्बन्ध रखता है और मेरा ख्याल है कि जब एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट पर विचार होगा, उस समय ये चीजें कही जा सकती हैं और उसी समय आपको इस विषय में रेफर करना उचित होगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रिविलेज का मैटर रेज करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से ऐसा मालूम होता है कि शायद वे एस्टीमेट्स कमेटी के मेम्बर हैं और उन्होंने इस समय सदन में वह बात कही है जो कि एस्टीमेट्स कमेटी के विचाराधीन है। हम लोगों को तो एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में जानकारी नहीं है। अगर हम इस तरह की कोई बात कह रहे हैं तो उनका यह कहना कि अमुक चीज पर हम यहाँ नहीं कह सकते क्योंकि वह एस्टीमेट्स कमेटी के सामने है, यह प्रिविलेज का प्रश्न है ...

श्री बाबूलाल मौर्य : वह रिपोर्ट टेबिल पर आ चुकी है।

श्री कन्हैयालाल मेहता : रिपोर्ट तो ऑलरेडी टेबिल पर रखी जा चुकी है।

अध्यक्ष : कहिए, क्या कह रहे हैं आप?

श्री कन्हैयालाल मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि श्री अर्जुनसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया है, वह इसलिए नहीं पैदा होता है कि इस संबंध में जो रिपोर्ट है वह एस्टीमेट्स कमेटी सदन के सामने प्रस्तुत कर चुकी है।

अध्यक्ष महोदय : .....(खड़े हुए)।

श्री राजारामसिंह : उनको आपत्ति यह है कि वह महत्व का प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष : यह अशिष्टता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ।

जो औचित्य का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है मैं उससे सहमत नहीं होता। एस्टीमेट्स कमेटी का उल्लेख यहाँ पर किया जा सकता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2186,2187)

उक्त विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री राजारामसिंह ने कहा -"अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी सदन के सामने श्री अर्जुनसिंह ने दलित वर्ग संघ को कुछ शासकीय अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में कई आपत्तियाँ पेश कीं।"

यह सुनकर तुरन्त उसी समय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने जवाब दिया - "मैं माननीय सदस्य को बतला दूँ कि वे आपत्तियाँ मैंने नहीं पेश की हैं बल्कि एस्टीमेट्स कमेटी ने पेश की हैं। मैंने केवल उसका उद्धरण दिया है।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2187)

सदस्य श्री राजारामसिंह का भाषण आगे बढ़ा, उन्होंने जो कहा तथा उसका जो जवाब श्री अर्जुनसिंह ने दिया—

श्री राजारामसिंह : मैंने अपने भाषण में जो भी बातें कहीं हैं उनमें एस्टीमेट्स कमेटी का नाम नहीं लिया है। जो माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने कहा है उसी के बारे में, मैं बतला रहा था, उन्होंने बहुत गैर-जिम्मेदारी की बातें कही हैं। एस्टीमेट्स कमेटी की फाईंडिंग्स को चैलेंज करने का मेरा इस समय बिलकुल इरादा नहीं है और न मैंने किया है। जब एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट हाउस में डिस्कशन के लिये आयेगी, उस समय मुझे जो कुछ भी कहना होगा, कहूँगा। तो मैं कह रहा था कि अधिकांश संस्थाओं को अनुदान 31 मार्च को दी जाती है और अगर उसी समय डिप्रेस्ड क्लास लीग को भी मिली तो कौन-सी अनियमित बात हो गयी। जहाँ तक नियम का सवाल है श्री अर्जुनसिंह जी ने एक भी नियम नहीं बतलाया कि इस नियम का उल्लंघन हुआ है। जहाँ तक डिप्रेस्ड क्लास लीग के नियम के उल्लंघन की बात है, यह एक चार्ज मात्र है। इतनी बड़ी संस्था जो देश की है, उसके लिए 30 हजार रुपये की रकम स्वीकार हुई जो कि माननीय सदस्य की आँखों में खटकती है। यह रकम किसी भी संस्था को दी जावे, मैं यह नहीं कहता कि डिप्रेस्ड क्लास लीग को ही दी जावे। मैं तो कहता हूँ कि अस्पृश्यता निवारण के लिये रकम न देना, यह उनका कहना वाजिब नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैंने इस आशय से कोई स्पीच नहीं दी। मैंने तो यह बतलाया कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो रकम दी गई है वह रद्द की जावे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2189)

विनियोग विधेयक पर चल रही चर्चा पर बीच-बीच में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने टिप्पणियाँ और प्रश्न भी किए -

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) : " ...मेरे मित्र माननीय तामस्करजी ने दो-तीन बातें कहीं। एक तो यह कहा कि जो कुछ यहाँ चर्चा सभा-भवन में हुई है, उससे यह प्रकट होता है कि शासन को 106 करोड़ रुपया क्या 106 रुपया भी नहीं सौंपा जाये। विरोधी पक्ष के नेता के मुँह से इस तरह की बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे नहीं मालूम, वे किसको सौंपने की बात कह रहे हैं। जिस प्रजातंत्र को भारतीय संविधान ने स्थापित किया है, जिस तंत्र के वे अंग हैं, जिस तंत्र को चलाने के लिये वे आतुर हैं उस तंत्र का कार्य चलाने के लिये एक विधेयक के अनुसार अगर एक रकम राज्य की संचित निधि से दी जाती है, उसके लिये यह कहा जाये कि 106 करोड़ क्या 106 रु. भी नहीं दिया जाना चाहिए, नहीं सौंपा जाना चाहिए तो उनका मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष, कि हमारे माननीय श्री तामस्करजी ने जो इतना बड़ा अविश्वास किया है कि 106 रुपये को भी शासन

को नहीं देना चाहिए तो उनका मतलब यह होगा कि सम्पूर्ण निधि जो इस विधेयक के द्वारा दी जायेगी, वह जनकल्याण के लिये नहीं खर्च की जायेगी, शासन तंत्र चलाने के लिये नहीं खर्च की जायेगी? तो उनका यह कहना पूरा-पूरा अशोभनीय है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : वे तो अभिव्यंजना कर रहे थे। अगर कोई बेटा गलती करता है तो उसे समझाया ही जा सकता है। बाप लड़के को समझायेगा और मारेगा थोड़ा?

श्री अर्जुनसिंह : अगर बेटा नालायक हो जाये तो क्या किया जाये?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : ऐसा नहीं कहना चाहिए। जहाँ तक बजट का सवाल है, शासकीय विभागों से जो माँगें आती हैं, आय-व्यय आते हैं, उनकी पूरी जाँच की जाती है। उसके लिये वित्तीय व्यवस्था है, वित्तीय नियम हैं।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : हमने यह कहा था कि पैसे की बहुत-सी बरबादी होती है। पहले पूरी चीज तैयार कर लें तब पैसे की डिमाण्ड करें। यही मेरा सुझाव है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : व्यवस्था इसी प्रकार की है। प्रत्येक शासकीय विभाग अपने आय-व्यय-पत्रक में पूरी जरूरतें शामिल करके वित्त विभाग को भेजता है। वित्त विभाग उसका परीक्षण करता है और फिर उसे आय-व्ययक में समाविष्ट किया जाता है।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : चूँकि 30 तारीख को पैसा देने में अड़चनें आती हैं इसलिये पूरी लिस्ट तैयार करके मिलान करना उचित होगा। इसकी जाँच कर लें।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : इसके लिये भी मैं निवेदन करूँगा। और भी कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उनका भी जवाब दूँगा।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : आपका समय मैं नहीं ले रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जो साल आखिर में पैसा दिया जाता है और उसमें जो गड़बड़ होती है उसकी भी व्यवस्था की जावे। महीने की 30 तारीख को पैसे देने में भी गड़बड़ होती है उसकी जाँच की जावे।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : इसके लिये माननीय सदस्य जानते होंगे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी ऐसा होता है। आज विकास का युग है। हमको पूरे वर्ष भर काम करना होता है, शासन के सम्मुख ऐसे मौके आते हैं और कुछ नयी-नयी योजनाएँ आती हैं, जिनका परीक्षण नहीं हो पाता है। उसके लिये लम्प सम रकम देनी पड़ती है।

श्री अर्जुनसिंह : जैसी दलित वर्ग संघ के बारे में चर्चा हुई तो क्या इसी अन्तिम मार्च के महीने में 50,000 रुपये का अनुदान दिया गया है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2199)

चर्चा आगे बढी -

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : इसके बाद हमारे मित्र अर्जुनसिंह जी ने अनुदानों के बारे में चर्चा की जिसका सम्बन्ध प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट के साथ आता है। बहुत करके उनका कथन अनुदान देने के तरीके के सम्बन्ध में है। अनुदान देने के लिये जिन-जिन विभागों से अनुदान दिया जाता है प्रत्येक के लिये नियम बने हुए हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इसीलिए मैंने प्रश्न किया है कि आपके यहाँ नियम होते हुए भी क्या इस वित्तीय वर्ष में दलित वर्ग संघ को फिर से पचास हजार रुपये दिये गये हैं?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : तो जहाँ तक अनुदानों का सम्बन्ध है ...

श्री अर्जुनसिंह : मेरा प्रश्न है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैं प्रश्न का जवाब दूँगा। अनुदान देने के लिये नियम हैं और उन नियमों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। फिर भी शासन ध्यान रखेगा कि भविष्य में कोई अनुदान बिना छानबीन के, जहाँ तक सम्भव हो, न दिया जाये और जहाँ तक सीधा प्रश्न उन्होंने किया है और जहाँ तक मुझे मालूम है इस वर्ष

तीस हजार रुपये अनुदान के रूप में दिये गये हैं। पचास हजार नहीं।

श्री अर्जुनसिंह : क्या उन्होंने पिछले वर्ष के अनुदान का हिसाब दे दिया है, तब यह रकम दी गई है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : जहाँ तक मुझे मालूम है, पिछले वर्ष का हिसाब सम्बन्धित शासकीय विभाग के पास आ गया है।

श्री दुर्गादास सूर्यवंशी : महाकौशल के दलित वर्ग संघ को जो अनुदान दिया गया था, क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट शासन के पास आ गई है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : जहाँ तक मुझे मालूम है, विभाग के पास संस्था का हिसाब आ गया है। अन्त में मैं निवेदन करूँगा कि विनियोग विधेयक को सभा भवन पास करे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2201)

मध्यप्रदेश विक्रय कर विधि (संशोधी तथा मान्यकारी) विधेयक, 1958 (संख्या 6, 1958) का इस सभा द्वारा विचारित खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बने- उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव स्वीकृति की यह घोषणा की। इसके बाद उपाध्यक्ष ने कहा कि अब खण्ड - 5 पर विचार होगा।

सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा ने औचित्य का प्रश्न उठाया - "... यह सेक्शन 5 के अन्दर जो बतलाया गया है, Of no legal effect इससे यह धारा नहीं रह सकती है। संविधान किसी एक में विधानसभा को ऐसा अधिकार नहीं है कि यदि हाईकोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जाये उसको "जो लीगल इफैक्ट" करार दे। संविधान में यह अधिकार दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है लेकिन कोर्ट के किसी निर्णय को इनवैलिड करने का अधिकार नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का जो क्लॉज 5 है वह अल्ट्रावायरस है यह नहीं आ सकता।"

इस औचित्य के प्रश्न पर चर्चा आगे बढ़ी। उपाध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया -

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह विस्तृत सवाल प्वाइंट आफ आर्डर की सीमा में आ सकता है? आप इस बिल पर डिस्कशन कीजिए तो साफ मालूम हो जायेगा। यह प्वाइंट ऑफ आर्डर के दायरे से बाहर है। आमतौर से जैसा मैंने कहा, जो प्रश्न संविधान से संबंधित है या विधानसभा के सम्बन्ध में है, जिस पर काफी चर्चा होनी चाहिए तो ऐसी सूरत में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं उठाना चाहिए। सभा को अधिकार है कि वह यह डिस्कशन करे। अध्यक्ष इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं देना चाहता। आप इस धारा के सम्बन्ध में चर्चा करें।

(पेज 2251)

आगे सदस्य श्री जगदीशनारायण अवस्थी ने कहा—

श्री जगदीशनारायण अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपने व्यवस्था दे दी कि इस सदन को अधिकार है, यह सदन काम्पीटेंट है कि दफा 5 में जो बात कही गई है उस पर विचार करे और उस व्यवस्था के बाद उसी प्वाइंट ऑफ आर्डर के ऊपर बहस करना जरा मुझे उचित नहीं लगा और मैंने आपसे व्यवस्था चाही। आमतौर से सदनों का यह नियम है कि अगर अध्यक्ष किसी विषय पर व्यवस्था दे दें तो बहस खत्म हो जाती है। आपने कहा था कि दफा 5 में संशोधन पर बहस करनी है तो संशोधन आये तो बहस कर ली जाये। अब जो माननीय विरोधी दल के सदस्य बोलें वह आपकी व्यवस्था के बाद प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर ही बोलें। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या व्यवस्था के बाद भी बहस की जा सकती है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं काम्पीटेन्सी का जो सवाल उठा है, उसके ऊपर आप व्यवस्था नहीं दे सकते, उस बात को मानते हुए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हम लोग इस देश में .....

सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा उठाये गये मुद्दे पर उपाध्यक्ष महोदय, ने कहा—

उपाध्यक्ष : आप मेरिट्स पर कहिए न। सेक्शन 5 पर आप कहें, जो आपत्ति उठी थी उसका मैंने निर्णय कर दिया था कि मैं इसको नहीं मानता कि प्वाइंट ऑफ आर्डर के सीमित दायरे के अंदर यह बात उठाई जा सकती है इसलिये मैं प्वाइंट ऑफ आर्डर को नहीं मानता हूँ। प्वाइंट ऑफ आर्डर के सीमित दायरे के अंदर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। दूसरा रहा सवाल कि क्या विधानसभा ऐसी क्षमता रखती है कि ऐसा कानून बनाये या न बनाये तो यह बिलकुल चर्चा का विषय है। सदन में इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई है, और अभी भी हो रही है इसलिए मैं इस प्रश्न को खुला छोड़ता हूँ और सदन अपनी राय प्रकट करे कि इस पर विचार हो सकता है या नहीं, धारा 5 इस समय सदन के समक्ष प्रस्तुत है, इस पर जो भी अपनी राय देना चाहें दें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2250-2251,2252 एवं 2253)

उपरोक्त विधेयक की धारा 5 पर बहस आगे बढ़ी। श्री होमी दाजी ने अपने वक्तव्य में एक स्थान पर कहा - मेरी बात उन्होंने सुन ली है और मुझे उम्मीद है कि फिर तशरीफ ला करके मुझे वह इस बात का जवाब अवश्य देंगे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपोजीशन के नाते नहीं, एक वकील के नाते सेक्शन 5 को हटाने की अपील करता हूँ। इससे आपकी वसूली में कोई फर्क नहीं होने वाला है। To make doubly sure has no meaning as the matter has already been made sure.

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने टिप्पणी करते हुए कहा- There is no cure of a suspicious mina.

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2257)

विक्रय कर विधि विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री गोविन्द नारायणसिंह बोले - "अध्यक्ष महोदय, श्री दाजी के बोलने के पश्चात् मेरा कार्य कुछ हल्का हो गया" क्योंकि उन्होंने इतना स्वीकार कर लिया कि इस सेक्शन को बनाना इस असेंबली के अधिकार-क्षेत्र के भीतर है, जिसके संबंध में प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाये गये थे और प्रलापात्मक बातें कहीं गयीं। आलोचकों के मस्तिष्क में एक भ्रांति है, कन्फ्यूजन है, वही चल रहा है। It is a phlegm which needs verification (Page 2258)

इस पर टिप्पणी करते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह बोले- "कन्फ्यूजन शासन के दिमाग में चल रहा है। You are confused about the concepts of validity and infructuousness (Page 2258)

इस विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए श्री गोविन्द नारायणसिंह ने आगे कहा - "हम किसी डिक्री को इनवैलिड नहीं कर रहे हैं। केवल उसको इनफ्रक्चुअस कर रहे हैं और वह केवल इसलिए कि जो लॉ एबाडिंग सिटीजन्स हैं वे पेनेलाइज न हों। इससे समाज में एनार्किस्ट टेन्डेन्सीज का प्रादुर्भाव .....

इसी बीच श्री अर्जुनसिंह ने प्रश्न किया - "क्या अध्यक्ष महोदय, लॉ कोर्ट्स में एनार्किस्ट टेंडेसीज परसिस्ट करती हैं?

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/10 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2261)

इसी विधेयक पर बहस आगे बढ़ी। मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने अपना भाषण दिया।

अब मध्यप्रदेश विक्रय कर विधि (संशोधी तथा मान्यकारी) विधेयक 1958 (संख्या 6/1958) पर चर्चा शुरू की सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के इतने सारगर्भित भाषण के बाद ...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप इसका क्लेरीफिकेशन करेंगे क्या कि सेंट्रल एक्ट में बताया है कि रिफण्ड ऑफ मनी नहीं होगा, लेकिन जो निर्णय हुआ था उसको जस्टीफाई करने के लिये उस एक्ट में कोई प्रॉविजन नहीं है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : सेंट्रल एक्ट में गालिबन डिक्रियाँ हुई होंगी, रुपया वसूल नहीं हुआ होगा। (अवरोध- यह गलत है) आपने बड़े दावे के साथ कहा था कि एक भी केस बता दिया जाये (पूर्ण अवरोध और शोरगुल)।

अध्यक्ष महोदय : श्री अर्जुनसिंह।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के प्रवचन के बाद हम लोगों को कुछ कहने में संकोच हो, खासकर मुझे जरूर संकोच है क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी को एक कुशल न्याय जानने वाला समझता हूँ। हम लोग जब न्याय पढ़ते थे तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी की विद्वत्ता का हम बड़े आदर के साथ मनन करते थे। तो अध्यक्ष महोदय, कहावत है - .....

विधि की विडंबना है कि वही न्याय के रक्षक जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों बार ऐसे कानूनों की आलोचना की होगी, वही आज इस बिल को जस्टीफाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि अगर माननीय मुख्यमंत्री अदालत में खड़े होकर इस कानून पर बहस करते तो क्या दलील देते। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर होने के नाते इस शासन की और इस कानून की तारीफ करना लाजमी समझा है।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : माननीय सदस्य समझ लें कि यह कानून अदालत में जायेगा और वे वहाँ पर दलील दे लें।

श्री अर्जुनसिंह : वह तो होगा ही। तो मैं कह रहा था कि इस कानून का प्रेसिडेंस देने के लिये माननीय मुख्यमंत्री को सिर्फ तीन कानून पूरी लेजिस्लेशन लिस्ट में मिले। परसों लॉ डिपार्टमेंट को ढूँढने के लिये लगाया है और केवल तीन ही कानून मिले। यह इस बात का परिचायक है कि भूतकाल में भी ऐसे कानून बनाना अच्छा नहीं माना जाता था। होशियार आदमियों के सामने गलतियाँ कम हुआ करती हैं और उनको तादाद को सुधारने के लिये हम लोग एक्सटरा ऑर्डिनरी हेल्प भी लिया करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े देश में सिर्फ तीन ही कानून इस तरह के आये जबकि इस विधानसभा के लाइफ पीरियड में ही इस तरह की तीन गलतियाँ हो चुकी हैं और इस तरह के तीन कानून पास हो चुके हैं। यह कैसा अजीब रवैया है। इसको शासन पक्ष ने भी और इस पक्ष ने भी माना है कि यह बैड लॉ है। अगर हम इसको मानते हैं कि यह बैड लॉ है तो हमें देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से सर्कम्स्टांसेज हैं जो इस पर्टिक्यूलर केस में एक्जिस्ट करते हैं और इस बैड लॉ को जस्टीफाई करना पड़ रहा है। मैं इसकी प्रोप्राइटी की बात कर रहा हूँ। माननीय देवास के विधायक और दूसरे विधायकों ने भी इस बात को माना कि यह अच्छा कानून नहीं है। तब इसके पहले कि आप इन कानून की किताबों को मुँह के सामने चमकायें और यह कहें कि पार्लियामेंट ने हैदराबाद केस में यह कानून पास किया और मध्यप्रदेश ने खंडवा केस में पास किया, यह देखें कि जब इस विधेयक को विधानसभा में पास किया गया था उस समय इस संबंध में क्या डिबेट्स हुई थीं, क्या उन डिबेट्स के दौरान में यह प्वाइंट रेज किया गया था, अगर नहीं किया गया था तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस प्वाइंट को मद्देनजर रखते हुए भी उस विधानसभा ने इसको पारित किया। मैं उस विधानसभा के सम्मान के विरुद्ध कोई बात नहीं कहना चाहता लेकिन जब किसी बिल को जस्टीफाई किया जाता है तो लाजिमी होगा कि उसकी बैकग्राउण्ड पर जायें और देखें कि किन कारणों से वह लाया गया। मुख्यमंत्री जी ने उसका बैकग्राउण्ड जानबूझकर नहीं दिया। यह मैं नहीं कह सकता कि वह असमर्थ हैं, फिर किस कारण से नहीं दिया यह भी नहीं जाना जा सकता क्योंकि वे खुद मौजूद नहीं हैं, लेकिन इतना अवश्य है कि इस तरफ उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया और जब तक इस विधानसभा को इन कारणों से अवगत नहीं कराते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि आप इस कानून को पास करने के अधिकारी हैं।

अब मैं उनकी प्रोप्राइटी पर आता हूँ। शासन कहता है कि हमने जो कानून आपके सामने रखा है उसके द्वारा हम उन लोगों के अधिकारों का संरक्षण करना चाहते हैं ...

अध्यक्ष : आप क्लॉज पर ही बोलें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज पर ही बोल रहा हूँ। तो जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि

हम उन पार्टीज को लॉ अबाइडिंग पार्टीज को पेनेलाइज नहीं करना चाहते जो कोर्ट ऑफ लॉ में निर्णय कराने नहीं गये। हमने सिविक्स इतने बड़े विद्वानों से नहीं पढ़ा है जितने कि माननीय विधि मंत्री हैं। वे छोटे तबके के टीचर थे लेकिन इतना अवश्य उन्होंने बतलाया था कि लॉ अबाइडिंग की डेफिनेशन क्या है और लॉ क्या है? अध्यक्ष महोदय, लॉ अबाइडिंग दो तरह के हैं। एक तो वे सिटीजन्स हैं जो कि कानून को समाज को सर्वोत्तम अच्छा मानकर उसकी तामीली करें और दूसरे वे सिटीजन्स हैं जो लॉ की नीतियों को न्यायालय में चेलैन्ज करें। दोनों अपनी-अपनी जगह पर हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, यह कहना कि आप उन लोगों को पेनेलाइज होने से बचा रहे हैं जो कि कोर्ट में नहीं गए और इसके अन्तर्गत आते हैं, जिनका इससे सम्बन्ध आता है तो यह तो लॉ एक्वाइडिंग सिटीजन्स की डेफिनेशन को बिलकुल मिटाना है।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक दल कानून बनाता है और दूसरा छिद्रान्वेषण करता है। दोनों प्रकार के विधायक चुनकर आते हैं। दोनों अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। दोनों के कर्तव्य में भेद है। एक कानून बनाता है और दूसरा फाल्ट फाइडिंग कर रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : I can not concede senility to unjust laws is law-abiding disobedience to tyrannical laws is also obeying a higher law.

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसके बाद काम्पीटेन्सी का सवाल आता है। हमारे सदन में एक दफा नहीं कई दफा यह सवाल आया कि अमुक कानून को बनाने का इस विधानसभा को अधिकार है या नहीं और अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश कहिए या जानकारी न होने की वजह से कहिए यह प्रश्न सदैव प्वाइंट ऑफ आर्डर के द्वारा उठाया गया।

अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी देर पहले जो चेयर से रूलिंग हुई वह बिलकुल ठीक है कि प्वाइंट ऑफ आर्डर के जरिए हम इन मामलों को डिसाइड नहीं कर सकते कि लेजिस्लेचर की काम्पीटेन्सी नहीं है। यह तो हाउस (in its own wisdom) डिसाइड करेगा। यह कोई नहीं कह सकता कि क्या है। तब अध्यक्ष महोदय, जब लेजिस्लेचर की विजडम का सवाल आ जाता है तब दो लोगों का उत्तरदायित्व है एक तो उस विभाग का और दूसरे उस विभाग के मंत्री का, जो विधानसभा में कानून लाते हैं। एक दफा तो उनको सोचना चाहिए कि गोया जो कानून विधानसभा में ले जा रहे हैं, इस बात को मानते हुए कि हम मेजारिटी के कारण पास करवा लेंगे तो भी क्या उसमें 'इन हैरेन्ट डिफैक्ट्स' है जो किसी लॉ को पास कराने में नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा उत्तरदायित्व हम लोगों का हो जाता है यह जानते हुए कि आप नहीं मानेंगे फिर भी डिस्कशन के समय इस विधानसभा की मर्यादा को कायम करने के लिए हमको उन चीजों को, डिफैक्ट्स को सदन के सामने रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस विधानसभा को एक सार्वभौम लॉ-मेकिंग बॉडी कहा। अध्यक्ष महोदय, 'जब किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विशेषण प्रयोग किया जाता है तब उसके दिमाग में यह आ जाना अस्वाभाविक नहीं है कि वह सर्वशक्तिमान है। व्यक्ति विशेष के लिये और जब इस विधानसभा के लिए यह विशेष प्रयोग में लाया गया तब भी यह स्वाभाविक है कि यह विधानसभा भी यही सोचे। यह विधानसभा को अधिकार है, परन्तु उसकी सीमा है, मर्यादा है। या तो वे ख्वाब में बात कर रहे हैं या कि वे बिलकुल मूर्ख हैं। इन दोनों विशेषणों को अपने ऊपर लेते हुए मैं आपकी अनुमति से माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूँ कि जिस सार्वभौम शक्ति का उपयोग मुख्यमंत्री महोदय ने किया उसमें सार्वभौम अवश्य है लेकिन कुछ सीमाओं के अन्दर। हमारी सार्वभौमिकता उस हद तक नहीं जितनी हाउस ऑफ कामन्स की है। आज अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑफ कामन्स किसी आदमी को और डिक्लेयर कर सकती है और कह सकती है कि He shall be called as such Mr.X who is a man, be called a woman. लेकिन, अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा को यह अधिकार नहीं है।

श्री अनन्त सदाशिव पटवर्धन : इस विधानसभा में भी यह होता है। अध्यक्ष महोदय, श्री तिवारी जी, स्वास्थ्य उप-मंत्री को हमेशा स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया कहते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : But he has not been so recognised.

श्री अर्जुनसिंह : इस विधानसभा को यह अधिकार नहीं है और जब कि यहाँ पर एक मन्त्री महोदय ने अपने आप को राज्य मंत्रिमण्डल की गृहणी स्वीकार कर लिया है लेकिन उनका सेक्स फिर भी चेंज नहीं कर सकते।

अध्यक्ष : यह अधिकार तो हाउस ऑफ कामन्स को भी नहीं है कि वह किसी से कह दे कि आप लड़के से लड़की हो जाओ और किसी लड़की से कह दे कि आप लड़का हो जाओ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अधिकार तो है लेकिन जब उनके सामने यह सवाल आया होगा तब जल्दबाजी से काम नहीं लिया होगा जैसा कि आज हमारा शासन ले रहा है, लेकिन इस तरह का अधिकार है।

अध्यक्ष : हाउस ऑफ कामन्स को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी लड़के को लड़की बना दे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे तो बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो वित्तमंत्री जी से यह कह रहा था कि सवाल यह है कि हाउस ऑफ कामन्स के पॉवर्स में कोई भी लिमिटेशन्स नहीं हैं।

श्री गोविन्द नारायणसिंह : किसी भी स्टेट की सावरेनिटी के ऊपर बहुत से लिमिटेशन्स होते हैं जैसे कि मोरल लिमिटेशन।

श्री अर्जुनसिंह : वे तो सदैव उपस्थित रहते हैं, क्या किसी व्यक्ति विशेष के प्रश्न का या किसी विधानसभा का, परन्तु कल से हम देख रहे हैं कि वे नैतिक सीमाएँ आपके शासन की लागू नहीं होती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिये कह रह रहा था कि जिस सार्वभौमिकता का उदाहरण देकर इस कानून को विधानसभा में लाया जा रहा है वह बिलकुल गलत है। हमारी विधानसभा को या पार्लियामेंट को ऐसे अधिकार कदापि नहीं हैं कि संविधान के खिलाफ कोई कानून पास कर सके। संविधान की सीमाओं के अन्दर हम सार्वभौमिकता का प्रयोग कर सकते हैं। उसकी मर्यादाओं के बाहर कानून नहीं बना सकते। यदि मंत्री जी का यही कहना है तब फिर मुझे कुछ नहीं कहना, वे पेश कर सकते हैं। यह एक उदाहरण है, अध्यक्ष महोदय, आज तो शासन इस कर से संबंधित नियम बना रहा है, कल को शासन यह कर सकता है कि अमुक व्यक्ति को तीन साल की सजा हो गई है और उसकी अपील में डेढ़ साल की सजा माफ कर दी गई तो शासन फिर से कानून लाये कि जो डेढ़ साल की सजा दी गई थी वह 3 साल की ही कर दी जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री कान्स्टीट्यूशन उठा रहे हैं, मैं यह कहता हूँ कि वे उसके पन्ने पलट कर देख लें कि जो आपने कहा वह कहाँ तक उचित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर एक बात कही गई। इन्दौर से आये हुये माननीय सदस्य ने कहा कि पर्सनल लेजिस्लेशन मल्टीप्लाई होने लगा है। उन विधायक ने यह माना है, इस विधेयक में यह माना कि इस लेजिस्लेचर को, इस पर्टीकुलर सेल्स टैक्स का जहाँ तक सवाल है, उसमें लेजिस्लेट करने का पूरा अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूँ और जैसा कि इन्दौर से आये हुए उन विधायक ने कहा कि खण्ड 4 में आपका वह परपज सर्व हो जाता है।

इसके बाद सेक्शन फाइव को आप जिस तरह से पकड़े बैठे हैं, उस पर आपत्ति है और वह इस आधार पर है कि हम देख रहे हैं, और जगह की बात तो जाने दीजिए, हमारे यहाँ की विधानसभा के लिए यह बात एप्लाई होती जा रही है, यह तीसरा केस है जब कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कानून लाया जा रहा है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा विधि मंत्री का और शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि अगर आपने इस तरह का रवैया अख्तियार किया है तो इसकी कोई सीमा न रहेगी। हो सकता है कि कल इस प्रदेश में ऐसी कोई सरकार आये जिसके लिये इतनी भी नैतिक सीमाएँ न हों जितनी आपकी हैं। तब जो आज आप कर रहे हैं, उसे कल वह अनैतिक शासन प्रेसिडेंस मानेगी। जो गलतियाँ पिछले दिनों कानून पास करने में हुईं उनको सुधार लेने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। कोई भी परम्परा एक दिन में नहीं, सैकड़ों और हजारों वर्षों में बनाने से बनती है। आज हम देश में प्रजातंत्र की नींव डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम ऐसी परम्पराओं की नींव न डालें जो प्रदेश की ही नहीं देश की, जनतंत्र की परम्पराओं के अनुकूल न हों और जिसके लिए लाचार होकर लोगों को यह कहना पड़े कि न तो हमें प्रजातंत्र पर विश्वास है न प्रजातंत्र के सिद्धान्तों पर विश्वास। मनतंत्र के आधार पर जो कुछ कहते हैं वही मनवाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि जिनको न मानना हो वह बाहर जाएँ। हम बाहर भी जायेंगे लेकिन इस तरह कितने लोग बाहर जायेंगे। आज एक बाहर जायेगा, कल दस, परसों सौ और इस तरह से संख्या बढ़ती जायेगी। क्या सदन को यह ज्ञात नहीं है कि एक वह समय आ सकता है जब कि व्यापक

असंतोष फैले जिसको रोकने की सामर्थ्य आप में न हो। हम लोगों का सम्बन्ध तो आ ही नहीं सकता।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई / 10 अप्रैल 1958/ पृष्ठ- 2264, 2265, 2266, 2267, एवं 2268)

सदस्य श्री भाईलाल के प्रश्न और सरकार के उत्तरों के बीच अत्यन्त सूक्ष्म पूरक प्रश्न पूछते हुए श्री अर्जुनसिंह। एक दिलचस्प प्रश्नोत्तर —

श्री भाईलाल : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंहावल राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ने अपने कार्यकाल में अब तक कौन-कौन सी सड़क बनवाई? (ख) क्या उसी मार्ग में कोई सड़क तहसील द्वारा भी बनाई गई थी? (ग) क्या उसी सड़क को सेवा खण्ड अपनी सड़क घोषित कर रहा है?

डॉ कैलाशनाथ काटजू : (क) सूची संलग्न है। (ख) हाँ। (ग) जी नहीं। तहसील द्वारा निर्मित कच्ची सड़क के सम्पूर्णतः नष्ट हो जाने के उपरान्त विकास खण्ड ने दो सड़कों का नव-निर्माण किया।

श्री भाईलाल : जो सड़कें तहसील द्वारा बनाई गई थीं और जिनको दुबारा बनवाया गया वे सड़कें कौन सी हैं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : ये दो सड़कें तहसील द्वारा बन चुकी थीं लेकिन जब ये बिलकुल मिट गई थीं तो ब्लॉक द्वारा बनवाया गया।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : परिशिष्ट 'क' में जो यह 14 सड़कों के नाम दिये हैं इनमें से कौन-कौनसी सड़कें ऐसी हैं जिनको तहसील ने बनवाया था और फिर वे ब्लॉक द्वारा बनवाई गईं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : इसके लिये पूर्व सूचना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : आपने बताया कि जहाँ-जहाँ सड़क मिट गई थी उसको दुबारा बनवाया गया तो यह मिट जाने का क्या मतलब है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : कच्ची सड़कें थीं, आमतौर से बरसात में कच्ची सड़कें कट जाती हैं।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : क्या शासन ने इस बात की कोई जाँच की कि ये सड़कें दरअसल मिट गई थीं या नहीं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : मेरे ख्याल से जाँच करने से पहले उस सड़क पर चलने वाले लोगों ने पहले ही मालूम कर लिया होगा और गालिबन जनाब को भी मालूम रहा होगा।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शासन द्वारा यह जाँच की गई थी कि वास्तव में ये सड़कें मिट गई थीं या ब्लॉक वालों ने रुपया खाने के लिए लिख दिया?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : जब यह सड़क मिट गई और दूसरी बनी तो जाहिर है कि बगैर मिटे दूसरी सड़क कैसे बनती?

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : शासन ने इसकी कोई जाँच की थी या नहीं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : यह तो मैं नहीं कह सकता कि उसकी जाँच की गई या नहीं लेकिन दोनों के बारे में जाँच हुई होगी।

श्री होमी एफ. दाजी : इन 14 सड़कों के बारे में जवाब में कहा गया है कि सूचना चाहिए। उत्तर में यहाँ लिखा हुआ है कि तहसील द्वारा निर्मित कच्ची सड़क के सम्पूर्णतः नष्ट हो जाने के बाद दो सड़कें बनाई गईं तो यह बगैर सूचना के कैसे जवाब दिया गया?

अध्यक्ष : क्या उन्होंने सूचना माँगी है?

श्री होमी एफ. दाजी : जी हाँ। श्री जगदीशचन्द्र जोशी के प्रश्न में यह जवाब दिया कि सूचना चाहिए जबकि जवाब में ऑलरेडी लिखा है कि कर्च्ची सड़कों के सम्पूर्णतः नष्ट हो जाने के उपरान्त दो नव सड़कों का निर्माण कराया गया तो क्या यह गलत है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : मैं इसके बारे में यह अर्ज करना चाहता हूँ कि जाँच की थी।

श्री होमी एफ. दाजी : जो दो सड़कों में बताया गया कि नई बनवाई गई हैं वे कौन-कौनसी हैं।

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : बाकी चितौरिया पतलुखी,

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि अभी इसी के जवाब में मौलाना साहब ने कहा था कि सूचना चाहिए और अब इस वक्त कैसे सूचना मिल गई जो नाम बताए गए हैं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : आप समझ लें कि मुझे इलहाम हुआ है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : क्या सभापति, ग्राम पंचायत पतलुखी और बघौड़ी दोनों ने मुख्यमंत्री जी के पास इस आशय का एक पत्र भेजा था कि दोनों सड़कें ये खराब नहीं हैं और इसको बिना बनवाये ही ब्लॉक डेवलपमेंट वालों ने लिख दिया कि सड़कें बनवाई गई हैं।

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : इसके लिये पूर्व सूचना की जरूरत है।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : क्या यह सच है कि ये जो दो सड़कें ब्लॉक की लिस्ट में बताई गई हैं, वे तहसील द्वारा पहले बनाई गई थीं, उन पर ब्लॉक ने मरम्मत की? ब्लॉक ने फर्जी हिसाब बनाकर अपनी लिस्ट में दिया है, उनको बनाया नहीं?

अध्यक्ष : इसका उत्तर दिया है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : जो सड़कें तहसील से बनी हुई थीं उन पर मरम्मत की बात छोड़कर, क्या 10 जनवरी सन् 1957 को विस्तार सेवाखंड, सिंहावल ने इस आशय का प्रस्ताव किया कि उन स्थानों में कोई सड़कें नहीं हैं, हम नई सड़क बना रहे हैं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : इस बात को बगैर नोटिस के कैसे बताया जा सकता है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : वे कितने प्रश्नों की सूचना यहाँ चाहा करते हैं?

(उत्तर नहीं दिया गया)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अप्रैल 1958/पृष्ठ -2326,2327,2328)

सदस्य श्री कपिलदेव नारायणसिंह के मूल प्रश्न पर एक दिलचस्प प्रश्नोत्तर- प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं -

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरगुजा जिले में स्थानीय विकास योजना के अंतर्गत (लोकल डेवलपमेंट स्कीम) 1 - अंबिकापुर, 2 - सूरजपुर, 3 - पाल (रामनुजगंज), 4- कुसुमी, 5- बैकुण्ठपुर, 6- मनेन्द्रगढ़ तथा 7- जनकपुर तहसील में (तहसीलवार) छोटी सिंचाई के बाँध और तालाबों के निर्माण हेतु कितने कार्य तथा किन-किन गाँव में 57-58 में स्वीकृत किये जा चुके हैं? (ख) किन स्थानों में कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? (ग) कार्य आरंभ किये गये स्थानों के अतिरिक्त और कितने गाँवों के आवेदन-पत्र (तहसीलवार) अगले वित्तीय वर्ष के हेतु विचाराधीन है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) कोई कार्य स्वीकार नहीं किये गये। (ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) तहसील रामानुजगंज के दो ग्रामों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 1958-59 में विचार किया जावेगा।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : उत्तर दिया गया है कि कोई कार्य स्वीकार नहीं किया गया। किन कारणों से कोई कार्य स्वीकार नहीं किया गया?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : वह हमारे पिछले साल के प्रोग्राम में नहीं आया था, इसलिये।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : मैं जानना चाहता हूँ, पिछले साल लोकल डेवलपमेंट फण्ड के लिये कोई रुपया रखा था और जिला अधिकारियों को दिया गया था या नहीं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : जी हाँ, लेकिन सिर्फ इसके लिये ही कोई रुपया बजट में नहीं रखा था।

श्री प्रीतराम कुर्रे : क्या शासन की यह मंशा थी कि वहाँ कार्य चालू हों?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : इरादा तो पूरे प्रदेश में ब्लॉक खोलने का है लेकिन प्रोग्राम के मातहत खुलते हैं जो वक्त पर तय किया जाता है, पहले से नहीं।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : मेरा प्रश्न है लोकल डेवलपमेंट फण्ड के बारे में और मंत्री जी एन.ई.एस. ब्लॉक के बारे में बता रहे हैं। शायद उनको गलतफहमी हो गई है। उत्तर लोकल डेवलपमेंट फण्ड के बारे में चाहा गया है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : इसके लिये सूचना चाहिये।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : मेरा प्रश्न लोकल डेवलपमेंट फण्ड के बारे में है, सूचना किस बात की चाहिये?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : मैं रकम फिलहाल नहीं बता सकता लेकिन वहाँ काम करने की मर्जी है।

श्री कपिलदेव नारायणसिंह : केवल जुबानी मर्जी है या रुपया देकर काम कराने की मर्जी है।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : मैं अम्बिकापुर गया था और वहाँ अपना हृदय छोड़ आया हूँ। जहाँ तक बन पड़ेगा काम बहुत जल्दी होगा, आप विश्वास रखें।

श्री अर्जुनसिंह : मुख्यमंत्री जी अपना कोमल हृदय अम्बिकापुर से कब वापस मँगायेंगे और रुपया भेजेंगे ताकि काम हो सके?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : मेरा तरीका है कि हृदय वापस नहीं लेता हूँ, देता रहता हूँ।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : जितना हृदय है वह देते रहते हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : इस दिल के टुकड़े हजार हुए।

श्री रमाकान्त खोड़े : क्या यह सच है कि हर एक जिले में लोकल डेवलपमेंट फण्ड के लिये रुपया दिया जाता है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : जब आपने मंजूर किया कि हर एक जिले में लोकल डेवलपमेंट फण्ड के लिये रुपया दिया जाता है तो वैसी हालत में इस जिले में लोकल डेवलपमेंट फण्ड के लिये रुपया है या नहीं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ मशरिकी : है, लेकिन तादाद नहीं बता सकता।

श्री अर्जुनसिंह : इस वर्ष कोई काम करने का प्रोग्राम है?

अध्यक्ष : मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी के उत्तर के पश्चात् अब इस प्रश्न के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2333-34)

श्रम मंत्री श्री वी.वी. द्रविड़ द्वारा 11 अप्रैल 1958 को प्रस्तुत और प्रवर समिति को सौंपे गये विधेयक "मध्यप्रदेश दुकानों एवं स्थापनाओं संबंधी विधेयक 1958 (संख्या 1, 1958)" पर सदन में चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा कि श्रम विभाग के कार्यालय में हुई पदोन्नतियों में पक्षपात बरता गया है। यह पक्षपात महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश और भोपाल के अधिकारियों को सौतेली दृष्टि से देखकर किया गया है। इन आरोपों का जवाब देते हुए श्रम मंत्री श्री द्रविड़ ने कहा कि हम पहले सीनियारिटी देखते हैं फिर पुराने रिकार्ड देखते हैं।

श्री द्रविड़ के सीनियारिटी वाले जवाब पर जागरूक निर्दलीय विधायक श्री अर्जुनसिंह ने मुद्दे की बात पर टोकते हुए कहा - "आपने परिवर्तन किसी भी आधार पर किये हों लेकिन जब तक कि इन्टीग्रेशन ऑफ सर्विसेज नहीं हो जाता, क्या आप सीनियारिटी फिक्स कर सकते हैं?"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/14 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2489)

गैर सरकारी विधि विषयक कार्य के अन्तर्गत श्री विमलकुमार चौरड़िया द्वारा प्रस्तुत "मध्यप्रदेश पशु-पक्षी बलिदान निषेध विधेयक" पर चर्चा पुनः सदन में ग्राह्य हुई। इस चर्चा में सदस्य श्री तुलाराम सगर (शिवपुरी, संरक्षित स्थान) ने भी अन्य सदस्यों के साथ बहस में हिस्सा लिया। श्री तुलाराम सगर ने अपने भाषण में एक स्थान पर कहा -

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूँ कि यह बलिदान वास्तव में होना तो नहीं चाहिए लेकिन बलिदान ही हिंसा नहीं है, जीवों को सताना भी हिंसा है, दुख देना भी हिंसा है, अपशब्द कहना भी हिंसा है। मैं माननीय सदस्यों से बार-बार प्रार्थना करता हूँ कि अपशब्द कहना भी हिंसा है। माननीय सदस्य इन बातों को सोचते ही नहीं। होना यह चाहिये कि हमारे एम.ए., बी.ए. जैसे पढ़े-लिखे लोगों को किसी भी प्राणी के ऊपर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं

करना चाहिये लेकिन हमें बड़ा अफ़सोस होता है, रंज होता है, बड़ा दुख होता है, उनके शब्दों को सुनकर, जब इस सदन में ऐसे शब्द कहे जाते हैं जो उनको और इस सदन को शोभा नहीं देते हैं। मैं उन शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, उन्हें माननीय सदस्य स्वयं ही समझ लेंगे। क्यों माननीय सदस्य ऐसी बातें कहते हैं? मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करता। अकलमंद को डलिया दी जाती है लेकिन कंडा बीनने को नहीं कहा जाता। उसे खुद ही समझें।

श्री सगर के इन शब्दों पर श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया -

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय सदस्य के कहने का मतलब क्या यह है कि माननीय सदस्य जिन्होंने यह बिल लाया है वे सदन में हिंसा करते हैं?

श्री तुलाराम सगर ने आगे बोलते हुए कहा -

"एक बात और है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इस विधेयक को लाये हैं, उनकी यह दशा है कि जिस किसी आदमी को सन्निपात की बीमारी होती है, जो बार-बार उठ-उठकर बाहर भागता है और बिस्तर पर नहीं रहना चाहता है, क्योंकि उसको घबराहट लगती है और जब डॉक्टर उसके पास आता है तो वह समझता है कि यह दवाई पिलायेगा, इसलिए उसको भगा देता है और दवाई नहीं लेता है और जब किसी तरह से उसको दवाई दी जाती है और वह अच्छा हो जाता है तो फिर अपनी गलती पर पछताता है, अपनी गलती को महसूस करता है। इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस बिल को लाने के लिए पछतावेंगे और महसूस करेंगे कि मैंने बड़ी गलती की।"

इस पर माननीय सदस्य श्री विश्वनाथ वासुदेव अयाचित ने कहा -

"क्या माननीय सदस्य का यह मतलब है कि माननीय सदस्य को भी सन्निपात हो गया है?"

इस पर चुटकी लेते हुए माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह बोले -

"माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ज्यादा न बोलें नहीं तो उन्हें भी सन्निपात हो जायेगा।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2860-62)

श्री तुलाराम सगर अपना भाषण जारी रखे हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय ने उन्हें पाँच बजे तक बोलने की छूट दे रखी थी जब वे कहानी-किस्सों के जरिये अपना भाषण बढ़ाये जा रहे थे तब श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया -

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं, वह इस बिल से कदापि संबंध नहीं रखती है। क्या इस तरह से चर्चा हो सकती है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं हो सकती।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2863)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रदेश विधि विस्तार विधेयक, 1957 (संख्या 32, 1957) (नम्बर 32 ऑफ 1957) पर विचार शुरू हुआ।

यह एक बहुत बड़ा विधेयक है। करीब 87 कानून इस विधेयक के द्वारा राज्य में लागू किये जा रहे हैं। उन पर विस्तारपूर्वक विचार का मौका सदन में नहीं होता। इसलिये सदन ने स्वीकृति दी थी कि इस पर प्रवर समिति विचार करे और सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मध्यप्रदेश विधि विस्तार विधेयक, 1957 को प्रस्तुत करते हुये विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल

शर्मा ने 29 नवम्बर 1957 को सदन में कहा - "यह जो विधेयक मैंने प्रवर समिति के पास जाने के लिये यहाँ प्रस्तुत किया है यह बड़े महत्व का विधेयक है। मैं समझता हूँ सदन भी इसे महत्व का विषय समझता है क्योंकि इसमें तमाम कानूनों में एकता लाने की बात कही गई है। मध्यप्रदेश के अलग-अलग भागों में जो अलग-अलग कानून आज तक प्रचलित हैं उन सबको मिलाकर एकीकरण किया जा रहा है। इस दृष्टि से भी यह जरूरी हो जाता है कि जब यह एक नया प्रदेश बना है तब इस नये प्रदेश के लिये एक से कानून हों। इस विधेयक में इसी बात का प्रयास किया गया है। जो कानून अलग-अलग क्षेत्रों में प्रभावित थे, उन्हें सभी जगह लागू किया जाये, उसके लिये यह कदम उठाया जा रहा है। साथ ही आवश्यक अमेंडमेंट भी किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि सदन इस विधेयक का स्वागत करेगा। चूँकि यह प्रश्न कानून का है, इसलिये इस पर पूरी तरह से विचार किया जा सके और जल्दी से पास हो सके, इस दृष्टि से इसमें कोई कन्ट्रोवर्सी की चीज नहीं है। इसे सिलेक्ट कमेटी को इसलिए सौंपा जा रहा कि वह इसके हर पहलू पर अच्छी तरह से गौर कर सके। सिलेक्ट कमेटी के पास से आने के बाद इस पर सदन में विचार होगा। मैं तो यह चाह रहा था कि यह विधेयक इसी सत्र में पास हो जाता तो ठीक रहता। मैं यह भी जानता हूँ कि सदन की भी यही भावना है कि जल्दी से जल्दी पास होकर लागू हो जाये लेकिन इसे प्रवर समिति को भेजना भी जरूरी है ताकि वह इस पर बारीकी से गौर कर सके और सदन का समय भी इससे बच जायेगा।"

इसको जिस प्रवर समिति को सौंपा गया, उस 15 सदस्यीय (विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा को मिलाकर) प्रवर समिति के सदस्य के रूप में श्री अर्जुनसिंह ने अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। जैसा कि बहस के पश्चात् 3 दिसम्बर 1957 को प्रस्ताव पारित हुआ कि उपरोक्त विधेयक पर प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रस्तुत करेगी, प्रवर समिति ने 1958 के बजट सत्र में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और उस पर चर्चा जारी रही। 22 अप्रैल को जब सदन में प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा जारी रही -

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : ... जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ग्रामीण जनता की संपत्ति पशु व जानवर होते हैं इसलिये यह बिल ग्रामीण जनता के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रामों की दशा और व्यवस्था को देखते हुए हर चीज का ठीक से प्रावधान होना चाहिए। किसानों को फुरसत नहीं होती, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वे बड़ी-बड़ी कचहरियों में जाकर न्याय प्राप्त कर सकें। आपने छोटे-छोटे अधिकार भी ग्राम पंचायतों को नहीं दिये हैं। यह सब अधिकार मजिस्ट्रेट को दे रखे हैं। किसी की मवेशी ने किसी की फसल का नुकसान कर दिया है तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास पहुँचे तभी उसको न्याय मिल सकता है। गाँवों के लोग इतनी दूर तक आने में घबराते हैं। वे चालीस-चालीस मील दूर नदी-नाले पार करके अदालत में पहुँचें, फिर न्याय प्राप्त करें यह ठीक नहीं है। ऐसे छोटे-छोटे मामलों में तो ग्राम पंचायतों को अधिकार मिल जाना चाहिए।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह की ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये जाने संबंधी माँग पर तुरंत सजग विधिवेत्ता की तरह खड़े होकर श्री अर्जुनसिंह ने उन्हें सूचना दी -

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को दिया गया था। उसने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जिस डिवीजन में फैसले ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाते हैं वहाँ पर ग्राम पंचायतों द्वारा ही किये जायेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2937)

इस पर सदस्य श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह ने कहा कि "जैसी जानकारी माननीय सदस्य ने दी है कि सिलेक्ट कमेटी ने यह संशोधन किया है, उसके लिये मैं कमेटी तथा सदस्य दोनों को धन्यवाद देता हूँ।"

इसी प्रकार आगे सदस्य श्री शाकिर अली खाँ के वक्तव्य के दौरान श्री अर्जुनसिंह ने एक और त्वरित सूचना दी जो उनकी सक्रियता की परिचायक है।

श्री शाकिर अली खाँ : मैं तफ़सीली तौर पर कह रहा हूँ और अपनी राय जाहिर कर रहा हूँ, यह जो कानून पेश है उसमें म्युनिसिपेलिटी के बारे में कोई इख्तियारात की तकसीमी नहीं है। जो बाडी शहर के इन्तजाम की जिम्मेदार है वह इख्तियार न होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती। लाउडस्पीकर से बोलने की परमिशन देने का इख्तियार म्युनिसिपेलिटी को है लेकिन उसकी सिफारिश करने का इख्तियार पुलिस को दे रखा है। पुलिस की बगैर सिफारिश के इजाजत नहीं मिल सकती। जब तक पुलिस इजाजत नहीं देगी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।

श्री बाबूलाल मौर्य : क्या यह म्युनिसिपल एक्ट के अधीन आता है? यह मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पुलिस एक्ट में म्युनिसिपेलिटी के कन्ट्रोल करने का है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 2941)

इस मध्यप्रदेश विधि विस्तार विधेयक, 1957 पर हुई बहस में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। जिसमें वे एक अध्ययनशील विधायक के रूप में सामने आते हैं-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल की प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये मुझ पर कुछ पाबंदियाँ हैं और उन पाबंदियों के भीतर मैं सदन में कुछ बातें रखना चाहता हूँ जो कि प्रवर समिति में इस कारण नहीं रखी जा सकीं क्योंकि वहाँ पर प्रवर समिति का स्कोप लिमिटेड था और इस बात को उठाने के बावजूद भी इस तर्क को वहीं मानना पड़ा कि प्रवर समिति के अन्दर वह बात नहीं लायी जा सकती और इसी वजह से अध्यक्ष महोदय, मैंने उस पर कोई नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं दिया। लेकिन वह ऐसी बात है जिसे मैं चाहता हूँ सदन सोचे और माननीय विधि मंत्री भी सोचें।

(उपाध्यक्ष महोदय ने 3.26 बजे अध्यक्ष का आसन ग्रहण किया)

उपाध्यक्ष महोदय, इस नये मध्यप्रदेश के गठन के बाद इस प्रान्त ने एक नये राज्य को जन्म दिया और यह स्वाभाविक है कि शासन यह समझे और इस सदन का भी यह मत हो कि इस प्रदेश के कानूनों में समानीकरण किया जाये। इस इच्छा को सर्वोपरि रखते हुये भी कुछ बातें ध्यान में रखना पड़ेंगी और वह यह कि यदि हम हर बिल के कन्टेन्ट्स को देखें तो मालूम होगा कि ज्यादा नहीं तो कम-से-कम 75 प्रतिशत ऐसे कानून हैं जो कि या तो 19वीं शताब्दी में बनाये गये थे या इस शताब्दी की शुरूआत में बनवाये गये हैं। उन कानूनों के बनाने में क्या पृष्ठभूमि थी, क्या तर्क थे, वे उस समय के लिये उपयुक्त थे। आज स्वतंत्र होने के उपरान्त हम लोगों के प्रदेश में और पूरे देश में शासन के ऑब्जेक्टिब्ज में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया है। जो चीज सन् 1861 में या 1898 में एक विदेशी सत्ता अपना शासन कायम रखने के लिये जस्टीफाई कर सकती थी, आज इस देश में एक वेलफेयर स्टेट उन कानूनों को जस्टीफाई करने के लिये उन्हीं तर्कों का प्रयोग नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ इस बात को माननीय विधि मंत्री मानेंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुये भारत सरकार ने एक लॉ कमीशन नियुक्त किया है जो भारत के अटार्नी जनरल श्री सीतलबाड की अध्यक्षता में काम कर रहा है। उनके सामने पूरे देश के कानूनों की रचना, उनकी पुनरावृत्ति का कार्य देश की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल लाने का कर्तव्य था और उसका भार उनके ऊपर रखा गया। सबसे पहले कमीशन ने, जिसके ऊपर, मैं समझता हूँ बड़ा भारी काम है, एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें उन कानूनों की पृष्ठभूमि में न जाते हुये इतने खुले शब्दों में लिखा है कि एक लेजिस्लेचर को, आज के शासन को यह समझकर कि जो कानून पिछली शताब्दियों से चला आ रहा है वह आगे भी चलता जाये यह कहाँ तक उचित है और उन्होंने इनडायरेक्ट रेफरेन्स दिया है कि इस प्रकार की प्रणाली को थोड़े दिनों के लिये स्थगित रखा जाये। माननीय अध्यक्ष, मैंने यह बात प्रवर समिति में भी कही थी कि दैव योग से ऐसा अवसर

आ गया है जब कि हम नये प्रदेश के कानूनों का समानीकरण करने जा रहे हैं तो फिर क्यों न इस अवसर का लाभ उठाकर हम सौ बरस पहले के उन कानूनों को लागू करने के बजाय थोड़ा रुक कर यह देखें कि आज भी उन कानूनों की आवश्यकता है या नहीं। सिलेक्ट कमेटी में तो स्कोप बहुत लिमिटेड था। वहाँ मैं कुछ नहीं कह सका लेकिन यहाँ सदन के समक्ष कहना चाहता हूँ कि जितने कानून इसमें दिये हुये हैं उनमें से शायद ही कुछ ऐसे होंगे जिनको आज प्रदेश में न लगाये जाने से शासन के कार्य में बड़ी कठिनाई आने वाली है, बाकी सब ऐसे कानून हैं जो डेड लेटर रहते हैं और जो शासन द्वारा उस वक्त काम में लाये जाते हैं जब कोई एक्सटरा आर्डिनरी सिचुएशन खड़ी होती है। इसलिये मैं समझता हूँ कि विधि मंत्री इस ओर ध्यान देंगे कि शीघ्र ही इन कानूनों को फिर से रिवाइज करके एक नया कानून इस सदन में लाने की चेष्टा करेंगे जो कि आज की परिस्थिति के अनुकूल हो। दूसरी बात सिलेक्ट कमेटी के सामने यह थी, वह यह है कि इन कानूनों को यहाँ पर एक्स्टेंड करते वक्त कितनी हद तक अमेंड किया जा सकता है। वैसे तो जनरल प्रिंसिपल सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में दिया हुआ है कि जब कभी कोई कानून एक्स्टेंड हुआ है तो सिवाय माइनर टेक्नीकल वर्ड के इसमें कोई ऐसा मूलभूत परिवर्तन नहीं होना चाहिये जिससे कि उसका पूरा आशय ही बदल जावे और इसी बात को मद्देनजर रखते हुये प्रवर समिति ने यह उचित समझा कि ऐसे कोई भी संशोधन इन कानूनों में न आने पावें जिनसे कि नयी चीज का समावेश किया सके। इस बात को सामने रखते हुये यह सिफारिश की गई कि अगर आप ऐसा कोई कानून यहाँ लाना चाहते हैं तो उसको अलग से लायें जिससे सदन उस पर अलग से चर्चा कर सके। अगर इन 80 कानूनों में एक और जोड़कर 81 कर देंगे तो सदन को अधिकार होगा कि वह इस पर अच्छी तरह से चर्चा करे जो कि हमेशा करता रहा है। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहता हूँ और वह यह है कि जैसी कि कुछ माननीय सदस्यों ने यहाँ पर आलोचना की और खासकर पुलिस एक्ट को मद्देनजर रखते हुये, उससे तो मैं सहमत हूँ लेकिन जिस तरीके को उन्होंने इंगित किया कि उस वक्त यह सेक्शन निकाला जा सकता था, तो मैं समझता हूँ कि लॉजिक यह परमिट नहीं करता था क्योंकि एक तरफ जब हम शासन को इस बात से रोकते हैं कि आप इन कानूनों में कोई अमेंडमेंट न लायें ताकि सेपरेट इनेक्टमेंट का स्कोप हो तब दूसरी तरफ हमारी भी जवाबदारी होती है कि हम अपने आप उनमें ऐसे संशोधन न कर दें जो पूरे कानून को बदल दें। इस कारण से मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति ने संशोधन नहीं किया। अब रह गई पर्टिकुलर सेक्शन की बात, तो यह बात बहुत स्पष्ट है जैसा कि रीवा से आये हुये विधायक ने कहा कि यह स्वतंत्र देश की स्टेच्यूट बुक में रहने लायक नहीं है। इसका सुधार कब होगा, यह मैं माननीय विधि मंत्री पर छोड़ता हूँ और मुझे आशा है कि ऐसे जितने भी सेक्शन होंगे, इन 80 कानूनों में, जो आप लागू कर रहे हैं और जो आज की परिस्थिति में न तो अनुकूल है और न शोभनीय है उनको इसमें से निकालने का तुरन्त ही विधेयक सदन में लायेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/22 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2942 से 44)

मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा के प्रश्नोत्तर के दौरान श्री अर्जुनसिंह ने एक विनोदपूर्ण पूरक प्रश्न किया-

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : (क) क्या उद्योग मंत्री महोदय यह वताने की कृपा करेंगे कि मल्हारगढ़ ब्लॉक के क्षेत्र में माल सीड़ा ग्राम में कितने सांड सरकार द्वारा रखे गये हैं? (ख) क्या उक्त सांडों में दो सांड बेकार हैं? (ग) यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त बेकार सांडों को वदलने की कार्रवाई कर रहा है?

श्री तख्तमल जैन : (क) तीन। (ख) हाँ। (ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : जब शासन को यह ज्ञात हो चुका है कि यह सांड वेकार हैं, फिर आप किस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं? क्या इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि उनको वदलना है या नहीं?

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान : उत्तर में वताया गया है कि तीन सांड सर्विस के लायक नहीं हैं। प्रश्न

विचाराधीन है यह कि उन्हें जो बीमारी हो गई है, वह शायद दूर हो सके, उसके लिये उपचार हो रहा है, यदि वह बिलकुल बेकार हो चुके हैं तो उनका क्या करें, इस पर भी विचार हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इनकी सर्विसेज इन्टीग्रेशन के लिये वेट कर रही हैं?

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : जिस अधिकारी द्वारा यह सांड लाये गये हैं जो सर्विस नहीं दे रहे हैं क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान : जिस समय ये सांड लाये गये थे उन्हें कोई बीमारी नहीं थी।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : यह कब से बेकार हैं?

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान : सन् 1956-57 से यह संतोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल मौर्य : क्या इनके इलाज की व्यवस्था की गई है?

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान : इलाज होता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 अप्रैल 1958/पृष्ठ 2973-74)

राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में विचार करने के लिए "मध्यप्रदेश आज्ञप्तियों के निष्पादन के अस्थायी विलंबन संबंधी विधेयक, 1958 (संख्या 16, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश टेम्पोरेरी पोस्टपोनमेंट ऑफ एक्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज बिल, 1958 (नम्बर 16 ऑफ 1958) विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए राजस्व मंत्री श्री मण्डलोई ने कहा-

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई (राजस्व मंत्री) अध्यक्ष महोदय, यह छोटा-सा विधेयक है परन्तु आवश्यक और महत्वपूर्ण है और मैं इस छोटे से विधेयक के बारे में जो जानकारी उद्देश्य और कारणों में बतायी है उसको यहाँ न दुहराते हुये सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि मध्यप्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है जहाँ बरसात की कमी के कारण, या बरसात ज्यादा होने के कारण ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, जब सूखे के संबंध में या किन्हीं अन्य कारणों से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तब उस स्थिति में शासन द्वारा कुछ राहत के काम किये जाते हैं जैसे कि लगान, तकावी की वसूली मुल्तवी कर और राहत के काम खोले जाते हैं, परन्तु जो किसान वर्ग है उनके ऊपर साहूकारी कर्जे की डिक्री होती है और साहूकारों को कानून के अन्तर्गत डिक्री की रकम वसूल करने का अधिकार है। प्रश्न यह है कि उन्हें साहूकारों से संरक्षण देने की आवश्यकता है, इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। विधेयक की मंशा यह है कि ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों को संरक्षण दिया जा सके व उनसे रकम वसूल न की जावे।

इस विधेयक में स्पष्टीकरण किया गया है तथा यह बताया गया है कि किन्हें किसान वर्ग माना जावेगा। कौन-सी डिक्री जारी करने में अड़चन नहीं होगी, उसकी भी चर्चा की गई है और मैं समझता हूँ कि कानून यह हमारे काश्तकार वर्ग के लिए हितकारी है। इसलिए आशा की जाती है कि इस पर तुरन्त विचार होकर यह विधि बनेगा, ऐसी प्रार्थना करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3045-46)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने उपरोक्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये शासन को बधाई दी तथा उसके जनहितकारी दृष्टिकोण की सराहना की। रचनात्मक दृष्टिकोण के धनी श्री अर्जुनसिंह का लघु वक्तव्य इस प्रकार है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूँ जिन्होंने समय की गति को पहचान कर इस विधेयक को सदन में लाया है और इसके जो ऑब्जेक्ट्स और रीजन्स बताये गये हैं वह विशेषतः सही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर

इसको अमल में लाया जावेगा तो हमारे क्षेत्र के गरीब किसानों को राहत मिलेगी। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान क्लॉज 6 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें नोटिफिकेशन खत्म हो जाने के बाद, 12 महीने के बाद अगर वह आता है तो वह इन टाइम मान लिया जावेगा। इससे यह होगा कि आपने एक साल का नोटिफिकेशन निकाला अगर उसको दो इन्स्टॉलमेंट्स देना हैं तो वह दोनों इन्स्टॉलमेंट्स उसको एक साल में ही देना होंगे। मैं समझता हूँ कि राजस्व मंत्री इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे और वह दोनों इन्स्टॉलमेंट्स 12 महीने में ही न देना पड़ें इसलिए उसकी मियाद 12 से 24 महीने रखी जावे तो अच्छा होगा।

इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सरकारी लगान का सवाल है, इसका प्रॉवीजन दूसरे एक्ट में है, यह माननीय मंत्री कह सकते हैं लेकिन, इसका इस्तेमाल किस परिस्थिति के अनुसार किया जाये? इसके बाद जहाँ सवाल आता है तकावी और लोन्स, जो काश्तकारों को दिया जाता है, वर्षा से फसल नष्ट हो जाती है, उसका मोडिफिकेशन इसमें होना चाहिए। अगर इसका मोडिफिकेशन इस कानून में कर दिया जाये तो उपयुक्त होगा, जिससे उस एरिया को लाभ मिल सके।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3048)

शिक्षा पर एक प्रश्नोत्तर -

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : (क) क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा हनुमानगढ़ जिला सीधी में जूनियर हाईस्कूल के लिए क्या जनता द्वारा मकान बनवाया गया था? (ख) क्या मकान इस आश्वासन पर बना था कि जूनियर हाईस्कूल खोला जायेगा। (ग) क्या वहाँ जूनियर हाईस्कूल खोला गया है? (घ) यदि नहीं, तो वह कब तक खोला जायेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : (क) जी नहीं। तीन कमरे बनवाये गये थे, जिसमें 1/3 व्यय जनता ने किया, शेष शासन ने किया। (ख) जी नहीं। ऐसा कोई आश्वासन दिया गया नहीं पाया जाता। (ग) जी नहीं। (घ) यह नहीं कहा जा सकता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या यह सही है कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में एक तिहाई जनता की तरफ से और दो तिहाई गवर्नमेंट की तरफ से पैसा खर्च करके बिल्डिंग्स बनाने के बाद वहाँ जूनियर हाईस्कूल खोले गये थे?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : उस समय इन्स्टीट्यूशन की इमारत की जरूरत होती थी और इस अनुपात से इसको बनवाते थे लेकिन कहीं भी लोग इमारत बनवायें तो उसमें आम तौर से जूनियर हाईस्कूल या इन्स्टीट्यूशन खोलने की बात नहीं आती।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या यह सही है कि सीधी जिले के डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि वहाँ पर जूनियर हाईस्कूल खोला जावेगा तब भी वहाँ पर नहीं खोला गया है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : ऐसी कोई जानकारी शासन के पास नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : वहाँ के लड़कों की संख्या और वहाँ की आवश्यकता को देखते हुए क्या शासन आवश्यक नहीं समझता कि वहाँ पर एक जूनियर हाईस्कूल होना चाहिये?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मौजूदा स्थिति को देखते हुए अभी खोलना संभव नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कब तक संभव हो जावेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : आशा पर दुनिया कायम है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : कितने दिन में खुल जावेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : जब लोग अधिक सहयोग देंगे, शासन के पास रुपया खोलने के लिये हो जायेगा और जूनियर हाईस्कूल के योग्य विद्यार्थियों की संख्या हो जावेगी तो जरूर खोला जावेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपको और कितना सहयोग चाहिये उसके आँकड़े बतलाइये कि कितने लड़के होने चाहिये तो स्कूल खुलेगा?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : इसके लिये बहुत-सी बातें हैं। ये सब फुलफिल होने पर ही खुलेगा। विद्यार्थी ज्यादा हों, जनता का सहयोग अधिक हो, हमारे पास पैसे का प्रावधान हो तभी वहाँ पर जूनियर हाईस्कूल खोलने का प्रावधान होगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं चाहता हूँ कि आप कितने लड़के चाहते हैं और कितना सहयोग चाहते हैं वह सब हम देने को तैयार हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : सिर्फ दस हजार रुपया आप दे दें तो हमारे लिये कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी जूनियर हाईस्कूल के लिये दस हजार तो क्या पाँच हजार भी कहीं मिला है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : मैंने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि इसके लिये रुपये की जरूरत है। और अभी हमारे पास रुपये का प्रावधान नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बतला देना चाहता हूँ कि किसी माननीय सदस्य को कोई बात पूछनी है तो वे अलग से पूछ सकते हैं और इसके लिये अलग से एप्लीकेशन देकर और समय लेकर पूछ सकते हैं। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि क्या ये इस प्रकार से बहस कर सकते हैं?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि वहाँ पर कितनी संख्या लड़कों की हो और किस हद तक क्या-क्या चीजें हों इसके बारे में क्या कोई नियम है, तब कोई स्कूल खुल सकता है?

श्री तुलाराम सगर : प्वाइंट ऑफ आर्डर, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी तो क्या उसके बाद भी माननीय सदस्य को वही बात कहने को बार-बार उठना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी दे दूँ कि वहाँ पर कुल 127 विद्यार्थी हैं और वहाँ पर इमारत में 3 कमरे हैं जो केवल प्राथमिक शाला के लिये पूरे होते हैं तो उसके लिये व्यवस्था चाहिए जैसी जूनियर हाईस्कूल खुलने के लिये होगी। इस क्षेत्र में जो इलाके हैं उनमें उस समय जिनको प्राथमिकता मिल सकेगी, हम वहाँ खोलेंगे।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : कहीं स्कूल खोलने के लिए आपकी प्राथमिकता के क्या-क्या आधार होते हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैंने बार-बार बताया कि स्कूल खोलने के आधार स्पष्ट हैं, जिस क्षेत्र में जितनी इन्स्टीट्यूशन्स हों, हमारे पास खोलने की व्यवस्था हो, उस क्षेत्र में उनमें प्राथमिकता देखेंगे, उस प्राथमिकता में सबसे पहली बात है कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या है, कितने क्षेत्र को उससे लाभ हो सकता है, इसके अतिरिक्त वहाँ पर और कितने विद्यार्थी आ सकते हैं, वहाँ पर जन-सहयोग कितना मिल सकता है, इन तमाम बातों पर विचार कर निर्णय किया जावेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन को विदित हो चुका है कि इसी प्रदेश में ऐसा भी महाविद्यालय है जहाँ कि एक भी विद्यार्थी नहीं है और उस पर हजारों रुपया खर्च किया जाता है और आप कहते हैं कि एक जगह 127 छात्र हैं और वहाँ आप कुछ भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करना चाहते हैं?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : 127 विद्यार्थी जिस प्रायमरी स्कूल में हैं उसको जूनियर हाईस्कूल बनाने की बात नहीं जँचती है। जहाँ तक जनता कॉलेज का संबंध है उसके कॉलेज शब्द से आप भ्रमित न हों। वह एक विशेष प्रकार की इंस्टीट्यूशन है। विशेष प्रकार के कार्य के लिए केन्द्रीय शासन ने उसको दिया है। जनता कॉलेज और प्रायमरी स्कूल का मिलान करने से बड़ी गलती मेरी समझ में कोई नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : सावधान, सावधान, मैं समझता हूँ इस पर पर्याप्त अनुपूरक प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3060-62)

डॉक्टरों की प्राइवेट विजिट पर एक प्रश्नोत्तर -

श्री काशीराम तिवारी : भोपाल और विन्ध्यप्रदेश सरकार को यह फीस रेगुलेट करते वक्त किन-किन बातों

पर विचार करना पड़ा था?

अध्यक्ष : वह सवाल नहीं उठेगा।

श्री होमी एफ. दाजी : भोपाल और विन्ध्यप्रदेश में जो फीस रेगुलेट की है, वह क्या तय की है?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : अध्यक्ष महोदय, सिविल सर्जन- 8 रुपये सी.ए.एस. ग्रेड 1- दिन को 4 रुपया और रात को उसका दूना यानी आठ रुपये। सी.ए.एस. ग्रेड 2- दिन को 2 रुपये रात को 4 रुपये।

श्री वीरेन्द्रसिंह मण्डलोई : मैं जानना चाहता हूँ कि वर्किंग ऑवर्स में डॉक्टर फीस लेते हैं या नहीं?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है कि वे वर्किंग ऑवर्स में फीस लेते हैं।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : क्या वर्किंग ऑवर्स में फीस लेने की मनाही है?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : बाहर जाते हैं तो फीस लेते हैं लेकिन अस्पताल के भीतर फीस नहीं ले सकते।

श्री अर्जुनसिंह : क्या वर्किंग ऑवर्स में डॉक्टर लोग प्रायवेट विजिट कर सकते हैं?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : ऑर्डर ऐसा नहीं है लेकिन परिस्थितिवश अगर कोई जाते हैं, तब अलग बात है।

श्री नारायणसिंह जयवार : अस्पताल खुले रहने के समय फीस लेने की मनाही है, अगर बाहर जायें तो क्या फीस ले सकते हैं?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : यह सरकमस्टान्सेज पर डिपेण्ड करता है यदि ऐसी स्थिति आती है तो मैं समझती हूँ डॉक्टर को जाना चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3065-66)

पचमढ़ी पर एक प्रश्नोत्तर -

श्री नारायणसिंह जयवार : (क) क्या शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष प्रकाशन विभाग द्वारा पचमढ़ी हिल स्टेशन के लिये, जिसमें भ्रमणार्थी अधिक संख्या में आये, कितना और किस तरह का प्रचार किया गया? (ख) 1 अप्रैल 1957 से अब तक कितने भ्रमणार्थी देशी और विदेशी आये? (ग) विदेश से कौन-कौन से देशों के लोग आये?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : (क) समाचार-पत्रों के टूरिस्ट सप्लीमेंण्ट में एक सचित्र लेख प्रकाशित किया। (ख) 1,179 देशी व 26 विदेशी। (ग) इंग्लैन्ड, अमेरिका, जर्मनी, इटली, नार्वे तथा डेनमार्क।

श्री नारायणसिंह जयवार : जैसा कि उत्तर में बतलाया गया है कि एक सचित्र लेख प्रकाशित किया गया, तो क्या एक लेख पर्याप्त है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : पचमढ़ी में और भी प्रचार होता है।?

श्री नारायणसिंह जयवार : पचमढ़ी में कोई ठीक चीजें नहीं हैं और उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : वहाँ सब प्रकार की व्यवस्था है, वहाँ का स्टेशन पर्याप्त है और भारत के अन्य भागों से लोग वहाँ पर गर्मी बिताने के लिये आते हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, ऐसे लोगों के लिये पचमढ़ी काफी अच्छी जगह है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इसी बात को ध्यान में रखकर शासन यहाँ गर्मियों में जाता है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : पब्लिसिटी के लिये जाता है।

श्री होमी एफ. दाजी : क्या शासन वहाँ पर विधानसभा का सत्र गर्मियों में लगाने की व्यवस्था करेगा, जिससे हम लोग भी लाभ उठा सकें?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : विधानसभा के सत्र का लगाना तो संभव नहीं है क्योंकि उसके लिये भवन आदि की व्यवस्था संभव नहीं है यदि श्री दाजी वहाँ जाना चाहें तो उनकी वहाँ व्यवस्था की जा सकती है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3067-68)

एक और अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर -

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वित्तीय वर्ष 1956-57, में बिलासपुर के दलित वर्ग संघ को दिये गये 30,000 रुपये के अनुदान का हिसाब उसने प्रस्तुत कर दिया है? (ख) इस अनुदान के दिये जाने के पूर्व क्या संघ ने नियमानुसार शासन के साथ करार कर लिया था? (ग) क्या इस संघ को वित्तीय वर्ष 1957-58 में कोई अनुदान दिया गया है?

श्री गणेशराम अनन्त : (क) जी हाँ। (ख) नहीं। (ग) जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : कितने रुपये का अनुदान दिया गया था?

श्री गणेशराम अनन्त : 30,000 रुपये का।

श्री अर्जुनसिंह : अनुदान को प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ?

श्री गणेशराम अनन्त : 17 मार्च 1958 को अनुदान की लिपि प्राप्त हुई।

श्री अर्जुनसिंह : क्या शासन के पास 1956-57 के हिसाब की ऑडिटेड रिपोर्ट आयी थी उसके पश्चात् ही रकम दी गई थी?

श्री गणेशराम अनन्त : जी हाँ।

श्री राजारामसिंह : क्या इस संघ को 1955-56 में भी रकम दी गई थी? यदि हाँ, तो कितनी?

श्री गणेशराम अनन्त : 60,000 रुपये।

श्री राजारामसिंह : क्या संघ ने ऑडिटेड रिपोर्ट पेश की थी?

श्री गणेशराम अनन्त : जी हाँ।

श्री राजारामसिंह : क्या संघ ने अपनी योजनाएँ और प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की थी?

श्री गणेशराम अनन्त : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : जब 17 मार्च 1958 को संघ की ओर से आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था तो ऐसी हालत में प्राक्कलन समिति को इस प्रकार का साक्ष्य क्यों दिया गया था कि 19 मार्च 1958 तक न तो कोई आवेदन-पत्र आया और न कोई रकम दी गई?

श्री गणेशराम अनन्त : प्राक्कलन समिति के सामने जो साक्ष्य दिया गया था उसका मुझे पता नहीं है।

श्री राजारामसिंह : क्या प्राक्कलन समिति ने बिलासपुर के संघ को भी साक्ष्य देने का मौका दिया था?

श्री गणेशराम अनन्त : यह तो प्राक्कलन समिति ही बता सकेगी।

श्री सुन्दरलाल पटवा : इस दलित वर्ग संघ का अध्यक्ष कौन है और आवेदन-पत्र किसके द्वारा दिया गया था?

श्री गणेशराम अनन्त : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कैसे उठेगा?

अध्यक्ष : यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : 30 हजार की रकम किसके द्वारा स्वीकृत की गई थी?

श्री गणेशराम अनन्त : आवेदन-पत्र संघ के महामंत्री द्वारा दिया गया था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि 30 हजार की रकम की स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी?

श्री गणेशराम अनन्त : विभाग के पास स्कीम आती है और उसको स्क्रुटिनाइज किया जाता है और बाद में वित्त विभाग के पास भेजा जाता है, इसलिये किसके द्वारा दी गई यह कहना कठिन है क्योंकि विभाग और वित्त विभाग दोनों के द्वारा कार्रवाई की जाती है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : किस तारीख को यह रकम ड्रॉ की गई और किसके द्वारा की गई?

श्री गणेशराम अनन्त : यह रकम 31 मार्च 1958 को श्री रेशमलाल आँकड़े जी द्वारा ड्रॉ की गई।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा उत्तर दिया गया है कि आवेदन-पत्र 17 मार्च 1958 को प्राप्त हुआ, उसी सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन के पैराग्राफ 98 की ओर दिलाना चाहता हूँ।

श्री बाबूलाल मौर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि अन्दरूनी कार्रवाई के सम्बन्ध में क्या उल्लेख किया जा सकता है?

अध्यक्ष : बिलकुल उल्लेख नहीं किया जा सकता।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय के कहने का क्या तात्पर्य है? दिनाँक 17 मार्च 1958 को आवेदन-पत्र दिये गये हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया कि कोई रकम नहीं दी गई?

श्री गणेशराम अनन्त : अध्यक्ष महोदय, जो डायरेक्टर तथा शिक्षा सचिव ने एवीडेन्स दी है उनकी ट्रान्स्कराइब कॉपी नहीं आयी है, इसलिये कब कहा गया, किसने कहा, क्या कहा गया, यह मैं ठीक नहीं बता सकता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐस्टीमेट कमेटी सन् 1957-58 की रिपोर्ट का पैरा 98 मुझे पढ़ना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : पढ़िये।

विशेषाधिकार भंग होने की सूचना-

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट से हमको यह मानना स्वाभाविक है कि प्राक्कलन समिति ने लिखा है कि आवेदन-पत्र नहीं थे, प्राक्कलन समिति ने जनरल फाइन्डिंग दी है और आज मंत्री महोदय सदन में सूचना दे रहे हैं कि दिनांक 17 मार्च 1958 को प्रार्थना-पत्र आ चुके थे। यह सूचना इस बात को जाहिर करती है कि प्राक्कलन समिति के सामने जो एवीडेन्स दी गई वह करेक्ट नहीं थीं, वह एवीडेन्स फाल्स थीं। इस तरह से कमेटी का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है और कमेटी का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होने के कारण इस सदन का भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दे दें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3072-73)

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर -

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या लोक स्वास्थ्य मंत्राणी महोदय यह बताने की कृपा करेंगी कि 1957-58 के आय-व्ययक में सीधी जिले में भरतपुर ग्राम के लिये शासन द्वारा स्वीकृत 'क' श्रेणी का औषधालय अभी तक बन गया है या नहीं? (ख) यदि औषधालय अभी तक नहीं बना है, तो क्या इस वर्ष बनेगा?

श्रीमती रानी पद्मावती देवी : (क) जी नहीं। (ख) यह निश्चित रूप से बताना सम्भव नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3083)

उप मंत्री (वित्त) श्री मथुराप्रसाद दुबे ने मध्यप्रदेश सर्वमान्य विक्रयकर विधेयक, 1958 (क्रमांक 15, 1958) के पुनः स्थापन और प्रवर समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखा। इस पर चर्चा शुरू हुई। सदस्य श्री विमलकुमार चौरड़िया ने कहा कि "दो प्रतिशत से अगर आपको संतुष्टि नहीं होती और विधानसभा के संभी सदस्य यदि चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना के लिये 10 प्रतिशत सेल्स-टैक्स अमुक कमोडिटी पर लगाना चाहिये और आपके बहुमत को स्वीकार होता है तो जरूर करिये मगर परेशानी बढ़ाना तो मेरे मत से कोई भी विधानसभा सदस्य नहीं चाहेगा।" इस बात पर वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल और सदस्य श्री अर्जुनसिंह के मध्य चर्चा हुई। इसमें श्री अर्जुनसिंह ने कटाक्ष किया है -

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूँ कि सेल्स-टैक्स का जहाँ तक ताल्लुक है, कहीं भी 10 परसेंट नहीं है। क्या माननीय चौरड़िया जी इसका समर्थन करेंगे कि 10 परसेंट सेल्स-टैक्स लगाया जावे, अगर वे इसका समर्थन करें तो मैं अवश्य यह सुझाव दूँगा और सिलेक्ट कमेटी इस पर विचार करेगी।

श्री अर्जुनसिंह : परन्तु इस तरह से मल्टीपल सेल्स-टैक्स लेते-लेते दस परसेंट से भी ऊपर पहुँच जाता है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : जैसा कि माननीय सदस्य का ख्याल है कि मल्टीपल सेल्स-टैक्स 10 परसेंट से ऊपर हो जावेगा, यह गलत है, उनको, मल्टीपल सेल्स-टैक्स का जो रहस्य है वह मालूम नहीं है। हमारे देश में देखा गया है कि ढाई गुना से अधिक चैंज ओवर नहीं होता, यह आज तक का अनुभव है और सभी राज्यों का

अनुभव है। इसके लिये किताबें भरी पड़ी हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं वित्त मंत्री जी का कहना मानता हूँ कि उनके पास ट्रेझरी में 10 परसेंट पर न आता होगा, उन्होंने स्वयं जैसा कि कहा कि यह एक रहस्य है, वाकई इसमें रहस्य छिपा हुआ है और यह सब पैसा ट्रेझरी में न जाकर कर्मचारियों की जेबों में जाता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3139-40)

माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा 24 अप्रैल 1958 को उठाये गये विशेषाधिकार भंग के प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय। पूरा प्रकरण निम्नानुसार है—

BREACH OF PRIVILEGE

Hon'ble the Speaker - The House will remember that the Hon. member from Majhaoli Constituency in the course of the supplementries on the short notice question No. 49 answered on yesterday raised a matter of breach of privilege and I asked him to give a written notice of the same. He did it the same day. His letter is as follows:-

To
The Secretary,
Madhya Pradesh Vidhan Sabha.
Sir,

I herrby give notice under Rule 209 of the Vidhan Sabha to raise the following question of Privilege, on 25th April 1958, on the floor of the House and the Hon'ble Speaker ordered me to give the motion in writing, which I am doing now.

"In answer to a question put on 24th April 1958 Shri Ganesh Ram Anant, Minister for Social Welfare, said that the application of the Mahakoshal Dalit Varga Sangh. for grant in the financial year 1957-58, was received by the Department on 17th March 1958. Para 98 of the Estimates Committee's Report of 1957-58 is as under:- 'It is gratifying to note that inspite of a budget provision for the grant-in-aid to such non-official institutions for the removal of untouchability for the year 1957-58, no such grant has, according to the information given to the Committee on 19th March 1958, been either sought by this institiution or granted by the Government' This quotation refers to the Mahakoshal Dalit Varga Sangha.

It is obvious therefore that for reasons known to them along the spokesman of the Department who appeared before the Estimates Committee during his examination deliberately deceived the Committee and give false evidence on the basis of which the Estimates Committee made the observations quoted above. The Ministers of this Department who is constitutionally responsible for all actions of his department is as much guilty of this act of deception and falsehood for it is an accepted principle that the department officials work on the directions of the Minister-in-charge. This action of the Minister-in-charge of this Department Shri Ganesh Ram Anant, and his spokesman who appeared before the Estimates Committee is a gross contempt of the Estimates Committee appointed by this House and hence is a breach of Privilege of this House".

I may explain that I have been unable to name the spokesman of the department who appeared before the Committee as the minutes of the same have not been published so far and the same can be known only if the Chairman of the Estimates Committee is kind enough to disclose his name.

Bhopal, dated the 24th April, 1958.

ARJUN SINGH
M.L.A. 24.4.58

2. I have carefully considered the matter and have come to the conclusion that I ought to refuse my consent to this matter being raised by way of breach of privilege in the interests of House and the development of proper parliamentary traditions according to my convictions. I am conscious that in this respect opinion may differ but each must try to discharge his responsibility according to his own conscious. I am, therefore, stating my own views in this matter in some details.

3. The matter complained of is presumably being brought before the House in pursuance of the observations at page 114 in Eraskin May's Parliamentary Practice, which are as follows:-

"It has already been seen that the giving of false evidence, prevarication suppression of the truth by witnesses while under examination before either House or before Committee of either House is punished as a contempt ....."(May's Parliamentary Practice, Page. 114).

4. The House have seen that the substance of this form of contempt is the element of suppressing truth deliberately or knowingly. wether or not that element is present in a particular case is a question of fact; and hence it is perfectly reasonable for any member to raise this matter by way of breach of privilege so that the question might go to the Committee of Privileges and be thrashed out there. As against this, there is also an aspect of the matter which has its own force. This matter arises out of an examination of a certain topic by the Estimates Committee. That Committee carries on its work in accordance with definite rules and well-established precedents and practices. According to the practice developed in all legislatures in India, the Estimates Committee, after the publication of its report, continues to see how its recommendations are implemented. That Committee is a continuing committee and does not become functions officio with respect to any matter. that has been considered by the Committee at any state, then that Committee is the best fitted instrument of finding out of the Truth and the circumstances of divergence. There is no reason to suppose that that Committee will not take up this question and pursue it. That Committee has all the background material and it has the viewpoint necessary to deal with this matter. The essence of parliamentary working is the art of keeping distinct different matters arising out of different sets of circumstances and to provide remedies to each of them appropriate in themselves. While therefore, a matter is within the field of one parliamentary Committee, any act which tends to take away from their jurisdiction that matter and to hand it over for decision to another Committee is bound to undermine the authority of the Committee so deprived. The work of the Estimates Committee is the most important work that can be done under a parliamentary form of Government. That Committee does its work on the basis of deliberations based on facts and figures. It seeks to act on non-party lines and the endeavour of all parliamentarians is to lend their weigh to seeing that party conflicts are not imported into the working of this Committee. As the trends show, the endeavour of Governments in all States also is to treat the recommendations and opinions of this Committee with greatest respect.

5. When the matter in question is in the jurisdiction of such a Committee, the development of proper constitutional precedents lies in the Estimates Committee being allowed to pursue this matter in its own way and not by creating a rift in its working.

The privilege jurisdiction of the House is a very sacred jurisdiction and it must not be treated as a remedy for all ills. Even if the privilege jurisdiction of the House has to be invoked, I humbly, consider that the initiative to invoke that jurisdiction ought, in this matter, to come from the Estimates Committee. If the Estimates Committtee after carefully considering all matters comes to the conclusion that the circumstances demand that a matter should be considered by the House in its privilege jurisdiction also, that Committee will certainly take the appropriate steps.

6, Weighing all these matters carefully, I have deemed it to be my duty to refuse my consent to the notice given by the Hon'ble Member from Majhaolj Constituency (Shri Arjun Singh).

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कुछ निर्णय अंग्रेजी में पढ़ा गया उसको सब नहीं समझ सके होंगे।

अध्यक्ष : मैं समझा दूँगा आपको।

श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय : वह निर्णय हिन्दी में भी पढ़ दिया जाये।

अध्यक्ष : आप ठीक कहते हैं। मैं आप से बिलकुल सहमत हूँ लेकिन यह निर्णय बहुत जल्दी में लिखा गया है और समय न रहने के कारण मैं इसको हिन्दी में भी नहीं लिख सकता। मैं बाद में इसकी हिन्दी कराके आपको दूँगा और अन्य माननीय सदस्यों को भी दे दूँगा। समय के अभाव के कारण ही ऐसी गलती हुई जिस पर मैं समझता हूँ कि आप ध्यान न देंगे।

श्री तुलाराम सगर : प्वाइण्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि हमारे सदन की प्रतिष्ठा रखने के लिये विधानसभा के कुछ नियम बने हुए हैं कि यहाँ पर सदस्यों को किस तरह से सदन की कार्रवाई में भाग लेना चाहिए जिससे कि सदन की प्रतिष्ठा रहे, अध्यक्ष महोदय की भी प्रतिष्ठा रहे और सदन की शोभा बढ़े। तो मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर यह है कि माननीय अध्यक्ष जिस समय खड़े होकर अपने भाषण दे रहे हों उस समय कोई भी माननीय सदस्य खड़े नहीं हो सकते हैं। तो इस पर बार-बार हमारे माननीय अध्यक्ष कहते हैं कि बैठ जाइये मैंने व्यवस्था दे दी है, फिर भी बैठते नहीं हैं, तो इस पर आपकी व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष : यह गलत चीज है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस रूलिंग को मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपने बहुत सोच विचार कर यह रूलिंग दी है पर मैं आपसे एक शंका का समाधान कराना चाहता हूँ क्योंकि इस तरह की बातों से फ्यूचर के लिये प्रेसीडेंस कायम होगा इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर फ्लोर ऑफ दी हाउस में ऐसी कोई चीज आये जो स्पष्ट रूप से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के स्कोप में आये, हो सकता है कि उसका Cognisance लेने के लिये कोई दूसरा सामर्थ्य रखता हो तो क्या किसी सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि ऐसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मैटर को सदन में लाये तो उनको सदन के सामने पेश करके जो Privilege कमेटी है उसमें उसे ले जाने का प्रयत्न करें।

अध्यक्ष : आपको अधिकार है। मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि माननीय सदस्य को विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं है। मैंने रूलिंग में जो डिस्कस किया है वह यह है कि यह मामला एस्टिमेट कमेटी के सामने है और कमेटी को ही उस पर विचार करना उचित होगा ताकि दोनों कमेटियों में किसी प्रकार का मतभेद न हो। आपने उसको पढ़ा होगा। उसको आप अच्छी तरह देखें और उस पर विचार करें, प्रिविलेज का प्रश्न उठाने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और वह प्रत्येक घटना पर अवलम्बित रहेगा। इसलिए माननीय सदस्य के प्रश्न पर सामान्य निर्णय नहीं दिया जा सकता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मेरा निवेदन यह था अध्यक्ष महोदय, कि इसको एस्टिमेट कमेटी के पास क्यों नहीं भेजा गया है?

अध्यक्ष : जितनी भी हाउस के सामने कार्रवाई होती है उसका नोटिस वह कमेटी लेती है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/25 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3239-42)

उद्योग मंत्री श्री तख्तमल जैन ने 14 अप्रैल 1958 को मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक, 1958 (संख्या 7,1958) का पुनः स्थापन और प्रवर समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया। सदस्य श्री अर्जुनसिंह का नाम तेरह सदस्यीय प्रवर समिति के सदस्यों की फेहरिस्त में रखा गया था।

16 अप्रैल 1958 को 'मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक, 1958' को प्रवर समिति को सौंपने संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, सदस्यों ने इस विषय पर गम्भीरता से बहस की और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

26 अप्रैल 1958 को उप-उद्योग मंत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता ने अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक, 1958 (संख्या, 7 1958) पर विचार किया जाये।

उप-उद्योग मंत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता ने उक्त विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि "उस दिन इस विधेयक पर सदन में काफी चर्चा हुई और भिन्न-भिन्न माननीय सदस्यों ने इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये। उसके बाद यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा गया जिसका प्रतिवेदन आज इस सदन के सामने प्रस्तुत है।"

उन्होंने कहा - "प्रवर समिति ने अपने प्रतिवेदन में बहुत से उपयोगी तथा महत्वपूर्ण संशोधन किये हैं और इस संशोधनों की वजह से इस कानून के प्रकाशन में काफी चुस्ती और सरलता भी आयेगी। प्रतिवेदन के संबंध में कुछ विमत टिप्पणियाँ हैं। उनके ऊपर मैं विस्तार से इस समय चर्चा नहीं करूँगा, परन्तु आपके जरिए अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों से जो प्रतिवेदन की किसी बात से असहमत हो रहे हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि यदि वे ठीक से व्यवहारिकता तथा गम्भीरता से विचार करें तो वह देखेंगे कि जो प्रतिवेदन जिस रूप में सदन में आया है वह काफी अच्छा है और वे अपने विचारों पर जोर नहीं देंगे।"

अध्यक्ष महोदय ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उक्त विधेयक सदन में विचारार्थ रखा। इस विधेयक पर बहस की शुरूआत निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने की। उन्होंने विधेयक के खण्ड 11 और 28 के लिए संशोधन भी प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुए -

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से यह बिल सदन में फिर से आया है और प्रवर समिति का सदस्य होने के नाते मैं इसके बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन जिन कारणों से मैंने बाकी विवरण और गराठ से आये हुए माननीय सदस्य श्री चौरड़िया जी ने नोट ऑफ डिसेण्ट दिया है उस पर मैं आपकी अनुमति से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसा कि नोट ऑफ डिसेण्ट से विदित है, हम लोगों ने यह नोट ऑफ डिसेण्ट सोच समझकर दिया और जैसा कि अभी तक हम लोगों के देखने में आया है ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ कि हम अपनी राय को बदल सकें। अध्यक्ष महोदय, जब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा था, तब सदन के न केवल विपक्षी दल की ओर से बल्कि कांग्रेस पक्ष की ओर से भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि स्टेट गुड इण्डस्ट्रीज के नाम पर कुछ ऐसे लोगों को एड दी जाती है जो न तो उसके पाने के अधिकारी होते हैं और न उस एड का उचित उपयोग ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं किसी के नाम का उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहता जिनको बताकर मैं अपने तर्क की पुष्टि कर सकूँ क्योंकि उस दिन की बहस में सदन के सामने एक नहीं अनेक नाम आये थे, जिनके बारे में माननीय मंत्री महोदय की ओर से इतना ही उत्तर मिला कि चूँकि यह पहले का मामला है इसलिये उनको छोड़ दिया जाये आगे भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि जानबूझ कर मंत्री महोदय ऐसा कार्य नहीं करेंगे लेकिन

अध्यक्ष महोदय, जनतंत्रात्मक शासन में यह अनिवार्य-सा हो जाता है कि जिन व्यक्तियों की मदद से कोई पार्टी लेजिस्लेचर में आती है या वोट प्राप्त करती है, उनको किसी न किसी प्रकार सन्तुष्ट रखना पड़ता है। यह अपने देश में कोई नवीन बात नहीं होगी बल्कि जहाँ-जहाँ पीपुल्स रिप्रिजेन्टेशन की बात होगी वहाँ Self and Power का विभाजन होता ही है कुछ हद तक हम इसको मानने को तैयार हैं लेकिन जब वह इस सीमा को लाँघ जाते हैं और पब्लिक मनी से उन लोगों को एड देना शुरू कर देते हैं तथा जिनकी ओर से नेशनल इनकम में कोई एड नहीं होती, कोई धन नहीं आता तब अवश्य वह आपत्तिजनक हो जाता है। उन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रदेश में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो कि छोटे-छोटे उद्योगपति हैं। यदि वे काम्पटीशन में लाये जायेंगे तो उनका सदैव ही नुकसान होता रहेगा। मैंने और मेरे मित्र ने इस बात की सिफारिश की कि बजाए आप अपने हाथ में यह अधिकार लें कि 5 लाख रुपये के नीचे के जो आवेदन-पत्र आपके पास आये, उनको बिना नोटिफिकेशन के और बिना किसी प्रकार की कार्रवाई के आप इंडस्ट्रीयल एड दे दें। आप डेढ़ लाख रुपये की लिमिट कायम कर दें। इससे हो जाता है कि हम लोगों ने जिस सिद्धान्त को माना है उसकी आवश्यकता है लेकिन जैसा कि इस सदन में कहा गया है कि जरूरत को देखते हुए और इस प्रदेश में पब्लिक ओपीनियन को देखते हुए जो शंका पैदा होती है, यह कहना उचित समझा कि शासन खुद ही अपने हाथ में इतना व्यापक अधिकार न रखे, जिससे कि कल किसी को यह कहने का मौका मिले कि अपने अधिकार का दुरुपयोग किया।

दूसरी बात, जिसके बारे में इस सदन में अन्य विधेयकों पर चर्चा के समय भी कहा जा चुका है, वह जुरिस्डिक्शन ऑफ दि कोर्ट का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर फिर वही काम्पीटेंसी और इनकाम्पीटेंसी का सवाल आता है जिस पर कई बार वाद-विवाद हो चुका है और मैं उसको पुनः दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि शासन को या तो कुछ ऐसी घबराहट है या कुछ उसके सोचने का तरीका ही ऐसा हो गया है कि वह समझता है कि लॉ कोर्ट्स हमारे काम में सिर्फ हस्तक्षेप करने के लिये हैं। अध्यक्ष महोदय, लॉ कोर्ट का प्रजातंत्र में एक विशेष स्थान है और हमारे संविधान में भी लॉ कोर्ट्स को एक विशेष स्थान दिया हुआ है और उनकी कार्यप्रणाली तथा उनके कार्यक्षेत्र भी उसमें उल्लिखित हैं। इसके बाद भी अगर शासन को यह शंका बनी रहे कि लॉ कोर्ट्स हमारे रोज के काम में अड़ंगा ही लगाते हैं तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि शासन को या तो डेमोक्रेसी के प्रहरियों पर विश्वास नहीं है या उनके मूल्य को समझने में असमर्थ है। लॉ कोर्ट का जितना स्कोप है उसके बाहर जाकर अगर वे कोई काम करें और तब सदन में विधेयक लाया जावे कि इस अमुक केस में लॉ कोर्ट ने अपने कार्यक्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है और उस पर इसके बारे में प्रतिबंध लगाना चाहिए, तब तो बात समझ में आ सकती है लेकिन आज तक इस विधानसभा में जितने भी इस तरह के विधेयक आये हैं, हाँ कोर्ट के पॉवर्स को लिमिट करने की कोशिश की गई है उनमें ऐसा कोई भी केस नहीं लाया गया जिसमें यह कहा जा सके कि कोर्ट ने अपने क्षेत्र के बाहर जाकर कार्य किया या कोई ऐसा जजमेंट कोर्ट का हुआ जिससे गवर्नमेंट के सम्मान में धक्का लगा हो। ये दोनों बातें मैं समझता हूँ और मेरी राय से गरोठ के माननीय सदस्य भी सहमत हैं, प्रजातंत्र के लिये घातक हैं। इनको तुरन्त न रोका गया तो एक दिन वह आयेगा जब शासन अपने को ऐसी स्थिति में पायेगा जबकि इसकी मदद करने के लिये लॉ कोर्ट्स जो कि वॉच गार्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी है, वे आने से असमर्थ रहेंगे और प्रजातंत्र के अन्य लोग भी आने में असमर्थ रहेंगे। इन दोनों चीजों को सामने रखते हुए हम लोगों ने मिनट ऑफ डिसेन्ट दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर गौर से ध्यान देने के पश्चात् कम-से-कम हम लोगों के जो मिनट ऑफ डिसेंट हैं उनके सिद्धान्तों को अंगीकार कर लेंगे तब हम समझेंगे कि हमारे मिनट ऑफ डिसेंट ने बहुत काम किया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3309-10)

मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक, 1958 पर बहस जारी रही। सदन के अन्य

सदस्यों ने भी बहस में हिस्सा लिया।

उप-उद्योग मंत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता ने बहस का जवाब देते हुए विशेष रूप से श्री अर्जुनसिंह द्वारा उठाये गये मुद्दों की ओर इंगित करते हुए उनका जवाब दिया। उप -उद्योग मंत्री श्री गोमाश्ता का जवाब तथा माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह सहित अन्य सदस्यों के बीच हुए जवाब-सवाल -

श्री केशवलाल गोमाश्ता (उप-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इस विधेयक के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें कही गईं, उनमें खासकर माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी ने दो बातें कहीं-

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उद्योग मंत्री जी के कहने पर मैंने नजीर बता दी थी कि राज्य सहायता पक्षपाती ढंग से दी जाती है, उसका जवाब भी दे दें तो अच्छा होगा।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : पहले जो कुछ कहा गया होगा उसका उत्तर भी दिया गया होगा। वह बात खत्म हो गई।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उद्योग मंत्रीजी ने कहा था कि आप इस तरह का कोई खास केस बतायें, वह बता दिया गया है। उस पर क्या एक्शन लिया गया, यह आप बतायें।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : मैं उन्हीं बातों का जवाब दूँगा जो आज इस विषय में कही गई हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह अजीब तरीका है, आज भी वहाँ बिल चल रहा है। अगर आप बताने में ला-जवाब हैं तो बात दूसरी है।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : आप फिर से उन सब बातों को दोहरा देते तो मैं जवाब ज़रूर दे देता।

माननीय अर्जुनसिंह जी ने खासकर दो बातों पर आक्षेप किया है। एक तो यह आपत्ति है कि बिना अधिसूचना निकाले या अन्य लोगों को आपत्ति का मौका दिये बिना, सिर्फ डेढ़ लाख तक की सहायता पर निर्णय लिया। इसके लिये पाँच लाख की सीमा न रखी जाये। उनकी दूसरी आपत्ति यह है कि उद्योग के लिये सहायता लेने वाला व्यक्ति शर्तों को भंग करता रहे या सहायता का दुरुपयोग करता रहे, पर इन सब बातों का निर्णय अदालत से हो- शासन को निर्णय करने या कार्रवाई करने का अधिकार न रहे। शायद उनकी आपत्ति उस प्रावधान से भी हो जिसके द्वारा नेकनीयती से काम करने वाले अधिकारी को सुरक्षा दी गई है।

इस बिल के प्रावधान के अनुसार साधारणतः पाँच लाख तक औद्योगिक सहायता तक किसी अन्य व्यक्ति को इसके विरुद्ध आवेदन या आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। उनके कहने का मतलब यह है कि यह सीमा बहुत बड़ी है और वह चाहते हैं कि यह सीमा घटाकर कुछ नीचे ला दी जाये, डेढ़ लाख कर दी जाये। सिद्धान्ततः तो वह इस बात से सहमत होते हैं कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करना और उनको देरी के झगड़ों में न डालना उचित होगा, इससे तो वे भी सहमत हैं। छोटी रकम की सहायता बिना ज्यादा छानबीन के दे दी जाए और बड़ी रकम की सहायता के विषय में ज्यादा छानबीन की जाए। दूसरों को आपत्ति का मौका दिया जाए। एक हद तक सहायता देने में देर न हो, जल्दी से उद्योगों के लिये सहायता मिल जाए इसलिए कुछ हद तक छूट मिलनी चाहिए। यह चीज तो वे मानते हैं। तो सिद्धान्त में फर्क नहीं। फर्क सिर्फ़ है तो उद्योग की लागत की मात्रा में है। इस बिल का उद्देश्य यह है कि 5 लाख की लागत तक का जो उद्योग है, उसकी दरख्वास्त आवे तो उस पर कोई एतराज की जरूरत नहीं है। वे चाहते हैं कि यह सीधा डेढ़ लाख का हो। तो उनका असल एतराज सुविधा या छूट देने के सिद्धान्त के आधार पर नहीं है, बल्कि उद्योग पर लागत के हिसाब से किस हद तक के लिए पाबंदी लगाई जाए तथा किस हद तक छूट दी जाए, इस पर है। यह कबूल करते हैं कि मंत्रीगण या शासक खासतौर से दिलचस्पी लें और ऐसी बातों का दुरुपयोग करें, यह संभव नहीं है। उनका यह कहना कि पार्टी सिस्टम के शासन में इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अगर उनका यह कहना है तो प्रजातंत्र में अध्यक्ष महोदय, पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो रहेगा ही। आज इस पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल किसी दूसरी पार्टी के लोग बैठ सकते हैं। तो इलाज उसका यह नहीं जो माननीय सदस्य सुझाते हैं। उसका तो इलाज यह हो सकता है कि पार्टी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही न रहे। इस संबंध में इस तरह की बात नहीं है और इस तरह से पक्षपात या दुरुपयोग नहीं होते हैं और न हो सकते हैं। उद्योगों को सहायता की जो

समिति रहेगी, जिसमें विधानसभा के 5 सदस्य रहेंगे और भी बहुत से अनुभवी जिम्मेदार लोग रहेंगे, यह 16-17 आदमियों की समिति होगी तो वह समिति 5 लाख तक की एड देने के लिए अगर निर्णय करेगी तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी और समझदारी पर भरोसा करना चाहिए। हर एक मामले में पार्टी के लिहाज से दखलंदाजी संभव हो, यह बात नहीं है। यह तो कुछ कल्पना की, कुछ शंका की बात पर आधारित है।

श्री अर्जुनसिंह : और कुछ पास्ट एक्सपीरियन्स पर।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : माननीय सदस्य के दिल में शायद कल्पना और शंका ही प्रमुख है, पास्ट एक्सपीरियन्स की बात शायद कम हो क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियन्स कई वर्षों का है, उससे मैं कह सकता हूँ कि आशंकित, पक्षपात न होता है और न होगा। जो यह शंका है, उसका यह सार निकलता है कि चूँकि कांग्रेस पार्टी का यह शासन है जो इस पार्टी के अधीन काम करने वाले अधिकारी या शासक अपनी पार्टी के लोगों को अधिक सहायता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, कई वर्षों का मुझे अनुभव है, बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं उनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस वाले नहीं हैं, वे किसी पक्ष में न रहकर स्वतंत्र रहते हैं। अगर दुरुपयोग ही करना है तो डेढ़ लाख का भी दुरुपयोग हो सकता है, जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। इस बिल में कहीं इस बात की मनाही नहीं है कि एक ही उद्योग के लिए एक से अधिक बार दरख्वास्त न दी जा सके। अगर दुरुपयोग ही करना है और प्रशासकीय लोग दुरुपयोग करने पर तुल जायें तो डेढ़ लाख का फायदा होने पर भी दुरुपयोग हो सकता है परन्तु यह बात नहीं है। विरोध करने वाले माननीय सदस्यों का मतलब कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो इसके विपरीत चर्चा करते हैं उनका असली मतलब उस समय पूरा हो सकता है जबकि आवेदन-पत्र में एक कालम खोल दिया जाये कि आवेदक कांग्रेस वाला है अथवा दूसरी पार्टी का और यह नियम बनाया जाये कि कांग्रेस वाला हो।

श्री अर्जुनसिह : इस तरह से करने से आपका एक्ट जो है, वह डेड लेटर पर जायेगा।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : पर आपका मतलब तो पूरा हो जायेगा। उनका मतलब अच्छी तरह से तभी पूरा होगा, जब यह बात होगी। मैं उन्हें सलाह दे रहा हूँ कि ...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जब आवेदन-पत्र प्रस्तुत होता है, उस समय के लिए ही यह नियम बना लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि आप काँग्रेस वाले हैं या नहीं? अगर काँग्रेस वाले न हों तो अर्जी ही न लीजिए।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : आप लोगों का विरोध जो है, उससे तो आपका यह मतलब नहीं निकलता। उसका आशय यही है कि काँग्रेस पार्टी के शासन के लोग पक्षपात करते हैं अथवा काँग्रेस वालों को नाजायज तरीके से सहायता देते हैं। आप लोगों ने जो सुझाव दिया है, उससे इस बात का निराकरण नहीं हो सकता है। आपको इस तरह से सुझाव देना चाहिए कि इस तरह से ...

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हम जितना सुझाव देते हैं, उसको ही मान लीजिए।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : आपका सुझाव मानने लायक नहीं रहता है। आप दूसरा सुझाव दीजिए। इससे तो आपका मतलब नहीं निकलेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपको बेकार की परेशानी भी हो जाती है।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : परेशानी हमें कुछ नहीं है और न कोई हमें परेशान कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, दूसरा एतराज धारा 28 से संबंध रखता है। इस खण्ड में एक प्रोवीजन यह है कि कोई प्रशासन या कोई अधिकारी अगर कोई कार्य करता है और उसका कार्य विवाद में पड़ गया तो उसका निर्णय प्रदेश शासन करेगा और उसके लिए शासन का निर्णय अंतिम होगा। इसके संबंध में अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह ने कहा है कि शासन को अदालती हस्तक्षेप का भय है, घबराहट है इसलिए यह प्रावधान किया गया है, यह बात नहीं है। इस तरह के प्रोवीजन के पीछे स्पष्ट अर्थ यह है कि किसी भी अधिकारी से काम लेना हो तो उसे एक सुरक्षा की भावना उसके मन में हो। उसके सिर पर अगर तलवार हमेशा लटकती रहे कि अदालती कार्रवाई हो सकती है, हम जो कुछ काम करते हैं, वह अदालत में कभी भी ले जाया जा सकता है, कभी भी उसमें अदालती कार्रवाई हो सकती है, हम अदालती झंझट में पड़ सकते हैं प्रत्येक क्षण अगर यह भय उनके मन में हो तो वह कभी

हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकता। वह यह सोचता रहेगा कि हमारा काम सही होगा या गलत या कोई अदालत में ले जायेगा क्या। इस तरह की एक फिक्र उसे बनी रहेगी। वह न तो निर्णय ले सकता है, न सुरक्षा की भावना के साथ, साहस के साथ काम कर सकता है ----

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी आपत्ति सब क्लाज एक के बारे में है, सब क्लाज दो के बारे में नहीं है। क्लाज दो इस प्रकार है -

जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में हमारी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति है सब क्लाज एक के बारे में और वह इस प्रकार है :

श्री केशवलाल गोमाश्ता : दोनों एक ही हैं। एक में एक आस्पेक्ट डील किया गया है और दूसरे में दूसरा आस्पेक्ट, दोनों खण्डों के पीछे एक सिद्धांत है।

श्री अर्जुनसिंह : हम नहीं चाहते कि मुलाजिमों के सिर पर तलवार लटकती रहे, परन्तु हम यह अवश्य चाहते हैं कि सरकार के सिर पर तलवार हमेशा लटकती रहे।

श्री वसंत सदाशिव प्रधान : .....

श्री केशवलाल गोमाश्ता : सरकारी मुलाजिम यदि नेकनीयत से काम करता है ...

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3314-15-16-17)

संशोधन -

अध्यक्ष महोदय, (पं. कुंजीलाल जी दुबे) ने विधेयक मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक 1958 से संबंधित संशोधनों पर विचार करने के लिए कहा। सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन तथा उनका जवाब आदि भी नीचे प्रस्तुत हैं ——

अध्यक्ष : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी। पहले मैं उन खण्डों को लूँगा जिन पर संशोधन प्रस्तुत हुए हैं।

खण्ड 11

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि विधेयक की धारा 11 (3) में शब्द "5 लाख" के स्थान पर "डेढ़ लाख" लिखा जाये और दूसरा संशोधन यह है कि "विधेयक के खण्ड 11 (3) (ख) का परन्तुक निकाल दिया जाये"।

अध्यक्ष :संशोधन प्रस्तुत हुए कि -

(1) विधेयक की धारा 11 (3) में शब्द "पाँच लाख" के स्थान पर "डेढ़ लाख" लिखा जावे अर्थात्

(2) विधेयक के खण्ड 11 (3) (ख) का परन्तुक निकाल दिया जाये, अर्थात्

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही अमेंडमेंट का रिफ्रेंस दे चुका हूँ। माननीय मंत्रीजी की बात सुनने के बाद मैं थोड़ी-सी बात कहना चाहता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि सिद्धांततः उन्होंने इस बात को मान लिया है कि इस तरह का प्रावधान विधेयक में होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि मैंने इस बात को इस दृष्टिकोण से माना है कि वास्तविकता को सामने रखते हुए, हम इस बात को सिद्धांततः नहीं मानते कि शासन के कोष से रुपया दिया गया वह किसी को भी दिया गया। चाहे वह उसका हकदार हो या न हो, ऐसे सिद्धांत की बात को मैं नहीं मानता, वास्तविकता की बात को मानता हूँ। जहाँ 5 लाख रखा गया है उसके स्थान पर डेढ़ लाख रखा जावे तो हम समझेंगे कि हमने कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूँ, हाँ वास्तविकता को मानता हूँ। प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए डेढ़ लाख रखा जाये। इस बात चर्चा हुई, हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी मंत्रिमंडल के एक कुशल मंत्री हैं, उन्होंने देश के इन्डस्ट्रीज एक्ट छान डाले होंगे। उन्हें पूरे देश में केवल मैसूर में पचास हजार रुपये की लिमिट मिली है।

यह 50 हजार रुपये की लिमिट को मद्देनजर रखते हुए मैंने वास्तविकता के आधार पर डेढ़ लाख रुपये तक की लिमिट प्रस्तावित की है और मंत्री महोदय ने इसको सिद्धांततः मान ही लिया है, वास्तविकता से भी मान लें, इसी धारणा से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिद्धांततः कहिए अथवा वास्तविकता के रूप में कहिए, इसमें सवाल उठता है कि 5 लाख रुपये की जो रकम रखी गई है वह उसी वास्तविकता के आधार पर रखी गई है जिसकी दुहाई माननीय सदस्य दे रहे हैं। अभी वास्तविकता की बात यह कही गई कि डेढ़ लाख की सहायता सरलता से, बिना अन्य लोगों के एतराज के दे दी जाये और उससे ज्यादा रकम पर आपत्ति आदि का बंधन रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, चाहे डेढ़ लाख रुपये की रकम हो चाहे एक लाख रुपये की हो, जहाँ तक दुरुपयोग का सवाल है, वहाँ तक एक पैसे का दुरुपयोग भी उतना ही खराब है, जितना डेढ़ लाख का। जिस वास्तविकता के आधार पर माननीय सदस्य ने डेढ़ लाख रुपये को उचित बताया है, उसी वास्तविकता के आधार पर हमने 5 लाख की सीमा रखी है। साधारण परिस्थिति में 5 लाख तक की सहायता, बिना आवेदन को अधिसूचित किये या उस पर आपत्ति बुलाये विचार की जाये। माननीय सदस्य डेढ़ लाख सुझाते हैं, ताकि अन्य लोगों को सहायता माँगने का मौका मिले। अध्यक्ष महोदय, दूसरों को मौका मिले, दूसरे उद्योग धंधे वाले सामने आयें तो यह तो कहीं मना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निवेदन करना चाहता है उद्योग के लिए सहायता चाहता है तो वह कर सकता है। उसके लिए वह दरख्वास्त दे सकता है। जब सब की दरख्वास्तों पर विचार किया जायेगा तो उसकी दरख्वास्त पर भी विचार किया जायेगा और जो निर्णय लिया जायेगा, वह सब दरख्वास्तों पर विचार करके लिया जायेगा। इस संबंध में कुछ अनुभव हैं कि कई आदमी उद्योग करना तो चाहते नहीं हैं, केवल इसलिए कि अमुक आदमी ने दरख्वास्त दी है, वे भी दे देते हैं। उसके लिए वे शहादत दे देते हैं, गवाही दे देते हैं। एक आवेदक सहायता के योग्य नहीं है, यह सब इसलिए कि दूसरा आदमी उद्योग न कर सके। इस प्रकार की कई मिसालें हैं। जब कोई ठेका नीलाम होता है उस समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको ठेका तो लेना ही नहीं होता है, केवल इसलिए कि दूसरे को फायदा न पहुँचे, वे बोली बोल देते हैं। इस तरह से कई मामले आते हैं। अगर कोई सूचना निकलेगी या कोई चीज की जाती है या दूसरे की आपत्ति की सुनवाई होती है तो उसका परिणाम यह हो सकता है कि महिनों तक वह मामला पेंडिंग में पड़ सकता है। सिर्फ इसलिए कि निवेदक से स्पर्धा है वह सब आपत्तियाँ करता है। जहाँ तक लिमिट का प्रश्न है, डेढ़ लाख तक लिमिट रखने में भी कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। जिस सुविधा को सोचकर वे डेढ़ लाख करना चाहते हैं, उसी सुविधा के लिहाज से हम उसको 5 लाख करना चाहते हैं। हम यह सोचते हैं कि अच्छा उद्योग जितनी जल्दी स्थापित हो जाये उतना ही अच्छा है और यह सुविधा प्रवर समिति ने पाँच लाख तक सहायता के लिए दी है। उससे बड़ी रकम के लिए पाबंदी लगायी है यदि जरूरी समझा गया तो पाँच लाख से कम की सहायता के लिए अन्य लोगों को आपत्ति करने या स्वयं आवेदन करने का मौका दिया जा सकता है, यह प्रावधान भी कुछ हद तक है उससे माननीय सदस्य का उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि यदि शासन चाहे तो प्रोवीजन के मुताबिक 5 लाख से अधिक रुपये भी इस तरह से दिये जा सकते हैं।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : दोनों चीजें इसमें हैं। 5 लाख की सहायता तक सुविधा भी है और आवश्यकता हुई तो छोटी से छोटी सहायता में भी रकम देने के पूर्व आपत्ति का मौका दिया जायेगा। दोनों बातें इसमें हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य अब अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि -

विधेयक के खण्ड 11 के उपखण्ड (3) में शब्द "पाँच लाख" के स्थान पर "डेढ़ लाख" लिखा जावे, अर्थात्

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि -

विधेयक के खण्ड 11 (3) (ख) का परन्तुक निकाल दिया जाए, अर्थात्

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि —

मध्यप्रदेश उद्योगों का राज्य सहायता विधेयक, 1958 (संख्या 7, 1958) अर्थात् दि मध्यप्रदेश स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज बिल, 1958 (नंबर 7 ऑफ 1958) का इस सभा द्वारा विचारित खण्ड 11 इस विधेयक का अंग बने।

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

खण्ड 11 विधेयक का अंग बनाया गया।

खण्ड 28

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि विधेयक के खण्ड 28 के शब्द "शर्तें पूरी हुईं कि नहीं, इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार शासन को होगा और शासन का आदेश ही अंतिम होगा।" कम किए जावें तथा उप खण्ड (1) कम किया जावे और उप खण्ड (2) का "2" कम किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया उसमें मेरे संशोधन को नहीं लिया बल्कि सदन के माइण्ड में यह बात रेज कर दी कि सदन की राय में यह आवश्यक नहीं समझा गया। मैं सदन के सामने फिर से रखना चाहता हूँ ताकि सदन में इसका डिफरेंस साफ समझ में आ जाये। मैं विस्तार से उस पर चर्चा करूँगा। जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया होगी, यह सही है। उनकी स्थिति ठीक है, वह अवैधानिक नहीं है, अगर उन पर इस तरह का बंधन रहता है, डर रहता है तो उनकी कार्य-कुशलता में बाधा पड़ेगी, इस दृष्टि से यह रखना ठीक है। सब क्लाज (2) पर आपत्ति नहीं है। मुझे सब क्लाज एक पर आपत्ति है। इसमें उद्योगपतियों का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। सवाल यह है कि जो उद्योगपति हैं, अगर आपने उनकी कंडीशन नहीं मानी और एकमुश्त रुपये लेने को कहा तो इस समय उनकी क्या स्थिति होगी। आप कंडीशन नहीं मानते, इसका मतलब यह है कि वह किसी तरह से चोरी करे, घर बेचे, सब रकम आपको दे, इस बात को आप चाहते हैं। मेरा यह निवेदन है कि इसको जस्टीसिएबिल करें।

(इसके बाद सभा उपाहार के लिए स्थगित हुई तथा उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में तीन बजे पुनः आरंभ हुई)

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने इस प्वाइंट को जरा स्पष्ट करने का कष्ट नहीं किया। जो आपत्ति हम लोगों ने की थी, उसको उन्होंने उपधारा (27) में कैसे संबंधित कर दिया और उपधारा (2) का जो आशय है वह कैसे उपधारा (1) में शामिल होता है। इसके लिए हमारी जो आपत्ति थी उसको माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्ट नहीं किया है और मैं पुनः उनसे निवेदन करूँगा, आज एक और उदाहरण वे इस विधानसभा में प्रस्तुत न करें कि अदालतों के अधिकारों पर फिर से कुठाराघात किया जाए।

उपाध्यक्ष : संशोधन प्रस्तुत हुआ विधेयक के खण्ड 28 के शब्द कम किए जावें तथा उपखण्ड (1) कम किया जावे और उपखण्ड (2) का "2" कम किया जावे।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैंने इस खण्ड के संबंध में जो कुछ कहा था, वह शायद, शायद क्या, निश्चय ही मेरा मतलब माननीय सदस्यों को स्पष्ट नहीं हो सका था। खण्ड 28 के पहले उपखण्ड में शब्द यह है कि "शर्तें पूरी हुईं कि नहीं, इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार शासन को होगा और शासन का आदेश ही अंतिम होगा।" इसमें अदालत के अधिकारों पर कुठाराघात का उद्देश्य बिलकुल नहीं है। इसमें शासकीय रकम के सदुपयोग का मतलब जरूर है। उपाध्यक्ष महोदय, शर्तें पूरी हुईं कि नहीं, इस संबंध में निर्णय या तो हमारे कोई अधिकारी करेंगे जिनको हम निर्णय करने का अधिकार दें या शासन स्वयं करेगा। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि अंतिम निर्णय का अधिकार शासन के हाथ में नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले यह कहा था कि अगर किसी अधिकारी को निर्णय करने का अधिकार दिया जाये कि किसी उद्योग के संबंध में सहायता लेने वाले ने शर्तें पूरी की कि नहीं और उसके संबंध में हमारे अधिकारी जाँच करते हैं और उसके संबंध में हमारे अधिकारी यह समझते हैं कि उनके निर्णय के संबंध में अदालती कार्रवाई होगी और शासन जो कुछ

निर्णय करेगा, वह अंतिम नहीं होगा तो उनके दिल में अनिश्चितता की भावना बनी रहेगी इसके पहले मैंने कहा था कि प्रशासन करते समय या जाँच करते समय किसी अधिकारी के मन में अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए और इस तरह खण्ड 28 के पहले उपखण्ड से अधिकारियों का संबंध आता है। यदि किसी अधिकारी को निर्णय का अधिकार न भी हो, पर जाँच और राय तो वे ही देंगे कि किसी औद्योगिक सहायता की शर्तें पूरी हुईं कि नहीं। जाँच होगी, उसके बाद इस संबंध में शासन निर्णय करेगा। अगर माननीय सदस्य का यह मतलब है कि शासन निर्णय न करे और यह निर्णय अदालत पर छोड़ दिया जाये तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने उद्योग के लिए सहायता ली है, ऋण लिया है, शर्तें पूरी नहीं कीं, मकान ठीक तरह का नहीं बनाया, यंत्र उस तरह से नहीं लगाया जिस तरह की शर्त थी तो हमारा अधिकारी उसकी जाँच करेगा। उसके बाद या तो हमारा अधिकारी निर्णय लेगा या उसको अधिकार नहीं है तो शासन निर्णय लेगा कि सहायता लेने वाले ने शर्त पूरी नहीं की। यदि यह उपखण्ड नहीं रहेगा तो सहायता (एड) लेने वाला आदमी कई वर्ष तक रुपये का दुरुपयोग करता रहेगा, शर्त भी पूरी नहीं करेगा, सार्थक उपयोग भी नहीं करेगा और अदालत में मामला चलेगा और गलती करने वाले के जरिए जब अदालत में मामला जायेगा तो वर्षों मामला चलेगा, फिर शासन पर यह आक्षेप लगाया जायेगा कि शासन ने एक व्यक्ति को कर्ज दिया, उसने मकान नहीं बनाया, यंत्र नहीं लगाया, वह शासकीय सहायता का दुरुपयोग कर रहा है और शासन कुछ नहीं कर रहा है, यह सब पक्षपात है। उपाध्यक्ष महोदय, इस ख्याल से कि हमारे रुपये का ठीक तरह से उपयोग हो, और जिस शर्त पर सहायता दी गई है, वह पूरी हो और साफ बात है, जो ऋण देने वाला है, सहायता देने वाला है, उसे अधिकार होना चाहिए निर्णय करने के लिए कि सहायता की रकम का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं और इसके सिवाय जो भी निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा वह मनमानी की बात तो नहीं होगी। सहायता के लिए शर्त होगी। इकरारनामा होगा। उसकी देखभाल करेंगे फिर निर्णय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो उपखण्ड रखा गया है वह उद्योग के विकास के हित में होगा इसलिए उस उपखण्ड का रखना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि मैंने माननीय सदस्यों को समझाने की और उन्हें संतोष देने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश उद्योगों को राज्य सहायता विधेयक, 1958 (संख्या 7, 1958) खण्ड 28 में निम्नलिखित संशोधन किया जाये —

"विधेयक के खण्ड 28 के शब्द"

कम किये जायें तथा उपखण्ड (1) कम किया जावे और उपखण्ड (2) का "2" कम किया जावे।"

(विभाजन द्वारा मतदान हुआ)

ACC.No..... Book No..... Date..... 26922

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन के पक्ष में 14 और विपक्ष में 78 मत।

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ/3318-23 व 3327)

उपाध्यक्ष महोदय ने उप उद्योग मत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता का प्रस्ताव सदन के समक्ष उक्त उद्योग संबंधी विधेयक विधि बनाने के लिए प्रस्तुत किया -

उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश उद्योगों का राज्य सहायता विधेयक, 1 1958 (संख्या 7, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश स्टेट एड टू इंडस्ट्रीज बिल, 1958 (नंबर 7 आफ 1958) विधि बने।

इस प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई। बहस में निर्दलीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा—

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई तो नहीं दे सकता कि उन्होंने इन संशोधनों को पास होने से रोका, हाँ अपनी लाचारी पर दुःख मुझे अवश्य है लेकिन उस दुःख के साथ ही साथ मुझे कुछ संतोष भी है कि कितनी ही धीमी आवाज से सही, कितनी ही कम शक्ति से सही, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। अध्यक्ष महोदय, अगर हम अपनी मध्यप्रदेश विधानसभा के इस एक साल के छोटे-मोटे इतिहास को ही देखें तो हमें कई कानून ऐसे मिलेंगे जो चाहे वह इंडस्ट्री से डील करता हो, चाहे सेल्स टेक्स से

डील करता हो, या किसी सब्जेक्ट से डील करता हो, जहाँ पर शासन ने यह क्लाज रखने का दुस्साहस न किया हो कि शासन के ऑर्डर्स और डिसीजन्स फाइनल होंगे और इस प्रदेश के किसी नागरिक को यह अधिकार न होगा कि उसके खिलाफ किसी अदालत में जाकर कुछ कर सके। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को पूरा अधिकार है, अपने लॉ डिपार्टमेंट से ड्राफ्ट करवा कर कोई भी बिल यहाँ ला सकते हैं और विधि की विडंबना भी है, आज आपको यह भी अधिकार है कि ऐन-केन-प्रकारेण उसे कानून के रूप में पारित भी करवा सकते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस चीज का अधिकार होते हुए भी यह मनोवृत्ति उस चीज की द्योतक है, जो प्रजातंत्र के पोषकों की शक्ति में बहुत खतरनाक चीज साबित हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह कोई आइसोलेटेड फैक्ट नहीं होता, अपने नित्य के जीवन से, शासन के नित्य के कार्यों से उसकी मनोवृत्ति झलकती है। इसलिए अगर मैं यह कहूँ कि इस तरह का प्रावधान विभिन्न मामलों के ऊपर रखने का, एक कारण यह भर शासन का है कि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि आज इस देश में, जैसा कि उसको समर्थन करना चाहिए, और जैसा कि वह समझता है कि समर्थन उसके पास है भी, उससे वस्तुस्थिति कुछ और हो रही है और तभी किसी मनुष्य का यह कहने का दुस्साहस होता है कि जो कुछ हम कहते हैं सही है। दूसरे को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि इस संसार में केवल परमात्मा को छोड़कर कोई भी मनुष्य यह नहीं कह सकता कि मैंने जो कहा वही सही है, दूसरा उसमें कुछ नहीं कह सकता लेकिन आश्चर्य है, अध्यक्ष महोदय, कि शासन उसी सिद्धांत को अपने विभिन्न कानूनों द्वारा हम लोगों के सामने ला रहा है। बार-बार हम लोगों ने इस पर आपत्ति उठायी है और इस विधानसभा का बहुत-सा समय केवल इस बात में चला गया कि नैतिकता, प्रजातंत्र के युग की नैतिकता, मानव समाज के पारस्परिक संबंधों की नैतिकता क्या है और उसको दृष्टिगोचर रखते हुए, आपका कार्य अनुचित है, लेकिन उनमें से किसी पर भी आपने ध्यान नहीं दिया। यह तो बिलकुल कामनसेंस की बात है कि अगर दो आदमियों में किसी बात पर मतभेद है तो यह कहें कि तुम्हीं दोनों में से एक इसका निर्णय कर लो, तो यह कहाँ का न्याय और बुद्धिमत्ता है? मैं जानता हूँ कि उधर के बैठे माननीय सदस्यों के बीच में कभी मौका आता होगा, क्योंकि पार्टी में भी कभी बड़ी गड़बड़ होती है। पार्टी में जब दो नेता भिड़ जाते हैं तो अगर उन्हीं को डिसक्रेशन दे दी जाये कि वे निर्णय कर लें तो मैं समझता हूँ कि जो आज मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, उनमें से कई निकाल दिए गए होते। जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो आप हाईकमांड के पास क्यों दौड़े जाते हैं। यह तो कामनसेंस की चीजों पर सब चीजें बेस्ड होती हैं। अगर इतनी सीधी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके पीछे इतना बड़ा सिद्धांत निहित है, तो अध्यक्ष महोदय, सिवाय लाचारी के और उस दिन की प्रतीक्षा करने के कि जब आपके ये कारनामे एक दिन ऐसा रूप धारण कर लें, जबकि उसको आपसे संभालते न बनेगा, क्या रह जाता है। हाँ, उसका एक परिणाम अवश्य होगा कि आपके साथ-साथ देश की यह बढ़ती हुई प्रगति भी पीछे हो सकती है, यह परिणाम हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस संदर्भ में सन् 1789 की फ्रांस की क्रांति स्मरण आ रही है, उस वक्त शासन के जितने भी अधिकार थे, जुडीशियरी फाइनेंशियल, इक्जीक्यूटिव, सब एक गुट के हाथ में समेट कर रख दिए थे। अध्यक्ष महोदय, आज वह परिस्थिति संयोगवश या भाग्यवश अपने यहाँ है, लेकिन आज शासन में जो लोग बैठे हैं, उनकी मनोवृत्ति उस ओर जा रही है, उसका आभास अध्यक्ष महोदय, इस देश को बहुत अच्छी तरह मिलता जा रहा है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ/3329-30-31)

उद्योग संबंधी उक्त विधेयक पर बहस आगे बढ़ी। एक सदस्य श्री वसंत सदाशिव प्रधान (धार) ने सिविल कोर्ट बिल का उद्धरण देते हुए कहा कि माननीय अध्यक्ष, यह धारा हमने पास कर दी है। जिस न्यायालय का न्यायाधीश किसी पक्ष से संबंध रखता हो, जिसमें उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो, उस प्रकरण की सुनवाई वह नहीं कर सकता है, यह सिद्धांत माना है। यह व्यवहार न्यायालय विधान की धारा में है। स्वयं पक्षकार हो, अथवा पक्ष में हित रखता हो तो वह प्रकरण का निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकता, यह सिद्धांत है।

इस पर तुरन्त टिप्पणी करते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कहा "माननीय उद्योग मंत्री बेचारे

क्या जानें वह माननीय विधि मंत्री का कानून था।"

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3332)

बहस आगे बढ़ी। उप-उद्योगमंत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता ने बहस का जवाब देना शुरू किया। बहस के जवाब के अन्त में श्री गोमाश्ता जी और श्री अर्जुनसिंह के बीच इस प्रकार जवाब-सवाल हुए -

श्री केशवलाल गोमाश्ता : जो व्यक्ति इंट्रेस्टेड हों, आवेदक के एजेंट हों, सलाहकार हों, तो सदस्य की हैसियत से वे बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। जो भी प्रावधान रखे गए हैं, वे सब इस ख्याल से हैं कि इस कानून का प्रशासन ठीक तरह से हो और औद्योगिक विकास का उद्देश्य पूरा हो सके।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि यह जो रूल मेकिंग पॉवर की बात है, मंत्री जी ने हाउस में कहा था, पाबंदी लगाने की बात कही, वह सदस्यों की राय से होगा।

श्री केशवलाल गोमाश्ता : माननीय अध्यक्ष, मुझे दुःख है कि मैं इस संबंध में अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3336)

प्रश्नोत्तरकाल में सदस्य श्री शिवनाथप्रसाद के मूल प्रश्नोत्तर के समय सदस्य श्री अर्जुनसिंह की व्यंग्यात्मक टिप्पणी। पूरे प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं -

श्री शिवनाथप्रसाद : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रीवा विकासखण्ड की स्थापना किस दिनांक को हुई? (ख) उक्त विकासखण्ड के द्वारा कितना निर्माण कार्य आज तक हो चुका है? (ग) उक्त विकासखण्ड में सरकारी रुपया कितना दिया गया है? (घ) जनता की ओर से कितना जन सहयोग प्राप्त हुआ?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) दिनांक 1-4-57 को हुई है। (ख) रीवा विकासखण्ड द्वारा अब तक जितने निर्माण कार्य हुए हैं सविवरण सूची पुस्तकालय में रखी है। (ग) कुल 63000 रु. का प्रावधान था। (घ) 11,671 रु. नगद व 89,575 रुपये श्रमदान के रूप में प्राप्त हुआ।

श्री शिवनाथप्रसाद : 63 हजार रुपये के प्रावधान में से 31-3-58 तक कितना रुपया खर्च हो चुका है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ तरजी मशरिकी : श्रमदान के रूप में और नगद के रूप में कुल रुपया 1,01,246 खर्च हुआ है।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह 63 हजार रुपये की रकम तो उसमें दी हुई है, उन्होंने पूछा है कि उसमें से 31-2-58 तक कितनी खर्च हो चुकी है।

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ तरजी मशरिकी : इसके लिए सूचना की जरूरत है।

श्री शिवनाथप्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जो स्नान गृह बनाए गए हैं, वह सार्वजनिक स्थान पर बनाए गए हैं या व्यक्तिगत पट्टे की जगह पर बनाए गए हैं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ तरजी मशरिकी : जमीन तो सरकारी है, लेकिन श्रमदान से बनाए गए हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : जो यह गुसलखाने बनाए गए हैं, इनके बारे में किसी से उज्रदारी की है?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ तरजी मशरिकी : मैंने कहा है कि इसके लिए सूचना चाहिए शासन के इल्म में नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : गुसलखाने की बात बताना उचित नहीं है, ठीक कह रहे हैं।

श्री शिवनाथप्रसाद : क्या यह सही है कि एक पैसे का भी काम नहीं किया गया है, ऐसे भी कोई इलाके यानी एरिया हैं?

श्री मौलाना इनायत उल्ला खाँ तरजी मशरिकी : इसके लिए भी सूचना चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3368-69)

सदस्य श्री अर्जुनसिंह द्वारा पूछे गये कुछ तारांकित प्रश्न, पूरक प्रश्न और उनके उत्तर -

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पुलिस सुपरिन्टेंड को आठ माह पूर्व सिमरिया ग्राम पंचायत के पंच श्री बाबई से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें पोंड़ी ग्राम के निवासी

श्री बरामदिन कलार को उसी पंचायत के सभापति द्वारा नाबालिग लड़की के बेचे जाने के बारे में सूचना दी गई है? (ख) क्या सभापति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धारा के अंतर्गत कोई मामला दर्ज किया गया था और यदि हाँ तो किस तारीख को? (ग) पुलिससुपरिन्टेंडेंटने इस मामले का चालान न्यायालय में पेश करने में क्या कार्रवाई की?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : (क) जी हाँ। (ख) जी नहीं, क्योंकि अपराध का होना पाया नहीं गया। (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्रीमती गायत्रीदेवी पुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर यह है कि जो प्रश्न पूछा गया है, वह स्पष्ट नहीं है। प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस जिले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है।

श्री गोविन्दनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब प्रश्न एडमिट कर लिया गया है तब क्या यह प्वाइंट ऑफ आर्डर उठ सकता है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बतावेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतावेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट थाने में की गई थी?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह बताया गया है कि की गई थी।

श्री अर्जुनसिंह : क्या थाने में आफेंस रजिस्टर हुआ था?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : इसका उत्तर दिया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : यह कहा गया है कि शिकायत हुई है। आफेंस दर्ज हुआ है या नहीं, यह नहीं बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर में बताया गया है कि "जी नहीं" क्योंकि अपहरण का होना नहीं पाया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : पहले आफेंस रजिस्टर होगा, तभी इन्क्वायरी करने का पता पड़ेगा या शिकायत पर से ही मालूम हो गया?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : प्राइमाफेसी आफेंस होना नहीं मालूम होता है तो आफेंस रजिस्टर नहीं होता है।

श्री अर्जुनसिंह : क्या इस आफेंस को कोर्ट में जाने लायक मानकर पब्लिक प्रासीक्यूटर ने यह सलाह दी थी कि प्रासीक्यूट किया जावे?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह मैं नहीं बता सकूँगा, क्योंकि यह बताया जाना जनहित में नहीं है। जहाँ तक प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए था, वह मैंने दिया है कि आफेंस नहीं बनता था, इसीलिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।

श्री रामकिशोर शुक्ल : क्या चालान इसलिए नहीं किया गया कि सभापति काँग्रेस के कर्मठ सदस्य हैं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : शासन इस बात पर विचार नहीं करता है कि वे कौन हैं, जिनके खिलाफ शिकायत की गई है, वह राजा है या रंक है या किसी पार्टी के सदस्य हैं, ऐसा प्रश्न उचित नहीं है।

श्री रामकिशोर शुक्ल : क्या जनहित में बताना इसलिए उचित नहीं है कि वे काँग्रेस के कर्मठ सदस्य हैं?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : यह बात गलत है। अगर सदस्य चाहें तो विवरण दिया जा सकता है, जिससे ज्ञात हो सके कि ऐसा अपराध होना पाया नहीं जाता। रजिस्टर में इस प्रकार सब का विवरण है, जिससे ज्ञात हो सकता है कि आफेंस होना पाया नहीं जाता।

श्री जगदीशनारायण अवस्थी : यह रिपोर्ट जो हुई थी, जो शिकायत आई है, वह अगर झूठी पाई गई तो जिन्होंने शिकायत की थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई क्या?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठेगा कि अगर कोई अपनी नासमझी में कोई शिकायत करे तो वह अपराध नहीं बनेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3370-72)

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर -

श्री अर्जुनसिंह : क्या शासन यह बताने का कष्ट करेगा कि इस पर बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में गवर्नमेंट ने डिसिजन ले लिया है कि सब दफ्तर भोपाल में शिफ्ट किए जावेंगे?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे जैरेगौर है और इसमें कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि

भोपाल में इमारतों के बारे में काफी कठिनाई है। भवनों की कमी है और लायें भी तो कई वर्ष लगेंगे और सिर्फ दफ्तर आने का ही सवाल नहीं है, दफ्तरों के साथ-साथ सैकड़ों, हजारों कर्मचारी भी आयेंगे और उनके रहने का सवाल आयेगा। इसके साथ-साथ प्रोजेक्ट का भी सवाल है, इसलिए मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा कि बेसबरी नहीं करना चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3375)

अतारांकित प्रश्नोत्तर —

श्री अर्जुनसिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री बलवीरसिंह, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, जिनके पत्र की फोटो स्टेट कापी नवंबर-दिसंबर 1957 के गत सत्र में सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर हो रही बहस के समय दिनांक 4-12-57 को प्रस्तुत की गई थी?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : श्री बलवीरसिंह, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस को दिनांक 25-2-58 से निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जाँच की जा रही है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3387)

नियम 126 के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा —

सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी (सीधी) ने नियम 126 के तहत सार्वजनिक महत्व के विषय के अंतर्गत सभापति महोदय के माध्यम से प्रस्ताव रखा कि "बेलाडीला की लोहा खदान, जबलपुर जिले में एल्युमिनियम कारखाना तथा रिहंद बांध से मध्यप्रदेश को लाभ मिलने के हक संबंधी विषयों पर केन्द्रीय सरकार ने जो हाल ही में निर्णय लिए हैं, उसमें इस राज्य की हानि हो जाने की संभावना है, यह बात केन्द्रीय शासन के ध्यान में लाकर इस प्रदेश को उपयुक्त सुविधा देने के लिए मध्यप्रदेश शासन केन्द्रीय शासन से अनुरोध करे।"

सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी एक प्रस्ताव इसी विषय पर अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया था चूँकि इस प्रस्ताव को सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने मूव किया इसलिए उनका प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने पढ़कर सुनाया तथा चर्चा के लिए अपनी स्वीकृति दी। इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने अपना कथन प्रस्तुत किया —

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रस्ताव इस सदन के समक्ष है, सीधी से आये हुए माननीय विधायक के साथ मेरा भी एक प्रस्ताव था जो कि इसी तरह का था और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। माननीय सदस्य जो सीधी से आये हैं अभी उन्होंने कई पहलुओं पर काफी प्रकाश डाला है। अभी हमारे सामने बैठे इस सदन के सबसे श्रद्धेय और वृद्ध सदस्य ने जो विचार प्रकट किए हैं, उससे भी मैं बिलकुल सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदय आज का जो वाद-विवाद है, वह वाद-विवाद इस पृष्ठभूमि को लेकर नहीं है कि उचित क्या है। सदन के दोनों तरफ से जो चीज सही है, उसका प्रतिपादन किया गया है। अगर मतभेद हो सकता है तो केवल इतना ही कि हम लोग कुछ जवान हैं और तजुर्बेकारी की कुछ कमी है। हो सकता है कि उसके कारण हम कुछ जल्दबाजी करते हों। उधर बैठे हुए सदस्यों में जरा बुजुर्गी और तजुर्बेकारी ज्यादा है और इसलिए शायद वह ऐसा न करें लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि लक्ष्य दोनों का एक ही है। इस संदर्भ में जो चीजें आप चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, रिहंद के बारे में ही मैं ज्यादा कहना चाहता हूँ क्योंकि बाकी दो के बारे में काफी प्रकाश डाला जा चुका है। रिहंद के बारे में जो स्टेस्टिक्स हमें मिले हैं, वह इस प्रकार हैं -

"अपने मध्यप्रदेश में जो कैचमेंट एरिया होगा वह करीब 4.500 स्क्वेयर माइल्स का है, जो पूरे एरिया का करीब 9/10 है। अपने म.प्र. के 46 गाँव डूबेंगे। 30 हजार एकड़ जमीन डूबेगी। आठ हजार एकड़ खेती शुदा जमीन डूबेगी। सात हजार लोग उससे अफेक्टेड होंगे और उनके कंपनशेसन का अनुमानतः व्यय 29 लाख होगा और रिहेविलिटेशन का 42 लाख के करीब पड़ेगा और इससे जो पावर जनरेट होगी वह करीब 1 लाख 5 हजार किलोवाट होगी।"

अध्यक्ष महोदय, इन बातों को सामने रखकर मैं कुछ और बातें बतलाना चाहता हूँ जो मुझे अपनी सीमा के अंदर मालूम हुई हैं। यह रिहंद का किस्सा, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं - स्टोरी ऑफ ब्रोकन प्रे है। जब रिहंद डेम बनने की बात पहले आई तो इस प्रदेश में कोई 500 से अधिक राज्य थे जिनमें से एक रीवा राज्य भी था। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जितने एकड़ एरिया मैंने बताया है, यह सब उसी राज्य के अंदर का था अतः यह स्वाभाविक था कि उत्तर प्रदेश सरकार रीवा सरकार से इस बात के लिए समझौता करती, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उत्तर प्रदेश के कम्युनिकेशन मिनिस्टर, मुझे उनका नाम इस समय ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी भी उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर थे, उसी समय वहाँ से कम्युनिकेशन मिनिस्टर रीवा आये थे और रीवा के प्राइम मिनिस्टर श्री जयरत्नम से बातचीत की थी। उसके दौरान में, जिसको कि मैं एक जेंटिलमेंस एग्रीमेंट कहूँगा, हुआ क्योंकि वहाँ कोई साइड एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन यह सोचने की बात है अध्यक्ष महोदय, जब किसी प्रदेश का जिम्मेदार मिनिस्टर उस प्रदेश की ओर से किसी दूसरे प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर के पास आता है तो उसके लिए यह कहना कि उसके पास ऐसे अधिकार नहीं हैं कि वह गवर्नमेंट को किसी बात के लिए बाध्य कर सके, उचित न होगा। उ.प्र. के कम्युनिकेशन मिनिस्टर और रीवा के प्राइम मिनिस्टर के बीच जो तय हुआ, वह इस प्रकार से था कि उत्तर प्रदेश सरकार रीवा सरकार को 2500 किलोवाट बिजली फ्री देगी और 10 परसेंट ऑफ दी रनिंग आउट पुट, कास्ट प्राइस रीवा गवर्नमेंट को देगी। इसके अलावा और भी अध्यक्ष महोदय, बहुत-सी शर्तें हुईं। जैसे कौन उस खर्चे को बर्दाश्त करेगा, जो लाईन डालने पर किया जायेगा। मैं उनके ऊपर नहीं जाता लेकिन यह रीवा दरबार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में जेंटिलमेन्स एग्रीमेंट हुआ। अगर इस एग्रीमेंट की पृष्ठभूमि न होती तो हम नहीं सोचते कि इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार इस कार्य को शुरू कर देती। यह मैं कैसे कह सकता हूँ कि बिना रीवा सरकार के पूछे रिहंद डेम बनाना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इसको जेंटिलमेन्स एग्रीमेंट मानता हूँ। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, 3 अक्टूबर 1948 को पुनः एक मीटिंग विन्ध्यप्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव और उत्तर प्रदेश के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हुई। रीवा स्टेट का विलय इसी बीच होकर विन्ध्यप्रदेश बन गया। 3 अक्टूबर 1948 को जो मीटिंग हुई उसमें मतभेद था। उस मतभेद के बावजूद कुछ ड्राफ्ट एग्रीमेंट हुआ। जो प्वाइंट ऐसे थे, जिन पर दोनों की राय एक थी, उसको मान लिया गया और जो प्वाइंट ऐसे थे, जिन पर मतभेद था, उनको आगे के लिए रखा गया। मतभेद यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि आज उसकी स्थिति यह नहीं है कि वह बिजली की खपत देखते हुए 25 सौ किलोवाट बिजली फ्री दे सके। उसके अलावा जो 10 परसेंट आफ दि रनिंग आउट पुट, कास्ट प्राइस पर देने के लिए वादा हुआ था, उसके लिए कहा कि बजाय, कास्ट प्राइस के बल्क प्राइस पर देंगे, क्योंकि उसमें देने पर घाटा होगा।

जहाँ तक मुझे मालूम है, विन्ध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों ने यही कहा है कि रीवा राज्य से जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अनुसार ही वे लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं। उसके बाद से अध्यक्ष महोदय, पूरे मामले पर पर्दा पड़ गया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी जानकारी शासन दे सकता है। मैं इतना अवश्य चाहूँगा कि उन चीजों को यह समझकर कि उनको सदन में रखेंगे तो वह हमारी भूल होगी उन्हें न रखना उचित न होगा। अगर कोई ऐसी बात है, जिसको सदन के सामने रखने से हम सब आपके साथ हो सकते हैं, तो मैं आग्रह करूँगा और अनुरोध करूगा कि उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय, 3 अक्टूबर 1948 को यह मतभेद था कि कास्ट प्राइस पर देंगे या बल्क प्राइस पर देंगे, आज स्थिति यह है कि वे न तो कास्ट प्राइस पर देने को तैयार हैं और न बल्क प्राइस पर देने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि हमारे पास इतनी बिजली नहीं है कि हम दे सकें। जैसा माननीय विधायक ने कहा, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह नैतिकता के परे नहीं है और इस राज्य के अधिकार पर कुठाराघात नहीं है? अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में और कहना चाहता हूँ जैसा कि और लोगों का कहना है कि रिहंद बांध से मध्यप्रदेश को पानी दिया जायेगा तो टेंक के स्टोरेज में कमी हो जायेगी। मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूँ, केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले वक्त बजट के सिलसिले में विधायकों ने इस संबंध में चर्चा की थी और मैंने भी कहा था। तीसरे

दिन डॉ. सावर, रीजनल रिटायर्ड डायरेक्टर का मेरे पास पत्र आया था। डॉ. सावर गवर्नमेंट के रीजनल डायरेक्टर रह चुके हैं। जो रिपोर्ट हुई थी, समाचार-पत्रों में रिपोर्ट छपी, उसी पर पत्र आया था। उस पत्र में अध्यक्ष महोदय, जो उन्होंने लिखा है, मैं आपकी आज्ञा से उस पत्र के एबस्ट्रक्ट को पढ़ना चाहता हूँ। उसके शब्द इस प्रकार हैं —

Extract of the letter from Dr. S.R. Savur (Rtd.) Regional Director, Ind. Met. Dept., 3/6 Jhansi Ki Rani Marg, New Delhi-1, dated 20th March 1958, addressed to Shri B.B. Lall, I.C.S., Finance Secretary, Lucknow, U.P. Copy sent to Shri Arjun Singh, M.L.A. Bhopal:-

"To ensure adequate supply of water and to lessen the fluctuations in the water level, one or two steam injector units may be installed on a bank of the late (and not far from the dam) about a month before the normal date of onset of the south-west monsoon in the U.P. The steam injectors will induce the rain clouds to yield more rain than would be given otherwise. (For the latest confirmation of the above, reference may please be made to P. 1 of the Times of India (Delhi Edition), dated, Tuesday, 11-3-58, under the heading a Gadget Mystery). Thus an adequate supply of Water will be made available in the lake on the upstream side of the dam.

The capital cost of one steam injector unit (including the accessories) will be about rupees 225, and the recurring expenses (mainly for the electric current) will not exceed about rupees 80 per month. As the south-west monsoon lasts for about 3 months in the U.P. the total running expenses will not exceed about rupees 250 for the whole season."

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा ही है। मैं इस बात को नहीं कह सकता कि जो कुछ पत्र में लिखा है वह सत्य ही हो सकता है। माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, मैं सदन को भी इसकी जानकारी देना चाहता हूँ और इस सदन के द्वारा इस शासन को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि शासन इस ओर ध्यान देगा और इस चीज को टेकअप करके आगे की कार्रवाई करेगा।

एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मैं उनके मत से सहमत हो चुका हूँ। हमसे लोग कहते हैं कि लड़कपन में तेज बातें कर जाते हो। मैं उनकी मंजूरी लेकर एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि अगर यू.पी सरकार ने रिहंद बांध को द्वितीय प्लैन में शामिल कराने के लिए अपना राजनैतिक प्रेस्टीज स्टेक किया, अगर आसाम सरकार अपने प्रदेश में तेल शोधक कार्यालय कायम करने के लिए अपनी प्रेस्टीज स्टेक करे तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या हमारा शासन इसको ट्रीट करने के लिए तैयार है? यह हमारे लिए कोई पोलिटिकल सवाल नहीं है, यह सवाल हमारे लिए लाईफ का सवाल है। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ स्थिति इस प्रकार की है कि 12 महीने अकाल पड़ता रहता है, सीधी जिले के बारे में, जैसा विधायक महोदय ने अकाल की समस्या के संबंध में कहा है, तो अकाल की समस्या हल नहीं हो सकती। इस तरह से इस समस्या को हम हल नहीं कर सकते हैं। अगर इस समय कुछ नहीं किया गया तो इसके लिए अगले साल हमको कुछ करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक किस्सा 'रेड रायडिंग हुड" का याद आया है। मैंने अपनी किताब में पढ़ा है कि जहाँ रेड रायडिंग हुड रहता था वहाँ भेड़िये भी रहते थे। एक भेड़िया रेड रायडिंग हुड के यहाँ गया और उसने कहा मैं अंदर आना चाहता हूँ, रेड रायडिंग हुड ने कहा कि तुम तो भेड़िये हो, यहाँ कैसे आ सकते हो? उस भेड़िये ने रेड रायडिंग हुड को जवाब दिया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दाँत टूट गए हैं, अब मैं तुम्हारा साथी हूँ, जिस तरह तुम काम करोगे वैसा मैं करने लगूँगा। मुझे घर के अंदर कर लो। रेड रायडिंग हुड सोचता रहा। भेड़िया झपटा और कहने लगा कि तुमने अंदर क्यों नहीं किया, उस वक्त क्या हुआ था? वही हाल इस डैम का है, जब डैम के बनाने पर प्रश्न उपस्थित हुआ, उसका अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया। एक-दो साल में डैम बनकर तैयार होने वाला है, जब दिए हुए वादे को हमने पूरा करने के लिए कहा तब हमसे यह कहा जाता है कि हम इस लायक नहीं हैं कि आपकी मदद कर

सकें। शासन केवल इतना ही सदन में कह देता है कि जो कुछ जानकारी होगी, दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय,

In the ebb and flow of the tide of human affairs it is those who dare to riddle the rest of the waves that sweep on to glory and fame, as for those who sulk and hesitate are swept back by the receding tide into the bottomless oblivion of the ocean of life.

I hope and trust that our Hon'ble Chief Minister, who wields immense influence in this State, in the State of U.P. and in the Centre, shall see to it that our rights shall not be sacrificed at the whims and caprices of any one in this country. Let not posterity say that those responsible for the affairs of this State in its formative stages bartered the rights of this State and turned this potentially rich State into the sick man of India.

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958, पृष्ठ/3421-24)

उपरोक्त सार्वजनिक महत्व के विषय पर बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री मनोहरसिंह मेहता (बदनावर) ने अपने भाषण में एक स्थान पर कहा —

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसके बाद एल्युमीनियम के कारखाने की जो बात है, वह विवादग्रस्त प्रश्न है। उसके लिए पावर फ्युल महत्वपूर्ण या बाक्साइट महत्वपूर्ण है, इस पर मैं अपना कोई मत व्यक्त नहीं करना चाहता क्योंकि यह टेक्निकल प्रश्न है और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। जैसा कि उद्योग मंत्रालय की माँग के समय सवाल उठाया गया था, उस समय उद्योगमंत्री ने यहाँ उसको रेफर किया था और बताया था कि टेक्निकल मत इस संबंध में यह है कि एल्युमीनियम के कारखाने के लिए इतना जरूरी नहीं है कि वह खदान के नजदीक हो, बल्कि उसका बिजली के अधिक नजदीक होना जरूरी है इसलिए यह कमेटी की माँग है, उस पर हम कुछ गड़बड़ करें तो ठीक नहीं, अब रही बात बाक्साइट के खदान की, वह इतनी प्रचुर मात्रा में हमारे यहाँ है कि उससे एक नहीं अनेक कारखाने खुल सकते हैं। हमारा जो एल्युमीनियम है, वह बाहर भेजने के लिए काफी है या नहीं। इस बात को कहने के बजाय मिर्जापुर में एल्युमीनियम का कारखाना खुल रहा है और हमारे यहाँ बाक्साइट काफी मात्रा में पाई जाती है इसलिए दूसरे कारखानों की हम माँग करें, इसकी जरूरत है।

श्री मेहता के उपरोक्त कथन पर एक अध्येता और सजग विधायक की तरह सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने श्री मेहता का ध्यान तथ्य और आँकड़ों की ओर आकर्षित किया तो फिर वे श्री अर्जुनसिंह जी से सहमत हो गए। चर्चा इस प्रकार हुई —

श्री अर्जुनसिंह : जैसा आप कह रहे हैं, सही है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीस हजार टन एल्यूमीनियम का लक्ष्य है लेकिन यू.पी. में केवल दस हजार टन उससे प्राप्त होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप विचार करें तो ठीक है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसलिए एल्युमीनियम के कारखाने के संबंध मे मेरा मत है कि मिर्जापुर के अतिरिक्त और कारखाने खुल सकते हैं तो हम यह माँग करें कि शीघ्र ही हमारे प्रदेश में एक कारखाना स्थापित किया जाये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3427)

एल्युमीनियम कारखाने और रिहंद बाँध संबंधी चर्चा आगे बढ़ी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को जो सूचना दी तथा उस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपनी बात कही। यह इस प्रकार है -

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे पास समय बहुत सीमित है और श्री श्यामाचरण शुक्ल के भाषण के पश्चात् मैं श्री श्याम कार्तिक के लिए 4 मिनट का समय दूँगा, उसके बाद श्री चन्द्रप्रताप तिवारी को उत्तर देने के लिए कहूँगा, पर वे अभी यहाँ नहीं हैं, यदि श्री चन्द्रप्रताप तिवारी यहाँ पर उपस्थित रहें तो मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कहूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का मेरा भी प्रस्ताव स्वीकार हुआ है।

अध्यक्ष : लेकिन मूव तो श्री चन्द्रप्रताप तिवारी जी ने किया है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/28 अप्रैल 1958/पृष्ठ 3429)

सार्वजनिक महत्व का उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मत विभाजन के बाद प्रस्ताव के पक्ष में 23 मत, प्रस्ताव के विरोध में 104 मत पड़े।

नियम 126 के अन्तर्गत सार्वजनिक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा—

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी (रीवा) द्वारा नियम 126 के अन्तर्गत प्रस्ताव को सदन के विचारार्थ इन शब्दों में रखा—

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "मध्यप्रदेश के अधिकांश भू-भाग में फैले अकाल और जल संकट को दूर करने में शासन द्वारा की गई कार्रवाई पर सदन विचार करे।"

उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान गरमागरम वातावरण तैयार हो गया। आपसी जवाब-सवाल से तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इस तनाव को बड़े अच्छे ढंग से शिथिल किया सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने -

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : इसकी चिंता आप बिलकुल न कीजिए। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जब हमारे मंत्री जी गए, तब आपने एक आदमी को दो-तीन दिन तक उपवास कराकर सामने खड़ा कर दिया। समझ में नहीं आता कि कहाँ आपकी बुद्धि गई थी। अगर आप उसको भरपेट खिलाते या आधा पेट ही खिलाकर मंत्री जी के सामने पेश करते और कहते कि दो-तीन दिन से भूखा है तो कितना अच्छा होता लेकिन आपने ऐसा न करके जबरदस्ती उसको भूखा रखा। आखिर आप करते क्या रहे, आप किस रोग की दवा हैं? आप जनता के नाम पर चुनकर आते हैं, यहाँ चिल्लाते हैं और आँसू बहाते हैं, मगर उस गरीब को आप दो रोटी भी न दे सके। आप उसको चाय-पानी न देते, डबल रोटी न देते, केवल सूखी रोटी ही खिला देते तो आपकी बात में अधिक जोर होता।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : मैं आपको चेलेंज करता हूँ, क्वेश्चन करता हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं।

अध्यक्ष : आप इन शब्दों को वापस लें कि "आप झूठ कह रहे हैं।"

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : मैं "झूठ" शब्द को वापस लेता हूँ और कहता हूँ कि गलतबयानी है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे नीचे उतरने से बचा लिया।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो मत का प्रश्न है कि ऊपर आने से बचा लिया या नीचे उतरने से बचा लिया।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अप्रैल 1958, पृष्ठ/ 3498)

चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया -

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ताओं के बहकने के कारण समय पर पाबंदी लग गई। समय की वजह से लाचारी है इसलिए मैं जो कुछ भी बोल सकूँगा, 10 मिनट के अंदर ही कहने की कोशिश करूँगा। अभी पूर्व वक्ता महोदय ने यह कहा कि अकाल जानते नहीं, हम लोगों ने अकाल देखा नहीं। अकाल तो वह है, जिसका वर्णन उन्होंने किया, जिसको कि शायद उन्होंने ही देखा है और उन्होंने 19 सौ और कुछ का हवाला दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि कम से कम मैंने खुद उस अकाल की परिस्थिति नहीं देखी, इसलिए संभावना है कि मैं उसकी अहमियत को नहीं समझ सकूँ लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और शासन को यह भी बतलाना चाहता हूँ कि अगर अकाल वह है जो कि माननीय सदस्य बता चुके हैं और अगर आज के युग में भी वैसा अकाल पड़ना संभव नहीं है जिसको आप अकाल मानते हैं तो इतना मैं भी मानता हूँ कि 19वीं शताब्दी के बने हुए मैन्युअल के मुताबिक आज अकाल का सामना भी शायद नहीं किया जा सकता है इसलिए जिस तरह से आज अकाल की परिस्थिति बदल गई है, रूप बदल गया है, उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, इस

अकाल का सामना करने के लिए हम लोगों को कदम भी आज के युग में नये अपनाने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे स्मरण है, एक साल से इसी सदन में इस अकाल को लेकर चर्चा हो रही है। जुलाई से, जब से यहाँ सत्र शुरू हुआ, यह चर्चा हो रही है। अभी सिर्फ 2-3 महिने ही जुलाई के लिए बाकी हैं। हर एक सत्र में किसी न किसी प्रकार से सदन में चर्चा होती है। चाहे वह बहस के रूप में हो या प्रश्नों के रूप में हो। इन सब के उत्तर में लाल रंग की किताब दिखाई जाती है और कहा जाता है कि इस फैमिन कोड के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं। हो सकता है आप उस कोड के मुताबिक कर रहे हों। मैं आपकी नियत पर शंका नहीं करता कि आप उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं। मेरा तो कहना है कि जो कुछ आप कोड के मुताबिक कर रहे हैं, वह आज के युग में लागू नहीं होता क्योंकि आज वह परिस्थितियाँ नहीं हैं, जिनको मद्देनजर रखते हुए कोड बनाया गया था। जितने से लोग उस समय संतोष कर सकते थे, उतने से आज संतोष करना असंभव है। इसका कारण यह नहीं है कि विरोधी पक्ष के लोग भड़काते हैं, बल्कि इसका कारण यह है कि एक सौ मील में इस देश में जो नई लहर दौड़ी है, उसके कारण आज का एक-एक नागरिक सरकार से दूसरी ही आशा करता है। आज वह उतने से संतुष्ट न होगा कि एक कोने में बैठा दें और बड़ा-सा पत्थर रख दें तथा कहें कि इसको कूटो और शाम को 12 आने मजदूरी दे देंगे। इस ओर से उस ओर से यह कहेंगे कि आज के दृष्टिकोण से देखें तो यह अस्वाभाविक न होगा, परंतु अध्यक्ष महोदय, मुझे नम्रता पूर्वक कहना पड़ेगा कि शासन ने उस नज़र से देखने की कोशिश अभी तक नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, जुलाई से इस सदन में इस अकाल की समस्या पर विचार होता रहा और अभी तक कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समस्या पर कहना शुरू किया। इस सदन के प्रत्येक सदस्य ने, सभी दलों के सदस्यों ने उस विचार को किसी न किसी रूप में दुहराया कि हम लोग उस अकाल समस्या को राजनैतिक दलदल से ऊपर उठाकर रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी भावना को व्यक्त करना बहुत अच्छा काम था। ऐसा करना इस सदन के सदस्यों को शोभा देता है लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम आगे चलकर देखते हैं कि इस भावना के मुताबिक एक भी कार्य नहीं किया गया है तब साफ प्रकट होता है कि एक भी सदस्य ने न तो इस ओर से और न उस ओर से इस पृष्ठभूमि को लेकर, अकाल की समस्या को राजनीतिक दलदल से ऊँचा उठाकर चलने का एक भी कदम नहीं उठाया। और आज आम जनता में एक निराशा-सी नजर आ रही है। उसका कारण यह है कि हम तो यह कहकर छुट्टी पा सकते हैं कि हम तो शासन में बैठते नहीं हैं और शासन में न होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष महोदय, यह कहकर छुट्टी पा सकते हैं कि पूर्ण सहयोग नहीं मिलता है इसलिये जो लाभ होने वाला है, वह नहीं पहुँचा सकते और इस तरह हम दोनों ही यह कहकर सफल बन सकते हैं लेकिन क्या इस तरह कह देने से ही अकाल की समस्या हल हो जायेगी? अगर आप यह ठीक समझते हैं तो ठीक है। आप भी कहें, हम लोग भी कहें, लेकिन मैं तो कहने को तैयार नहीं हूँ। मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय से यह कह देना चाहता हूँ कि अकाल की समस्या को सार्वजनिक समस्या का रूप देकर टसका सामना करना चाहिए और जब आप इस रूप में यह प्रश्न उठायेंगे, तब प्रत्येक दल के सदस्य को सहयोग करने में किंचित्मात्र संकीच नहीं होगा और अगर इस प्रकार का कदम उठता तो प्रत्येक दल के सदस्य आपको सहयोग देते और अगर वे संकोच करते तो जनता के सामने आते और उस समय जनता उनसे पूछती कि आपने सहयोग क्यों नहीं दिया, जब आप इस तरह के कदम नहीं उठाते तो हमारे जो फण्डामेंटल राइट्स हैं उनका उपयोग करना ही पड़ता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखकर दिया और जबानी राजस्व मंत्री महोदय से कहा और आज मैं सदन में फिर दोहराना चाहता हूँ कि आप इस बात को जनता के सामने रख दें कि इस प्रदेश की माली हालत को देखते हुए कितना रुपया इस अकाल की समस्या पर देना चाहते हैं। आप यह कहते हैं कि जितना भी रुपया अकाल के लिए आवश्यक होगा उतना हम देंगे। यह कुबेर का भण्डार न आपके पास है और न हमारे पास। और मैं आपसे कहता हूँ कि यह केवल मिथ्यावादी है और अगर उसमें एक अरब रुपया लगा तो आप कहाँ से लायेंगे? क्या आपका केवल इतना ही तात्पर्य है कि आपके पक्ष के सदस्य अगले आने वाले चुनाव में यह कह सकें कि हमने तो यह घोषणा कर दी थी कि अकाल निवारणार्थ जितना भी रुपया लगेगा, वह लगायेंगे

और हमने समस्या को हल कर दिया। इसके विपरीत अगर आपका तात्पर्य यह नहीं है बल्कि समस्या को सुलभ करना चाहते हैं तो कृपया इस प्रकार की बात न कहें और आप केवल इतना ही कहें कि हम अपने बजट के मुताबिक इतनी धनराशि दे सकते हैं और फिर उस धनराशि का बँटवारा प्रत्येक तहसील और प्रत्येक पंचायत के क्षेत्र के मुताबिक करें और उस क्षेत्र के लोगों की एक कमेटी बनायें तथा वे उस समस्या का हल निकालें क्योंकि उन्हें उनके क्षेत्र की हालत मालूम होती है। यहाँ पर बैठकर कुछ नहीं समझ सकते हैं कि अमुक क्षेत्र में क्या कठिनाई पड़ेगी और किस प्रकार से समस्या सुलभ की जा सकती है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं अपने मित्र से यह कहना चाहता हूँ कि इस संकट के लिए बजट में कुछ प्रावधान किया गया है और शासन ने अपनी मर्यादाएँ बतायी हैं लेकिन जो शासन बार-बार कहता है कि इस कठिन काम के लिए अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता हुई तो वह अवश्य खर्च की जायेगी, इसको कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह अत्यधिक महत्व का सवाल है और यदि संकट अधिक हुआ तो शासन ने सब स्थिति को देखते हुए अपने बजट में प्रावधान किया है और यदि आगे जाने का समय आया और उस प्रावधान से अधिक खर्च करने की आवश्यकता हुई तो उस प्रावधान को बढ़ाने के विषय पर शासन विचार कर सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वित्तमंत्री महोदय ने कहा मैं उसको मानता हूँ। आपने बजट में सब रख दिया है लेकिन आये दिन जब मंत्री महोदय जनता के सामने कहते हैं, असर उसका पड़ता है। आपका जो बजट है, वह तो जनता में वितरित नहीं होता है।

श्री हरिभाऊ जोशी : क्या वे अपनी सही स्थिति बतलाकर दिवालिया घोषित कर दें?

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह नहीं चाहता हूँ कि अपना प्रदेश दिवालिया हो और न ऐसा होने की संभावना ही है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय जोशी जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अगर दिवालिया बनने का मौका आया भी तो क्या वह दिवालियापन से अलग रह जायेंगे, जो कुछ होगा उसका असर उन पर भी पड़ेगा।

अध्यक्ष : मैं श्री हरिभाऊ जोशी से यह कहना चाहता हूँ कि उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री हरिभाऊ जोशी : इसमें यदि मंत्री महोदय का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष : आप इन शब्दों को वापस ले लें।

श्री हरिभाऊ जोशी : यह यदि अनपार्लियामेन्टरी है तो मैं वापस ले सकता हूँ।

अध्यक्ष : फिर आपने खेद किस लिए प्रकट किया है?

श्री हरिभाऊ जोशी : खेद इसलिए प्रकट किया है कि उनकी आत्मा को दुःख हुआ अगर यह शब्द अनपार्लियामेन्टरी है तो मैं वापस लेने को तैयार हूँ।

अध्यक्ष : आप ऐसी अशिष्ट भाषा का प्रयोग न करें।

श्री हरिभाऊ जोशी : मुझे इसके लिए खेद है, यह भाषा भी अशिष्ट नहीं होगी। सचाई कहना अशिष्टता तो नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अगर शासन का विचार है कि इस समस्या का सामना करने के लिए आपको सबका सहयोग प्राप्त हो तो आप ऐसा कदम उठाएँ, जिससे सब लोग आपको सहयोग दे सकें।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त।

श्री अर्जुनसिंह : मैं एक मिनट में ही अपना भाषण समाप्त किये देता हूँ। माननीय राजस्व मंत्री महोदय अभी रीवा संभाग में जा रहे हैं, आशा है, वह इस तरफ ध्यान देंगे कि उनको रिलीफ के कामों को सफल बनाना है। आप एक कार्य करें, वह यह कि बरसात आ रही है, जो मामूली रिलीफ के काम हैं, तालाब आदि का काम तो चल नहीं सकता, उनके लिए उस क्षेत्र के लोगों की सलाह देने के बाद शुरू करें, ग्राम पंचायतों के द्वारा लोगों की राय मालूम करें कि बरसात के दिनों में लोग कौन-कौन से काम चाहते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में काम जरूरी है जबकि उनका पुराना अनाज नहीं होगा। उस बीच उन्हें कैसे राहत मिल सकती है, इस तरफ खास ध्यान रखें। बरसात के दिनों में जब आवागमन के साधन रुक जाते हैं तब वहाँ धान और कोदों आदि बोने के लिए

बीज देने की व्यवस्था की जावे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अप्रैल 1958, पृष्ठ/3499-3501)

अकाल की स्थिति को लेकर बहस आगे बढ़ी। बहस का यह अंश यहाँ प्रस्तुत है—

श्री राजारामसिंह : आज तो हम इस बात को सोच रहे हैं कि इस अकाल की परिस्थिति का कैसे मुकाबला किया जाये। तो मैं निवेदन यह कर रहा था कि सर्वदलीय कमेटी की उलझन में इस प्रकरण को उलझा देने से कोई राहत नहीं होगी और इससे जनता की दुर्दशा होगी। इसके साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी की उस बात का स्वागत करता हूँ जो उन्होंने कहा है कि अकाल के लिए धन का प्रोवीजन बजट में किया है कि जब भी ऐसी स्थिति हो, उसका मुकाबला किया जाये। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए जितने भी रुपयों की जरूरत होगी, उतनी रकम खर्च करेंगे, उससे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य उनकी इस तरह की बातों को काफी क्यों नहीं समझते। मैं समझता हूँ कि कहीं भी बैठकर अगर सोचा जाए तो यह बात स्वागत के योग्य है। मैं उनकी घोषणा का स्वागत करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें शंका क्यों पैदा होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन के अंदर भी और बाहर हर एक पब्लिक मीटिंग में यह भी घोषणा की थी कि हम हर तीन साल के फासले पर रिलीफ वर्क खोलेंगे और आप खुद जाकर ऐसी जगहों में देख सकते हैं कि क्या हालत है तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही घोषणा करें और उसके प्रतिकूल बात हो तो जनता का शासन पर अविश्वास करना सर्वथा स्वाभाविक है।

श्री राजारामसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मैं चाहूँगा कि अभी-अभी सदन के सामने जो माननीय सदस्य के द्वारा एक सुझाव आया है कि ऐसे क्षेत्रों में तकावी का वितरण किया जाये, अच्छे बीजों का वितरण किया जाये, किसानों को सस्ता गल्ला दिया जाये और इसके साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति पैदा न हो कि फिर अकाल की परिस्थिति पैदा हो जाये, तो इन सब की रोकथाम के लिये शासन को सजग होना चाहिए और उस समय जो भी परिस्थिति आये, उसका मुकाबला हर संभव तरीके से करने के लिए शासन तैयार रहे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह (मनगवाँ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल जैसी गंभीर और करुण समस्या के ऊपर जब विचार हो रहा है तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जो सदन के भीष्म पितामह माननीय पाण्डे जी हैं, वे आज टेबल ठोंकते हुए देखे गए और इस तरीके से आज जिस अकाल के विषय में चर्चा चली, मुझे कुछ ऐसा लगा कि इस विषय की गम्भीरता को न इस ओर न उस ओर से महसूस किया जा रहा है जब से बजट पर डिस्कशन चला, बल्कि यों कहिए कि...

श्री सुंदरलाल पटवा : भीष्म पितामह कौरवों के दल में फँस जाने के कारण मजबूर हैं।

श्री अर्जुनसिंह : बाणों की शैय्या न मिले कहीं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3507)

अकाल और शासकीय राहत कार्यों पर चर्चा जारी रही। राजस्व मंत्री श्री भगवंतराव मण्डलोई ने बतलाया कि "इसके साथ ही साथ कलेक्टर्स को आदेश दिए हैं कि फेयर प्राइस दुकानें ग्रामीणों की आवश्यकतानुसार खोलें। फिर इस तरह की आवाज उठाना कि कुछ नहीं हो रहा है, केवल गलत प्रचार की दृष्टि से ही किया जाता है।"

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कहा— "क्या वहाँ गल्ला पहुँचेगा, जहाँ दुकान आपने खोली हैं?

श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : हाँ, अब माननीय अध्यक्ष, शंका की जा रही है कि फेयर प्राइस शॉप्स में गल्ला पहुँचेगा, वहाँ की माँग पूरी होगी या नहीं?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : क्या आप (श्री अर्जुनसिंह) दुकान पर गल्ला खरीदने गए थे?

श्री अर्जुनसिंह : मैंने सुना नहीं आप क्या कह रहे हैं।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3515)

अकाल की स्थिति पर शासकीय पक्ष से राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई बोल रहे थे कि इसी बीच मंत्री जी और सदस्यों के बीच हुई चर्चा के अंश—

श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, जिला मंत्रणा समिति बनी, उसमें आप जाओ नहीं, सलाह दो नहीं, अपनी जवाबदारी पूरी नहीं करो, फिर शासन की टीका करो और कहो कि हमको तो कोई पूछता नहीं, यह कहाँ तक उचित है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप कोई उदाहरण तो दें, हवा में बातें न करें।

श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मैंने रीवा की बात कही और जिला एडवाइजरी कमेटी की बात कही, तीसरी कोई बात तो मैंने नहीं की।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : सहयोग कहाँ नहीं दिया गया, एक भी उदाहरण बताइये?

श्री भगवंतराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : सहयोग का तो हमारा दरवाजा हमेशा खुला है - दिन भर वह नहीं लगता और रात को भी नहीं लगता।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय मंत्री महोदय, सामने का दरवाजा खोल दें और पीछे का दरवाजा बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा हो।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 अप्रैल 1958 पृष्ठ/ 3518)

अतारांकित प्रश्न -

श्री अर्जुनसिंह : क्या उद्योग मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने अमरकंटक में एल्युमीनियम प्लांट लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

श्री तख्तमल जैन : श्री मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी एल्युमीनियम बनाने की संभावनाओं की जाँच करने के लिए नियुक्त की है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अप्रैल 1958, पृष्ठ/3555)

औचित्य का प्रश्न -

अध्यक्ष महोदय ने माननीय विधि मंत्री डॉ. शंकरदयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ इन शब्दों में रखा—

"मध्यप्रदेश की विधानसभा सदस्यों (के वेतन और भत्ते) संबंधी (संशोधन) विधेयक 1958 (संख्या 13, 1958) अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (सेलरीज एण्ड अलाउन्सेज) (अमेंडमेंट) बिल, 1958 (नंबर 13 ऑफ 1958) पर तुरन्त विचार किया जावे।"

इस पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया। प्रश्न और चर्चा इस प्रकार है -

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइंट ऑफ आर्डर अध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो फाइनेंसियल मेमोरेंडम है, उसमें यह लिखा हुआ है -

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि फाइनेंसियल मेमोरेंडम का जो पर्पज है, किसी फायनेंसियल बिल को रखने का, उसके द्वारा सदन को यह प्रत्यक्ष जानकारी हो जाए कि हमारे इस बिल के पास करने पर, इस सदन का या इस राज्य का कितना रुपया खर्च होगा। इस फाइनेंसियल मेमोरेंडम में जो सूचना दी गई है, वह अनुमानित दी गई है कि शायद 50 हजार रुपये व्यय हो सकता है। 50 लाख हो, एक् लाख हो, डेढ़ लाख हो जाए कम भी हो सकता है, कुछ स्पष्ट नहीं रखा गया है कि कितना फाइनेंसियल एक्सपेंडीचर होगा इसलिए मेरा यह औचित्य का प्रश्न है कि जब तक डिफिनिट एक्सपेंडीचर न दिया जाए, तब तक इस पर चर्चा नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : वह कौन-सा नियम है?

डॉ. शंकरदयाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, नियम 62 (1) स्पष्ट है। जो शब्द प्रयोग किया गया है उसके अनुसार अनुमानित व्यय देना है। अनुमानित व्यय दिया गया है। मैं नहीं समझता कि कौन-सी कठिनाई पैदा होती है। रूल 62 (1) इस प्रकार है :—

"62 (1) A bill shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure, and shall also give an estimsate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law"

अनुमान में देना है, अनुमान दिया गया है। मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती।

अध्यक्ष : अब आपकी क्या आपत्ति है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति यही है कि यह जो स्टेटमेंट है, वह किसी बेस पर होना चाहिए, लाइकलीहुड पर नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि इसमें कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अप्रैल, 1958, पृष्ठ/3602-3603)

उपरोक्त विधेयक संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि"अब सदन इस पर खण्डशःविचार करेगा।"

इस विधेयक पर जारी चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस भाषण से उनका प्रजातांत्रिक और जनवादी व्यक्तित्व तथा नजरिया उजागर होता है। आपने कहा कि "यह पूरे देश का सवाल है। यह प्रजातंत्र की माँग है कि पहले जनता की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाये।"—'

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आज सदन में आया है, इसके द्वारा आज हम लोग अपने लिए सदन से कुछ माँग करने जा रहे हैं और इसलिए मैं अगर कुछ संकोच से अपने भावों को प्रकट करूँ तो वह स्वाभाविक ही होगा क्योंकि जब अपने हित की कोई बात होती है तो शिष्ट पुरुष संकोच से ही प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं उस सीमा के अंदर ही सदन में अर्ज करना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने जो मेरे ही दल के हैं, जो भाव व्यक्त किए हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचारों को धोखा दूँगा। मैं अपने कान्शास को धोखा दूँगा, यदि मैं उस भाग से असहमति प्रकट नहीं करता हूँ जो मुझे प्रकट करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होती यदि यही उदाहरण सामने बैठे हुए सदस्यों की ओर से भी मिले जो इस बिल का दिल से तो विरोध करते हैं, परन्तु अपने कान्शास की बात को सदन में नहीं कह सकते। इसी दुख के कारण बहुत से सदस्य इस सदन में मौजूद भी नहीं हैं। मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूँ। हमारे सामने यह शिकायत आयी कि इतने बड़े प्रदेश में माननीय सदस्यों को आवागमन की सुविधा मिलना चाहिए ताकि वे प्रदेश में चल रहे कार्यों को देख सकें और अपनी जिम्मेदारी निभा सकें परन्तु इसके साथ-साथ हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रदेश में आज आर्थिक संकट है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने ही द्वारा बनाये हुए नियमों में अपने को ही लाभ पहुँचायें इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। यह विचारने योग्य बात है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मैं सदन के सामने कुछ कहना चाहता हूँ। पहली बात आर्थिक समस्या की है। इससे हमारी आर्थिक समस्या पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया है इसमें 50 हजार रुपया प्रतिवर्ष खर्च आयेगा। इस खर्च को देखते समय मंत्री महोदय को यह भी बता देना चाहिए कि 50 हजार रुपया उस समय खर्च आयेगा जबकि रोडवेज प्रांत के चौथाई भाग में चल रही है। उस समय 50 हजार रुपया नामिनल खर्च आयेगा जैसा कि सदन को यह बतलाया गया है कि शीघ्र ही संपूर्ण मध्यप्रदेश में ट्रांसपोर्ट चलने लगेगा, उस समय यह खर्च दो लाख भी जा सकता है और तीन लाख भी जा सकता है। मैं इस समय कोई निश्चित रकम नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास इस समय ऐसी कोई जानकारी नहीं है, जिसके आधार पर यह कह सकूँ कि यह खर्च इतना हो जायेगा। फिर आज जो खर्च बताया गया है, उससे तिगुना या चार गुना तो पड़ने वाला ही है।

अध्यक्ष महोदय, आज रुपये की कमी के कारण बहुत से आवश्यक कार्य अधूरे रह जाते हैं और जब उनके संबंध में पूछा जाता है तो उसका एक ही उत्तर मिलता है कि जब कभी रुपया मिलेगा तब आगे काम होगा। एक ओर जहाँ ऐसी स्थिति है, वहाँ दूसरी ओर यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि सदन के सदस्य अपनी निजी सुविधाओं के लिए यह माँग करें कि रुपया पब्लिक ट्रेझरी से खर्च किया जाए।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि सदन के माननीय सदस्यों द्वारा ऐसा विधेयक बार-बार पारित किया जाये जिसके द्वारा उन्हें खुद को ही लाभ होता हो। मैं समझता हूँ, पूरे देश का सवाल है, यह प्रजातंत्र की माँग है। पहले जनता की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाये। इस विधेयक से जो चीज जनता के सामने आने वाली है, वह यह है कि हमारा जो शासक वर्ग है वह अपने हित के लिए अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सहूलियत बढ़ाने के लिए काम करता है। अपना हित करने में शासक वर्ग दिलचस्पी रखता है। जनता के लाभ के लिए उनको समय नहीं मिलता। जनता की तकलीफों को सुनने के लिए उनको समय नहीं मिलता। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं मानता और न शासक वर्ग का इस विधेयक के जरिये ऐसा ख्याल है। मैं ऐसा आरोप तो नहीं लगाता लेकिन मैं इस संबंध में जनता की भावनाओं को रखना चाहता हूँ। उस पर विचार करना चाहिए। जनता के विचार चाहे कुछ गलती से हों या उनके अनपढ़ होने के कारण हों, यह धारणा उनमें विद्यमान रह सकती है। क्या बात है, विधानसभा के सदस्य अपने भत्ता वेतन के लिए कानून बनाने जाते हैं? जनता को रोज की चीजों की आवश्यकता है। उन चीजों की आज भी उतनी ही कठिनता है, जितनी कि पाँच साल पहले थी। इन चीजों को सदन के सामने रखना चाहिए। इस पर विचार विमर्श करें, यह मैं उचित समझता हूँ। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी व्यावहारिकता के विषय में कहना चाहता हूँ जैसा कि इसके सेक्शन 5 'ए' में है :

"Every member shall be provided with one free non-transferable pass of the highest class which shall entitle him to travel by any motor bus run by a State Transport undertaking on any route with the State on which such Transport undertaking operates, but nothing contained in this section shall effect the payment of any travelling allowance payable to a member under any other provision of this Act."

जहाँ तक मैं समझता हूँ माननीय अध्यक्ष, इसका संबंध विधानसभा भत्ता नियम से है। इसका तात्पर्य यह भी हो सकता है कि इस पास से विधानसभा का सत्र चल रहा है और वह ट्रेवलिंग करें, उससे ट्रेवलिंग करने में कोई अड़चन नहीं होगी, उसको भत्ता भी प्राप्त होगा। इसलिए मेरी विधि मंत्री जी से प्रार्थना है कि इस पर गौर करें। इस विधेयक का आशय है, वह पूरा हो। फ्री पास से यात्रा करने के बाद वह सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, और वह भत्ता की डिमांड करता है, यह उचित नहीं है। और नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं है। इसलिए मैं विधि मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि जब भी इस विधेयक पर रूल्स बनायें, उनमें यह प्राविजन रखने का आश्वासन दें कि फ्री पास जब दिया गया है, सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, या किसी सदन की कमेटी में आये, तो वह दूसरा भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा। इस पर विचार करें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अप्रैल 1958, पृष्ठ/3605, 3606)

उपरोक्त विधेयक के लिए प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हो गए।

सभा द्वारा विचारित मध्यप्रदेश विधानसभा सदस्यों के (वेतन और भत्ते) संबंधी (संशोधन) विधेयक 1958 (क्रमांक 13, 1958) का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस विधेयक के प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना के बाद अध्यक्ष महोदय ने विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत वह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जो उपरोक्त विधेयक को विधि का स्वरूप प्रदान करेगा।

अध्यक्ष महोदय ने जो प्रस्ताव सदन में रखा, वह प्रस्ताव और सदस्य श्री अर्जुनसिंह का वक्तव्य इस प्रकार है—

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि सभा द्वारा विचारित मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्यों के (वेतन एवं भत्ते) संबंधी (संशोधन) विधेयक, 1958 (क्रमांक 13, 1958) अर्थात् दि मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली मेम्बर्स (सेलरीज एण्ड अलाउन्सेज) अमेंडमेंट बिल, 1958 (नंबर 13 आफ 1958) विधि बने।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो यह विधेयक विधि बनने जा रहा है और अब इससे जो कुछ लाभ होने वाला होगा, वह तो होगा ही। दुःख तो मुझे केवल इतना ही है कि जिन बातों को मैंने सदन के सामने रखा या तो सदन ने उसको समझा ही नहीं है या कि मैं ठीक से कह नहीं पाया लेकिन इतना अवश्य देखने को मिला कि सिवाय माननीय विधि मंत्री के जिनका तो कर्तव्य है कि वह बिल उन्होंने पेश किया है तो पास कराना ही है और इसलिए उसको उन्होंने पास कराया लेकिन इस सदन के और किसी माननीय सदस्य ने इस पर प्रकाश डालने का प्रयत्न नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, अगर इसका मतलब यह है कि इस लास्ट डे को खास तौर पर इसलिए इस बिल को लाने के लिए गवर्नमेंट ने यह दिन चुना जिससे कोई इस पर कुछ कह न सके इसके लिए मैं उनकी सूझ की दाद देता हूँ। फिर भी मैं इतनी तो अपेक्षा करता ही हूँ कि जो कुछ बातें कही गई हैं, उनका खण्डन करने के लिए ही किसी माननीय सदस्य ने यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए होते। शायद यह उचित न समझा गया होगा लेकिन मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, पूरी तरह से दोहराना नहीं चाहता बल्कि केवल सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि फिर से आप सोच लें कि इस तरह के कानून पास करने से क्या आप सदन के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं या असम्मान प्रकट करना चाहते हैं। इसी चीज को सामने रखकर जो कुछ आप करें, वह उचित होगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/30 अप्रैल 1958/पृष्ठ - 3608)

उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने महामहिम राज्यपाल ह.वि. पाटस्कर का वह आदेश पढ़कर सुनाया, जिसमें सत्रावसान के लिए आदेश दिया गया था। 30 अप्रैल, 1958 को सत्रावसान हुआ।

समाजवाद का मूल आधार है सामाजिक नैतिकता और सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत नैतिकता की प्रतिबिम्ब है। लेकिन जिस समाज के नेताओं में व्यक्तिगत नैतिकता का अभाव हो उनके द्वारा समाजवाद जैसे उच्च नैतिक सिद्धान्त की पुष्टि कहाँ तक हो सकती है; यह एक विचारणीय प्रश्न है।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
5 दिसम्बर 1957



1959

मध्यप्रदेश की द्वितीय विधानसभा का पंचम सत्र, फरवरी-अप्रैल 1959, शुक्रवार 20 फरवरी 1959 को 11 बजे समावेश्य में माननीय अध्यक्ष श्री पंडित कुंजीलाल जी दुबे की अध्यक्षता में शुरू हुआ। फरवरी-अप्रैल 1959 सत्र की कार्रवाई 1 मई 1959 को भी हुई। उसी दिन सत्रावसान हुआ।

महामहिम राज्यपाल ह.वि. पाटस्कर महोदय के अभिभाषण से सत्र प्रारम्भ हुआ। सत्ताईस बिन्दुओं वाले अभिभाषण की अन्तिम पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना करते हुये उन्होंने कहा- "ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको वह प्रकाश और सद्‌बुद्धि प्रदान करे, जिससे आप लोकहित और राष्ट्रहित के उच्चतम मान्यताओं के अनुसार सभी विषयों की परख कर सकें और सभी प्रश्नों का निर्णय कर सकें। जय हिन्द।"

इसके पश्चात् सभापति तालिका का मनोनयन, विधान के उल्लेख, पत्रों के पटल पर रखे जाने, सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना, महाराजा प्रवीरचन्द्र देव की सदस्यता से त्याग-पत्र संबंधी सूचना संबंधी कार्रवाई के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिव श्री ख.के. रांगोले ने 14 फरवरी 1959 से सेवा-निवृत्त होकर अवकाश ग्रहण किया है।

अध्यक्ष महोदय ने यह भी बतलाया कि इस अवसर पर उन्होंने उन्हें एक पत्र भेजा है। अध्यक्ष ने खं.के. रांगोले का पूरा पत्र सदन में पढ़कर सुनाया। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों ने श्री रांगोले की प्रशंसनीय सेवाओं का विस्तार से उल्लेख करते हुए उनके सुखद भावी जीवन के लिए अपनी-अपनी शुभकामनाएँ प्रकट कीं। श्री रांगोले की प्रशंसनीय सेवाओं का उल्लेख करने वालों में सर्व प्रथम थे मुख्य मंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू। डॉ. काटजू के बाद बोले सदस्य श्री अर्जुनसिंह।

श्री खं.के. रांगोले का पत्र :

श्रीमान्,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
मध्यप्रदेश विधानसभा,
भोपाल।

सेवा में,

मैं दिनांक 15 फरवरी 1959 से सेवा-निवृत्ति पूर्व अवकाश ग्रहण कर रहा हूँ। मैंने मार्च 1920 में 1915 के गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट के प्रावधानों के अनुसार घटित सेन्ट्रल प्राविन्सेज लेजिस्लेटिव कौंसिल के कार्यालय में प्रवेश पाकर आज तक लगभग 39 वर्ष सदन की सेवा में व्यतीत किए। यद्यपि इन 39 वर्षों में से 6 वर्ष मैं शासकीय सचिवालय में था, तथापि इन 6 वर्षों में भी सदन के रिपोर्टर

के नाते मेरी सदन की सेवा चालू रही। इस सेवाकाल में राजकीय मंच पर होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में समय-समय पर होने वाली चर्चाओं में सदन के सामूहिक रूप (क्लेक्टिव पर्सनाल्टी) के विभिन्न भावों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और शासन के इस मर्यादित राजतन्त्र में अत्यन्त क्षुद्र सेवक रहते हुए भी मुझे राष्ट्र के अन्दर विद्यमान स्वतन्त्रता की आन्तरिक उत्सुकता में लीन होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उदाहरण के रूप में यदि कहा जावे तो जिस दिन मध्यप्रदेश के सदन में गाँधी-इर्विन पैक्ट की घोषणा शासन द्वारा की गई थी, उस दिन उसको सदन में बैठकर लिखते समय मुझे ऐसा लगा था, मानो लॉज के उस कमरे में ही हम सब लोग बैठे हैं जिसमें परमपूज्य महात्माजी और तत्कालीन वाइसराय लार्डइर्विन के बीच चर्चा हो रही है। ऐसे सुख का अनुभव केवल इस सदन की सेवा से ही मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के सुख का अनुभव मुझे जिस सदन की सेवा से प्राप्त हुआ, उसके लिये अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का यह अवसर मैं ले रहा हूँ। इस धृष्टता के लिये मैं क्षमा-प्रार्थी हूँ। सचिव के पद पर नियुक्त होने के पश्चात् मुझे अधिक निकट रूप से आपकी, सदन के सदस्यों की तथा सदन की सेवा करने का लाभ प्राप्त हुआ। मैं मन्दिर में जितनी पवित्रता और आदर का अनुभव करता हूँ उतनी ही पवित्रता और आदर का अनुभव सदन के इस गृह के संबंध में करता हूँ और इसी मात्रा में यही भावना मैं आपके और सदन के सदस्यों के संबंध में भी रखता हूँ। आपकी कर्तव्यपरायणता, नैतिक निष्ठा, सदन के प्रति दिव्य श्रद्धा, कार्यकुशलता तथा सभी अधीनस्थ कर्मचारियों से कार्य लेने का चातुर्य, इन्हीं गुणों के कारण मैंने इस सेवाकाल में जो कुछ किया हो, उसे मैं कर सका। इसके लिये मैं आपका अत्यन्त ऋणी हूँ। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे अत्यधिक मात्रा में सदन के सदस्यों से प्रेम, मित्रता, प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य के लिये मैं अपने को परमात्मा का और सदन के सभी सदस्यों का अत्यन्त ऋणी मानता हूँ और आज आपके द्वारा सदन के सदस्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर लेता हूँ।

यद्यपि आपने मुझे अधिक सेवाकाल का लाभ देने की इच्छा प्रकट की थी, तथापि कतिपय निजी कारणों से मैं उसका लाभ लेने में असमर्थ हूँ। इसके लिये मुझे अत्यन्त खेद है। इस सदन की सेवा से निवृत्ति पाते समय मेरे हृदय में जो भाव हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिये मेरे पास उचित शब्द नहीं हैं, मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरी कृतज्ञता की भावना से तथा असमर्थता के लिये जो खेद मैं अनुभव करता हूँ उससे सदस्यों को अवगत कराने की कृपा करें।

आपका और इस विधानसभा का विनीत
सेवक, खं.के. रांगोले

दिनांक 14 फरवरी 1959

माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करते हुये मुख्य मंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने अपना भाषण इन पंक्तियों के साथ खत्म किया.... "मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से श्री रांगोले को यह खबर दे दें कि उनके जाने से हमको अफसोस हुआ और वे हमको बहुत दिनों तक याद रहेंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश विधानसभा की अलग-अलग तरीके से बहुत लम्बी सेवा की है। ईश्वर करे, वे चिरायु हों और भविष्य में अच्छी तरह रहें।"

डॉ. कैलाशनाथ काटजू के पश्चात् सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने श्री रांगोले की प्रशंसनीय सेवाओं के संबंध में इस प्रकार कहा -

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पत्र पढ़ा उसमें हम लोगों के प्रति और इस सदन के प्रति जिस प्रकार के उद्‌गार व्यक्त हुए हैं वे श्री रांगोले साहब जैसे अनुभवी और एक सेंसिटिव मनुष्य के हृदय से ही निकल सकते थे। वैसे तो शासन में अनेकों तरह के कार्य करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इन विधानसभाओं की जानकारी रखना और विधानसभाओं की जो विशेष मर्यादाएँ होती हैं, जब से विधानसभाएँ बनी हैं और आज हैं,

उसके बीच में रहकर उन मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रत्येक सदस्य से अपना निजी सम्पर्क स्थापित करना और उसको ऐसा भान करा देना कि वह व्यक्तिगत सेवा के लिये उपस्थित है, मैं समझता हूँ यह किसी मामूली व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप से और सदन के बहुत से सदस्यों से उनका सम्पर्क बहुत वर्षों से रहा है। हम लोगों को इस बात का सौभाग्य डेढ़-दो वर्ष से ही मिला है। हम यहाँ एक बहुत ही छोटी उम्र में विधानसभा के सदस्य हुये। हमको किसी बात का अनुभव नहीं था। हम यहाँ अनपढ़ के रूप में आये। आज मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस विधानसभा की कार्रवाई के बारे में जो-जो बातें विधानसभा में होती हैं उनके बारे में अगर किसी से कुछ सीखा है तो श्री रांगोले साहब से सीखा है। मैं समझता हूँ कि उनके यह भाव, जो आज उन्होंने सदन के सभी सदस्यों के लिये व्यक्त किए हैं, इस सदन की ओर से दुगने रूप में उनको वापस किए जायें कि यह सदन उनका सदैव आभारी रहेगा।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/20 फरवरी 1959/ पृष्ठ- 9-11)

रोचक टिप्पणी :-

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय ने इन शब्दों के साथ विचारार्थ रखा- "प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'मध्यप्रदेश बिक्री कर विधि (संशोधी) विधेयक, 1959' (संख्या 2,1959) अर्थात् मध्यप्रदेश सेल्स टैक्स लाज़ (अमेंडिंग) बिल, 1959 पर तुरन्त विचार किया जाये।"

इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा (मनासा) ने बहस में हिस्सा लेते हुये एक स्थान पर कहा कि "... माननीय सखलेचा जी ने जिस मूल बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराने की चेष्टा की है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि सेल्स टैक्स को समाप्त करके कोई दूसरा रास्ता निकालें जिससे शासन का और सदन का समय और खर्च बचे और व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि सबको दिक्कतें न हों यह बात सबसे अधिक महत्व की है। जब से विधानसभा में आये हैं तब से एक न एक बिल या अमेंडमेंट सेल्स टेक्स के बारे में चला ही आता है।"

इस पर श्री अर्जुनसिंह ने बीच में बोलते हुए व्यंग्यात्मक टिप्पणी की - "माननीय विधि मंत्रीजी आपको एम्प्लायड रखना चाहते हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है।" श्री सुन्दरलाल पटवा ने कहा - "दूसरे कई जरूरी कार्य करने को पड़े हैं, जो समय की कमी के कारण नहीं हो पा रहे हैं।"

श्री अर्जुनसिंह : दूसरे कार्य नहीं करना चाहिए।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/ 20 फरवरी, 1959/पृष्ठ- 26)

20 फरवरी 1959 को सदस्या श्रीमती चन्द्रकला सहाय (मुरार) ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव इन शब्दों में रखा -

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में संभवतः सदस्य गण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के उत्तर में सदस्या श्रीमती चन्द्रकला सहाय द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव में नौ प्रस्तावित संशोधन प्रस्तुतकर्ताओं में से सदस्य श्री अर्जुनसिंह एक हैं। उनके प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं -

Shree Arjunsingh : But it is regretted,- - -

(1) that the Governor's address has ignored the plight of class III and class IV employees of the State and has failed to give any indication of the Government's desire to ameliorate their condition;

(2) that the Governor's address has failed to present the true picture about the Integration of Services;

(3) That the Government's inability to control food prices and the inept handling of the rice procurement scheme has not been reflected in the Governor's address;

(4) that the Governor's address has failed to present the true picture of the development programme of the Government.

श्री जुगलकिशोर सक्सेना : किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में निम्न घटनाओं के ऊपर जरा भी प्रकाश नहीं डाला गया है।

(1) सस्ते अनाज की दुकानें जो खोली गईं उन दुकानों से ग्रामवासियों को कोई राहत नहीं मिली है न व्यवस्था की गई है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 फरवरी 1959/पृष्ठ- 152-53)

श्री अर्जुनसिंह प्रारम्भ से ही शासकीय कर्मचारियों और गरीब-गुरबों के बड़े शुभचिन्तक और हितैषी रहे हैं। सन्दर्भित संशोधन के जरिये उन्होंने उनकी समस्याओं को उठाया है। गम्भीर अध्ययन से परिपूर्ण उनके भाषण में उनका प्रजातांत्रिक समाजवादी स्वरूप देखने को मिलता है :-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता-ज्ञापन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है उसमें, मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूँ :—

किन्तु खेद है :—

(1) कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की दैन्यावस्था की उपेक्षा की गई है और उनकी दशा सुधारने की शासन की इच्छा की ओर कोई संकेत नहीं है।

(2) कि राज्यपाल के अभिभाषण में सेवाओं के एकीकरण के बारे में ठीक-ठीक चित्रण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) कि खाद्य के मूल्य नियंत्रित करने में शासन की असमर्थता तथा चावल वसूली की योजना के अयोग्य प्रबन्ध का दिग्दर्शन राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं मिलता।

(4) कि राज्यपाल के अभिभाषण में शासन के विकास संबंधी कार्यक्रमों का ठीक-ठीक चित्रण नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जहाँ तक समझता हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण से संशोधन के पहले भाग का कोई संबंध नहीं है और इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का कोई संबंध नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मूल संशोधन का पहला भाग तो मैंने पढ़ा ही नहीं है लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संबंध तो है।

कल से इस प्रस्ताव के ऊपर सदन में जो चर्चा हो रही है उसको सुनते-सुनते मेरे मन में एक बहुत बड़ा भ्रम उठा और जिसके कारण कि मुझे आज सदन के सामने कुछ हो सकता है, बेतुकी-सी बात कहनी पड़े, लेकिन अपने भ्रम के निवारणार्थ मैं सदन से चाहूँगा कि मुझे क्षमा करें।

हमारे सामने, क्या विरोधी पक्ष की ओर से, क्या कांग्रेस पक्ष की ओर से, एक ही तरह की आवाज आयी और वह यह है कि जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ और योजनाएँ बनने लगीं और हमारी योजनाएँ जनता के सामने आने लगीं तब से देश में और देश की जनता में एक ऐसा भ्रम पैदा होने लगा है कि उनकी सारी आशाओं पर तुषारापात जल्दी ही शुरू हो गया, ऐसा क्या?

अध्यक्ष महोदय, इस समय इस बात पर विचार करने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे आँकड़े तो नहीं हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूँ और मुझे भ्रम है कि वह सत्य है कि जो हमारी बड़ी-बड़ी योजनाएँ हैं, जिनकी पृष्ठभूमि समाजवादी समाज रचना की कल्पना में है, जिनको कार्यान्वित करने के लिये कार्यक्षेत्र में लाते हैं तो मुझे उन लोगों के आश्रित रहना पड़ता है जो समाजवादी समाज के कट्टर शत्रु हैं। ऐसी अवस्था में हम कल्पना करें कि हमारी योजनाएँ सफल होंगी तो वह स्वयं को धोखा देना ही नहीं बल्कि देश को धोखा देना होगा। उदाहरण

के लिये स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स को ही ले लीजिये। जो अखबार देते हैं वह इस बात से अवगत होंगे कि जैसे ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में स्टेट ट्रेडिंग के लिये निर्णय हुआ कि देश के कोने-कोने से छोटे-बड़े व्यापारियों की ओर से कहा जाने लगा कि इससे बड़ा अनर्थ हो जायेगा। देश गड्ढ़े में चला जायेगा, स्टेट ट्रेडिंग को शासन संभाल नहीं सकता और उसके चन्द महीने बाद ही कुछ क्षेत्रों से उसी वर्ग द्वारा यह भी कहा जाने लगा कि अभी ऐसी क्या बात है। उसकी परख कर लीजिये, हो सकता है कुछ अच्छी बात हो, और उक्त वक्त यह निर्णय होता है कि चूँकि हमने प्रिन्सपली तो इसको मान लिया है लेकिन स्टेट की मशीनरी कम होने से हम इसको कार्यान्वित नहीं कर सकते और थोड़े ही दिनों में वह गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के व्यापारियों को ही एजेन्ट मुकर्रर कर लेते हैं। यह दूसरी स्टेज होती है। छत्तीसगढ़ में आपने कुछ मंडियों के व्यापारियों को सहयोग देने के लिये शामिल कर दिया। आप जानते हैं और यह तो एक मामूली-सी ज्ञान की बात है कि कैपीटलिस्ट केवल अपने फायदे के लिये समाजवाद की पॉलिसी में शामिल होगा। शासन समझता है कि वह उसको को-ऑपरेट करेगा? यह तो इस बारे में हुआ। अब आप को-ऑपरेटिव को लीजिये। जहाँ तक को-ऑपरेटिव प्रिन्सपल का सवाल है, यह बहुत अच्छा है। इसके लिये तो दो मत नहीं हो सकते लेकिन जो को-ऑपरेटिव के प्रिन्सपल देश में लागू करना चाहते हैं, आपके पास वैसी मशीनरी कहाँ है क्या सहकारी को सरकारी कहने से कोई भला होगा। सवाल यह है कि सहकारी जो प्रथा है उसका मतलब यही है कि ईक्वल का यानी बराबरी का बरताव हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि आज की वर्तमान स्थिति में इस बात की कल्पना करना एक दुस्साहस होगा।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, सीलिंग ऑफ लेन्ड होल्डिंग का प्रश्न आता है। मैंने इसको अपने संशोधन में निकाल दिया है। पिछले सत्र में सवालों के जरिए और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान में उत्तरों के समय माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय ने कहा था कि अगले बजट सत्र तक यह कानून पास हो जायेगा, लेकिन अभी जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है। यदि मैं उसको गलत नहीं समझा हूँ, उससे यही प्रतीत होता है कि इस सत्र में भी उक्त कानून नहीं आ सकेगा और निश्चित रूप से माननीय राजस्व मंत्री ही बता सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से मैं समझता हूँ कि शासन का वायदा पूरा नहीं होगा, ऐसा इस अभिभाषण से भान होता है। आज हम देश में देखते हैं कि कुछ लोग इस बात की हिम्मत रखते हैं कि प्लेटफार्म पर खड़े होकर यह कहें कि आपने जो समाजवाद का ढर्रा अपनाया है वह गलत है, को-ऑपरेटिव फार्मिंग देश में सफल नहीं हो सकती। ऐसा कहने वाले देश में आज इने-गिने लोग हैं। उनमें कम से कम इतनी ईमानदारी है कि वह अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लेकिन खतरे की बात यह है कि इन चीजों के विरोधी लोग शासन में घुसे हुए हैं और हम उनसे यह अपेक्षा करें कि वह इस किस्म की चीजों को कार्यान्वित करेंगे तो कैसे हो सकता है! यह एक प्रकार से समाजवाद की मखौल है। यह शासन में घुसे हुए लोग नहीं चाहते कि देश में समाजवाद की स्थापना हो। मैं कहूँगा कि अगर देश के नेताओं के दिमाग़ में इतनी मोटी-सी बात सामने नहीं आती है तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि जनता ने कुछ ऐसे लोगों के हाथों में अपना भविष्य सौंप कर बड़ी भारी गलती की है। अंदर-अंदर तो यह लोग किसी चीज को भी नाकामयाब बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं और बाहर आकर लोगों को बताते हैं कि हाँ ऐसा अवश्य होना चाहिये और जब किसी चीज को कार्यान्वित करने का मौका पड़ता है तो उसमें अड़चनें और बाधाएँ डाल देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बाद कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उस पर हमारे बजट का अधिकांश भाग खर्च होता है। मैं समझता हूँ कि प्लानिंग और पॉलिटिक्स का ऐसा गठबंधन कर दिया गया है। प्लानिंग का आधार इस बात पर रहता है कि अमुक जगह पर किस चीज की आवश्यकता है और राजनीति का आधार रहता है कि जिस स्थान के लोगों का राजनैतिक दबाव होता है, उनके यहाँ काम होना चाहिए। आज शासन इस बात को भले ही इन्कार करे, लेकिन आज मैं दावे से कह सकता हूँ, अपने अनुभव के आधार पर ही नहीं बल्कि काँग्रेसी सदस्यों के भाषण के आधार पर भी कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स और प्लानिंग का गठबंधन किया गया है, जिसके कारण बड़ी कठिनाई होती है और नेशनल डेवलपमेन्ट नहीं हो पाता है। एक स्थान पर

डेवलपमेन्ट इस कारण नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ का सदस्य सत्तारूढ़ दल में नहीं है। ऐसा करना शासन को उचित नहीं है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम लेने से रीजनलिज्म की बू सामने आवेगी लेकिन इस बात को जरूर कह सकता हूँ कि यदि आप प्लानिंग के साथ-साथ पॉलिटिक्स को भी रखेंगे तो आप इस प्रान्त को गड्ढे में ले जावेंगे और एक दिन आपको स्वयं भी संभलना मुश्किल हो जावेगा।

अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिये आप कम्युनिटी डेवलपमेन्ट के प्रोग्राम को ले लीजिए। सदन के बाहर यह कहा जाता है कि इतने ब्लॉक्स् खोले गये हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ-जहाँ यह ब्लॉक्स् खोले गये वहाँ की जनसंख्या क्या है? कितना एरिया कवर्ड है, उसके आँकड़े क्या हैं? यह मैं सदन के सामने रखता, लेकिन जब बजट पर चर्चा होगी उस समय वह स्पष्ट आँकड़े सदन के सामने रखूँगा। जब ब्लॉक के खोलने का सवाल आता है तो यह नहीं देखा जाता कि कहाँ जनसंख्या ज्यादा है, बल्कि यह देखा जाता है कि कहाँ से जोर ज्यादा आया है, मिनिस्टर्स ने भी अपने भाषणों में इसे मन्जूर किया है ...

एक सदस्य : यह गलत है।

अन्य सदस्य : सत्य है।

श्री अर्जुनसिंह : डेवलपमेन्ट एण्ड प्लानिंग मिनिस्टर के मुँह से जब यह शब्द निकले हैं तो उससे मालूम होता है कि जितने ब्लॉक्स् खुले हैं वह ऐसे ही खुले हैं। कितना एरिया कवर हो चुका है, क्या यह आप वता सकते हैं? क्या आपने इन आर्डर ऑफ मेरिट कोई ब्लॉक खोला है? क्या आप आज यह घोषणा कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ ब्लॉक खुलेंगे? यदि आप यह नहीं कह सकते हैं तो फिर आपका सब कहना व्यर्थ है....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री अर्जुनसिंह जी से यह निवेदन करूँगा कि जब आप शिकायत करते हैं तो यह उचित होता कि आप किसी ब्लॉक का स्पष्ट उदाहरण देते कि वह ब्लॉक, जो ब्लॉक के सम्बन्ध में नीति निश्चित है उसके खिलाफ खोला गया है, तो स्पष्ट बात शासन के सामने आ सकती है और शासन उस पर विचार कर सकता है, आपका दोषारोपण यदि आप बताते कि जो सिद्धान्त हैं ब्लॉक खोलने के, उसके खिलाफ खोला गया है तो समझ में आ सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रार्थना की थी कि मैं इसके डिटेल में जाकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, लेकिन जब बजट पर चर्चा होगी उस समय आपके सामने स्पष्ट आँकड़े रखूँगा। मेरा यह शासन से निवेदन है कि यदि आप किसी सिद्धान्त को मानते हैं तो आज ए,बी,सी,डी, नाम लेकर घोषणा क्यों नहीं कर देते लेकिन मैं जानता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय, जैसा कह रहे हैं, वह कर नहीं सकते और यदि करेंगे तो प्लानिंग को पॉलिटिक्स से अलग करना होगा। यदि ऐसा हो जावे तो मुझ से ज्यादा खुशी किसी को न होगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैंने क्लास थर्ड और फोर्थ के कर्मचारियों के बारे में अपना संशोधन दिया है। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहीं इस क्लास के संबंध में घोषणा नहीं की, इनको कितना नगण्य समझा। आपने उनके मुँह पर सिविल सर्विस रूल्स का ताला बन्द कर दिया है, जो नौकरी छोड़ने को तैयार हो वही अपना मुँह खोल सकता है। उन पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। जहाँ आप सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अण्डर सेक्रेटरीज और ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटीज को 200 रुपये, 150 रुपये और 100 रुपये स्पेशल पे देने के लिये तैयार हैं, किन बातों से, कि यहाँ पर महँगाई इतनी है, घर से दूर हैं या उन लोगों का खर्चा पूरा नहीं होता, कुछ भी कारण हो, वहीं पर क्या थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास कर्मचारियों के पास इतना पिछला बपौती का धन रखा हुआ है जो निकाल कर अपना काम चलावें क्या उनके पास वही सारी समस्याएँ नहीं हैं जो ऑफिसरों के सामने थीं फिर क्या कारण है कि उनके साथ आप न्याय करने से इन्कार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इण्टीग्रेशन के बारे में कहना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि इण्टीग्रेशन में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है जी हाँ, प्रगति हो रही है। डिपार्टमेण्ट्स से सीनियारिटी की लिस्ट निकल गई। अगर इण्टीग्रेशन का इतना ही मतलब है, तब तो यह साल-छः महीने पहले निकल सकती थी। सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि ईक्वेशन कैसे होगा। इसके बारे में कुछ होना ही मेरी समझ से,

फाइनलाइज होना है। अगर फाइनलाइज हुआ होगा तो नगण्य का हुआ होगा, जहाँ पर कि 10-15 की संख्या में स्टाफ है, जैसे कि ऑर्केलॉजी विभाग या लैदर डिपार्टमेण्ट। इसके बारे में मैं पुनः एक बार यह कहता हूँ कि इण्टीग्रेशन में भयंकर रूप से रीजनलिज्म का प्रचार है। आज इसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय कहेंगे कि मेरे सामने सभी बराबर हैं। मैं उनके बारे में शक नहीं करता। शक वहीं करता हूँ जब किसी वास्तविक बात की ओर से आँखें मूँद ली जायें। अगर यह मान लिया जावे कि यह कमजोरी है तब तो वह दूर हो सकती है, भले ही उसमें देर लग जाये। जहाँ आप यह कह देते हैं कि ऐसी बात है ही नहीं, जिसे आप देख नहीं पाते या जहाँ पर जान-बूझकर प्रश्रय देते हैं, मेरी समझ से दोनों बातें किसी भी शासन के लिए निन्दनीय हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम लोग जागरफी में पढ़ते थे कि नार्वे और स्वीडन में मिडनाइट सन हुआ करती हैं। वही मिडनाइट मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। हमारे मध्यप्रदेश शासन को भी दिन-रात नहीं सूझता। हमें आज तक पता न चला कि जो हमारे बड़े-बड़े अधिकार राज्य के हैं, जिनकी दो-तीन की गणना मैं कर दूँ, जैसे रिहन्द डेम, एल्युमीनियम का कारखाना आदि, उनके बारे में शासन ने अभी तक क्या किया और उसका इरादा क्या है? केवल इतना कह देने से कि चूँकि इसका केन्द्र से प्रावधान है, पूरा प्रयत्न किया जा रहा है, हमें संतोष हो जाये या इस प्रदेश के उस भू-भाग के लोगों को संतोष हो जाये, जहाँ आज भूख का ताण्डव नृत्य हो रहा है, जो अपने भू-भाग में समृद्धि की आशा लगाये बैठे हैं, तो यह कदापि असम्भव है।

मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि वे इसके पहले कि डिबेट का उत्तर दें, इन बड़ी-बड़ी बातों के बारे में प्रकाश डालें कि आपने हमारे लिए क्या किया। आज भी इस देश के युवकों में उत्साह है। वे अपने देश के लिए सब कुछ कर सकते हैं। आवश्यकता केवल एक ईमानदार नेतृत्व की है। आज आप अपने दिल को टटोल कर देखें कि उनको वह नेतृत्व देने में सफल हो रहे हैं या नहीं।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/24 फरवरी 1959/ पृष्ठ - 202-5)

अध्यक्ष महोदय ने राजस्व मंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई द्वारा प्रस्तुत विधेयक, मध्यप्रदेश भूमि-आवंटित (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1959 (संख्या 5, 1959) अर्थात् दि लैण्ड एक्वीजीशन (मध्यप्रदेश अमेण्डमेण्ट बिल, 1959) (दि लैण्ड ऑफ 1959) को तुरन्त विचार करने के लिए सदन में रखा। इस विधेयक पर चर्चा शुरू हुई।

श्री शाकिर अली खाँ ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए विधेयक के संबंध में कहा कि, "..... भोपाल का पश्चिमी हिस्सा खाते-पीते लोगों का है, लेकिन पूर्वी हिस्सा गरीब लोगों के बसने का है जहाँगीराबाद से शाहजहाँनाबाद तक गरीबों की आबादी है और यहीं भोपाल को फैलाने का प्रोग्राम है। भोपाल का मगरिबी हिस्सा न लेकर मशरिकी हिस्सा भोपाल को फैलाने के लिये ले रहे हैं और इससे यहाँ का गरीब वाशिंदा ही तबाह होने वाला है, मालदार नहीं। मैं आपके सामने अभी की एक मिसाल मौजूद करता हूँ। मैं पूरे हाउस के भाइयों के सामने यह बात लाना चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ की म्युनिसिपैलिटी ने नोटिस दिया है कि 15 दिन के अन्दर वे अपने मकान खाली कर दें, क्योंकि सरकार मीट-मार्केट बनाने के लिये लेना चाहती है। आप अंदाजा कीजिए कि वे गरीब जिनकी झोपड़ियाँ हैं, उनको 15 दिन के अन्दर झोपड़ी खाली करने को कहा जाता है और यह नहीं बताया जाता कि वे कहाँ जायें, सिर्फ झोपड़ी से बाहर निकल जायें या इस शहर को छोड़कर दूसरी जगह चले जायें। उनको शहरबदर किया जा रहा है। आप उनको कोई दूसरी जगह नहीं बतायेंगे, कोई मुआवजे की बात नहीं बतायेंगे तो वे क्या करेंगे। अगर आप झोपड़ी ले लेते हैं और सस्ते दामों में ले लेते हैं और वह अपनी दूसरी जमीन रहने के लिये खरीदना चाहें तो उनको जमीन किस भाव में मिलेगी, जो मकान बनाने के लिये इमारत का सामान है वह किस भाव पर उसको मिलेगा? क्या जिस भाव से आप जमीन ले लेंगे उसी भाव से बाजार में भी उनको वह जमीन मिल सकेगी। सस्ते भाव से सामान मकान बनाने के लिये उनको मिल सकेगा, अगर नहीं तो उन कंजड़ों ने क्या

कसूर किया है और क्यों उनसे जमीन छीनी जा रही है? आप पूरे शहर को तो तोड़ नहीं रहे हैं कि पूरा शहर ही ले लेंगे। कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं या कहीं-कहीं थोड़ा बहुत इलाका लेंगे तो क्या यह उन्हीं की बदकिस्मती है कि उनके मकान तो सस्ते बिक जायें और बाकी शहर वाले महँगे बेचते रहें, इसमें उनका क्या कसूर है?"

बहस आगे बढ़ी। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने बहस में हिस्सा लेते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये :-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर जो चर्चा चल पड़ी, मुझे ऐसा लगा कि हम कोई रिआर्गेनाइजेशन बिल पर बहस कर रहे हैं। जो शाकिर साहब ने बातें कहीं हैं, उनमें पूर्ण रूप से सच्चाई है, उनको गलत कह कर या उनके गलत विचार हैं यह कह कर नहीं टाला जा सकता। उनमें बहुत अंशों में सच्चाई है। कुछ लोग बाहर से आये और भोपाल पर हमला किया। यह हो सकता है कि उनका कहना उपयुक्त न हो लेकिन जो उनकी भावना है, उसको मानना ही पड़ेगा। अपने इस मध्यप्रदेश के कुछ ऐसे घटक राज्य भी हैं जिनमें राजधानी को लेकर अनेक प्रयत्न किए और बाद में वहाँ एक ही राज्य की दो राजधानियाँ रहीं। वह क्यों हुआ जहाँ कि एक ही तरह के लोग रहते थे लेकिन किन्हीं भावनाओं को लेकर ही तो यह हुआ, इतना तो निश्चित है।

एक माननीय सदस्य : यह किस बादशाह ने किया?

श्री अर्जुनसिंह : किसने किया, उस बात पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ और न उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन एक राज्य की दो राजधानियाँ थीं। वहाँ के कई सदस्य यहाँ बैठे हैं। कोई सदस्य अपनी जनता की भावना को सदन में व्यक्त करता है तो हम उसकी हिम्मत की ताईद करते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो छिप-छिपकर वही काम करते हैं और सदन में लम्बे-लम्बे भाषण और हाँ देते हैं। पूर्व वक्ता महोदय ने आखिर में अपनी पोल खोल ही दी, उन्होंने इस बात की माँग पेश कर दी कि राजधानी इन्दौर ले चलिए।

श्री बाबूलाल पाटोदी : मैंने यह माँग तो पेश नहीं की कि राजधानी इन्दौर ले चलिए, आप गलत समझे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आप भी तो शाकिर साहब को गलत समझे हैं।

श्री बाबूलाल पाटोदी : मैं सही समझा। मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि अगर इन्दौर राजधानी होती तो वहाँ यह होता। अब भोपाल में हो गई है तो उसी को बनाना है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक पेश हुआ है उसमें तर्क और न्याय सामने रखकर कहा है। पर, अध्यक्ष महोदय, गलती तो मेरी है कि वह बिल जो पहले पेश हुआ था वह मैं लाना भूल गया। मैं गलत कह रहा हूँ तो राजस्व मंत्री मुझे दुरुस्त कर दें। जो पहले अमेण्डमेण्ट आपने पेश किया, जो दिनांक 8 अगस्त 1959 को प्रभावशील किया, उसमें जहाँ तक बिल्डिंग्ज़ का सवाल था, प्रॉवीजन नहीं किया था।

श्री भगवंतराव मण्डलोई : बिल्डिंग्ज़ का प्रॉवीजन था।

श्री अर्जुनसिंह : मेरी यह गलत धारणा थी लेकिन राजस्व मंत्री महोदय कहते हैं कि एक शासन और एक नागरिक के बीच डिफरेन्स रखना चाहते हैं, किन्हीं चीजों के मूल्यांकन में तो उसकी भी सीमा होनी चाहिए। आप ऐसी चीज नहीं कर सकेंगे कि शासन का हित सामने आये तो वहाँ दूसरे मापदंडों का प्रयोग करें और नागरिक का संबंध आये तो वहाँ दूसरे मापदंडों का प्रयोग करें या वहाँ आप चुपचाप हो जायें या किन्हीं दूसरे मापदंडों का प्रयोग हो या चुपचाप रहकर प्रोत्साहन दें। जैसा माननीय सदस्यों ने बताया सन् 1955 से 4-5 गुना बढ़ा है। यह न केवल शासन के लिए बढ़ा है, बल्कि व्यक्तिगत लोगों के कार्यों के लिए भी बढ़ा है, जिनको कई कारणों से जैसे धन्धा, दुकानदारी या और अन्य कारणों से यहाँ आना आवश्यक हो गया है। उनको भी यह प्राप्त करना है। उन्हें भी उतना ही अधिकार प्राप्त हो, जितना कि शासन को प्राप्त है। शासन 4-5 गुना कम देकर ले लेना चाहता है, लेकिन कितने ही प्रकार के लोग अपने-अपने कामों से, धन्धा, व्यवसाय करने के लिए आये हैं वे 4-5 गुना अधिक देकर लेते हैं। उन्होंने 4-5 गुना ज्यादा कीमत दी है और शासन इसको रोकने में असमर्थ है तो आपका यह कहना ठीक नहीं है। शासन के पास अधिकार है, सत्ता है, इसलिए कानून लाकर वह 4-5 गुनी अधिक कीमत

नहीं देगा तो यह तर्क-संगत बात नहीं मालूम होती है। आप एक यह संशोधन लायें कि जो रजिस्ट्री द्वारा प्रापर्टी ट्रान्सफर हो उसमें एक निश्चित सीमा से ऊपर मूल्य न लिये जायें क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ संवैधानिक कुछ त्रुटि भी होंगी। शासन के लिए आज एक अलग कीमत होगी। हमने एक प्रापर्टी ली है जिसकी अभी के मूल्यांकन के अनुसार 10,000 रुपये कीमत होगी और आप उसे एक्वायर करते हैं तो 1 हजार रुपये कम्पेन्सेशन देंगे तो क्या वह रीजनेबिल है? क्वेण्टम के ऊपर कम्पेन्सेशन निश्चित न होगा, जस्टिफिकेशन न होगा, फिर भी क्या यह रीजनेबिल होगा? मैं समझता हूँ कि इन दो बातों को आप सामने रखेंगे तो इस विधेयक में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी और इस बात को सामने रखकर शाकिर साहब के सजेशन को माना जावे और आप इस वक्त इसे पास न करें और भोपाल के लोगों की जानकारी, राय प्राप्त कर लें और उसके बाद सम्मिलित रूप से यह कानून लाया जावे जिससे कि स्थानीय लोगों की शिकायतें दूर हो जावें और आपका यह मतलब भी पूरा हो सकेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/27 फरवरी 1959/पृष्ठ - 439-40)

वर्तमान खाद्य स्थिति पर विचार संबंधी प्रस्ताव पर राजस्व मंत्री श्री मण्डलोई का भाषण और उस पर हो रहा वाद-विवाद तथा चर्चा आगे बढ़ी। राजस्व मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे आँकड़ों के दौरान यह चर्चा हुई :-

श्री रामदास अग्रवाल : खरीदी तो 2 लाख टन की बताई है मगर पैदावार कितनी हुई छत्तीसगढ़ में यह नहीं बताया?

श्री अर्जुनसिंह : प्रश्न खरीदी की इसका नहीं, प्रश्न है कि आपने खरीदी ज्यादा किसानों से की है?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : आप जरा धीरज रखिए, आपके मन में जितनी भी शंकाएँ हैं वे सब शंकाएँ जब आप पूरी बात सुन लेंगे तब एक भी नहीं रहेगी। फिर आप ही कहेंगे कि हमारे मन में अब शंकाएँ नहीं रही हैं।

खाद्य संकट संबंधी चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री श्री मण्डलोई ने बतलाया कि जो अन्न-उत्पादक जिले हैं वहाँ अनाज खरीदी का काम, जहाँ तक संभव है, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जरिये किया जा रहा है। उन्होंने बतलाया कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अलावा व्यापारी-संघ और व्यक्तिगत सौदागर भी खरीदी के लिए बतौर 'एजेन्सी' काम कर रही हैं। आपने कहा कि जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ की आज चर्चा चल रही है इस पर जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ के प्रेमी हैं, विश्वास करते हैं, चाहे विरोधी पक्ष के हों या कांग्रेस पक्ष के....

इस बीच वाक्य पूरा होने से पहले–

श्री अर्जुनसिंह : को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और शासन ने किसानों से किस भाव में लिया?

इस चर्चा के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने औचित्य का प्रश्न उठाया–

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : मैं बतलाता हूँ। शायद उस इलाके में आप गये होते और देख लिया होता तो यह सवाल न उठाया होता। आपका जाना मुमकिन नहीं था इसलिये आपकी जानकारी के लिये मैं बतला दूँ। मंडी में जो स्थान मुकर्रर किये गये थे उन स्थानों पर हमारे एजेन्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़, ट्रेडर्स एसोसियेशन या जो इंडिवीजुअल्स थे वह जिस वक्त माल लेते थे तो थप्पी लगा दी जाती है और अलग-अलग थप्पी लगा दी जाती है, क्वालिटी के मुताबित जिससे किसान के साथ धोखाधड़ी न हो। फिर इसके बाद नीलामी बोली जाती है। जैसे 9.50 में लेना है लेकिन नीलामी में कोई कहे कि हम 10 में लेंगे तो किसान को 50 के भाव में देने की इजाजत थी। दस में लेने से किसानों को लाभ होता था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : ऐसा किसी जगह देखा है?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : मैं जहाँ-जहाँ की कह रहा हूँ। सब जगह ऐसा है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं भी गया था, किसी जगह नहीं है।

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : कहाँ गये थे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : राजनांदगाँव, बिलासपुर आदि में गया था।

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : आप पब्लिक मीटिंग में गये होंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मंडी में गया था।

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : मंडी में नहीं गये होंगे, पब्लिक मीटिंग में होकर चले आये होंगे। मैं यह कह रहा था कि जितना भी माल खरीदकर रखा गया है उसमें होता यह था कि जो भी माल आया उसके साथ हमारा एक अधिकारी रहता था जो कि माल की क्वालिटी सोसाइटीज़ का हो....

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने बतलाया है नीलाम के संबंध में कि हमारा अधिकारी वहाँ पर रहता था वह किस बुनियाद पर बतलाया है? दो स्थानों पर तो मैंने यह देखा है कि प्राइस ऑफिसर को जितना माल चाहिए होता था वह उतना माल ले लेते थे, उसके पश्चात् व्यापारी जिस भाव चाहे माल लिया करते हैं।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : उन अधिकारियों द्वारा जिन्होंने माल खरीदा है, पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् ही कह रहा हूँ....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने खुद तो जाकर नहीं देखा है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मैंने कब यह दावा किया है कि मैंने खुद जाकर देखा है? जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसी के आधार पर यह कह रहा हूँ। तो इस तरह से जो माल खरीदा गया....

श्री अर्जुनसिंह : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर, जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा कि उनको अधिकारियों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है और अभी सदन के दो माननीय सदस्यों को जानकारी दी है, इन दोनों में से किस को सही माना जावे, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मंत्रीजी को तो यह जानकारी दी गई है।

चर्चा आगे बढ़ी। प्रदेश में उत्पन्न संकटपूर्ण खाद्य स्थिति पर हो रही चर्चा का जवाब और सूचना देते हुए राजस्व मंत्री श्री मण्डलोई ने एक जगह बतलाया कि राजस्थान, मध्यप्रदेश और बम्बई बाहर छोड़कर पूरा बम्बई प्रदेश का एक व्हीट ज़ोन बनाया। आपने बतलाया कि अप्रैल 1958 में केन्द्रीय शासन ने बिना हमसे परामर्श किये उसमें बम्बई शहर को भी शामिल कर लिया। जब हमें इसकी सूचना मिली तो हमने कहा कि हमारे यहाँ फसल कमजोर है, गेहूँ की तकलीफ है, बम्बई शहर को ज़ोन में शामिल नहीं किया जाये। इस पर केन्द्रीय शासन ने अभिभाषण दिया कि जितने गेहूँ की आवश्यकता होगी हम उतना देंगे तो हमें केन्द्रीय शासन की बात माननी पड़ी।

उन्होंने आगे कहा कि "मैं इस बात से भी इंकार नहीं करता हूँ कि गेहूँ की कीमत में जो इन्फलेशन हुआ उसमें हमारे यहाँ के शहरी इलाके के लोग जो मध्यम श्रेणी के थे, जो नीचे के तबके के लोग थे उनको गेहूँ मिलने में जरूर तकलीफ हुई लेकिन फिर भी उनको जितना मिलना चाहिए था, दिलाने का यत्न किया गया। जहाँ 25,25 और 30 रुपये के भाव गेहूँ के रहे वहाँ सरकार ने साढ़े चौदह रुपये मन पहुँचाया।"

राजस्व मंत्री के उपरोक्त भाषण पर सदस्यों ने आक्षेप किया। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने विनोदपूर्ण किन्तु व्यंग्यात्मक टिप्पणियाँ कीं और प्रश्न पूछे—

श्री विश्वनाथ अयाचित : केन्द्रीय सरकार ने बम्बई को शामिल करने के बारे में क्या आश्वासन दिया था?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मैं कह रहा था कि दो बातों को स्पष्ट अपने सामने रखना चाहिये....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : उनको तो आप चुप करा सकते हैं लेकिन मैं चुप रहने वाला नहीं हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने अभी जो सवाल किया है उसका आप जवाब दें।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मुझसे बनेगा तो दूँगा नहीं तो कहूँगा कि केन्द्रीय शासन से पूछिए। अध्यक्ष महोदय, दो बातों को स्पष्ट रखना चाहिए। एक चीज यह कि हमारे मध्यम श्रेणी और गरीब श्रेणी के लोगों को चौदह रुपये मन के ऊपर देना पड़ा, यह कोई नहीं कहेगा कि जहाँ फेअर प्राइस शॉप्स थीं वहाँ इससे ज्यादा किसी को देना पड़ा। एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि जहाँ जल्दी से गेहूँ मिलना चाहिए वहाँ दो-तीन घण्टे लगे होंगे।

श्री अर्जुनसिंह : और कहीं रात भर भी कह दीजिए।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : ऐसी कितनी दुकानें थीं जहाँ महीने भर तक गल्ला नहीं मिलता था?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो तो हो।

श्री होमी एफ. दाजी : पीछे से मंत्री महोदय करेक्ट कर रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। चौदह रुपये मन का भाव कहीं नहीं था। साढ़े चौदह का भाव था।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : मैं गलती स्वीकार करता हूँ। यह बात सही है कि लोगों को तकलीफ थी लेकिन इस तकलीफ को मिटाने का जो मूल कारण था— जो लोग शासन के काम में हर समय नुक्ताचीनी करते थे, ऐसा एट्मास्फिअर पैदा किया करते थे जिससे लोगों में पैनिक पैदा हो, तो यह पैनिक का कारण था कि इतना माल हमारे पास होते हुए भी लोगों में यह भावना हो गई कि मिलता है यानहीं....

श्री अर्जुनसिंह : आपसे तो ऐसी आशा नहीं थी मण्डलोई साहब।

श्री रामदास अग्रवाल : जब इतना माल था और शासन एक ओर 14 रु. मन गेहूँ देना कहता है सबको फिर तीस और पैंतीस के भाव क्यों बढ़ गये?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : आप तो खुद व्यापारी हैं, सब समझते हैं। अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय शासन से जिस समय हमने प्रोटेस्ट किया कि बम्बई शहर को क्यों मिला लिया गया तब हमें आश्वासन दिया कि आपको कितना गेहूँ चाहिए, हम देंगे। मैं स्पष्ट बताता हूँ, हमारे पास आँकड़े हैं, केन्द्रीय शासन द्वारा जो गेहूँ दिया गया वह करीब 1 लाख 26 हजार 817 टन गेहूँ फरवरी महीने तक हमको मिला।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : (वाह वाह) वह गेहूँ आपने स्टोर कहाँ किया होगा?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : उसके बाद जो वितरण हुआ वह है 87 हजार 149 टनों का जिस समय इन्फ्लेशन हो रहा था उस समय हमारी स्टॉक पोजीशन 30 हजार टन थी, जिससे लोगों में भगदड़ न हो। दूसरी बात जनवरी महीने में जब इन्फ्लेशन का दौरदौरा था उस समय केन्द्रीय शासन जब कि पहले तो दस ग्यारह हजार टन भेजता था तो उस समय 31 हजार टन गेहूँ मध्यप्रदेश को भेजा जिससे हम इन्फ्लेशन पर कण्ट्रोल पा सकें। 7 फरवरी को हमारे गेहूँ के निर्यात पर प्रतिबंध लगा।

श्री अर्जुनसिंह : आपको एसेन्शियल कमोडिटीज़ एक्ट के अन्तर्गत जो शक्तियाँ थीं उसके अन्तर्गत क्या आपने किसी एक भी होर्डर के स्टॉक पर कब्जा किया?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : हमारे पास गेहूँ था, हम लोगों को दे रहे थे।

श्री अच्युतानन्द मिश्र : जब आपके पास गेहूँ था और पर्याप्त सप्लाई भी कर रहे थे तो भाव क्यों बढ़ गये?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा कि हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में अनसोशल एलिमेण्ट कायम हैं....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 2 मार्च 1959, पृष्ठ 517, 519-22)

प्रश्नकाल तारांकित प्रश्नोत्तर :—

मूल प्रश्नकर्ता सदस्य श्री नाथूराम अहरवार के प्रश्नोत्तर के दौरान सदस्य श्री अर्जुनसिंह के पूरक प्रश्न। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं:—

श्री नाथूराम अहरवार : (क) क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन राज्य में भूमि की न्यूनतम सीमा कब तक निर्धारित कर देगा? (ख) क्या लैण्ड-सीलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : (क) और (ख) यह सम्पूर्ण प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री नाथूराम अहरवार : सीलिंग के लिये कितने वर्ष और लग जायेंगे?

श्री जगमोहनदास (उप मंत्री) : इसके संबंध में मुख्य मंत्रीजी ने यहाँ यह सूचना दी है कि या तो इसी सत्र में या अगले सत्र में विधेयक पेश होगा।

श्री अर्जुनसिंह : गत दिनांक 28 फरवरी को इन्दौर के पास हुई फारमर्स फोरम मीटिंग में जो श्री तख्तमल जैन ने घोषणा की थी क्या वह प्रिन्सिपल शासन ने मान्य किया है?

श्री जगमोहनदास : मुझे मालूम नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछ रहा हूँ कि क्या शासन के विचार में 7,200 रुपये आय की अधिकतम सीमा होगी?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, फारमर्स फोरम मीटिंग में बाबू तख्तमल जी ने जो भाषण दिया वह शासन की तरफ से कोई घोषणा नहीं थी कि शासन का ऐसा मत है या शासन ने घोषणा की है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यही पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो घोषणा की है उसके संबंध में आपका क्या कहना है आप सब लोग वहाँ मौजूद थे तो आज आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या निर्णय किया है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : उन्होंने अपने विचार यहाँ व्यक्त किये हैं और वह विचार उनके निजी विचार थे और उन्होंने कहा था कि हर एक स्टेट को इख्तियार है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुसार कमीबेशी कर सकते हैं।

श्री शाकिर अली खाँ : जो विचार व्यक्त किये हैं वह गवर्नमेंट ने सही माने हैं या गलत?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : गवर्नमेंट वहाँ पर कोई निश्चय करने के लिये नहीं बैठी थी। लोगों के क्या विचार थे, यह जानने के लिये बैठे थे।

श्री शाकिर अली खाँ : इस वक्त क्या सोचती है?

अध्यक्ष : इसके संबंध में शासन ने उत्तर दिया है कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शाकिर अली खाँ : यह सही है या गलत है।

अध्यक्ष : प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) : जो गवर्नमेंट सोचती है वह माननीय सदस्यों के सामने आयेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्टेट सरकारों को लिखा गया था कि वह सीलिंग का सिद्धांत निश्चित कर लें तो क्या सीलिंग का सिद्धांत अब तक निश्चित हो चुका है?

श्री जगमोहनदास : यह कहा गया है कि सारा प्रश्न विचाराधीन है, इसलिए जब तक निश्चय पूर्ण रूप से नहीं हो जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्त एक चीज है और डिटेल्स अलग चीज है।

अध्यक्ष : जो नीति का प्रश्न हो उसको जहाँ तक हो सके प्रश्नों द्वारा नहीं पूछना चाहिए।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सिद्धांत आपने तय कर दिये या नहीं?

अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि विचाराधीन है।

श्री होमी एफ. दाजी : अध्यक्ष महोदय, जैसी कहावत है कि 'साइलेन्स इज हाफ कन्सेन्ट' तो क्या इसको हाफ कन्सेन्ट नहीं माना जावेगा?

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 3 मार्च 1959, पृष्ठ 556-57)

अध्यक्ष महोदय, हाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। उनको ढूँढने की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के विचारों को भी शासन को जानना ज़रूरी है जो कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण रखते हैं। अगर सरकार उनके विचारों से कन्विन्स नहीं होती तो न हो परन्तु उसको दूसरा दृष्टिकोण अवश्य सुनना चाहिए। अगर शासन चाहता है कि जो कुछ उसके मन में आवे वही करने दिया जावे तो यह बात ठीक नहीं है।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
26 नवम्बर 1957

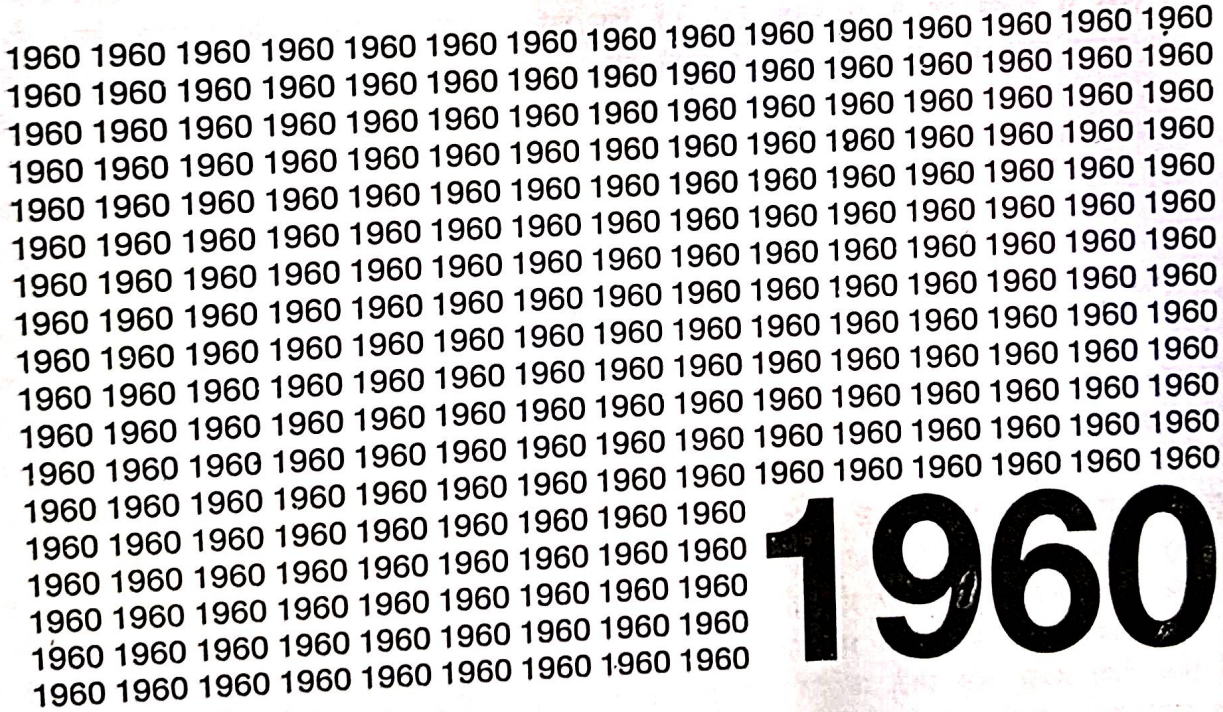

1960

29 जनवरी 1960 को 11 बजे पंडित कुंजीलाल दुबे की अध्यक्षता में बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। राज्यपाल श्री हरिविनायक पाटस्कर के अभिभाषण के पश्चात् सदस्य श्री मनोहर सिंह मेहता (बदनावर) ने राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया- "राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री मेहता के भाषण के बाद मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. पट्टाभि सीतारमैया का 17 दिसम्बर 1959 को निधन हो जाने पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी और सभा 1 फरवरी 11 बजे तक स्थगित हो गयी।

1 फरवरी को 11 बजे श्री कुंजीलाल दुबे की अध्यक्षता में सभा प्रारम्भ हुई। प्रश्नोत्तर, स्थगन प्रस्ताव और अन्य सूचनाओं के पश्चात् राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने भी तीन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये-

***श्री अर्जुनसिंह** : किन्तु खेद है कि- (1) जिस स्थिति के कारण कर्मचारियों की हड़ताल हुई और उसके बाद जो परिस्थिति निर्मित हुई उसका राज्यपाल के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया। (2) राज्यपाल के अभिभाषण में रिहन्द बाँध के भरे जाने से विस्थापित होने वाले सैकड़ों परिवारों और उनके पुनर्वास की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है। (3) राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के लिए ठोस औद्योगिक आधार की बुनियाद डालने की दिशा में सूत्रबद्ध प्रयास का कोई संकेत नहीं मिलता।- (अंग्रेजी से अनुवाद)*

राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई। सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने चर्चा शुरू की। इसके बाद सदस्य श्री यशवंतसिंह कुशवाह (मुरैना) का भाषण हुआ, फिर सदस्य श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) ने अपना भाषण प्रारम्भ किया-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल के भाषण के लिये बदनावर से आये हुये माननीय सदस्य के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर मैंने तीन संशोधन रखे थे। उन संशोधनों पर चर्चा करने के पहले मैं उनके साथ माननीय राज्यपाल महोदय का इस बात के लिये आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने सदन में आकर अपना भाषण दिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के भाषण में, जैसी कि परम्परा है, इस अवसर पर हमारे शासन की पुराने साल की गतिविधियों का संकेत और आगे के वर्षों में हम क्या आशाएँ रखें और किन बातों पर हमारी ज्यादा जोरदार कोशिश रहेगी, इन सब बातों का संकेत मिलता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय राज्यपाल महोदय का इस वर्ष का अभिभाषण मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक विभाग के द्वारा जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है उसी का संकलन मात्र है और माननीय राज्यपाल जी ने उसे यहाँ पढ़कर सुना दिया हो। अध्यक्ष महोदय, हर शासन, हर एक मूवमेन्ट और हर एक कार्य कल्पना के आधार पर शुरू हुआ करते हैं। पहले कल्पना की जाती है फिर उसको कृत रूप देने के लिये कुछ प्रयत्न किये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बात को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस प्रदेश को जिस वक्त बनाया गया था, आज से चार वर्ष पहले, विभिन्न राज्यों को मिलाकर मध्यप्रदेश बनाया गया और उस वक्त स्वाभाविक था, जिस

रिपोर्ट से इस प्रदेश को बनाने की तरफ केन्द्रीय शासन का ध्यान आकर्षित किया गया था उसी रिपोर्ट में इस प्रदेश के भविष्य के बारे में भी कल्पना की गई थी। अध्यक्ष महोदय अभी केवल 4 वर्ष ही हुए हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे शासन को यह बात स्मरण होगी कि इस रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की कल्पना एक समृद्धिशाली, औद्योगिक राज्य के रूप में की गई है। अध्यक्ष महोदय, इन चार सालों में मध्यप्रदेश में एक औद्योगिक राज्य का निर्माण करने के लिये जो प्रारम्भिक बातें की जाती हैं उनमें से हम कितनी कर चुके हैं, इसकी ओर मैं समझता हूँ सदन का ध्यान आकर्षित करना उचित होगा।

भिलाई स्टील प्लान्ट जो अपने यहाँ बना वह इस प्रदेश के बनने से पहले ही यहाँ आ चुका था इसलिये उसके बारे में उल्लेख करना तो उचित नहीं होगा। इस प्रदेश के बनने के पश्चात् मुझे कोई ऐसा काम तो नहीं ही दिखा। शायद उद्योग मंत्रीजी सदन को इस बात से अवगत करेंगे कि इन चार सालों में हमारे प्रदेश ने किस बात में उद्योग अथवा विकास के लिये सही कदम या कोई कदम उठाया है।

बैलाडीला की एक कहानी है, उस पर बोलना मैं उचित नहीं समझता क्योंकि वह सब को मालूम है। एल्युमीनियम प्लान्ट के लिये एक हाई पॉवर कमेटी बनी थी जिसके पॉवर इतने हाई थे कि वह सबके सब हवा में उड़ गये और वह प्लान्ट, पीपरी में अब डेम बनने जा रहा है। इतना अवश्य है कि माइका हमारे यहाँ से जायेगा। इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जिस वक्त हमारे उद्योग मंत्री से इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने बताया था कि अभी कोई निश्चित इसके बारे में शासन ने निर्णय नहीं लिया है कि हमें क्या करना है लेकिन आज जो कुछ हमें प्रतीत हो रहा है और मालूम हुआ है उससे बिलकुल स्पष्ट है कि एल्युमीनियम प्लान्ट अपने राज्य में अभी निकट भविष्य में बनने वाली नहीं है। अपने यहाँ के प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके जो एल्युमीनियम के प्लान्ट का केस बनाया था, उन्हीं प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके पीपरी में एल्युमीनियम प्लान्ट बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, सीधी जिले में सिंगरौली तहसील के अन्तर्गत बहुत ज्यादा कोयला मिलने की घोषणा हमारी सरकार ने नहीं की। अभी 2-3 साल पहले केन्द्रीय सरकार ने यह घोषणा की कि सिंगरौली में प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है और वह इतनी ज्यादा तादाद में पाया जाता है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी खदानों में उसकी गणना की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, तब से मैं इस खोज में लग गया कि हमारे शासन की भी उससे कुछ लाभ उठाने की आकांक्षाएँ और कल्पनाएँ हैं या नहीं। अध्यक्ष महोदय, सरकारी जितने भी साधन होते हैं जिले के कलेक्टर से लेकर मंत्री तक, डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज से लेकर सेक्रेटरी तक और जितने छोटे से छोटे पदाधिकारी हैं, मैंने एक-एक से खुद जाकर पूछा कि उसको उपयोग में लाने के लिये उसके द्वारा अपने प्रदेश को लाभ पहुँचाने के लिए क्या हमारी भी कोई स्कीम्स हैं? अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खेद के साथ सुनने को मिला कि अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है, कब होगा, यह तो ईश्वर जाने। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि किसी को साकार रूप देने के लिये केस को सामने लाया जावे, उसको पहले निश्चित करने के लिये कम से कम 3-4 साल पहले से प्लैनिंग की आवश्यकता होती है। अध्यक्ष महोदय, कोयला निकालने के लिए और कोयले को दूसरी जगह ले जाने के लिये पैमाइश होने लगी है और अभी हमारे शासन को यह कल्पना तक नहीं है कि इसके द्वारा हमारे प्रदेश को कहाँ तक लाभ पहुँचाया जा सकता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि प्रत्येक औद्योगिक स्थान जो हैं उनके विकास के लिये शासन की ओर से जो कदम उठाना चाहिये वह नहीं उठाया है। मामला अन्त में जाकर हाई स्टेज पर लटक जाता है। इस प्रदेश के उत्थान में किसी का पर्सनल इन्टेरेस्ट हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मेरे ऊपर प्रादेशिक भावना फैलाने का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने मन में प्रादेशिक भावना के रखने के बजाये कम से कम विकास के लिये उसको कहने में हमको क्या आपत्ति होती है। यदि हम और साधन जुटाने के लिये प्रादेशिक भावना से प्रेरित हों तो मैं समझता हूँ कि जुर्म नहीं है और मैं आशा करता हूँ कि जैसा कि इस प्रदेश में औद्योगिक कल्पना के रूप में किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ओर आवश्यक ध्यान देंगे, उस कल्पना को साकार रूप देना है। इस प्रदेश के नव-निर्माण के पहले वर्षों में आप नींव डाल सकते हैं। अगर इस समय आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो अगले 10-15 वर्ष के अन्दर आपको समय

नहीं मिल सकेगा जब कि हम इसके बारे में कुछ कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने एम्पलाइज के बारे में दो शब्द अपने भाषण में कहे। अध्यक्ष महोदय, एम्पलाईज के बारे में मैं 2-1 बातें बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह यह कि मैं इस बात को कदापि नहीं मानता कि अन्य वर्गों की तरह हमारे सरकारी शासकीय जो सेवक हैं उनको भी हड़ताल करने का वही अधिकार प्राप्त हो। मैं समझता हूँ ऐसी कल्पना एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कभी भी हितकर नहीं हो सकती है, सबसे पहली चीज यह है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो सामने हमको रखनी पड़ेगी वह यह है कि जो हमारे शासन के कर्मचारी हैं वह भी हमारे ही भाई हैं, हमारी ही तरह उनके भी सामने अपने भविष्य को अच्छा करने की कल्पना है और प्रयत्न हैं। एक हद तक तो हम उनसे आशा कर सकते हैं कि धैर्य धारण करें। जब बार-बार उन्होंने माँग रखी और आपने उनके आवेदनों का उत्तर तक नहीं दिया तो फिर आप ही बतायें कि यदि उन्होंने अब फिर मर्यादाएँ तोड़ दी थीं तो कौन-सी असाधारण बात हो गई। उन सभी मानवीय कठिनाइयों का इन कर्मचारियों को भी सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इन दो सिद्धांतों को हम अपने सामने रख लें तो मैं समझता हूँ कि जो शासकीय कर्मचारियों और शासन के बीच कटु सम्बन्ध का इतिहास हमारे इस प्रदेश में निर्माण हुआ है वह कदापि निर्माण नहीं होता। यदि इन दो बड़े सिद्धांतों को सामने रखा जाता तो यह परिस्थिति हमारे सामने नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, जो स्ट्राइक की सूचना कर्मचारियों ने गत वर्ष दी थी और उसको वापस ले लिया था, उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि शासन ने इन सिद्धान्तों को सामने नहीं रखा कि आखिर इन कर्मचारियों को क्यों ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है? जहाँ शासकीय कर्मचारियों ने इस बात को अपने सामने नहीं रखा कि अन्य वर्गों की तरह हम भी स्ट्राइक नहीं कर सकते, हमें स्ट्राइक करने का मूल अधिकार नहीं है तो दूसरी तरफ शासन ने भी इस बात को अपने सामने नहीं रखा कि आखिर इन्हें कौन-सी कठिनाई है जिसके कारण ये लोग हड़ताल करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ एक छोटा-सा कारण जिसके पीछे इस प्रदेश में एक ऐसी घटना हुई जो शायद विश्व के किसी भी देश में नहीं हुई। दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल नहीं हुई। इसका कहीं भी कोई दूसरा प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ तक कि रशिया में, फ्रांस में इतने बड़े-बड़े रिवोलुशन हो गये हैं लेकिन इस तरह की घटना नहीं घटी है। हो सकता है कि शासकीय कर्मचारियों ने अपनी लॉयलटी भले ही चेन्ज कर दी हो लेकिन इस तरह से कहीं हड़ताल की हो ऐसा देखने में नहीं आया। तो फिर इस तरह की घटना हमारे प्रदेश में क्यों हुई, और कैसे हुई यह किसी की समझ में नहीं आता। इस घटना की तरफ सरकार को जितनी गहराई से देखना चाहिये उतनी गहराई से उसने नहीं देखा। अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण इस बात को समझेंगे कि इस परिस्थिति का निर्माण केवल इसलिये हुआ क्योंकि उन्होंने शासकीय कर्मचारियों को एक ह्यूमेनिटी नहीं माना, आपने उन्हें केवल मशीनरी के रूप में ही देखा। यह तो एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी है जिसका काम है कि कार्य करते रहना। इसी भावना से उन्हें देखा गया इसलिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ। अगर उनके रिप्रेजेन्टेशन शासन के दफ्तर में आते हैं तो उनके पत्रों का इकनोलेजमेंट भी नहीं मिल पाता है कि भाई आपका प्रार्थना-पत्र मिला और उस पर विचार किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आखिर हर एक चीज की सीमा होती है अगर कोई चीज सीमा से बाहर की जाती है तो उसकी जो मर्यादा है वह अवश्य टूटती है। फिर वह सवाल अपने वश का नहीं रह जाता। मैं आशा करता हूँ कि अब जो कुछ हुआ, सो हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होने पावे इसके लिये शासन को चाहिये कि वह इन दो उपरोक्त बताये सिद्धांतों को ध्यान में रखे और साथ ही उदारता से हर सवाल पर विचार करेगा। मैं आशा करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी उदारता का परिचय देंगे और उन कर्मचारी भाइयों को जिन्होंने स्ट्राइक में भाग लिया है उनका विक्टमाइजेशन न होने देंगे। उसमें एक लीगल क्वेश्चन भी इनवॉल्व है। आपका जो इसेन्शियल सर्विसेज एक्ट लागू हुआ उसके लागू होने के बाद जितने भी कर्मचारियों ने स्ट्राइक में भाग लिया वे सभी कानून की निगाह में गिल्टी हो चुके हैं। एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कि गिल्टी न हो। जब यह प्रश्न शासन के हाथ में नहीं रहा कि वह किसको गिल्टी माने और किसको न माने। अगर शासन इस चीज को अपने हाथ में लेता है तो फिर जो रूल

ऑफ लॉ है उसका पतन हो जायगा। शासन चाहे जिसको गिल्टी माने और चाहे जिसको गिल्टी न माने तो फिर कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता। शासन को यह कहने का अधिकार नहीं है कि अमुक व्यक्ति को ट्राई करेंगे और अमुक व्यक्ति को ट्राई नहीं करेंगे। इसलिये मुख्यमंत्री जी से मैं आशा करता हूँ कि अब जो कुछ हो चुका, सो हो चुका, लेकिन अब आगे ऐसी परिस्थिति पुनः निर्माण न हो सके, इसका वे ख्याल रखें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात की तरफ शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह इस प्रदेश के रोज के शासकीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश में प्रजातन्त्र की नींव डाली जा रही है। हमें अपने देशवासियों के लिये इस बात को सामने रखना है कि जिस प्रजातन्त्र प्रणाली को आज से दस-बारह वर्ष से हमने अपनाया है, वह प्रजातन्त्र प्रणाली उन सब की उम्मीदों को पूरा करने में समर्थ है, जिसको लेकर कि हम स्वतन्त्र हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैं दो-तीन बहुत ही सिद्धान्त की बातें सामने रखना चाहता हूँ। ऐसे उदाहरण हमारे नागरिकों के सामने नहीं आये हैं कि प्रजातन्त्र प्रणाली ही सबसे अच्छी है। हमें लोगों में प्रजातन्त्र प्रणाली के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। वह प्रयत्न केवल मन्त्रियों को करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। वह प्रयत्न हमको करना है, विरोधी दल के लोगों को करना है, नागरिकों को करना है और सबको करना है। लेकिन उदाहरण जो देंगे वह हमारे मन्त्रीगण ही देंगे, अधिकारी ही देंगे, गणमान्य नेता ही देंगे। अध्यक्ष महोदय, उस प्रजातन्त्र प्रणाली को सफल बनाने के लिये हमारे देश में जितने जोरदार प्रयत्न होने चाहिये वह नहीं हो रहे हैं।

उदाहरण के लिये मैं एक प्रश्न आपके सामने रखता हूँ। यह प्रश्न एक दूरदर्शिता का प्रश्न है। अगर इस सम्बन्ध में दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज इस तरह की परिस्थिति का निर्माण नहीं होता और लोगों को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि जब तक हम सत्याग्रह नहीं करेंगे, जब तक हम हो-हल्ला नहीं मचायेंगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि अभी रिहन्द डैम की डूब में कुछ जमीन आने वाली है। इस रिहन्द डैम की कल्पना आज से आठ-नौ साल पहले की जा चुकी थी कि कितनी जमीन डूब में आने वाली है, उसमें कितना एरिया जावेगा। अध्यक्ष महोदय, तीन साल से सरकार को सब बात मालूम है और इस संबंध में कई प्रश्न होते हैं और चर्चा भी होती है और शासन को सब बातों की जानकारी है परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उस डैम से जो पाँच सौ कुटुम्ब बेघरवार होने वाले हैं, उसके संबंध में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है अभी तक यह भी निश्चित नहीं हुआ है कि जो पाँच सौ फेमिलीज एफेक्ट होने वाली हैं, उनको कहाँ बसाया जावेगा, कहाँ उनको जमीन दी जावेगी। उनको कोई बताने वाला नहीं है। जहाँ तक कम्पेन्सेशन का सवाल आता है, यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार देगी, हमारी सरकार तो केवल कम्पेन्सेशन बाँध देगी। अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हम उत्तर प्रदेश की सरकार से एक किलोवाट बिजली तक लेने में समर्थ नहीं हैं तो लाखों रुपये कम्पेन्सेशन हमें पाने के लिये बड़ी सतर्कतापूर्वक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। अभी तक तो कम्पेन्सेशन के मुद्दे भी तय नहीं हुए हैं कि किसको कितना कम्पेन्सेशन देना है, किस आधार पर देना है, फिर अगले दो-तीन महीने में कम्पेन्सेशन कैसे तय हो जावेगा, और उसका वितरण कैसे हो जावेगा, यह कल्पना करना सम्भव नहीं है। हो सकता है कि शासन ऐसी कल्पना कर सकता हो। अध्यक्ष महोदय, मैं रिहन्द डैम में डूब में आने वाले जंगलों का भी जिक्र कर देना चाहता हूँ। रिहन्द डैम में डूब में जो जंगल आने वाला है, हो सकता है कि उसकी लकड़ी कीमती न हो परन्तु वह है तो हमारी वन-सम्पत्ति। इसके सम्बन्ध में भी मीटिंग हुआ करती थी कि क्या करना चाहिये परन्तु अभी तक एक भी लकड़ी नहीं निकाली गई है और न इस बात का अन्दाज लगाया गया है कि वह लकड़ी एक हजार की है या एक लाख की है। शासन इस मामले में कितना सतर्क है यह साफ मालूम होता है। अगर इस तरह के उदाहरण हम लोगों के सामने रखेंगे तो यह निश्चित है कि हम प्रजातंत्र को सफल बनाने में अग्रसर नहीं हो सकते। लोग तो ऐसा सोचते हैं कि इस प्रजातन्त्र में लोगों का हित नहीं होता, लोग अपना हित-साधन ही करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जहाँ आपको यह विश्वास है कि प्रजातन्त्रीय प्रणाली ही सबसे अच्छी प्रणाली है, वहाँ दृढ़तापूर्वक इस बात को आपको सामने रखना चाहिये और आपको गलतियों को दूर करके लोगों के हितों को सामने रखना है, यह प्रयत्न करना है कि आप लोगों के हित-साधन

में लगे हुए हैं। यदि आप ऐसा प्रयत्न नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जिस समृद्धिशाली मध्यप्रदेश की हमने कल्पना की थी, राज्य पुनर्गठन के पहले वह होने वाला नहीं है।

लेकिन कहीं उसका उलटा न हो जाय जिसको कि मैं इस वक्त कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि ऐसा कभी हो। लेकिन वह खतरा अपने सामने हमेशा है और आज उसके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि जब मौका था तब तो छोटी-छोटी बातों में उलझे रहे और सैद्धांतिक बातों पर कोई रुचि नहीं दिखाई। इसका परिणाम यह होगा कि प्रदेश टुकड़े-टुकड़े में बँट जायेगा।

अंत में खाद्य समस्या के बारे में जो उल्लेख है उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ जो नीति शासन ने इस वक्त अपनाई है, खाद्य समस्या के लिये, वह वर्तमान परिस्थिति में सर्वथा उचित है और स्टेट ट्रेनिंग इन फूड ग्रेन्स को अगर हम लोग सैद्धांतिक रूप से मानते हैं तो मैं समझता हूँ इसके अलावा हमारे लिये कोई चारा नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य को अन्न देने में केवल राजकीय स्तर पर सम्बन्ध होना चाहिये। अगर व्यक्तिगत स्तर पर सम्बन्ध रखा जायेगा तो उसमें और स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स में कभी मिलाप नहीं हो सकता। अगर निश्चित रूप से आपका लक्ष्य स्टेट ट्रेडिंग इन फुड ग्रेन्स का है तो पहले आप इस बात की घोषणा कीजिये क्योंकि हमारे राज्य में स्मगलिंग हो रहा है। उसका कारण है कि जिन लोगों का स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स पर विश्वास नहीं है, जो लोग उसको गलत साबित करना चाहते हैं उन्हीं तत्वों की माँग है कि इन दोनों राज्यों में, बम्बई और मध्यप्रदेश में एक्सपोर्ट पर बैन हटा लिया जाये। इसलिये शासन को एक नीति निश्चित कर लेनी चाहिये और फिर उसमें हेर-फेर करते रहना उचित नहीं है।

दूसरे, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कुछ संकेत किया। मैं समझता हूँ कि बजट सत्र के समाप्त होने के पहले या बजट पर चर्चा करने के पहले अगर उसकी रूपरेखा सामने आ जाये तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि सदन में उपस्थित अनेक सदस्यों को तीसरी योजना के सम्बन्ध में अपने-अपने सुझाव देने का अवसर मिल सके; क्योंकि मुझे ऐसा मालूम है, अभी बहुत विश्वसनीय रूप से नहीं कहता, जिन बातों के लिये बार-बार इस सदन में आश्वासन दिये गये; मेडिकल कॉलेज खोलने के रीवा और रायपुर में, उनका उल्लेख शायद तीसरी योजना में नहीं होगा। इसलिये आप कृपा करके बजट सत्र के पहले तीसरी योजना की रूपरेखा सदस्यों को दे दें ताकि बजट पर चर्चा के दौरान सदस्यगण अपने-अपने सुझाव दे सकें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/1 फरवरी 1960, पृष्ठ -70-74)

रिहन्द बाँध के बारे में सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने तारांकित प्रश्न पूछे :—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : (क) क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1960 की मानसून से रिहन्द बाँध को भरना शुरू किया जायेगा? (ख) भरने की अवस्था में कितने गाँव डूब में आयेंगे और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या क्या है? (ग) इन विस्थापित लोगों को फिर से बसाने के लिये क्या कोई स्थान निश्चित किया गया है? (घ) क्या अभी तक प्रभावित लोगों को कोई क्षतिपूर्ति या पुनर्वास अनुदान दिया गया है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : (क) हाँ। (ख) 10 ग्राम के 300 परिवार। (ग) लोगों ने इच्छा जाहिर की है कि उन्हें नगद मुआवजा दे दिया जाय और वे खुद बस जायें। अतः किसी खास जगह को बसाने के लिये नहीं चुना गया है। (घ) मुआवजा शीघ्र देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : यह जो तीन सौ परिवार बताये गये हैं इसमें कितने लोग प्रभावित होंगे?

श्री जगमोहनदास : सामान्यतः एक परिवार में पाँच व्यक्ति माने जाते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : इनको जो कम्पेन्सेशन दिया जावेगा उसका निर्णय हमारी सरकार द्वारा होगा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा?

श्री जगमोहनदास : लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक वहाँ के राजस्व अधिकारी करेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा इसमें लिखा गया है कि जिन लोगों ने यह इच्छा जाहिर की है कि नकद मुआवजा दे दिया जावे, क्या उनको बसाने और घर बनाने की सुविधा उपलब्ध होगी?

श्री जगमोहनदास : कुछ लोगों की यह माँग आई है कि उनको नकद मुआवजे के अतिरिक्त भूमि भी दी जावे। यह तभी सम्भव है जब वह नकद मुआवजा न लें।

श्री अर्जुनसिंह : जिन लोगों को विस्थापित किया जावेगा उनसे बनी-बनाई भूमि लेकर जोड़-तोड़ जमीन दे जावेगी, फिर यदि वह नकद मुआवजा लेकर यह मांग करते हैं तो क्या वह न्यायोचित नहीं है?

श्री जगमोहनदास : लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक जो जमीन ली जाती है उसका पूरा-पूरा मुआवजा दिया जाता है, पूरी-पूरी कीमत दी जाती है। शासन ने यह निर्णय किया है कि जो सरकार की पड़त जमीन पड़ी है उसे यहाँ से विस्थापित भूमिहीनों को प्राथमिकता के आधार पर यदि वे लेना चाहें तो दी जावेगी। वह भूमि उनको बताई भी गई है।

श्री अर्जुनसिंह : इन विस्थापितों को बसाने की ओर शासन का ध्यान है या नहीं?

श्री जगमोहनदास : मैंने निवेदन किया है कि अतिरिक्त भूमि जो पड़त पड़ी है वह उनको बताई गई है। जितनी शासन उनकी सहायता कर सकता है अवश्य करेगा लेकिन यह सम्भव नहीं है कि उनको नकद मुआवजा भी दे देवें और काबिलकाश्त भूमि भी ट्रैक्टर चलाकर दे दें।

श्री अर्जुनसिंह : अभी तक जो तीन सौ परिवार इफेक्टेड हुए हैं उसमें से किसी का कम्पलीट फायनल डिसीजन हो चुका है क्या?

श्री जगमोहनदास : इसकी मुझे तुरन्त सूचना नहीं है, कार्रवाई चल रही है, और क्या हुआ इसकी तुरन्त सूचना नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इस जमीन का मुआवजा मध्यप्रदेश सरकार देगी या उत्तरप्रदेश सरकार?

श्री जगमोहनदास : उत्तरप्रदेश सरकार।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : किस हद् तक किन-किन आदमी को कितना-कितना दिया जावेगा क्या इसकी कोई लिस्ट मध्यप्रदेश शासन ने उत्तरप्रदेश को बनाकर भेजी है?

श्री जगमोहनदास : एवार्ड होगा फिर रकम प्राप्त की जावेगी।

श्री हरिभाऊ जोशी : इन 300 परिवारों में से कितनों को यह पड़त भूमि बताई गई है और उन्होंने लेने से इन्कार किया?

श्री जगमोहनदास : इन्कार किसी ने नहीं किया, किस-किस को दिखाई गई यह सूचना नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : क्या लैण्ड एक्वीजीशन ऑफीसर की नियुक्ति हो गई है?

श्री जगमोहनदास : नियुक्ति हो गई है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : क्या धारा 4 का नोटिस जारी हो गया है कि जमीन ली जा रही है?

श्री जगमोहनदास : धारा 4 का नोटिस पहले दिया जाता है, वह दिया जा चुका है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : उनकी आपत्ति लेने की धारा 9 का नोटिस प्रसारित किया गया है या नहीं?

श्री जगमोहनदास : जितनी जल्दी माननीय सदस्य कर रहे हैं, उतनी जल्दी जानकारी देना कठिन है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : धारा 9 के अन्तर्गत उनकी आपत्ति लेने के लिए कोई नोटिस जारी हो गया या नहीं?

श्री जगमोहनदास : वहाँ वह नोटिस जारी कर दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : पंचनामा तैयार करके भूमि-संपादन अधिकारी ने अपना एवार्ड दिया है या नहीं?

श्री जगमोहनदास : एवार्ड के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन कार्यवाही चल रही है। पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि वे जल्दी से जल्दी करें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/15 फरवरी 1960, पृष्ठ -914-916)

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या वन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को यह ज्ञात था कि सीधी जिले में रिहन्द बाँध के जलाशय क्षेत्र में बहुमूल्य इमारती लकड़ी वाला वन का एक बड़ा क्षेत्र आ जावेगा? (ख) बाँध के भरने के पहले इस वन संपत्ति को निकालने के लिये अभी तक शासन ने क्या कदम उठाया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : (क) हाँ, शासन को ज्ञात था कि राज्य के वन का केवल लगभग 2830 एकड़ रिहन्द बाँध के अन्तर्गत आयेगा जिसमें जहाँ-तहाँ खड़े कम कीमत के वृक्ष हैं। (ख) इन वन भाग में स्थित कुछ

वृक्ष सन् 1957-58 तथा 1959-60 में नीलाम किये जा चुके हैं और शेष माह फरवरी सन् 1960 के अन्त तक में नीलाम किये जायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : इस ऑक्शन में कितना रुपया सरकार को मिला है?

श्री सज्जनसिंह विष्णार : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : ऑक्शन कितने में हुआ, जब सरकार को इसका भी पता नहीं है तो हम लोग क्या प्रश्न पूछें? मेरा ख्याल है मंत्रीजी को जानकारी होगी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी को जानकारी होगी परन्तु उपमंत्रीजी को नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : ऑक्शन में कितना रुपया मिला है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अब इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अब इसकी जानकारी नहीं है तो क्या पहले थी? आपने उत्तर दिया है कि इस क्षेत्र में बहुत ही कम कीमत के पेड़ खड़े हैं तो क्या यह सच है कि शीशम के बहुत ही बहुमूल्य पेड़ वहाँ पर खड़े हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : इस क्षेत्र में तेंदू, खैर, साज, वेल, धवा, बाँस आदि के पेड़ हैं, शीशम का कोई पता नहीं है, सागौन के भी पेड़ नहीं हैं।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : क्या शासन ने इस बात की जाँच करा ली है कि वहाँ पर कितने शीशम और सागौन के पेड़ हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : जाँच की जो रिपोर्ट मुझे प्राप्त हुई है उसमें शीशम और सागौन का कोई जिक्र नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : 2830 एकड़ का जो क्षेत्र बाँध के अन्दर आने वाला है क्या सरकार ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि पहले कितने एकड़ का क्षेत्र डूब में आयेगा?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : पहले 2100 एकड़ डूब में आयेगा और बाद में 700 एकड़।

(विधानसभा कार्रवाई- 16 फरवरी 1960, पृष्ठ-1009)

श्री अर्जुनसिंह हमेशा अभावग्रस्त और अरक्षित लोगों के पक्षधर रहे हैं। वे अपने राजनैतिक जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही बेसहारा और शोषित जनों की समस्याओं के प्रति चिन्तित रहे हैं। उन्होंने रिहन्द बाँध के विस्थापितों के प्रति इस सार्वजनिक महत्व के विषय पर विशेष चर्चा आयोजित करवायी। एक याचिका प्रस्तुत की गयी। इस विषय पर हुई पूरी चर्चा इस प्रकार है :-

अध्यक्ष : विधानसभा कार्यालय में एक याचिका आई है जिसे विधानसभा सचिव पढ़कर सुनावेंगे।

सचिव (श्री रघुनाथसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूँ कि जिला रीवा व सतना के 80 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पटवारियों द्वारा बेदखली की सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है जिस पर सदन के माननीय सदस्य श्री जगदीशचन्द्र जोशी ने प्रतिहस्ताक्षर किये हैं।

अध्यक्ष : अब यह याचिका, याचिका समिति के पास विचारार्थ भेजी जावेगी।

सार्वजनिक महत्व के विषय (रिहन्द बाँध) पर चर्चा।

अध्यक्ष : विधानसभा नियम 128 (अ) के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करने के लिये माननीय श्री अर्जुनसिंह ने सूचना दी है उस पर अब चर्चा होगी।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर देने की आपने जो महान् कृपा की है उसके लिये मैं पहले आपको ही धन्यवाद देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी समस्या है जिसकी संयोगवश दूसरे तरीके से चर्चा करना सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा था। अध्यक्ष महोदय, रिहन्द डेम बनाने के प्रश्न पर जो अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं उनकी ओर मैं अपनी इस चर्चा के दौरान में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सदन को विदित है कि समय-समय पर विधानसभा में इस डेम के बारे में अनेक पहलुओं पर प्रकाश डाला जा चुका है और इसी सम्बन्ध में इस सदन में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। इसके बारे में शासन ने अभी तक क्या किया, यह चर्चा के दौरान में जिक्र करना

शायद उचित नहीं होगा लेकिन मैं शासन से अपेक्षा करूँगा कि शासन की ओर से इसकी जानकारी इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को देने की कृपा की जावे कि इस प्रदेश के हित की रक्षा के लिये, जिसका कि सदन में कई बार उल्लेख किया गया है, शासन ने क्या-क्या प्रयत्न किये।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ विशेष परिस्थिति का सवाल है, इसी मानसून में वहाँ पानी भर जाने के कारण जो ग्राम डूब में आ जावेंगे, उन ग्रामों के सामने जो समस्या आ खड़ी हुई है उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक सवाल के उत्तर में 15 फरवरी को माननीय मन्त्री द्वारा हमको यह बताया गया कि दस ग्राम डूब में आवेंगे जिससे तीन सौ परिवार प्रभावित होंगे। औसत आबादी माननीय उपराजस्व मन्त्री महोदय ने, लगभग चार व्यक्ति का एक परिवार लगाकर, बारह-तेरह सौ बताई है कि वह इससे प्रभावित होंगे। अध्यक्ष महोदय, संख्या बारह सौ हो, तेरह सौ हो, एक हजार हो, या दो हजार हो, इसकी गणना नहीं है, सवाल यह है कि आज से लगभग तीन साल पहले मध्यप्रदेश शासन को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा यह सूचना दे दी गई थी कि सन् 1960 के मानसून में उनके डेम का पहला भाग भरना शुरू हो जावेगा। आज से दो साल पहले उत्तरप्रदेश सरकार ने एक लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर भी मुकर्रर कर दिया था जिसको तनख्वाह उत्तरप्रदेश सरकार देती है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा शासन ने बताया यदि तीन सौ परिवारों का ही सवाल शासन के सामने था तो मैं समझता हूँ कि हमें और जनता को यह जानने की उत्सुकता अवश्य हो सकती है कि इन दो सालों में तीन सौ परिवारों की समस्या को सुलझाने की ओर निश्चित कदम नहीं बढ़ाये जा सके और इसे ऐसा उग्र रूप धारण करने दिया गया। कम्पेन्सेशन और रिहेबिलिटेशन का प्रश्न यदि दो साल में तत्परतापूर्वक देखा जाता तो धीरे-धीरे यह समस्या आज हमारे सामने नहीं रह जाती। मेरी जानकारी के अनुसार अध्यक्ष महोदय, करीब 900 प्रकरण इन 300 परिवारों के शासन के सामने हैं, जिनका निराकरण आपको इस मानसून के पहले कर देना है, चाहे आप उनको नकद पैसा दें या जमीन दें, यह अलग बात है। अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री को विदित होगा कि लैण्ड एक्वीजीशन के किसी भी मामले को अन्तिम रूप देने में बहुत सी कठिनाइयाँ होती हैं, जो साधन हैं उनके द्वारा कम्पेन्सेशन का निर्णय करने में, उसके बाद जिनकी जमीन है, उनको मान्य नहीं हुआ तो वे उसकी अपील करेंगे। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में जितना समय लगेगा उसके मुताबिक ही उसको तत्परता दी जाती है। इसलिये इसमें प्रावीजन भी है कि जहाँ ऐसा हो वहाँ इमरजेन्सी प्रावीजन में भूमि ली जाती है।

मैं जानना चाहता हूँ कि इस समस्या को सामने रखते हुए शासन ने 900 प्रकरणों को सुलझाने के लिए क्या तत्परता दिखाई। मेरी जानकारी के अनुसार आज से दस दिन पहले जब मैं वहाँ गया था, उन 900 में से 50 प्रकरणों में ऐसी फाइल तैयार की गई है, जिसमें इस इनफार्मेशन का संकलन किया गया है कि किसके पास कितनी जमीन है, कितनी सम्पत्ति है जिसका कम्पेन्सेशन तैयार करना है। शासन यह भी जानता है कि उन लोगों को कम्पेन्सेशन देना है और उनको साधन उपलब्ध कराना है ताकि वे मानसून के पहले स्थापित हो जायें। यह आवश्यक है कि मार्च के अन्त तक कम्पेन्सेशन के उनके समस्त केसेज को अन्तिम रूप दे दें, क्योंकि एक महीने के अन्दर मैं समझता हूँ, बहुत ही कम समय रह जायेगा, जिसमें वह दूसरी जगह बस सकें। अगर मार्च के बाद आपने निर्णय किया तो मैं समझता हूँ, आपका निर्णय इस वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई लाभदायक नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर फरवरी से मार्च की 30-31 तारीख तक 800 प्रकरणों का निर्णय करना है तो सदन को स्पष्ट विदित हो सकता है कि न केवल असम्भव प्रतीत होगा, बल्कि यह ऐसा प्रयास होगा जिसकी विफलता निश्चित है।

अध्यक्ष महोदय, अब रह गया यह कि अगर इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको तत्परता दिखानी ही है तो आपने अभी तक 1 लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर नियुक्त कर रखा है, अभी शायद हमने सुना है कि उसके लिए दो असिस्टेन्ट्स का प्रावधान और कर दिया है। लेकिन अन्तिम रूप से उसी लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर को निर्णय देना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या को मार्च के अन्दर सुलझाया जा सके तो इस डेढ़ माह के लिए आप दो लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर और नियुक्त कर दें ताकि वे केसेज का बँटवारा करके कम्पेन्सेशन के केसेज का अन्तिम निर्णय दे सकें।

इसके अलावा एक और तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि कुछ कम्पेन्सेशन का विवेचन करना है। जिले के अन्दर इस समस्या को सुलझाने के लिये जो एक आवश्यक प्रावधान होना चाहिये था, वह नहीं हो पा रहा था। लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर जो आपका आदमी है, वह उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त है। आदमी भले आपका हो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कलेक्टर का है और डीलिंग जो उसकी होती है, वह या तो सीधे शासन से या कमिश्नर के लेविल से होती है। जो डाइरेक्शन आये, वह उत्तरप्रदेश सरकार के आये। इसके कारण हमने देखा कि वहाँ वर्किंग में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है। उदाहरण के लिये मैं शासन के सामने रखना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि वह तथ्य गलत नहीं निकलेगा। आज 3-4 महीने पहले उस आदमी के लिए दौड़ा करने के लिये एक तम्बू की आवश्यकता हुई। उस तम्बू को उस अधिकारी को उपलब्ध कराने के लिये उत्तरप्रदेश सरकार और हमारी सरकार में लगभग दो माह तक लिखापढ़ी होती रही। केवल एक टेण्ट उपलब्ध नहीं हुआ। जब देखा कि बड़ी अड़चन हो रही है तो इस शासन ने अपनी ओर से आदेश दे दिया कि आप काम तो चलाइए फिर देखा जायेगा। यह एक उदाहरण हुआ। जब इतनी छोटी-छोटी बातों पर इतना विलम्ब होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो अहम मसले कम्पेन्सेशन के आते हैं उनके लिये तत्परता से वे कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके लिये सम्भव नहीं है। उदाहरण के लिए मुआवजे की जब दरख्वास्त आती है तो उसे खसरा नम्बर की सर्टिफाइड कापी देनी पड़ती है और खसरे की सर्टिफाइड कापी देने के लिये तहसीलदार ही उसे सर्टिफाई कर सकता है। मैंने वहाँ पर देखा कि तहसीलदार साहब को इतना काम रहता है कि उनको इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। उसका नतीजा यह हो रहा है कि लोग वैसे ही खसरा नम्बर की नकल ले करके मुआवजे के दावे में शामिल कर रहे हैं और वही लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर ही उस नकल को सर्टिफाई करता है। मैं समझता हूँ कि यह बिलकुल ही अनियमित है और जब कभी भी इस मसले को चैलेन्ज किया जाएगा तो जितने आपने कम्पेन्सेशन दिये हैं वह सब इन्वैलिड हो जायेंगे। इसके अलावा एक और बात पर जो शासन ने सदन का ध्यान प्रश्नकाल में खींचा था वह यह था कि वहाँ के लोगों की यह धारणा है कि वहाँ पर उनको कैश कम्पेन्सेशन दे दिया जाये और फिर उनको जमीन देने की आवश्यकता नहीं है। वैसे किसी बनियां की दुकान पर इस तरह का तर्क रखना तो उपयुक्त हो सकता था कि भाई दो चीजें हैं या तो यह लीजिये या वह लीजिए और उसका निर्णय होने के बाद फिर यह बिका हुआ माल वापस नहीं लिया जायेगा। लेकिन एक प्रजातन्त्रीय शासन के लिये यह कहना कि या तो तुम रुपया ले लो या जमीन ले लो, शासन का इस तरह का प्रश्न पूछना ही मैं समझता हूँ उचित न होगा क्योंकि आज उनको जो विस्थापित होना पड़ रहा है वह अपनी इच्छा से नहीं हो रहे हैं बल्कि शासन के कार्य के कारण ही उनको विस्थापित होना पड़ रहा है। इस बात को देखते हुए यह आवश्यक ही नहीं, बिलकुल अनिवार्य होना चाहिये कि आप उनको पैसा, कम्पेन्सेशन देने के बाद इतना ही ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं जिनको हमने अमुक रकम दी है, जिनको कम्पेन्सेशन हजार दो हजार, रुपये से अधिक दिया है उनको जमीन हम मुफ्त न देंगे, यह तो कुछ समझ में बात आती है लेकिन यह कहना कि तुम जमीन पाने के हकदार नहीं हो क्योंकि तुमको हम मुआवजा दे चुके हैं, सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि जिन लोगों को कम्पेन्सेशन इतनी मात्रा में नहीं मिला है कि वे जमीन खरीद सकें उनको तो भूमिहीन मानकर रुपया और जमीन दोनों दें और जिनको मुआवजा इतना मिला हो कि वे जमीन खरीद सकते हैं उनको आप भूमि खरीदने के बाद ही भूमिस्वामी का राइट दें। एक प्रश्न यह भी उठता है कि वहाँ पर जब लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर के सामने कम्पेन्सेशन डिसाइड होने के लिये मामला जाता है तो मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी को बताना चाहता हूँ कि उस भू-भाग में आज से 20, 25, 30 साल पहले जब बन्दोबस्त हुआ था उस समय लगान की औसत दर बहुत कम थी और शायद रुपया, सवा रुपया था। ऐसी अवस्था में मैं आशा करता हूँ कि हमारी सरकार उत्तरप्रदेश सरकार से इस बात के लिये आग्रह करेगी कि वहाँ पर कम्पेन्सेशन का जो निर्णय करें वह वहाँ के क्वान्टेम ऑफ लैण्ड रेन्ट के सिद्धान्त को न मानें बल्कि वहाँ की जो मार्केट प्राइस है और वहाँ पर जो इम्प्रूवमेन्ट कर रखा है उसी को आधार मानकर कम्पेन्सेशन डिसाइड किया जाये क्योंकि उस रेन्ट के हिसाब से तो 70, 80 रुपये प्रति एकड़ का

मुआवजा दे दिया जायेगा तो वह केवल एक मखौल होगा। इसलिये मैं आग्रह करूँगा कि उत्तरप्रदेश सरकार की अनुमति ले ली जाय क्योंकि पैसा तो उनको ही देना है। कुल इम्प्रूव्ड लैण्ड का कम्पेन्सेशन मार्केट प्राइस की दर से डिसाइड किया जाये वरन् मैं समझता हूँ कि उनके साथ कोरी हमदर्दी दिखाई जा रही थी। इसके अलावा मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि चूँकि यह समस्या वहाँ के लोगों से सीधा सम्बन्ध रखती है इसलिये यह न्यायोचित होगा कि कोई भी ऐसा फोरम या आर्गेनाइजेशन किसी तरह से शासन वहाँ पर जन-प्रतिनिधियों का वहाँ की समस्या के बारे में बनाये। इसके लिए शासन अगर उचित समझे तो मैं सुझाव दूँगा कि वह इन्फार्मल एडवाइजरी बॉडी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेबल पर बना दे जिसमें कलेक्टर तो रहेगा ही और वहाँ पर कुछ क्षेत्र के चुने हुये प्रतिनिधि सदस्य हों और वहाँ की लोकल पंचायतों के सदस्य हों। ताकि आपको अपने निर्णय को तुरन्त कार्यान्वित करने में बहुत ही सहायता मिल सके। ऐसा न हो कि आदेश में लोगों को यह समझ में आये कि हम लोग जो बातें कहते हैं उनको तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऑफिसर ही ऑफिसर ऊपर जाकर जो निर्णय कर लेते हैं उसी को कार्यान्वित करने के लिए हमको कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि शासन इस ओर ध्यान देगा तो उससे समस्याओं को सुलझाने में काफी मदद मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं शासन का ध्यान एक और बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, वह बात यह है कि वास्तविकता को सामने रखते हुए मैं यह महसूस करता हूँ कि पानी भरने से पहले हम प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभावित होगा, उसके मुआवजे व पुनर्वास का समुचित प्रबन्ध न कर पायेंगे। ऐसी अवस्था में, अध्यक्ष महोदय, अभी समय है और मैं यही समझूँगा कि यह शासन की दूरदर्शिता होगी यदि अभी से उत्तरप्रदेश शासन से इस बात का विचार-विनिमय शासन की तरफ से शुरू कर दिया जावे कि अगर बहुत ही क्षति नहीं पहुँचने वाली हो तो इस मानसून से डेम भरना शुरू न करके अगले मानसून से शुरू कर दिया जावे, तो मैं समझता हूँ कि सब बातें अच्छी तरह से सुलझ जावेंगी और किसी को कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। यही समस्या उत्तरप्रदेश में पैदा हो रही है और शायद उत्तरप्रदेश शासन इस ताक में है कि हमारे लिए यह करना सम्भव नहीं हो रहा है ऐसा कोई कह दे कि कृपा करके आप बाँध को इस समय भरना बन्द कर दें, ऐसा हम लोगों को दोनों राज्यों के बीच में जो लोग आते-जाते हैं उनसे मालूम होता है। यदि इसमें कुछ भी सत्यता है तो मैं आशा करूँगा कि शासन इसको मद्देनजर रखेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात जो बहुत पहले शासन से कही थी और आज पुनः कहना चाहता हूँ वह यह है कि आपने अधिकारियों को जो कुछ अधिकार दे रखें हैं, जो कुछ आदेश यहाँ से देते जाते हैं लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि इस समस्या को देखने के लिए, इसके लिए फर्स्ट हैंड इन्फरमेशन गैदर करने के लिए और वहाँ के लोगों की जो शिकायतें हैं उनको खुद सुनने के लिए हमारे इस मन्त्री परिषद् के कोई भी सदस्य जिनको माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस कार्य के लिए भेजना चाहें वहाँ भेजें ताकि जो हम यहाँ कहते हैं और वहाँ की जनता जो कहना चाहती है उसमें शायद कोई विरोधाभास हो तो उसका ज्ञान शासन को स्पष्ट रूप से हो जावे।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और तभी उस समस्या को सुलझा सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि साउथ अफ्रीका में, रोडेशिया में करीबा डेम बन रहा है। वह आज से करीब चार साल पहले से शुरू हुआ और वहाँ विस्थापितों को बसाने के लिए लोगों के लिए इन्तजाम कर दिया गया। जब पानी भरना शुरू हुआ तो वहाँ पर जंगल है इसलिए हजारों जानवर पानी में डूबने लगे। इस कारण उसकी संसार में पब्लिसिटी हुई कि हजारों जानवर डैम में डूब रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पूरे विश्व प्रेस में इस बात की पब्लिसिटी हुई है और विश्व भर के लोगों ने यह ऑफर किया कि उन जानवरों को बचाने के लिए हम लोगों को वालन्टियर के तौर पर आने दिया जावे। वहाँ के शासन ने कहा कि हम अपने डेम डिपार्टमेन्ट के द्वारा ही इस कार्य को करेंगे। न्यूज रील्स में, न्यू मेग्जीन्स में पिक्चर्स है कि लगातार प्रयास करके जानवर दूसरी जगह छोड़े गए डिपार्टमेन्ट में मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि किसी समस्या को सुलझाने के लिए होनी चाहिये और मैं आशा करता हूँ कि जो हुआ वह तो हुआ लेकिन कम से कम अब शासन इस ओर सचेत होकर इस समस्या को सुलझाने के लिए तत्पर हो जावे। एक विचित्र

कार्यप्रणाली हमारे शासन की है। जब किसी कार्य को करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीकों से कहा जाये तो कोई सुनता नहीं और जब ऊब कर लोग अप्रजातांत्रिक तरीके अपनाने लगेंगे तब पूरा शासन सतर्क हो जायेगा, इसके क्या भीषण दुष्परिणाम प्रजातन्त्र के लिए हो सकते हैं यह सोचने की बात है।

मैं आशा करूँगा कि शासन अब ऐसा प्रयत्न करेगा कि इस समस्या के लिए अब कोई समय सदन का न लेना पड़े और रिहन्द बाँध वरदान के साथ-साथ ही अभिशाप न बनने पाये।

अध्यक्ष : इस विषय की चर्चा में भाग लेने के लिये नियम 128 (1) के अन्तर्गत मेरे पास केवल 3 नाम आये हैं। श्री जगदीशचन्द्र जोशी, श्री लक्ष्मीनारायण नायक और श्री रामहित। ये ही तीन सदस्य इसमें भाग ले सकेंगे।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, सिंगरौली में नदी पर बनने वाले बाँध से पीड़ित लोगों के सम्बन्ध में जो मौलिक बातें थीं वे मंझोली के माननीय सदस्य ने गम्भीरतापूर्वक आपके सामने कहीं हैं। मैं संक्षेप में इस बाँध की भूमिका के सम्बन्ध में थोड़ा अर्ज करूँगा। इस बाँध का निर्माण कोई आज का नहीं है, 10-12 वर्ष पुराना है। और शायद इससे भी अधिक पुराना हो सकता है। जब से उस तहसील में सन् 1948-49 से मुझे याददाश्त है, जब-जब कोई भी वहाँ पर किसानों के प्रदर्शन हुए हैं वहाँ हमेशा इस बात की माँग की कि रिहन्द नदी की डूब में आने वाले गाँवों के लोगों को मुआवजा और बसाने का इन्तजाम किया जाये। सन् 1948 से लेकर आज सन् 1960 तक लगातार 12 वर्ष हो रहे हैं, लोगों ने उस समय से आपके सामने अपनी माँगें रखी हैं। उन गाँवों के लोग आपके सामने कम से कम साल में 3 बार, जो-जो शासन बने और बिगड़े, उनके सामने अपनी माँगें रखते रहे हैं। आज सन् 1960 में उस नदी का बाँध तैयार होने वाला है। उसमें वहाँ के तमाम मौजे उस नदी की बाढ़ में डूबेंगे। सिंगरौली एक जरखेज इलाका भी है और साथ ही साथ एकफसली जमीन का इलाका भी है। लेकिन उस तहसील के काश्तकार इतने परिश्रमी और मेहनती हैं कि आपको सारे देश के एकाध फसल के अलावा कभी भी 2 सब्जियाँ देहात में मिलनी मुश्किल पड़ती हैं। आप सिंगरौली तहसील के हर घर में गरमी के दिनों में भी 2-2 और 3-3 सब्जियाँ पकती हुई देखेंगे। इसलिए नहीं कि वे कोई संपन्न लोग हैं वरन् इसलिये कि वहाँ की जमीन के साथ उन्होंने परिश्रम किया है। आपको रीवा जिले की एक तहसील के गाँव तक में थोड़ी खेती मिलेगी, लेकिन सिंगरौली तहसील के एक-एक गाँव में, एक-एक घर में हरी सब्जी लगी हुई मिलेगी। आज के काश्त करने वाले किसान एकफसली जमीन में गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने 5-5, 6-6 अकाल के वर्षों में अपना गुजारा किया है। मेरा निवेदन यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जिस समय सर्वे बन्दोबस्त हुआ उस समय लोगों को बसाने की गरज से एक आना एकड़, दो पैसा एकड़ तक में वे जमीनें दी गई थीं। रीवा रियासत में एक नियम था कि जो आदमी अपनी जमीन में सुधार कर लेता था उसे जमीन के लगान में कमी कर दी जाती थी। आज तो शासन का नियम दूसरा ही है। अगर जमीन सुधारी जाये तो जमीन का लगान बढ़ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ नियम यह था कि जमीन में अगर सुधार कर लें उसको 55-45 का हक मिल जाता था। उसके लगान में कमी हो जाती थी। उत्तरप्रदेश की सिंगरौली और मध्यप्रदेश की सिंगरौली में जमीन, आबोहवा, रहन-सहन खेती के साधन और जीवकोपार्जन के साधनों में समानता है। केवल रिहन्द नदी ने सिंगरौली को दो हिस्सों में बाँट रखा है। एक भाग मध्यप्रदेश में है और दूसरा उत्तरप्रदेश में है। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लीजिये। उत्तरप्रदेश के एक एकड़ में लगान क्या है और मध्यप्रदेश के एक एकड़ में क्या लगान है। मध्यप्रदेश की उस जमीन की प्रोडक्टिविटी क्या है और उत्तरप्रदेश की जमीन की प्रोडक्टिविटी क्या है। मैं आपसे निवेदन करूँ अध्यक्ष महोदय, कि जितनी म.प्र. की सिंगरौली में काश्तकारों को तमाम सहूलियतें हैं उतनी उत्तरप्रदेश की सिंगरौली में नहीं हैं वहाँ पर किसानों को जमीन पाने का कोई अधिकार नहीं था, अनेकों कठिनाइयाँ थीं, लोगों को जमीन में दिलचस्पी नहीं थी परन्तु हमारे यहाँ उत्तरप्रदेश की जमीन के मुकाबले अधिक अच्छी जमीन है लेकिन लगान एक आना एकड़ है और जो मुआवजा तय कर लिया गया है उससे एक आदमी को पाँच रुपये मिलेंगे। उत्तरप्रदेश में लगान एक रुपये से कम नहीं है। वहाँ एक एकड़ का अस्सी रुपये मिलेगा। मेरा यह निवेदन है कि जिस समय मुआवजे की दर तय करने के लिए आप बात करने के लिए गए उस समय आपने उन सारे भौगोलिक या राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन

नहीं किया कि जिनके माध्यम से मुआवजे की रकम तय की जावेगी। आज जो परिस्थिति है वह यह है कि एक घर में दरवाजा है, उसमें डैंपी लगी हुई है और पक्का कुँआ बना हुआ है, बगीचा है। उत्तरप्रदेश में यह कानून है कि यदि कोई जमीन में पेड़ लगाता है तो उस पर जमींदार का हक होता है, काश्तकार का नहीं होता। रीवा में यह कानून था कि जो पेड़ काश्तकार लगाता है उस पर शिकमी का हक होता है। चुनांचे जितने बगीचे आपको मध्यप्रदेश के सिंगरौली में मिलेंगे उतने फलों के पेड़ आपको उत्तरप्रदेश में नहीं मिलेंगे। हमारे यहाँ इतनी फुरसत कहाँ है कि कोई वहाँ जाकर जाँच करे। उत्तरप्रदेश की सरकार ने जो चार्ट भेज दिया है उसको ही हमारी सरकार ने मंजूर कर लिया है चाहे वह विन्ध्यप्रदेश के शासन की गलती हो या मध्यप्रदेश के शासन की, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं उन पर गौर करके शासन को मुआवजे के सिद्धांत तय करने चाहिए थे। जो कुछ दोनों सरकारों ने तय किया है उसमें आमूल परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूँगा कि उत्तरप्रदेश में जिस दर से मुआवजा दिया गया है उससे तमाम किसान एक जबरदस्त लड़ाई लड़ने का इन्तजाम कर रहे हैं। किसान परेशान हो रहे हैं। यह सुनने में आया है कि वहाँ पर इतनी जबरदस्त हलचल मची हुई है कि डॉक्टर सम्पूर्णानन्द वहाँ पर जाने वाले हैं और मुआवजे में कुछ हेरफेर करने वाले हैं। यह खबर मुझे सिंगरौली में मिली है। परन्तु मुझे दुःख है कि हमारे यहाँ इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और न कोई जाँच की जा रही है और न हमारे पास कोई पिक्चर है कि आखिर कितना मुआवजा आवश्यक है और कितना देना चाहिये, कितना किसका क्लेम है। इसकी कोई सुनवाई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जमीन का जहाँ तक सवाल है, मैं श्रीमान् से निवेदन करूँगा कि हम तो उत्तरप्रदेश के सारे विस्थापितों को बसा सकते हैं हमारे यहाँ तो इतनी जमीन है लेकिन उन लोगों की काम करने की इच्छा नहीं है। उस जमीन को ट्रेक्टराइज करने की आवश्यकता है। अगर आपने उनको जमीन दे दी तो वहाँ के एक-एक पेड़ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि उनको बहुत नीचे खोदकर निकालना पड़ेगा और एक आदमी को एक पेड़ को निकालने के लिये एक रुपया मजदूरी लगती है। वहाँ पर एक एकड़ जमीन के पीछे 200 रुपये तक खर्चा पड़ सकता है तभी मोटे तौर पर बीज खप सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 15 जून से पानी आयेगा और कब आप जमीन देंगे, कब किसान उसको साफ करेंगे, कब झोपड़ी बनायेंगे और कब पुनर्वास का इंतजाम होगा। इन सारी बातों पर कोई भी तैयार नहीं है। जैसे पूरा शासन इस सारे सवाल पर सो रहा हो। इतना ही नहीं, विषयांतर तो जरूर है लेकिन यह भी निवेदन कर दूँ कि 55 लाख रुपये का बहुमूल्य कोरंडम उस रेड नदी के गर्भ में हमेशा के लिये समा जायेगा और शायद दुनिया का सबसे बहुमूल्य कोरंडम और यदि कोरंडम नहीं निकलता है तो उसकी लीज झगड़े में पड़ जाये। वह सरकारी चीज है। आम रायल्टी से निकलवाइये और बेच लीजिये और आपका मुआवजा का रुपया उससे वसूल हो जायेगा। कल जंगल विभाग की तरफ से कहा गया था कि वहाँ कोई पेड़ नहीं है। मैं अपनी आँखों से देखकर आया हूँ, न मालूम कितने आबनूस के पेड़ हैं, शीशम के पेड़ हैं, जिनके तनों से चिकना तेल निकलता है बड़ी बेशकीमती लकड़ी है। बिरझावर तथा शीशम के सैकड़ों, हजारों पेड़ खड़े हैं जो हमेशा के लिये उस नदी के गर्भ में समा जायेंगे। अगर जंगल विभाग रायल्टी में पेड़ कटवाये तो सरकार को चार पैसे का फायदा मिलेगा या नहीं? लेकिन मेरा निवेदन है कि न तो उन लोगों को बसा सकते हैं न अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर सकते हैं तो आवश्यकता यह है कि एक हायर जुडीशियल केडर के आदमी को नियुक्त किया जाये और उसके साथ दो रेवेन्यू असिस्टेंट दे दें, जिनकी इंट्रिग्रिटी पर कोई डाउट न हो, इसकी जाँच की जाये मैं निवेदन करूँ, यू.पी. में जो मुआवजा मिला तो लोग रो रहे थे। लगभग आधी रकम अफसरों की खुशामद में दे देनी पड़ी, बाकी रकम लेकर इधर आये तो डकैतियाँ पड़ीं, चोरियाँ हुईं। सिंगरौली के चारों तरफ पता लगाइये कितनी डकैतियाँ हुईं, जब लोगों को मुआवजे की रकम मिली। इन सारी चीजों के कारण अगर सम्मिलित व्यवस्था करने में असमर्थ हैं तो सिंगरौली की समस्या हल नहीं कर सकेंगे। नतीजा यह होगा कि उत्तरप्रदेश के लोग और मध्यप्रदेश के लोग दोनों मिलकर रिहन्द डैम पर हमला बोलेंगे, कोई झगड़ा करने के लिये तैयार होंगे। मैं निवेदन करूँ, आज से 15 दिन पहले से ही करीब 50 आदमी रोज तहसील के सामने बैठते हैं लेकिन कोई

सुनवाई नहीं होती। आखिर धैर्य की भी कोई सीमा होती है। मैं देख रहा हूँ कि बारह-बारह वर्षों से पुनर्वास की माँग की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यह खुफिया विभाग की रिपोर्ट मँगाकर देख लें कि बारह वर्षों से निरन्तर माँग हो रही है किन्तु सरकार उदासीन है। जैसा मंझोली के माननीय सदस्य ने निवेदन किया, इस वर्ष बाँध में पानी भरने से रोकें और जिस प्रकार से सिंध से विस्थापित भाई आये उनकी व्यवस्था करते हैं, पूर्वी बंगाल से विस्थापित भाई आये, उनके लिये गाँव बनवाते हैं, जमीन को ट्रैक्टराइज करते हैं, कुँआ दिया गया, और सारी सुविधायें दी गईं, उसी तरह से सब न सही तो मोटी-मोटी सुविधायें उनको दीजिये जिससे अगर वह 15 मई तक अपना इंतजाम कर लेते हैं तो 15 जून से पानी भरे तो कोई एतराज नहीं लेकिन अगर 15 मई तक विभाग माकूल इंतजाम करने में असमर्थ है तब आप एक बार कोशिश करिए कि इस वर्ष पानी भरना रुके और दोनों सरकारों में वार्तालाप होकर मुआवजा की दर में रिवीजन हो और इसके लिये एक कमीशन बने जो सारी दरों पर विचार करके रेड नदी का बाँध भरने की स्वीकृति दे।

श्री रामहित (अमरपाटन) : अध्यक्ष महोदय, रिहन्द बाँध के बनने के साथ ही साथ जहाँ एक तरफ लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई होगी और हजारों किलोवाट बिजली की प्राप्ति होगी वहाँ दूसरी तरफ लगभग तीन सौ परिवार बेघरवार होंगे। उनके भोजन की व्यवस्था हमारी सरकार को करनी होगी। अध्यक्ष महोदय, अभी उसमें पानी नहीं भरा है और उसके पूर्व सदन में इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। पानी जिस समय भर जावेगा उस समय हम सरकार से केवल एक ही बात कह सकेंगे कि आप कहीं भी उनको बसा दो, जिनको घर नहीं है या जिनकी जमीन नहीं है परन्तु आज जब हम पहले से शासन को इस बात की सूचना दे रहे हैं कि उन हजारों लोगों का जीवन संकट में पड़ने वाला है तो हमारे शासन का भी कर्त्तव्य हो जाता है कि वह केवल कुछ रुपयों को देकर या थोड़ा-सा मुआवजा देकर अपना पिंड छुड़ा ले यह न्यायसंगत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित यहाँ पर बसे हैं, उनके लिये हमारे शासन ने सहायता दी, यह बात दूसरी है कि मैं आज भी यह कहने के लिये तैयार हूँ कि उनको पूर्ण सहायता नहीं मिली परन्तु फिर भी उसके लिये यह बात मानी जा सकती है कि 'वी हैव कमिटेड ए हिमालियन ब्लंडर' कहकर जनता के बीच अपनी गल्ती छुपा लें। यह एक तथ्य है लेकिन रिहन्द बाँध के लिये हम यह नहीं कह सकते कि यह एक हिमालियन ब्लंडर है। हम यह देख रहे हैं कि यह बाँध बनाया जा रहा है और यह भी हमें पता है कि हजारों लोग उसमें निर्वासित होंगे फिर उनके लिये इतना समय होने के बाद भी हम क्यों भोजन का इन्तजाम और जमीन का इन्तजाम न कर सक्रे। उस बाँध में करोड़ों रुपये का खर्च हो रहा है। जब वह बाँध इतना आवश्यक है कि जिसके लिये हमारी सरकार ने 55 लाख रुपये कोरंडम भी न्यौछावर कर दिया है फिर तीन सौ परिवारों के भोजन के लिये हमारी सरकार इन्तजाम न कर सके, यह हमारी सरकार के लिये शर्म की बात होगी। यह एक तथ्य है। एक तंत्र के शासन में हम इस बात को सोच सकते थे कि कुछ लोगों की भलाई के लिये बाकी के कुछ लोगों का बलिदान किया जा सकता है पर लोकतंत्र की पद्धति जहाँ पर कि सारी सुविधायें उपलब्ध हैं जिनसे उनकी रक्षा की जा सकती है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि यदि एक लाख लोगों की भलाई हो रही है तो आप 300 परिवारों की या 1,200 लोगों का बलिदान कर दें। आज आपके पास समय है और आपके पास लाखों रुपया खर्च करने के साधन हैं, यदि उन्हें बिजली और पानी देने की आप व्यवस्था नहीं कर सकते, अव्वल तो उनका हक है क्योंकि उनके घर के पास बाँध बनाया जा रहा है, उसके पास ही उनको जमीन दी जाती जहाँ वे उसका फायदा उठा सकते, तो कम से कम उनको किसी प्रकार का दुःख न पहुँचने पावे, इतनी व्यवस्था तो करना आपका नैतिक कर्त्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, हम उनको पानी भी न दें, बिजली भी न दें तो कम से कम आज वे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में तो उनको लाकर रख दें। यह विचार करने का प्रश्न है। उनको भगवान ने इतने बड़े प्राकृतिक साधन पास के स्थान में दिये परन्तु फिर भी उन्होंने कोई ऐसा पाप तो नहीं किया था कि जिस स्थिति में वे आज हैं उससे भी बदतर स्थिति में लाकर उनको छोड़ दिया जावे। यह एक अहम् प्रश्न है जिसके ऊपर हमारे शासन को विचार करना पड़ेगा। मैं तो यही समझता हूँ कि यदि हम उनको अच्छी हालत में नहीं रख सकते तो कम से कम जिस स्थिति में वे हैं उससे बदतर स्थिति

में उनको न रखें। अब प्रश्न आता है कि उसका इन्तजाम कैसे किया जावे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निश्चित मत है कि जो जिनके पास जमीन है और जिस किस्म की जमीन है, यदि वे खेती करते हैं या अन्य कोई साधन उनकी कमाई का है तो उसकी जाँच फौरन किसी कर्मचारी को भेजकर करा ली जावे। आपका अधिक पैसा उसमें खर्च होने वाला नहीं है। हो सकता है कि हजार दो हजार रुपया इसमें खर्च हो जावे लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। आप सर्वे करायें उन तीन सौ परिवारों का, कोई बड़ी भारी लिस्ट बनने वाली नहीं है और न उसमें चार-छः महीने लगने वाले हैं। आप इस बात की जाँच करावें कि किसके पास किस तरह की जमीन है या किस प्रकार की उस जमीन से पैदावार होती है, इतना सर्वे कराने के पश्चात् आप इस बात की व्यवस्था करें कि लगभग उसी किस्म की जमीन मिल जावे। अध्यक्ष महोदय, सीधी जिले में जमीन काफी है और उसमें सघन आबादी नहीं है और शासन उन्हें वहाँ पर आसानी से जमीन दे सकता है। यह बात दूसरी है कि बुलडोजर ले जाकर उसको अच्छा करना पड़ेगा परन्तु उसमें भी दस-बीस हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निश्चित मत है कि किसी व्यक्ति ने अपनी जमीन को अच्छा बनाया है तो जितनी अच्छी जमीन उस व्यक्ति के पास थी उसको ज्यों की त्यों जमीन दी जाये और अगर वैसी जमीन नहीं दे सकते हैं तो इस प्रकार के साधन जुटायें कि वह व्यक्ति नुकसान में न रहे। उसे खाद व सिंचाई की सुविधा दे दें। ऐसा न हो कि वह भगवान को कोसता रहे कि उसकी अच्छी जमीन ले ली गई और वह घर से बाहर निकाल दिया गया। अगर उसको अच्छी जमीन देने में आप सफल रहे तो कोई भी जटिल समस्या हल होने से नहीं रह जायेगी। ऐसे लोग जिनके पास कच्चे मकान हैं या पक्के मकान हैं उनको तो मुआवजा दे सकते हैं परन्तु जो व्यक्ति जमीन पर खेती करते हैं उनको जमीन न देकर यदि पैसा दे दिया जाये और उससे यह कह दिया जाये कि तुम इस पैसे से व्यापार करो तो वह व्यक्ति जिसने हमेशा खेती की हो, व्यापार कैसे कर सकता है। वह व्यापार करना अपने जीवन में नहीं सीख सकेगा इसलिये भूमि देने के बजाये उसको पैसा देना या न देना बराबर रहेगा। उसे आप कृपा करके जमीन ही दें। ऐसे लोगों को जिनके पक्के मकान हैं उनको उनके मकानों का मुआवजा मार्केट वेल्यू पर दें। उन लोगों को मुआवजा इस तरह नहीं दिया जाये कि वह 3-3 साल तक मुआवजे के लिये दौड़ते रहें। इन सारी चीजों की व्यवस्था पानी भरने के पूर्व होनी चाहिये। उनके वहाँ से उठने के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले मुआवजा मिल जाना चाहिये जिससे वे कहीं पर जाकर एक महीने के पश्चात् अपनी सारी व्यवस्था कर सकें। अध्यक्ष महोदय, अगर वह लोग एक महीने पहले अपनी व्यवस्था नहीं कर सके तो वे गरीब लोग जिन्हें 400 रुपये या 1,000 रुपये या 2,000 रुपये मुआवजे के रूप में मिलेंगे वह सारा का सारा मुआवजा उनके पेट में चला जायेगा। अब स्थिति इस प्रकार की निर्माण हो गई है कि हमारे शासन को उस पर विचार करना चाहिये। किसी व्यक्ति की असुविधाजनक स्थिति न रख छोड़ें जिससे आगे चलकर उसे कठिनाई का सामना करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह देखा हैं कि विस्थापितों को हमारी सरकार ने घर बनाने के लिये रुपये दिये थे और कहीं-कहीं तो सरकार ने स्वयं ही उनके लिये घर बना दिये हैं वह बड़ी गड़बड़ी में पड़ गये। सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिन घरों में 500 रुपये सरकार की लागत लगी है उनमें 50 रुपये का सामान भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिये हमारे शासन को इस सम्बन्ध में सतर्क रहना चाहिये। उनके पास पैसा नहीं है और न उनके पास सम्पत्ति है। अगर पाव आना भी बरबाद होता है तो वह हमारे लिये और शासन के लिये बड़े पाप की चीज होगी इसलिये शासन इस सम्बन्ध में सतर्क रहे। अगर उनको घर बनाने के लिये किसी को रुपया दिया गया तो देखा जाये कि वह पैसा उस काम में लाया जाता है या नहीं, उस पैसे का उपयोग ठीक तरह से होता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय वह इलाका ऐसा है कि वहाँ वनवासियों की संख्या ज्यादा है। उन लोगों के घरों में कुछ उद्योग धन्धे भी चलते थे, कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके यहाँ खेती नहीं होती है, उनके यहाँ उद्योग धन्धों का काम चलता है। आप उन लोगो को पैसा नहीं देंगे, उनको दूसरे स्थानों पर बसा देंगे तो वे क्या करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ, जमीन के बदले लोगों को जमीन ही दी जाये। मैं शासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो खेतिहर नहीं हैं और वे व्यापारी भी नहीं तथा केवल उद्योग धन्धे करते हैं उनके लिये आप उद्योग धन्धों की व्यवस्था कर दें और इसके साथ में

लगी हुई जितनी चीजें हैं, पाठशालाएँ वहाँ थीं तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिये पाठशालाएँ बनवाई जावें, अस्पताल वहाँ थे या नहीं भी थे तो भी उनके लिये अस्पताल की व्यवस्था की जावे अगर उनको गाँवों की बस्ती से दूर किसी जंगल में आप बसाने जा रहे हैं और वहाँ आवश्यक सुविधाएँ पाठशाला, अस्पताल आदि की नहीं हैं तो उनको वह सुविधाएँ दी जायें। इस प्रकार यह एक अहम प्रश्न उठाया गया है और इस अवसर पर इस प्रश्न का बहुत बड़ा औचित्य है कि शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जावे कि वह इन सारी चीजों पर विचार करे और आज से ही उस पर अमल करने के लिये कटिबद्ध हो जाये ताकि भविष्य में फिर किसी ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े जैसा कि श्री जोशी जी ने कहा, आगे वह लोग आन्दोलन पर उतारू न हो जायें अथवा किसी पार्टी की ओर से कोई आन्दोलन न उठ खड़ा हो इसलिये इस प्रश्न पर गम्भीरता से सोच और विचार करके आज से ही उस पर कार्य करना शुरू कर दें ताकि भविष्य में कोई भीषण परिस्थिति का सामना न करना पड़े।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (निवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सीधी जिले से आये हुये माननीय सदस्य ने जो रिहन्द डेम से डूब में आने वाली जमीन और वहाँ के निवासियों के पुनर्वास के लिये जल्द से जल्द प्रबन्ध होना चाहिये ताकि वहाँ के रहने वालों को कोई दिक्कत न हो, इस सम्बन्ध में शासन को उन्होंने सूचना दी है। यह सूचना उनको इसलिये अभी से देनी पड़ी क्योंकि शासन को हमेशा ही 'पूर्व सूचना चाहिये' यह सभा-भवन में हमेशा कहा जाता है, अतएव इस प्रस्ताव द्वारा यह सूचना शासन को अभी दी गई है कि मार्च 1960 के पहले-पहल जो जमीन डूब में आने वाली है, जिन किसानों को दिक्कत होगी उनके प्रबन्ध के लिये सरकार जल्द से जल्द कदम उठाये। वैसे तो माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि उनको जो मुआवजा मिला है वह कम मिला है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और उसके साथ मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूँ।

श्री जगमोहनदास : क्या मुआवजा मिल गया है?

श्री लक्ष्मीनारायण नायक : तय हो चुका है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जिन परिवारों की जमीन और मकान डूब में आयेंगे उनको आज से एक नया जीवन बनाना है, उनको अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना है और इस काम में उन लोगों को काफी दिक्कत होगी। इस बात को सरकार को महसूस करना चाहिये और उसके निवारण के लिये तत्काल कदम उठाना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि पानी वहाँ भरने लगे और फिर एकदम लोग त्राहि-त्राहि पुकारने लगें और एक समस्या सामने खड़ी हो जाये। मैं इस ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार के कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जिनमें वह आदर्श गाँवों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ चर्चा करती रहती है या करना चाहती है तो इस अवसर पर उन लोगों को जो मुआवजा दिया जावेगा उसके साथ ही साथ ऐसे प्रबन्ध किये जायें जिससे वह जहाँ बसाये जायें वह आदर्श गाँव बन जायें। बाँध के बनने से कई लोगों को सुविधायें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा और कुछ लोगों को यह दिक्कत भी उठानी पड़ रही है परन्तु फिर भी लोगों के फायदे के लिये यह जरूरी है और जो ऐसे लोग बेघरवार हो रहे हैं और सरकार उनको मुआवजा दे रही है तो उसके साथ ही इतनी सहायता और सरकार को कर देनी चाहिये जिससे उनका भावी जीवन अच्छा बन जाये। मैं यह भी मानता हूँ कि वह क्षेत्र किसी माननीय मंत्री महोदय का निर्वाचन क्षेत्र नहीं है फिर भी मुझे आशा है कि इस समस्या पर सरकार निष्पक्षतापूर्वक जनता को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिले, इस बात को दृष्टि में रखकर कदम उठायेगी। एक बात की ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तरप्रदेश ऐसे बाँध बनाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा जमीन मध्यप्रदेश की डूबती है। मैं अपने टीकमगढ़ की बात बताऊँ वहाँ उत्तरप्रदेश द्वारा जो सीमा पर बाँध बन रहा है उसमें भी मध्यप्रदेश का बहुत सा हिस्सा डूब में आ गया है। अड़जार बाँध से जो जमीन डूब में आई है उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। उसी प्रकार माताटीला बाँध बना और यहाँ भी मध्यप्रदेश की जमीन डूब में आई और आज तक अभी किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। कई साल बने हो गये लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। सकरारी ग्राम के किसान अभी 4-5 दिन हुए, आये थे और माँग कर रहे थे कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला इस बात को शासन को सोचना चाहिये। अभी जेरोन के पास बटउआ बाँध बनाने के लिये यू.पी. सरकार द्वारा सर्वे हो गई है जिससे वहाँ के किसानों में हाहाकार

मचा हुआ है। उनके जो मकान हैं, महल सरीखे हैं, उनको एक आफत-सी दिखाई पड़ रही है। मैंने इस संबंध में कलेक्टर साहब से भी कहा तो उन्होंने कहा कि अभी सर्वे हो रहा है लेकिन सरकार को कुछ पता नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार देखे कि बाँध कहाँ बनाना चाहिये। सरकार को इस बात को अवश्य देखना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो केवल इतना ही कहना है कि जो डूब में आने वाली जमीन है और मकानात हैं, उनके लिये जल्द से जल्द व्यवस्था हो ताकि लोगों को दिक्कत न हो क्योंकि उन लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है जो आफत में पड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ कि यदि कहीं सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने हकों के लिये आवाज उठाई जाती है या अन्य अपने हकों के लिये आवाज उठाते हैं तो बजाये सुनने के महिलाएँ तक पुलिस द्वारा ठेलों में, भर-भर कर दूर जंगलों में छोड़ी जाती हैं और परेशान की जाती हैं ऐसे मामलों में सरकार बड़ी सतर्क रहती है, लेकिन इस तरफ ध्यान देर में देती है। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ क्योंकि किसानों का यह एक बड़ा भारी मसला है। अगर सरकार को किसानों से कुछ लेना या जमीन का कुछ लगान लेना है तो फौरन सरकार द्वारा उनके ऊपर कुर्की हो सकती है, वारन्ट निकाला जा सकता है लेकिन जब सरकार को कुछ मुआवजा देना है तो वह अचेत रहती है। इसलिये मैं कहूँगा कि इस ओर सरकार को सचेत रहना चाहिये। इसलिये मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उनका मुआवजा तय करना चाहिये और उनको उचित स्थान पर बसाना चाहिये।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय,.....

अध्यक्ष : अब समय नहीं है।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये डेढ़ घंटा है। आप चाहें तो थोड़ा समय दे सकते हैं।

अध्यक्ष : आप नियम देखें। मैं आपको यदि समय दूँगा तो दूसरे माननीय सदस्य जो खड़े होंगे उनको भी फिर क्यों न दूँ।

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त (पिछोर, शिवपुरी) : इस समय कोई दूसरे माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए हैं। मैं जल्द समाप्त कर दूँगा।

अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है वास्तव में उसमें बहुत अधिक तत्व हैं। वे यह प्रस्ताव इस हेतु लाये हैं कि रिहन्द बाँध के सिलसिले में जमीन डूब में जा रही है और वहाँ के कृषकों को बरसात होने के पूर्व बसाने और उनको मुआवजा देने सम्बन्धी व्यवस्था होना असम्भव है। वास्तव में प्रोसीजर है, कार्यवाही है, उसको पूर्ण करने में, भूमि संपादन करने में, मुआवजा के कब्जुल बनाने में इतना समय लगेगा कि बरसात के पहले सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होकर उनको मुआवजा देने के बाद वहाँ से किसानों को निर्वासित नहीं किया जा सकता, यह असम्भव है। एक प्रश्न के उत्तर में जैसा कि राजस्व मन्त्री महोदय ने बताया, भूमि संपादन ऑफिसर उस क्षेत्र के लिये निर्धारित कर दिया गया है और उनको भूमि संपादन एक्ट की धारा 4 के अन्तर्गत भूमि प्राप्ति के अभिप्राय से नोटिस भी जारी कर दिया है और धारा 9 के अन्तर्गत भी नोटिस जारी हो गया है परन्तु अभी उस भूमि संपादन के हेतु और भी कार्यवाही शेष है। धारा 9 के नोटिस के पश्चात् लोगों की ओर से आपत्तियाँ होती हैं और उसके बाद फिर भूमि संपादन ऑफिसर गाँवों का दौरा करेंगे और जिसकी संपत्ति डूब में जाने वाली है उस सम्पत्ति का सर्वे करने के बाद वह नक्शे मुआवजे में अंकित करेंगे और इसके बाद धारा 11 के अन्तर्गत उसका पंचनामा इत्यादि करेंगे और फिर अवार्ड देंगे क्योंकि यह अवार्ड, धनराशि मध्यप्रदेश शासन को नहीं देना है। यह रकम उत्तरप्रदेश शासन देगा इससे रकम के आने में विलम्ब लगेगा। उत्तरप्रदेश सरकार इस पर विचार करेगी, इसके बाद अवार्ड की रकम को स्वीकार करेगी फिर कब्जुल बनेंगे। कब्जुल बनने के बाद, अध्यक्ष महोदय, चार हजार व्यक्ति हैं, जैसा कि प्रस्ताव में कहा गया है, इन चार हजार व्यक्तियों की भूमि ली जा रही है। इनके कब्जुल बनने में काफी समय लगेगा, कम से कम एक मास से कम समय नहीं लगेगा। उसके बाद मुआवजा वितरण के लिये भी टाइम की आवश्यकता होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि एक दिन में सौ से ज्यादा व्यक्तियों को मुआवजा वितरित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब चार हजार व्यक्तियों को मुआवजा वितरित किया जावेगा तो चालीस दिन लग जावेंगे फसल कटने वाली है। जब फसल कट जाती है तो किसान

अगली फसल के लिये तैयारी करना शुरू कर देता है। यदि यह तैयारी नहीं करता तो वह अगली फसल से वंचित रह जाता है। डंठल होते हैं, बखराई करता है और जुताई करता है। यदि इस क्षेत्र में मुआवजा वितरण की व्यवस्था 30 अप्रैल तक नहीं की गई तो मैं कहूँगा कि वास्तव में जैसा प्रस्ताव में बताया गया है, किसानों को बहुत क्षति पहुँचने वाली है वह परेशान होंगे, बरबाद होंगे और अगले वर्ष के लिये उसके पास अपनी आजीविका के हेतु कोई साधन नहीं रहेगा। इस पर शासन विचार करे। यदि उनको किसी दूसरी जगह बसाने की या कम्पेन्सेशन देने की व्यवस्था करना है तो शासन शीघ्र व्यवस्था करे नहीं तो किसान परेशान होगा। इस समय प्रश्न यह है कि 30 अप्रैल तक वैधानिक कार्यवाही द्वारा अवार्ड कायम करके मुआवजा प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिये मेरा शासन को एक सुझाव है कि मध्यप्रदेश शासन उत्तरप्रदेश शासन से यह माँग करे कि वह अन्तरिम मुआवजा दे। इसके बाद जिनकी जमीन ली जा रही है, जिनको बेदखल किया जा रहा है, उनको जमीन खरीदने के लिये, कुँए के लिये अन्तरिम मुआवजा जायदाद के हिसाब से बाँट दें।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जो जमीन पड़त पड़ी है उस पड़त जमीन को धारा 15 के अधीन न देते हुए, सर्वसाधारण को जो जमीन दी जाती है, उसका प्रावधान न करके विशेष रूप से किसानों को भूमि देने में अग्रिमता दी जावे। पड़त जमीन देने के साथ-साथ शासन को चाहिये कि वह ट्रैक्टर द्वारा उस भूमि को जुतवा दे। यदि नहीं जुता सकता है तो जुताई के लिये अन्तरिम धनराशि दे ताकि जमीन को जोता जा सके। यदि यह व्यवस्था की जाती है तो जो बात इस प्रस्ताव में अंकित की है उसकी मन्शा की पूर्ति हो सकती है नहीं तो यह केवल एक नाटक होगा और इसकी पूर्ति होना कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि माताटीला बाँध के निर्माण के ग्राम में सम्बन्धित व्यक्तियों ने ग्राम मकराई की भूमि में गड्ढे करके भूमि खराब कर दी और इसका मुआवजा अभी तक नहीं दिया।

एक बात की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि माताटीला बाँध के क्रम में उत्तरप्रदेश शासन ने समस्त जमीन ले ली और कुआँ और आबादी छोड़ दी। समस्त भूमि लेने में कुँआ और आबादी बेकार हो जाती है। ऐसी बातें रिहन्द बाँध में नहीं होना चाहिये एवं परगना पिछोर, जिला शिवपुरी के बसाहट गूजर ग्रामों में जो ऐसी घटनायें हुईं उनका मुआवजा शासन को उत्तरप्रदेश शासन से दिलाना चाहिये।

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री जगमोहनदास (राजस्व उपमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर पहले भी शासन का ध्यान नियम 127-क के अन्तर्गत आकर्षित किया गया था और उसके पश्चात् कुछ प्रश्नों के उत्तरों में भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी दी गई। उसके बाद सीधी से आये हुए माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को यहाँ पर रखा और उस पर व्यापक रूप से उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया, इसके लिए मैं उनका अनुग्रहीत हूँ। पूर्ण जानकारी के अभाव में यह विषय चिन्ता का अवश्य है, क्योंकि जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उनके बारे में क्या किया जायेगा और किस तरह से उनकी व्यवस्था होगी। किन्तु मैं यहाँ पर उन्हें पूरी जानकारी देना चाहता हूँ जिससे उनकी चिन्ता बहुत कम हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, सिंगरौली तहसील में यह बाँध बनाया जा रहा है, न केवल यही बल्कि और भी अनेक बाँध भारतवर्ष में बनाये जा रहे हैं और सब में इस तरह की कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। चूँकि एक व्यापक जनहित में हमें इन बाँधों को बनाना है, इसलिए हमें यह कार्यवाही जारी रखनी पड़ती है। यह जरूर है कि जो लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उनको पूरी-पूरी सुविधा दी जाये। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इसकी चर्चा करते समय, जिन लोगों की भूमि ली जा रही है, उनकी तुलना सिन्ध और बंगाल से आये हुए विस्थापितों से की गई, जो सर्वथा अनुचित है। वहाँ से जो लोग आये हैं, वे किन परिस्थितियों में आये हैं, उसका पर्याप्त ज्ञान आपको है, इसलिये मैं उनके बारे में विशेष विवरण नहीं देना चाहता। वहाँ उनकी सारी सम्पत्ति छूट गई, वे बड़ी कठिनाई से यहाँ आये हैं, यहाँ पर जो कार्यवाही की जा रही है वह लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत की जा रही है। यहाँ पर पहले से जानकारी ली जाती है कि क्या-क्या कठिनाइयाँ उनकी आवेंगी, जो आज विस्थापित किए जा रहे हैं। इसलिए उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है। चूँकि सबस अधिक चर्चा

मुआवजे के सम्बन्ध में हुई, इसलिए मैं लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 23 की तरफ आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संशय इस बात पर प्रकट किया गया कि जो लोग विस्थापित हो जायेंगे, उन्हें बहुत थोड़ा मुआवजा दिया जायेगा और इस तरह से उनकी कठिनाइयाँ बढ़ जायेंगी। यह भी बताया गया कि वहाँ पर लगान का रेट बहुत कम है और उसके हिसाब से लगान का अमुक गुना मुआवजा दिया जायेगा। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में यह बात स्पष्ट है कि लगान से मुआवजा का कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं है। वहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो आज बाजार में मूल्य है उसके आधार पर मुआवजा दिया जावे। इसमें यह साफ कहा गया है :-

23 (1) In determining the amount of compensation to be awarded for land acquired under this Act, the court shall take into consideration—

firstly, the market-value of the land at the date of the publication of the notification under section 4, sub-section (1);

secondly, the damage sustained by the person interested by reason of the taking of any standing crops of trees which may be on the land at the time of the Collector taking possession thereof;

thirdly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the collector's taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land;

fourthly, the damage (if any) sustained by the person interested, at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, movable or immovable in any other manner, or his earnings;

fifthly, if, in consequence of the acquisition of the land by the Collector, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses (if any) incidental to such change and

sixthly, the damage (if any) *bonafide* resulting from diminition of the profits of the land between the time of the publication of the declaration under section 6 and the time of the Collector's taking possession of the land

(2) In addition to the market-value of the land as above provided, the court shall in every case award a sum of fifteen percentum in such market-value, in consideration of the compulsory nature of the acquisition.

इस धारा के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उनको जमीन का मुआवजा पर्याप्त दिया जायेगा। इसमें कहीं पर कोई कमी करने का उद्देश्य नहीं है और न यह मुआवजा उत्तरप्रदेश सरकार की मंजूरी से दिया जाने वाला है। स्थिति स्पष्ट यह है कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अन्तर्गत जो अधिकारी वहाँ नियुक्त किये गये हैं वह इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करके कार्यवाही करेंगे और मध्यप्रदेश के सीधी जिले के कलेक्टर उसको देखेंगे और तब कम्पेन्सेशन उचित रूप से तय कर दिया जायेगा। उसमें उत्तरप्रदेश सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे पास पहले से है। उत्तरप्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार को अपनी स्वीकृति भेज दी है कि जो कुछ भी मुआवजा आपके द्वारा निर्धारित किया जायेगा वह हमको स्वीकार होगा और वह दिया जायगा। हमारे श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्त ने तो विशेष रूप से यह कहा, बल्कि एक तस्वीर ही खींच दी कि एक महीने में वहाँ चिट्ठी जायेगी और फिर एक महीने तक लखनऊ में पड़ी रहेगी और फिर जवाब आयेगा और इस बीच में तब तक पानी भर जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम यहाँ से रुपया लोगों को तुरन्त दे देंगे और वह रुपया बुक डेबिट में उनके नाम रखा जाने वाला है। हम उत्तरप्रदेश सरकार के नाम यह रुपया छोड़ देंगे और बाद में फिर वह हमें उससे मिल जायेगा। इस तरह से वहाँ पर मंजूरी के लिये कोई चीज भेजी जायगी, इस तरह की स्थिति नहीं है। एक तरफ तो पूरे कम्पेन्सेशन को न्यायिक ढंग से निश्चित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उनकी स्वीकृति आदि हमारे पास मौजूद है। इस तरह से जो कम्पेन्सेशन आदि में विलम्ब की आशंका

की गई, उस सम्बन्ध में कोई भी विलम्ब होने वाला नहीं है। अब जहाँ तक मुआवजे के सम्बन्ध में यह कहा गया कि एक तरफ तो मुआवजा भी दिया जाये और दूसरी तरफ उनको जमीन भी दी जाये। अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते थे कि यदि वहाँ के लोग चाहें तो सरकार की ओर से ट्रैक्टराइज्ड जमीन दी जाये, रास्ते बना दिये जायें और मकान के लिये सुविधा दी जाये, इस पर हमने विचार कर लिया था और इसीलिये इसमें इतना विलम्ब भी लगा क्योंकि हम जानना चाहते थे कि जिन लोगों पर इसका असर पड़ रहा है, वे क्या सुविधा प्राप्त करना चाहेंगे, उसको समझ लें। अध्यक्ष महोदय, सतना से आये हुए माननीय सदस्य ने एक और बात कही कि सरकार की ओर से जो कार्य कराये जाते हैं उनमें दिक्कत होती है और जितना कार्य करने के लिये मिलता है उतना कार्य नहीं होता है। दूसरी तरफ उनके ही भाषण से कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह चाहते हैं कि चाहे वहाँ पर कोई ले या न ले, कहे या न कहे, सरकार को अपनी ओर से यह व्यवस्था कर देनी चाहिए। एक तरफ हम कोई काम बिना उसकी राय लिए जबरदस्ती करते तो उंसे आप पसन्द करते या उनकी क्या इच्छा थी, उसको जान लेने के बाद हम कोई काम करते तो वह अच्छा था। यदि हमने उनसे यह पूछ लिया कि नकदी मुआवजा तुम्हें लेना है या किस गाँव में बसना है, क्या लेना है, यह अगर उनकी सहमति से हम करें तो शायद ज्यादा अच्छा है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : प्वाइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन। क्या आपने कोई जमीन उनको बसने के लिये दी है?

श्री जगमोहनदास : मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि यह बात उन पर छोड़ना बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, जितने गाँव के लोगों पर इसका असर पड़ रहा है उनमें से अधिकांश लोगों ने यह लिखकर दिया कि हमें नकद मुआवजा लेना ज्यादा पसन्द है।

श्री रामहित : एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहता हूँ। आपने उन लोगों से यह कहा होगा कि हम तुमको जमीन दे देंगे लेकिन उनकी जमीन बढ़िया-सी रही होगी और वह आपकी बुल्डोजर वाली जमीन न पसन्द करते होंगे। लेकिन अगर आप यह कहते कि हम तुमको बढ़िया हालत में जमीन देंगे तो उन लोगों ने जरूर ली होती। आप उनको ऐसा आश्वासन दे दीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : क्या मैं यह जानकारी ले सकता हूँ कि यह जो स्थिति आपने बताई और जो उस दिन प्रश्न के उत्तर में बताया था, उसमें जरा भिन्नता है? तब आपने कहा था कि हम लोगों ने आल्टरनेटिव रखा है कि या नगदी ले लो या जमीन ले लो, ऐसी अवस्था में अगर उन्होंने कहा कि हम नगद लेना चाहते हैं तो बात दूसरी है। इस तरह का आल्टरनेटिव रखना ही उचित नहीं है।

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा नहीं किया है। अगर पूरा कर देता तो मैं समझता हूँ कि स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। एक तरफ तो मूल्य भी दें और दूसरी तरफ ट्रैक्टराइज करके दें तो यह कहाँ तक उचित है।

श्री रामहित : अध्यक्ष महोदय, वहाँ पर ऐसी हालत नहीं है कि.....

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि सतना से सीधी पास है लेकिन वहाँ पर क्या स्थिति है, इसका पूरा पता माननीय सदस्य ने नहीं लगाया है।

श्री रामहित : कम से कम भोपाल से नजदीक है। मुझे कम से कम माननीय मंत्री महोदय से अधिक जानकारी है।

श्री जगमोहनदास : अगर ट्रैक्टराइज जमीन दें, काश्त के लायक जमीन दें तो क्या वे लेने को तैयार हैं? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो केवल कैश कम्पेन्सेशन लेना चाहेंगे और अगर कोई दूसरी सुविधा देना चाहते हों तो यही है कि जो पड़त जमीन है वह उन्हें दे दी जावे। तो शासन को यह निर्णय लेना पड़ा कि हम कैश कम्पेन्सेशन देंगे। कानून के मुताबिक कैश कम्पेन्सेशन देने के बाद शासन का कोई उत्तरदायित्वलेकिन नहीं रहता है। कानून के मुताबिक दूसरी सुविधा देने का शासन का काम नहीं है। आज के वर्तमान कानून लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के अनुसार जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वे कैश कम्पेन्सेशन देंगे लेकिन इसके अतिरिक्त पड़त जमीन प्राथमिकता के आधार पर दी जावे। सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रखी है। अन्य भूमिहीनों की तुलना में उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता दी जावेगी। इसके अतिरिक्त कुछ गाँवों के नाम मै यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उन गाँवों में जो भूमि निकाल कर रखी गई है वह 4,900 एकड़ है। उनके नाम ये हैं। कलेक्टर ने 4,900 एकड़ फेलो

लैण्ड निम्न ग्रामों में देख ली है :- अमोलिया, सुहेरा, करसुआ, सिधिखुर्द, कोयल, खूंट, हवा सेमरिया, मगरोहर।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह जानकारी है कि इन जमीनों पर अभी भी बहुत से लोग काश्तकारी कर रहे हैं? उनमें से क्या अधिकांश जमीन बिल्कुल बंजर पड़ी है और जो सुरक्षित रखी गई है, उनमें से अधिक से अधिक में लोग काश्त कर रहे हैं और बाकी जमीन जो है वह कल्टीवेशन के काबिल नहीं है।

श्री जगमोहनदास : जहाँ माननीय सदस्य का क्षेत्र है वहाँ पर इतनी अधिक जमीन पड़ी है कि वहाँ लोग नाजायज कब्जा कर लेते हैं तो भी बच जाती है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है वह यह है कि उन गाँवों में 4,900 एकड़ भूमि ऐसी पड़ी है जो काबिल काश्त है, उसमें काश्त हो सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : यह जानकारी कागजी जानकारी है, वास्तविक जानकारी नहीं है।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मुझे स्मरण है माननीय जोशी जी ने अपने भाषण में कहा था कि उस तहसील में हजारों एकड़ जमीन पड़ी है जो लोगों को दी जा सकती है। जोशी जी ने बताया कि हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। जो लोग भूमिहीन हो जायेंगे और काश्त करना चाहेंगे तो उन्हें प्राथमिकता के हिसाब से खेती के लिये जमीन दी जावेगी।

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने कहा है उन ग्रामों में और अन्य ग्रामों में भी, जहाँ पर भूमि उपलब्ध है, वह भूमि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अवश्य दी जायेगी और सबको जो लोग सम्बन्धित हैं उसमें से अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया है। इस स्थिति में इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग शासन अपनाये, यह उचित नहीं जान पड़ता है। हमने यह उचित नहीं समझा कि हम जबर्दस्ती भूमि ले लें और उसके बदले जैसा उचित जँचे वैसा करके भूमि दें। यह बात उचित नहीं मानी गई। यही बात उचित समझी गई कि हमें कैश कम्पेन्सेशन जल्दी से जल्दी दें और साथ ही व्यापक रूप से घोषित कर दें, और इसे भी स्पष्ट रूप से घोषित कर दें कि इन गाँवों के अतिरिक्त भी अगर कहीं काबिल काश्त पड़त जमीन हो तो उसे भी दे सकते हैं।

इस तरह से मुआवजे के सम्बन्ध में और भूमि वितरण के सम्बन्ध में निश्चय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर यह भी कहा गया कि निश्चित तो जरूर कर दिया है लेकिन इसके कार्यरूप में परिणित होने में बड़ी कठिनाई पैदा होती है। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि लैण्ड एक्वीजीशन के कार्य के बारे में कई बार बड़ा विलम्ब होता है। लेकिन इस सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है और अभी वहाँ पर जो अतिरिक्त स्टॉफ चाहिये था, वह भी दे दिया गया है। अतिरिक्त स्टॉफ में 2 असिस्टेन्ट लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर्स, एक रीडर, एक एकाउन्टेन्ट, दो असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट और दो प्यून मन्जूर किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सीधी से आये हुये माननीय सदस्य ने जिन्होंने इस चर्चा को प्रारम्भ किया था, कहा कि एक्वीजीशन ऑफिसर्स ही बढ़ा देना चाहिये, उचित यह माना गया कि असिस्टेन्ट एक्वीजीशन ऑफिसर्स बढ़ाये जायेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह काम हो सकता है। जो एक्वीजीशन ऑफिसर्स हैं वे ज्यादा अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगे और एक व्यक्ति के निर्देश में सारा काम चलेगा। ऐसी स्थिति में जब एक निश्चित समय में इस काम को पूरा करना है तब अलग-अलग व्यक्तियों पर जिम्मेदारी कैसे डाली जा सकती है। उससे काम में गड़बड़ी आ सकती है। असिस्टेन्ट लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर्स दे दिये गये हैं और उनसे कहा गया है कि वे इनके निर्देश में कार्य करें। यद्यपि श्री लक्ष्मीनारायण जी गुप्त बोले नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 4 हजार आदमियों का इससे सम्बन्ध आता है, आदि बहुत सी बातें कहीं। इस सम्बन्ध में सीधी से आये हुये माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि 300 कुटुम्बों का अभी सवाल आता है, जो भूमि डूब में जा रही है वह केवल 300 कुटुम्बों की ही है। यह एक अन्दाज है कि 900 टेनेन्ट्स को कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत एक नोटिफिकेशन 5-7-59 को निकाल दिया गया है। इसके बाद 15 दिन का समय आपत्तियाँ प्रस्तुत करने को दिया गया है। जब यह हो जायेगा तब तुरन्त बाद ही अवार्ड देने का काम शुरू हो जाएगा। इसके लिए अलग से आदमी नियुक्त किये गये हैं जो वहाँ जाकर जानकारी इकट्ठी कर लेंगे कि कहाँ पर क्या करना है। उसके आधार पर ही एवार्ड देना शुरू हो जायेगा। सामान्य रूप से यह कार्य दो-तीन महीने के अन्दर ही पूरा हो जायेगा। इस बात की घोषणा हो

चुकी है कि यदि वे अतिरिक्त भूमि चाहते हैं, तो वे आवेदन-पत्र दें। आवेदन-पत्र को देखने के लिये अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो इसकी जाँच करके कार्यवाही करेंगे। वहाँ के राजस्व अधिकारियों को यह स्पष्ट आदेश दे दिए गए हैं कि इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही की जाये उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये और इन मामलों को जल्दी से जल्दी तय कर दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जहाँ एक ओर कम्पेन्सेशन का काम चल रहा है, वहाँ दूसरी ओर भूमि देने की भी कार्यवाही हो रही है। इस तरह से जो भी सम्भव प्रयत्न थे वे बराबर किये जा रहे हैं। मैं यह आशा करता हूँ कि इस सम्बन्ध में अब आगे कुछ कठिनाई होने की सम्भावना नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर कोरन्डम की लीज और जो वहाँ पर कोरन्डम है, उसकी भी चर्चा की गई। इसके सम्बन्ध में उत्तरप्रदेश का ध्यान आकर्षित किया गया है और वह उचित मुआवजा देने को तैयार है। जितनी चीजें वहाँ जाती हैं उनका भी मुआवजा हमने माँगा है, वह भी जल्दी ही मिलने वाला है। वहाँ पर ये लोग बसाये जायेंगे, वहाँ पर उन्हें अतिरिक्त सुविधा दी जायेगी। उनको जो पहले सुविधा उपलब्ध थी वही उन्हें वहाँ पर भी देने का शासन विचार कर रहा है। स्कूलों के सम्बन्ध में, अस्पतालों के सम्बन्ध में और सड़कों के सम्बन्ध में, इस तरह से बातें स्पष्ट हो जाती हैं। हम बराबर आवश्यक सुविधायें देने का प्रयत्न कर रहे हैं और अगर इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई होती है या देरी होती है तो उसके लिए इंटेरिम कम्पेन्सेशन का जो सुझाव है, उस पर भी विचार कर सकते हैं लेकिन प्रयत्न इस बात का किया जा रहा है कि मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, एक सुझाव और यहाँ पर रखा गया कि इनफॉरमल बॉडी बनाई जावे और उसके द्वारा इन मामलों में कुछ राय ली जावे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ पर दो या तीन महीने के अन्दर सारे कार्य पूरे करने हैं, वहाँ पर यदि हम एक इनफार्मल बॉडी बनाते हैं तो और कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक जो कुछ हो सकता है वह हम कर रहे हैं। उसमें यह प्रावधान नहीं है कि हम किसी इनफॉरमल बॉडी.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इनफॉरमल बॉडी के सम्बन्ध में नहीं कहा, मैंने लैण्ड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में कहा था।

श्री जगमोहनदास : खैर आपने नहीं कहा तो आपके पास के माननीय सदस्य ने कहा होगा। उस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश शासन, दोनों का एक सम्मिलित कमीशन बनाने से मामले को तय करने में विलम्ब होगा। आपकी जो जिला सलाहकार समिति मौजूद है उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। वैसे तो जब कभी भी किसी प्रश्न के संबंध में शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है, शासन ने उस पर बराबर ध्यान दिया है और वहाँ के अधिकारियों ने भी बराबर ध्यान दिया है। ऐसी स्थिति में जबकि हमें यह कार्य जल्दी करना है, मैं इस तरह की इनफॉरमल बॉडी की, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के कमीशन की, कोई आवश्यकता नहीं समझता। इससे तो विलम्ब ही होने की सम्भावना है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि किस तिथि तक उन सब लोगों को शासन मुआवजा दे देगा और लैण्ड का टैम्पोरेरी एलाटमेंट या डिमारकेशन हो जावेगा, दोनों इनफॉरमल और फॉरमल कार्यवाहियाँ किस माह तक पूरी हो जावेगी।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : अध्यक्ष महोदय, अभी उपमंत्री जी ने बताया कि मुआवजे की कार्यवाही के लिये नोटिफिकेशन निकल चुका है और कार्य जल्दी से जल्दी किया जावेगा। निश्चित तिथि या तारीख बताना तो बड़ा कठिन है। उन्होंने अभी कहा है कि दो महीने में मुआवजे का वितरण हो जावेगा ताकि लोगों को तकलीफ न हो। मार्च तक जहाँ लोगों की जमीन चली जावेगी तो जो भूमिहीन होने वाले हैं उनको बसाया जायेगा। कौन-से गाँवों में जमीन उपलब्ध है और दी जा सकती है तो वे आवेदन-पत्र दें ताकि उनके बसाने का इन्तजाम किया जा सके।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जमीन देने के सिलसिले में आपने कितना स्टाफ बढ़ाया है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : जब तक कि आवेदन-पत्र न आवें कि हमको यह आपत्ति उठाना कि स्टॉफ अपर्याप्त है, उचित नहीं है। जिन गाँवों के नाम यहाँ पर बताये गये हैं, वहाँ से कोई आवेदन-पत्र नहीं आये हैं आवेदन-पत्र आने पर सरकार विचार करेगी।

श्री जगमोहनदास : माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि राजस्व विभाग के जो भी अधिकारी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनको ऐसे आदेश हैं कि वे इस कार्य को प्राथमिकता देंगे, सबसे पहले करेंगे। जहाँ तक अतिरिक्त स्टॉफ का सवाल है वह आवश्यक नहीं है। वे लोग सबसे पहले इस बात को देखेंगे कि जैसे ही उनके पास आवेदन-पत्र आते हैं, वे उन पर विचार करेंगे। हमें पूर्ण आशा है कि जैसी भी परिस्थिति होगी, उसका पूर्ण रूप से निराकरण किया जावेगा।

माननीय सदस्यों ने रोडेशिया के जानवरों की भी बात कही कि बाँध बनाने से जानवर भी डूब में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तो कोई जानवर नहीं है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : आपके राज्य में तो आदमी भी जानवर से बदतर हैं।

श्री जगमोहनदास : रोडेशिया की क्या परिस्थिति है, यह तो मैं नहीं कह सकता। खैर, यह तो प्रश्न उन्होंने विनोद की दृष्टि से उठाया है, मुझे इतना अवश्य मालूम है कि साँपों को अवश्य ढूँढ़-ढूँढ़कर निकालना पड़ा था। जंगल का कोई हिस्सा था उसमें जानवर थे। यहाँ तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो सब लोगों का मामला है। मैं आशा करता हूँ कि रिहन्द बाँध के बनाने में जो भी कुछ कठिनाईयाँ उपस्थित होंगी और लोगों को जो भी कुछ कठिनाइयाँ होंगी उनका शासन निराकरण करने का प्रयत्न करेगा और उनको आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायेगा।

(विधानसभा कार्रवाई/ 17 फरवरी 1960, पृष्ठ-1139-1154)

मध्यप्रान्त और बरार मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1960 (संख्या-19, 1960) का पुनःस्थापन एवं चर्चा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : *अध्यक्ष महोदय, मैं यह अभिज्ञापन करता हूँ कि राज्यपाल महोदय ने मध्यप्रान्त और बरार मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1960 (संख्या-19, 1960) पुनःस्थापन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार अपेक्षित सिफारिश प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, मैं मध्यप्रान्त और बरार मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1960 का पुनःस्थापन करता हूँ।*

अध्यक्ष : *मध्यप्रान्त और बरार मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1960 अर्थात् सेन्ट्रल प्राविंसेस एण्ड बरार इन्टरटेनमेन्ट ड्यूटी (अमेण्डमेन्ट) बिल, 1960 पुनःस्थापित हुआ।*

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्तमंत्री) : *अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश और बरार मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1960 (संख्या-10, 1960) पर तुरन्त विचार किया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक लाया गया है यह कराधान जाँच आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखकर लाया गया है। इसमें सिफारिश की गयी है कि स्लेव सिस्टम को तरजीह दी जाये। उसी सिस्टम को तरजीह देने के लिए जो एक रुपया के ऊपर के टिकट पर पच्चीस परसेंट मनोरंजन कर लगता है उसको बढ़ाकर 33×1/3 परसेंट किया गया है। इस तरह से माननीय सदस्य देखेंगे कि एक रुपया से नीचे के टिकट पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल एक रुपया से ऊपर के टिकट पर बढ़ाया गया है! जो कि आज के वक्त में और अन्य राज्यों में जो दरें हैं उनको देखते हुए आवश्यक था। इससे अधिक मुझे इस बिल के सम्बन्ध में नहीं कहना है। यह एक साधारण-सा बिल है और इसमें ऊपर का जो स्लेव है उसमें थोड़ी-सी वृद्धि की जा रही है। मुझे विश्वास है कि परिस्थितियों को देखते हुए इस विधेयक को सभा भवन स्वीकार करेगा।*

इस मनोरंजन शुल्क विधेयक पर सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने अपने विचार इस तरह प्रकट किये-

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट बिल के बारे में मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस मनोरंजन कर में वृद्धि करने के बारे में जो आपका यह सुझाव है वह बिल्कुल एक आयशोलेटेड-वे से, कर वृद्धि को सामने रखते हुये इस सदन में लाया गया है और मैं समझता हूँ कि जैसा दृष्टिकोण शासन को सिनेमा इण्डस्ट्री के बारे में रखना चाहिये वह दृष्टिकोण पूरी तरह से इसमें नहीं रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित होगा, अपने देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फिल्म इन्क्वायरी कमेटी बनाई थी जिसके चेयरमैन श्री एस.के. पाटिल जो आज के खाद्य मन्त्री हैं, इस इन्क्वायरी कमेटी ने फिल्मों के हर पहलू पर दो-तीन साल तक विचार किया और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में सबसे बड़ी बात जो कही गई है, जिसको शासन ने भी मंजूर किया है वह यह है कि फिल्म इण्डस्ट्री ऐसी इण्डस्ट्री नहीं है जो दूसरे तरह की विजनेस इण्डस्ट्रीज हैं जिससे देश की केवल आय बढ़ती है। फिल्म इण्डस्ट्री एक ऐसी इण्डस्ट्री है जो जनता में किसी भी चीज को फैलाने में, किसी को भी रोकने में बहुत बड़ा माध्यम का काम कर सकती है। किसी विचारधारा को बढ़ाने और बनाने के लिये फिल्म इण्डस्ट्री काम करती है उस समय केवल यही दृष्टिकोण रखना कि शासन को कितना पैसा ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो, यह एक ही दृष्टिकोण होगा। जब इस बिल में कर को बढ़ाने का प्रावधान रखा तब इस पहलू को भी सामने रखा कि एक रुपये से अधिक पर कर लिया जावेगा और इतनी वृद्धि हमारे कर में हो जावेगी और उस कर का उपयोग हम दूसरी जगह कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने को तैयार हूँ कि एक रुपये से ऊपर के टिकट पर कर बढ़ाने से जो गरीब लोग हैं जो एक रुपये से कम का टिकट लेते हैं उन पर इस कर का भार नहीं पड़ेगा। यह न्यायोचित भी था क्योंकि जो 90 प्रतिशत सिनेमा में आमदनी होती है वह एक रुपये से कम वाले टिकटों से होती है। आपने मेजोरिटी को छोड़ दिया और एक रुपये से ज्यादा के टिकट पर ही कर लगाया। यह कर मिडिल क्लास पर पड़ेगा या अपर मिडिल क्लास पर पड़ेगा, यह क्षम्य है लेकिन जब आप सिनेमा इण्डस्ट्री की ओर ध्यान देंगे तो आपको यह विदित होगा कि सिनेमा इण्डस्ट्रीज के एक्सपेन्शन के लिये जो बड़ी-बड़ी सिटीज जबलपुर, इन्दौर और ग्वालियर इस प्रदेश में हैं, उसके अलावा जो छोटे-छोटे टाउन्स हैं वहाँ यदि सिनेमा इण्डस्ट्री को फैलाना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि वहाँ सिनेमा हाउस कायम हों तो वहाँ यह टैक्स लगाना न्यायोचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, हमसे ज्यादा वित्त मन्त्रीजी को ज्ञात होगा कि छोटी-छोटी जगह पर सिनेमा इण्डस्ट्री को फैलाने में इन्वेस्टमेन्ट चाहे कम हो लेकिन इन्कम के लिहाज से बड़े यूनिट से काफी कम इन्कम होती है जिससे सिनेमा चलाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है।

माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि गंदी फिल्म दिखाई जाती है, शासन का दृष्टिकोण कर वसूल करने का है, इसलिये सिनेमा इण्डस्ट्रीज को छूट दे दी गई है कि वह चाहे जितनी भद्दी फिल्म बनावे केवल शासन को कर देते रहें। यदि शासन का तात्पर्य यह नहीं है कि इससे नवजवानों में जो कुत्सित भावना पैदा होती है, अपराध करने के जो नये-नये तरीके अपनाये जाते हैं वह होते रहें तो मैं शासन से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि इन्टीग्रेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इसको आपको बदलना पड़ेगा और इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि यदि उनसे कर लें तो उनको उतने ही साधन दें कि वह अच्छी फिल्म बना सकें और इसका उपयोग देश के उत्थान के लिए किया जा सके।

मैं आशा करूँगा कि इसको ध्यान में रखते हुये जो स्मालर यूनिट पर असर पड़ेगा उसके लिये विशेष छूट देने का तरीका सोचें। जिस टाऊन की आबादी इतनी कम हो उस पर कर की दर बदल दी जावे, ऐसे नियम बनाये जा सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि उचित एप्रोच किया जा सकेगा।

(विधानसभा कार्रवाई / 24 फरवरी 1960, पृष्ठ 1586)

विनोद—

मनोरंजन शुल्क विधेयक पर चर्चा चल रही थी। चर्चा में भाग लेते हुए सदस्य श्री परमानन्द भाई पटेल (पनागर) ने कहा— जब कभी भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब, खेलकूद का मामला आता है तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वे खेलकूद को बड़ी सिम्पेथी से देखते हैं.... बीच में ही श्री मनोहरसिंह मेहता बोले— जब खेलकूद से सिम्पेथी का मामला आता है तो और ज्यादा सिम्पेथी हो जाती है। इस पर श्री परमानंद भाई पटेल ने कहा— मैं मेहता साहब को बताना चाहता हूँ कि जबलपुर में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसको हमारे वित्तमंत्री जी ने कर मुक्त कर दिया था। वे स्वयं

भी वहाँ देखने पधारे थे और उस मैच का आनंद लिया था।

श्री अर्जुनसिंह :क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि मनोरंजन का मंत्री जी ने आनन्द लूटा इसीलिए टैक्स नहीं लिया।

श्री परमानंद भाई पटेल : इन्टरनेशनल टीम वहाँ आयी थी मंत्री स्वयं अपने जमाने में एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : एक नया शोध निकाला है। मंत्री स्वयं क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं।

(विधानसभा कार्रवाई/24 फरवरी 1960, पृष्ठ 1590)

वर्ष 1960-61 के बजट पर सामान्य चर्चा चल रही है। श्री अर्जुनसिंह भी चर्चा में भाग लेते हैं और सदस्यों द्वारा प्रति वर्ष अपने-अपने बैंक बेलेन्स को साहसपूर्वक सार्वजनिक रूप से घोषित करने का सुझाव रखते हैं —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट के ऊपर दो दिन से चर्चा चल रही है। माननीय सदस्यों ने बजट के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, उन मुद्दों से मेरी विशेष जानकारी नहीं है जिसके ऊपर कि माननीय सदस्यों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रकाश डाला है। मैं तो एक साधारण नागरिक के नाते जैसे एक व्यक्ति अपने परिवार का बजट बनाता है और उनमें मुख्य-मुख्य जो चीजें रखी जाती हैं उन तीन मुद्दों को सामने रखकर सदन से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ और वह है अध्यक्ष महोदय, फूड फेमिली एण्ड फ्यूचर। सबसे पहले आवश्यक वस्तु खाद्यान्न हुआ करती है इसलिये मैं अपने शासन की फूड पॉलिसी पर दो शब्द कहना चाहूँगा और मैं इस समय अपने अनुपस्थित खाद्य मंत्री जी को संबोधन कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के बारे में जो हमारे शासन ने नीति अपनाई है वह मैं समझता हूँ कि एक आयसोलेटेड पॉलिसी है और मैं आपको इस बात की बधाई देता हूँ कि एक दफा तो आपको हिम्मत आई कि आपने सेन्ट्रल के सजेशन को नहीं माना। लेकिन आप देखेंगे कि जो फिगर्स आपके प्रोडक्शन के हैं और जो स्टेटिस्टीकल डिपार्टमेन्ट से दिये जाते हैं। सन् 1958-59 में आपके यहाँ चावल की पैदावार 32.6 लाख टन रही, केन्द्रीय शासन और आपने मिलकर प्रोक्योरमेन्ट किया है, बाकी 15 लाख टन शेष रही जो आपने कन्जम्पशन के लिये छोड़ा है। फिर भी 11 लाख टन ऐसी रह जाती है जो सरप्लस बचती है प्रोडक्शन में। आप सिविल लॉज डिमान्ड एण्ड सप्लाई किस मान में करते लेकिन उसके अनुसार तो होगा ही इसलिये हमारे यहाँ जो बड़े-बड़े सेठ लोग हैं, क्योंकि काश्तकारों के पास तो पैदावार को रोकने की शक्ति नहीं है, उन्होंने बचा लिया तो बड़े-बड़े सेठों के पास यह सरप्लस फिगर जमा हो गया तो आप उसको प्रोक्योर कर नहीं सकते.....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : मैं निवेदन करूँगा कि श्री अर्जुनसिंह जी ने जो अभी सरप्लस बताया है 6 लाख टन निकालकर 11 लाख टन का बताया है वह सही नहीं है। आज तक के जितने आँकड़े हैं यदि माननीय सदस्य देखेंगे तो पता चलेगा कि वह सही हैं। हमारे यहाँ सब मिलाकर 21 लाख टन का खर्च है आप 14-15 लाख टन बताते हैं यह सही नहीं है। यह जो आपने 11 लाख टन होर्डिंग करके रखना बताया है यह भी सही नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री के आँकड़ों के अनुसार भी माना जावे तो 5 लाख टन फिर भी आपके आँकड़ों के अनुसार बचता है यह कहाँ से आया?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, सरप्लस का मतलब यह है कि वह मार्केटिंग सरप्लस है और यह 5, 7 और दस साल में मार्केट में आता रहा है। यह जो मध्यप्रदेश का साढ़े चार लाख टन सरप्लस है वह किसी मकान में नहीं रखा रहा, मार्केटिंग सरप्लस है।

श्री अर्जुनसिंह : सरप्लस जो मकान में रखा रहा उसको अपने हाथ में लेने की आपकी हिम्मत नहीं है फिर भी यह पूछना चाहता हूँ कि आपने यह 6 लाख टन प्रोक्योर कहाँ से कर लिया? मार्केटिंग सरप्लस साढ़े चार लाख टन है तो डेढ़ लाख टन आपने किसके घर में घुसकर ले लिया....

श्री सज्जनसिंह विष्णार : अध्यक्ष महोदय, किसान केवल 20-25 प्रतिशत अनाज बाहर देता है और बाकी वह अपने खाने के लिये ही रखता है।

श्री अर्जुनसिंह : आपका परसेन्टेज विधानसभा में रोज देखने को मिलता है इसलिये मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता।

श्री सज्जनसिंह विष्णार : और आप मनगढ़न्त बोलते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप इन परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहते हैं तो माल समय पर प्रोक्योर करें क्योंकि हमारे काश्तकारों में रिटेन्शन पॉवर नहीं है। आपका जो प्रोक्योरमेन्ट है वह हो जाने के बाद यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो शासन के पास ऐसी मशीनरी है, जो देखे कि यदि आप किसी व्यक्ति को कहें कि तुम इतना चावल ले जा सकते हो और एक हजार मन का उसे परमिट दें तो वह उससे ज्यादा चार या पाँच हजार मन न ले जावे.....

श्री सज्जनसिंह विष्णार : आप व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं किसकी वकालत कर रहा हूँ यह मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, फेमिली का सवाल है। फेमिली में राज्य के अन्य कार्यक्रम आ जाते हैं। क्या मेडिकल हुआ, क्या सोशल वेलफेयर हुआ, क्या ट्रॉयबल वेलफेयर हुआ। जो हमारा प्लानिंग बहुत सेन्ट्रलाइज्ड है वह निर्भर है कि कुछ देहली और भोपाल में बैठे हुए होशियार व्यक्ति पर जो निश्चय कर देते हैं कि इसका पेटर्न यह होगा। जो समस्याएँ हैं उन्हें इस पेटर्न में फिट हो जाना चाहिये। आप समानता भले ही लाद लें लेकिन जो आपकी सही समस्याएँ हैं उनका समाधान नहीं हो पाता और हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी जो माननीय सदस्य यहाँ बोलने को खड़े होते हैं वह अपने ही रीजन की बात कहना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। कारण यह है कि रीजनल बेसिस पर हमारी योजनाएँ नहीं बना करतीं। अब आता है भविष्य का सवाल, इस प्रदेश के भविष्य की कल्पना यहाँ के नागरिकों पर ही निर्भर न होगी, फर्क यह है कि हमारी कल्पना में और शासन में जो बैठे हैं उनकी कल्पना में भिन्नता हो सकती है, मैं आज जो कल्पना करता हूँ वह बीस-पच्चीस वर्ष आगे तक की करता हूँ और शासन के नेता अगले 2-3 वर्ष की देखते हैं कि मध्यप्रदेश को समृद्धिशाली बनाने के लिये जो कार्य करना उचित है वह काम अभी शासन करने में समर्थ नहीं हो पा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि मिनरल वेलफेयर हमारे यहाँ के मेजर वेलफेयर हैं। श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कहा है कि—

Since the mineral deposits consititute a major wealth or our State, my Government has been examining the question of forming a Mining Corporation which will be able to exploit this wealth in the public sector.

अध्यक्ष महोदय, राज्य के गठन के चार वर्ष में हमारी गवर्नमेंट इसको केवल एक्जामिन कर रही है तो भविष्य की कल्पना क्या है इसका अन्दाज लगाया जा सकता है। हमारे प्रान्त का बजट 6,530 लाख रुपये का है उसमें से खनिज पदार्थों की उन्नति के लिये केवल 6 लाख 2 हजार रुपये रखे गये हैं इससे क्या अनुपात पड़ता है यह विशेषज्ञ अन्दाज लगा सकते हैं और जिस उज्जवल भविष्य की कल्पना हम करते हैं उसको सार्थक बनाने के लिये शासन क्या प्रयत्न कर रहा है, यह पता लगता है।

अध्यक्ष महोदय, यह आवाज इसी विधानसभा में उठाई गई है यह बात नहीं है। पूरे देश में करप्शन के बारे में आवाज उठाई जा रही है और करप्शन के बारे में लोगों में जो धारणा है वह यह है और इसके सम्बन्ध में मैं भी दो-चार उदाहरण दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस करप्शन के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा अगर प्रजातंत्र को खतरा कभी भी पैदा हो सकता है तो वह बहुत ही स्पष्ट है कि इस करप्शन की वजह से ही हो सकता है। यदि हमारे देश के नागरिकों को यह विश्वास हो जाये कि हम करप्शन के कारण शासन नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या असर होगा। तो इसको देखने के लिए आज प्रत्येक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत हिम्मत की जरूरत है। हमारे प्रधान मन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने करप्शन के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया

था कि मैं आशा करता हूँ कि व्यक्तियों का जो बैंक बैलेंस होगा उसको वे बोल्डली डिक्लेयर करें। तो मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, कि इस विधानसभा के माननीय सदस्य, चाहे वे इस विधानसभा के हों या विरोधी पक्ष के हों या कांग्रेस पक्ष के हों वे हर साल हिम्मत के साथ अपना बैंक बैलेंस, अपनी होल्डिंग की यहाँ पर सूचना दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मैं माननीय सदस्य को बतला दूँ कि मेरा बैंक बैलेंस 25 रुपया है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मोटी बात कहता हूँ और वह यह कि यहाँ पर चाहे हम न कहें कि करप्शन का जो मामला है वह केवल गवर्नमेंट के लोगों में ही नहीं है इसको सभी समझते हैं। यदि हम विधानसभा के सदस्य होने के नाते कोई भी प्रिविलेज अख्यार करते हैं तो वह भी करप्शन के माध्यम में ही आता है। इसलिये जब समय आये, हिम्मत के साथ सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी होल्डिंग की यहाँ पर सूचना देंगे, यही मुझे कहना है।

श्री रामदास अग्रवाल : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा करते समय माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी थी कि दो-तिहाई समय में बहुमत से लोग बोलेंगे और एक तिहाई समय विपक्ष के लोगों को दिया जायेगा। तो कल तक तो यह व्यवस्था चलती रही लेकिन आज यह व्यवस्था बदल गई है। ऐसा क्यों हुआ?

अध्यक्ष : बदली नहीं गई है।

(विधानसभा कार्रवाई- 2 मार्च 1960, पृष्ठ 1855-1857)

2 मार्च 1960 को सदन में बजट पर हो रही सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने यह सुझाव दिया था कि विधानसभा सदस्य पूरे साहस के साथ प्रतिवर्ष अपना बैंक बैलेंस और सम्पत्ति का ब्यौरा घोषित करें। इसी दिन संध्याकाल श्री अर्जुनसिंह ने अपने बैंक बैलेंस और निजी संपत्ति की घोषणा कर दी। इसकी लिखित सूचना पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को देना चाही। लेकिन अध्यक्ष महोदय विधानसभा से जा चुके थे अतः उन्होंने इसकी लिखित सूचना विधानसभा सचिव को सौंप दी। इसके पश्चात् प्रेस को भी इसकी सूचना दी। सदन में खलबली मच गयी। पूरी चर्चा इस प्रकार हुई —

अध्यक्ष : मेरे पास श्री अर्जुनसिंह का एक पत्र आया है। पत्र को मैं सूचना के रूप में सदन को पढ़कर सुनाता हूँ।

To,

Hon'ble Shri K.L. Dubey
Speaker,
Madhya Pradesh Vidhan Sabha,
Bhopal

Sir,

While taking part in the General Discussion on the Budget I made the suggestion that hon'ble members of the Vidhan Sabha and Ministers should, in the light of the suggestion made by the Prime Minister Shri Jawahar Lal Nehru voluntarily file a list of their movable and immovable holding with the Vidhan Sabha Secretariat.

You will realise, Sir, that the increasing incidence of corruption is eating into the very vitals of our nascent democracy and only a determined and imaginative approach to the problem can save the future of democracy in this country. As chosen representatives of the people ours should be the first step in such a direction lest the impression gain ground that we wish to apply varying standards to different sections of the people. It is because of this sincere belief that I made the suggestion in the House and not merely as an act of political flambioncy.

It, therefore, consistant with my suggestion beg to send herewith a list of my family's movable and immovable assests, which may be kept open for inspection by any one.

Yours sincerely,
Arjun Singh
M.L.A.

I read the Schedule:—

LIST OF ASSETS

Movable—

1. Car
2. Rs. 2,300 compensation in lieu of resumption of Jagirdari, paid annually.
3. Rs. 2,500 Bank Balance.
4. Rs. 10,000 Valuable and other articles.
5. Rs. 10,000 Insurance policy.

Immovable —

1. One hundred and ten acres of land.
2. One farm house.

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह पत्र आपको लिखा गया है और उसके साथ यह भी कहा गया है कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह खत्म होगा वगैरा-वगैरा। इस पत्र को पढ़कर सुनाने के अतिरिक्त क्या और कोई निर्णय आपने लिया है।

अध्यक्ष : कोई निर्णय नहीं किया है। मैं पत्र को नहीं पढ़ता। यदि वह समाचार-पत्रों में प्रकाशित न हो गया होता।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह ने जो पत्र लिखा है उसका इनको पूरा अधिकार है, लेकिन इस तरह से चर्चा करना मुनासिब नहीं है। करप्शन-करप्शन हम कहते हैं और हो रहा है, लेकिन इस तरह सब मेम्बरों से कहना इसके मानी यह है कि यहाँ के सदस्यगण जनता की नजरों में इस बात के काबिल नहीं हैं। इससे हाउस की शान गिरती है। हाउस की शान में बट्टा लगता है। जो इन्तजाम चला आ रहा है, सैकड़ों वर्ष तक चले। बड़े-बड़े लोग यहाँ आयेंगे और आकर खड़े होंगे, उनको मालूम होगा, मैं सब दास्तान पूरी रख दूँ, मैं तो जाने वाला हूँ, उम्र मेरी खत्म हो रही है, मैं इतना कहे देता हूँ कि भविष्य के लिये अच्छा नहीं है। इस तरह से भले आदमी आयेंगे नहीं। आप सब कर दें; जो आता है अपनी पोजीशन को वह बेजा इस्तेमाल करना चाहता है। वह रुपया बनाना चाहता है और 2-3 महीने करते रहें, 3 महीने बाद क्या होगा। श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, एक सजेशन यह हो सकता है कि आप कम्पनी बनायें, विभाग खोलें और विभाग खोलकर देखें कि इसमें सही या गलत तो नहीं लिखा है, ज्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं कर दिया है। करप्शन-करप्शन कहा जाता है मैं इसे झूठ समझता हूँ। यह पोलिटिकल स्टन्ट हो गया है और हमारे सरकारी कर्मचारियों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। कर्मचारी भाइयों के लड़के-बच्चे, भाई-भतीजे पढ़कर आते हैं। वह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करते हैं। पटवारी से लेकर ऊपर तक सब पर कीचड़ फेंकना अच्छा नहीं है। इस तरह कीचड़ फेंकने से तो बात यह होगी कि कोई भला आदमी यहाँ आयेगा नहीं तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से नहा, बल्कि यह मेरी जाती राय है कि जो कदम उठाया है वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष : मेरे पढ़ने का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि यह कदम उचित था या अनुचित। लेकिन आज जब मैंने समाचार-पत्र में यह पढ़ा कि अर्जुनसिंह ने एक पत्र मेरे पास ऐसा भेजा है तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसके पश्चात् सचिव ने वह पत्र मुझे दिया। चूँकि समाचार पत्र में वह पत्र प्रकाशित हो चुका था इसलिये मैंने उससे सदन को सूचित करना उचित समझा।

श्री काशीप्रसाद पान्डे : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो जानकारी अर्जुनसिंह जी ने दी है वह ज्वाइण्ट फैमिली की है या क्या है?

श्री नरसिंहराव दीक्षित : और दूसरे यह कि जो पत्र अध्यक्ष महोदय को दिया गया है वह पहले समाचार-पत्र में निकलवा दिया गया और बाद में अध्यक्ष महोदय को दिया गया क्या यह उचित है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् यहाँ से पधार गये थे उस समय मैंने यह पत्र ऑफिस में दे दिया था। जहाँ तक सदन को बताने का प्रश्न है मैं उसका उल्लेख विधानसभा में कराना नहीं चाहता था। लेकिन जिस किसी कारण से श्रीमान् ने उसको सदन में पढ़ा वह निर्णय श्रीमान् का अपना निर्णय है उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता।

अध्यक्ष : इसमें बहस की क्या जरूरत है?

श्री अर्जुनसिंह : बहस नहीं बल्कि मैं सेल्फ एक्स्पलेनेशन देना चाहता हूँ। मेरे पत्र देने का यह मतलब कतई नहीं था कि मैं किसी पर लांछन दे रहा हूँ, बल्कि मैंने इस बात को अपनी ओर से एवॉइड (avoid) किया है। जिन लोगों ने दूसरों पर लांछन लगाया उनके लिये तो कुछ नहीं और जो सजेशन रखा जिसको माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने स्वयं पढ़ा होगा कि एक प्रेस कान्फ्रेंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सुझाव दिया है। उन्होंने किस पृष्ठभूमि में यह सजेशन दिया था उसको मुझ जैसे छोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते लेकिन मेरी समझ में जो आया वह मैंने श्रीमान् के सम्मुख रखा। वैसे भी मेरे पास कोई इतनी बड़ी जायदाद नहीं है और ईश्वर ने चाहा तो कोई ऐसी बात भी मैं करना नहीं चाहता। इसलिए जब यह सुझाव मैंने रखा अपने कुछ मित्रों के सामने तब उनकी ओर से पूछा गया कि क्या मैं खुद अपने सुझाव के आधार पर आचरण करूँगा, ऐसा करना मेरा पहला कर्त्तव्य था। इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अब जैसा कि मेरे वयोवृद्ध सदस्य श्री पांडे जी ने पूछा कि वह ज्वाइण्ट फैमिली का यह है या क्या, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह मेरे परिवार का है।

श्री काशीप्रसाद पान्डे : मैं जानना यह चाहता था कि समाचार-पत्रों में यह समाचार किसने दिया। मेरी जानकारी यह है कि समाचार-पत्रों में पहले जानकारी भेजी गई और यहाँ बाद में दी गई।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, समाचार-पत्रों को मैंने पहले यह जानकारी नहीं दी। चूँकि श्रीमान् यहाँ से पधार गये थे, मैंने यह पत्र सचिव महोदय को सबसे पहले दिया था और उसके बाद प्रेस को यह पत्र भेजा।

श्री शिवानन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइण्ट ऑफ आर्डर है। आपने जो पत्र पढ़ा उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन अपने बनाये हुये नियमों के अनुसार चलता है। मेरी यह प्रार्थना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत यह पत्र कार्यवाही का भाग रहे। यदि यह पत्र सदन की कार्यवाही का भाग रह सकता है तो सारे सदन को एक आकवर्ड पोजीशन में डालना होगा यह मैं कह सकता हूँ। यह केवल पॉपुलर बनने की बात है और कुछ नहीं। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह पत्र कार्यवाही में न छापा जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि जो बात अभी माननीय शिवानन्द ने कही और माननीय मुख्यमन्त्री जी ने जो बात कही, उसमें जोर है। यदि सदन यह चाहता है कि यह पत्र सदन की कार्यवाही में न रखा जाये तो मैं इस सम्बन्ध में सदन की राय जानना चाहता हूँ।

विरोधी दल की ओर से- 'रखा जाये, रखा जाये' की आवाज।

श्री शाकिर अली खाँ : जनाबेआली, हमारे मुल्क के वर्जीरेआजम की यह तहरीक है जिसका शिवानन्दजी ने फरमाया कि यह पॉपुलर बनने की बात है। पॉपुलर जिस तरह से हमारे वर्जीरेआजम बने हैं, जो तहरीक उन्होंने मुल्क को दी है क्या हमको किसी को उसमें मदद नहीं करनी चाहिये? मेरा यह यकीन है कि जिस तरह से वह पॉपुलर बने हैं वैसे ही हम सबको पॉपुलर बनना चाहिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न मेरे मित्र श्री शिवानन्द ने रखा है, मैं समझता हूँ कि इस पर निर्णय मत द्वारा न लिया जाये तो उचित होगा.....

अध्यक्ष : यह निर्णय लेने का सवाल नहीं है। प्रश्न यह है कि वह कार्यवाही का भाग बने या न बने?

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, ठीक है यह कार्यवाही का भाग बने या न बने यह तो नियमो के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है और आप अपना माइन्ड एप्लाई करके जो निर्णय देना चाहें वह दें।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, जब एक दफा इसको सदन में रख दिया है और मत ले लिया....

अध्यक्ष : मैंने इस पर मत नहीं लिया है। मैं केवल सदन की इच्छा मालूम करना चाहता था और अब जैसा कि मेहता जी ने कहा है कि मैं इसकी प्रोप्रायटरी को देखकर यदि उचित समझूँ कि यह कार्यवाही का भाग

न बने तो मैं उसे कार्यवाही का भाग न बनने दूँ इस बात पर विचार करूँगा।

श्री बृजलाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। कोई भी चीज जब हमारे सामने सदन में रख दी गई हो और उस पर चर्चा भी सदन में हो गई हो तो इसके बाद उस चीज को बिलकुल खत्म कर दिया जाये तो इसके लिये मैं यही निवेदन करूँगा कि इस स्टेज पर खत्म न की जाये। जब यह चर्चा में सदन के सामने आ गई है और चर्चा का विषय बन गयी है तो वह साधारण रूप से कार्यवाही का अंग बनाया जावे, यही उचित हो सकता है।

अध्यक्ष : मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि जब यह पत्र समाचार-पत्र में प्रकाशित हो गया तो मैंने इसे सदन के नोटिस में लाना उचित समझा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सदन में इसके ऊपर कोई चर्चा की जाये या कोई निर्णय किया जावे।

श्री बाबूलाल मौर्य : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट ऑफ आर्डर यह है कि सदन में कोई भी चीज बिना नोटिस के नहीं लाई जाती है यह नियम है और अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् को अधिकार भी है कि जिस चीज को आप अनुचित समझें और जिसको सदन की कार्यवाही बनना उचित न समझें उसको एक्सपन्ज कर दें, इसलिये एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् से यह जानना चाहूँगा और मैं इसके मेरिट्स पर तो नहीं जाना चाहता और श्रीमान् को पूरा अधिकार भी है कि किसी कार्यवाही को एक्सपन्ज करें, लेकिन इसके साथ ही मेरा यह निवेदन है कि किसी कार्यवाही को एक्सपन्ज करने का निर्णय दिया है तो वह सदन द्वारा बाई-मोशन कर सकते हैं कि इसको एक्सपन्ज कर दिया जावे। मैं समझता हूँ सदन से अधिक अधिकार अध्यक्ष को नहीं हो सकते और न होते हैं। श्रीमान् ने मोशन नहीं रखा है लेकिन एक ओपीनियन हाउस की जानने के लिये कि सदन की क्या राय है और उस पर 'यस' और 'नो' की आवाज भी आ गई है तो सवाल यह है कि जब एक चीज एक बार सदन में रखी जा चुकी हो और उसके बाद श्रीमान् अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, तो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि इस सदन से निर्णय हो जाये और बहुमत तो है ही, यह ओपन सीक्रेट है तो मैं निवेदन करूँगा कि जब एक चीज आ गई है तो इसको एक्सपन्ज न किया जाये। यह चीज प्रेस में चली गई है और यह सदन का प्रिविलेज होता है और जब तक इसके सम्बन्ध में इजाजत न ली जाये तब तक नहीं आना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं अपोजीशन के विरुद्ध ही बातें कर रहा हूँ लेकिन यह प्रिविलेज का सवाल है.....

श्री बाबूलाल मौर्य : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, कल सदन ने यह निर्णय लिया था कि बजट पर सामान्य चर्चा के लिए एक दिन का समय बढ़ा दिया जाये और अब इस तरह से अनावश्यक समय लेकर समय को बरबाद किया जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि सामान्य चर्चा पर बहस की जाये।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह गलती है, यह प्रेस में कैसे गया, यह मैं नहीं जानता। माननीय सदस्य इसको खुद भी कहेंगे कि गलती हो गई है, भूल हो गई है, ऐसा वह स्वयं कह देंगे लेकिन जहाँ तक इस सवाल का सम्बन्ध है, यह प्रोसीडिंग्स में छपना चाहिये और यदि न छापी जाये तो सदन की राय इस पर होनी चाहिये।

श्री नरसिंहराव दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, चूँकि आप इस पर निर्णय देंगे इसलिये मैं दो बातें फिर से ध्यान में लाना चाहता हूँ। आज जो चीज दी गई और जैसा कि मुख्यमन्त्री जी ने कहा इसके कोई माने नहीं होते हैं जब तक कि हर 3, 4, 6 महीने बाद एक रिटर्न न कर दिया जाये कि हमारी आमदनी इतनी बढ़ी या इतनी घटी, इस पर क्या हो यह तो आपकी व्यवस्था होगी। क्या हर साल माननीय अर्जुनसिंह जी इसका हिसाब दिया करेंगे?

दूसरी बात यह है कि हमारे बहुत से हरिजन भाई भी हैं जो गरीब हैं, बहिनें हैं वह भी कल लाकर चार आदमी रखेंगी और कहेंगी कि हमारे पास सौ मन गल्ला है, इतनी लकड़ी है, इसका रिटर्न देना होगा, तो सभी चीजें सामने लानी पड़ेंगी। हमारी बहिनें कहेंगी कि उनके पास पच्चीस साड़ी हैं यह सब हिसाब में आवेगा। अतः इस पर आपकी व्यवस्था हो जावे कि यह होना है या नहीं, फिर हम विचार करेंगे कि क्या-क्या चीजें देना हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कार्यवाही का अंग न बनाया जावे।

अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि न इस पत्र पर कोई चर्चा की जरूरत है और न किसी निर्णय की। वह

तो केवल सदन के सूचनार्थ ही पढ़ा गया है।

एक सदस्य : निवेदन यह है कि जो आपने कहा कि उस पर अमल होना चाहिए और यह प्रोसीडिंग्स में नहीं आना चाहिये।

श्री रामदास अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अगर यह पत्र आपने यहाँ पढ़ दिया और सदन यह नहीं चाहता कि यह कार्यवाही का अंग बने तो यह एप्रोच होना चाहिये सदन के नेता की ओर से। मदन के नेता ने जो टिप्पणी की उससे उनकी यह मन्शा जाहिर है कि यह कार्यवाही का अंग बनाया ही जावे। यदि वह यह प्रश्न उसी समय उपस्थित कर देते कि यह कार्यवाही का अंग न बनाया जावे तो श्रीमान् को अधिकार था और अधिकार अब भी है कि वह इसे कार्यवाही के आरंभ से अलग कर दें, लेकिन चूँकि सदन के नेता ने उत्तर दिया है इसलिए उस पर आज चर्चा चालू हुई है। हमें, यदि यह विषय कार्यवाही से अलग स्पन्ज कर दिया गया, तो कैसे मालूम होगा कि इस सदन के नेता ने इस पर क्या उत्तर दिया। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यह कार्यवाही का अंग बने।

अध्यक्ष : जब यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा तो उत्तर भी अंग नहीं बनेगा।

श्री शिवानन्द : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पत्र यहाँ पढ़ा वह यह साबित करता है कि आपके हृदय में माननीय सदस्यों के प्रति कितनी आदर की भावना है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी भी सदस्य को कानूनी हक मिल गया है कि वह यह कहे कि इसको कार्यवाही का भाग बनाया जावे।

अध्यक्ष महोदय, आप कभी-कभी नियमों के भी बाहर जाकर विरोधी पक्ष के प्रति अपनी उदारता दिखाते हैं और आपने इसी दृष्टि को सामने रखकर इस पत्र को पढ़ा है, लेकिन इस पत्र को पढ़ देने से किसी भी सदस्य को यह कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता कि यह कार्यवाही का भाग अवश्य होना चाहिये। यह आप पर निर्भर हो जाता है कि आप अपने डिस्क्रिएशन का उपयोग करें। नियमों में इसका प्रावधान न होने पर भी आपने इस पत्र को पढ़ा इसलिये यह आप पर निर्भर है कि यह कार्यवाही का भाग बनाया जावे या नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को यह कहने का अधिकार नहीं है कि इसे कार्यवाही का भाग बनाया ही जावे।

अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में अब और चर्चा उचित नहीं है। मैं देखूँगा कि इस सम्बन्ध में मैं क्या करूँ। यदि मैं उचित समझूँगा कि इसे expunge किया जाये तो उस तरह का निर्णय लूँगा और अगर जरूरत समझूँगा कि सदन को इसकी सूचना दूँ तो दूँगा।

श्री रामकिशोर शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री शिवानन्दजी ने अपने वक्तव्य में कह डाला है कि आप नियमों के बाहर जाकर विरोधी पक्ष को ज्यादा उदारता दिखाते हैं। यह अध्यक्ष महोदय की कार्यवाही पर लांछन लगाना है और यह पक्षपात का स्पष्ट आरोप है कि आप नियमों के खिलाफ गये, इसलिये मेरी इस पर आपत्ति है।

श्री बालमुकुन्द मुद्गल : प्वाइन्ट ऑफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, जब आप पहले कह चुके हैं कि इस पर मैं निर्णय दूँगा फिर उसके बाद भी कोई बात उस प्रश्न पर चल सकती है क्या?

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 मार्च 1960, पृष्ठ - 1964-1969)

वर्तमान राजस्व मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने 7 मार्च 1960 को आय-व्ययक पर चल रही सामान्य चर्चा के दौरान यह कामना की थी कि श्री अर्जुनसिंह को केन्द्रीय मन्त्री बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा।- आय-व्ययक पर चल रही चर्चा के समय वित्त मन्त्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल ने आँकड़े प्रस्तुत करते हुए सिद्ध किया कि मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आमदनी 100 से 146 हुई है जबकि अखिल भारतीय आमदनी 100 से 119 हुई। इस पर श्री अर्जुनसिंह ने विनोदपूर्वक कहा- "मैं समझता हूँ कि सभी स्टेट्स को मध्यप्रदेश में मर्ज कर दिया जाये तो आमदनी बहुत बढ़ जायेगी।" इस पर सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त बोले- आपको केन्द्र का वित्त मन्त्री बना दिया जाये तो अच्छा रहेगा।

(विधानसभा कार्रवाई- 7 मार्च 1960, पृष्ठ-2119)

वन एवं प्राकृतिक साधन मन्त्री श्री शम्भुनाथ शुक्ल ने वन सम्बन्धी माँग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया- "अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 1961 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-5 वन के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,33,07,000 (तीन करोड़ तैंतीस लाख सात हजार) तक की राशि दी जावे।"

अध्यक्ष : *प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 31 मार्च 1961 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-5 वन के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के लिए राज्यपाल महोदय को 3,33,07,000 (तीन करोड़ तैंतीस लाख सात हजार) तक की राशि दी जावे।*

इस माँग पर चर्चा शुरू हुई। श्री नारायणसिंह जयवार (सुहागपुर) और श्री हरिभाऊ जोशी (सुसनेर) के बाद सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने हिस्सा लिया-

श्री नारायणसिंह जयवार (सोहागपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा वन विभाग की जो माँग रखी गई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए और कटौती प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे प्रदेश के जंगल का सवाल है, साधारण नहीं है। अभी जब राज्यपाल महोदय के भाषण पर भी जिस समय यह प्रश्न आया था तब भी मैंने इस पर दो शब्द कहे थे। अब मैं उनको दोहराऊँगा तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ा-सा अवश्य कहूँगा। अध्यक्ष महोदय, यह जंगल का मसला बहुत बड़ा मसला है और इतना जटिल मसला हो गया है कि उसको यह कहा जाय कि वह जल्द ही हल हो जायेगा, मैं नहीं मानता। आज लोग परेशान हैं, जंगल बरबाद हो रहे हैं। यह प्रश्न केवल वन मंत्री महोदय की ही समझ की बात नहीं रह गई है बल्कि यह सारे प्रदेश का मसला हो गया है। उसमें हुआ यह है कि जिस समय मालगुजारी समाप्त हुई तब वह चाहे मध्यभारत में हुई हो या विन्ध्यप्रदेश में हुई हो या चाहे कहीं भी हुई हो तो उन भूतपूर्व मालगुजारों या जागीरदारों का जितना जंगल था, आम जनता का निस्तार उन्हीं जंगलों से हुआ करता था और जो सरकारी जंगल होते थे जिन्हें रिजर्व फारेस्ट कहते हैं, शासन नीलाम करता था। उससे काफी बड़ी आय शासन को होती थी और आज भी है, परन्तु उस समय जनता उस जंगल से लकड़ी नहीं लेती थी। जैसे ही सरकार ने उनको अपने कब्जे में लिया उसके पहले ही उन्होंने आम निस्तार के जंगलों को पाँच-पाँच, दस-दस वर्ष के ठेके पर ठेकेदारों को दे दिया, उसका परिणाम यह हुआ कि निस्तारी जंगल साफ हो गये। अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ देहातों में तो एक कहावत हो गई है कि आज मालगुजारी जंगलों में एक लकड़ी दातौन तक के लिये नहीं मिलती तब इसके बाद गवर्नमेंट की उस थैली पर जिससे बहुत बड़ी इन्कम हुआ करती थी आज उस पर नम्बर आ गया है। स्थिति यह है कि जनता परेशान हो रही है और जंगल बरबाद हो रहे हैं। निस्तारी जंगलों में इतनी लकड़ी नहीं है कि जितनी जनता की माँग है। जनता को लकड़ी माँगने का उसका अधिकार है, और हमें देना पड़ेगी। तब सवाल पैदा होता है कि लकड़ी कहाँ से दी जाये। जंगल बरबाद हो रहे हैं इसमें दो मत नहीं हो सकते। कहा यह जाता है कि चोरी रोकी जाये। मेरा कहना है चोरी इस तरह नहीं रोकी जा सकती। अध्यक्ष महोदय, निस्तार कमेटी 3-4 बार मध्यप्रदेश का भ्रमण कर चुकी है, सारी जगह स्थिति भयंकर है। यह जो रुपया रखा है वह तो उसके इन्तजाम में ही खर्च हो जायेगा। अगर जंगल की रक्षा करना है, उसे बचाना है तो 3 करोड़ रुपया बहुत कम है। इस विभाग के लिये सप्लीमेंटरी बजट में रकम देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मसला छोटा नहीं है, बहुत गंभीर है और पूरे सदन को इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये, विचार करना चाहिये। जैसा कि मैंने माननीय अध्यक्ष, पहले कहा था जहाँ हम राजस्थान को हरा-भरा बनाने जा रहे हैं वहाँ अगर अपने यहाँ के सम्बन्ध में हमने गम्भीरतापूर्वक न सोचा तो इसका परिणाम यह होगा कि उधर राजस्थान को तो हरा-भरा बनाने की सोच रहे हैं लेकिन फिर मध्यप्रदेश को हम मरुस्थल बनाने जा रहे हैं। एक तो सारे जंगल बरबाद हो जायेंगे और उससे खेती बरबाद हो जायेगी क्योंकि जंगलों के कट जाने से वर्षा न होगी और दूसरे लकड़ी का सरदर्द अलग से बना रहेगा।

कल श्री माननीय जोशी जी ने एक उदाहरण दिया कि निस्तार कमेटी बनी है। आज वह यहाँ उपस्थित नहीं है। अगर उपस्थित होती तो ज्यादा अच्छा होता, मैं उनकी बातों का जवाब बड़ी सुन्दरता और नम्रता के साथ देता। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि कमेटी केवल शहरों में जाती है, गाँवों में नहीं जाती है। मैं निवेदन करूँ, कमेटी रीवा भी गई थी। अगर कमेटी एक-एक गाँव में जाना चाहे तो शायद दस साल लग जायेंगे और फिर भी

वह अपना काम पूरा न कर सके। परन्तु तरीका यही रहा है कि कमेटी जिले में जाती है और वहाँ पर ग्राम पंचायतों के मेम्बर्स, आम जनता के प्रतिनिधि, विधानसभा सदस्य, म्युनिसिपेलिटी के सदस्य और चेयरमैन सब आते हैं और उनके सुझाव माँगे जाते हैं (माननीय सदस्य उपस्थित रहते तो उनको नेक-सलाह मिलती।)

श्री हरिभाऊ जोशी : मैं पूछना चाहता हूँ कि जिले के बजाये अगर तहसील प्लेस पर कमेटी जाये तो वहाँ तो ज्यादा रिप्रेजेन्टेशन उसे मिल सकता है।

श्री नारायणसिंह जयवार : मैं उस पर आ रहा हूँ। जिले के सदर स्थान पर तो कमेटी जाती ही है, लेकिन अगर रास्ते में तहसील के स्थान पड़ें तो वहाँ भी जाती है और छोटा गाँव भी रास्ते में पड़ा तो वहाँ भी जाती है। कई जगह ऐसा हुआ कि देहात के पास हम जा रहे थे तो हजार-हजार, दो-दो हजार आदमी आये तो उनकी भी बातें सुनी जाती हैं और नोट की जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, कल माननीय जोशी जी ने कहा था कि निस्तार कमेटी ने यह नहीं किया, वह नहीं किया, लेकिन जब उनको बुलाया गया था तो वह उपस्थित नहीं हुए। कमेटी ने उन्हें बुलवाया था और चाहा था कि उनके सुझाव लिये जायें। जैसा कि सीधी कमेटी गई तो श्री तिवारी जी वहाँ उपस्थित रहे और उन्होंने बड़ा सहयोग दिया, उसके लिये उनको बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से हम जोशी जी से भी अपेक्षा करते थे कि वे आते और सुझाव देते। लेकिन चूँकि वहाँ न तो कोई पत्रकार थे और न फोटोग्राफर, और हमारे जोशी जी इन बातों के ज्यादा शौकीन हैं इसलिये वह कमेटी के सामने उपस्थित नहीं हुए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि टीका-टिप्पणी किसी की करना सरल है, लेकिन उसका हल निकालने में जरा मुश्किल पड़ती है। तो वह कमेटी सब जगह जाकर यह अध्ययन कर रही है कि इसका स्थायी हल कैसे निकाला जाये, कैसे जंगलों की सुरक्षा की जाये और किस तरह से आम जनता की समस्या हल हो। अध्यक्ष महोदय, एक बात और है। हमारे यहाँ 43 जिलों में 43 प्रकार की समस्याएँ हैं। अगर कहीं शाजापुर में कुछ है तो खरगौन में कुछ है और होशंगाबाद में कुछ है तो विदिशा में कुछ है। तो सब जगह की अलग-अलग समस्याएँ हैं। कहीं-कहीं पर तो डिमार्केशन की समस्या है, जंगलों की समस्या है। ये सारी बातें फारेस्ट विभाग के सामने हैं। तो जब तक सारी बातों को नहीं देखा जाता तब तक समझ में नहीं आ सकतीं। मैं भी इसका पहले बड़ा आलोचक था परन्तु जब पूरी तरह से मैंने स्थिति का अध्ययन किया तो कम से कम इतना प्रभावित हुआ हूँ जिससे मैं ही नहीं बल्कि मैं पूरे सदन से अपील करूँगा कि वह इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। यह एक बड़ी भारी समस्या है। अगर कोई हल न निकाला गया तो मेरा विश्वास है कि आगे चल करके परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिये माननीय सदस्यों को बहुत गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर सोचकर शासन को सलाह देनी चाहिये ताकि जल्दी से जल्दी वह कमेटी अपनी रिपोर्ट शासन के सामने दे सके। इन सब बातों को कहने के लिये मैं खड़ा हुआ था। वन विभाग को जो पैसा दिया गया है उसके अलावा और सप्लीमेन्टरी कुछ उसको मिल सके तो अच्छा है जिससे जंगलों का ज्यादा अच्छा इंतजाम हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस मांग का समर्थन करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वन मन्त्री महोदय ने जिन माँगों को यहाँ उपस्थित किया है उनका सम्बन्ध, अध्यक्ष महोदय, मेरी राय से प्रदेश की भविष्य में जो उन्नति होगी उससे है। क्योंकि हमारे कई साल के आय-व्यय से यह स्पष्ट हो गया है कि वन में जितना खर्च होता है उससे ज्यादा उस विभाग से हमें आमदनी मिलती है और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, यह भी स्पष्ट है कि इस प्रान्त का अधिकांश भाग वनों से घिरा हुआ है। इस अवस्था में, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जितने विभागों की माँग आज माननीय वन मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत की है व जितने विभाग ऐसे हैं जिन पर कि इस प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है, उनकी माँग है। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के बारे में जब निस्तार कमेटी का निस्तार खत्म हो जावेगा और जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तब कुछ कहा जा सकेगा। इसलिये इस वक्त कुछ विशेष कहना उचित नहीं समझता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूँ कि वन विभाग के द्वारा जो अलग-अलग डी.एफ.ओ. सर्किल्स हैं उनके पुनर्गठन की माँग आज से लगभग 3 साल पहले बजट सत्र में इसी सदन में की गई थी। माननीय वन मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि डी.ए.ओ. के एरियाज का पुनर्गठन कर देंगे। आज तीन साल हो गए, आज कौन-सी

कठिनाई वन मन्त्री महोदय के सामने आई है कि आज तक इन डी.एफ.ओ. सर्किल का पुनर्गठन नहीं हो सका।

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : पहली अप्रैल से सीधी का जो हिस्सा है उसको रीवा से निकाल कर सीधी में मिला देने का निर्णय लिया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मन्त्रीजी का आभारी हूँ कि वन मन्त्री महोदय ने आखिर इतने दिन पश्चात् तो कार्यवाही की है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य उद्देश्य आज की बहस में शासन का और सदन का ध्यान अपने प्रदेश के खनिज पदार्थों की ओर दिलाने का है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अनेक अवसरों पर कहा गया है कि इस प्रदेश का भविष्य ही इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी हद तक हम अपने यहाँ के खनिज पदार्थों की उन्नति कर सकते हैं। इस तथ्य को सामने रखते हुए जब मैंने यहाँ के बजट को देखा तो एक बहुत बड़े आश्चर्य की चीज मेरे सामने आई। सन् 1957-58 से अध्यक्ष महोदय, अगर हम तुलना करें तो हमारा वैज्ञानिक विभाग जिस पर कि खनिज पदार्थ की उन्नति का भार है, सन् 1957-58 में अध्यक्ष महोदय, उनकी डिमांड्स 5 लाख 91 हजार थी, सन् 1959-60 में 6 लाख 84 हजार थी और इस वर्ष अध्यक्ष महोदय, वह 6 लाख 2 हजार है। गत वर्ष इस ओर ध्यान दिलाने पर माननीय वन मन्त्री ने कहा था कि हमारे सामने मिनरल डेवलपमेन्ट की तरफ विशेष कदम उठाने में अड़चनें बढ़ रही हैं, कुछ हमारे पास टेक्निकल हेंड्स की कठिनाई है जिसके कारण हमारे यहाँ के ज्योलाजिकल सर्वे को और अच्छी तरह से जल्दी से उन्नति नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि इस देश के अन्य भागों में इस तरह की उन्नति हो सकती है तो क्या कारण है कि हमारे ही प्रदेश के लिये इतना बड़ा अकाल टेक्निकल हेंड्स के लिये है और हर वर्ष इस विभाग के लिये ग्रान्ट्स दी जाती है उसमें बढ़ोत्तरी होने के बजाय कमी होती जा रही है। इस विभाग को चलाने के लिये हिम्मत की जरूरत भी पड़ती है और वही एक चीज है जो हमारे शासन में सबसे बड़ी कमी है। इसका उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिला है। आज से एक वर्ष पहले जब कि बेलाडीला के आयरन ओर के एक्सप्लायटेशन का सवाल था, आपको विदित है कि इस विधानसभा में उस रीजन से आये हुए कई माननीय सदस्यों ने कितने जोरदार शब्दों में उसके बारे में अपने-अपने विचार व्यक्त किये थे। इस समय तो समाचार-पत्रों में पढ़कर हमें अवश्य संतोष हो रहा है कि शायद हमारी सरकार की बदौलत हो या केन्द्रीय सरकार के बदौलत हो लेकिन बेलाडीला का भाग्य उदय होने वाला है। परन्तु अध्यक्ष महोदय, उसके साथ हमें बाक्साइट डिपाजिट की तरफ भी ध्यान देना होगा यहाँ पर बड़े जोर-शोर के साथ घोषणा की गई थी कि एक हाई पावर कमेटी हमने श्री एस.एन. मेहता, आई.सी.एस. के सभापतित्व में कायम की है जो कि इस प्रदेश में एल्यूमिनियम प्लान्ट स्थापित करने के लिये केस तैयार करेगी। अध्यक्ष महोदय, उस कमेटी का निर्णय तो होता रहा और केस तैयार होता रहा, इसी बीच में यहाँ से बाक्साइट डिपाजिट जिसके आधार पर वह प्लान्ट चलने वाला था उसको यहाँ से पिपरी ले जाने की लीज दी गई है। तो मैं जानना चाहूँगा और समझता हूँ यह सदन भी जानना चाहेगा कि इस लीज के देने की कन्डीशन में क्या यह कन्डीशन भी रखी गई है कि जब कभी भी हम वहाँ पर एल्यूमिनियम प्लान्ट स्टेट के द्वारा स्थापित करेंगे तो जो बाक्साइट डिपाजिट वहाँ पर होगा उसका एक निश्चित अंश एल्यूमिनियम प्लान्ट को देंगे, क्योंकि भविष्य में जब कभी भी एल्यूमिनियम प्लान्ट का प्रश्न आयेगा तब यह भी प्रश्न उसके साथ-साथ खड़ा होगा। तो आगे कोई समस्या खड़ी न हो इसके लिये शासन ध्यान दे तो अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं सदन का ध्यान सिंगरौली कोल फील्ड की ओर दिलाना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष 2 मई को राज्यसभा में केन्द्र के नेचुरल रिसोर्सेज मन्त्री श्री के.डी. मालवीय जी ने यह घोषणा की कि सिंगरौली तहसील, जो कि सीधी डिस्ट्रिक्ट में है, में बहुत ही प्रचुर मात्रा में कोयला मिला है। अध्यक्ष महोदय, संतोष तो हमें तब होता जब यह घोषणा राज्यसभा में न होकर इस राज्य की विधानसभा में की गई होती और इसे हमारे नैसर्गिक विभाग के मन्त्री महोदय करते। लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं है, इस घोषणा के होने के तुरन्त बाद ही हम लोगों ने शासन के सामने माँग रखी कि इस बाक्साइट को राज्य के हित में काम में लेने के लिये शासन कोई न कोई तुरन्त योजना बनावे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने

माननीय मुख्यमन्त्री जी से भी भेंट की। इस सम्बन्ध में और अन्य सभी मन्त्रियों से भी भेंट की जिनके द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता था लेकिन सभी जगह से मुझे इतना ही जवाब मिला कि हम विचार करेंगे और अध्यक्ष महोदय, जब मैंने उनके इस आश्वासन में कुछ तथ्य समझा तब मैंने दिनांक 21-9-59 को यहाँ विधानसभा में इस संबंध में प्रश्न भी पूछे कि क्या शासन ने इस कोल फील्ड को उपयोग में लाने के लिये कोई स्कीम बनाई है तो शासन ने जवाब दिया कि इसकी जानकारी तो है कि कोल मिला है लेकिन अभी उसका क्या उपयोग होगा, इस सम्बन्ध में कोई स्कीम तैयार नहीं कर पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पुनः ध्यान आकर्षित किया कि इस तरह से देरी करने से उस कोयले का उपयोग करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसका कारण स्पष्ट है कि रिहन्द डेम के वह बिलकुल नजदीक में पाया गया है। रिहन्द डेम से जो बिजली उत्पादित होने वाली है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में और कम खर्च में उसमें थर्मल प्लान्ट और बिजली उत्पादित की जा सकती है। यही कारण था अध्यक्ष महोदय, कि उत्तरप्रदेश सरकार जिसके अन्तर्गत रिहन्द डेम की बिजली तैयार होने वाली है उसको उसका फायदा मिलने वाला है। जो चीज चीपर मिलती है उसका ही वे उपयोग करेंगे। यह मैंने कोई आपसी बातचीत में नहीं कहा है, यह तो मैंने प्रेस नोट के द्वारा ध्यान आकर्षित किया है। मैंने समझा कि शासन का ध्यान इसकी ओर अवश्य खींचा जायेगा। दूसरे इस बजट सेशन में 9 फरवरी को मैंने इसी तरह का एक प्रश्न विधानसभा में किया था तो सरकार की ओर से उत्तर मिला कि, जी हाँ। और अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। जहाँ पर इस तरह से उत्तर दिया गया वहाँ पर उत्तरप्रदेश की विधानसभा में 13 तारीख को वहाँ के वित्त मंत्रीजी ने अपने बजट स्पीच में इस बात का उल्लेख किया है कि मिर्जापुर में उन्हीं कोयलों का प्रयोग करके उत्तरप्रदेश का एक बहुत बड़ा थर्मल स्टेशन कायम करने जा रहे हैं जिसके कम्पलीट होने पर 4-5 लाख की उसकी कैपेसिटी होगी। इससे स्पष्ट होता है हमारे शासन में किसी चीज को बढ़ाने की कितनी एमेजिनेशन है व तत्परता है तथा इस प्रदेश के जहाँ स्वार्थ निहित हैं उसकी रक्षा करने में शासन कितना तत्पर है। वहाँ की विधानसभा में इस स्टेटमेंट के देने के पश्चात् 22 फरवरी को अखबारों में इसको बहुत जोर-शोर से छापा गया कि रशियन टेक्निकल एड लेकर थर्मल स्टेशन बनाया जायेगा। इतना ही नहीं, जैसा कि आजकल प्रोपेगेंडा के युग में होता है, यह भी अखबारों में निकाला गया था कि यह कोल फील्ड्स उत्तरप्रदेश में मिर्जापुर के सिंगरौली हिस्से में पाया गया, यह प्रेस स्टेटमेंट है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि व्यक्तिगत बातचीत का सवाल है लेकिन एक वयोवृद्ध मंत्री महोदय से इस स्टेटमेंट निकलने के बाद मेरी बातचीत हुई। उन्होंने यह कहा कि कोल फील्ड उनके हिस्से में कैसे है, हम इसके लिये लड़ेंगे। मुझे एक नॉवेल डान क्विग्जट की याद आई, शायद मन्त्री महोदय ने उसको पढ़ा हो या न पढ़ा हो, नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार वह विंड से लड़ गया था उसी प्रकार हमारे मन्त्री महोदय किससे लड़ेंगे इसका ज्ञान नहीं है। इतना अवश्य मालूम हुआ कि गत वर्ष सेन्ट्रल जोन की मीटिंग में, जो 14 अप्रैल को नैनीताल में हुई थी उसमें इस प्रकार का प्रश्न उठा था और जहाँ तक मेरी सीमित जानकारी है उसमें सेन्ट्रल वाटर पावर कमीशन के जो सदस्य वहाँ पर थे उनकी राय में यह मान लिया गया था कि यह थर्मल स्टेशन बन सकता है तो वह कोल माईन के निकट ही बन सकता है और सिंगरौली के पास बनना चाहिये। इन सब चीजों के होते हुए जहाँ पर मुख्यमन्त्री जी मौजूद रहे होंगे, उनको परसू क्यों नहीं किया गया, इसकी जानकारी सदन अवश्य जानना चाहेगा अगर आपका मतलब केवल इतना ही है कि कोल फील्ड से जो रायल्टी मिलेगी उतने से ही संतोष कर लें तो बात दूसरी है, क्योंकि आठ आने प्रति टन के हिसाब से रायल्टी मिलेगी जो कि 25 लाख रुपये की होगी। उनकी जो योजना है उस योजना के अनुसार वे पाँच लाख टन प्रतिवर्ष वहाँ से कोल निकालने की सोच रहे हैं जब कि रिजर्व है 70 लाख टन। तो अगर 25 लाख रुपया बजट में बढ़ जाने से संतुष्ट हैं तो ठीक है। लेकिन अगर प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाना चाहते हैं और उस कोयले को अपने यहाँ निकालकर प्रदेश की जरूरतों को संतुष्ट करना चाहते हैं तो अभी भी समय है इस प्रदेश का शासन सतर्क हो जाये और दृढ़ निश्चय कर ले कि कोल फील्ड के ऊपर ही थर्मल स्टेशन बनना है और हमारे प्रदेश में बनेगा। क्योंकि स्पष्ट है यू.पी. गवर्नमेंट अपने बजट से बना रही हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि रशियन एड जो मिल रही है उसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट

उत्तरप्रदेश को वहाँ पर थर्मल स्टेशन स्थापित करने के लिये अनुदान दे रही है। ऐसी अवस्था में अगर उत्तरप्रदेश गवर्नमेंट को एड मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं मिल सकती है? इसका निराकरण मन्त्री महोदय करेंगे ऐसा मैं चाहूँगा।

वन मन्त्री महोदय ने पिछले वर्ष हमें यहाँ पर बताया था कि बहुत शीघ्र शहडोल में स्थापित होने वाली पेपर मिल का कार्य चालू हो जायेगा। इस संबंध में मुझसे ज्यादा जानकारी उन्हें है। मैं इतना ही जानना चाहूँगा कि क्या यह पेपर मिल तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल तक वहाँ पर काम करना शुरू कर देगी, क्योंकि अनेक लोगों की ऐसी शंकाएँ हैं कि अगर इतना सब होने के बावजूद इतने वर्ष लग गये तो ऐसा न हो वन मन्त्री महोदय का कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो जाये और उनको आश्वासन देने का अवसर न मिले कि वह मिल चलेगी या नहीं? इसलिये वन मन्त्री महोदय इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जब तक मिल नहीं चलती तभी तक उनका कार्यकाल है। फिर कहाँ से उनको पैसा मिलेगा और कैसे चुनाव जीतेंगे?

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/8 मार्च 1960, पृष्ठ - 2005-2008)

माँगों पर मतदान— माँग संख्या- 1, 2, 14, 25, 28, 32, 34, 37 और 45 पर चर्चा का पुनर्ग्रहण। माँग संख्या-1 कृषि आयकर 25,000 रुपये, माँग संख्या-2 भूराजस्व 2,75,68,000 रुपये, माँग संख्या-14 आयुक्त तथा जिला प्रशासन 2,25,97,000 रुपये, माँग संख्या 25 उद्योग विभाग 1,43,51,900 रुपये, माँग संख्या 28 अकाल सहायता 10,00,000 रुपये, माँग संख्या लेखन सामग्री तथा मुद्रण 99,66,0000 रुपये, माँग संख्या 34 सड़क यातायात 1,64,58,000, माँग संख्या 37 जमींदारी प्रथा समाप्ति 1,44,29,000 रुपये और माँग संख्या 45 सड़क यातायात योजनाओं पर पूँजी की लागत 3,71,000 रुपये पर चर्चा पुनर्गृहीत हुई। चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने कहा—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने जो माँगें प्रस्तुत की हैं उनके ऊपर जो कटौती प्रस्ताव दिये गये हैं मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मैं राजस्व मन्त्री का ध्यान अपने प्रदेश की उन बातों की ओर दिलाना चाहता हूँ जिनके द्वारा हमारे प्रदेश की आय बढ़ाई जा सकती है, जिससे हमारे डेवलपमेंट वर्क्स के लिये ज्यादा पैसा मिल सके। प्रजा समाजवादी दल के नेता माननीय तामस्कर जी ने कल एक संकेत किया था, नेशनलाइजेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की तरफ, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के वायेवल यूनिट के बारे में कुछ बातें कही थीं शासन, जबकि मोनोपाली किसी भी चीज में न रहे, इस सिद्धांत को मान चुका है तब उसके लिये आवश्यक हो जाता है कि शासन, जितनी शीघ्रता से उस ओर कदम उठा सके, उठाया जाये और यदि कदम नहीं उठा सकता है तो उसके पर्याप्त कारण, पर्याप्त अड़चनें जो आती हैं, उनका विवरण सदन के सामने रखना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों को यहाँ जो चीज बताई जाती है वह केवल एक चीज बताई जाती है कि धनाभाव के कारण छत्तीसगढ़ में नेशनलाइजेशन की ओर अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। यदि धनाभाव के कारण कदम नहीं उठा पाते तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश के किसी भी हिस्से में, जो नेशनलाइज्ड रोड्स हैं उन पर नई लाइन खोलने का सवाल नहीं उठता। लेकिन साल में कहीं न कहीं नये रास्ते अपने अन्डर में आप लेते हैं, तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में आप शुरू करते। आखिर कौन-से कारण हैं जिससे और जगहों पर पाँव फैलाने के लिये जगह है लेकिन छत्तीसगढ़ के लिये नहीं है। जब कभी सवाल उठाया जाता है तो धनाभाव का कारण रख देते हैं। मैं राजस्व मन्त्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर धनाभाव के कारण इतनी बड़ी समस्या सुलझाने में असमर्थ हो रहे हैं तो इस सुझाव पर विचार करें। छत्तीसगढ़ में जो वायेवल यूनिट है वह आर्गेनाइज्ड यूनिट है। अगर उसको नेशनलाइज़ करेंगे तो बहुत बड़ी कम्पेन्सेशन की धनराशि देनी पड़ेगी। इसलिये अच्छा होगा कि जो उनके वायेवल यूनिट्स हैं उनको एक साथ मिलाकर कार्पोरेशन बना दीजिये और जितने शेयर्स उनके हैं वह उसमें रख दीजिये, बाकी सरकार ले ले। इस तरह से उनको कोई कम्पेंसेशन नहीं देना पड़ेगा और उतना प्राफिट उन लोगों को मिलता रहेगा और शासन का थोड़ा-सा पैसा लग जाने के कारण आप से आप रोड्स नेशनलाइज हो कर मिलने लगेंगी और तमाम

रूट्स पर शासन का अधिकार हो जायेगा। मैं समझता हूँ ऐसी हालत में उनको कोई बहुत बड़ी लम्बी धनराशि मुआवजे के रूप में नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि उनके राइट को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि जितने उनके शेयर्स हैं वही रखना चाहिए केवल बड़ा आर्गनाइजेशन बनाकर शासन का भी शेयर उसमें रख देंगे। मैं आशा करता हूँ राजस्व मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

जनरल डिस्कशन के वक्त कहा गया था कि जो हमारी विधानसभा द्वारा गत समय एक पैसेंजर फेयर टैक्स पास किया गया था उससे माननीय उप गृहमन्त्री महोदय ने यह आशा प्रकट की थी कि लगभग पचास लाख रुपया सालाना आमदनी होगी, उसके आज तक लागू न होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में जनरल डिस्कशन में जो डिबेट का उत्तर वित्त मन्त्री ने दिया उसमें उन्होंने इसकी तरफ संकेत नहीं किया। क्या धनाभाव के कारण यह भी नहीं लागू किया जा सका? जो बिल यहाँ से पास हो जाते हैं उनको कार्यान्वित करते समय अगर आपको जाने-पहचाने चेहरे सामने नजर आते हैं तो कैसे उसको लागू करें। फिर आप कैसे आशा कर सकते हैं कि हम लोग खुलकर यहाँ आपकी माँगों का समर्थन करेंगे। मैं जानता हूँ कि उस टैक्स को लागू न करने का मुख्य कारण क्या है? उसको लागू न करने का मुख्य कारण यह है कि पूरे मध्यप्रदेश में उस टैक्स को वसूल करना पड़ता और जिस एरिया में अभी मोनोपाली है वहाँ मनमाना दर रखा है, वह नीचे लाना पड़ेगा, इससे नुकसान हो जावेगा। फेयर स्टेन्डर्ड नेशनलाइजेशन के वक्त नुकसान होगा। शासन इस टैक्स से 50 हजार का लाभ समझता था परन्तु उसने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया।

अब मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान राजस्व के कुछ मामलों की ओर दिलाना चाहता हूँ। नये भूमिराजस्व संहिता विधेयक के पास हो जाने के बाद यह जरूरी था कि जहाँ अलग-अलग कानून थे, जिनके कारण अड़चनें आती हैं उनको एक किया जाता है। मैं राजस्व मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि राजस्व संहिता विधेयक में ऐसा प्रावधान है उसको कार्यान्वित करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आप एकदम ऐसा न करें जिससे लोगों को यह प्रतीत हो कि उनको सुविधा नहीं दी जा रही है। इस संहिता में यह रखा है कि अगर अमुक तिथि को लगान नहीं दिया गया तो इतने परसेन्टेज अधिक देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अभी विन्ध्यप्रदेश में और दूसरी जगह यह हुआ करता है कि अगर कोई काश्तकार जून में लगान न दे सके तो वह जुलाई में लगान दे सकता है इसलिये इस संहिता को अमल में लाने में इस बात का ध्यान रखा जावे कि उनको कठिनाई न हो। आजकल उनको बहुत कठिनाइयाँ हैं। अनाज के दाम गिर गये हैं। मैं मन्त्रीजी का ध्यान एक प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूँ। सीधी जिले में जब स्टेट मर्ज नहीं हुई थी तब वहाँ जमींदारों को 25 प्रतिशत छूट दी जाती थी। जब मध्यप्रदेश का पुनर्गठन हुआ तब उनकी जमीनें ले ली गईं और उनको मुआवजा दिया गया। मैं नहीं समझता कि यह बात कैसे नोटिस में नहीं आई। उन्होंने इसके सम्बन्ध में दावा किया और उच्च अधिकारी, मेरा आशय कमिश्नर से है, ने प्रकरण का फैसला कर दिया, कुछ ने दबा रखा। अब जिन पर तहसीलदार की कृपा हो जाती है उसके साथ इसका अमल किया जाता है, जिनके ऊपर तहसीलदार की कृपा नहीं होती उनसे 25 प्रतिशत वसूल किया जाता है। यह 25 परसेन्ट खतौनी में दर्ज नहीं हो रहा है। यह भी शक है कि यह खजाने में जमा न किया जाता हो। ऐसी हालत में मैं राजस्व मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि वह इस बात की जाँच कराएँ कि सभी जगह छूट का निर्णय हुआ या नहीं और इससे कितने लोगों को लाभ मिला है। मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक छोटा काश्तकार था, उसके पास 25 एकड़ जमीन थी उसने छूट मिलने के लिये दरख्वास्त दी। जितनी रकम उससे माँगी गई थी वह उसके देने से लाचार था। उसकी दरख्वास्त का नतीजा यह हुआ कि वह कानूनगो और रजिस्ट्रार के पास भटकता रहा। उसने तहसीलदार साहब को कहा कि जिस प्रकार औरों को छूट दी गई, हमको नहीं दी गई। उस दरख्वास्त पर उन्होंने आर्डर दिया कि जिस प्रकार औरों को छूट दी गई है इसको भी मिलना चाहिये। वह कागज रजिस्ट्रार कानूनगो के पास भेजे जाने के लिये कहा तो उसने कहा कि यह मेरे पास ही रहने दिया जाये, अगर वहाँ यह कागज चला जायेगा तो फिर मिलेगा नहीं और मेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वह काश्तकार कागज दिखाने के लिये मेरे पास लाया, मैंने उसकी नकल की। अध्यक्ष महोदय, जो उसका सन्देह था

वही हुआ। जैसे ही वह कागज रजिस्ट्रार कानूनगो की तरफ भेजा गया वह वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे पास उस कागज की अटेस्टेड कॉपी रखी हुई है। जब उनसे उस कागज के सम्बन्ध में कहा गया तो मालूम हुआ कि उस कागज का कोई पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कह रहा हूँ कि शासन को सचेत करना चाहिये। जो 25 परसेन्ट वसूली करते हैं वह सरकारी खजाने में आती है और बीच में तो उसे कोई नहीं खा जाता है, इसकी जाँच हुआ करे तो अच्छा है।

कल माननीय सरवटे साहब ने कागज की खरीद के प्रकरण का उल्लेख किया था। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मन्त्रीजी सचेत रहते हैं कि इस प्रकार की घटना उनके यहाँ न घटे। शासन जिस समय उत्तर दे उस समय हमको इस बात से अवगत कराये कि जिन महानुभाव ने जनवरी और जुलाई में कागज का आर्डर दिया था वह अथोराइज्ड एजेन्ट थे या नहीं। 100 टन का आर्डर दिया गया था, इतना कागज एक व्यक्ति कहाँ से खरीद सकेगा जिन्होंने कागज लिया वह एजेन्ट हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि यह अच्छी बात नहीं होगी। जनवरी में टेरिफ कमीशन द्वारा कागज का नया भाव 1 रुपये 2 न. पै. निर्धारित होने पर कागज 1 रुपये 16 न. पै. के हिसाब से क्यों खरीदा गया? 100 टन का जनवरी में आर्डर दिया गया था उस समय प्राइस के सम्बन्ध में प्रेस नोट निकल चुका था, उसको आधार मानकर उस प्राइस पर कागज दिया जाना चाहिये थे। प्रेस नोट को आधार क्यों नहीं माना गया? उस अधिकारी को मृत्यु का भय दिखाया गया। उससे कहा गया कि हम तुम्हें मरवा डालेंगे। इसके बावजूद टेन्डर के आधार पर 100 टन कागज कैसे दिया गया, इसका जवाब हम माननीय मंत्रीजी से जानना चाहेंगे जिससे हमें जो संदेह है वह न रहे।

श्री जगमोहनदास : वह कौन अधिकारी थे जिनको मारने का भय बताया गया था?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उनका नाम लेना उचित नहीं समझता। अगर मैं उनका नाम लूँगा और वह मृत्यु से बच जायेंगे तो वह किसी दूसरे झगड़े में पड़ जायेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/10 मार्च 1960, पृष्ठ - 2376-2378)

माँगों पर मतदान— माँग संख्या 26— विविध विभाग

राजा नरेशचन्द्र सिंह (जनजाति कल्याण मंत्री) : *उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च 1961 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या- 26 विविध विभाग के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,27,85,000 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख पचासी हजार) तक की राशि दी जावे।*

उपाध्यक्ष : *प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 31 मार्च 1961 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 विविध विभाग के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,27,85,000 (तीन करोड़ सत्ताइस लाख पचासी हजार) तक की राशि दी जावे। अब मैं इस माँग संख्या के संबंध में जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उन्हें सदन के समक्ष रखूँगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनके कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुए हैं, ऐसा माना जावेगा*

कटौती प्रस्ताव संख्या	**सदस्यों के नाम**
132	*श्री लक्ष्मी नारायण नायक*
134	*श्री अर्जुन सिंह*
135	*श्री शाकिर अली खाँ*
136	*श्री शाकिर अली खाँ*
140	*श्री श्रीरामचन्द्र अनन्त सरवटे*
141	*श्री श्रीरामचन्द्र अनन्त सरवटे*

के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। इन सब पर एक साथ चर्चा होगी।

श्री अर्जुनसिंह विधानसभा में सदा एक जागरूक सदस्य के रूप में उपस्थित रहे हैं। प्रत्येक क्षण की कार्रवाई पर उनकी निगाह रही है। वे सदस्यों की बातचीत को बड़े ही ध्यान से सुनते रहे हैं। सदन में उपस्थित होने से पहले वे पूरी तैयारी करते थे। उपरोक्त माँग पर उन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया और चर्चा के दौरान एक प्वाइन्ट ऑफ आर्डर उठाया जो उनके जाग्रत सदस्य होने का प्रमाण है।

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्वाइंट ऑफ आर्डर रेज़ करता हूँ। अभी माननीय सदस्य लेबर डिपार्टमेन्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे। लेबर डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत डिपार्टमेन्ट्स का उल्लेख किया गया है जैसे- ट्रायबल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर आदि आदि उसके साथ मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट्स का भी उल्लेख है जबकि दो-चार मंत्रियों के अधीन वे विभाग आते हैं। चूँकि माननीय मंत्री महोदय अपने विभाग के लिए ही उत्तरदायी हैं, अन्य के नहीं। ऐसी स्थिति में मिसलेनियस डिपार्टमेन्ट का हैड इसमें रखना कहाँ तक उचित है?

उपाध्यक्ष : यह किन नियमों के अंतर्गत नहीं होता?

श्री अर्जुनसिंह : नियम के अन्तर्गत नहीं बल्कि जो मिनिस्टर हैं वह अपनी डिमांड माँगेंगे तो वह केवल उसके लिए उत्तरदायी हैं। क्रिमिनल ट्राइब्स के लिए उत्तरदायी हैं।

उपाध्यक्ष : आपने हैडिंग नहीं देखा, वह मिसलेनियस है इसलिए उस पर चर्चा हो सकती है।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रॉयबल वेलफेयर डिपार्टमेण्ट के ऊपर आज चर्चा हो रही है। माननीय मन्त्री महोदय ने जो अनुदान माँगा है उसका समर्थन या विरोध का विषय उपस्थित नहीं होता लेकिन उनके विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर मैं समझता हूँ इस सदन को और इस प्रदेश की जनता को विशेष दिलचस्पी है और कारण स्पष्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इस प्रदेश में एक तिहाई से ज्यादा आदिवासी हरिजन लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ट्रॉयबल वेलफेयर डिपार्टमेण्ट के अन्तर्गत लाखों रुपये तथाकथित वेलफेयर वर्क के लिए खर्च किया जाता है। कुंआ बनवाया जाता है, स्कालरशिप दिये जाते हैं, ट्रॉयबल वेलफेयर आर्गेनाइजेशन्स को एड दी जाती है और इन सबका लक्ष्य एक ही है कि प्रदेश की सबसे अधिक पिछड़ी हुई पापूलेशन को किसी तरह आगे बढ़ाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, लगभग आठ-नौ साल से इस खर्च का कार्यक्रम चला है फिर भी आज भी हमारे सामने हमारे मुँह से, उन आदिवासी प्रतिनिधियों के द्वारा यदि यह बात कही जाती है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बारह साल बाद भी जहाँ हम पहले थे वहीं आज भी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस कन्साइन्स को, ईमानदारी को, शासन को विचार करना पड़ेगा, आखिरकार हमारा जो करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है उसका जो मुख्य तात्पर्य है वह कहाँ तक सिद्ध हो सका और क्यों नहीं हो सका। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तो लघुमति में यह आता है कि जो खर्च के लम्बे-चौड़े काम होते हैं वह केवल दिखाने के लिये होते हैं जिसमें आप यह चाहते हैं कि अपने बजट का इतना अंश ट्रॉयबल वेलफेयर और हरिजन आदिवासियों के लिये खर्च किया जाये, मैं समझता हूँ शासन इतना अनभिज्ञ तो नहीं है कि पिछड़ी हुई जातियों की इकॉनॉमिक स्थिति सुधारने के लिए योजनाबद्ध कार्य करते हैं, स्कालरशिप देते हैं, हर तरह की मदद देते हैं लेकिन जब तक उनको ऐसी मदद नहीं मिलेगी जिसके द्वारा वह अपनी इकॉनॉमिक स्थिति सुधार सकें, उन लोगों से छुटकारा दिला सकें जो सदियों से उनका शोषण करते आ रहे हैं तब तक वह सब व्यर्थ जायेगा और यही हालत रही जो आज है तो दस साल बाद भी स्थिति में कोई अन्तर आने वाला नहीं है। इन तमाम स्कीमों, प्लाण्ड स्कीमों में मैंने देखा कि सिवाय, कुंआ बनवाओ, स्कालरशिप दो; टी.बी. क्लिनिक खोलो, इन सब को छोड़कर एक भी स्कीम नहीं देखी जिससे अनुमान किया जा सके कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय जानते होंगे और ट्रॉयबल वेलफेयर विभाग के अधिकारी जानते होंगे कि ट्रॉयबल एरिया में सबसे बड़ी जो ट्रॉयबल पापुलेशन को दबाने वाले, सदियों से शोषण करने वाले वहाँ के बनिये होते हैं या जो कोई मनी लेण्डिंग करता है, कोई भी हो किसी जाति विशेष से मेरा मतलब नहीं है लेकिन जो मनी लेण्डिंग करते हैं या जो अधिक सम्पन्न होते हैं वही ऐसा करते हैं। क्या मैं शासन से पूछ सकता हूँ कि आपके बजट में कोई प्रॉवीजन है जिससे जो मनी लेण्डिंग करने वालों से शोषित होते हैं, उसके द्वारा उनको छुटकारा दिलाने का प्रयत्न किया गया हो। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि .....

(इसके पश्चात् 5 बजे सभा मंगलवार, दिनांक 22 मार्च 1960 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

कटौती प्रस्ताव :

134 श्री अर्जुनसिंह : *(ब.पृ. 590) : 47-विविध विभाग। च-1 (1) (5) सहायक अनुदान। रुपये 1 की कमी का प्रस्ताव करेंगे।*

श्री अर्जुनसिंह : *आदिवासी आश्रमों को खाद्य वस्तु पहुँचाने की दोषपूर्ण प्रणाली के कारण ग्राम चाँफल, जिला-सीधी के आदिवासी आश्रम को 1 जनवरी 1960 से 15 जनवरी के बीच प्रदाय का अभाव हो गया जिसके फलस्वरूप आश्रमवासियों के लिए प्रायः भूखों मरने का प्रसंग उपस्थित हुआ। उसकी ओर विभाग का ध्यान आकर्षित करने हेतु।- (हिन्दी अनुवाद)*

सामन्तशाही के बारे में तारांकित प्रश्न —

31. (☆No 4097) SHRI ARJUN SINGH : (a) Will the Hon'ble Revenue Minister inform the House if it is a fact that the farm lands owned by the late Nawab of Bhopal in Chiklaud, etc., are outside the purview of the M.P. Land Revenue Code? (b) Has any such exemption been given to him in the convenant or by some special Government order? (c) Does the State realise any land revenue for these lands and what is the amount yearly?

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि चिखलौद आदि में भोपाल के भूतपूर्व नवाब के स्वामित्व की खेत भूमि मध्यप्रदेश भूमि-राजस्व संहिता के क्षेत्र के बाहर है? (ख) क्या उन्हें ऐसी कोई मुक्ति प्रसंविदा में दी गई है या शासन के किसी विशेष आदेश द्वारा? (ग) क्या राज्य इन भूमियों के लिये कोई भूमि राजस्व वसूल करता है और वार्षिक राशि क्या है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : (क) तथा (ख) मध्यप्रदेश लैन्ड रेवेन्यू कोड के अन्तर्गत एक्जेम्प्ट करने का कोई उपबंध नहीं है। परन्तु इन्ट्रीग्रेशन में नवाब भोपाल के विषय में निम्न प्रकार की शर्तें हैं :-

"The provisions of the laws and rules relating to revenue, forest and Jagirdari abolition do not and shall not apply to His Highness's personal property.

"राजस्व, वन और जागीरदारी समाप्ति से संबंधित विधियों और नियमों के उपबंध नवाब साहब की निजी संपत्ति पर न लागू होते हैं, न लागू होंगे।"

(ग) नहीं।

37. (☆No. 4178) SHRI ARJUN SINGH : (a) Will the Hon'ble Revenue Minister be pleased to state whether any Ruling Chief of the erstwhile States in Bhopal Division is exempted from the operations of the M.P. Land Revenue Code? (b) If so, under what law or order has this exemption been given?

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या राजस्व मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भोपाल संभाग के भूतपूर्व राज्यों के किसी नरेश को मध्यप्रदेश भूमि राजस्व संहिता के प्रवर्त्तन से मुक्त किया गया है? (ख) यदि हाँ, तो यह मुक्ति किस विधि या आदेश के अधीन दी गई है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : (क) और (ख) मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड बिल के अन्तर्गत किसी भी राजा को exempt नहीं किया गया है। Integration agreement के अनुसार भी किसी राजा के लिये ऐसा कोई उपबंध नहीं है। केवल भोपाल के नवाब के विषय में Integration agreement के संबंध में निम्न प्रकार उपबंध हैं :-

"The provisions of the laws and rules relating to revenue, forests and Jagirdari abolition do not and shall not apply to His Highness's personal property."

("राजस्व, वन और जागीरदारी समाप्ति से सम्बन्धित विधियों और नियमों के उपबंध नवाब साहब की निजी

संपत्ति को न लागू होते हैं न लागू होंगे।")

संपूर्ण प्रश्न शासन के विचाराधीन है और इस विषय में शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

(विधानसभा कार्रवाई/22 मार्च 1960, पृष्ठ-2724-2725)

श्री होमी एफ. दाजी (पूर्वी इन्दौर शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 127-क के अधीन श्रम मंत्री महोदय का ध्यान निम्नलिखित सार्वजनिक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर आकर्षित करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वे इस पर अपना वक्तव्य देने का कष्ट करें -

माँगों पर मतदान-माँग संख्या 26 पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल ट्रॉयबल एरियाज की उन चीजों का जिक्र कर रहा था जिनके द्वारा ट्रॉयबल एरियाज के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया जाये। 3 करोड़ रुपया उनकी उन्नति के लिये रखा गया है। किन्तु ऐसी कोई स्कीम उनके लिये नहीं रखी गई है जिससे ट्रॉयबल एरियाज की स्थिति सुधर सके। पहले इन्ट्रीग्रेशन ऑफ लॉज हुआ और यूजोरिअस लोन्स एक्ट इन्ट्रीग्रेशन ऑफ लॉज द्वारा समस्त प्रदेश में लागू किया गया। अब वह समस्त राज्यों में लागू कर दिया गया है। मैं यह कहूँगा कि माननीय मन्त्री महोदय इस तरह की प्रणाली बनायें, जिसके द्वारा ट्रॉयबल एरियाज को रिटर्न किया जाये और रिटर्न मँगाया जाये कि कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। अध्यक्ष महोदय, यूजोरिअस लोन्स का खास सम्बन्ध ट्रॉयबल एरियाज से है। उनके पास कोई चारा नहीं रहता है और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकिचाहट होती है। इसका कारण यह है कि उन्हीं लोगों के द्वारा हमारे लोग वोट प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट बात है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन उनके हित को दृष्टि में रखना आवश्यक है इसलिये उनके ऊपर सख्त निगरानी शासन की होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अगर शासन ट्रॉयबल एरियाज में जीवन निर्वाह की जो मुख्य चीजें हैं जैसे नमक है, तेल है, कपड़ा है इन सब चीजों को उपलब्ध कराने के लिये ऐसी प्रणाली अपनाये जिससे रोजगार करने वाले लोग अधिक लाभ न उठा सकें। होता यह है कि नमक जो अत्यन्त आवश्यक चीज है, जो हम एक आने दो पैसे सेर में लेते हैं उसी चीज को ट्रॉयबल एरियाज में 1-1/2 रुपये सेर तक लेना पड़ता है। अगर नमक के लिये इस तरह की लूटमार की जा सकती है तो बड़ी चीजें कैसे उनके लिये उपलब्ध हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ रुपया निकालकर जहाँ-जहाँ ट्रॉयबल एरियाज हैं, उसके अन्दर जो पंचायतें हैं, उसके अन्दर आप एक को-ऑपरेटिव स्टोर खुलवायें, वे गवर्नमेंट से लोन लेकर इन जरूरियात की चीजों को वहाँ रखें और वह चीजें उनको सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जा सकें तो अति उत्तम होगा। अगर आप ऐसा कर दें तो उन व्यापारियों को आप अनुचित लाभ लेने के लिये रास्ता बन्द कर देंगे। मैं आशा करता हूँ कि अगर शासन अपने आदिवासी भाइयों के लिये चिन्तित है, तो यह ठोस कदम उठाने के लिये हिचकिचाएगा नहीं। जहाँ-जहाँ आश्रम रखे गये हैं, वह बहुत अच्छी चीज है और उसके लिये कोई मतभेद नहीं हो सकता किन्तु आश्रमों को चलाने के लिये इतनी फाल्टी मशीनरी है कि वे मनमानी करते हैं। सीधी जिले में चॉपाल एक ग्राम है वहाँ एक आदिवासी आश्रम चलाया जाता है, वह बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ व्हिजिटर्स बुक है, उसमें माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने भी अपने दौरे के समय कुछ शब्द लिखे हैं। उस आश्रम में 4 साल से 15-16 साल तक के बच्चे रहते हैं। मैं चाहतां हूँ कि वहाँ उन बच्चों को और चीजें मिलें या न मिलें लेकिन उनको दिन में चार रोटी मिलना अत्यन्त आवश्यक है। जिसे आदिवासी विभाग चलाये, उस आश्रम के बच्चों को दोनों वक्त का खाना मुश्किल हो जाये तो इससे बढ़कर शर्म की क्या बात हो सकती है? बहुत पुरानी बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, इसी वर्ष जनवरी 1 से 16 तारीख तक उस आश्रम के बच्चों को खाने के लिये कोई सामान नहीं था। उसका नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिन तक वहाँ के व्यवस्थापक ने जो बच्चों से चने चबवाये और जब उससे भी काम न चला, तो बच्चों से कह दिया गया कि तुम लोग अपने-अपने घर जाओ सीधी जिले के अधिकारी खाना उपलब्ध करायेंगे तो हम तुम लोगों को

बुला लेंगे। इत्तफाक की बात, मैं स्वयं 14 तारीख को उधर से निकला और आश्रम को देखने गया। वहाँ मुझे इन सब बातों की जानकारी मिली। मैंने वहाँ के जिलाध्यक्ष से जाकर कहा और तीन-चार दिन बाद वहाँ के बच्चों को खाना उपलब्ध कराया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ, हर वक्त ऐसा नहीं होता, फिर भी यदि एक वक्त भी ऐसा हो जाता है तो वह चिन्ता का विषय तो हो जाता है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी एरिया में जरूरियात की चीजों को सप्लाई करने के लिये ऐसा नियम बनायें और उसका पालन इस ढंग से करायें, जिससे कि महीने, दो महीने का सरप्लस खाना उनके पास रहे और इस तरह बच्चों को भूखा न मरना पड़े। अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि सोशल वेलफेयर, यद्यपि इसका सम्बन्ध इससे नहीं है, फिर भी सोशल वेलफेयर और ट्रॉयबल वेलफेयर के लिए हमारे देश में एक बहुत ही अच्छी पब्लिक ओपीनियन तैयार है और उस चीज को आगे बढ़ाने के लिये इस देश का, प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उत्सुक है इसलिए यह और जरूरी हो जाता है, इस विभाग के लिए जितनी रकम रखी जाये उसका दुरुपयोग न हो और उसके लिए यह भी आवश्यक है कि जो भी मन्त्री महोदय हमारे इस विभाग के हैं उनको और विभागों की तुलना में अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि माननीय मन्त्री और उपमन्त्री महोदय इस बड़े भू-भाग में हर व्यक्ति को अपना दर्शन दे आयें। वैसे तो मन्त्रियों के आगमन से अधिकारियों को चिन्ता हो जाती है लेकिन वहाँ पहुँचने से वहाँ की जनता को फर्स्ट हैण्ड कुछ कहने का मौका मिल जाता है। मैं नहीं जानता कि इस विभाग के मन्त्री और उपमन्त्री कितनी बार वहाँ पहुँचे, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि यह काम अब पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका समय समाप्त हो गया।

(विधानसभा कार्रवाई- 22 मार्च 1960, पृष्ठ-2739-2741)

मुख्यमन्त्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने माँग संख्या 7 गाड़ियों पर कर 9,26,800 रुपये, माँग संख्या 12 राजाध्यक्ष, मंत्रीगण तथा सचिवालय आदि 1,22,22,000, माँग संख्या 17 पुलिस 6,44,95,000, माँग संख्या 22 कृषि 2,59,48,000, माँग संख्या 23 पशुपालन 1,55,32,300, माँग संख्या 29 प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशन 5,75,000, माँग संख्या 30 भारतीय राजाओं के निजी व्यय तथा भत्ते 13,74,000, अनुदान संख्या 35 सामुदायिक विकास परियोजनाएँ, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास कार्य 4,49,90,000 तथा अनुदान संख्या 41 कृषि योजनाओं पर पूँजी की लागत 69,30,000 रुपयों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्तुत माँगों पर श्री अर्जुनसिंह ने चर्चा की—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन विभागों की माँगों पर आज चर्चा हो रही है, उनमें से दो विभाग ऐसे हैं कि जिनका संबंध सम्पूर्ण शासन से है और इसलिये अध्यक्ष महोदय, इन विभागों पर चर्चा का विशेष महत्व है।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहता हूँ कि मैं प्रत्येक माननीय सदस्य को दस-पन्द्रह मिनट के भीतर ही समय दूँगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम कृषि विभाग के बारे में ही दो-तीन बातें कहना चाहूँगा। जैसे कि अभी माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में बताया कि कृषि पर हम जितना रुपया खर्च कर रहे हैं उसके अनुपात से प्रदेश या देश में कम आय हो रही है और इससे शासन को संतोष है। केवल इतना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह भी आवश्यक है कि यहाँ के प्रतिनिधियों को, इस प्रदेश की जनता को इस बात से संतोष होना चाहिये कि जितना रुपया विधानसभा द्वारा खाद्य और कृषि विभाग के लिये मंजूर किया जाता है, उसका उपयोग होता है चाहे उससे हमें कोई लाभ होता है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, संतोष की आवश्यकता इसलिये भी है क्योंकि खेतों में जो हम लोग देखते हैं, कृषि विभाग के कार्यकलाप को देखते हैं तो उससे ऐसा संतोष होना हमें सम्भव नहीं हो रहा है। उसके कारण स्पष्ट हैं। खेतिहर एक ऐसा शब्द है जिस पर गम्भीरता से विचार करने का प्रश्न उठता है, लेकिन हमारे यहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट शासन के एक अंग के रूप में काम

करता है और उसकी कार्यप्रणाली है जिससे हमारे प्रदेश के खेतिहरों को उस विभाग के कार्यक्रम में, उस विभाग द्वारा चलाई गई स्कीम्स में अपने हित की कोई बात नहीं दिखती। उसका नतीजा स्पष्ट है। आप खाद भेजते हैं, लोग उसको नहीं लेते हैं, बीज भेजते हैं, किसान उसको नहीं लेते हैं। हो सकता है एक वर्ष कुछ सड़ा बीज दे दिया हो जिस कारण दूसरे वर्ष से किसान आपका बीज नहीं लेते हैं। लेकिन एक साल सड़ा बीज लोगों के पास पहुँचा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा पहुँचा लेकिन उसकी कोई जाँच नहीं की गई। तो स्वाभाविक है खेतिहर उससे भड़कें। इसके अलावा आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की स्थापना की गई। मैं माननीय उप कृषि मन्त्री को बधाई देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने इसकी स्थापना करने में काफी दिलचस्पी ली है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ पर भी कहना पड़ता है कि जिस उद्देश्य से उस कार्पोरेशन की स्थापना हुई उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसको बालाये ताक रख दिया है। कार्पोरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं कि खेतिहरों को अनाज की अच्छी कीमत मिले, इसका उचित प्रबन्ध किया जाये।

श्री श्यामसुन्दर नारायण मुशरान (कृषि उपमंत्री) :मैं माननीय सदस्य को ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इससे को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट का सम्बन्ध है। जब को-ऑपरेटिव डिपार्टमेंट की माँग हो, उस वक्त चर्चा करें तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री अर्जुनसिंह : इसका सीधा सम्बन्ध एग्रीकल्चर से आता है।

अध्यक्ष :मंत्रीजी ने कहा, को-ऑपरेशन के भीतर यह आता है, उस समय आप बोलें।

श्री अर्जुनसिंह :अगर मन्त्री महोदय चाहते हैं तो मैं कुछ न कहूँगा। जहाँ तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है, मैं मुख्यमंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करने का मेरा विशेष तात्पर्य है। समय-समय पर जब उनसे इस विधानसभा में और विधानसभा के बाहर इस बात की शिकायत की जाती है कि सर्विसेज के इन्ट्रीग्रेशन में या सर्विसेज को चलाने के लिये शासन के अन्य डिपार्टमेंटों में रीजनलिज्म का बहुत बोलवाला है उस समय मुख्यमंत्री जी एक सेंसीटिव आदमी के नाते कहते हैं, मेरा दिल इससे भरा हुआ है, इसके बारे में कुछ न कहें। उनकी सद्भावना को मैं जानता हूँ और त्रिश्वास करता हूँ कि उनका दिल भरा हुआ है लेकिन जिस बात को सुनकर उनका दिल भर जाता है, जो लोग उसके शिकार होते हैं उनका दिल कितना भर जाता होगा। ऐसी समस्या के ऊपर केवल यह कहना कि हमारा दिल भरा हुआ है, इसके ऊपर चर्चा मत करिये और कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक है यह एक ऐसी मनोवृत्ति का द्योतक है जो एक मुख्यमन्त्री के अन्दर नहीं होनी चाहिये, क्योंकि बुराइयाँ हैं इस बात का भान आपको करायें और आप ऐसा जवाब दें तो या तो उससे अनभिज्ञ हैं या उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। यह चीजें चल रही हैं और आपके नीचे काम करने वालों के बीच में रोज ऐसी बातें होती रहती हैं जिनमें रीजनलिज्म के अलावा कोई काम नहीं होता है। उदाहरण दिये जा सकते हैं, उसमें कठिनाई नहीं है मुख्यमन्त्री को उदाहरण दिये जा सकते हैं लेकिन शक इस बात का होता है, एक अंदेशा रहता है कि जिस बात का उदाहरण देंगे उससे जितना नुकसान सम्बन्धित व्यक्ति को अभी नहीं है उससे दुगना नुकसान मुख्यमन्त्री जी के कानों में पहुँच जाने पर होगा इसलिये उदाहरण देने में डरते हैं लेकिन मैं आशा करूँगा कि यदि इस प्रदेश की सर्विसेज के इन्ट्रीग्रेशन के बारे में सतर्क हैं तो इसका ध्यान रखेंगे कि इन्ट्रीग्रेशन के मामले में और शासन की रोज की कार्यप्रणाली में इस प्रकार की जहाँ भी शिकायत आयेगी तो इस बात को कहकर न टाल देंगे कि हम इसको सुनना नहीं चाहते। मैं मुख्यमन्त्री जी का ध्यान विशेष प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूँ और वह इसलिए कि वह प्रकरण कम से कम मेरी जानकारी में एक बहुत ही अद्भुत और अपने तरीके का पहला प्रकरण है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मुझे कोई विशेष खोजबीन नहीं करनी पड़ी। दो-तीन दिन पहले विधानसभा में जो Appropriation Accounts की रिपोर्ट सन् 1960 की प्रस्तुत की गई उसका पृष्ठ 22 अवलोकन करने से वह चीज मुझे मिल गई। चूँकि इस चीज का सम्बन्ध एक ऐसे मंत्री से है जो पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में था और चूँकि यह डिप्टी मिनिस्टर का सवाल है इसलिये जी.ए.डी. में आ जाता है और इसलिये मैं इसको आपकी अनुमति से पढ़ देना चाहता हूँ—

'27. **Unrecovered Advances from a Deputy Minister.**— In January 1954, the President of the Indian Conference of Social Work requested the former Government of Madhya Pradesh to sponsor at least one delegate to the International Conference of Social Works to be held at Toronto in June 1954. The Government initially decided in February 1954 to send only a Minister as a delegate to the Conference, but in April 1954, they decided to depute as a second delegate a Deputy Minister also who was prepared himslef to bear half the expenditure actually incurred. In May 1954, the Director of Social Welfare was deputed in addition as a third delegate (at the request of the Minister). The deputation expenses on the three delegates aggregated Rs. 30,608.

While the estimated tour expenditure per delegate was only Rs. 7,500, the Deputy Minister, who had agreed to bear half the cost, was granted advances aggregating Rs. 16,550 during the period April 1954, Although the Government had sanctioned in June 1957 only a sum of Rs. 4,991 (being 50% of the actual charges incurred by him in connection with the deputation) the balance of Rs. 11,559 has not yet been refunded by the Deputy Minister. The matter was brought to the notice of Government in August 1955 but it is reported to be still under their consideration (July 1959)''

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी के पास 25 रुपये की अमानत भी रह जाती है तो वह इतना जघन्य अपराध माना जावेगा कि उसका सस्पेंशन होगा और उसकी इन्क्वायरी होगी तथा उसकी शामत आ जावेगी। मैं नहीं जानता कि वे उपमन्त्री कौन थे और वे अब कहाँ हैं। मेरा लक्ष्य किसी विशेष आदमी से नहीं है, एक सिद्धांत से है कि अगर मंत्रिमण्डल के सदस्यों के लिये इस तरह की छूट दी जावेगी कि उनके पास छः-सात बरस तक गवर्नमेन्ट के 11 हजार रुपये एडवांस के रूप में पड़े रहें और उनकी वसूली के लिये शासन एक भी कदम नहीं उठाये तो मुख्य मन्त्रीजी कैसे अपेक्षा करते हैं कि माननीय सदस्यों से और सर्विसेज से कि वे लोग ईमानदारी में अपने आपको रखें। मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मंत्री दो चीजों की जानकारी करेंगे एक तो यह कि क्या कारण था कि उन उपमन्त्री महोदय से आज तक यह रकम वसूल नहीं की गई और दूसरा यह कि यह सन् 1954-55 का सवाल है और सन् 1960 की ऑडिट रिपोर्ट में इसका जिक्र आया है। ऑडिट डिपार्टमेन्ट हर साल अकाउन्ट ऑडिट करता है, सन् 1954-55 का 1955-56 में हुआ होगा फिर 1956-57 में हुआ होगा, फिर 1957-58 में हुआ होगा, 1958-59 में हुआ होगा और फिर 1959-60 में हुआ। लेकिन यह जिक्र 1958-59 में हुआ, इसका क्या कारण है। कहीं यह बात तो नहीं है कि यह एक डिप्टी मिनिस्टर का केस था इसलिये ऑडिट से भी इसको छिपाया गया हो। इसकी जानकारी मुख्य मन्त्रीजी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं मुख्यमन्त्री महोदय के कान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि हमारे जिलों में जो बहुत लम्बी रकमें आप पंचायतों को या अन्य नॉन-ऑफीशियल बॉडीज को देते हैं उनके अकाउंट्स की जाँच के बारे में बहुत समस्यायें खड़ी होती हैं। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूँगा कि जहाँ कहीं भी शासकीय धनराशि किसी भी नॉन-ऑफीशियल बॉडी को, चाहे वह पंचायत की ही आर्गेनाइजेशन हो, दी जावे तो उसके अकाउंटिंग के बारे में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिये, क्योंकि आये दिन हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर हजारों, लाखों रुपये का गबन और मिसयूज कर रहे हैं, न जाने किस डर से वहाँ के अधिकारी डर रहे हैं। वहाँ के अधिकारियों को डर रहता है और निगरानी होना चाहिये, नहीं होती है। माननीय अध्यक्ष, सीधी जिले में एक पंचायत है.....

अध्यक्ष : यह इस डिमांड में कैसे आ सकता है?

श्री अर्जुनसिंह : इसलिये आयेगा कि वहाँ के कलेक्टर ने जाँच नहीं की और अंत में वह ठप्प हो गई। अगर कर्मचारी निगरानी नहीं कर सकते तो जब शिकायत हो तब तत्काल ही कार्यवाही की जावे, यह मेरे कहने का आशय था। अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ वह यह है, जैसा कि सदन में बार-बार कहा गया है, कि जब-जब प्रदेश के हित का प्रश्न आता है, चाहे वह इर्रीगेशन का हो, पॉवर का हो, उसमें जो दृढ़ता प्रदेश के

हित के लिये होना चाहिये वह नहीं होती है। यह कहते हुए मुझे अच्छा प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी से कहने का समय मैंने ढूँढ़ा क्योंकि मन्त्रियों का कार्य सीमित है और उनको काम्पलीकेशन भी हैं वह बोल नहीं सकते लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री जी का सवाल आता है, अगर उन्होंने टाल-टूल की तो इस प्रान्त के हित को कौन देखेगा। प्रान्त की जनता की और इस सदन की यह भावना बन गई है कि मन्त्रीगण और मन्त्रिमंडल प्रान्त के हित के कार्यों में विशेष दिलचस्पी नहीं लेते हैं, यह अच्छी भावना नहीं है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्जुनसिंह जी से पूछना चाहूँगा कि चाहे सब के मन में यह भावना हो लेकिन उनके मन में तो यह भावना नहीं है, क्या उनके मन में यह भावना है?

श्री अर्जुनसिंह : अगर मेरे दिल में ऐसी भावना न होती तो मैं बार-बार सदन का समय न लेता। चाहे वह कोई भी काम हो, चाहे बेलाडीला का हो, चाहे रिहन्द बाँध का हो मुख्यमंत्री जी को दृढ़ता से काम लेना चाहिये जिससे प्रान्त का हित हो सके और जो उद्देश्य उनके यहाँ आने का है वह पूरा हो सके।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 मार्च 1960, पृष्ठ- 2845- 2848)

एक अल्पावधि प्रश्न —

श्री अर्जुनसिंह : (क) क्या राज्य शासन को कच्चे लोहे का प्रदाय बढ़ाने की संभावनाओं की खोज करने के लिये जापानी मिशन के आगमन की जानकारी है? (ख) क्या राज्य शासन, बेलाडीला कच्चे लोहे की खानों के इस हक पर जोर देने का प्रयास कर रहा है कि वे जापान को प्रदाय करने के हेतु समुपयोजन के लिये हाथ में लिये जायें? (ग) क्या राज्य शासन ने दिल्ली में जापानी दल या अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ सम्पर्क स्थापित किया है?

श्री नारायणसिंह जयवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि कोरम नहीं है।

अध्यक्ष : मैं कोरम के अभाव में 10 मिनिट के लिये सभा का कार्य स्थगित करता हूँ।

(कोरम पूरा होने के बाद कार्यवाही पुनः चालू हुई।)

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर इस प्रकार है :—

(क) हाँ। (ख) हाँ। (ग) केन्द्रीय सरकार से संपर्क स्थापित किया गया है।

श्री अर्जुनसिंह : इस सम्बन्ध में क्या फायनेन्शियल एग्रीमेंट जापानी मिशन व गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया से हो गया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : इस एग्रीमेंट के मुताबिक राज्य शासन की वार्षिक आय कितनी होने की सम्भावना है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : इसका अन्दाज अभी नहीं बतलाया जा सकता है। यह तो बाद में राज्य शासन को केन्द्रीय शासन से बात करनी होगी तब बतलाया जा सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : जब यह नेगोशियेशन चला था तो क्या उस समय राज्य शासन का कोई प्रतिनिधि उसमें शामिल नहीं किया गया?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : इस तरह की कोई भी माँग नहीं की गई थी कि जापानी मिशन से जब समझौता हो तो उसमें हमारा प्रतिनिधि भी शामिल हो। इसकी कोई माँग नहीं की थी क्योंकि यह विषय बिलकुल केन्द्रीय सरकार का है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : जापानी मिशन से समझौते के पहले केन्द्रीय सरकार ने मध्यप्रदेश शासन से इस बात के बारे में कुछ सलाह-मशविरा किया था?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : नहीं। उन्होंने यह लिखा था कि जिस समय केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझेगी उस समय इस पर बातचीत करेगी।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : चूँकि अब जापान से समझौता हो गया है तो क्या हमारी मध्यप्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से यह आश्वासन पाने का प्रयत्न करेगी कि बेलाडीला आयरन और माइनिंग का वर्किंग मध्यप्रदेश सरकार या उसके किसी कार्पोरेशन द्वारा कराया जाये?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह आयरन जापान को सन् 1966 के जून मास से जाना शुरू होगा। उसके पहले

मुझे आशा है कि हम केन्द्रीय सरकार से बात करके कुछ तय कर सकेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या इस संबंध में प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से बातचीत करने के सम्बन्ध में कोई मसविदा बना चुकी है कि किन-किन प्वाइंट्स को लेकर बातचीत करनी है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अभी तक तो कोई निश्चित मसविदा नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या राज्य सरकार यह कोशिश करेगी कि इसकी वर्किंग मध्यप्रदेश शासन के जरिये ही हो?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह आर्थिक दृष्टि से सम्भव नहीं है कि यह पूरा काम मध्यप्रदेश शासन उठा सके और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो भारत सरकार का है उसके मुताबिक लोहे का कुल काम केन्द्रीय सरकार द्वारा ही तमाम प्रान्त का होता है। मुख्य काम तो वही करेंगे, सिर्फ प्रश्न यह है कि हमारा क्या सम्बन्ध रहेगा, क्या हिस्सा होगा, यह सब आपस के नेगोशियेशन्स से तय होना है।

श्री अर्जुनसिंह : इस एग्रीमेन्ट की कॉपी शासन को प्राप्त हो गई है या नहीं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : एग्रीमेन्ट तो नहीं मिला है उसके सरटेन प्वाइंट्स लिख कर भेजे हैं।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : अभी मन्त्री महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण नीति-विषयक उत्तर दिया है। उसके सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो हमारे नैसर्गिक साधन हैं इसके एक्सप्लायटेशन का हक कांस्टीट्यूशन के हिसाब से जब मध्यप्रदेश सरकार को है तो फिर किस प्रकार केन्द्रीय सरकार उसकी वर्किंग माइनिंग वगैरह करती है, क्योंकि भिलाई और कोरबा में भी जिस वक्त लीजेज दी गईं तो मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी गईं और जो हमारा कांस्टीट्यूशन है उसके अनुसार नैसर्गिक साधन का जो विकास या एक्सप्लायटेशन है उसको करने का अधिकार केवल स्टेट गवर्नमेन्ट्स को है। तो इस लाइट में हम जानना चाहेंगे कि जब यह केन्द्रीय सरकार का इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन है तो क्या केन्द्रीय सरकार इसको करेगी और स्टेट गवर्नमेन्ट नहीं करेगी, इस प्रकार का कोई निर्णय लिया गया है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : लीज तो राज्य शासन से दी जाती है लेकिन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है उसके मुताबिक लोहे का कुल एक्सप्लायटेशन पब्लिक सेक्टर से होता है वह सेन्ट्रल सेक्टर में रखा गया है। तीन तरह के सेक्टर हैं, सेन्ट्रल सेक्टर का काम केन्द्रीय सरकार करती है, वह दूसरे को हिस्सेदार बनावे या न बनावे, नीति का प्रश्न है, दूसरा स्टेट सेक्टर जिसमें राज्य शासन काम करता है और कुछ चीजों में प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। लोहे का जो मसला है वह सेन्ट्रल सेक्टर में आता है। लीज जो होती है तो वह राज्य शासन से होती है क्योंकि वह मध्यप्रदेश के भीतर है लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक्सप्लायटेशन का काम सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : राज्य शासन इसके एक्सप्लायटेशन में जो कुछ हिस्सा ले, इस संबंध में क्या केन्द्रीय सरकार से कोई एग्रीमेन्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमको अधिक से अधिक लाभ मिल सके?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह जरूर कोशिश की जाती है कि अगर काम हो रहा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : एक पार्टनर के तौर पर आगे भी लाभ ले सकें, ऐसी भी कोशिश है क्या?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, पार्टनर बनना पैसे के ऊपर आधारित है। अगर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम उसमें कुछ हिस्सा ले सकें तब तो ठीक है। अगर पैसा पास में नहीं है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है कि वह पार्टनर बनाये या नहीं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : पार्टनर बनने के बारे में क्या आपने तय किया है कि इतने के पार्टनर होंगे?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : मामला 1966 से शुरू होगा, उससे पहले बातचीत करके कुछ निर्णय करेंगे और यह जरूर हमारा कदम होगा कि उसमें कुछ हमें हिस्सा मिले।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि उसके लिए इस बात का प्रयत्न किया या लिखा-पढ़ी की या भविष्य में करेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा पूरी तरह से वहाँ एक्सप्लायटेशन और माइनिंग का काम किया जावे?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, अभी इस बात पर विचार नहीं किया और संभव है या नहीं, यह केन्द्रीय शासन से बात करने पर तय हो सकेगा, लेकिन अनुमान है कि एक्सप्लायटेशन केन्द्रीय शासन से होगा और राज्य शासन का उसमें हिस्सा होगा।

श्री काशीराम तिवारी : इस बेलाडीला की कार्यवाही शुरू होने के समय बस्तर जिले में रहने वाले आदिवासियों को और वहाँ के जो मध्यप्रदेश के फारेस्ट आदि हैं उसके नैसर्गिक विकास में कोई अड़चन उस बेलाडीला के केन्द्र के द्वारा किए जाने में तो नहीं आयेगी?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह जो बेलाडीला का नैसर्गिक विकास हो रहा है इससे अड़चन नहीं पड़ेगी, मदद मिलेगी।

श्री काशीराम तिवारी : जब उसके लिए रेल्वे लाइन और अन्य कार्यवाही शुरू होगी उस वक्त वहाँ के निवासियों के जो मूलभूत अधिकार हैं या जीवन की सुविधाओं में उनको लाभ पहुँचे, क्या इस दृष्टि से कुछ बातचीत वनमंत्री महोदय इस सरकार की ओर से करना चाहेंगे?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल :अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारा तो नहीं है। लेकिन जब उस एरिया का विकास होगा तो मूलभूत जो उनके अधिकार हैं वह और मजबूत होंगे, संपन्न होंगे क्योंकि 309 मील की रेल्वे लाइन निकलेगी जिसमें 55 करोड़ रुपया लगेगा, आखिर वहीं के लोगों को लाभ मिलेगा, उन्हें सहायता मिलेगी।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : क्या राज्य शासन इस बात को ध्यान में रखेगा कि केन्द्रीय सरकार को बेलाडीला के एक्सप्लायटेशन के लिये जो भी पूंजी जापानीज मिशन के एग्रीमेंट की वजह से मिलेगी वह केवल इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे पास बेलाडीला सदृश इतना बड़ा भंडार है। केवल इस कारण जापानीज मिशन द्वारा इतनी बड़ी धनराशि दी जा रही है तो फिर उस धनराशि का उपयोग हमारी प्रांतीय सरकार करना चाहे और एक्सप्लायटेशन करना चाहे तो पूंजी की कमी किस प्रकार पड़ सकती है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, यह तो हायपोथेटिकल प्रश्न है। मैंने निवेदन कर दिया कि जब केन्द्र शासन से ऐसी बातचीत होगी तब इन सब बातों का ख्याल रखा जावेगा। सफलता कहाँ तक मिलेगी, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, चूँकि उन्होंने बताया कि सेलिएन्ट फीचर्स राज्य सरकार को बताये गए हैं, तो क्या उनमें से कुछ सदन को बताने की कृपा करेंगे?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : सेलिएन्ट फीचर्स यही हैं कि 1966 के जून से आयरन ओर लिया जायेगा, रेलगाड़ी बनेगी तो बेलाडीला से विशाखापटनम तक जावेगी, 309 मील लम्बी होगी, क्या कीमत लेंगे यह तय नहीं हुआ। तीसरा सेलिएन्ट फीचर यह है कि एग्रीमेंट मार्च में किया गया है और दोनों पार्टीज के दस्तखत हुए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि इन्डस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के मुताबिक यह पब्लिक सेक्टर में है। संविधान के मुताबिक माइन्स एन्ड नेचुरल रिसोर्सेज किसी भी पॉलिसी रेजोल्यूशन के द्वारा संविधान का क्या संशोधन माना जा सकता है कि इस हद तक राज्य शासन की चेष्टा भी न करे कि यह पब्लिक सेक्टर में है, कह देने के कारण धन की अधिक जरूरत पड़ेगी इसलिये राज्य शासन असमर्थ है। क्या राज्य शासन केन्द्रीय सरकार को कह भी नहीं सकता कि हम चाहते हैं। हम खुद स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन बनाने जा रहे हैं इसलिये उसके द्वारा ही स्थान का एक्सप्लायटेशन किया जाये?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : हम कहने में डरते थोड़े ही हैं, लेकिन हमें इसके औचित्य के बारे में सोचना पड़ता है। जहाँ तक जो चीज उचित होगी वहाँ तक उसे कहेंगे। अभी मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन बना नहीं है। उनका बन चुका है।

श्री अर्जुनसिंह : आप तो 4 साल से सोच रहे हैं?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : जो काम सोच करके देर से करते हैं वह काम अच्छा होता है। लेकिन यह बात नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में काम करने से राज्य शासन को उससे वंचित कर दिया जाये। पब्लिक सेक्टर का मतलब यही है कि इनिशियेट तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट करे और हम उसमें कहाँ तक भाग लेंगे, यह तो उनसे बातचीत करने पर ही तय होगा।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : माननीय अध्यक्ष, श्यामाचरण जी ने जो एक बात कही है उसके सम्बन्ध में मैं यह उनसे जानना चाहूँगा कि क्या जापान गवर्नमेंट ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को बेलाडीला के लिये कोई खास रकम दी है? साथ ही जो जापानी पूँजी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी वह स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलेगी, यह मैं स्पेसिफिकली जानना चाहता हूँ?

श्री अर्जुनसिंह : यह जानकारी तो हम चाहेंगे मंत्री जी से?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : जापान गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार को कोई आर्थिक सहायता दी है इसकी कोई

जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : इस सम्बन्ध में जो समाचार-पत्रों में तथ्य प्रकाशित हुए हैं उससे यह स्पष्ट है कि बेलाडीला के विकास के लिए जितनी भी रकम पूँजी और लगेगी उसको जापान सरकार ही लगायेगी। जो उसका कंसरटोरियम है उसके द्वारा वह धनराशि लगाई जायेगी जिससे रेल्वे लाइन का सर्वे किया जाये, रेलवे लाइन बनाई जाये। माइनिंग मशीनरी खरीदी जा सके और काम चल सके, उसके लिये वह एडवांस देगी। आप यहाँ से आयरन ओर निर्यात करने वाले हैं, यह बात बिलकुल स्पष्ट है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : फारेन गवर्नमेन्ट जब आर्थिक सहायता देती है तब तो वह केन्द्रीय सरकार को देती है, हम उनसे डायरेक्ट तो ले नहीं सकते और न यह हमारा काम ही है।

श्री अर्जुनसिंह : मिर्जापुर में जो थर्मल स्टेशन बनाया जा रहा है उसमें रशियन गवर्नमेन्ट ने यू.पी. गवर्नमेन्ट को एड दी है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है, उसके लिये दूसरा अल्प सूचना प्रश्न लाइये।

श्री अर्जुनसिंह : आपने कहा कि हम लोग तो पिक्चर में ही नहीं आते.....

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : पिक्चर की बात नहीं है।

स्वामी कृष्णानन्द : केन्द्रीय सरकार की इजाजत से दी गई होगी?

श्री अर्जुनसिंह : केन्द्रीय सरकार को कोई स्वप्न तो होता नहीं है, कोई कहे तब तो हो?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : जो समझौता होता है, एग्रीमेन्ट होता है तो यह केन्द्रीय सरकार फारेन सरकार से करती है, कोई प्रान्तीय सरकार एग्रीमेन्ट नहीं करती है। अगर करती भी होगी तो उनके नाम पर करती होगी। हम डायरेक्ट नेगोशिएशन्स नहीं कर सकते।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे तो जो भी रुपया वहाँ से मिलने वाला है वह कैसे मिल सकेगा? हम खुद वर्क आउट करें, हमारा कार्पोरेशन करे, लेकिन जब हम मूव ही नहीं करते तो फिर कैसे हो सकता है?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : रेल लाइन बनाने में 55 करोड़ रुपया लगेगा तो वह प्रान्तीय सरकार तो नहीं बनायेगी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : केन्द्रीय सरकार भी नहीं बनायेगी। वह तो रशियन गवर्नमेन्ट से मिलेगा?

श्री शम्भुनाथ शुक्ल : कैसे मिलेगा। हम तो यह समझते हैं कि जापान हमसे लोहा लेगा और वह हमको रुपया देगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1960, पृष्ठ- 3053-3057)

31 मार्च 1960 को राजस्व मन्त्री श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई ने प्रस्ताव रखते हुए कहा— अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित मध्यप्रदेश कृषि जोत पर अधिकतम सीमा विधेयक 1959 (संख्या-26, 1959) पर विचार किया जावे। इस विधेयक पर लगभग साढ़े सात घंटे चर्चा हो चुकी थी। 2 अप्रैल 1960 को सदस्य श्री अर्जुनसिंह इस विधेयक पर इस प्रकार बोले—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकतम सीमा विधेयक पर आज तीन दिन से बहस चल रही है। माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में ही कुछ ऐसे उद्‌गार प्रकट किए जिसकी वजह से शायद इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों के मन में चिन्ता हुई और इस बात में भी शंका की जाने लगी कि यह तो नहीं है कि माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने इस बिल को सदन में लाकर केवल एक रस्म अदायगी का काम किया है या उसके पीछे कुछ तथ्य हैं। अध्यक्ष महोदय, यह तो अपने-अपने मत का प्रश्न है। हर माननीय सदस्य अपना मत रखने के लिये स्वतन्त्र है। मैं तो यह समझता हूँ कि इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने के पीछे जो पृष्ठभूमि है उस पर न माननीय राजस्व मन्त्री का कन्ट्रोल है न मैं समझता हूँ इस सदन में से किसी माननीय सदस्य का कन्ट्रोल है। हर युग में एक क्रान्ति की लहर—चाहे वह पूरी क्रान्ति हो या शान्तिपूर्ण लहर हो—एक लहर चलती है और उस लहर के सामने रुकावटें जितनी हैं एक न एक तरह गिर जाती हैं। भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जैसी अर्थपूर्ण लहर फैलने लगी उसी की एक कड़ी यह है जिसे लैंड सीलिंग के रूप में हम सदन में देख रहे हैं। हो सकता है आज से चार-पाँच साल पहले यह विधेयक आता या हो सकता

है आज से दो-तीन साल बाद यह विधेयक सदन में लाना पड़ता लेकिन इस प्रकार का विधेयक इस शासन को या कोई भी शासन हो, पारित करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ इसके लिये किसी का कोई अधिकार अपने मन पर नहीं रह गया है।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह होता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर स्वाभाविक है कि सदन के सदस्यों के अपने-अपने मत किसी खास विषय के कारण कलर्ड हों या किसी विशेष मनोवृत्ति के कारण उन्हें किसी भी भाषा का प्रयोग करना पड़े, लेकिन मैंने जो भाषण यहाँ परसों से सदन में सुने और अपने सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्यों के जो विशेष भाषण हुए उससे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद कांग्रेस पार्टी इज आलमोस्ट ब्लेण्डेड टू सोशलिस्ट पार्टी। किसी कार्यक्रम में लेकर समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता और ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों के दबाव के कारण एक ऐसे सिद्धान्त को मानना पड़ गया है जिसके लिये शायद शासकीय दल के बहुत से माननीय सदस्य मेन्टली तैयार नहीं हैं। जिस समय मैं यह कहता हूँ, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश की वर्तमान परिस्थिति में सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यह स्पष्ट है कि अगर समाजवाद की नींव डाली जा सकती है इस समय में तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही डाली जा सकती है और उनकी ही क्षमता के ऊपर यह निर्भर है कि इस देश का भविष्य समाजवादी ढंग से चलाया जायेगा या कि किस ढंग से चलाया जायेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह और भी आवश्यक होता है कि हम इस ओर भी संकेत करें तब हमें देखने को मिलता कि ऐसे मेन्टली रिजर्वेशन से कोई काम किया है। अध्यक्ष महोदय, देवास के किसी सदस्य ने एक समाजवादी सिद्धान्त का प्रतिपादन यहाँ पर किया। मुझे उनके इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के बारे में कुछ हिचक इसलिये रहती है कि पहली बात तो यह कि वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित सदस्य हैं और उनके किसी व्याख्यान पर टिप्पणी करते हुए मुझे संकोच होता है। लेकिन जिस समय उन्होंने यह कहा कि समाजवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम गरीबों को बढ़ायें तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान नहीं रखा है। यह समाजवाद बढ़ाने का सवाल नहीं है लेकिन अमीरी का विकेन्द्रीकरण करने के लिये समाजवाद में अग्रसर होना पड़ेगा और जिस समय आप अमीरी को बढ़ायेंगे तो मेट्रापोली के आप जिस शब्द का प्रयोग करें तो वह एक गरीबी का बँटवारा हो जायेगा क्योंकि जो ज्यादा अमीर होंगे उनको थोड़ा गरीब होना पड़ेगा और समाज के हित में कुछ ऐसा करना पड़े, तो उसमें हिचक करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में देखने को मिलता है कि दल के डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर के लिये हमारी तरफ से बहुत ही तगड़ी आवाज उठाई जाती है कि डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिनों बाद पंचायतों के सम्बन्ध में हमारे यहाँ एक विधेयक बनने वाला है और हमारे देवास से आये हुए माननीय सदस्य की यह मान्यता है कि और केवल पॉलिटिकल पॉवर्स का डिसेन्ट्रलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक आप पूरी तरह से इस प्रिन्सिपल को देश में स्थापित नहीं कर सकते हैं और जब तक इकॉनॉमिक का डिसेन्ट्रलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि आज के युग के पॉलिटिक्स और इकॉनोमिक्स ऐसे मिल गये हैं कि वह एक दूसरे के बगैर चल ही नहीं सकते। आप चाहें कि पॉलिटिकल पॉवर्स का डिसेन्ट्रलाइजेशन हो जाये तो दोनों मामलों को डिफीट करेंगे। मैं दोनों का ही यह देख रहा हूँ कि प्रयास किया है। जो इकॉनॉमिक यूनिट्स हैं और जो एक फारमिंग यूनिट है, ऐसे यूनिट्स को लेकर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने का यूनिट हो सकता है और जो एग्रीकल्चरल यूनिट नहीं है उसको ज्यादा से ज्यादा विकेन्द्रीकृत किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, इतना स्पष्ट है कि अभी तक एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी के अन्दर कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा जमीन होने के कारण इकॉनॉमिक पॉवर सेन्ट्रलाइज्ड थी, प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक हिस्से पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों को हमें यहाँ सोचना पड़ेगा और उसका मापदण्ड समाप्त नहीं हो जाता जब तक कि हम इकॉनॉमिक पॉवर की ओर नहीं बढ़ेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब प्रवर समिति में यह सवाल उठा था कि होल्डर को यूनिट माना जावे या फेमिली को यूनिट माना जावे उस समय काफी सदस्यों में आपस में मतभेद था और अन्त में होल्डर को ही स्थापित रखने का

निश्चय हुआ, इसका समर्थन मैं इसलिये नहीं करता कि चूँकि होल्डर होने की वजह से ज्यादा जमीन बच जायेगी, हो सकता है उसका यह परिणाम हो लेकिन मैं समझता हूँ कि होल्डर को यूनिट मानने से ज्वाइन्ट फेमिली का जो यूनिट है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी मौजूद है, जब होल्डर बालिग होगा तो उसके लिये सेपरेट यूनिट कायम करना पड़ेगा और एग्रीकल्चरल इकॉनॉमी में भी ज्वाइन्ट फेमिली की एक धारा है उसको खत्म करना पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि यह विचार कन्ट्रोवर्शियल हैं और बहुत से माननीय सदस्य इससे सहमत न हों।

स्वामी कृष्णानन्द : यह आवश्यक नहीं है कि अलग होंगे, यह मैं समझता हूँ।

एक माननीय सदस्य : व्यवस्था ऐसी है कि अलग-अलग हो जायेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अलग नहीं होंगे तो सन्यासी होंगे और चमीटा लेकर निकल जायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज जो आवाज चारों तरफ से उठ रही है कि लोगों पर शासन कुठाराघात कर रहा है, यह आवाज किसी तर्क पर आधारित नहीं है जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि इसको उठाने का एक विशेष कारण है और वह केवल राजनैतिक है, इसके पीछे और कोई तर्क नहीं है। गाँव में ज्यादा लोग रहते हैं, अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही रहती है, भारतवर्ष एग्रीकल्चरल कन्ट्री है। यदि कोई शासन एग्रीकल्चरल सेक्टर से लॉ बनाना शुरू करता है तो यह कहना कि किसानों के साथ पक्षपात है, दुर्भावना है तो यह तर्क उचित नहीं होगा। यदि हम आग्रह करें कि जैसा हम इस सेक्टर में कानून बनाते हैं तो इसके साथ उस सेक्टर को भी टच करें जो पहले छुआ नहीं गया है। लेकिन यह कहना कि ऐसा करना किसानों के प्रति षड़यन्त्र है, यह उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यहाँ पर और कही गई और उसमें विभिन्न मत थे कि खेती से जो आमदनी होती है उसका सही मूल्यांकन शासन नहीं कर पाया है। उसके अभाव में कोई सीमा का निर्धारण करना देश की जनता के साथ खिलवाड़ करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जो आँकड़े हमारे सामने हैं वह इतने निश्चित नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं जिसके आधार पर यह कह सकें कि जो मूल्यांकन किया गया है वह बिलकुल सही है। क्या इसका मतलब यह होता है कि हमें उस समय तक इन्तजार करना चाहिये जब तक कि यह सब आँकड़े तैयार नहीं होते? अध्यक्ष महोदय, दो-चार पंचवर्षीय योजना तक इनका तैयार होना मुश्किल दिखता है। मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदारी राष्ट्र को लेना उचित है कि वह रिस्क ले कि रफ प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर किसी के प्रति कुछ थोड़ा-सा अन्याय होता है तो देश के हित को सामने रखते हुए हमें इस बात को उठाना पड़ेगा। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर माननीय सदस्यों ने कहा, तो मैं समझता हूँ कि केवल सीलिंग ही लागू कर देने से आपकी समस्या वहाँ पूरी नहीं होगी। एग्रीकल्चर लेबर जो हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि उनके साथ भी न्याय किया जाये, तो हमारे राजस्व मन्त्री महोदय स्वयं समझते हैं कि इस विधेयक के द्वारा बहुत ज्यादा जमीन बँटने को नहीं मिलेगी और इतनी ज्यादा जमीन हमारे पास नहीं है कि प्रत्येक आदमी को जमीन दी जाये। यह आवश्यक है एग्रीकल्चर लेबर को ध्यान में रखा जाये और जैसा कि इन्डस्ट्रियल लेबर का आप ध्यान रखते हैं और जो दूसरे बेनिफिट हैं और हाउसिंग बेनिफिट हैं, जो-जो सुविधाएँ आप इन्डस्ट्रियल लेबर को देते हैं वैसे ही यदि आप ये सुविधाएँ और साधन एग्रीकल्चर लेबर को भी देने के' लिये तैयार हो जायें तो ठीक होगा। जिस प्रकार से इन्डस्ट्रियल लेबर को भरपूर भोजन मिलता है, उसी प्रकार से यदि आप एग्रीकल्चर लेबर को भी सुविधा दें तो मैं समझता हूँ उससे उनको बहुत आशा होगी।

अब प्रश्न आता है कि जो हमने यहाँ पर सीमा निर्धारित की है वह उचित है या नहीं? वैसे अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति के प्रतिवेदन पर मैंने अपनी कोई विमत टिप्पणी नहीं दी है लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र को पब्लिक ओपिनियन सामने रखते हुए हर स्थिति में माननीय सदस्यों को जिसमें कि मैं शासन को भी शामिल करता हूँ, यह देखना पड़ेगा कि अगर आपके देश में पब्लिक ओपिनियन इस पक्ष में नहीं है कि यह जो सीलिंग लिमिट रखी गई है यह ज्यादा है, इसको कम रखा जाये, तो इस पर पुनः विचार करने के लिए कोई संकोच नहीं होना चाहिए और जैसा कि कल हमारे उपाध्यक्ष महोदय ने विचार व्यक्त किया उस पर विचार करके शासन इस लिमिट को तय करे। मैंने एक संशोधन इस पर दिया है और अगर उसको शासन ठीक समझता है तो माननीय

राजस्व मन्त्री महोदय उस पर अपना विचार व्यक्त करने की कृपा करें। इसके बाद इसमें जहाँ दो साल के लिए कहा गया है तो उससे दो साल के लिए सीलिंग को टालने के लिए ऐसा किया गया है उस पर मैंने अपनी विमत टिप्पणी तो नहीं दी है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैंने इस सीलिंग बिल का प्रकाशन होने के बाद अपनी कांस्टीट्यूएन्सी के लोगों से बातचीत की है और उस बातचीत से जो मुझे मालूम हुआ है वह यह है कि इसके जितने भी फायदे हो सकते हैं जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि कम्पेन्सेशन की रकम से स्टेट को छुटकारा मिल जायेगा। लेकिन आज यह आम धारणा लोगों में फैली हुई है कि इस तरह से दो साल के लिए शासन इसको टालना चाहता है, तो हो सकता है कि यह धारणा गलत हो और यह भी हो सकता है कि यह धारणा सही भी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक निश्चिंतता के लिए अगर कोई विशेष अड़चन न हो, तो इसमें जो दो साल का समय रखा गया है, उसको निकाल दिया जाये।

जो पिछले विधेयक में प्रावधान था उसको शासन मान ले, तो मैं समझता हूँ कि यह क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। आज जो बात करनी है उसको दो साल बाद करें या तुरन्त करें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जो आपको मुआवजा देना है जो मैं समझता हूँ आपने कम कर दिया है उसका पूरा ऋण भले ही न दिया जाये, 20 प्रतिशत रखा गया है, तो कोई नुकसान नहीं है। इससे जो कल्पना लोगों के मन में कि दो साल को यह टल जायेगा, वह भी दूर हो जायगी।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 अप्रैल 1960, पृष्ठ- 3374-3377)

एक दिलचस्प हस्तक्षेप—

मध्यप्रदेश में कृषि जोत पर अधिकतम सीमा विधेयक पर चर्चा चल रही थी। इस पर कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य श्री होमी एफ. दाजी (पूर्वी इन्दौर शहर) ने कहा— "....प्रश्न यह है कि हमारा सिद्धान्त क्या है? क्या हम इस विषमता को बढ़ाकर कैपीटलिस्ट फार्मिंग से देश का विकास कर सकेंगे या इस विषमता को कम करके कर सकते हैं? दुनिया में दो रास्ते सिद्ध हो चुके हैं—एक, कैपीटलिस्ट फार्मिंग हैं जो ह्यूमन एलीमेन्ट को नहीं मानता है और दूसरा रास्ता है जो ह्यूमन एलीमेन्ट को मानता है। दूसरा रास्ता यह बताता है कि ह्यूमन एलीमेन्ट से प्रॉडक्शन बढ़ जायेगा। इसमें यह माना जाता है कि जब तक हम किसानों को अपनी ज़मीन में दिलचस्पी नहीं रखने देंगे, किसानों को गारन्टी ऑफ टिन्योर नहीं दिया जायेगा, जब तक विषमता को दूर नहीं करेंगे तब तक फूड प्रॉडक्शन बढ़ नहीं सकता, चाहे सिटी में हो या गाँव में हो। नागपुर प्रस्ताव से मैं उम्मीद करता था कि कांग्रेस ने जिस बात को मंजूर कर लिया कि विषमता को कम करके देश को आगे बढ़ायेंगे जिससे समाजवाद आयेगा, वैसा दिखता नहीं है। इस बिल से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है।"

सदस्य श्री होमी एफ. दाजी का ध्यानाकर्षण करते हुए श्री अर्जुनसिंह बोले— "मैं माननीय सदस्य से एक बात स्पष्ट करने के लिए कहूँगा। उन्होंने कहा कि कैपीटलिस्ट सिस्टम में ह्यूमन एलीमेन्ट नहीं माना जाता और दूसरा जो तरीका है उसमें ह्यूमन एलीमेन्ट माना जाता है। मैं समझता हूँ कि वे कहने में धोखा खा गये। बिलकुल उल्टा हो गया है। कलेक्टिव सिस्टम कम्युनिस्ट थ्योरी है। प्राइवेट और इण्डिविडुअल इंसेन्टिव के लिए दूसरी थ्योरी है।"

इस पर श्री गोविन्द नारायण सिंह ने कहा— "मैं श्री अर्जुनसिंह को स्पष्ट कर दूँ कि अब श्री दाजी का सिद्धान्त बदल गया है। जबसे श्री ख्रुश्चेव भारत आये। अब वे स्वीकार करते हैं कि ह्यूमन एलीमेन्ट को प्रोत्साहन मिलना चाहिए।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/2 अप्रैल 1960, पृष्ठ- 3391)

इसी अधिनियम पर चल रही लम्बी चर्चा में पुनः भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने कहा—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, दो-एक बातें मैं भी कहना चाहता हूँ। एक तो एक्जेम्प्शन्स के बारे में जो यहाँ प्रावधान किया गया है उसमें जहाँ आपने एक्जेम्प्शन्स दिये हैं क्लाज 'जे' में, उस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कारण माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने अपने भाषण में दिये हैं वे अगर सही मान लिये जावें तो इस बात का ध्यान रखना माननीय राजस्व मन्त्रीजी को आवश्यक होगा कि इस प्रावधान के अन्तर्गत लोगों को जमीन बचाने का एक अवसर मिल सकता है। इस बात से मुख नहीं मोड़ा जा सकता। आपके तर्क अपनी जगह पर सही हैं और हम लोगों के अपनी जगह पर सही हैं। लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, इसलिये अध्यक्ष महोदय, इन एक्जेम्प्शन्स को पाने के लिये जितने कड़े से कड़े नियम बनाये जा सकें अवश्य बनाये जाने चाहिये। मैं इस संबंध में दो-एक सुझाव देना चाहता हूँ और यदि वे वर्केबल हों तो उनका उपयोग किया जावे। आपने मिकेनाइज्ड फार्म को एक्जेम्प्ट किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह मिकेनाइजेशन बहुत ही वाइड टर्म है। पचास या सौ एकड़ के फार्म में अगर एक घास काटने की मशीन लगा लो तो उसको कुछ हद तक मिकेनाइज्ड कह सकते हैं। अगर सौ एकड़ के फार्म में एक ट्रैक्टर या 300 एकड़ के फार्म में एक या अधिक ट्रैक्टर रख लेते हैं तो वह भी कुछ हद तक मिकेनाइजेशन हो गया, इसलिये अगर केवल मिकेनाइज्ड शब्द ही रख कर छोड़ दिया जावेगा तो इसका दुरुपयोग होगा और इतना दुरुपयोग होगा जिसकी इन्तहा नहीं होगी और इससे कलेक्टर और स्थानीय अधिकारियों के लिये एक लम्बी छूट मिल जावेगी और मनमाने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये मैं आशा करूँगा कि इसके संबंध में नियम बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जावे और एक टेबल इस बात की बनाई जावे कि अमुक एवरेज तक कितने परसेन्ट का इन्वेस्टमेन्ट मशीनरी के रूप में एग्रीकल्चरल प्वाइंट ऑफ व्यू से स्वाभाविक है और उसके अन्दर जो फार्म आते हैं उनको एक्जेम्प्शन मिलना चाहिये, केवल मिकेनाइज्ड फार्म की संज्ञा में आ जावें ऐसा न हो। उदाहरण के लिये यदि सौ एकड़ का फार्म है तो उसमें कम से कम 20,000 का इन्वेस्टमेन्ट मशीनरी या बिल्डिंग के रूप में होगा तो मिकेनाइज्ड होगा, इस तरह का कोई मापदण्ड आपको निश्चित करना होगा। इसके लिये आपका विभाग और कृषि विभाग दोनों मिलकर यह तय कर सकते हैं, उसके संबंध में कुछ और बातों का उल्लेख करना मैं उचित नहीं समझता।

इसके बाद आता है दो वर्ष की छूट का प्रश्न। दो वर्ष का समय जो इस विधेयक में रखा गया है उसके बारे में माननीय राजस्व मंत्रीजी से कहना चाहूँगा कि जो कुछ तर्क उन्होंने इस प्रावधान को विधेयक में रखने के लिये दिये हैं उनके दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ठीक हैं और जैसा कि मेरे मित्र श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने कहा, उसका दुरुपयोग होने के उतने ही चान्सेज हैं। फिर यह सवाल आता है कि दोनों को विचार करने के पश्चात् हमें यही देखना है कि लाभ किसे होता है। सीलिंग के प्रॉवीजन्स को तत्काल वर्कआउट करने से होता है या कि दो वर्ष की छूट देने से होता है। इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर इस प्रश्न पर फिर से विचार किया जावे तो मैं समझता हूँ कि तर्कयुक्त निर्णय पर हम पहुँच सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक सीलिंग के इस प्रॉब्लम को हल करने का सवाल है, मैं समझता हूँ इसमें दो साल का प्रावधान रखने से कुछ अनिश्चितता आ जाती है और वह इस तरह से कि आपने जहाँ पर डिफाइन किया है कौन से लोग एक्जेम्प्शन में आयेंगे और कितनी जमीन रख सकते हैं, इसका निर्णय करने के लिये आप सभी नियम बनायेंगे और जैसा कि मैं आशा करता हूँ उन नियमों के अन्तर्गत किसी न किसी अधिकारी पर यह जिम्मेदारी छोड़ेंगे कि वह निर्णय दें कि अमुक व्यक्ति एक्जेम्प्शन पाने का हकदार है या नहीं। आपने अगर यह इस बिल में कर दिया तो उसके दो साल बाद से यह बिल प्रभावशील होगा। मतलब यह कि आज जिसके पास ज्यादा जमीन है, वह आज निश्चित नहीं कर पायेगा कि उसके पास कितनी सरप्लस जमीन है, या सीलिंग के अन्दर की

जमीन है क्योंकि उन मुद्दों के अन्दर जो फायदा उसको मिलेगा उसका निर्णय दो साल बाद होगा। तब स्वाभाविक है, जैसा श्री तिवारीजी ने कहा, दो साल बाद जमीन रहेगी और समस्या फिर से खड़ी होगी। उस समय आपने जो कल्पना की है कि लोग जमीन बेचने पर उतारू हो जायेंगे और दो साल बाद जमीन सरप्लस नहीं रहेगी जो शेड्यूल बना है उसके अनुसार इसमें संदेह मालूम होता है। इसलिये इसको कार्यान्वित करने में दिक्कत पड़ेगी इसलिये आपकी जो कल्पना है कि दो साल बाद वह जमीन आप से आप बँट जायेगी उसमें बाधा आ जायेगी। इसलिये राजस्व मन्त्री इस दृष्टिकोण से दो साल का प्रावधान हटा दें।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि कहाँ तक भूमि सीलिंग के दीगर लेजिस्लेशन जो बने हैं, अच्छे हों या बुरे हों यह मत का प्रश्न है, उसके द्वारा कहाँ तक इसको पोषण मिलता है? मैं समझता हूँ लैंड के प्रॉब्लम के ऊपर स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद जितने भी लेजिस्लेशन हुए हैं, आपने जमींदारी समाप्त की उसके बाद टेन्योर को हक देने के लिये कानून बनाया और अब सीलिंग के लिये विधेयक आया है, इसके बाद भी इन दस-बारह वर्षों में लोगों के मन में शंकाएँ बनी रहती हैं जिसका असर उत्पादन पर अवश्य पड़ता है। मेरे पास प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट नहीं है लेकिन शायद उसमें यह भी उल्लेख है कि लोगों के दिल में शंका है, जिसके कारण पैदावार में नुकसान होता है, क्योंकि अनडिटरमिनेशन होने से पैदावार में वृद्धि नहीं होती है। और उनका शायद ऐसा भी कहना है एक मर्तबा कोई व्यवस्था करने के बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए कि अब पन्द्रह-बीस वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसलिये मैं समझता हूँ कि उस बात को मद्देनजर रखते हुए न केवल यह व्यवहारिक होगा बल्कि समय को देखते हुए उपयुक्त होगा कि जो कुछ आपको करना हो तुरन्त कर दें और लोगों को इस बात से निश्चिन्त कर दें कि जो कुछ जमीन उनके पास बची है उतनी रहेगी, ताकि वे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/4 अप्रैल 1960, पृष्ठ- 3446-3447)

दूसरा सत्र

4 अक्टूबर 1960 को मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारम्भ हुआ। इस सत्र में कुल ग्यारह बैठकें हुईं। 8 अक्टूबर 1960 को श्री शंकरलाल तिवारी (लोक कार्य मंत्री) ने सदन के पटल पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप रखा। 12 अक्टूबर 1960 को मध्यप्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा प्रारम्भ हुई। इस दिन मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू ने कहा- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 8 अक्टूबर 1960 को सदन के पटल पर रखी गयी तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप पर विचार किया जाये। अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा प्रारम्भ हुई। 12 अक्टूबर को प्रश्नोत्तर आदि के बाद पूरे दिन इसी विषय पर चर्चा चली। 13 अक्टूबर को पुनः चर्चा प्रारम्भ हुई। इस दिन श्री अर्जुनसिंह ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। इस पूरे सत्र में श्री अर्जुनसिंह निर्दलीय सदस्य की हैसियत से बहुत सक्रिय रहे। वे प्रश्नों की बौछार करते रहे और अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चल रही चर्चाओं में हस्तक्षेप किया। यहाँ कुछ चुने हुए अंश प्रस्तुत हैं —

27. (☆क्र. 1311) श्री जगदीशचन्द्र जोशी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खुलने वाले बड़े उद्योग राज्य के किन-किन संभागों से खोले जाने का निर्णय राज्य शासन ने किया है? (ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े संभागों में उद्योगों के खोलने के बाद शासन का क्या निर्णय है?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मंडलोई : (क) तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्न बड़े उद्योग राज्य के निम्न संभागों में लगाये जाने का प्रस्ताव है :— (1) इन्डस्ट्रियल इस्टेट भिलाई, रायपुर संभाग, (2) इन्डस्ट्रियल इस्टेट इटारसी, भोपाल संभाग, (3) इन्डस्ट्रियल इस्टेट अनूपपुर, रीवा संभाग, (4) सहकारी शक्कर का कारखाना, मुरैना, ग्वालियर संभाग, (5) सहकारी शक्कर का कारखाना, बैतूल, भोपाल संभाग, (6) पॉवर अलकोहल, रतलाम, इन्दौर

संभाग, (7) साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लान्ट उज्जैन-इन्दौर संभाग। (ख) राज्य शासन ने एक कमेटी का निर्माण किया जो उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने में सहायता करेगा। पूरे राज्य की सर्वे कराई जा चुकी है। पिछड़े भागों में रूरल इण्डस्ट्रियल एरिया तृतीय योजना में उनको विकसित करने के लिये प्रावधान किया गया है।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : जो कमेटी बनाई गई उसमें कौन-कौन से व्यक्ति हैं?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : इसमें मुझे इतना ही स्मरण है कि मि. मेहता इसके चेयरमैन हैं और 10, 12 आदमी जिसमें कुछ एम.एल.ए. तथा उद्योगपति हैं, इस तरह सब मिलाकर 15, 16 आदमियों की कमेटी है। नाम मेरे पास इस समय नहीं हैं।

श्री जगदीशचन्द्र जोशी : उस कमेटी ने जो सर्वे की है, उस सर्वे के सिलसिले में उसने प्रदेश के कितने सम्भागों का दौरा किया है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सर्वे किया गया है। कहाँ-कहाँ समिति गई, मैं कह नहीं सकता।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : मैं जानना चाहता हूँ कि सहकारी शक्कर का कारखाना जो मुरैना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोला जा रहा है, उसके लिये क्या किसी सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : किस उद्योग के लिये?

श्री छोटेलाल भारद्वाज : चौथे आइटम में जो सहकारी शक्कर का कारखाना खोले जाने के लिए लिखा है, उसके लिये क्या कोई सहकारी समिति निर्माण हो गई है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : जहाँ तक मुझे मालूम है, अभी तक कोई सहकारी समिति बनी नहीं है।

श्री ऋषभकुमार : आपने (ख) के उत्तर में बताया है कि रूरल इण्डस्ट्रियल एरिया पिछड़े भागों में विकसित करने का प्रावधान किया गया है। कौन-कौन से जिले पिछड़े भाग में आते हैं?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : अभी उसका कोई फैसला नहीं हुआ है।

श्री अर्जुनसिंह : आपने जहाँ पर यह उल्लेख किया है नम्बर 3 और 2 में, क्या माननीय मन्त्री महोदय इण्डस्ट्रियल इस्टेट को कोई बहुत बड़ा उद्योग समझते हैं?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : अध्यक्ष महोदय, आज सबेरे जब जवाब पढ़ने लगा, तब मैंने भी यह समझा कि उत्तर कुछ गलत हो गया है।

श्री अर्जुनसिंह : रीवा संभाग में कौन-सा बड़ा उद्योग खोलने का शासन ने निर्णय लिया है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : अभी कौन-से उद्योग कहाँ खुलेंगे यह नहीं कहा जा सकता।

श्री रमाकान्त विश्वनाथ खोड़े : इसमें द्वितीय योजना के भी कुछ उद्योग लिए गए हैं, जैसे पॉवर अलकोहल, रतलाम और साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लान्ट, उज्जैन। इसी प्रकार सनावद का जो सूती मिल है, वह क्या द्वितीय योजना में समाप्त हो जायेगा, इसलिए शामिल नहीं किया गया है उसको शासकीय उद्योगों से निकाल दिया जायेगा?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : जिन उद्योगों के बारे में हम समझते हैं कि द्वितीय योजना में नहीं कर सकेंगे, उनको तृतीय योजना में ले लिया है। जिनके बारे में उम्मीद है कि द्वितीय योजनाकाल में कर सकेंगे, उनको तृतीय में नहीं बताया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपने बताया कि बड़े उद्योगों में इण्डस्ट्रियल इस्टेट को शामिल करने में गलती हो गई है। यह गलती ध्यान में आने पर उन्होंने क्या कार्यवाही की?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : यही कार्यवाही की है कि हम अपनी गलती कबूल कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या यह गलती डायरेक्टर के दफ्तर से उत्तर में है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : यह जिम्मेदारी शासन की है और हमारी है।

श्री बाबूलाल मौर्य : मुरैना में जो कारखाना शक्कर का खुलेगा, वह मुरैना प्रापर में खुलेगा या किसी अन्य स्थान में खुलेगा?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : जगह का निश्चय नहीं हुआ है।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : यह जो सहकारी कारखाना खोलने की योजना है, उसमें शासन क्या पूरा इन्वेस्टमेण्ट करेगा या सहकारी समितियों को कुछ परसेन्ट दिया जायेगा?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : संगठन का क्या रूप होगा, अभी कोई तय नहीं है।

श्री होमी एफ. दाजी : बड़े उद्योग से आपका तात्पर्य क्या है? उस तात्पर्य के अनुसार पॉवर अलकोहल, रतलाम और साल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन प्लान्ट उज्जैन, ये दोनों उसमें आते हैं या नहीं?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : बड़े भी हैं, मंझले भी हैं, छोटे भी हैं यह सब उसमें दिया हुआ है, ये मीडियम हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा जवाब नहीं आया। जब ये बड़े उद्योगों में नहीं आ सकते हैं, तो शक्कर मिल के अलावा शासन के बड़े उद्योग बताने के अनुसार अब कौन-सा बड़ा उद्योग रह जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट को माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि गलती हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : जो आपने और दो उद्योग बताये हैं, वे क्या बड़े उद्योगों में आते हैं?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : मैंने कब कहा कि बड़े उद्योग खुलने वाले हैं?

श्री होमी एफ. दाजी : सवाल में लिखा है कि कौन बड़े उद्योग खोले जायेंगे? शक्कर के कारखाने के अलावा तीसरी योजना में प्रान्त में क्या एक भी उद्योग खुलने वाला है?

श्री केशवलाल गोमाश्ता : बड़े और छोटे उद्योग की दो परिभाषायें हैं। एक साधारण परिभाषा और एक शासकीय नियमों में परिभाषा है। बड़े उद्योग साधारण बोलचाल की भाषा में कहे गये हैं पर शासकीय परिभाषा के अनुसार ऐसा बड़ा कोई उद्योग खुलने की संभावना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/11 अक्टूबर 1960, पृष्ठ- 660-662)

23. (☆क्र. 1086) श्री अर्जुनसिंह : क्या वन मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सीधी जिले के सिंगरौली में कोयला भंडार के निकट थर्मल विद्युत संयंत्र (थर्मल पॉवर प्लांट) की स्थापना के संबंध में फरवरी-अप्रैल 1960 सत्र में विधानसभा में पारित प्रस्ताव के प्रकाश में क्या शासन ने कार्यवाही करने के लिये कोई कदम उठाया है?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : जी हाँ।

श्री अर्जुनसिंह : क्या कार्यवाही की गई?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार को इस विषय में लिखा गया है, अभी उसका कोई उत्तर नहीं आया है।

श्री अर्जुनसिंह : केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा गया है, यही तो मैं जानना चाहता हूँ?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : केन्द्रीय सरकार को पहले तो यह लिखा गया था कि यह थर्मल स्टेशन यू.पी. की हद में न बने, कोरबा में बने। प्रथम पत्र में यह लिखा गया था। उसका जवाब यह दिया गया है कि उसमें कोई विशेष लाभ नहीं है, उसको यहाँ से वहाँ ले जाना है। जो प्रस्ताव यहाँ स्वीकृत हुआ था उसका उत्तर अभी कुछ नहीं आया है।

श्री अर्जुनसिंह : इस बिजलीघर से अपने प्रदेश के लिये कोई निश्चित तादाद में बिजली के लिये क्या सरकार ने लिखा है या जनरल लिख दिया गया है कि हमें भी इसमें से कुछ दिया जाये?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : प्रस्ताव यह था कि यहाँ पर बने। अभी हिस्सा माँगने का सवाल नहीं है। जब यहाँ न बनेगा तो हिस्सा माँगेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : जब केन्द्रीय सरकार से उत्तर मिल ही गया है कि यहाँ पर बनने का सवाल नहीं उठता है, तो उसके पश्चात् दूसरा तरीका फॉलो करना चाहिये?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : केन्द्रीय सरकार से यह उत्तर मिला है कि कोरबा में बनाना उचित नहीं होगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है, क्या उसके साथ और कोई नोट

लिखकर भेजा गया था कि क्या परिस्थिति है, कहाँ थरमल स्टेशन होना चाहिये?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : प्रस्ताव भी भेजा गया है और शासन की राय भी भेजी गई है कि यहाँ पर बने।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : दिल्ली जाकर कुछ जोर भी लगाया गया था या नहीं?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : मैं बहुत कम दिल्ली जाता हूँ।

श्री विमलकुमार चौरड़िया : काटजू साहब तो जाते हैं, उनसे कहकर जोर लगवाया होगा?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : जब-जब काटजू साहब जाते हैं, तब-तब काफी कहते हैं, बार-बार निवेदन करते हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या तृतीय योजना में थरमल स्टेशन बनेगा?

श्री शम्भूनाथ शुक्ल : अभी तो यह निश्चित ही नहीं है कि कहाँ बनेगा, इसलिये तृतीय या चतुर्थ योजना का तो प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जब शक्ल यू.पी. में तय हो जायेगी तो फिर आप उसके बाद शक्ल बनायेंगे क्या?

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/12 अक्टूबर 1960, पृष्ठ- 778)

तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बोलते हुए

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल से तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप पर चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना की ओर देखने के लिए हमें कुछ विशेष दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में ही ऐसे कुछ लोग हैं जो इस योजना के सिद्धान्तों के खिलाफ हैं। मैं समझता हूँ कि उनका इस विषय पर चर्चा करना सदन का समय बरबाद करना है। मैं समझता हूँ कि इस योजना पर बोलने का उनको हक है जो इस योजना पर विश्वास करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको उसमें विश्वास नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल से जो इस सदन में चर्चा हुई उसमें अधिकांश ऐसे ही माननीय सदस्य थे, जिन्हें योजना के सिद्धान्त पर पूर्णतः विश्वास है चाहे वे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों। इसके पश्चात् प्राथमिकता का प्रश्न रह जाता है। अपने प्रदेश की हालत सबको अच्छी तरह से विदित है। अपने साधन क्या हैं, यह भी विदित है और सम्भावनायें क्या हैं, यह भी विदित है। इन तीनों चीजों का समन्वय हो सके, यही योजना का लक्ष्य होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इन्दौर से आये हुए विधायक ने कहा, इन सभी चीजों में अधिक आवश्यक बात यह है कि योजना को कार्यान्वित करने के लिए पब्लिक को-ऑपरेशन कहाँ तक मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिक को-ऑपरेशन ऐसी चीज नहीं है जिसको पाने के लिए उसको ढूँढ़ना पड़े। यह ऐसी वस्तु है जो अनायास बिना कारण के मिल सकती है लेकिन उसके लिये शर्त यह है कि उसको पाने के लिये हम तत्पर हों। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमन्त्री जी ने कल प्रस्ताव को रखते हुए अपने भाषण में कहा कि प्रदेश के हित के लिये केन्द्र से धन लाने के लिये, या अन्य योजनाओं के लिये धन लाने के लिये उन्होंने जो कुछ चेष्टाएँ कीं उनमें उनको असफलता मिली और केन्द्र की सहानुभूति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ऐसी अवस्था में यदि हमारे प्रदेश के अन्दर ही शासन को यहाँ की प्रजा से को-ऑपरेशन प्राप्त न हो तो इसमें आश्चर्य क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पीछे केवल एक कारण है और वह यह है और जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि हमारे शासन को और शासन पक्ष के लोगों को व हमारे प्रदेश के नागरिकों को, जिनका इस प्रदेश से लगाव है, उनके मन में भावना होना चाहिये कि मध्यप्रदेश हमारा है, इसके उज्ज्वल भविष्य में हमारा भविष्य उज्ज्वल है, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विधानसभा के सदस्य और इस प्रदेश के नागरिक इस प्रदेश की अक्षुण्णता पर अविश्वास करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल आता है प्राथमिकता का। कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश शासन ने एक नेशनल कौन्सिल ऑफ एकॉनॉमिक रिसर्च के द्वारा प्रदेश की सर्वे करवाई थी। उस टीम की रिपोर्ट शासन के पास आ गई है और वह छप गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ, अपने प्रदेश का जितना अच्छा खाका इस सर्वे रिपोर्ट

में मिलेगा उतना अच्छा किसी पब्लिकेशन में देखने को नहीं मिलेगा। हमें देखना चाहिए कि इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य-मुख्य बातों पर इस योजना में ध्यान रखा गया है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है और साथ ही साथ यहाँ मिनरल्स का भी खजाना है। यहाँ पर एक जगह खेती की प्राथमिकता है वहाँ दूसरी जगह भविष्य की उज्ज्वल कल्पना मिनरल इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने से हो सकती है, यह आवश्यक है। यदि हम केवल एग्रीकल्चर के आधार पर प्रदेश को आगे ले जाना चाहेंगे तो असम्भव है। इस ओर सर्वे रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन हमें दुःख है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस ओर शासन ने ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट के पेज 169 में यह लिखा हुआ है, यह उनकी समरी ऑफ कनक्लूजन है :-

"For industrial growth, the most significant resource available in the State is minerals. Consequently the most important industrial development envisaged during the decade 1961-71 are in the field of mineral based industries.

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्लान में 23 परसेन्ट प्रॉवीजन किया गया है मिनरल के लिये, मिनरल इण्डस्ट्रीज के लिये और वह भी जो अगले साल से बजट आवेगा उसमें प्रॉवीजन केवल मिनरल प्रॉस्पेक्टिव्स के लिये होगा। आज इस प्रदेश के मिनरल वेलफेयर की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कोयला, लोहा का प्रदेश होने के कारण व उनका प्रॉस्पेक्टिव 20 साल से होता आ रहा है, उनके विकसित करने के क्या साधन किये जा रहे हैं, उसकी ओर शासन ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् एक दूसरी चीज है जो इन्डस्ट्रीज के ऊपर कही गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियल मिनरल के लिए पॉवर की आवश्यकता होती है। इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉवर की आवश्यकता इसलिये होती है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पॉवर के लिए जो प्रावधान इस प्लान में किया गया है वह अनुपयुक्त है और कम से कम इस योजना के लिये जैसा कि शासन के सूत्रों द्वारा ऐसा बताया जाता है, बहुत ही एकॉनॉमिकल है। यह केवल मध्यप्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में ही एकॉनॉमिकल है। उपाध्यक्ष महोदय, अपने इस प्लान के पेज 119 में लिखा है जहाँ—हैस्डो मल्टीपरपज प्रोजेक्ट और टाउन्स मल्टीपरपज प्रोजेक्ट का उल्लेख है उसके चार पेज के बाद ही इसकी विस्तृत चर्चा की है। दी प्रोजेक्ट बिल नॉट बी कम्पलीटेड ड्यूरिंग दी थर्ड प्लान पीरियड। उपाध्यक्ष महोदय, यह आक्षेप तो किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट थर्ड प्लान में पूरे नहीं हो सकेंगे लेकिन इसमें यह भी निश्चित साफ नहीं है कि तृतीय योजना में कार्य शुरू कर दिया जायेगा जिससे हम विश्वास कर सकें कि चौथी योजना में कार्य पूरा हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आपका ध्यान ट्रॉयबल वेलफेयर एक्टिविटी की ओर दिलाना चाहता हूँ। अपने प्रजातन्त्रीय सिद्धान्त में प्लान्स के अन्दर सोशल वेलफेयर का विशेष स्थान नहीं है क्योंकि जनतन्त्र में जितने सिद्धान्त होंगे उनके ऊपर ही हमारे देश के नागरिकों का किसी भी शासन पर उनके मत पर निश्चित करना निर्भर करता है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ इस तथ्य को मानते हैं वहाँ दूसरी ओर इस बात को परिलक्षित नहीं करना चाहिये कि उनका प्रयोग जैसे अभी होता आया है केवल दिखावे के लिये न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, उदाहरण के लिये ट्रॉयबल वेलफेयर के लिये जो उन्होंने लिखा— शुरू यहाँ से करते हैं कि एकॉनॉमिकल अपलिफ्ट ही हम ट्रॉयबल वेलफेयर्स के लिये करते हैं। शिक्षा के लिये स्कूल, हॉस्टल आदि का प्रावधान इसमें है। मैं जानता हूँ कि हॉस्टल, स्कूल आदि इन सब चीजों की इन भाइयों को सुविधा दी, अच्छा किया। उनको इससे एकॉनॉमिकल पोजीशन बढ़ाने में मदद मिलेगी। लेकिन सबसे पहला स्थान अपने हरिजन आदिवासी भाइयों को जिस ओर देना चाहिये, अभी भी हम उन्हें उतना ही स्थान दिये जा रहे हैं जो कि 10 साल पहले खत्म कर देना चाहिये था। हमारे प्रदेश में आज ऐसे अनेक कानून हैं जिनके द्वारा उन प्रथाओं को खत्म किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आश्चर्य होता है कि उस कानून का अमल इतनी तेजी से नहीं किया जाता है जितना कि सड़े-गले कानूनों का। आज उन भाइयों को उठाने के लिए चाहे वे कितने ही ताकतवर क्यों न हों, एकॉनॉमिकल स्ट्रॅगल होल्ड जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक विशिष्ट बात की ओर मैं माननीय मुख्य मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूँगा।

आज डेढ़, दो माह पहले सेन्ट्रल डेवलपमेन्ट बोर्ड की बैठक हुई थी। उसके उद्घाटन भाषण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि अपने प्रदेश में कुछ न कुछ हिस्सा सेन्ट्रल से मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्गार बड़ी सूझ-बूझ के हैं। केन्द्रीय शासन इसको किस रूप में लेगा यह हम नहीं कह सकते। उदाहरण के लिए भिलाई का कारखाना ले लीजिये, भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाने को ले लीजिये। भिलाई क्षेत्र से आने वाले सदस्य इस बात को जानते हैं कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और यहाँ तो लोग आते-जाते रहते हैं इसलिये अच्छी तरह सब जानते ही हैं। इनकी जो हालत है और इससे जो फायदा यहाँ की स्टेट को हो रहा है और इनमें यहाँ का जितना पैसा लग रहा है उस सबको देखते हुए यदि यह कहा जाये कि ये कारखाने रेगिस्तान के बीच में हैं या यदि यह कहा जाये कि इस क्षेत्र के ये रेगिस्तान हैं तो उचित न होगा।

श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर : दिस डिस्क्रिप्शन इज बेटर।

श्री अर्जुनसिंह : न तो यहाँ के लोगों को इनसे कोई बेनिफिट मिल सका और न प्रशिक्षण। फिर भी इनके कारण जो स्टेट पर स्ट्रेन पड़ता है उसका कोई लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। मेरे रीवा से आये एक मित्र ने चाइना का उदाहरण दिया। वे ज्यादा इस बात को समझते होंगे परन्तु मेरे कम समझने वाले दिमाग में यह बात नहीं आई कि हमारे पूरे प्लान का सिद्धांत जो प्रजातांत्रिक ढंग पर बना है उसकी तुलना कम्युनिज्म की डिक्टेटरशिप के सिद्धान्त पर कैसे कर सकते हैं? किस प्रकार इस बात पर बिलीव किया जा सकता है?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : हिन्दुस्तान में भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बहुत ज्यादा हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपके मत का स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ आज भी कह सकता हूँ कि कम से कम कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर इतनी ईमानदारी तो है कि जिसमें वे विश्वास करते हैं उसे कहते भी हैं। ऐसी अवस्था में हम लोगों का एक विशेष कर्त्तव्य यह भी हो जाता है कि जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तब भी हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर काम करें। अगर यह कहा जाये कि जो व्यक्ति घूस लेते हुए पकड़ा जाये तो उसे गोली तुरन्त मार दो, यह प्रजातन्त्र के बिलकुल विरुद्ध है। पहले उसकी बात को सुनना पड़ेगा तब साबित हो जाने पर उसे सजा दी जा सकती है, यह प्रजातन्त्र का सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त की अवहेलना नहीं की जा सकती।

अन्त में ज्यादा समय न लेते हुए एजुकेशनल पॉलिसी के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो पॉलिसी दो-तीन प्रदेशों में चल रही है, चल क्या रही है, मैं तो यह कहूँगा कि चलाने की चेष्टा की जा रही है, वह एक सराहनीय बात है। प्रश्न यह है कि जो आपने सिद्धान्त खाद्य नीति का निर्धारित किया उसे देखते हुए यह होना चाहिये कि खेतिहर को उचित दाम मिले और कन्ज्युमर्स को सही कीमत पर अनाज। इन दोनों का समन्वय हो रहा है अथवा नहीं, इस ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे इसमें संदेह है। अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका नतीजा स्टेट को भुगतना पड़ेगा। स्टेट ट्रेडिंग जो आधारित किया गया है उस पर चलना है। जो आपकी स्टेट ट्रेडिंग चलाने की मशीनरी है उसको गेयर अप करने की जरूरत है क्योंकि हम आये दिन देखते हैं कि जैसे अनाज खरीदा जाता है तो उसमें इतनी अड़चनें आती हैं कि डिटेल में बताना इस वक्त सम्भव न होगा। शासन का ध्यान उधर आकर्षित करने पर केवल इतना ही कह दिया जाता है कि इतनी कमजोरियाँ तो होती ही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट ट्रेडिंग कोई मामूली चीज नहीं है। अगर एक जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है तो आपको उन तमाम कारणों को खत्म करना पड़ेगा जिसके कारण आज लोगों को यह कहने का मौका मिलता है कि स्टेट ट्रेडिंग इज ए फाल्स थिंग। इस ओर शासन को देखना होगा।

दूसरा प्रश्न शिक्षा का है। शिक्षा एक ऐसा प्रश्न है जिस पर देश के नागरिकों का भविष्य निर्भर करता है और जिससे वे अपनी ड्यूटीज सीखते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह किसी पर्सनल पर्सनालिटी का प्रश्न नहीं है। शिक्षा मन्त्री इस प्रदेश का कोई भी हो, इससे हमारा तात्पर्य नहीं है यह बात अलग है कि हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री जो हैं वह एक बहुत अनुभवशील और क्रियाशील शिक्षा मन्त्री हैं और अपने जजमेंट के अनुसार जो कार्य करते हैं वह कार्य, लेकिन इतना मैं अदश्य कहूँगा कि शिक्षा को कम से कम उन पहलुओं से दूर रखा जाये जिनसे

हमारे और राज्य के काम में अक्सर गड़बड़ी आ जाती है और वह है राजनीति। एक राजनीति और दूसरा केवल धन। उपाध्यक्ष महोदय, राजनीति शिक्षा में कहाँ तक हो, यह शिक्षा मन्त्रीजी पर ही केवल छोड़ें तो यह कहना कठिन है। उसके लिये मैं समझता हूँ कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके लिये सचेत होना पड़ेगा। आये दिन हम देखते हैं कि हमारे शिक्षार्थी शिक्षा की ओर उतनी रुचि नहीं रखते हैं बल्कि इस बात की ओर अधिक रुचि रखते हैं कि अमुक व्यक्ति आज क्या कर रहा है, इस पार्टी के साथ मिलकर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि इस देश में एक मनोवृत्ति, एक धारणा चली आई है और जो अब ज्यादा जोर पकड़ रही है, उसके लिये मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षा मन्त्रीजी और शिक्षा मन्त्री ही नहीं बल्कि मुख्यमन्त्री जी इस प्रदेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के मुख्य व्यक्तियों की एक मीटिंग बुलावें और उनसे आग्रह करें कि अगर आप शिक्षा और राजनीति को एक-दूसरे से अलग रखने में विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि शिक्षार्थी केवल शिक्षा ग्रहण करें, तो अधिक नहीं तो 10 साल के लिये ही शिक्षार्थी और स्टूडेन्ट्स की ओर से आप अपने हाथ घसीट लें। मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रयत्न यदि किया गया तो किसी भी पार्टी में जिम्मेदार व्यक्तियों की कमी नहीं है, प्रत्येक पार्टी इस बात को मानेगी और राजनीति के दलदल से विद्यार्थी वर्ग को फँसाने से बचा सकेगी। यह बिलकुल असम्भव है कि राजनीति में दिलचस्पी लेते हुए हमारे शिक्षार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और देश के लिये अपने को अच्छे नागरिक बना सकें।

दूसरी बात मैं इन्दौर से आये हुए माननीय सदस्य की एक बात के संबंध में कहना चाहता हूँ। उन्होंने स्पेशल कॉलेज का जिक्र करते हुए उपहास स्वरूप कुछ बात कही है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस तरह के स्पेशल कॉलेज का प्रावधान शायद केवल मध्यप्रदेश की ही पंचवर्षीय योजना में है और यह कोई उपहास्य वस्तु नहीं है। यह एक ऐसा कदम है जिसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूँ। यह तो कोई नई चीज नहीं है। दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में है। अमेरिका में है और इन्दौर के माननीय विधायक को भी मालूम होगा कि रशिया में भी ऐसी इन्स्टीट्यूशन्स हैं जहाँ केवल मेरिट और इन्टेलिजेन्स के आधार पर शिक्षा देने का प्रावधान किया जाता है। यह स्वाभाविक बात है कि इन्टेलीजेन्स का ईश्वर ने सोशलिस्टिक आइडियाज से प्रभावित होकर विभाजन नहीं किया है।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मेरी प्रार्थना है कि यह सुझाव देते हुए आप यह कहना न भूलें कि उसमें थोड़ा डिस्क्रेशन यूज करने का प्रावधान जरूर होना चाहिये नहीं तो 37 परसेन्ट वाले लोग कैसे लिये जायेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : तो मैं कह रहा था कि यह कोई नया प्रावधान हमारे देश के लिये न होगा। वैसे देश की अन्य प्रदेशों की पंचवर्षीय योजना में यह है या नहीं, मैं नहीं कह सकता। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस प्रावधान के होने से कम से कम साइन्स, टेक्नॉलॉजी आदि के लिये सुविधा होगी। उन विषयों के लिये साधारण छात्र उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। उनके लिये ऐसे कॉलेज स्थापित होना अनिवार्य हैं। मैं समझता हूँ, यह इस प्रदेश की टेक्नॉलॉजी और साइन्स को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। अभी माननीय सदस्य ने जो कहा वह अपवाद है। उसकी जितनी भी निन्दा की जाये, कम है। मैं नहीं चाहता कि किसी नियम को शिथिल करके एडमीशन दिया जाये।

अब मैं योजना के सम्बन्ध में निवेदन करूँगा कि इस तरह के प्लान को कोरी कल्पना की संज्ञा भी दी जा सकती है और इसे भविष्य का खाका भी कहा जा सकता है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद अगर इस तरह की कल्पना कोई कर सकता है तो यही पीढ़ी कर सकती है। यह कल्पना जिसमें कि यहाँ के नागरिकों को अपने ऊपर बहुत से कर लगाने पड़ेंगे, जहाँ अनेक प्रकार की असुविधायें उठानी पड़ेंगी, अगर स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20, 25, 30 साल बाद की गई होती तो लोग इसको मानने वाले नहीं थे। यह मानवीय स्वभाव है। आज इसकी कल्पना भारत में की जा सकती है। इसका कारण यह है कि जिन लोगों के हाथ में इस योजना को प्रारूप बनाने और इसके कार्यान्वयन करने का भार है वे, वे लोग हैं— चाहे वे शासन के हों, चाहे विपक्षी लोग हों— जिन्होंने अपने जीवन के 20, 30, 50 साल जंगलों में सुख से नहीं काटे हैं बल्कि ऐसे काटे हैं जो आज की कल्पना से काटे हैं। इसलिए हमारे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह अपना सहयोग देकर, परिश्रम करके हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए इस योजना को सफल बनावे।

(विधानसभा कार्रवाई/13 अक्टूबर 1960, पृष्ठ- 988-992)

हम यह भली भाँति जानते हैं कि किसी देश में समाजवाद नौकरशाही के प्रयत्न से नहीं आया है। जब किसी देश में प्रगतिशील कदम उठाये गये तब उसके पीछे उस देश के चन्द उत्साही और क्रान्तिकारी भावना से ओतप्रोत मनुष्य थे जिन्होंने समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
12 मार्च 1958

1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961

1961

9 फरवरी 1961 को श्री नरसिंहराव दीक्षित (उप-गृहमंत्री) ने मध्यप्रदेश नाट्याभिनय विधेयक 1960 (संख्या-24, 1960) प्रस्तुत किया। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए अनेक सदस्यों ने कला की श्लीलता-अश्लीलता पर अनेक कोणों से बहस की। कुछेक ने पुराने कानूनों के हवाले दिये और कुछ ने बिना किसी आपत्ति के विधेयक को मंजूरी देने की बात कही। श्री अर्जुनसिंह ने भी इस बहस में हिस्सा लिया और इस बात पर बल दिया कि कला के प्रश्नों को हल करने के लिए कला विशेषज्ञों की राय को ही सर्वोपरि माना जाना चाहिए। उनके द्वारा 1961 में कही गयी यह बात आगे जाकर 1981 में मध्यप्रदेश में स्थापित संस्कृति विभाग, भारत भवन और इनसे जुड़े व्यापक कला आंदोलन में परिलक्षित होती है। श्री अर्जुनसिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में कला और कलाकारों की स्वायत्तता के प्रश्न को ही संस्कृति नीति का मूलभूत प्रश्न माना और सत्ता को संस्कृति और कला के बीच कभी हस्तक्षेप नहीं करने दिया गया। 9 फरवरी 1961 को हुई इस रोचक बहस के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं—

श्री नरसिंहराव दीक्षित (उपगृहमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश नाट्याभिनय विधेयक 1960 (संख्या 24, 1960) पर तुरन्त विचार किया जावे।

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश नाट्याभिनय विधेयक, 1960 प्रस्तुत करते हुए मैं प्रस्तावना स्वरूप और उसके मुख्य उद्देश्य पर प्रकाश डालने हेतु दो शब्द कहना चाहता हूँ। हमारे जो पूर्व घटक राज्य थे जिनसे नया मध्यप्रदेश बना है उन सब में अर्थात् महाकौशल क्षेत्र में, पुराने भोपाल क्षेत्र में, मध्यभारत क्षेत्र में और विन्ध्यप्रदेश क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के इस हेतु विधान या अधिनियम लागू थे अतः इसका पहला उद्देश्य तो यह है, यद्यपि उनको एकीकृत करके हमने यहाँ पर अभी तक कार्य चलाया; लेकिन इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए प्रथम उद्देश्य यह है कि हम कोई भी एक विधान समस्त राज्य पर लागू करें और अभी तक उसमें जो त्रुटियाँ पाई गई हैं उनको अलग हटा दें। इसी हेतु इस विधेयक को यहाँ पर लाया गया है। जब हम यह विधेयक लाये हैं तो इस सम्बन्ध में जो हमारे अधिनियम और विधान अभी तक लागू थे या आज भी लागू हैं उनके सम्बन्ध में जैसा कि जो 1976 का पुराना केन्द्रीय एक्ट है उसी के समानान्तर विधान हमारे एक बड़े हिस्से में लागू था; लेकिन उसकी धाराओं पर विभिन्न हाईकोर्टस् में, वैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, पंजाब हाइकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने उसकी धाराओं पर आलोचना की हैं और कुछ धाराओं को संविधान के विपरीत ठहराया है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन कमियों को दूर कर यह विधेयक लाया गया है। जो माननीय न्यायालयों ने जो भी विचार प्रकट किये हैं और बताया है कि अमुक अमुक-सी बातें आपत्तिजनक हैं या क्या और होना चाहिये जैसे यदि कोई अधिकारी किसी के विरुद्ध निर्णय करे तो नेचुरल जस्टिस के लिये पहले उस व्यक्ति को मौका मिलना चाहिये कि वह बताये कि जो निर्णय किया जा रहा है वह कहाँ तक सही है। फिर भी विरुद्ध निर्णय हो जावे तो अपील का मौका उसको मिलना चाहिये इत्यादि इस विधेयक में इन सबका प्रावधान किया गया है। जो प्रथम अधिकारी होगा, जो कि नोटिस जारी करेगा व निर्णय लेगा उसकी अपील हाईकोर्ट में की जा सकेगी। ऐसा जो मौका दिया गया है इससे मैं समझता हूँ कि

जो पुरानी धाराएँ थीं, जिन पर कि आपत्ति की गई थी, वह आपत्ति समाप्त हो जाती है और इस प्रकार एक अच्छा मासूम विधेयक मैं इस सदन के विचार हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं नहीं समझता कि सदन इसमें ज्यादा समय लेगा। अतः इस पर विचार किये जाने का मैं अनुरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

मध्यप्रदेश नाट्याभिनय विधेयक : 1960 (संख्या 24, 1960) अर्थात् मध्यप्रदेश ड्रेमेटिक परफारमेन्स बिल, 1960 (नम्बर 24 आफ 1960) पर तुरन्त विचार किया जावे।

श्री विमलकुमार चौरड़िया (गरोठ) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल हमारे मंत्री जी ने "मासूम" की संज्ञा देकर प्रस्तुत किया है, सचमुच में यह मासूम बन जावे तो हमारे नाटकों के कारण जो अपराधों में वृद्धि हो रही है उसमें परिवर्तन होगा। यह ठीक है कि नाटकों पर नियंत्रण करना चाहिये, लेकिन इससे भी ज्यादा जघन्य अपराध के कारण बने हुए हैं, सिनेमागृह जहाँ पर कि भद्दे और विचित्र गानों का प्रसारण बड़ा दुखदाई बन गया है और जबलपुर की घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में कुछ भाषा की दृष्टि से भी दोष दिखाई देता है, विशेष दोष नहीं, मामूली द्रोष है। इसी आशय से मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है किन्तु मेरा जो संशोधन पेश करने का मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि आपत्तिजनक नाटक नहीं होना चाहिये। आपत्तिजनक कौन-कौन सी चीजें हो सकती हैं उसके लिये हमारे बिल में विवरण दिया है।

मेरा यह सुझाव था माननीय अध्यक्ष महोदय कि कामोत्तेजक जो प्रदर्शन होते हैं, अभिनय किये जाते हैं उनको भी बन्द किया जाना चाहिये। वैसे तो श्री गौतम मुनिजी ने कह डाला कि सभी स्त्रियाँ चण्डिका की भाँति हैं, चण्डिका के रूप में हैं, उन्हें उसी तरह देखना चाहियें, सचमुच होना चाहिये, लेकिन आये दिन होने वाले झगड़े, होने वाले लव और होने वाले व्यभिचार से वह चण्डिका का स्वरूप जरूर चाहते हैं तो समाज में एक ऐसा वातावरण बनायें कि जिससे उसका असर हो। आजकल सिनेमा में जो कामोत्तेजक प्रदर्शन किया जाता है उस पर पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। कामोत्तेजना 25 साल के आदमी के लिये हो सकती है वह 60 साल के आदमी के लिये नहीं हो सकती। जो कामोत्तेजना गाँवों में रहने वाले लोगों में हो सकती है वह शहरों में रहने वाले लोगों के लिये उतनी नहीं हो सकती है लेकिन यह सब स्थानीय, एक वर्ग विशेष, एक क्षेत्र विशेष पर निर्भर करता है। इसलिये आपत्तिजनक और कामोत्तेजक पर भी यदि इस बिल में प्रावधान कर दिया जाय तो क्षेत्रीय अधिकारी इसमें नियन्त्रण कर सकने में समर्थ होंगे।

हम देखते हैं कि छोटे-छोटे शहरों में या गाँवों-कस्बों में जहाँ अभी सिनेमा नहीं हैं, वहाँ नाटक चला करते हैं और ऐसे नाटकों को चलाने के लिये ऐसा भद्दा प्रदर्शन करते हैं जो वास्तव में अश्लील और कामोत्तेजक प्रदर्शन की परिभाषा में आता है। संभवतः सिनेमा वाले किसी ऐसे ढंग पर और किसी ऐसे स्थल पर करते हों जो ठीक भी हो लेकिन नाटक वाले इतना भयंकर प्रयोग करते हैं कि वह जब नाटक को चलाते हैं तो एक लड़के को कपड़े वगैरह भी लड़की जैसे पहनाकर और फिर उसके साथ-साथ—

"आना चोरी चोरी बहियाँ गोरी गोरी।"
"रेशमी सलवार कुरता जाली का।"
"तू लड़की मैं लड़का उफ देखा कलेजा फड़का।"

वगैरह जो इसके साथ प्रदर्शन करते हैं तो माननीय अध्यक्ष, इससे एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। समाज में ऐसी भावनाएँ विकसित होती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको भी मोटर में चलते इधर-उधर जो लाउड स्पीकर से सुनने को मिलता है, ऐसे भद्दे ढंग से तो यह समाज के लिये बहुत ही हानिकर बात है इसलिये मैंने इस आशय से संशोधन रखा है आगे जब विस्तार से चर्चा होगी तब निवेदन करूँगा।

दूसरे इसमें यह बताया गया है कि जो सूचना दी जायेगी वगैरा, वगैरा, इसके धारा 3 के उप-खण्ड (4) में— उपधारा (1) के अन्तर्गत दिया गया कोई भी आदेश उद्घोषणा द्वारा सूचित किया जा सकेगा। तो जब आप सूचना देना चाहते हैं तो फिर सकेगा, नहीं चलेगा। उसके लिये जावेगा और जावेगी ऐसे शब्द होने चाहिये। इस तरह का संशोधन है। धारा 4 में आपने बताया है "आपत्तिजनक नाट्याभिनयों को अस्थायी रूप से प्रतिषिद्ध करने

की शक्ति'' तो वह किस स्थिति में हो। जब तक ये दोनों कन्डीशन्स पूरी नहीं होतीं तब तक के लिये यह हो। यदि आपत्तिजनक है और शांति भंग होने वाली नहीं है मगर कामोत्तेजक है तो तब तक प्रतिषिद्ध नहीं किया जा सकेगा जब तक उससे शांति भंग होने की सम्भावना नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको यहाँ ठीक करना चाहिये।

दूसरी चीज पावर्स के संबंध में है पावर्स तहसीलों तक दी जायें तो ठीक है वरन् एस.डी.ओ. तक तो होना ही चाहिए। कोई भी चीज क्षेत्र के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप झाबुआ में चलें और वहाँ के लोगों की पोशाक देखें तो आपको लगेगा कि उनका पहनावा बड़ा अश्लील है। इसके अतिरिक्त यदि आप इन्दौर जावें तो वहाँ के पहनावे में दूसरे ही तरह की अश्लीलता आपको मिलेगी। प्रत्येक जगह के लिये हम एक ही सिद्धान्त नहीं बना सकते। इसलिये इस संबंध में विचार करने के लिये एक कमेटी की स्थापना होनी चाहिए। ऐसा भी इसमें ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि बस्तर के कलेक्टर का तबादला झाबुआ हो गया तो उधर के हिसाब से उसे वहाँ अश्लीलता नजर आ सकती है। इसलिये कमेटी का होना अत्यन्त आवश्यक है जिससे वह प्रतिषिद्ध कर सके कि बस्तर में इतने कपड़े पहनना जायज है और भोपाल में इतने। जब संशोधन आयेंगे तब मैं प्रस्तुत कर सकूँगा अभी तो आप इसे स्वीकार कर लें।

श्री छोटेलाल भारद्वाज (जौरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रायः सभी ऐसे छोटे-छोटे कानूनों पर श्रोता बन कर रहता हूँ। लेकिन मुझे इस पर इसलिये बोलना पड़ा है कि जो उद्देश्य इस कानून को बनाने के बताये गये उनको बहुत गौर से पढ़ने के बाद भी मैं यह नहीं समझ पाया कि क्यों इस विधानसभा का समय फिजूल इस कानून पर खराब किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो शक्तियाँ इसमें दी हुई हैं वे पहले से ही साधारण कानून द्वारा शासन के पास थीं। किसी आपत्तिजनक चीज को रोका जाना चाहिए इसमें किसी के दो मत नहीं हो सकते। लेकिन एक विशेष कानून नाटकों पर रोक लगाने का हो यह बात समझ में नहीं आती। बहुत-सी ऐसी कहानी हो सकती हैं, बहुत से लेख, बहुत-सी कविताएँ होती हैं जो आपत्तिजनक हो सकती हैं तो क्या हर कविता और हर लेख के लिये आप रोक लगायेंगे। आज जब कि नये-नये साहित्यांग और उपांग निकल रहे हैं। जैसे साहित्य का एक नया अंग रिपोर्ताज निकला है। तो दिन-प्रतिदिन नये-नये अंग, उपांग निकलते जा रहे हैं। तो क्या हर एक के लिये इस तरह से आपत्तिजनक कविता, कहानी आदि के लिये अलग-अलग कानून बनायेंगे। यह तो सारा साधारण कानून से ही कवर होना चाहिये। मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, यह सारा का सारा जो आपत्तिजनक अंग है वह पहले से ही संविधान में दिया है और फिर उसे बनाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात जो मुझे कहनी है अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से इसकी स्कीम है, शब्द तक इसमें अजीब तरह के रखे गये हैं जैसे 'अश्लील' 'ग्रास इनडिसेन्ट।' अध्यक्ष महोदय, दुनिया में जैसे पाप-पुण्य के बीच में कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं खींची जा सकी है कि कहाँ तक पाप है और किस सीमा के बाद पुण्य आरम्भ हो जाता है। उसी तरह से यह भी तय नहीं हो पाया है कि कहाँ तक अश्लील के बाद किस सीमा से वह बात श्लील हो जाती है। दोनों के बीच अभी तक कोई लक्ष्मण-रेखा तय नहीं की जा सकी है। कलेक्टर से आप तय करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय, कालिदास के कम से कम 100 श्लोक अश्लील मानने वाले भी लोग हैं, विद्यापति का सारा काव्य ही अश्लील कहा जाता है, जयदेव का सारा काव्य अश्लील कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो जयदेव, विद्यापति और कालिदास का प्रातः स्मरण करते हैं, उनको अभिनन्दनीय मानते हैं। समझ में नहीं आता कि एक आई.ए.एस. ऑफिसर जिसको यह तमीज नहीं होती कि उच्चकोटि का साहित्य और निम्न कोटि का साहित्य क्या होता है उससे आप श्लील-अश्लील की परख करवाना चाहते हैं। अश्लील के बारे में भी बड़ी-बड़ी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं। कभी-कभी कहा जाता है कि नग्न प्रदर्शन अश्लील हो गया। अगर यह नग्न अभिनय अश्लील माना जाये तो फिर कृष्ण की सारी रासलीला ही भारत के साहित्य से निकाल दी जानी चाहिये। मेरा यह कतई मतलब नहीं कि किसी किस्म की गन्दी चीजों को यहाँ मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूँ लेकिन अगर साहित्य में लोक अभिनय या लोक गीतों में ऐसी बहुत-सी चीजें हैं जिसको आज की मध्यम वर्गीय सभ्यता मान्यता नहीं देती। तो क्या उसे आप एक कलेक्टर के हाथ में, जिसको कि लोक नृत्य परखने की समझ तक नहीं होती, उसके हाथ में ऐसे पावर्स देना चाहते हैं कि लोग होली और

नाटक आदि भी न खेल सकें। आमतौर पर दण्ड विधान जब चलता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं जाता क्योंकि 10 हजार आदमी इकट्ठे होते हैं और उसका आनन्द लेते हैं। लेकिन कुछ पुरातनवादी संस्कृति के लोग उसको नापसन्द करें और वह दरख्वास्त दें कलेक्टर को कि साहब यह तो प्रदर्शन अजीब हो रहा है इसे रोक दीजिये। अभी-अभी अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् ने सुना होगा एक कोशिश की गई थी देश के एक बड़े शहर में कि यूरोपीय और भारतीय अभिनय के बीच कोई ऐसा सम्मिलित अभिनय निकाला जाये जो दोनों संस्कृतियों में समान रूप से उपयोग हो सके। एक बहुत बड़े शहर में यह किया गया। उसको कुछ अदालतों ने रोकने की कोशिश की पर कुछ अदालतों ने आगे चलकर उसकी इजाजत दे दी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि साहित्य, संस्कृति, सभ्यता में कुछ ऐसे नये प्रयोग लगातार चलते रहेंगे कि उनको इस तरह किसी अफसर की बिल पर आप छोड़ने की कोशिश करें तो अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जायेगा। इस दृष्टिकोण से यह मैंने कहा। वैसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब कोई भद्दा प्रदर्शन हो रहा हो तो उसको जरूर रोकें। लेकिन जहाँ तक भारत का संविधान इजाजत देता है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है, मुझको सौभाग्य से कुछ ऐसी सांस्कृतिक सभाओं में भाग लेने का मौका मिला है जहाँ पर, अध्यक्ष महोदय, किसी कविता को एक बड़े जनसमूह ने तालियाँ बजा-बजा कर उसका स्वागत किया वहाँ दो-एक बैठे हुए आदमियों ने नाक-मुँह भी सिकोड़ा और कहा कि यह अश्लील है। दो-चार ने उसे श्लील कहा।

तो एक सवाल यह खड़ा होता है कि मानव की वह रुचियाँ जो प्राकृतिक प्रदर्शन की तरफ बढ़ती चली जायें उनमें अश्लीलता है क्या। मेरे विचार से मैं समझता हूँ कि जो कि अन्य अनेक बहुत से लोगों के विचारों पर आधारित है, जो अश्लीलता पर सोच चुके हैं कि जिस भाव के पढ़ने या देखने से मन में विकार पैदा होता है सिर्फ वही अश्लील कहा जा सकता है। अगर हमने नग्नता का प्रदर्शन देखा है या नग्नता के बारे में कोई कविता पढ़ी है लेकिन उससे हमारी भावनाओं में कोई विकार पैदा नहीं होता जैसा कि हमारे यहाँ कृष्ण का साहित्य है या रोम्यो ज्यूलिट की कहानी है जिससे हमारी भावनायें उद्दात होती हैं उसको आप इसलिये अश्लीलता की कोटि में रखना चाहते हैं कि वह कलेक्टर के विचार में अश्लील है यह एक हास्यास्पद बात होगी। भारत के संविधान की कद्र कीजिये परन्तु उस संविधान में जितनी इजाजत लोगों को अपनी भावनाओं को प्रकट करने की दी हुई है उन पर कन्ट्रोल मत कीजिये। इस बिल से ऐसा लगता है कि आप हमारी एक्सप्रेशन की फ्रीडम पर एक नया अंकुश लगाने जा रहे हैं। आखिर इसकी क्या जरूरत थी। हमको मालूम है कि हमारे पास अन्य कानून हैं। अश्लीलता को रोकने के लिये, घृणा की बात को रोकने के लिये भी कानून है और बुरी चीजों के प्रदर्शन के खिलाफ भी बहुत अच्छा कानून है आप उन्हीं कानूनों के आधार पर काम करें तो लोगों में कम से कम कुंठा पैदा होगी और जो नये-नये प्रयोग करना चाहते हैं अभिनय के क्षेत्र में उनको भी सुविधा होगी। दुर्भाग्य से इस प्रदेश में अभी तक एक भी रंगमंच स्थापित नहीं हुआ है यही नहीं तमाम हिन्दी प्रदेशों का यही हाल है। इसकी वजह यही है कि जितना अधिक यहाँ की संस्कृति की थोथी मान्यताओं को माना जाता है उतना ही अभिनय कुंठित होता चला जा रहा है। मैं पिछले वर्ष मद्रास में गया वहाँ पर मैंने तमिल रामलीला देखी। भाषा को तो पूरा समझ नहीं सका, एक तमिल दोस्त जो पास बैठा हुआ था वह समझाता रहा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह दोस्त मेरे पास न होता तब भी वह अभिनय इतना सजीव था कि न समझने वालों को भी उसके हाव-भाव से बहुत कुछ समझ में आ रहा था। अगर यही बिल मद्रास में पास हो जावे तो निश्चित रूप से उस अभिनय को कलेक्टर रोकने के लिये आ जाते। लेकिन मेरे मन पर जो कि एक विभाषी था उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव हुआ। इस संसार में कला की उन्नति की बात सोची जा रही है जब कि हमारे राज्य में इस प्रकार के बिल लाकर कला का गला घोंटा जा रहा है। इस प्रकार के प्रदर्शन से ऐसा लगता है कि किस प्रकार की जो उनकी स्वच्छंद भावनाएँ हैं वे कितनी प्राकृत हैं। आज हम लोगों में जिनकी औरतें परदे में रहती हैं, कुछ फिजूल-सी रूढ़ियाँ हैं और फिजूल चीजें पैदा हो गई हैं कि सभ्यता की दुनिया में जहाँ सभ्य दुनिया आगे बढ़ती जायेगी वहाँ इस सभ्यता ने हमको पीछे भी पटक दिया है। अगर यह सभ्यता पीछे पटकने वाली नहीं है तो यह बुरके और घूँघट क्या हैं। इसलिए हमको इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिये। आप कम से कम पुरानी मान्यताओं को साथ लेकर चलते

रहें जो पुरानी मान्यतायें हमारे पुराने लोगों के दिमाग में थीं तो उससे काम नहीं चल सकता, उनको निकाल दिया जाना चाहिये। जिनको रूढ़ियों से प्रेम है उसके हाथ में कला को आप देना चाहते हैं। दस-बीस कलेक्टर भले ही कला प्रेमी निकल आयें, लेकिन सभी कैसे कला प्रेमी हो सकते हैं। इस प्रकार का अधिकार उनके हाथों में नहीं दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

श्री मुरलीधर घुले (गिर्द) : अध्यक्ष महोदय, सभा भवन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत है और जिस पर अभी भाषण हुए हैं, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। इस बिल में कुछ बातों पर रोक लगाई गई है। जब कोई अश्लील नाटकीय प्रदर्शन किया जाये तो उसको रोका जाना चाहिये। इसमें जितनी चीजों पर रोक लगाई गई है वे सब ठीक हैं और उनकी आवश्यकता भी है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता महोदय श्री भारद्वाज ने भाषण दिया है मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि भारत को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये, इस प्रकार कार्य करने के लिये। उनके भाषण में, मैं जो कुछ समझ पाया हूँ वह यह है कि चाहे जैसा प्रदर्शन हो रहा हो उसको करने की छूट दी जाये।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : आपने मुझे बिलकुल गलत समझा है मेरा मतलब यह नहीं था कि जो भद्दे प्रदर्शन हैं उन पर तो आप इन्डियन पेनल कोड के द्वारा रोक लगा ही सकते हैं उसके अतिरिक्त आप अन्य प्रदर्शन सुपरफ्यूलिटि के हैं उन पर रोक मत लगाईये।

श्री मुरलीधर घुले : उनकी सुपरफ्यूलिटी की बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जो यह कहा कि भारत में हर प्रकार के प्रदर्शन करने की छूट दी जाये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे इस विधेयक में कुछ संशोधन भी प्रस्तुत करने हैं जिनको मैं करूँगा और कुछ मैं अभी भी इस पर कहना चाहता हूँ। इसमें कहा गया है कि इनडिसेन्ट ग्रासली होना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूँ इसमें और तीन-चार चीजें बताई गई हैं, मिलिट्री में किसी प्रकार से उत्तेजना न फैले या पुलिस में किसी प्रकार से कोई भड़काने वाली चीज न हो जाये। कम से कम ये चार चीजें जो बतलाई गई हैं मैं उनको तो उचित मानता हूँ।

is grossly indecent, or is scurrilous or obscene or intended for blackmail.

यह ठीक है। ग्रासली जैसे शब्द का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिये जब पराकाष्ठा हो जाये उस समय ही क्यों कलेक्टर या शासन उस पर ध्यान दें पहले से ही ऐसी चीजों को पैदा ही नहीं होने देना चाहिये। ग्रासली इनडिसेन्ट कोई ड्रामा है, कोई भद्दा मनोरंजन है उसको बढ़ने ही क्यों दिया जाये। इसमें ग्रासली शब्द क्यों नहीं हटा दिया जाता है। वास्तव में, मैं ग्रासली शब्द को हटवाना चाहता हूँ। कोई भी इनडिसेन्ट चीज हमारे सामने नहीं आनी चाहिये और यदि कोई ऐसी चीज होती है तो उसको हटाने का हमको प्रयत्न करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे देश की महान विभूति ने, जो सिनेमाओं में भद्दे चित्रों का जिनसे बहुतों पर हमारे समाज पर बुरा असर, पड़ता है, जिनके प्रदर्शन से एक आन्दोलन-सा चल गया है, और लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। मैं इस दृष्टि से इस बिल को बिलकुल ही अनुकूल और उपयुक्त समझता हूँ। लेकिन इसमें जो "ग्रासली" शब्द है उसको हटा दिया जाये। हरेक देश में इनडिसेन्ट की अलग-अलग परिभाषा हो सकती है। कोई चीज हमारे देश में इनडिसेन्ट हो और वही चीज दूसरे देश में इनडिसेन्ट नहीं हो सकती। परिस्थिति को देख कर उसको देखा जाता है। ज्यादा इसमें वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे मित्र ने इनडिसेन्ट की परिभाषा करके बताया जो चीज विकृत भाव उत्पन्न करें वह अश्लील है। मैं इसको इस प्रकार मानता हूँ कि जिस सिनेमा को या जिस नाटक को हम, हमारे घर के, भाई-बहन, हमारे घर के दूसरे लोग, माता एक साथ बैठकर देख सकें, वह इनडिसेन्ट नहीं है। अगर हम उसको एक साथ नहीं देख सकें और उसको देखने से कुछ लज्जा जैसी मालूम हो वह इनडिसेन्ट है। जो समाज के सामने नहीं ला सकें वह इनडिसेन्ट है। इसमें मैं समझता हूँ किसी की दो राय नहीं हो सकतीं। बाकी जो इसमें 'ग्रासली' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह हटा देना चाहिये।

जो इसमें रूल्स मेकिंग पॉवर की बात है, जैसा कि हमारे मित्र चौरड़िया जी ने कहा कलेक्टर की सलाह के लिये शहर के या उस जिले के लोग, निष्पक्ष लोग, जैसा कि दकियानूसी लोगों की बात कही गई है, मैं उन लोगों की बात नहीं कहता, जो आधुनिक और सभ्य लोग हों, जो किसी नाटककर्ता के पक्षपाती न हों, उनकी सलाह से,

जो जानकार हों, ऐसे दो-चार लोगों की सलाह से, जिनका समाज में आदर होता हो, मानकर कलेक्टर को कार्य करना चाहिये। इस तरह का यदि रूल्स में आ जाये तो मैं स्वागत करता हूँ। हमारे देश में जो इनडिसेन्ट प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगाने के लिये नियम होना चाहिये। अभी सिनेमा के भद्दे चित्रों को लेकर इन्दौर में प्रदर्शन हुए और एक आन्दोलन हुआ था, अधिकारीगण उन पर पाबन्दी भी लगाना चाहते थे, लेकिन इनडिसेन्ट शब्द न होने से पाबन्दी नहीं लगा सके। कानून में जो शब्द था वह ऑबसीन था, इनडिसेन्ट नहीं था इसलिए उस पर पाबन्दी नहीं लगा सके। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि जो अभी वातावरण निर्माण हो रहा है, उसको देखते हुए यह बिलकुल उचित है। मैं इतना ही कहकर इसका समर्थन करता हूँ।

श्री बसन्त सदाशिव प्रधान (धार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक मध्यप्रदेश नाट्य का प्रश्न है इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं आ सकती, परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों के वक्तव्य में जिन निर्णयों का संदर्भ दिया है मैं समझता हूँ उन निर्णयों में जो निर्णय दिये हैं उनका फैलाव बराबर नहीं किया गया। माननीय उप-मंत्री जी ने अपने भाषण में पंजाब का हवाला दिया जरूर था लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, उन तीन निर्णयों में 1958 पंजाब का, 1956 इलाहाबाद का। इन निर्णयों में इलाहाबाद का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। 1876 का एक्ट था। उसमें इन्डियन पेनल कोड की धारा थी उसको निकालने के लिये अपने विचार प्रकट किये थे किन्तु संविधान की धारा 19 के अधीन यह सुसंगत है या नहीं। इलाहाबाद के न्यायाधीश ने निर्णय दिया है कि

"The substantive law should not be unreasonable but the procedural matters should also not be unreasonable."

ये एक महत्व का सिद्धांत अंकित किया है जो कि 1958 का पंजाब ने माना है उसकी प्रक्रियाएँ प्रोसीजरल मैटर्स हैं वह अनरीजनेबिल नहीं होनी चाहिये। यह धारा 4 किसके संगत और असंगत है। धारा 4 में है कि कलेक्टर नाट्य बन्द करने के आदेश दे सकता है। अपने यहाँ पर केन्द्रीय शासन के द्वारा लागू एक विधि है उसमें धारा 7 ऐसी है जिसके द्वारा जो कार्यवाही सार्वजनिक शांति भंग करती हो उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यवाही कर सकता है यदि सार्वजनिक शान्ति को भंग करने वाली कोई कार्यवाही हो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रोक नहीं सकता तो प्रावधान इसमें न रखते हुए 107 के अन्दर कार्यवाही की जा सकती है। 112 के अन्तर्गत नोटिस दिये जाते हैं, नोटिस देने के पश्चात् सुनवाई की जाती है। मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्णय दिये जाते हैं उसकी अपील सेशन्स जज के यहाँ होती है। अगर धारा 4 प्रवाहित करते हैं और इस एक्ट के आधार पर लागू करते हैं तो कलेक्टर को अधिकार है जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर दिये गये हैं वे कलेक्टर इन मुकदमों का निर्णय कर सकते हैं। जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पॉवर नहीं हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह पर उनकी नियुक्ति होती है जिसको तजुरबा होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जगह नहीं भी हो सकती है, उसका निर्णय लेने वाले हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में यह निर्णय लिया कि प्रोसीजर अनरीजनेबल न हो। जो अभिनय रंगमंच पर होने जा रहा है जो उस नाटक का लेखक होगा उसको न बुलाते हुए उस नाटक को अभिनय से एकदम बन्द करने का आदेश दे देना क्या यह आपत्तिजनक नहीं होगा? इसके अलावा धारा 3 और 4 की तुलना करेंगे तो स्टेट गवर्नमेन्ट इस नाट्य अभिनय को सम्पूर्ण बन्द करने के आदेश दे सकती है। जब कि किसी अभिनय का कोई अंश यदि आपत्तिजनक है तो केवल उस अंश को निकालने का आदेश दिया जा सकता है लेकिन धारा 4 में जो प्रावधान दिया गया है उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि यदि किसी नाटक में कोई अंश आपत्तिजनक मालूम हुआ तो पूरे नाटक को ही बन्द करने का आदेश दिया जा सकता है। मान लीजिये एक नाटक है जिसमें 5 अंक हैं उन पाँच अंकों में से एक अंक ऐसा है जिसके लिये कहा जाता है कि यह आपत्तिजनक है तो उस अंक के कारण पूरे नाटक को बन्द कर देना क्या यह अनरीजनेबल नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो अधिकार लोगों को प्राप्त हैं धारा 107 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अधीन उसमें तो केवल आपत्तिजनक अंश को ही रोका जा सकता है : लेकिन हमारे इस विधेयक की धारा से उन अधिकारों पर भी कुठाराघात किया गया है।

दूसरी बात, सन् 1956 का जो निर्णय है उसमें हाईकोर्ट ने यह लिखा है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार था और उसके आदेश के ऊपर अपील थी। माननीय उप-मन्त्रीजी ने इस बात से अपना सन्तोष व्यक्त किया है कि उन्होंने हाईकोर्ट में अपील करने की व्यवस्था कर दी है लेकिन डि. मजि. जो आदेश देता है उसकी अपील हाईकोर्ट में नहीं होती। अब हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार देकर इस प्रकार अपील के बाद हाईकोर्ट में रिवीजन करने का जो अधिकार अभी तक प्राप्त था उसको आपने समाप्त कर दिया और इस प्रकार का प्रावधान रखना संविधान के विपरीत है।

इसके अलावा धारा 2 (छ) में पूर्णतः अशिष्ट या कटु भाषा के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है। मैं निवेदन करता हूँ कि किसी नाटक की भाषा कटु हो सकती है तो उसमें आपत्ति क्या है? कोई भी भाषा कटु हो सकती है लेकिन उससे दुष्परिणाम नहीं हो सकता तो क्या उसको बन्द कर दिया जावेगा। इसी तरह कोई साहित्य की भाषा कटु होने से क्या उसको आपत्तिजनक कहा जावेगा चाहे उन शब्दों से, उस भाषा से दुष्परिणाम कुछ भी न हो।

दूसरी बात, धारा 3 के विषय में निवेदन है कि किसी नाटक को कोई पुलिस या मिलिट्री का आदमी देखता है और दूसरे दिन वह नौकरी छोड़ देता है तो एक व्यक्ति के ऊपर से ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया है। मान लीजिये कि रंगमंच पर कोई अभिनय हो रहा है और एक पुलिस का सिपाही या मिलिट्री का सिपाही देख रहा है उसको देखकर दूसरे दिन वह नौकरी छोड़ देता है तो जहाँ तक पुलिस और मिलिट्री के सुरक्षात्मक कार्यों का सम्बन्ध है, वहाँ तक तो कोई बात समझ में आ सकती है लेकिन केवल एक व्यक्ति पर से क्या वह नाटक आपत्तिजनक कह दिया जावेगा।

मैं शासन से पूछना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति कहता है कि मैंने नाटक देखा है मैं अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो क्या आप उसको आपत्तिजनक मानेंगे। यह तो संविधान की धारा के बिलकुल प्रतिकूल है। यदि आपने पंजाब कोर्ट के निर्णय का उल्लेख किया तो आपने यह समझा नहीं है इसमें आपने उसका पालन नहीं किया। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नाटक के विषय में सदन में बिल प्रस्तुत है उस पर बोलने के लिये कुछ क्षमता की जरूरत है क्योंकि नाटक सबको अच्छी तरह से करना नहीं आता है इसलिये हो सकता है मैं अच्छी तरह न कर सकूँ।

एक माननीय सदस्य : नाटक तो आपने कर लिया है।

श्री अर्जुनसिंह : अभी असली नाटक तो सन् 1962 में होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा देखने को मिलता है कि अपने समाज में अनेक ऐसे पहलू हैं चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हों या और किसी विशेष क्षेत्र में हों जिस पर सब लोग राय व्यक्त करने की क्षमता नहीं रखते। लेकिन यह बात राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों पर लागू नहीं होती। दुनिया की किसी भी बात पर हम क्षमता रखें या नहीं चर्चा कर सकते हैं। कलाकार ने नाटक का खेल बनाया है हममें उसको समझने की क्षमता न हो फिर भी हम ऐसी जगह आ गये हैं जो मुक्तकन्ठ से हम आलोचना कर सकते हैं। शासन समाज के अन्दर जो सुव्यवस्था कायम करना चाहता है उसमें हस्तक्षेप करें क्योंकि ऐसे क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से सद्परिणाम हो सकता है। जहाँ गरोठ से आये हुए माननीय सदस्य को आशा नहीं थी वहाँ मुरैना से आये हुए सदस्य को आशा थी जहाँ एक ही क्षेत्र में आशाएँ और निराशाएँ हों तो कदम बहुत समझकर उठाना चाहिये। मैं कहूँगा कि जो बिल यहाँ आया है उसमें ऐसा जरूर होना चाहिये कि खेल जैसी चीज में राजनीति न हो और मैं श्री भारद्वाज के कहने से सहमत हूँ कि इसे जिलाधीश के ऊपर कि वह इस पर विचार करे उपयुक्त न होगा। इसके लिये हर शहर में प्रमुख कलाकारों की समिति बनाई जावे ताकि जो समस्यायें जिलाधीश के समक्ष आयें उनकी सलाह लेकर, न कि एम.पी. या एम.एल.ए. की सलाह लेकर, उस पर निर्णय कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो अश्लीलता की परिभाषा यहाँ पर करना मैं अपनी बुद्धि के परे समझता हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि प्रायः कला के क्षेत्र में समाज ने, जिसके कि इतिहास में कई प्रमाण देखने को मिल सकते हैं, जब कभी उसके सामाजिक ढर्रे से स्रोत बहता रहता है उससे भिन्न होकर किसी ने आवाज की और वह किसी और पाबन्दी में नहीं कहा जा सका तो हम लोग उसको अश्लीलता की संज्ञा दे देते हैं। अपने देश में और

पश्चिमी देशों में भी ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं कि अमुक तस्वीर किसी कलाकार ने अश्लीलता की प्रेरणा से बनाई है चाहे उसने समाज के बंधनों को उस तस्वीर द्वारा ललकारा हो जिससे कि समाज दबा हुआ है। इस प्रकार के अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। अभी हाल में ही इंग्लैंड में डी.एच. लारेन्स की किताब पर लगभग एक साल मुकदमेबाजी चली। इंग्लैंड में लगभग 25, 30 वर्ष पहले वह पुस्तिका लिखी गई थी और उस समय वहाँ पर इन्डस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बिलकुल नग्न चित्र देखने को समाज में मिल रहा था। वहाँ का जो गाँव का समाज था वह नष्ट हो रहा था। इन्डस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी क्रूरताओं और समस्याओं के साथ जन्म ले रहा था। वह समस्याएँ, क्रूरताएँ चाहे वे किसी के व्यक्तिगत जीवन में हों या सामाजिक जीवन में हों, उनका चित्रण लारेन्स ने अपनी पुस्तिका में किया। उस समय उस किताब पर बेन लगा दिया गया। तीस वर्ष तक बराबर वहाँ के पुस्तक विक्रेताओं ने प्रयत्न किया कि इस पुस्तिका को पब्लिक के सामने ला सकें लेकिन वह अपने प्रयत्नों में सफल नहीं हुए। अन्त में सन् 1960 में पुनः यह प्रयत्न किया गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मत बहुत विभाजित था, फिर भी वहाँ के प्रमुख राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक नेताओं ने भी अदालत में जाकर गवाही दी कि अश्लीलता की परिभाषा इस पुस्तक के द्वारा नहीं की जा सकती है। कोई भी कला की भेंट, वस्तु, कृत्य उतना ही अश्लील है जितना कि पढ़ने वालों का दिमाग है। नाटक के बारे में हैमलेट ने बहुत छोटे दो-तीन शब्दों में ऐसी परिभाषा की है जो अत्यन्त रोचक है। जब उसने अपने चचा (अंकिल) को नाटक दिखाने के लिये नाटक कम्पनी को बुलवाया और कम्पनी ने उससे पूछा कि किस तरह का नाटक दिखवाना चाहते हो तो उसने कहा कि "ड्रामा इज दी मिरर ऑफ लाइफ।" जो ड्रामा लाइफ का मिरर होगा। ऐसे मिरर बनने लगे हैं जिसमें छोटा आदमी बड़ा दिखता है। जो असली सीसा होगा उसके सामने जो रूप खड़ा होगा उसी का प्रतिबिम्ब उसमें देखने को मिलेगा। इसलिये जब कोई समाज इस तरह का मापदंड निर्धारित करने को खड़ा होता है जिसके द्वारा नागरिकों पर बंधन डालना चाहते हैं, देश के ऐसे नागरिकों पर बंधन डालना चाहते हैं, जिनमें क्षमताएँ हैं, या जो विशिष्ट कार्य करते हैं तो विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, सुपरफ्यूएसिटी हो या न हो जब हम कानूनों का एकीकरण कर रहे हैं तो यह अस्वाभाविक नहीं है। चूँकि चारों राज्यों में अलग-अलग कानून थे उनका एकीकरण करने की दिशा में जो कानून बनायें, चाहे वह सुपरफ्लूअस हो या न हो।

इस बात को न भूल जायें कि समाज की भावनाओं को और समाज से जो हमको लाभ होते हैं उन्हें बालाए ताक रख दें। अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे प्रदेश में यह बात सही है कि कला की दिशा में हमने बहुत ही कम तरक्की की है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में कला की ऐसी अनेक कृतियाँ हैं जो ऐतिहासिक महत्व रखती हैं और कला की दृष्टि से भी महत्व रखती हैं। उदाहरण के लिये आप खजुराहो का मन्दिर ले लीजिये।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : खजुराहो को वहाँ का कलेक्टर निश्चित रूप से तुड़वा देगा।

श्री अर्जुनसिंह : इस कानून का भाव ऐसा नहीं है।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : अगर किसी नाटक में उस मूर्ति का रूपक खड़ा कर दिया तो वहाँ का कलेक्टर उस मन्दिर को, उसकी मूर्तियों को निश्चित ही तुड़वा देगा अगर कोई बिगड़े दिमाग का हुआ तो।

श्री अर्जुनसिंह : मैं उसी कल्पना में आ रहा हूँ। कलेक्टर तो दूर की बात है। देश में ही ऐसे समर्थ व्यक्ति, सभ्रांत व्यक्ति हैं कि उनका ही प्रयत्न ऐसा हो सकता है कि इसको तोड़ दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस कलाकार ने उन मूर्तियों को गढ़ा है वह कलाकार छेनी को यदि किसी पत्थर के टुकड़े पर जरा-सी इधर-उधर कर देता तो जो सजीवता उसमें मिलती है वह आज न मिलती। अध्यक्ष महोदय, यह तो अपना-अपना दृष्टिकोण है समय-समय पर बदलता रहता है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए समाज में कला का जहाँ तक प्रश्न है उसके प्रति विशिष्ट सम्मतियों को ध्यान में रखते हुए कलाकारों की एक समिति होनी चाहिये और उनके परामर्श से ही इस प्रकार के काम में हस्तक्षेप किया जाये! माननीय मन्त्री महोदय इस बात पर अवश्य ध्यान रखेंगे कि जब जिलाधीश को कोई आज्ञा देनी होगी तो वहाँ एक कलाकारों की अनौपचारिक समिति का गठन कर लें और जो कार्य किया जाये उनके सलाह मशविरे से ही किया जाये तभी उपयुक्त होगा।

श्री सुन्दरलाल पटवा (मनासा) : माननीय उप-वित्त मन्त्री जी के मद्यपान चर्चा की समाप्ति के साथ ही माननीय उप-गृहमन्त्री दीक्षित जी का नाट्याभिनय प्रारम्भ हुआ। मैं इसके बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : आप भी एक कलाकार हैं।

श्री छोटेलाल भारद्वाज : कार्य मन्त्रणा समिति के सदस्य का कार्यक्रम चुनने की कला स्पष्ट मालूम होती है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह के कानून के प्रावधान करने की आवश्यकता आज है इससे तो मैं इन्कार नहीं कर सकता परन्तु हमारे देश की प्राचीन परम्परा में शासन अच्छा माना वही गया है कि जो लोगों के ऊपर कम से कम शासन करे, लोगों के जीवन में जितना कम से कम हो सकता हो हस्तक्षेप करे उसको ही अच्छा राज माना गया है वैसे तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज बनाकर रहता है। समाज की सुव्यवस्था के लिये अत्यन्त आवश्यक है मनुष्य की गतिविधियों पर कुछ नियन्त्रण प्रस्थापित किये जायें। प्राचीनकाल में समाज की धारणा के लिये मनुष्यों पर आचरण धर्म के आधार पर नियंत्रित होता था राज्य शासन के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती थी। परन्तु आज का शासन सर्वग्राही होता जा रहा है मनुष्य के बोलने में, खाने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, आज मनुष्य की सारी गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिये नये-नये प्रकार के कानूनों का जंगल आप खड़ा करते जा रहे हैं और उसी जंगल में एक नया पेड़ यह और लगा रहे हैं।.....

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/9 फरवरी 1961/पृष्ठ - 191-202)

CAREER COLLEGE ACC.No..... Book No..... Date..... B.K.E.L. BHOPAL
26922

प्रश्नोत्तर के बाद विभागीय माँगों पर चर्चा प्रारंभ हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुँच पाने की समस्या उठायी। उन्होंने ग्रामीणों और गाँवों में काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के सामंजस्य पर जोर देते हुए यह सुझाव दिया कि सरकार जनता के हित में बनी योजनाओं की व्यापक जानकारी जनता तक पहुँचाये। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारें चाहे किसी भी दल की बनें हमें हर हालत में प्रजातंत्र की रक्षा करनी होगी। उनके इस वक्तव्य के कुछ अंश यहाँ प्रकाशित हैं—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज शासन के कुछ प्रमुख विभागों पर चर्चा हो रही है। जिन माँगों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, उनके द्वारा हमारे शासन के लाभ, उन्हीं सभी महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित हैं जिनसे शासन की क्षमता को नापा जा सकता है। एक कहावत है अध्यक्ष महोदय, शासन कैसा हो इससे जनता का तात्पर्य नहीं रहता, लेकिन शासन चलता कैसे है, इस पर हम शासन के महत्वपूर्ण विभाग, गृह, कृषि, प्लानिंग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों को देखें। पुलिस, प्लानिंग, एग्रीकल्चर इतने हमारे शासन के कार्य हैं और इनके अन्तर्गत जो कार्यप्रणाली है उसको हम देखें कि इनके अन्दर किस तरह से कार्य हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कृषि ही एक महत्वपूर्ण विषय है। कृषि के संबंध में अनेक प्रकार की योजनाएँ बनीं, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि हमारे प्रदेश के किसानों और शासन के अफसरों के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए वह नहीं है। इससे जो होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वह केवल अधिकारी के रूप में किसानों के पास जाते हैं। अधिकारी के रूप में जाने से किसानों को उन पर विश्वास नहीं होता है और इसी प्रकार अधिकारियों को किसानों पर विश्वास नहीं होता है। इस संबंध में मुझे स्मरण है, केन्द्रीय शासन ने नालागढ़ कमेटी नियुक्त की थी। कृषि विभाग का जो ढंग है, जो कार्यप्रणाली है उसके संबंध में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी केन्द्रीय सरकार को दे दी। केन्द्रीय शासन ने, मुझे ऐसा स्मरण आता है, राज्य शासनों को भी वह रिपोर्ट भेजी है। नालागढ़ कमेटी की रिपोर्ट पर शासन ने क्या कदम उठाया या नहीं उठाया, उसकी जानकारी आज तक शासन ने नहीं दी। सदन में उसको नहीं बताया गया और न ही प्रदेश की जनता को कोई जानकारी दी गई। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे।

दूसरे प्लानिंग आज के वर्तमान युग में एक महत्वपूर्ण अंग है। प्लानिंग को लेकर जहाँ बहुत-सी अच्छी बातें होती हैं, वहाँ बहुत-सी ऐसी बातें हो जाती हैं जिन्हें प्लानिंग की संख्या देना ठीक नहीं है। हमारे प्रदेश में, गाँव

में प्रमुख स्कीमें बनाई गईं, गाँव के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट के कार्य करना हैं और अन्य कार्य जो गाँव के होते हैं वे करना हैं।

इस मापदण्ड को रखते हुए अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि क्या सामुदायिक विकासखंड जहाँ खुले हैं वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए हैं या नहीं। चेष्टाएँ की हैं, उनकी वजह से सफलता प्राप्त करने की आशा रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम यह मानने को तैयार हैं कि एक बड़े हिस्से में गाँवं के अन्दर लोगों में यह भावना पैदा हुई है, चाहे विकासखंडों के खुलने के कारण पैदा हुई हो या स्वाभाविक रूप से पैदा हुई हो कि हमें आगे बढ़ना है, काम करना है। यही कारण है कि गाँव-गाँव में ऐसे कार्य हो रहे हैं जिनका श्रेय गाँव वालों को होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, देख यह रहे हैं कि आज हमारे अधिकारीगण ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर या जिनके माथे शासन तंत्र चलता है, उन पर ऐसा गधा बोझ बराबर रखा है कि उनके पास इतना भी समय नहीं रहता कि वे गाँव की जो समस्याएँ हैं, जिनको विकासखंड में प्राथमिकता मिलना चाहिए उनकी ओर जरा भी ध्यान दे सकें। देखते यह हैं कि प्रत्येक विभाग से लगभग महीने में सौ-डेढ़-सौ लेटर्स आते हैं जिनमें बड़े-बड़े प्रोफार्मा भरने के लिए भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि इनको भरकर 7 दिन में वापिस भेजें। तो एक तरफ उनसे यह प्रोफार्मा 7 दिन के अन्दर माँगा जावे दूसरी ओर ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर या अन्य ऐसे ही ऑफिसर पैदल जाकर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, अन्य लाभदायिक बातों के सम्बन्ध में समझाएँ, मदद करें तो हम उनसे क्या यह आशा कर सकते हैं कि 7 दिन में वे ऐसे प्रोफार्मा भरकर भेज सकते हैं। तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने प्लानिंग के उन सिद्धांतों को भुला दिया है या वास्तविकता को देखने में असमर्थ हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यह बिलकुल असम्भव है और इस ओर मैंने शासन का ध्यान अन्य कई जगहों पर दिलाया है और मैं इस विभाग से संबंधित नये उप-मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि वह कोई ऐसा तरीका निकालें कि कम से कम पेपर वर्क उनको दिया जावे या फिर वे उसके असिस्टेन्ट्स को अथाराइज्ड करें ताकि उन अधिकारियों को विकासखंड से सम्बन्धित ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिसिटी जैसा डिपार्टमेंट आज अच्छे रास्ते पर चल नहीं रहा है, जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने भी कहा है। पब्लिसिटी क्या हो, इसको अच्छी तरह से अपने प्लान के कम्पेरीजन में समझने की कोशिश नहीं की कि हमारे शासन के प्रमुख लोग हैं इनकी गतिविधियाँ क्या हैं। शासन द्वारा जो विशेष प्रोग्राम चल रहे हैं, या महत्वपूर्ण बिल हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं जो जनता को लागू किये गये हैं, उनकी जानकारी जनता तक पहुँचाना आवश्यक है।

माननीय उपाध्यक्ष, विधानसभा में और अखबारों द्वारा इस बात को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि लैंड सीलिंग बिल हमारे यहाँ लाया जा रहा है, उससे हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। यह सर्वसाधारण के सामने लाया गया किंतु इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को पब्लिसिटी विभाग ने किसी भी अंक में विशेष महत्व न देकर हमारी जनता के बीच पहुँचाने का प्रयत्न नहीं किया। अच्छा यह होता कि हमारे यहाँ के "किसानी समाचार" छपते हैं उसमें मीटिंग आदि के समाचार छपते हैं, उसमें मीटिंग आदि के समाचार छापने के बजाये लैंड सीलिंग के समाचार छापे जाते जिससे लोगों को मालूम होता कि हम समाजवादी ढाँचा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अच्छा यह होता कि बजाये इसके कि ऐसे पैम्फ्लेट्स जिनमें मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों के दौरे का विवरण दिया जावे, लैंड रेव्हेन्यू कोड का प्रचार किया जाता तो उससे हम शिकमी काश्तकारों को सूचना दे सकते कि उन्हें विशिष्ट अधिकार देने की आवश्यकता है।

श्री सीताराम जाजू : मैं जानना चाहूँगा ऐसे पैम्फ्लेट्स के बारे में जिनमें मन्त्रियों और उप-मन्त्रियों के दौरे छपते हों। यह जानकर मुझे कुछ लाइट मिलेगी इसलिए मैं ऐसा उदाहरण चाहूँगा।

श्री होमी एफ. दाजी : उनका मतलब मैगजीन्स से है, पैम्फ्लेट्स से नहीं है। आप शब्दों पर मत जाइए।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : हमारे प्रदेश में क्या कोई ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम नहीं है कि लैंड रेव्हेन्यू कोड में क्या रक्खा गया है? क्या कोई ऐसे बचे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि किसानों को नहीं मालूम कि आपने उच्चतम और न्यूनतम सीमा क्या बाँधी है?

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : सीमा सब जानते हैं।

श्री होमी एफ. दाजी : कई मेम्बर होंगे जिनको नहीं मालूम होगा।

डॉ. कैलाशनाथ काटजू : आप लेबर लीडर हैं, आप जानते होंगे।

श्री होमी एफ. दाजी : मैं नहीं, कई आप में से ऐसे होंगे।

श्री अर्जुनसिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि जो-जो महत्वपूर्ण काम शासन ने किए हैं उनकी जानकारी जनता तक पहुँचाने का माध्यम पैम्फ्लेट्स होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, रीवा से आये हुए विधायक जो अपना भाषण देने के बाद दूसरे का भाषण सुनना अच्छा नहीं समझते, उन्होंने भोपाल-जबलपुर का उल्लेख किया। जबलपुर का उल्लेख करना मैं इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि शासन ने एक कमीशन नियुक्त किया है, वह कमीशन काम करेगा इसलिए उसके कार्य को प्रिजुडिस करना उचित नहीं होगा। सामूहिक रूप से यह कहना आवश्यक है कि जबलपुर के बारे में या ऐसी ही जहाँ अन्य घटनाएँ हुई उनके बारे में जब हम चर्चा सुनते हैं प्रायः लोगों से तो यह सुनने को मिलता है कि कितने हिन्दू मारे गये, कितने मुसलमान मारे गये, कितने हिन्दुओं के घर जलाये गये, कितने मुसलमानों के घर जलाये गये, किसने पहले शुरू किया और बाद में किसने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहिले जो विषाक्त वातावरण बना था, और जब किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के अलावा किसी दूसरी बात को सोचने की क्षमता भूल गये थे, उस समय उस विषाक्त वातावरण को शांत करने के लिए हमें अपने राष्ट्रपिता की अन्तिम आहुति देना पड़ी। यदि हम इसको पुनः जीवित करेंगे तो राष्ट्रपिता की टक्कर का मनुष्य इस देश में नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति की आहुति देना चाहते हैं तो इससे बढ़कर कलंक इस देश में पुनः होगा, यह कहने की बात नहीं होगी।

जहाँ तक बस्तर का सवाल है, हमारे रीवा से आये हुए माननीय सदस्य ने संविधान और उसके द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जो अधिकार दिए हैं बोलने के, उनका उल्लेख किया है। जहाँ तक उन्होंने संविधान और उसके द्वारा अधिकार और संरक्षण का जिक्र किया है उससे मैं सहमत हूँ। वह चाहे कोई भी हो, चाहे साधारण नागरिक हो या कोई एक्स रूलर हो, उसको भी उतना ही अधिकार है लेकिन हमें इस समस्या पर विचार करते हुए यह नहीं भूल जाना चाहिये कि प्रजातन्त्र की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बस्तर का जो सवाल यहाँ पर रीवा से आये हुए माननीय सदस्य ने उठाया है, वैसे उस पर कार्यवाही करीब-करीब खत्म हो चुकी है। वैसे अध्यक्ष महोदय, आज के इस युग में, इस प्रजातन्त्र युग में संविधान द्वारा यह स्वतन्त्रता तो सबको ही दी गई है कि हम यह कह सकें कि अमुक शासन खराब है और दूसरा शासन आना चाहिये, सोशलिस्ट पार्टी का शासन आना चाहिए या जनसंघ का शासन आना चाहिए, इस तरह की चर्चा करने के लिए हम पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। लेकिन अगर कोई दल यह कहे कि प्रजातन्त्र ही यहाँ से उठा देना चाहिए तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि जिसने इस प्रजातन्त्र को जन्म दिया और अगर कोई उस प्रजातन्त्र की मूल को ही, कल्पना को ही चुनौती देता है तो यह मेरी कल्पना के बाहर की बात है और जो कुछ भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई है तो इस बात को भुला देना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। फिर रीवा से आए हुए माननीय सदस्य बड़े विवेकशील हैं और वे इस चीज पर परदा डालें, तो अध्यक्ष महोदय, उनके लिए इस तरह शासन की बदनामी करना उचित नहीं है।.....

(विधानसभा कार्रवाई- 21 मार्च 1961, पृष्ठ- 2119-2122)

वन मन्त्री श्री शंभुनाथ शुक्ल ने माँग संख्या-5 वन और माँग संख्या 18 वैज्ञानिक विभाग के लिए राज्य की संचित निधि में से व्यय के निमित्त राशि की माँग प्रस्तुत की। इन माँगों पर चल रही चर्चा में श्री अर्जुनसिंह ने विस्तार से हिस्सा लिया और मध्यप्रदेश के वनवासी लोगों के हित में शासन के समक्ष अनेक विधेयात्मक प्रस्ताव और सुझाव प्रस्तुत किये। प्रदेश की खनिज सम्पदा से भविष्य में मिल सकने वाले लाभ की ओर भी उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उनका विस्तृत वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज वन और नैसर्गिक साधन विभाग की माँग पर चर्चा हो रही है। हमारे वन मन्त्री महोदय ने कई बार सदन को बताया कि हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से घिरा हुआ है और हमारी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से ही प्राप्त होता है। जहाँ ज्यादा हिस्से में गाँव हों वहाँ पर स्वाभाविक है कि प्रदेश के अधिकांश नागरिक जो जगह-जगह फैले हुये गाँवों में रहते हैं वे भी वनों के आसपास ही रहते हैं और इस प्रकार से वन निस्तार की अनेक समस्याएँ खड़ी हुई हैं। शासन ने एक वन निस्तार समिति का गठन किया है जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रही है और इसके पश्चात् जो निस्तार की समस्याएँ उसके सामने आयेंगी उनके बारे में अपना प्रतिवेदन देगी लेकिन निस्तार समिति का प्रतिवेदन जब आयेगा तब उस पर कार्यवाही होगी और इससे जो नित्य प्रतिदिन की उत्पन्न हुई समस्याएँ निस्तार की हैं, उनका कहाँ निराकरण होता है।

निस्तार समिति अपने प्रतिवेदन में क्या कहती है, क्या सिफारिश करती है यह तो भविष्य की बात है। लेकिन आज जो समस्याएँ आये दिन खड़ी रहती हैं उनको सुलझाने के लिये शासन जो भी नियम उस सम्भाग में उस समय चल रहे थे उनमें थोड़ा हेरफेर करके उस जिले, उस सम्भाग में लागू कर देता है। एक काम तो बहुत ही अच्छा किया है शासन ने कि निस्तार की जितनी अधिक से अधिक सुविधाएँ वे लोगों को दे सकते हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाता है। जब तक एक निश्चित नीति शासन पूरे राज्य के लिये नहीं बना लेता है उस समय तक अलग-अलग सम्भाग के लिये अपने अलग-अलग निर्णय लेता है। उसमें मेरा यह सुझाव है कि यह निर्णय लेते समय उनको ग्राम पंचायतों या एड्वाइजरी कौंसिल से भी राय लेनी चाहिये क्योंकि स्थानीय संस्था होने के कारण वे वहाँ की चीजों को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। इसलिये उनसे राय लेना उचित होगा बजाये इसके कि यह निर्णय करना अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया जाये और वे अपने मनमाने तरीके से उन पर निर्णय करें। स्थानीय संस्थाओं से सम्मति ली जाना चाहिये।

एक बात मैं, वन मन्त्री महोदय से उन स्थानों के संबंध में कहना चाहता हूँ जहाँ पर आदिवासी रहते हैं और घने जंगल हैं। वहाँ पर उनकी खेती को जंगली जानवर काफी नुकसान पहुँचाते हैं। आदिवासी यह पूरा प्रयत्न करते हैं कि जंगली जानवर उनकी खेती को नुकसान न पहुँचा सकें लेकिन जो हिंसक जानवर हैं जैसे शेर, चीता उनके संबंध में शासन ने बहुत वैसे नियम बना दिये हैं। जहाँ तक शिकार का संबंध है, वहाँ तक तो ठीक है। यदि शिकारियों से शासन को कुछ आमदनी होती है तो वह भी ठीक है लेकिन उन आदिवासियों का जिनका सारा जीवन खेती पर चलता है और खेती के लिये बैलों की बड़ी आवश्यकता रहती है, यदि उनका एक भी बैल कोई जानवर खा जाये तो उनकी तो सारी सम्पत्ति समाप्त हो जाती है और वह कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय इसके कि वे पटवारी के पास जायें, रेन्जर के पास जायें और उनके सामने अपनी स्थिति को रखें और अपना दुखड़ा रोयें। उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिये इस संबंध में कोई व्यवस्था होना चाहिये, नहीं तो वे लोग सिवाय इसके कि अपने हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायें, कुछ नहीं कर सकते।

प्रदेश में नई-नई सेन्चरी खोली जा रही हैं, जंगली जानवरों को संरक्षण देने के लिये। जंगली जानवरों के जीवन की रक्षा करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य है लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों के जीवन की रक्षा की जाये, जो जंगलों में पड़े रहते हैं। यह जो सेन्चरीज खोली जा रही हैं यह ऐसे स्थानों पर खोली जाना चाहिये जहाँ पर आबादी कम हो। यदि ऐसे स्थानों पर सेन्चरीज खोली जाती हैं जहाँ पर आबादी भी है तो यह पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिये कि लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुँच सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं माननीय मन्त्री के अन्तर्गत जो मिनरल और नैसर्गिक विभाग हैं, उनके संबंध में कहना चाहता हूँ। इस विधानसभा में तृतीय पंचवर्षीय योजना पर चर्चा हुई और अभी हाल ही में माननीय मुख्यमन्त्री ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में होने वाले अनेक कामों की चर्चा की। उसे सुन कर ऐसा लगा कि प्रदेश की बहुत बड़ी प्रगति होने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो ड्रॉफ्ट फाइव इयर प्लान का है, उसके पृष्ठ 128 पर दिया है :—

Large scale mineral development in M.P. holds the key for its future prosperity.

और इसी पैराग्राफ के आखिर में लिखा है :—

Inspite of large potentialities for mineral development in Madhya Pradesh, only a small percentage of the total mineral wealth of the State is at present under exploitation and vast areas are still lying untapped.

एक ही पैराग्राफ में दो बिलकुल अलग-अलग और असंगत बातें इसमें देखने को मिलती हैं। एक तो इस बात को मान रहे हैं कि मिनरल डेवलपमेन्ट होना आवश्यक है, लेकिन इसके लास्ट पैराग्राफ में जो काम हुआ है, वह जितना होना चाहिये हम नहीं कर सके हैं, इसको बताया है। मैं इसके बारे में शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमें यह प्रमाण मिलना चाहिये कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में मिनरल डेवलपमेंट के लिये क्या करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने देखा कि पाँच वर्षों में इसके डेवलपमेन्ट के लिये कितनी रकम रखी है। देखने पर मालूम हुआ कि हम 1 करोड़ 7 लाख रुपया 5 वर्षों में इसके ऊपर खर्च करेंगे। 3 सौ करोड़ रुपये की हमारी योजना और मिनरल डेवलपमेन्ट के लिये केवल 1 करोड़ रुपया, जब कि उससे हमारे प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल होने वाला है, रखा है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। मैं शासन के सामने जबरदस्त शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि जो हमें इस संबंध में करना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं। हम इसको कर क्यों नहीं पा रहे हैं, इसके संबंध में शासन के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं, इसे शासन जानता है। लेकिन जो कुछ जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर हमें शासन की कठिनाई के दो कारण प्रतीत होते हैं। पहला तो यह कि जितनी पर्याप्त मात्रा में धनराशि चाहिये वह नहीं है। दूसरा कारण यह समझ में आता है कि मिनरल डेवलपमेन्ट के लिये कोई लाँग पॉलिसी शासन ने नहीं बनाई है। यह बात दूसरी है कि कोई खदान मिल गई, शासन ने 2, 3 कमेटी बनाई, कुछ लोगों को लायसेन्स मिल गये और काम खत्म हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, धन की समस्या है भी और नहीं भी। तीन सौ करोड़ की योजना प्रदेश के लिये बन सकी है। मैं ऐसी कल्पना करता था कि इसके लिये काफी रकम रखी जायेगी। 3 सौ करोड़ में से केवल 1 करोड़ देना मेरी समझ में नहीं आता जबकि दूसरे कामों के लिये प्रावधान किया जा सकता है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और दूसरे विभाग हैं, जिनके करने की क्षमता है। इसलिये मेरा निवेदन है जो एक करोड़ रुपया रखा है, वहाँ अगर 10 करोड़ का प्रावधान किया जाता तो मैं मानता कि हम काफी ध्यान दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के भाषण पर हो रही चर्चा के समय अपना यह सुझाव दिया था, उस वक्त शायद शम्भुनाथजी शुक्ल बीमार होने के कारण अनुपस्थित थे, वह यहाँ मौजूद नहीं थे।

मैं इसको दोहराना चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, यह समस्या पश्चिमी बंगाल में जो छोटा-सा प्रदेश है और जिसकी आमदनी का जरिया भी टेप किया जा चुका है, वहाँ भी यह समस्या बहुत बड़े इन्वेस्टमेन्ट की थी। उन्होंने इसके लिये नया तरीका अपनाया। पहले इसकी प्लानिंग कमीशन से मन्जूरी लेना पड़ी, अन्त में डॉ. वी.सी. राय ने एक तरीका रखा। उन्होंने एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर यह तरीका निकाला कि फारेन कम्पनी वहाँ आये और प्रायवेट सेक्टर्स जिनको हम प्राथमिकता देना चाहते हैं, को लाभ हो। उन्होंने यह किया कि एक कार्पोरेशन बनाया जिसमें 52 प्रतिशत शेयर फारेन कम्पनी के और 48 प्रतिशत स्टेट ओनरशिप रखी। इसके साथ-साथ यह भी रखा कि पाँच बरस बाद कभी भी स्टेट गवर्नमेन्ट का यह ऑप्शन रहेगा कि वह जब चाहे दो प्रतिशत अपने शेयर रखकर 50 प्रतिशत बराबर-बराबर कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी बंगाल में जब यह चीज चलाई जा सकती है तो मध्यप्रदेश में, जहाँ अपार धन पड़ा है और जिसको निकालने को हमारे पास पैसा नहीं है, इसको क्यों न अपनावें? मैं आशा करूँगा कि माननीय मन्त्रीजी इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

दूसरा प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, लाँग टर्म पॉलिसी का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख है कि मिनरल डेवलपमेन्ट बोर्ड बने, यह अच्छी चीज है। लगभग एक वर्ष पूर्व एक मिनरल डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की गई थी। उसने अपने प्रदेश के किन-किन भागों का सर्वेक्षण किया, कौन-कौन सी स्कीम्स चालू करने लायक हैं, जहाँ तक मुझे मालूम है, सदन को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। अच्छा होगा यदि बोर्ड का कार्यक्रम

सदन को दिया जावे जिससे हमें मालूम हो कि किस तरह आप लाँग टर्म प्लानिंग सोचते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक-दो खनिज पदार्थों के कार्य हैं जिनकी ओर मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा वह है जिसके बारे में जापान और केन्द्रीय सरकार में लोहे के खदान के बारे में समझौता हुआ है और 6 मिलियन टन टारगेट फिक्स हुआ है जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ हमारे प्रदेश से एक्सपोर्ट का प्रश्न है, मैं यह जानना चाहूँगा कि केवल मध्यप्रदेश में ही यह पदार्थ होने के कारण और बाहर निर्यात होने से हमारे राज्य शासन ने केन्द्रीय सरकार से यह माँग रखी है कि इसमें राज्य शासन को भी हिस्सा मिले ताकि कभी भविष्य में विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने पर कोई स्कीम विदेशी मुद्रा के अभाव में ड्रॉप न होकर इसमें इस्तेमाल कर सकें?

उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्यात कार्य है, इसमें केन्द्रीय शासन का ही निर्णय होगा परन्तु हमारा शासन केन्द्रीय शासन का ध्यान आकर्षित करे कि जो कुछ वह हासिल करे उसमें से हमारे प्रदेश शासन को हिस्सा मिलना चाहिये।

दूसरे सिंगरौली कोल फील्ड के बारे में एक बात मुझे माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना है। अपने प्रदेश की वह बहुत बड़ी खनिज पदार्थ की खोज है। मैंने पहले कहा था कि बहुत अच्छा होता कि इस खोज की सूचना विधानसभा को दी जाती बनिस्बत इसके कि लोकसभा को दी गई।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं देखता हूँ कि वह बात केवल भावना के रूप में मैंने रखी है और अब उसको दायित्व के रूप में शासन के सामने रखना होगा। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने प्लानिंग कमीशन का जो टारगेट आउट लाइन बनाया है उसमें मध्यप्रदेश के कोयले की खदान की चर्चा की गई है, इसके द्वारा मध्यप्रदेश में 5 सालों में कोयले की बढ़ती होगी, तो यह हो सकता है लेकिन उसमें सिंगरौली के कोयले को कोल फील्ड के बारे में कहीं भी नहीं कहा गया है और ऐसा क्यों किया गया है, यह तो कुछ भी मेरी समझ में नहीं आया है। जितना ध्यान हमें मिनरल डेवलपमेन्ट की तरफ देना चाहिये था उतना ध्यान हम नहीं दे पा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन्त्री महोदय स्वयं इसमें दिलचस्पी रखते हैं इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली कोल फील्ड में शायद दो सालों में एक्सप्लॉयटेशन हो जायेगा और जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया है कि यह हो चुका है और वहाँ एन.सी.डी.सी. काम करेगी और इसके लिये 25 लाख रुपया हमको केन्द्रीय सरकार से मिलेगा तो उपाध्यक्ष महोदय, 25 लाख रुपया ले करके क्या हमें संतोष कर लेना चाहिये जबकि हर प्रदेश इस बात के लिये उत्सुक हैं कि उनके ऐरिया में आज जो भी पत्थर हों उसका भाग भी केन्द्रीय सरकार का हो तो वह पार्टी बेसिस पर होना चाहिये न कि रॉयल्टी बेसिस पर हो। आज हमें कोई कठिनाई उपस्थित होती है तो हमको इस बात को केन्द्रीय सरकार के सामने रखने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये कि आप जो हमें रॉयल्टी देते हैं वह तो ठीक है लेकिन आप इसको पार्टनरशिप के आधार पर कीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, इस रॉयल्टी के विषय में माननीय मंत्री महोदय ने कहा है अभी कुछ महीने पहले हमारे राजस्व मंत्री महोदय सीधी पधारे थे। सीधे के निवासियों के लिये जो कि बेचारे बहुत ही पिछड़े हुए हैं जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ हिस्सा है प्रदेश का, वहाँ की आब-हवा ऐसी है कि वहाँ की आब-हवा में खेती नहीं होती है और न वहाँ सिंचाई की सुविधा हो सकती है, जब से उन बिचारों को यह पता चला है कि यहाँ कोल फील्ड होने वाला है तब से वे लोग एक अच्छी तस्वीर देखने लगे हैं। लेकिन वे चिन्तित भी हैं इसके लिये कि वहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर काम होने नहीं जा रहा है जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री तामस्कर जी ने भिलाई के बारे में कहा है कि बहुत-सी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं, इन्डस्ट्रियल कन्सर्न से ग्रामों के बीच में बहुत-सी समस्यायें खड़ी हो जाती हैं तो वह तो एक अलग चीज है, उसका तो हमें सामना करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि यहाँ कोयले की खदान खुलने के बाद सीधी के लोगों को ज्यादा काम करने का मौका मिलेगा। उनका यही काम नहीं होना चाहिये कि खदान के 100-50 फीट नीचे जाकर के अपने बदन को काला करें और सिर पर ढोकर रेल्वे में जाकर के उसको लाद दें और उनको कोई लाभ न मिले। उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को दृष्टि में रखकर के सीधी जिले की कांग्रेस की ओर से यह प्रस्ताव किया गया है कि जो भी रॉयल्टी आपको सीधी के डेवलपमेन्ट कोल फील्ड से मिले उसको

आप वहाँ के लोकल कार्य करने के लिये दे दें और उसका कारण यह है कि जब हम कोई माँग करते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास सड़कें बनाने के लिये पैसा नहीं है और कोई दूसरे काम करने के लिये पैसा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सत्य है लेकिन पिछड़े हुए हिस्सों को आगे बढ़ाने के लिये विशेष प्रयत्न करना आवश्यक है। इस बात को दृष्टिगोचर रखते हुए यह माँग की गई है और मैं प्रार्थना करूँगा कि अनुपात में जो शासन उचित समझे, दे। लेकिन इस माँग पर शासन विचार करे और जो उचित हो वह वहाँ की जनता को सहायता देने का प्रयत्न करे। इन शब्दों के साथ शासन ने जो माँग प्रस्तुत की है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/23 मार्च 1961, पृष्ठ/2343-2348)

1961-62 की माँगों पर मतदान। स्वास्थ्य मंत्री रानी पद्मावती देवी ने चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उसमें सुधारों के लिए खर्च होने वाली राशि के माँग प्रस्ताव रखे। इन माँग प्रस्तावों पर बोलते हुए श्री अर्जुनसिंह ने इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में क्षेत्रीयताओं से ऊपर उठकर काम होना चाहिए। उन्होंने मेडिकल छात्रों की भरती के सम्बन्ध में एक कमेटी गठित करने का सुझाव भी दिया जिसमें विरोधी दल के सदस्य भी हों। उनका लघु वक्तव्य इस प्रकार है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य विभाग की माँगों पर इस सदन में चर्चा हो रही है। हमारी विधानसभा में प्रतिवर्ष इस विभाग को विशेष महत्व दिया जाता है और यह स्वाभाविक भी है। वह केवल इसलिये कि इस विभाग का कार्यभार हमारे प्रदेश की एक महिला वहन कर रही हैं। चार सालों में अनेकों कठिनाइयों के होते हुए भी अच्छी तरह से सम्भाले हुए हैं। एक कहावत है कि स्वास्थ्य अच्छा हो तो सब ठीक होता है, चाहे दूसरी चीजें ठीक हों चाहे न हों। स्वास्थ्य विभाग की चर्चा हुई है उसमें जो विशेष ध्यान दिया गया है उसका एक ही कारण है। जो शिकायतें आई हैं उनमें ज्यादातर यह कहा गया है कि जिन स्थानों पर डॉक्टर के स्थान रिक्त हैं कहीं-कहीं ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर वर्षों से डॉक्टर नहीं पहुँचें हैं। शासन ने इस ओर सुनियोजित कदम उठाया भी है। एक-दो वर्ष में प्रदेश में कोई अस्पताल नहीं रहेगा जहाँ पर डॉक्टर नहीं होगा। यह हो सकता है कि किसी अस्पताल में 10 डॉक्टरों के स्थान हों और वहाँ पर 4 या 6 डॉक्टर पहुँचें। लेकिन कोई यह नहीं कह सकेगा कि हमारे यहाँ के अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है। अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं। मेरा यह सुझाव है कि शासन को हर वर्ष हमारे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों से जो लड़के निकलते हैं उनको बिना किसी कठिनाई के, तुरन्त नियुक्त किया जाना चाहिये। दुःख है कि फर्स्ट डिविजनर लड़के भी नौकरी की खोज में महीनों भटकते फिरते हैं। पी.एस.सी. से सिलेक्शन होने के बाद भी उनकी नियुक्तियाँ नहीं होती हैं और स्थान खाली रहते हैं।

दूसरी बात पर हमारे सदन के वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर बघेल ने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो मेडिकल कॉलेज भिन्न-भिन्न स्थानों पर खुल रहे हैं, वे न्याय और उपयुक्त स्थानों पर नहीं खुल रहे हैं, वहाँ न खुल कर कहीं और खुलना चाहिये। मैं इस प्रकार की बहस में भाग लेना बहुत अच्छा तो नहीं समझता हूँ क्योंकि थोड़ी-थोड़ी ममता तो हर माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र से होती है। हर सदस्य अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयत्न जितना वह कर सकता है, वह करता है और करना चाहिये लेकिन जो पृष्ठ भूमि डॉक्टर बघेल ने अपने क्षेत्र के लिये दी है और जिस प्रकार से न्यूसेन्स व्हॅल्यू उन्होंने बढ़ाई है, जिस प्रकार से उन्होंने क्षेत्रीयता की बात कही उसको सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। न्यूसेन्स के बारे में, क्षेत्रीयता के बारे में डॉक्टर बघेल के दो मत हो सकते हैं क्योंकि सदन के बाहर भी हमको अखबारों के द्वारा यह सुनने को मिला है कि डॉक्टर बघेल ने यह सुझाव कई बार दिया है कि मध्यप्रदेश जो है उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट कर अलग-अलग कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, जो लोग क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर, उसको बढ़ाना चाहते हैं, वह अच्छी बात नहीं है।

जहाँ तक मेडिकल कॉलेज खुलने का प्रश्न है, मेरी जानकारी है प्रथम पंचवर्षीय योजना में दो मेडिकल

कॉलेज का प्रावधान किया गया था। लेकिन रुपये की कमी के कारण प्लानिंग कमीशन ने एक ही मेडिकल कॉलेज राज्य शासन को दिया। मुझे नहीं मालूम कि बघेल साहब को यह मालूम है या नहीं, प्लानिंग कमीशन ने यह सिफारिश की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रीवा में मेडिकल कॉलेज खोलना आवश्यक है।

श्री गोविन्द नारायणसिंह : मेडिकल कॉलेज का निर्णय करना स्टेट डेवलपमेंट कमेटी के हाथ में है न कि प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप के हाथ है।

श्री अर्जुनसिंह : प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने जरूरत को समझा और महसूस किया इस बात से आप इन्कार नहीं कर सकते। इसलिये मैं यह कहता हूँ कि क्षेत्रीय भावना को फैलाना डॉ. बघेल को उचित नहीं है। प्लानिंग कमीशन ने क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर मंजूर किया, यह कहना बिलकुल उचित नहीं है।

दूसरे अध्यक्ष महोदय, बेड्स के बारे में तथा दूसरे इसी प्रकार के सामान आदि के बारे में अनेक चर्चाएँ की गईं। सुविधा कहाँ कम है और कहाँ ज्यादा है, इसको कहा गया। जहाँ तक उन्होंने बेड्स की चर्चा की है, वे स्वयं डॉक्टर हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि इन्डियन मेडिकल कौन्सिल ने इसको मंजूर किया है, बेड्स को नहीं देखा जाता बल्कि अमुक-अमुक डिसीज के इलाज की व्यवस्था को। मेडिकल कौन्सिल ने इस बात को मंजूर किया है।

जहाँ तक मेडिकल कॉलेज खुलने का प्रश्न है, वहाँ उसके लिये धन की आवश्यकता पड़ती है, दूसरे अन्य सामान बिल्डिंग वगैरा की सुविधा, जिससे ज्यादा लाभ हो सकता है, उसको भी देखना आवश्यक होता है। उस स्थान को प्राथमिकता दी जाती है। रीवा से चूँकि बहुत से दफ्तर आने वाले हैं इसलिये उनका उपयोग भी किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, फिर क्षेत्रीय भावना से प्रेरित होकर के नहीं लेकिन वास्तविकता के आधार पर उनका उपयोग किया जा सकता है। इन भावनाओं से आप और हम सभी प्रेरित हुआ करते हैं, आप उसको कुछ भी संज्ञा दें, मुझे इसकी कुछ भी चिन्ता नहीं है। मैं यह जोरदार शब्दों में, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूँ कि जब राज्य पुनर्गठन हुआ था, उसके पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में मेडिकल के संबंध में चर्चा की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रीवा में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 86 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया था लेकिन धनाभाव के कारण यह नहीं हो सका है। अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन ने भी कहा कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज रीवा में खुल सकता है या नहीं खुल सकता है, इस धन को देखते हुए खुल सकता है तो चाहे किन्हीं भी कारणों से हुआ हो, लेकिन शासन ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया कि रीवा में मेडिकल कॉलेज खोल दिया जाये और उसके लिए अगर हम आवाज उठाते हैं तो ठीक ही है क्योंकि रीवा के लिये मेडिकल कॉलेज खोलने के लिये जो प्रावधान चला आ रहा है, उसको पूरा करने में शासन को हिचकिचाहट क्यों हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1957 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय रीवा पधारे थे और वहाँ के निवासियों ने, वहाँ के सभी दलों के लोगों ने मिलकर उनसे यह माँग की थी कि रीवा में मेडिकल कॉलेज खोला जावे। तो माननीय मुख्य मन्त्री जी ने ज्यादा आश्वासन तो इस बात का नहीं दिया था लेकिन इस बात का आश्वासन उन्होंने अवश्य दिया था कि जब कभी नया मेडिकल कॉलेज खुलने का सवाल आयेगा तो मैं आपको आश्वासन तो नहीं देता हूँ किंतु उसको रीवा में खोलने में मुझे जरा भी हिचक नहीं होगी। उसी के सम्बन्ध में, मैं आज उनको याद दिलाना चाहता हूँ। अब अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि अभी और भी माननीय सदस्य बोलने को उत्सुक हैं, लेकिन इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूँ कि आये दिन पिछले सत्र में हमारे माननीय सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज में भरती के संबंध में चर्चा की थी और वह चर्चा भ्रमात्मक थी और सरकार द्वारा यह प्रमाणित भी किया गया कि जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये वे निराधार थे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ चार सौ, पाँच सौ लड़कों की भरती का सवाल रहता है वहाँ यह बात कोई माने नहीं रखती है कि किसी लड़के को किसी की सिफारिश के आधार पर ले लिया गया हो। अध्यक्ष महोदय, चूँकि इसका संबंध हमारे प्रदेश के छात्रों से रहता है जिनका कि नैतिक स्तर और जिनकी कल्पना पर हम जरा भी धक्का नहीं लगने देना चाहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्राणी महोदया से यह कहना चाहता हूँ कि जब इस वर्ष यह भरती की जावे तो वे इसके लिए एक कमेटी नियुक्त कर दें। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स की कमेटी तो है ही, लेकिन वे एक ऐसी कमेटी नियुक्त कर दें और उसमें चाहे हमारे विरोधी

दल के एक दो सदस्य रख लिये जायें कि जो प्रिंसिपल कमेटी के द्वारा किया गया है उसकी केवल स्क्रूटिनीमात्र के उनको अधिकार दिये जावें जो प्रिंसिपल्स कमेटी ने किया है उसको वे देखें और देख करके संतोष कर लें ऐसी एक कमेटी का आप निर्माण कर दें तो अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/24 मार्च 1961/पृष्ठ - 2459-2461)

मध्यप्रदेश पंचायत विधेयक 1960 के खण्ड 44 पर चर्चा प्रारंभ हुई जिसमें सहकारी खेती का उल्लेख है। सदस्य श्री बसन्तराव प्रधान और श्री रामहित गुप्त ने संशोधन प्रस्तुत किये। श्री गुप्त ने सहकारी खेती का विरोध किया। गैर सत्तापक्ष के सदस्यों ने सहकारी खेती को पूरी तरह निरर्थक निरूपित किया। तब श्री अर्जुनसिंह इस विषय पर बोले और उन्होंने इस बात पर आश्चर्य भी प्रकट किया कि श्री गुप्त जब सहकारिता के सिद्धान्त को मानते हैं तो फिर सहकारी खेती का विरोध क्यों कर रहे हैं। श्री अर्जुनसिंह का संक्षिप्त वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सहकारी खेती पर इस छोटे से संशोधन को लेकर काफी चर्चा हो गई। अमरपाटन से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा था उसको रखते समय उनकी मन्शा क्या थी और अब उनकी मन्शा क्या हो गई है, इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि उन्होंने संशोधन को प्रस्तुत करते समय जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने अपनी मन्शा बता दी थी, चाहे वह खुद ही यह बात न समझ पाये हों। जिन देशों का उदाहरण देकर उन्होंने यह कहा कि सहकारी खेती से वहाँ पर नुकसान हुआ है, मेरा यह कहना है कि सहकारिता के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के बाद यदि सहकारी खेती की जावे तो नुकसान हो नहीं सकता है। जहाँ तक उन देशों को नुकसान और फायदे का प्रश्न है, उनके संबंध में मेरा यह कहना है कि यदि वहाँ पर भी सहकारिता के सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ कर शुरू किया जावे तो कभी विफल नहीं हो सकते हैं। कुछ देशों का उदाहरण देकर यह बताया गया कि सहकारिता आन्दोलन विफल हुए हैं।

श्री रामहित : सहकारी खेती के संबंध में कहा था, सहकारिता आन्दोलन तो हिन्दू समाज की रीढ़ की हड्डी है जैसा कि स्वामी जी ने अभी कहा है। मैंने सहकारिता आन्दोलन का विरोध नहीं किया, सहकारी खेती का विरोध किया है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य ने सहकारिता का सिद्धांत तो मान लिया है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको कोई सिद्धान्त पूरी तरह मानने में संकोच होता है उनके लिए एक संज्ञा दी हुई है उसको मैं कहना नहीं चाहता हूँ। उनको कुछ संकोच होना चाहिए, यह बात स्वाभाविक है। जिन देशों के उदाहरण देकर यह कहा गया कि वहाँ पर सहकारी खेती विफल हुई है वहाँ भी सहकारिता के सिद्धांतों को तोड़-मरोड़ कर रखा गया है, इसलिये वहाँ पर विफल हुई। सहकारी खेती यदि सहकारिता के सिद्धांतों को ठीक से समझ कर की जाये तो कभी विफल नहीं हो सकती है। यह कहा जा सकता है कि ज्यू लोग इजराइल में लाखों लोगों को सब जगह से लूट कर इजरायल में बसे थे और उस समय उन्होंने सहकारी खेती प्रारंभ की थी यह बात इतिहास में देखी जा सकती है! वहाँ पर जो लोग बसने आये थे वे सभी करोड़पति या लखपति नहीं थे। वे दुनिया के कोने-कोने से आये। एक झोला था और केवल वही कपड़े थे जो वे पहने थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की और इजरायल में बड़े-बड़े फार्म बनाये, उन्होंने सहकारी खेती की। मेरी समझ में उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं आ रहा है कि मेरे मित्र इस बात को मानते हैं और उसके सिद्धांत को मानते हैं फिर क्या कारण है, किस भय से इस बात को नहीं मानते। मेरी समझ में यह केवल राजनैतिक पृष्ठभूमि ही हो सकती है और दूसरी कोई बात नहीं।

शासन ने भूमि सुधार संबंधी केन्द्रीय समिति की सिफ़ारिशें मानते हुए मध्यप्रदेश कृषिजोत अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव रखा जिसके लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत हुआ। श्री अर्जुनसिंह इस विधेयक के समर्थन में बोले और एक बार फिर श्री रामहित गुप्त से दिलचस्प नोंक-झोंक हुई—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सीलिंग बिल के संशोधन के ऊपर चर्चा चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र समाप्त कर दूँगा उसके बाद श्री विष्णुचरण जोशी को जरूर समय दें यह मैं भी चाहता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग बिल पर जो अमेन्डमेन्ट आया है उस पर दो प्रमुख विचारधाराएँ सदन में प्रस्तुत की गई हैं। एक सीधी से आये हुए माननीय सदस्य द्वारा और दूसरी अमरपाटन से आये माननीय सदस्य द्वारा। यह दो विचारधाराएँ इस सीलिंग बिल पर आईं। इन दोनों विचारधाराओं को सुनने के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचना आवश्यक है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बीच के सदस्य को भूल गये।

श्री अर्जुनसिंह : उन्होंने केवल नाम लिया था, वास्तव में वह बीच के हैं नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहना आवश्यक है कि सीलिंग और जमीन के निस्बत अन्य कानून किस पृष्ठभूमि में हमारे देश में बनाये जा रहे हैं उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो भ्रम में ही पड़ना पड़ेगा।

जमीन के निस्बत जो कानून बने और जिनकी शुरूआत जमींदारी उन्मूलन से की गई और अधिकतर सीमा निर्धारण तक आ गई है उसकी पृष्ठभूमि यही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् औद्योगिक समाज की रचना तेजी से बढ़ी और उसी के परिणाम हम देख रहे हैं। देश में जब औद्योगिक समाज की रचना बढ़ेगी तो एग्रीकल्चरल सोसायटी सफरर होगी, कई ऐसी समस्याएँ खड़ी होंगी जो खेती करने वाले सेक्शन को भ्रम में डालेंगी और कठिनाई भी होगी। इसी का एक उदाहरण अधिकतम सीमा निर्धारण विधेयक है। जमींदारी उन्मूलन के समय बहुत से लोग कहते थे कि देश से हम एक ऐसे तत्व को खत्म कर रहे हैं जो वर्षों से चल रहा है। समाज की धारा के विरुद्ध बढ़ने और घटने का नियम है, जो ऐतिहासिक है, उसे बदला नहीं जा सकता, न उसकी परिभाषा हो सकती है। उस समय जमींदारी खत्म होना आवश्यक था क्योंकि लैन्डेड एरिस्टोक्रेसी समाप्त हो यह आवश्यक और अनिवार्य था। उसके बाद स्वाभाविकतः नम्बर बड़ी जमीन वालों का आयेगा। मैं सीधी के माननीय सदस्य के इस तर्क को मानने को तैयार हूँ कि जो सीलिंग लिमिट रखी गई है वह उनकी बुद्धि के अनुसार ठीक नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब हमने मूलभूत सिद्धान्त स्वीकार किया था कि सभी सामाजिक परिवर्तन प्रजातांत्रिक तरीके से किये जायें तो यह स्वाभाविक ही था कि उन सभी सामाजिक माँगों की उपेक्षा करके कानून बनाये जायें ताकि समाज में कोई विशेष हलचल न मच जाये। ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगों के मन में यह शंका होना कि हम उतनी दूर और तेजी से समाजवाद की ओर नहीं जा रहे हैं, स्वाभाविक है लेकिन शासन की सूझबूझ इसी में है जैसा कि हो रहा है।

राजाओं को खत्म करने के बाद जो अधिकतम सीमा निर्धारण का कानून शासन ने बनाया और लागू किया तो वह निश्चय ही दूरदर्शिता का परिचायक है। उपाध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि जो चीजें इसमें रखी गई हैं उनमें मतभेद भले ही हों और जब आप उसको मान लेते हैं तो मतभेद जो आप बतला रहे हैं वह केवल एक व्यावहारिक मतभेद है और जो आपका दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण रखने का आपको पूरा अधिकार है और शासन का जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण रखने का शासन को पूरा अधिकार है और शासन जो यह संशोधन लाया है, वह इसको रख सकता है। इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो सीधी से आये हैं उन्होंने लैंड रिफार्म कमेटी के सम्बन्ध में एक बहुत ही बड़ा बवण्डर उठाने का प्रयत्न किया जैसे कि शासन ने कोई बहुत ही बड़ी चीज को छुपा रखा हो और जिसको उठाने से शासन को बहुत ही लज्जित होना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि माननीय राजस्व मंत्री के उस आदेश या पत्र को पढ़ देने से माननीय सदस्य ने अपने विचार में कुछ परिवर्तन किया है या नहीं किया है, क्योंकि वे इस उद्देश्य के हैं कि किसी भी चीज को एक बहुत ही बड़ा रूप दिया जावे और जब असलियत सामने आवे तो बैठ जावें। दूसरी बात अमरपाटन से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कही है तो उनके लिये तो चाहे पंचायत विधेयक हो या सीमा निर्धारण विधेयक हो या चाहे कोई भी विधेयक हो लेकिन अगर उसमें कहीं भी को-ऑपरेटिव का सम्बन्ध आता है तो वे उसका जरूर विरोध करते हैं और उसका भी एक उदाहरण देखने को मिला। आप यदि यह कहते हैं कि मैकेनाइज्ड फार्म और बड़े फार्मों को छूट न मिले तो सोचने की बात हो सकती थी लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि को-ऑपरेटिव फार्म्स को कैचमेंट नहीं दिया जाता

है तो ठीक नहीं होगा। यह हम इसलिये चाहते हैं कि हमारे देश में को-ऑपरेटिव मूवमेंट बढ़े।

श्री रामहित : तर्क तो आप यह देते हैं कि इससे समाजवादी समाज की रचना होने में असर पड़ेगा तो यह तो कोई तर्क नहीं है। इससे देश गर्त में चला जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : यह तो अपने-अपने तर्क का प्रश्न है और यह तो भविष्य बतलायेगा कि देश गर्त में जायेगा या उन्नति करेगा।

श्री रामहित : अगर गर्त में भी जायेगा तो हम नहीं जाने देंगे।

श्री अर्जुनसिंह : आप जहाँ ले जाना चाहते हैं ईश्वर करे वहाँ कभी न जाये क्योंकि वह तो गर्त से भी गया बीता है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : फिर तो सारा हिन्दुस्तान जबलपुर हो जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : तो जो विचार यहाँ पर व्यक्त किये गये हैं और जो संशोधन विधेयक यहाँ पर शासन ने प्रस्तुत किया है उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे कि उसका विरोध किया जा सके। जहाँ तक मावजे का प्रश्न है, वहाँ भी ज्यादा कीमत लोग न ले सकें तो उसके लिए आप इतना बड़ा विरोध करें यह तो उचित नहीं है। और इसके अपवाद स्वरूप जैसा कि माननीय सदस्य श्री गुप्त जी ने कहा कि यदि आपने इसका खण्डन नहीं किया या स्पष्टीकरण नहीं किया जैसे कि 100 रुपया के बजाय वह 1000 रुपया ले तो यह भी कानून का उल्लंघन हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, कानून तो बनाये जाते हैं और जब उसका उल्लंघन होता है तो उसका भी उपचार किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें प्रावधान है जहाँ पर कि स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं, उसके सम्बन्ध में सीधी से आये हुए माननीय विधायक ने अपना भाषण प्रारम्भ किया और वह एक औचित्य का प्रश्न उठाकर शुरू किया। स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स देना शासन के ऊपर रहता है कि बिल को प्रस्तुत करते हुए वह कुछ रीजन्स दे। सीधी से आये हुए माननीय विधायक को यह आपत्ति हो सकती है कि स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में यह उल्लेख नहीं किया कि विधानसभा में जो प्रदर्शन किये गये उसके फलस्वरूप ही शासन यह विधेयक विधानसभा में ला रहा है। माननीय सदस्य को इस बात से आपत्ति हो सकती है कि उनके दल ने जो प्रान्त में आवाज उठाई उसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया। इसके बारे में आपत्ति उनकी हो तो मान्य है। यदि शासन ने स्पष्ट रूप से लिख दिया कि केन्द्रीय कमेटी की रिकमण्डेशन्स को हमने माना और उनको मानने से स्पष्ट होता है कि जो अपने प्रदेश में आवाज, चाहे किसी भी दल ने उठाई हो या किसी पक्ष की ओर से उठी हो, उसके न्यायोचित् होने के बारे में शासन सन्तुष्ट हो गया और सेन्ट्रल कमेटी की रिकमन्डेशन्स भी आ गईं तो सीलिंग लिमिट को लोअर करने का विधेयक शासन ने प्रस्तुत किया तो यह शासन ने कोई अप्रजातांत्रिक कदम नहीं उठाया और इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाना सीधी से आये हुए विधायक के लिए उचित न था। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/13 अप्रैल 1961/पृष्ठ - 3589-3592)

हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग जिम्मेदारी और कर्त्तव्यपालन से दूर ही रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा कोई निर्णय करे, जिम्मेदारी ले और फिर अगर कोई त्रुटि हो जाये तो हम आलोचना करें। दुख की बात तो यह है कि इस मर्ज़ के सबसे बड़े शिकार हमारे देश के नेता हैं, जिनके ऊपर देश की कितनी ही आशाएँ अवलंबित हैं। नेतृत्व का एकमात्र मापदण्ड कड़ी आलोचना करने की क्षमता ही नहीं है परन्तु साथ ही साथ उन महत्वपूर्ण, जटिल और बहुधा अप्रिय नियमों की जिम्मेदारी लेने की क्षमता है।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह

14 नवम्बर 1957

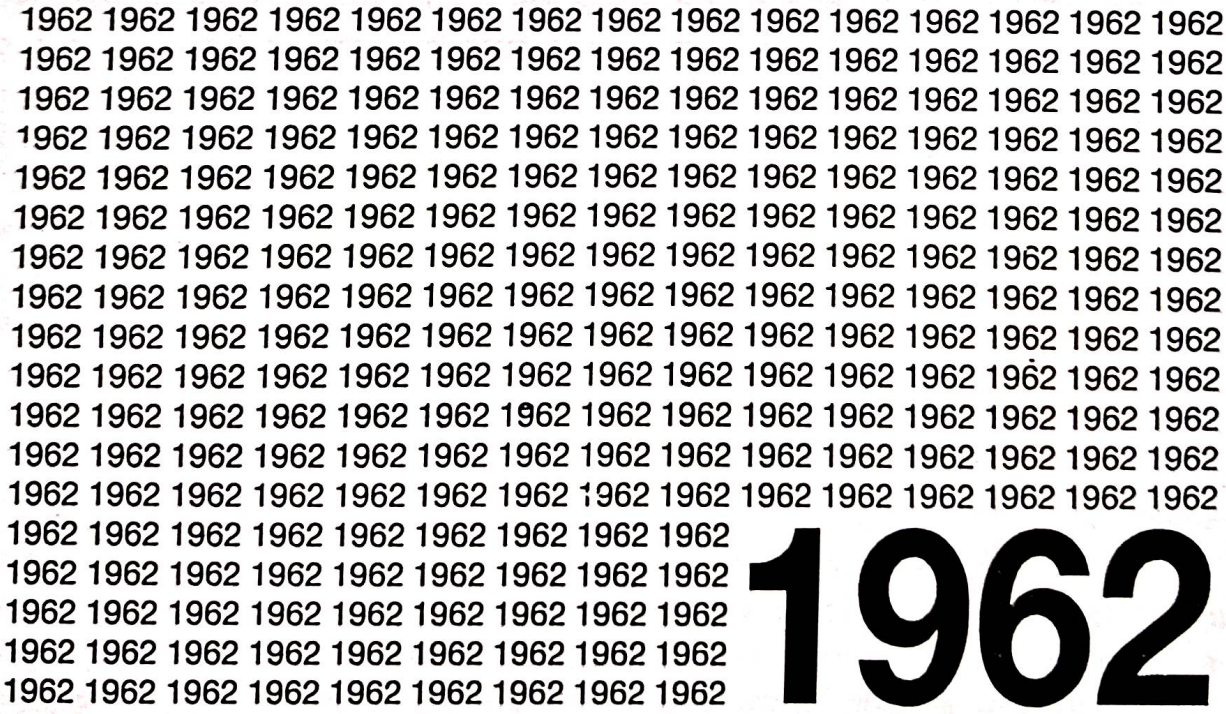

1962

26 मार्च 1962 को श्री काशीप्रसाद पाण्डे के सभापतित्व में नवगठित तृतीय विधानसभा का पहला सत्र प्रारम्भ हुआ। सभापति ने राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश पढ़कर सुनाये, उसके बाद तीसरी विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई ने शपथ ग्रहण की। अबकी बार काँग्रेस पार्टी से चुनकर आये श्री अर्जुनसिंह ने ईश्वर के नाम पर इस तरह शपथ ग्रहण की— "मैं अर्जुनसिंह जो विधानसभा के लिये सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्त्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।"

शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। कामरेड श्री शाकिर अली खाँ ने उर्दू में शपथ ली। इस पर पिछोर से चुनकर आये सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त ने औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि श्री शाकिर अली खाँ की शपथ संविधान के अनुसार नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार हिन्दी या अंग्रेजी में ही शपथ ग्रहण की जा सकती है। श्री शाकिर अली खाँ ने जवाब दिया कि यह सवाल पहले भी उठाया जा चुका है और उर्दू भी संविधान की 14 ज़ुबानों में से एक है इसलिए उसमें भी हलफ ली जा सकती है।

इस चर्चा में सजग हस्तक्षेप करते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने ऐन मौके पर अत्यन्त नियमानुकूल कथन किया— माननीय अध्यक्ष, अभी तो स्वयं माननीय सदस्य ने शपथ नहीं ली, वे औचित्य का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? सभापति श्री काशीप्रसाद पाण्डे ने श्री अर्जुनसिंह से सहमति प्रकट करते हुए कहा कि माननीय सदस्य जब स्वयं शपथ ग्रहण कर लें तभी प्वाइंट ऑफ आर्डर उठा सकते हैं और वैसे भी अभी सभा की कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं हो रही है।

पहले दिन 276 सदस्यों ने शपथ ली। अगले दिन 27 मार्च को छह और सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। इसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और काँग्रेस से श्री कुंजीलाल दुबे और विपक्ष से श्री रामेश्वर अग्निभोज उम्मीदवार बने। श्री कुंजीलाल दुबे को 187 और श्री अग्निभोज को 91 मत मिले। दो मत अमान्य हुए तथा एक अनधिकृत रहा। श्री कुंजीलाल दुबे अध्यक्ष हुए।

27 मार्च को 3 बजे राज्यपाल का हिन्दी और अंग्रेजी में अभिभाषण हुआ। अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव सदस्य श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) ने प्रस्तुत किया। वे इस प्रकार बोले :—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधानसभा की प्रथम बैठक जो माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण से प्रारंभ हुई और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो उद्‌गार इस विधानसभा में अपने भाषण में प्रकट किये वह प्रजातन्त्र के उन महत्वपूर्ण विषयों पर एक बहुत ही सुन्दर विश्लेषण है जो प्रत्येक माननीय सदस्यों के सामने रहना चाहिये।

सबसे प्रथम तो मैं माननीय राज्यपाल महोदय के उन शब्दों का हृदय से समर्थन करता हूँ जहाँ पर उन्होंने हमारे भूतपूर्व नेता डॉ. काटजू के बारे में अपने आदर भरे शब्द कहे थे। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा, डॉ. काटजू ने इस प्रदेश को एक मान्यता दी थी, एक स्तर दिया था और जब तक वह इस सदन में रहे, इस प्रदेश में रहे उन्होंने एक सही प्रजातान्त्रिक नेता के रूप में अपने कार्य को किया और सबसे ज्यादा खुशी की बात तो यह है कि उन्होंने जाते समय भी एक सच्चे प्रजातन्त्र के पुजारी के रूप में हमारे सामने एक आदर्श रखा। मैं समझता हूँ कि यह उनके व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र का एक चरण इस प्रदेश का पूरा हुआ और तीसरे आम चुनाव के बाद आज इस नये मध्यप्रदेश का दूसरा राजनीतिक जीवन शुरू होता है। पिछले पाँच वर्षों में बहुत-सी बातें शासन के द्वारा की गईं और बहुत-सी चीजें जो होनी चाहिये थीं वे नहीं भी हुईं लेकिन इन सबके पीछे जो लक्ष्य था उसके बारे में मैं समझता हूँ कि एक बड़ा संतोष या प्रेरणा थी उसके लिये इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के मन में यह शंका न होगी कि इस प्रदेश की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। यह संभव है कि हमारी आज की जो समस्याएँ हैं और जो हमारे लिमिटेशन्स हैं उसके कारण हम उतने सफल भले ही न हुए हों लेकिन हमारा उद्देश्य उज्ज्वल था, हमारी प्रेरणा स्वच्छ थी, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ आँकड़े दिये हैं। विभिन्न विभागों द्वारा शासन ने जो इस प्रदेश की सेवा करने का प्रयत्न किया है वह इस बात का प्रमाण है कि क्या-क्या हुआ है जिसको दुहराना यहाँ आवश्यक प्रतीत नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्विसेज के बारे में, को-ऑपरेशन के बारे में, कानूनों के एकीकरण के बारे में जो महत्वपूर्ण कदम पहले पाँच वर्षों में शासन ने उठाये हैं वह इस प्रदेश के सामने हैं और उनसे कितनी बड़ी सफलता इस प्रदेश की जनता को मिली है और जैसा कि प्रत्येक माननीय सदस्य अनुभव करते हैं जब मध्यप्रदेश सन् 1956 में बना था उस वक्त जो समस्याएँ और जो वातावरण इस प्रदेश की चारों इकाईयों में मौजूद था उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि यदि आश्चर्य न भी किया जाये तो संतोष तो किया ही जा सकता है। पिछले पाँच वर्षों में हमने सबने मिल करके जो इस परम्परा और जो अपने इस प्रदेश को आगे ले जाने की रूपरेखा तैयार की है वह हमने कोई कम नहीं की है और हमें आशा करनी चाहिये कि उसके द्वारा हम अपने प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बना सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहाँ हमारे सामने प्रदेश के इमोशनल इंटीग्रेशन का सवाल था, प्रदेश इतना विशाल होते हुए भी हमारे पास साधनों की कमी की समस्या थी, वैसे यह प्रदेश भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रदेश है और प्राकृतिक साधनों से संपूर्ण प्रदेश है लेकिन हमारे जो रिसोर्सेज थे वह, हमारी जो जरूरतें थीं उनको पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थीं। पिछले पाँच सालों में जैसा कि विभिन्न बजटों को देखने से पता चलेगा, प्रत्येक वर्ष हमारे साधन बढ़ते गये और प्रत्येक विभाग में जहाँ से हमारे साधन बढ़ाये जा सकते थे चाहे वह वन हो, चाहे प्राकृतिक साधन विभाग हो, या फूड हो, प्रत्येक तरीके से इन पाँच सालों में प्रदेश में हमने साधन बढ़ाये हैं और आज इस परिस्थिति में आ गये हैं कि अगले पाँच सालों में जो रूपरेखा बनेगी उसमें किसी दूसरे का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। इस प्रदेश को ऐसी परिस्थिति में लाने के लिये शासन के नेता तथा विधानसभा के सभी सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं किन्तु अगला पाँच साल का समय कैसा होगा इसके बारे में विचार करना आवश्यक है क्योंकि यह प्रजातन्त्र की एक विलक्षणता है कि जहाँ किसी चीज को कार्यरूप में परिणित करने के लिये किसी दल विशेष को मौका देता है वहीं जो त्रुटियाँ होती हैं उनको सुधारने का संकेत करता है। आज विधानसभा में पिछली विधानसभा की तुलना में विरोधी दल और काँग्रेसी लगभग बराबर हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : कम है।

श्री अर्जुनसिंह : कम कह सकता हूँ, इसमें कोई संकोच नहीं है। क्योंकि प्रजातन्त्र किसी को क्षमा नहीं कर सकता और सही चीज को कहने में संकोच करना कोई अच्छी चीज नहीं है इसलिये कहने में संकोच नहीं हो रहा है लेकिन जहाँ यह परिस्थिति है वहाँ हम केवल इन चीजों के पीछे नहीं जाना चाहते कि इस सदन के किन माननीय सदस्य को चुनाव में हारना पड़ा या कौन विजयी हुए हैं। हम उन कार्यों की ओर जाना चाहते हैं जिसमें प्रजातन्त्र में शासन की नीति प्रजातन्त्र के अनुरूप ढालने के लिये रहती है। प्रजातन्त्र का उत्तरदायित्व केवल शासन के मन्त्री

बनने से नहीं होता। प्रजातन्त्र का उत्तरदायित्व प्रजातन्त्र के प्रत्येक क्षण में सही रूप में निभाना है और उस उत्तरदायित्व को पूरा करने का पूरा भार और उसकी कल्पना और उसके लिये पूरी शक्ति और उसकी प्रेरणा मैं समझता हूँ आज इस सदन में वर्तमान में काँग्रेसी दल में है। अध्यक्ष महोदय, उन कारणों के बारे में यहाँ पर कुछ कहना आवश्यक इसलिये समझता हूँ कि इस प्रदेश की जनता को और यहाँ पर उपस्थित विरोधी भाइयों को यह भ्रम न हो कि आज प्रदेश अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाता है। यह एक ऐसी भूल है जो किसी व्यक्ति विशेष को गिरा सकती है और आज शासन क्या बड़े-बड़े सिंहासन इसके द्वारा गिर सकते हैं इसलिये संक्षेप में उनका उल्लेख करना उचित समझता हूँ। वैसे तो अपनी मनोवृत्ति के अनुसार विभिन्न-विभिन्न लोग अलग-अलग टिप्पणी कर सकते हैं और अलग-अलग कारण ढूँढ़ सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इसके दो एक प्रमुख कारण हैं वे यही हैं। चार इकाईयों से बना हुआ मध्यप्रदेश जहाँ पर विभिन्न कानूनों से लोग शासित थे, भिन्न-भिन्न तरीके की समस्याएँ उनके सामने आये दिन उपस्थित हुआ करती थीं, वहाँ पाँच सालों में जो, एकीकरण किया वह पूर्ण रूप से उन समस्याओं का समाधान किसी तरह से कर सकेगा, हम इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय, इसके छोटे-छोटे प्रमाण अनेक दिये जा सकते हैं लेकिन उनकी आवश्यकता नहीं है। केवल मोटे तौर से एक कारण जो मेरी समझ में आया वह यह है कि जो स्थानीय समस्याएँ हैं उनको सुलझाने के लिये जो हमारी मशीनरी है उसमें शायद हम उतनी गति नहीं ला सके, तत्परता नहीं ला सके, उसमें शायद उतनी लगन नहीं ला सके जिसके कारण स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों ने जनता के रोष को अपने अनुकूल बनाया।

श्री रामदास अग्रवाल : आप यह कहिये कि शासन की अयोग्यता के कारण ऐसा हुआ।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, शब्दों का प्रयोग दूसरी चीज है। जिस ओर मैं संकेत कर रहा हूँ शायद उसको समझने की आप चेष्टा नहीं कर रहे हैं क्योंकि योग्यता और सुयोग्यता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि शासन और कोई सत्तारूढ़ दल प्रजातन्त्र में प्रजा की मनोभावना को समझने में कहाँ तक तत्पर है इस पर प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर है। इस पर निर्भर नहीं है कि हम योग्य हैं या नहीं। इसलिये मैं कहता हूँ कि एक कारण यह हो सकता है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ और वह यह है कि हमारे देश में काँग्रेस द्वारा समाजवादी समाज की रचना की एक रूपरेखा तैयार की गई और इस समाजवादी समाज की रचना के दौरान में देश में और प्रदेश में ऐसी बहुत-सी शक्तियाँ सामने आई हैं जिनके निहित स्वार्थों पर ऐसी समाज की रचना होने पर कुठाराघात होगा। ऐसे तत्व, ऐसी विचारधारा के लोग जनता के बीच में अपनी विचारधारा को फैलाने के लिये स्वतन्त्र हैं उसका कोई विरोध नहीं करता लेकिन अगर हम अपने समाजवाद के सिद्धान्तों पर अपनी नीतियों को पूर्ण रूप से, तत्परता से, सच्चे दिल से पूरा करेंगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता समाजवाद के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, विरोधाभास का सवाल उस समय उत्पन्न होता है जब नीतियाँ समाजवादी हों लेकिन उनको कार्यरूप में परिणित करने में ढिलाई हो। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में उन तत्वों को जिनका समाजवाद के सिद्धान्तों पर विश्वास नहीं है यह कहने का मौका मिलता है कि यह समाजवाद अक्षम्य है। उन लोगों को जो समाजवाद के पुजारी अपने को कहते हैं, मैं उनकी आस्था पर आघात नहीं करता, उनको कहने का मौका मिलता है कि सत्तारूढ़ दल को समाजवादी समाज रचना पर पूर्ण विश्वास नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्ण रूप से इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हमारा शासन अगले पाँच वर्षों में उन तमाम समाजवादी नीतियों पर चलेगा जिनके ऊपर हमारी पंचवर्षीय योजना आधारित है और जिनके ऊपर समय-समय पर हमारे देश के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोर दिया है और कहा है कि तत्परता से, लगन से कार्यरूप में उन नीतियों पर चलेंगे। अध्यक्ष महोदय, एक और सवाल हमारे प्रदेश में भविष्य को उज्ज्वल बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यक है और उसकी तरफ हमारे प्रदेश के शासन का पूरा-पूरा ख्याल रहा है और अगली पंचवर्षीय योजना के अवधि काल में उसके प्रति सजग रूप से कार्य करना है और वह है अपने प्रदेश के प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक लाभ उठाना। जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया कि यह प्रदेश प्राकृतिक साधनों से भरा पड़ा है और यह हमारे ऊपर है कि इन प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपना और

अपने प्रांत का भविष्य उज्ज्वल बनावें। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में एक कोने से दूसरे कोने तक अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ मौजूद हैं। इन सब खनिज पदार्थों के सही उपयोग पर ही इस प्रदेश का उज्ज्वल भविष्य निर्भर है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि बेलाडीला में लोहे की खदानें हैं जिन पर कि इस प्रदेश की उन्नति निर्भर है जिनका उपयोग अगले दो-चार वर्षों में होने लगेगा। इसके बाद सिंगरौली की कोयले की खदानें हैं।

श्री हरिभाऊ जोशी : रिहंद डैम की बिजली की बात भी तो कह दीजिये जो वर्षों से चल रही है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं उसी पर आ रहा हूँ आप जल्दी मत कीजिए। सिंगरौली की जो कोयले की खदानें हैं उस ओर भी हमारे शासन ने कदम उठाया है और अगली पंचवर्षीय योजना में ही उससे कोयला निकलने लगेगा जिससे इस प्रदेश को और देश को बहुत अधिक फायदा होगा और उससे इस प्रदेश को आर्थिक राहत मिलेगी।

रिहन्द डैम की बिजली के बारे में हमारे शासन और उत्तरप्रदेश के शासन में कुछ समझौता हो गया है। अगले महीने की 10 तारीख को जब प्रधानमन्त्री जी रिहन्द डैम से पैदा होने वाली बिजली के प्लान्ट का उद्घाटन करेंगे उस समय इस प्रदेश को भी 10 हजार किलोवाट बिजली मिलेगी। यह हो सकता है कि रिहन्द से मिलने वाली बिजली पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो लेकिन देखना यह है कि हमारा शासन इस प्रदेश की उन्नति के लिये उदासीन है या जागरूक है। इस बिजली के मिलने से यह पता लग सकता है। जो आज 10 हजार किलोवाट मिली है वह आगे चलकर 25 हजार किलोवाट भी हो सकती है। इस प्रदेश में और भी कई खनिज पदार्थ हैं जैसे मेंगनीज, मायका, इनके अटूट भण्डार हैं। यह भी प्रयत्न चल रहा है कि हमारे प्रदेश में एक एल्युमीनियम का प्लान्ट स्थापित हो चाहे वह कोरबा में हो चाहे अमरकन्टक में हो। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्य के लिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय कदम उठायेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने के लिये सबसे अधिक उपयोगी यदि कोई वस्तु है तो वह है बिजली। बिजली के बारे में हमारे माननीय सदस्य, जो शासन के कटु आलोचक हैं, यह मानने को तैयार होंगे कि बिजली की इस प्रदेश में कम उन्नति नहीं हुई है। जैसे हमारे यहाँ चम्बल योजना, कोरबा योजना, अनूपपुर स्थित थर्मल प्लान्ट। बिजली की हमारे प्रदेश में इन्डस्ट्रिलाइजेशन के लिये बहुत आवश्यकता है। इसको इस पंचवर्षीय योजना में पूरा कर लिया जायेगा। हमारे कदम सही दिशा में उठ रहे हैं हम अभी नहीं तो अगली पंचवर्षीय योजना में काफी आगे बढ़ जायेंगे। बिजली की हमारे प्रदेश में खनिज पदार्थों को उत्पन्न करने में काफी आवश्यकता पड़ेगी। यह इन्डस्ट्रिलाइजेशन के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के नागरिकों के जीवन की भी कुछ समस्याएँ हैं और वे समस्याएँ हमारे उन हिस्सों के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1958 में हमने एक लैंड रेवेन्यू कोड इस विधानसभा में पारित किया और उस लैंड रेवेन्यू कोड के द्वारा हमने मध्यप्रदेश में सम्मिलित हुए 4 घटक राज्यों के माल कानूनों को एक रूप में ढाला और यह आशा की कि इस कानून के कार्यान्वित होने पर हमारे प्रदेश में माल संबंधित जितने झगड़े, जितनी समस्याएँ होंगी वे बहुत जल्दी सुलझ जायेंगी और जैसा कि हमने उसमें प्रावधान किया है कि टेनेन्सी माल केवल 1 या 3 किस्म का रखा है ताकि एकरूपता लाने में हम ज्यादा सफल हो सकेंगे और जो टेनेन्सी की परमानेन्सी है वह इससे बिलकुल स्पष्ट है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत न होगा कि हमारे इस प्रावधान के होते हुए भी पिछले 4 सालों में हम अभी तक बहुत हद तक उस माल कानून को कार्यान्वित करने में सफल नहीं हुए हैं। उसके कुछ विशेष कारण हैं और उन कारणों के बारे में शासन पूरी तरह से सजग है और साथ ही यह आशा की जाती है कि इन कारणों को मद्देनजर रखते हुए ऐसे नियम बनाये जायेंगे ताकि जो कठिनाइयाँ उस माल कानून को कार्यान्वित करने में आ रही हैं वे दूर की जा सकें। हमारे प्रदेश के अनगिनत भूमिहीन किसान और ऐसे छोटे-छोटे किसान जिनका अभी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं है और जो अनिश्चित अवस्था में पड़े हुए हैं उन सभी लोगों को किसी न किसी रूप में भूमि दे सकेंगे ताकि वे अपनी जमीन का उपभोग कर सकें और अपने प्रदेश को समृद्धिशाली बनाने में सहयोग दे सकें। अध्यक्ष महोदय, वन के संबंध में जो दूसरा क्षेत्र है, जहाँ इस प्रदेश का एक बड़ी भारी संख्या में जनता का संपर्क पड़ता है और जैसा कि सदन को विदित है कि निस्तार के संबंध में इस सदन में समय-समय

पर जानकारी दी जाती रही है, तो वन के मामले में भी जनता को राहत मिलेगी। शासन द्वारा बनाई गई निस्तार समिति ने अपनी सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन शासन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है ताकि शासन शीघ्र ही उस पर निर्णय लेकर उसे कार्य रूप में परिणित करे। हम आशा करते हैं कि वन-निस्तार संबंधी जितनी भी समस्याएँ हैं ग्रामीणों की हैं वे हल हो जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण विषय हमारे प्रदेश में को-ऑपरेशन का है। इसके बारे में कुछ सैद्धान्तिक मतभेद हैं। कुछ लोग को-ऑपरेशन को शुरू से ही गलत मानते हैं और उसके प्रत्येक रूप को एक अनाधिकार चेष्टा के रूप में देखते हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले लोगों को तो मतभेद इसके बारे में रहेगा ही लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रदेश के अधिकांश लोग और इस विधानसभा के आज उपस्थित अधिकांश सदस्य को-ऑपरेशन के प्रिंसिपल को मानते हैं। उसके कार्यान्वित करने के तरीके में उनके एम्फेसिस में भले ही कोई मतभेद हो लेकिन उसके सिद्धान्त के बारे में अधिकांश यहाँ पर उपस्थित सदस्यों को मतभेद नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के द्वारा चाहे वह खेती के क्षेत्र में हो चाहे वह छोटे रोजगार के क्षेत्र में हो चाहे वह किसी विभाग के कार्य करने के क्षेत्र में हो, शासन इसके संबंध में ऐसी चेष्टा करना चाहता है कि अपने प्रदेश की अधिकांश जनता इस को-ऑपरेशन के काम में योग दे सके, उनको हाथ बंटाने का उपयुक्त मौका मिल सके। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने भविष्य के लिये कुछ अपनी आशाएँ व्यक्त की हैं, जैसा कि कुछ समय पूर्व इस सदन में माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रजातन्त्र के लिये यह संक्रमणकाल है, अध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र ही एक ऐसा तन्त्र है शासन का जो किसी की देन नहीं है, जो किसी के ऊपर लादा नहीं है, यह तो केवल विश्वास पर आधारित है। यदि इस सदन में उपस्थित प्रत्येक माननीय सदस्य प्रजातन्त्र के मूलभूत सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, जैसा कि मैं समझता हूँ, तो फिर प्रजातन्त्र के लिये संक्रमणकाल इस प्रदेश में आ गया है, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ और यदि संक्रमणकाल आया है तो फिर वह प्रजातन्त्र के लिये नहीं आया है, संक्रमणकाल आया है, हमारी उन आस्थाओं के लिये जिन पर हम लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग, निर्वाचित होकर आये हैं। आज हम उन आस्थाओं को टटोलें और कहें हम उनके सामने सही रूप से रखकर जिनके बल पर चुनकर यहाँ आये हैं, देखें कहाँ तक सही रूप से हम उन पर विश्वास रखते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि हम इन दो चीजों पर विश्वास कर लेंगे तो प्रजातन्त्र में फिर संक्रमणकाल नहीं आ सकता है।

भारतवर्ष के लिये विश्वास और सहृदयता इतनी अधिक मात्रा में मौजूद है जिसके प्रमाण इतिहास और इस देश में अत्यधिक हैं, उसके अनुसार जो भी प्रणाली होगी वह संक्रमणकाल में नहीं होगी। आज जो संक्रमणकाल कहा जाता है अध्यक्ष महोदय, मुझे स्मरण आता है.....

श्री सूर्यदेव शर्मा : प्रजातन्त्र तो सफल हो रहा है ज्यों-ज्यों विरोधी दल बढ़ रहा है त्यों-त्यों सफल हो रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : इसलिये तो मैं कह रहा हूँ कि जो संक्रमणकाल कहते हैं वह गलत है। अध्यक्ष महोदय....

श्री सूर्यदेव शर्मा : अर्जुन के गांडीव की टंकार में आज मजा नहीं आ रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : टंकार सुनने के लिये समय की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, चार्ल्स डिकेन्स ने फ्रेन्च रिवोलूशन के बारे में कहा था यह उसका हिन्दी अनुवाद है :-

"यह सबसे अच्छा समय है और यह सबसे बुरा समय है।" अध्यक्ष महोदय, संक्रमणकाल जो कहते हैं तो मैं तो यही कहता हूँ कि यह सबसे अच्छा समय है और यह सबसे बुरा समय है तथा इस समय में, अध्यक्ष महोदय, अच्छे लोग भी आ सकते हैं और बुरे लोग भी आ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित है कि अच्छे लोग भी सामने आते हैं और बुरे लोग भी सामने आते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपने सिद्धान्तों पर निश्चित ही विश्वास है, अपने प्रांत के भविष्य के बारे में, अपने नेता के नेतृत्व में हम उसे समृद्धिशाली बना सकेंगे। इन्हीं सिद्धान्तों पर हम आशा करते हैं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे एक मत से स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि— "राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश

की विधानसभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

जो माननीय सदस्य इस कृतज्ञताज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहें वे दिनांक 28 मार्च 1962 को अपराह्न 3 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे दें। इस पर विचार के लिये मैं, दिनांक 30 मार्च, 2 अप्रैल तथा 3 अप्रैल 1962, नियत करता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई- 27 मार्च 1962, पृष्ठ- 26-30)

27 मार्च 1962 को श्री मिश्रीलाल गंगवाल (वित्त मंत्री) ने 1962-63 का आय-व्ययक (लेखा अनुदान) प्रस्तुत किया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत श्री अर्जुनसिंह के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले बजट पर चर्चा शुरू हो गयी। इस पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति उठाते हुए परम्परानुसार कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सबसे पहले चर्चा करने पर जोर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि यह ठीक है किन्तु बजट पहले पास होना चाहिए अन्यथा एक अप्रैल को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। अतः बजट प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा प्रारम्भ हुई। 30 मार्च को बजट पर बोलते हुए श्री अर्जुनसिंह ने सदन में कहा —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे थे उन्होंने कुछ उदाहरण चीन के दिये और उससे भारतवर्ष की तुलना करने की चेष्टा की। किसी नाम से तुलना भले ही वह कर सकें लेकिन जहाँ तक परिस्थिति और जहाँ तक देश में विद्यमान वह शक्ति है जो भारतवर्ष में समाज का संगठन कर रहे हैं उसकी उस परिस्थिति से जो उस समय चीन में थी जब चांगकाई शेक थे न तुलना की जा सकती है और न संतुलन ही नज़र आता है। क्रान्ति व्यक्ति-स्वार्थ से भी होती है। सामाजिक क्रान्ति इस देश में, विश्व इतिहास बताता है तभी होती है जब जनता के अधिकारों पर, जनता के सुखों पर कोई अवरोध पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को मान सकते हैं कि इस देश में जितनी अमीरी और खुशहाली हम लाना चाहते हैं, वह नहीं ला सकते हैं, उसमें हम बहुत हद तक सफल नहीं हुए हैं लेकिन साथ ही साथ इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इस देश में कितना नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका है और इस ओर वह बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब तक वहाँ पर कोई अवरोध नहीं आवेगा भारतवर्ष में वह परिस्थिति पैदा नहीं होगी जैसी कल्पना कि माननीय सदस्य करते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो बजट पेश हुआ है वह वोट-ऑन-एकाउन्ट है और इसमें बहुत विस्तृत चर्चा करने का अवसर नहीं है। फिर भी बहुत-सी महत्वपूर्ण बातें जो पिछले पाँच वर्ष के समय में देखने में आईं और जो बहुत बड़ा जनता से सम्पर्क करने का मौका मिला चुनाव में, उसके आधार पर मैं शासन के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, लोक कल्याण विभाग से भी अधिक महत्वपूर्ण विभाग मैं शासन के राजस्व विभाग को मानता हूँ, इसलिए नहीं कि राजस्व विभाग बजट की आमदनी में अधिकांश हिस्सा इकट्ठा करने का उत्तरदायी है, वरन् इसलिये कि राजस्व विभाग द्वारा ही अनगिनती किसानों का सम्बन्ध रोज के जीवन का रहता है।

अध्यक्ष महोदय, लैन्ड रिफार्म्स के नाम पर हमारे देश में पिछले बारह वर्षों से लगातार नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। जहाँ तक कानूनी क्रान्ति का सवाल है शायद किसी भी देश में कानून के द्वारा स्वार्थ प्रथाओं को खत्म किया गया हो लेकिन भारतवर्ष की यह विलक्षणता है कि हमारे नेताओं की सूझबूझ से, कानून के द्वारा इस देश में स्वार्थों को खत्म किया जा सका। हमने स्वार्थों को खत्म किया लेकिन उनको जीवित रखने वाली जो प्रणालियाँ थीं उन पर हमारा ध्यान नहीं गया। यही कारण है कि जमींदारी खत्म होने के दस-बारह बरस बाद भी आज का किसान यह महसूस करता है कि तब से अब में कोई अन्तर दिखाई नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आदरपूर्वक माननीय राजस्व मंत्री से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह मौका है वह इस ओर ध्यान दें, लैन्ड रिफार्म्स कानून तक ही सीमित रह कर कहीं हमारी चतुर्मुखी क्रान्ति सीमित न रह जावे।

उदाहरण के तौर पर मैं दो एक बातें यहाँ कहना चाहता हूँ। वर्ष 1958 में विधानसभा ने चारों घटक राज्यों के कानून को समाप्त कर प्रगतिशील कानून लागू किया था और टेनेन्सी के बारे में हमने बहुत बड़े-बड़े अधिकार किसानों को दिये थे, भूमि-स्वामी के रूप में। अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारों को पाने के बाद भी किसान आज तरस रहा है। आप पूछिये क्यों? भूमि-स्वामी हमने उनको बना दिया, जिन-जिन घटक राज्यों में ऐसे किसान रहे थे, उनको भूमि-स्वामी बना दिया।

अध्यक्ष महोदय, केवल कानून में लिख देने से कि उस दिन से भूमि-स्वामी बन गया हो ऐसी बात नहीं। उनको साबित करने में अनेकों कठिनाइयाँ हो रही हैं। सीधी से आये हुए एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको अनेकों कठिनाइयाँ हैं। आज लैण्ड रिफार्म के साथ-साथ लैन्ड रिकार्ड के कानून को भी अपनाने की आवश्यकता है। आज लैण्ड रिकार्ड में इस बात की आवश्यकता है कि खेत पर किसका अधिकार है। आज अपने यहाँ बन्दोबस्त लागू है कि वह एक दिन में भूमि-स्वामी बन जावेगा। ऐसा नहीं कि अदालत द्वारा या किसी और प्रकार से उसकी जमीन छिन जावेगी। वह जमीन जो उसके कब्जे में है उसके पास से जाने वाली नहीं है। लैण्ड रिफार्म में अधिकारों को देने का यही तात्पर्य है कि छोटे लोगों के हाथ मजबूत करना है और. जो मामूली तबके के लोग हैं जो इन अधिकारों पर ख्याल करके जनता को परेशान किया करते हैं। मैं चाहूँगा कि माननीय राजस्व मंत्री सौभाग्य से वह पहले इस प्रदेश के राजस्व मंत्री थे और आज मुख्यमंत्री हैं तो वह राजस्व विभाग के लैण्ड रिकार्ड के बारे में एक समिति का गठन करें चाहे वह सदन से करें या बाहर से करें, इससे तो मेरा कोई मतलब नहीं है। वह समिति देखे कि जो नियम पूर्व में बने हुए हैं, उनको आज की परिस्थिति के आधार पर बनायें।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मित्र से जानना चाहता हूँ कि वह किसानों का जमीन पर पूर्ण अधिकार कायम हो इसके पक्ष में हैं अथवा इस पक्ष में हैं कि किसानों के सब अधिकार छीन कर अपने हाथ में कर लें, इस पर प्रकाश डालें तो अच्छा होगा।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय सदस्य शायद किसी दूसरी ही कल्पना में थे इसलिए मेरा भाषण उनकी समझ में नहीं आया और शायद यह जिस दल के प्रतिनिधि हैं तो शायद नीचे सिर करके सोचते हों।

श्री रामेश्वर अग्निभोज : इसीलिये में सीधा समझना चाहता हूँ कि जिससे मेरे दिमाग में कोई गलतफहमी न रह जाये।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि लैण्ड रिकार्ड के बारे में हमें एक क्रान्तिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है....

श्री बंसीधर : अध्यक्ष महोदय, माल कानून की दफा 248 को एक प्रगतिशील दफा मानते हैं जिस जमीन पर किसान सन् 1917 से कब्जा किये हुए हैं, उस पर सरकारी कब्जा मानते हैं, यह प्रगतिशील है या अप्रतिक्रियावादी?

श्री अर्जुनसिंह : मैं किसी कानून का विश्लेषण नहीं कर रहा था, जब मौका आवेगा, जवाब दूँगा।

अध्यक्ष महोदय, अब हमारे यहाँ के आदिवासी हिस्से के बारे में सवाल आता है। हमारे आदिवासी भाई ने मार्मिक भाषा में अपना भाषण किया था। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ उन्होंन अपनी भाषा में कहा वह मुझे बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया और जो समझ में आया तो वह समस्या सिर्फ बस्तर तक ही सीमित है ऐसी बात नहीं है। शायद वह इस बात को महसूस करते हैं और शासन भी महसूस करता है कि आदिवासियों को जो 10-15 वर्ष यानी जब से आजादी प्राप्त हुई है उनकी छोटी-छोटी जरूरियात में तब्दीलियाँ आई हैं लेकिन हम उनमें अच्छी तरह उनको एडजस्ट नहीं कर पाये हैं। शासन का इस ओर सतत् प्रयत्न भी रहा है और उनकी जो आवश्यकताएँ हैं, कठिनाइयाँ हैं उनको सुलझाने के लिये और जगहों के बनिस्बत सरल और सुलभ तरीके बनाये जायें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को इतना कह सकता हूँ कि बस्तर में जो हुआ और अन्य एरिया में जो असन्तोष है और इस प्रजातन्त्र के युग में उनको ऐसा कहना पड़े कि हमारे महाराजा साहब ऐसे कोई हैं, वह हमारी कठिनाइयों की तरफ निगाह रखते हैं, हमारे दुःख-दर्द की तरफ हाथ बढ़ाते रहे हैं, उनकी ऐसी मनोवृत्ति महाराजा के प्रति है तो हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री और आदिमजाति कल्याण मंत्री महोदय, जो इस समय यहाँ उपस्थित

नहीं हैं, मैं उनसे आशा करूँगा कि कम से कम तृतीय पंचवर्षीय योजना में वह इस राज्य के कोने-कोने में पधारने की कृपा करें ताकि विभिन्न क्षेत्र के लोग उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ रख सकें और माननीय मंत्री जी उनको सुलझाने में आदिवासियों की मदद कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं प्रदेश के उनके बढ़ाने की तरफ शासन को कदम उठाना चाहिये और उसके बारे में मैं दो शब्द कहकर अपना भाषण समाप्त करूँगा। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को विदित है बजट में माइनिंग और ट्रान्सपोर्ट की माँगें प्रस्तुत की गई हैं। यही दो-तीन डिपार्टमेंट्स हैं जिनके द्वारा अपने प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति काफी सुधारी जा सकती है। मेरा सुझाव है कि अपने नैसर्गिक साधन विभाग के मंत्री से कि वह नैसर्गिक से उतर कर जमीन पर आवें व्यवहारिक रूप से देखें कि क्या केवल माइनिंग के परमिट देने, लायसेंस देने से इस विभाग को उन्नति के पथ पर ले जाया जा सकेगा। क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अन्य प्रांतों में हुआ है कि अपने यहाँ माइनिंग कार्पोरेशन बना दिये हैं, उनके द्वारा ही बड़े-बड़े खनिज पदार्थ जैसे लोहा है, कोयला है और इस तरह के अन्य खनिज पदार्थ हैं उनका एक्सप्लाइटेशन होता है। उसी प्रकार अपने यहाँ भी माइनिंग कार्पोरेशन के द्वारा खनिज पदार्थ का एक्सप्लाइटेशन हो ताकि पूरा-पूरा फायदा प्रदेश के शासन को मिले और पैसा सीधे शासन के कोष में आवे। छोटी-छोटी खानों के लायसेन्स दिये जा सकते हैं और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होगी लेकिन नेशनल डेवेलपमेन्ट के आधार पर प्रदेश शासन कार्पोरेशन बनाये ताकि प्रचुर मात्रा में अपने प्रदेश में जो खनिज पदार्थ हैं उनका एक्सप्लाइटेशन किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूँ। सी.पी.टी.एस. और एम.बी. रोडवेज का एकीकरण किया जा रहा है और एकीकरण के बाद हम यह अपेक्षा करेंगे कि प्रदेश में मुख्य-मुख्य जितने रूट्स हैं उनके ऊपर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् हमारी शासकीय बसेज को चलाया जावे ताकि उनसे होने वाला फायदा शासन को मिले। मैं जानता हूँ कि इसके करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं, कुछ कानूनी कठिनाइयाँ हैं और कुछ व्यक्तिगत कठिनाइयाँ भी हैं लेकिन यह प्रदेश के हित का प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ कि सदन का कोई सदस्य शासन को जितनी शक्ति देने की आवश्यकता होगी, वह देने में संकोच नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में मजबूत कदम उठायेंगे ताकि बसेज का राष्ट्रीयकरण जल्दी से जल्दी किया जा सके। उत्तरप्रदेश, बिहार में राष्ट्रीयकरण हो चुका है व देश का शायद ही ऐसा कोई प्रदेश होगा जहाँ बसेज का राष्ट्रीयकरण न कर दिया गया हो। मध्यप्रदेश में इतना मौका होने पर भी आज तक नहीं कर पाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिये ताकि आमदनी के साधन और बढ़ सकें और कल्याणकारी स्कीमों में पैसा ज्यादा लगा सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वह रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलें, मेडीकल कॉलेज खोलें यह हम चाहेंगे और मुझे आशा है कि अगले सेशन में रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जावेगा लेकिन एक ऐसी शिक्षा की तरफ, जिसके बारे में आये दिन हमें केवल भाषण सुनने को मिलते हैं, मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है संस्कृत की शिक्षा के विषय में। मैं पहले यह बता दूँ कि संस्कृत के बारे में मैं स्वयं अनभिज्ञ हूँ लेकिन उसके महत्व को अच्छी तरह से समझता हूँ। मुझे दुःख है कि उस ज्ञान का लाभ प्राप्त नहीं कर सका हूँ और भविष्य में मौका मिलेगा या नहीं यह ईश्वर ही जाने। लेकिन संस्कृत के बारे में जो नीति अपनाई गई है....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इलाहाबाद यदि आप चले जायें, तो मौका मिल जायेगा।

श्री अर्जुनसिंह : वह नीति बजट में प्रतिवेदित हुई है, लेकिन उस नीति को कार्यरूप में परिणित कम किया जा रहा है। मैं शिक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रीवा में एक संस्कृत कॉलेज था और किन परिस्थितियों में वन मंत्री महोदय ने उसे वहाँ कायम किया था, वह अच्छी तरह से जानते होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आज उस संस्कृत कॉलेज को डिग्रेड करने की कौन-सी परिस्थिति पैदा हो गई। एक संस्कृत कॉलेज में अंग्रेजी का शिक्षक आवश्यक रूप से होने का औचित्य मेरी समझ में नहीं आता। संस्कृत कॉलेज में संस्कृत के शिक्षक, आचार्य, शास्त्री और संस्कृत पढ़ाने के लिये योग्य लोगों का होना ही पर्याप्त है, इससे अधिक आप क्या

चाहते हैं? जिस प्रकार का प्राथमिक और माध्यमिक शालाएँ खोलने का क्रम है, उससे अच्छी रूपरेखा संस्कृत कॉलेज आदि खोलने में होना चाहिये, हमारे प्लानों में इस प्रकार की गुंजाइश होना चाहिये, जिससे अच्छे संस्कृत कॉलेज चल सकें। यदि इस प्रकार के कॉलेज खोले गये और जो चल रहे हैं, उन्हें उचित रूप से चलाया गया तो हमारी आशा पूरी हो सकती है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/ 30 मार्च 1962, पृष्ठ- 162-165)

5 अप्रैल 1962 को पहले सत्र का अवसान हो गया। दूसरा सत्र 25 जून 1962 से प्रारंभ हुआ। इस दूसरे सत्र में 5 जुलाई 1962 को सदस्य श्री चन्द्रप्रताप तिवारी ने रीवा में मेडीकल कॉलेज खोलने के बारे में प्रश्न उपस्थित किया। इस प्रश्न के पक्ष में श्री अर्जुनसिंह ने पूरक प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जागरूक जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया यह रोचक प्रश्नोत्तर यहाँ प्रस्तुत है :—

11. (*क्र. 518) श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : क्या लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा में मेडीकल कॉलेज खोलने बाबत क्या अंतिम निर्णय हो चुका है? (ख) यदि हाँ, तो कॉलेज कब तक खुल जायेगा? (ग) क्या मौजूदा पंचवर्षीय योजना की अवधि में कॉलेज खुल जायगा?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : (क) जी नहीं। (ख) और (ग) निश्चित रूप से बताना संभव नहीं है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यह मेडीकल कॉलेज रीवा के बाबत प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्नोत्तरी को मुख्यमंत्री जी सुनने की कृपा करें। मैं यह जानना चाहूँगा कि मेडीकल कॉलेज खोलने के संबंध में शासन ने क्या क्राइटेरिया बनाया है?

अध्यक्ष महोदय : अभी स्वास्थ्य मंत्री मेरे कक्ष में आये थे और इस संबंध में वह जो वक्तव्य सदन में देना चाहते हैं, उसकी अनुमति ले गये हैं।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मैं वक्तव्य अंग्रेजी में पढ़कर सुनाता हूँ बाद को यदि जरूरत हुई तो हिन्दी करके सुना दूँगा :—

The question of opening medical college has been engaging the attention of Government and the suggestions so far have been for locating them at Raipur and Rewa. There exists a provision of Rs. 55 lakhs in the Third Five Year Plan, but this amount is hardly sufficient for one Medical College and the Planning Commission has so for accorded their approval for one Medical College, as such.

There exists need for two Medical Colleges viz., one at Rewa and the other in Chhattisgarh area, at Raipur. In view of the importance of the matter, final decision will be taken by the Cabinet and the Planning Commission's approval will also have to be obtained in case two Medical Colleges are to be opened.

The then Health Minister had indicated that a Medical College will be established at Raipur and had expressed a further desire to have another Medical College at Rewa during the Third Five Year Plan period. This view will also be placed before the Cabinet.

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आपका यह स्टेटमेंट हम बिना पढ़े ही समझ सकते थे, जान सकते थे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि जगह सिलेक्ट करने के लिये क्या आपने क्राइटेरिया बनाया है। केबिनेट भी तो किसी क्राइटेरिया पर निर्णय लेती होगी?

अध्यक्ष : उन्होंने अभी जो बात कही उससे आपके सवाल का उत्तर कवर हो जाता है। वह कह रहे हैं कि इस प्रदेश में दो मेडीकल कॉलेजों की और आवश्यकता है— एक रीवा में और दूसरे छत्तीसगढ़ संभाग के लिये रायपुर में।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो यह कहा जाता है कि हमको करना है तो हम तुम्हारे

लिये भी करेंगे। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि मेडीकल कॉलेज खोलने का क्या क्राइटेरिया है ताकि केबिनेट कोई निर्णय ले तो हमको मालूम हो। आखिर कोई क्राइटेरिया तो होगा, प्लानिंग कमीशन ने कोई क्राइटेरिया तो बनाया होगा?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य मेडीकल कॉलेज खोलने के संबंध में दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दो जगह की माँग है और शासन ने भी माना है कि दोनों जगह रीवा और रायपुर में मेडीकल कॉलेज खोलना है। स्वास्थ्य मंत्राणी ने भी वक्तव्य में कहा था कि रायपुर में मेडीकल कॉलेज खोलेंगे और रीवा में खोलने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु जैसा अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है इस बात को हम मानते हैं कि दोनों जगह मेडीकल कॉलेज होना चाहिये और दोनों जगह मेडीकल कॉलेज स्थापित करने के लिये प्रयत्न करेंगे। वह दो जगह हैं- रीवा और रायपुर। इन दोनों जगहों के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं। जब दोनों जगहों के लिये कह दिया है तो तिवारी जी के मन में शंका नहीं होनी चाहिये कि तीसरी जगह खोला जायेगा।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि दो जगह मेडीकल कॉलेज खोलने की माँग है और दोनों जगह खोलना आप चाहते हैं, यह अच्छी बात है और इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ लेकिन दोनों जगह के लिए प्लानिंग एग्री नहीं हुआ है। एक जगह का काम तय है कि खुलेगा। दोनों जगह में से एक जगह खोलने के लिए प्रॉयर्टी तय करने को कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। वह क्राइटेरिया क्या है और पहले नम्बर पर कहाँ खुलेगा, यह जानना चाहता हूँ?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : हम दोनों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : दो पहले नंबर नहीं होते, इसको बताना चाहिये कि पहले नंबर पर यह खुलेगा और इस संबंध में साफ-साफ एश्योरेन्स देना चाहिये। एरिया देखा जाता है, पापुलेशन पर विचार होता है, बहुत-सी चीजें काउन्ट की जाती हैं इसलिये हमें क्राइटेरिया बतलाइये?

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि यह विषय मंत्री मण्डल में विचारार्थ है, रखा है और केबिनेट में इस पर विचार किया जायेगा। उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि गवर्नमेंट के सामने दोनों जगहों को प्राथमिकता देने का विचार है अतः इस संबंध में आज कुछ भी कह देना जबकि मामला गवर्नमेंट के सामने जाने वाला है, उचित नहीं होगा।

श्री अर्जुनसिंह : जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि इसके संबंध में प्लानिंग कमीशन से विचार किया जावेगा क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने अभी एक के लिये पैसा दिया है। मैं स्पेसिफिक उत्तर चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने लिखित रूप में यह दिया है कि प्रथम मेडीकल कॉलेज रीवा में खुलना चाहिये?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बात अलग है कि क्या पत्र व्यवहार प्लानिंग कमीशन से हमारा होता है और वह जनहित में सदन में रखना मैं उचित नहीं समझता।

श्री अर्जुनसिंह : प्लानिंग कमीशन की मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी आड़ ले रहे हैं और प्रश्न को टालने के लिये यह कह रहे हैं। प्लानिंग कमीशन ने निश्चित मत किसी विषय पर दे दिया है फिर भी कहना कि प्लानिंग कमीशन से पुनः विचार करना है यह कहकर सदन को धोखे में डालना है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग कमीशन से कोई संकेत नहीं मिला है कि प्रथम मेडीकल कॉलेज रीवा में खुलना चाहिये?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : प्लानिंग कमीशन ने केवल एक मेडीकल कॉलेज खोलने के लिये स्वीकृति दी है। उन्होंने निश्चत नहीं किया है कि आप यहाँ ही खोलिये।

श्री अर्जुनसिंह : केन्द्र के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर और उसके पश्चात् वर्तमान स्वास्थ्य मंत्राणी श्रीमती सुशीला नायर के मंत्रालय से शासन को इस तरह का पत्र प्राप्त हुआ है कि रीवा में मेडीकल कॉलेज को प्राथमिकता देनी चाहिये?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मुझे इस समय जानकारी नहीं है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : दिनांक 7-9-61 को मध्यप्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉ. काटजू ने सदन में आश्वासन दिया था कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में रीवा में मेडीकल कॉलेज खोलेंगे तो क्या

उन्होंने यह आश्वासन मंत्रिमण्डल में बिना विचार किये हुए दिया था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से विधिवत् विचार हो रहा है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने बिना केबिनेट में विचार किये यह आश्वासन सदन में दिया था?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : अध्यक्ष महोदय, यह डेलीकेट मामला है। स्वास्थ्य मंत्राणी ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार करके मैंने सदन में बताया है। पिछले सालों में भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने क्या वक्तव्य दिये हैं उनको एकत्रित करके, जाँच करके न देख लिया जावे तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री अर्जुनसिंह : इस तरह की दलील रखेंगे और इस तरह की नीति मंत्री जी अपनावेंगे तो किसी भी माननीय सदस्य को संतोष नहीं होगा और न विशाल मध्यप्रदेश के भू-भाग को संतोष होगा। जो आश्वासन भूतपूर्व मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्राणी दें, उसके लिये यह कहना कि किसी ने क्या कह दिया है, यह उचित नहीं है। इस संबंध में व्यवस्था हो चुकी है, माननीय मंत्री को उसको दोहराना गलत होगा।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : माननीय सदस्य कुछ आवेश में आ गये। मुझे इसका खेद है। लेटेस्ट स्टेटमेंट 27 मार्च 1961 का है उसके आधार पर मैंने अपना वक्तव्य आधारित किया है और कहा है कि स्वास्थ्य मंत्राणी ने रायपुर में मेडीकल कॉलेज खोलने का मत अवश्य व्यक्त किया। रीवा के संबंध में उन्होंने कहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में खोलने का प्रयत्न किया जावेगा।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री बड़े हैं या मुख्यमंत्री बड़े हैं? एक तरफ एक आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है और दूसरी तरफ दूसरा आश्वासन स्वास्थ्य मंत्राणी ने दिया है। मंत्री महोदय केवल स्वास्थ्य मंत्राणी के वक्तव्य की बात कर रहे हैं।

श्री सुन्दरलाल पटवा : वह लम्बाई में बड़े हैं और चौड़ाई में कम।

अध्यक्ष : क्या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा आश्वासन दिया है?

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मुख्यमंत्री महोदय ने सितम्बर के महीने में आश्वासन दिया था कि हम रीवा में मेडीकल कॉलेज खोल रहे हैं?

अध्यक्ष : यह तो स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि शासन रीवा में मेडीकल कॉलेज खोलने पर विचार कर रहा है।

श्री अर्जुनसिंह : स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने रायपुर के लिये कहा है और रीवा के लिये यह कहा है कि हम कोशिश करेंगे। इसमें बड़ा फर्क है।

अध्यक्ष : अभी मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ने यह कहा है कि मध्यप्रदेश में दो कॉलेजेज खोलना शासन के विचाराधीन है। उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि वह रीवा में नहीं खोलेंगे।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हम कोशिश करेंगे यह तो एक राजनैतिक भाषा हो गई है। अगर वह यह कहते कि हम खोल देंगे तो दूसरी बात होती। मैं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूँगा कि वह पुरानी मंत्राणी महोदया की चीज है, वह भावनाओं में न जाएँ और रीजनलिज्म की जो भावना है उसको खत्म करें। मैं चाहता हूँ कि वह निश्चित रूप से सोचकर उत्तर दें और खुले दिल से यह बात बताएँ कि क्या रीवा में मेडीकल कॉलेज की स्थापना को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि रीजनलिज्म की जो भावना घर कर रही है वह खत्म हो जाये?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : राज्य शासन दोनों स्थानों पर मेडीकल कॉलेज खोलने का विचार कर रहा है जहाँ तक प्राथमिकता का सवाल है इसमें प्लानिंग कमीशन की भी बात आती है। मंत्री परिषद् इस मामले में आगे बढ़ रहा है। शासन का यह निश्चित मत है कि मध्यप्रदेश में दो मेडीकल कॉलेजेज की आवश्यकता है। इसी विश्वास के आधार पर सदन में चर्चा हो रही है। रीवा को छोड़ा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। वह रीवा में चाहते हैं और हम रायपुर में चाहते हैं, यदि इस तरह से चर्चा चलती रही तो इसका कभी अंत नहीं होगा। हमारे सामने प्रदेश का एक चित्र है, उसी निष्ठा और उसी विश्वास के साथ हम प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष : बजट में जो आपने 55 लाख का प्रॉवीजन किया है वह मेडीकल कॉलेजेज के लिये है या मेडीकल कॉलेज के लिये?

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : कॉलेजेज के लिये।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : 55 लाख रुपये तीसरी पंचवर्षीय योजना में मेडीकल कॉलेज के लिये है।

अध्यक्ष : कॉलेज या कॉलेजेज।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : मेडीकल कॉलेज के लिये है और 5 हजार रुपया उसकी प्रारंभिक कार्यवाही करने के लिये कॉलेजेज के लिये है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आप जानते हैं कि इस विधानसभा में आप भी हैं और हम भी हैं। आप साफ बताइये, दिल से कह दीजिये, आपके दिल में क्या है। मुख्यमंत्री जी ने रीवा के लिये कहा था, रायपुर के लिये नहीं। ऐसी स्थिति में मंत्राणी महोदया के आश्वासन की क्या कीमत है और मुख्यमंत्री डॉ. कैलाशनाथ काटजू द्वारा दिये गये आश्वासन की क्या कीमत है, इसको सोच-समझकर कृपया उत्तर दें, आप किसको प्रॉयरिटी देना चाहते हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : थर्ड फाइव ईयर प्लान जो इस प्रदेश की है उसमें है कि :-

"इट इज प्रपोज्ड टू ओपन टू मेडीकल कॉलेजेज इन दी न्यू प्लान." यह जो पैसा है, जो मेडीकल कॉलेज खुलेंगे और जो खर्च लगता है वह इस प्रकार दोनों कॉलेजों की रूपरेखा बनाने के लिये है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : इट इज इवेडिंग दी इशू सर.

श्री मथुराप्रसाद दुबे : शान्ति से समझ लें। गरम-गरम चीज मुँह में रखने से जल जायेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कह दिया है। मैंने भी स्टेटमेंट में कह दिया है। दो जगह मेडीकल कॉलेज के बारे में सुझाव है रायपुर और रीवा में। वित्तीय स्थिति को देख कर काम की मंजूरी प्लानिंग कमीशन से लेकर काम करना है। स्वास्थ्य मंत्राणी जी ने 27 मार्च को कहा है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में रायपुर में मेडीकल कॉलेज अवश्य खोलेंगे। जल्दी खुल जावे। यह 27 मार्च का स्टेटमेंट है।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुख्यमंत्री महोदय का क्या स्टेटमेंट है। आप गला काटते जायें और हम कुछ न कहें?

श्री अर्जुनसिंह : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देते हैं कि रायपुर और रीवा में मेडीकल कॉलेज एक साथ खोले जायेंगे, यह आश्वासन सदन में देते हैं?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : गाँठ जोड़कर चलेंगे यह तो नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि मेडीकल कॉलेज कोई डिस्पेंसरी नहीं है। सारी आवश्यकता को देख कर पूरा प्रयत्न दोनों जगह खोलने का करेंगे। प्रश्न है.....

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं साफ उत्तर चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय प्रश्न के उत्तर में भाषण देने लगते हैं। हम लोग बहुत तेज हैं, भाषण देते हैं। जिस भावना से प्रेरित होने का वे दावा रखते हैं उसको मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि रायपुर और रीवा में दोनों में मेडीकल कॉलेज एक साथ खुल जायेगा?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : शिलान्यास एक साथ हो सकता है।

श्री अर्जुनसिंह : ऑन ए प्वाइन्ट ऑफ आर्डर सर, मैं मुख्यमंत्री महोदय से प्रश्न कर रहा हूँ। मंत्री महोदय को उत्तर देने का अधिकार नहीं है।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : केबिनेट का कोई भी मंत्री उत्तर दे सकता है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पष्ट कथन है कि प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने, केन्द्रीय सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री करमरकर जी ने और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्राणी डॉ. सुशीला नायर ने रीवा में स्पेसिफिकली मेडीकल कॉलेज खोलने की बात कही है और मंत्री जी जानबूझकर इस तथ्य को बता नहीं रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन के वर्किंग ग्रुप ने, डॉ. सुशीला नायर ने और श्री करमरकर ने स्पेसिफिकली क्या कहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप जो कह रहे हैं उसकी उनको जानकारी नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : वे इवेड कर रहे हैं, यह तथ्य के परे हैं। मैंने जो प्रश्न किया उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं रीवा में यह आश्वासन दिया है।

श्री रुक्मिणीरमण प्रतापसिंह : मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के जो इंस्ट्रक्शन्स मिलते हैं वे कितने दिनों, महीनों बाद उन्हें पढ़ा करते हैं?

श्री कृष्णपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान मंत्री महोदय पहले स्वास्थ्य मंत्राणी जी की बात है तो क्या वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय पहले मुख्यमंत्री। की बात रखना चाहते हैं?

अध्यक्ष : स्पष्ट उत्तर दिया है कि दोनों जगह शासन कॉलेज खोलने का विचार कर रहा है?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

अध्यक्ष : अभी श्री अर्जुनसिंह जी ने सवाल जो पूछा है कि क्या दोनों मेडीकल कॉलेजेज साथ-साथ खुलेंगे, इस संबंध में शासन को कुछ कहना है?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : बड़ा शुभ दिन होगा कि दोनों कॉलेज एक तारीख को, एक घंटे में और उसी सेकन्ड में खुल जायें। मगर कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं। हम इस मामले में पूरे कर्तव्यनिष्ठ हैं कि दोनों कॉलेज हमारे यहाँ तीसरी योजना में खुल सकें।

अध्यक्ष : उनका पूछना है कि गाँठ बाँधकर भले न खोलें, लेकिन दो-चार दिन या एक महिने के फर्क से खुलेंगे?

श्री मथुराप्रसाद दुबे : कुछ समय का फेर होगा लेकिन उसकी तैयारी साथ-साथ चलेगी।

श्री अर्जुनसिंह : टाइम में देरी होगी, तैयारी साथ-साथ चलेगी तभी तो प्रश्न प्रॉपरटी का आता है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह तभी उठेगा जब समय में फेर होगा। इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि प्राथमिकता किस आधार पर निश्चित करेंगे।

अध्यक्ष : इस प्रश्न के उत्तर में शासन का क्या कहना है?

श्री अर्जुनसिंह : इस तरह से विधानसभा में किसी ऐसे प्रश्न का उठाना ही गलत है जब शासन ढीलढाल तरीका अपनाए लेकिन जब तक आपका संरक्षण मिलता रहेगा, हम उठाते रहेंगे। शासन भले ही गलत बात कह दे, कुछ न कहे, मूक हो जाये, यह शासन पर है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : जबकि आगामी वर्ष में रायपुर में विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बन गई है तो क्या यह अच्छा न होगा कि विन्ध्यप्रदेश में मेडीकल कॉलेज खोलने की योजना बनायी जाये।

श्री मथुराप्रसाद दुबे : यह प्रश्न इससे नहीं उठता है कि अगर वहाँ यह है, तो यहाँ वह कर दिया जाये, यहाँ यह है तो वहाँ यह हो जाये।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 जुलाई 1962, पृष्ठ- 695-700)

1962-63 के बजट पर चर्चा चल रही थी। श्री अर्जुनसिंह ने प्रदेश की खनिज सम्पदा के उचित दोहन पर जोर दिया और साथ ही बढ़ती हुई आबादी की समस्या की ओर इशारा करते हुए यह भी कहा कि हमें सिर्फ आज ही की नहीं आने वाले दस सालों की परिस्थितियों का अवलोकन करके चलना चाहिए। उनका वक्तव्य इस प्रकार है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा का तीसरा दिन है और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो स्टेटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन दिया है उससे ज्यादा मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मन्त्री जी के पास हर चीज साबित करने के साधन हैं। जहाँ तब बजट के स्टेटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन का प्रश्न है उस पर मतभेद जहाँ तक मैं समझता हूँ नहीं है। मतभेद बजट घाटे का है, इस बात को लेकर नहीं है। यह सर्वविदित है। मतभेद है और लोगों को जो शंका है वह विश्वास की है। टैक्स लगाने पर नहीं है। क्योंकि किसी भी राज्य को टैक्स लगाना लाजमी होता है और जब कि प्रजातन्त्र शासन हो वहाँ टैक्स लगाना अनिवार्य

हो जाता है। जनता का शासन होता है, शासन को अधिकार है कि वह टैक्स लगाये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की आलोचनाएँ विधानसभा के अन्दर और बाहर सुनने को मिलती हैं, लोगों को शंका होती है कि किस प्रकार से खर्च किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति क्या है, उससे आँख मूँदना नहीं चाहिये। यहाँ पर सब दल के माननीय सदस्य चुन कर आये हैं उनका अधिकार है उन सब बातों को वे देखें। टैक्स के बारे में मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में संकेत दिया है, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर लोगों को सोचना पड़ता है और मतभेद होते हैं। टैक्स के बारे में शासन के पास कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं, निश्चित पॉलिसी नहीं है कि किस चीज पर टैक्स लगाया जाये, किस साल किस पर टैक्स लगाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ शासन के पास नियोजित कार्यक्रम नहीं है। हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, अगर समाजवादी समाज की स्थापना करना है तो छत्तीसगढ़ में किस सिद्धांत को मानकर मोटर मालिकों को मोनोपोली दे रखी है, किस समाजवादी समाज की यह रचना है, इसको देखना होगा। अध्यक्ष महोदय, साइंटिफिक डिपार्टमेंट का जो कार्यक्रम है वह बिलकुल ही अन-साइंटिफिक है, उसकी कार्यप्रणाली अन-साइंटिफिक है। जैसा अनेक माननीय सदस्यों ने कहा, खनिज पदार्थ जो हमारे प्रदेश में अधिकता से हैं उनका उपयोग नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सन् 1951 के सेन्सेज के अनुसार 26.1 मिलियन पापुलेशन थी और उसमें 10.6 वर्किंग फोर्स था। करीब आधे काम करने वाले थे, अर्थात् लगभग 80 प्रतिशत लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते थे और इस बात से भी आप सहमत होंगे कि वन प्वाइंट नाइन की रफ्तार से पापुलेशन बढ़ती जा रही है तो जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम आशा कर सकते हैं वह पोजीशन 35 मिलियन के लगभग की होगी। लैंड के ऊपर इतनी ज्यादा पापुलेशन का प्रेशर पड़ेगा कि हमारी पूरी इकॉनामी भंग हो सकती है इसलिये अच्छा होता कि अभी से हम इस ओर ध्यान देते। यहाँ जो 1-1/2 लाख के आँकड़े दिखाये हैं इनको देखते हुए कैसे हमारी जनता को विश्वास हो कि समस्या का समाधान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमें आज की समस्या का हल नहीं सोचना है हमें तो आज से 10 साल के बाद की परिस्थिति का अवलोकन तथा समालोचना करके चलना है।

दूसरी मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि विश्वास के संबंध में लोगों को शंका-कुशंका क्यों होने लगती है? विश्वास पैदा करने के अनेक तरीके होते हैं। एक तो व्यक्तिगत आचरण से लोग विश्वास करते हैं, दूसरे सामूहिक आचरण से और तीसरे कल्पना से किसी के आचरण के प्रति अन्दाज लगाते हैं और उसी के अनुसार विश्वास करते हैं। कल्पना का आधार तो वही लेता है जो भावुक होता है परन्तु कल्पना के अलावा व्यक्तिगत व्यक्ति के आचरण से और सामूहिक, समाज में किये गये आचरण से लोगों को किसी के प्रति विश्वास या अविश्वास होता है अर्थात् व्यक्तिगत आचरण द्वारा समाज पर तथा सामूहिक आचरण द्वारा देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखें कि पार्टी के बाहर भी उसका असर पड़े। इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि विदेशों में जब कोई व्यक्ति शासकीय पद पर चुन कर आता है तो उसके पहले के जो कम्पनीज के शेयर्स वगैरह होते हैं उनको बेच देता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक स्वस्थ परम्परा है। यह मैं नहीं जानता कि यह बात यहाँ भी माननीय सदस्यों के ध्यान में आई अथवा नहीं कि यहाँ बिलकुल विपरीत दशा है। शासकीय पद पर चुन कर आने के पश्चात् यहाँ पहला जो कार्यक्रम अपनाया जाता है वह है कि अपने सगे संबंधियों को किसी बड़े उद्योगपति के यहाँ नौकर रखवा देना है। ऐसी अवस्था में लोगों को शंका करने का अवसर मिल जाता है। आज जो सत्तारूढ़ दल है, वह कहता कुछ है और करता कुछ है, यह कहने का अवसर लोगों को मिल जाता है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का एक दूसरा उदाहरण और है अभी एक महीने पहले की बात है कि केन्द्रीय संसद में यह प्रश्न उठाया गया कि मध्यप्रदेश और गुजरात के बीच में जो नरबदा वेली कार्पोरेशन बनाया गया है उसमें कार्पोरेशन के संबंध में तो अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ नहीं कहना परन्तु वहाँ भी स्वस्थ परम्परा डालने का प्रश्न है। वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। वहाँ पर भी जो नियुक्तियाँ हुई हैं....

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में स्पष्टीकरण किया गया था। मैं इस संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें जिन व्यक्तियों को गुजरात में मंत्री ने मुकर्रर किया है उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जब मध्यप्रदेश शासन का उससे कोई संबंध ही नहीं है तो उसकी चर्चा ही यहाँ होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण का स्वागत करता हूँ। लेकिन जब कार्पोरेशन की बैठक यहाँ होगी और हमारे प्रदेश के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे और कार्पोरेशन के अन्य सदस्य भी होंगे तो आश्वासन को कार्यान्वित करने की दशा में वे इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

श्री भगवन्तराव अन्नाभाऊ मण्डलोई : गुजरात गवर्नमेन्ट का आदमी रहेगा, तो मध्यप्रदेश शासन क्या करेगा?

श्री शाकिर अली खाँ : गुजरात गवर्नमेन्ट को तवज्जह दिलाई जायेगी कि इस किस्म की हालत है उस पर गौर कीजिये।

श्री अर्जुनसिंह : दो मिनट का समय और मैं चाहूँगा, अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा स्टेण्डर्डाइजेशन ऑफ रेवेन्यू का विधेयक इस सभा में आने वाला है ताकि रेवेन्यू रिअलाइजेशन में जो असमानता है वह दूर हो सके। जब वह विधेयक आयेगा तब मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये श्रीमान् से आज्ञा लूँगा। लेकिन जब इस तरह की कल्पना माननीय वित्त मंत्री को टैक्स लगाने के सम्बन्ध में थी तो स्वाभाविक है कि सम्बन्धित विभाग से उन्होंने जानकारी लेने का प्रयत्न किया होगा क्योंकि जिन लोगों का रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध रहता है उनका साधारण जनता, विशेषकर किसानों से सीधा सम्पर्क रहता है और इसलिये उसको तत्परता से कार्यान्वित करने के लिये उनके अनुभवों की आवश्यकता रहती है। गत पाँच वर्षों से जो हमारे यहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं वह आज हमारे मुख्यमंत्री हैं वह कम से कम इस बात पर ध्यान देंगे और उनसे मैं आग्रह करूँगा कि इस बात को सुचारु रूप से चलाने के लिये पहले जैसे एक मंत्री ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, नया मध्यप्रदेश बन जाने के बाद, 6 साल बाद, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया उसी तरह 6 साल के बजाय एक-दो साल में अपना प्रतिवेदन दें ताकि उस पर कुछ किया जा सके।

अन्त में मैं एक आग्रह और करना चाहता हूँ। हम सुनते आये हैं कि डेमोक्रेसी पब्लिसिटी पर अधिक आश्रित रहती है। यदि विधानसभा की कार्यवाहियों को यहाँ अखबारों के बैठे हुए प्रतिनिधि छापने से इन्कार कर दें तो शायद पचास प्रतिशत इस सदन के बोलने वाले या तो बोले नहीं या यहाँ आये नहीं। कहने का मतलब यह कि पब्लिसिटी इज विथ डेमोक्रेसी—दोनों को एक-दूसरे से अलग करेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। माननीय अखबारों के प्रतिनिधि अपना कर्तव्य निभा रहे हैं लेकिन हमारे शासन के पास भी एक पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। 80 करोड़ के बजट में से 70 लाख 70 हजार का बजट है उसका, जब कि हमारे यहाँ इतना कार्यक्रम है और अनेक योजनाएँ चल रही हैं तब इस प्रदेश के कोने-कोने में उन कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताना है, तब अपना यह प्रावधान इस बात का द्योतक नहीं है और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा है। इस मान्यता को लेकर चलेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि विरोधी दल के लोग भी उसी दृष्टिकोण से देखेंगे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/5 जुलाई 1962, पृष्ठ- 773-775)

12 जुलाई 1962 को उद्योग, सड़क यातायात योजनाओं और औद्योगिक विकास पर पूँजी की लागत- इन माँगों पर चर्चा जारी रही। श्री अर्जुनसिंह ने अपने वक्तव्य में यह चिन्ता प्रकट की कि उद्योगपतियों को सहायता देने की वर्तमान नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम देखते हैं, जहाँ कैपिटलिस्ट्स के पास निधियों का संचय होता जा रहा है वहाँ स्टेट भी उनकी कैपिटल को सप्लाई करने की ऐजेन्सी मात्र बनती जा रही है। उनका पूरा वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उद्योग विभाग की माँगों पर चर्चा का दिन है और इस प्रदेश की बहुमुखी उन्नति की दिशा में चर्चा के दरमियान में माननीय सदस्यों को संकेत करना और शासन की ओर से आशा करना स्वाभाविक है, जैसा कि पहले भी माननीय सदस्यों ने कई अवसरों पर इस बात पर जोर दिया कि इस प्रदेश का भविष्य केवल औद्योगिक विकास पर निर्भर है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के सम्बन्ध

में विचार करते समय हम यह आशा करते हैं कि इस विभाग के द्वारा इस प्रदेश में एक इमेजिनेटिव प्रोग्राम सबके समक्ष रखा जायेगा।

अभी तक हमें जो कुछ देखने को मिला है वह केवल लायसेन्स कितनों को दिया गया, उनके शहर और उद्योगपतियों की इच्छानुसार जैसा वे चाहते हैं उनको सुविधा और सभी साधन दिये गये और उनकी दृष्टि से उद्योग कायम किये गये। मैं आशा करता हूँ कि हमारे उद्योग मंत्री जो पाँच-छ वर्ष से उपमंत्री रहकर गृह विभाग को सफलतापूर्वक सँभाले हुए थे उसी प्रकार उद्योगों को बढ़ाने में वह अपनी लगन और प्रयत्नों में हम सब का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की स्थापना केवल इसी पर आधारित रहती है कि कौन-सा उद्योगपति किस स्थान पर अपना उद्योग कायम करना चाहता है, परन्तु भारतवर्ष को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् उद्योगों के विकास के लिये भारत सरकार ने और जो पार्टी भारत सरकार को बना रही है, अधिकांश सभी प्रदेशों में जिसका शासन है, पहले 1948 में उसने एक नीति निर्धारित की थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। उस निर्धारित नीति में समय-समय पर कठिनाइयों को देखकर परिवर्तन होता रहा। उस समय तक इंडस्ट्रियल पॉलिसी सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर अग्रसर होने की दिखती रही। परन्तु अब हमें यह कहने में संकोच नहीं होना चाहिये क्योंकि वास्तविक तथ्य और हमारे देश और विदेश में ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं जो सोशलिस्टिक पैटर्न के खिलाफ हैं इसलिये जब शासन ध्यान रखेगा कि ऐसी लॉबीज काम कर रही हैं तो उन लॉबीज से हमारे सोशलिस्टिक पैटर्न को ज्यादा नुकसान नहीं पहुँच सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, अपने प्रदेश में मिनरल्स की इतनी अधिकता यह संकेत करती हैं कि हमें मिनरल वेस्ट प्रॉडक्ट्स के उपयोग को हाइयस्ट प्रॉयर्टी देना चाहिये लेकिन दुख इस बात का है कि मिनरल वेस्ट प्रॉडक्ट्स के उद्योग कम से कम हमारे प्रदेश में खोले जा रहे हैं, जहाँ एक ओर छाता और साइकिल बनाने के आँकड़े दिये जाते हैं वहाँ मैंग्नीज, कोल, आयरन के उद्योग स्टेट लेबिल पर कायम नहीं किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल ने भिलाई में अपने प्रयत्नों से भिलाई का कारखाना खुलवा लिया था। उसका श्रेय आज के शासन को लेना उचित नहीं था। आवश्यकता इस बात को देखने की है कि हमने मिनरल वेस्ट प्रॉडक्ट्स के बारे में कितना काम किया। अमरकंटक के बारे में सुनाई देता था वहाँ एल्युमीनियम का कारखाना खुलेगा। लेकिन वह कोरबा चला गया। उसी तरह बालाघाट में फैरोमैग्नीज का सुनाई पड़ा था और उसके लिये किसी खंडेलवाल का नाम सुनाई पड़ा था कि वे अपना कारखाना खोलने वाले हैं लेकिन शायद खंडेलवाल साहब को इस प्रदेश की हवा पसंद नहीं आई और अब वह अपना कारखाना कामठी में कायम करना चाहते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। लोग यहाँ से रॉ-मटीरियल ले जाना चाहते हैं लेकिन उसका लाभ यहाँ नहीं देना चाहते। मिनरल वेस्ट प्रॉडक्ट्स के संबंध में हमें भविष्य उज्ज्वल दिख रहा है। आशा है शासन इस ओर विशेष ध्यान देगा।

उद्योग मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में अभी बताया कि 55 पब्लिक सेक्टर में और 3 प्रायवेट सेक्टर में नये लायसेंट दिये गये हैं। इत्तफाक से मैं अनुपस्थित था और उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछ सका। लेकिन ये आँकड़े इस बात के संकेत हैं कि शासन को पब्लिक और प्रायवेट सेक्टर के बारे में मेंटल रिजर्वेशन है और इस मेंटल रिजर्वेशन के रहते हुये इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कार्यान्वित करने में सदन में और बाहर की जनता में संदेह है तो वह स्वाभाविक मैं मानता हूँ। इसलिये मैं उद्योग मंत्री जी से स्पष्ट यह जानना चाहता हूँ कि अगले पाँच वर्षों में पब्लिक सेक्टर में उद्योगों के विकास की क्या कोई नीति निर्धारित की या जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं जिससे अधिकांश जनता का काम पड़ता है ऐसे उद्योगों का पब्लिक सेक्टर में पचास-बावन या पचपन प्रतिशत रहे, इस तरह की कोई नीति अपनाई?

अध्यक्ष महोदय, शायद माननीय उद्योग मंत्री को प्रोफेसर गाडगिल जो हैं, जो हमारे देश के बड़े इकॉनॉमिस्ट हैं उन्होंने 20 जनवरी को एक कन्वोकेशन में भाषण देते हुए इस बात की ओर भारत सरकार और प्रदेश की सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है कि यदि आप सचाई से सोशलिस्टिक पैटर्न से जाना चाहते हैं तो उद्योगपतियों को सहायता देने की वर्तमान नीति में मूलतः परिवर्तन करना पड़ेगा। हम देखते हैं जहाँ कैपिटलिस्ट्स के पास निधियों

का संचय होता जा रहा है वहाँ स्टेट भी उनकी कैपिटल को सप्लाई करने की एजेंसी मात्र बनती जा रही है। हमारे प्रदेश में एक फायनेंशियल कार्पोरेशन खोला गया है उस फायनेंशियल कार्पोरेशन के काम को देखा जाये तो स्पष्ट है कि उसके द्वारा ऐसे उद्योगों और उद्योगपतियों को कर्ज दिया गया है जो पहले से ही साधन संपन्न थे। ऐसी स्थिति में श्री गाडगिल ने जिस ओर संकेत किया है और मेरी निजी सूचना है जो मुझे दिल्ली में मिली कि प्रधानमंत्री ने श्री गाडगिल के उस भाषण को बड़ा महत्व दिया और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री हर महीने प्रदेश के मुख्य मंत्रियों को अपना पत्र लिखा करते हैं उसी प्रकार एक महीने के अपने पत्र में उन्होंने कन्वोकेशन के उस भाषण का पूरा चिट्ठा लिखा है। मुझे मालूम नहीं कि हमारे मुख्यमंत्री के पास वह आया है या नहीं और आया है तो उसको अवलोकन करने का उन्हें समय मिला है या रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है क्योंकि हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है कि.....

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि वह कन्वोकेशन ऐड्रेस जो प्रधानमंत्री ने मुख्य मंत्रियों के पास भेजा है वह मैंने अपने ही निरीक्षण के लिये नहीं रखा बल्कि सहयोगी मंत्रियों और उप-मंत्रियों के पास भी निरीक्षण के लिये भेजा है ताकि उस पर अमल हो सके।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मुख्यमंत्री जी का बड़ा आभारी हूँ कि तत्परता से उस एड्रेस को उन्होंने मंत्रियों और उप-मंत्रियों के पास भेजा है। मुझे आशा है उस कन्वोकेशन ऐड्रेस के अनुसार हमारा शासन आचरण शुरू करेगा तभी मैं समझूँगा प्रधानमंत्री के उस पत्र की ओर ध्यान दिया गया, क्योंकि जनता का ध्यान हमें सोशलिस्टिक पैटर्न की ओर दिलाना है जिससे सक्षम कदम उठाने के लिये हम तैयार हों।

अध्यक्ष महोदय, मुझे सुबह अखबार पढ़कर बड़ा दुख हुआ कि जनसंघ के प्रतिनिधि को याद दिलाना पड़ा कि आप किसके इशारे से चल रहे हैं और मैं समझता हूँ जिस दिन जनसंघ जैसी संस्था सोशलिस्टिक पैटर्न का पाठ पढ़ाने लगेगी तो वह हमारे लिये कितने दुख की बात होगी.....

माननीय अध्यक्ष महोदय,..... ने मेरे प्वाइंट को समझा नहीं। वह आब्सट्रक्टिव नहीं होता है। उनकी दूसरी दिशा में निगाह रहती है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी तरफ संकेत कर रहा था....

एक माननीय सदस्य : जावरा शुगर मिल को 6-1/2 लाख रुपये का कर्जा दिया गया है जबकि वह लोग सर्व-संपन्न हैं और उनको कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : श्रीमान्, आपको मेरे आरगूमेंट्स रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जवाब देने के लिए उद्योग मंत्री महोदय खुद नोट ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संकेत के पश्चात् हम इस प्रदेश को तथा इस प्रदेश की जनता को यह भान करा सकते हैं कि हमने इस प्रदेश को उद्योगपतियों के पास गिरवी नहीं रखा है और समाजवादी समाज के सिद्धांतों के आधार पर इस प्रदेश की तरक्की की जावेगी ताकि विकेन्द्रीकरण की नीति के द्वारा उन उद्योगों को, जिनको बड़े-बड़े पूँजीपतियों ने अपने हाथ में ले लिया है, उनसे निकाल कर इस दिशा में फैला सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान एक प्रकरण की ओर दिलाना चाहता हूँ वह बायबल यूनिट है, इसको स्टेट नेशनेलाइजेशन ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा बढ़ाने के पक्ष में है। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी रचना में अगर मोनोपोली का तरीका कायम रहता है तो यह समाजवादी समाज रचना कैसे कहलायेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है। छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ 8-10 साल से बसेज चल रही हैं और मोनोपोली है। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा यह जानना चाहूँगा कि क्या आपको वहाँ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चालू करने में कुछ आर्थिक कठिनाइयाँ मालूम पड़ती हैं? क्या आपने प्रदेश के दूसरे हिस्सों में नेशनलाइज बसेज चलाना प्रारंभ नहीं किया है? तो फिर क्या कारण है कि आपने इस क्षेत्र में मोनोपलाइजेशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की। आज आपने इस प्रदेश में रोडवेज बसेज का एक कार्पोरेशन बना दिया है, क्या आप इसके लिए भी एक विधेयक लाइयेगा जिससे छत्तीसगढ़ के भू-भाग को भी आप अपने हाथ में लें। आप यह कहेंगे कि हमें इसके लिए पूरे साधन उपलब्ध नहीं हो पावेंगे और कम्पेनसेशन देने में आर्थिक कठिनाई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूँगा कि शायद आपको स्मरण होगा कि कोर्ट ऑफ लॉ द्वारा यह निश्चय हो गया है कि कम्पेनसेशन अधिक माँगना उचित नहीं है। आप जितना

मुनासिब समझें कम्पेनसेशन दे सकते हैं। इसके लिए कोर्ट ऑफ लॉ में कोई नहीं जा सकता। यह सुप्रीमकोर्ट में डिसाइड हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम इस बारे में आपकी दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, जब दूसरे स्थानों पर ऐसा है तो आप अपने यहाँ इस क्षेत्र में बसेज का नेशनलाइजेशन क्यों नहीं कर सकते? आप उन बस ऑनर्स को मामूली-सा कम्पेनसेशन दे दीजिये और इस कार्पोरेशन को एक लिमिटेड कन्सर्न बना करके 30, 40 शेयर्स उनको भी दे दीजिये जिससे उनको यह न मालूम पड़े कि उनकी जीविका हर ली गई है। इस तरह से उनकी मोनोपोली टूट जावेगी और समाजवादी समाज रचना का जो ध्येय है वह पूरा हो सकेगा और इस तरह कार्य करने से हम सदन और जनता को विश्वास दिला सकेंगे कि हमारा जो नैतिक सिद्धांत है जिससे हम अपने समाज और प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं उसमें हमें निष्ठा है। हम किसी भी तत्व और क्वार्टर के पास गरीबी नाम की चीज नहीं रखना चाहते हैं।

श्री शाकिर अली खाँ (भोपाल) : जनाबे सदर, इस वक्त जो बहस चल रही है उसके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि सबसे पहले जो ख्याल हमारे यहाँ जनसंघ पार्टी की तरफ से दिलाया गया वह इसलिये ठीक नहीं है कि हिन्दुस्तान इस वक्त जिस मंजिल पर चल रहा है उससे वह पूँजीवाद की तरफ नहीं जा सकता। पूँजीवाद के लिये दूसरे मुल्कों को गुलाम बनाना, उन पर अपना असर कायम करना और साम्राज्यी ताकतों को मिलाना जरूरी है। हिन्दुस्तान में ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है। वह करोड़ों लोगों को उस वक्त आगे बढ़ा सकता है जब वह आगे कदम रखकर पूरे जोरों के साथ आगे बढ़े।

श्री गंगाराम तिवारी : इस वक्त आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कभी-कभी आप आगे बढ़ जाते हैं, बहक जाते हैं.....

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/12 जुलाई 1962, पृष्ठ-1220-1222)

31 जुलाई 1962 को राजस्व मंत्री श्री केशवलाल गोमाश्ता ने मध्यप्रदेश भूराजस्व युक्तियुक्तकरण (रेशनलाइजेशन) विधेयक विचार के लिए प्रस्तुत किया। श्री अर्जुनसिंह ने इस विधेयक पर बोलते हुए कहा कि सरकार पहले प्राथमिकताएँ तय करे फिर यह विधेयक लाये। वर्तमान परिस्थिति में, मैं इस विधेयक का आना ठीक नहीं मानता। उन्होंने इस विषय पर 3 अगस्त 1962 को गंभीर बहस की। इस बहस के बीच ही विधानसभा की दर्शक दीर्घा से कुछ व्यक्तियों द्वारा नारे लगाये गये, परचे फेंके गये। इस पर मुख्यमंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई ने विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव रखा। श्री अर्जुनसिंह के भाषण के बाद विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव पूर्वानुबद्ध हुआ। इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए उन्होंने इस मसले को प्रिविलेज कमेटी को सौंपने का सुझाव रखा। युक्तियुक्तकरण विधेयक पर 4 अगस्त को हुई चर्चा में श्री अर्जुनसिंह ने पुनः हिस्सा लिया—

श्री केशवलाल गोमाश्ता (राजस्व मंत्री) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश भूराजस्व युक्तियुक्तकरण (रेशनलाइजेशन) विधेयक, 1962 (संख्या 25, 1962) पर तुरन्त विचार किया जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि कर के सम्बन्ध में पुनरीक्षण करने का यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है। यह विधेयक बहुत पहले से ही पारित ही नहीं होना था बल्कि अमल में आ जाना था। कुछ वर्ष पूर्व अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र स्थापित होने के बाद भारत शासन ने एक टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन स्थापित किया, उस कमीशन का उद्देश्य यह था कि आज के जमाने में और जब देश के विकास के लिये धन की आवश्यकता है तो यह जरूरी है कि देश में कर किस तरह से आधारित हों और किस-किस सोर्सेज से किस-किस तरह से किस-किस हद तक कर की वसूली की जावे। इस कमीशन ने देश की और प्रदेशों की परिस्थितियों का अध्ययन किया और सभी दृष्टिकोणों से हर कर के संबंध में विचार करने के बाद कमीशन ने भूराजस्व के संबंध में भी अपनी सिफारिश की, उस सिफारिश के अनुसार कई प्रदेशों में भूराजस्व के सम्बन्ध में कितनी वृद्धि की जाये, उसका स्तर क्या हो, इसी के बारे में निर्णय किया। कुछ प्रदेशों ने इस प्रकार के कानून बनाकर अपने भू-राजस्व में वृद्धि भी कर ली है। इस

कमीशन की मुख्यतः सिफारिश यह है कि वर्तमान में जो बंदोबस्त पद्धति है वह आज के जमाने में पुरानी सी हो गई है.....

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/ 31 जुलाई 1962, पृष्ठ– 2451)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व युक्तियुक्तकरण विधेयक, 1962 (संख्या 25, 1962) पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश रेशनलाइजेशन ऑफ लैण्ड रेवेन्यू बिल पर सदन में चर्चा हो रही है और इसी दौरान में बहुत-सी घटनाएँ सदन के बाहर और सदन के अन्दर होती जा रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रश्न के ऊपर अनायास ही इतनी गर्मी और इतनी बेचैनी दोनों पक्षों की ओर से दिखाई जा रही है। हम यह नहीं सोच रहे हैं न यह सोचना ही चाहिए कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसके बगैर हमारी पूरी तृतीय पंचवर्षीय योजना का काम चलने वाला नहीं है। विरोधी दल के माननीय सदस्यों को भी यह सोचना चाहिए कि इस विधेयक के पास हो जाने से क्या मध्यप्रदेश के तमाम दिये नहीं बुझ जायेंगे। संयम को खो बैठने की बात एकतन्त्रीय शासन में तो चल सकती है लेकिन प्रजातन्त्रीय शासन में नहीं चल सकती। यह मुख्य बात कहने के बाद अब मैं विधेयक के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जहाँ तक ऐसे लोगों की विचारधारा का प्रश्न है जिन्होंने मनु से लेकर बीसवीं और कई सौ सदियों की ओर से आँख मूँद ली है, उनको समझाने में, मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, उनको समझा सकने की न मुझ में शक्ति है और न बुद्धि है। यह तो वह खुद ही समझ सकते हैं। जिस तरह का बिल का शीर्षक है, उसी तरह से रेशनल वे में इस विधेयक के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इस विधेयक की धाराओं का प्रश्न है, इस विधेयक की धारा 4 ही मुख्य धारा है जिसके आधार पर पूरा टैक्स लगाने वाले हैं, वही धारा यह निर्धारित करेगी कि किस प्रकार की जमीन पर कितना टैक्स लगना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसमें जो डायरेक्टर ऑफ सेटिलमेन्ट होगा उसके ऊपर दायित्व छोड़े गये हैं। इस धारा में जो उल्लिखित है। तो अध्यक्ष महोदय, क्राइटेरिया फिक्स करने के लिए धारा 4 है। लगान वाली धारा तो दूसरी है। लगान तो जब यह नोटिफाई होगा तब लगेगा। धारा 4 में क्राइटेरिया फिक्स होगा। यह धारा डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकार्ड्स को डायरेक्ट करती है कि वे वहाँ इन्क्वायरी करें और यदि यह जो इन्क्वायरी है यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहले हो जाती तो अध्यक्ष महोदय, आज जो विधानसभा में अधिकांश माननीय सदस्यों को आपत्ति है वह आपत्ति ही न रहती ऐसा मैं मानता हूँ। उनको कहने का मौका नहीं मिलता, इर्रेशनल लोग तो यहाँ बैठे नहीं हैं। हाँ कुछ हो सकते हैं जिनके बारे में हम सब देख रहे हैं। मेरा तो बिलकुल निश्चित मत है कि जो इन्क्वायरी डायरेक्टर लैंड रिकार्ड्स करेगा जो आपने पहले की धारा में अनुज्ञा दी है यदि वह इन्क्वायरी पहले की जाती और उसके बाद यह बिल पास किया जाता तो इसमें इतना विरोध करने का मौका नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, उसके दो कारण हैं, वे व्यावहारिक कारण हैं।

पहला कारण तो यह है कि जो मानव का मनोविज्ञान है जिसके बारे में माननीय तिवारी जी ने प्रकाश डाला है कि यदि एक पैसा देना होता है तो उसे दो बार सोचना पड़ता है और यहाँ 40 परसेंट, 50 परसेंट तक टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि विरोध उत्पन्न हो तो उसे अस्वाभाविक नहीं मानना चाहिए और जो समझदार लोग हैं, जो प्रजातंत्र के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जो जनमानस में स्वाभाविक रूप से भूलें उत्पन्न हुई हैं, उसका उपयोग करते हैं, समाधान करते हैं, समझदारी से काम लेते हैं और उसका दुरुपयोग भी होता है जिसका प्रमाण विधानसभा में उपस्थित है। इस बात को पहले कर लेना इसलिए आवश्यक है कि जो दायित्व डायरेक्टर, लैंड रिकार्ड्स पर जा रहा है उसकी पृष्ठभूमि में इन्क्वायरी का सब काम वह नहीं कर सकता है। पटवारी, कानूनगो सब काम करेंगे और उसी इन्क्वायरी के बाद लगान की वृद्धि होगी और उस समय में उस लगान की वृद्धि को

रोकने के लिए तमाम लोग प्रयत्न करेंगे कि इसकी गिरफ्त से बचा जा सके और यह हो सकता है कि अनेक लोग जो कि बिल की गिरफ्त में आना चाहिए, जिनके पास बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं वे सबसे पहले इस टैक्स से छूट जायें। यह व्यावहारिक पक्ष है जिस पर शासन को विचार करना चाहिए।

दूसरा व्यावहारिक पक्ष यह है कि छोटे-छोटे मुलाजिम, यह हो सकता है कि स्वयं जाकर डायरेक्टर सब चीजें न देखे और देख भी नहीं सकता है तो पटवारी के पास मामला जायेगा और वह लिखेगा कि अमुक जमीन में 40 प्रतिशत, 50 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। इसके बारे में जो कुछ कहा जावे थोड़ा है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी छोटे कर्मचारियों के ऊपर लादना उनको भ्रष्टाचार करने के लिए आव्हान देना है। इसमें मैं कोई दूसरा मत नहीं रख सकता हूँ, मैं शासन से अपेक्षा करता हूँ कि अब चूँकि यह बिल सदन में पेश कर दिया है तो इस तरह का जो प्रश्न आया है उसमें नायब तहसीलदार से छोटे अधिकारी छानबीन का काम न करें कि अमुक में इतनी वृद्धि होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि टैक्स लगाने की आवश्यकता क्या है? अध्यक्ष महोदय, ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स प्रायः बिल के पीछे छपा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली विधानसभा के समय औचित्य के प्रश्न के संबंध में निवेदन किया था कि ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स पहले छाप दिये जाते ताकि पढ़ने में सहूलियत होती क्योंकि 2-3 पेज पढ़ने के बाद आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। उसमें.....

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : व्यवहार में अयुक्तिकरण होगा।

श्री अर्जुनसिंह : "It is necessary to tap all resources of additional income for the successful implementation of the Five-year Plans and Panchayat Raj."

पंचायत राज के प्रवक्ता इस समय नहीं हैं लेकिन मैं यह अवश्य सदन के सामने रखना चाहता हूँ कि इस बात को इस विधेयक में अंकित करने के पश्चात् एक बहुत बड़ा दायित्व सदन के सामने आता है और वह यह कि हमारे प्रदेश के उन समस्त रिसोर्सेज की टैप करें जो तीसरी योजना और चौथी योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक है। इस बात का उल्लेख इस बिल में करने के पश्चात् मेरा यह निश्चित मत है कि शासन टैक्सों के बारे में भी प्रॉयर्टी डिटरमिन करे कि कौन-सा टैक्स पहले लगना चाहिए और कौन-सा टैक्स बाद में लगना चाहिए। किस तरह से रिसोर्सेज को टैप करके कौन-सा कदम पहले उठाना चाहिए और कौन-सा बाद में उठाना चाहिए, इसका डिटरमिनेशन बहुत आवश्यक है क्योंकि जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने भी कहा और सदन के तमाम सदस्यों की तरफ से आती हुई आवाज की गूँज है कि प्रजातंत्र में अपने प्रदेश की जनता की आवाज को लेकर चलने का दायित्व शासन पर है। केवल किसी पॉलिसी को क्रियान्वित करने का दायित्व ही नहीं है बल्कि प्रदेश की जनता उस पॉलिसी के अनुसार चलने को तैयार है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि टैक्सों के प्रॉयर्टी का प्रश्न मुख्यमंत्री जी केबिनेट की बैठक बुलाकर जैसा वे प्रायः बैठक बुलाकर निश्चित करते हैं, इसको डिटरमिन करें ताकि प्रदेश की जनता को मालूम हो जाये कि शासन की नीति यह है और तीसरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए अमुक-अमुक रिसोर्सेज इस प्राथमिकता के अनुसार टैप करने की आवश्यकता है। इस पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक वातावरण इस सदन के सदस्य विधानसभा में भी और बाहर भी पैदा कर रहे हैं कि जिन पर टैक्स लगना चाहिए, उन पर नहीं लगता है। प्रॉयर्टी इसलिए नहीं फिक्स कर रही है कि किन्हीं लोगों का नुकसान हो सकता है, इसलिए शासन सॉफ्ट कार्नर कर रहा है, ऐसा भ्रमात्मक प्रचार बाहर किया जा रहा है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि शासन इस प्रॉयर्टी को फिक्स करे और उस वक्त मेरा निश्चित मत है जिसके कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यह रेशनलाइजेशन बिल वर्तमान समय में सदन में नहीं आना चाहिये था। उस प्रॉयर्टी के बाद अभी से काफी दिन बाद विधानसभा में प्रस्तुत होना चाहिए था जबकि और रिसोर्सेज को टैप कर चुकते और जब अधिकांश धन की आवश्यकता होती उस समय इस बिल को विधानसभा में लाने की आवश्यकता होती। मैं सैद्धांतिक रूप से इस बिल का विरोध नहीं करता लेकिन इस विचारधारा के होते हुए वर्तमान परिस्थिति में इस बिल को विधानसभा में प्रॉयर्टी के लिहाज से गलत मानता हूँ।

माननीय राजस्व मंत्री ने एक और बात की तरफ संकेत किया और वह यह कि समाजवादी समाज की रचना

के लिए यह बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज की रूपरेखा माननीय राजस्व मंत्री महोदय के मानस में है, यह जानकर हम लोगों को खुशी है लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय राजस्व मंत्री इस बात से विदित होंगे कि समाजवादी समाज की रचना कोई कुम्हार का घड़ा बनाना नहीं है कि एक बार चक्का घुमा दिया जाये और घड़ा बन जाये। यहाँ तो हर मोड़ की तरफ, हर चरण पर देखना होगा कि किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए मैं राजस्व मंत्री से इस बात के लिए आग्रह करूँगा कि जहाँ उन्होंने दस एकड़ की छूट दी है वहाँ यह विचार करें कि दस एकड़ अगर अनइकॉनॉमिक होल्डिंग के नाते छूट दी है तो केवल इस बारे में ध्यान होना चाहिए.....

श्री केशवलाल गोमाश्ता : आप कहना क्या चाहते हैं, यह समझ में नहीं आता?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : बाइबिल यूनिट छाप हैं, वैसे सोशलिज्म की बात कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : ऐसी बात नहीं है। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि राजस्व मंत्री ने जो इसमें छूट देने का फिक्स किया कि दस एकड़ पर टैक्स नहीं लगेगा वह क्यों? इस बात का स्पष्टीकरण कर देते और केवल यह न करते कि 70 फीसदी काश्तकारों पर यह टैक्स नहीं लगाया जायेगा। अगर इसी कारण से 10 एकड़ तक छूट दी गई है तो यह बिलकुल अस्वाभाविक है। आखिर आप किसी चीज को आधार मान कर चल रहे हैं और इसलिये या तो आप यह कह दें कि हम अधिकांश लोगों पर टैक्स नहीं लगाना चाहते इसलिये 10 एकड़ तक की छूट दे दी गई है या यह कह दीजिये कि अनइकॉनॉमिक होल्डिंग हमने दस एकड़ तक माना है, इसलिये हमने इस हद तक छूट दे दी है लेकिन कोई स्पष्टीकरण तो आप कर देते ताकि उन सिद्धांतों पर भी सदन में कोई चर्चा हो सकती कि इन आधारों पर इतनी सीमा तक यह छूट दी गई है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि यदि अभी राजस्व मंत्री जी मेरी बात नहीं समझ सके थे तो अब मैं उनको समझा सकने में शायद समर्थ हो सका हूँ....

श्री केशवलाल गोमाश्ता : अब भी नहीं समझा।

श्री अर्जुनसिंह : तो अध्यक्ष महोदय, नासमझी का कोई इलाज तो इस सदन में है नहीं इसलिये मैं इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहता। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं एक प्रश्न की ओर शासन का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है कि जहाँ आपके इस टैक्सेशन के लगाने का सवाल उठता है तो वहाँ आप सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार कर देते हैं और हमारे प्रत्येक बिल्स जो भूमि के सम्बन्ध में आये हैं उनमें हमेशा यह सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार होता आया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करना एक बात है और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बार करना दूसरी बात है क्योंकि अगर राजस्व मंत्री समझते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि अपने संविधान में एक धारा 226 है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह शासन के किन्हीं नियमों या कानूनों को कोर्ट में चैलेन्ज कर सके। इसलिये मैं शासन से केवल इस बात का आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि इसके बारे में उन्होंने पहले से सोच लिया है तब तो ठीक है किन्तु यदि नहीं सोचा है तो इसके बारे में भी वे विचार कर लें कि कोई भी ऐसा बिल या एक्ट जो लागू किया जायेगा जिसका आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस क्लासिफिकेशन के कुछ मूलभूत आधार होने चाहिए। आपने इसमें जो क्लासिफिकेशन का आधार 10 एकड़ का छोड़ा है, हो सकता है कि मेरी राय गलत हो क्योंकि मैं भी नासमझ हूँ लेकिन मेरी तुच्छ राय में शायद यह आपका क्लासिफिकेशन आरबिट्रेरी तो न साबित होगा? किन्तु यदि आपने पहले ही इस ओर कोई संकेत कर दिया होता कि हमने इसलिये 10 एकड़ तक की छूट दी है तो अधिक ठीक होता लेकिन चूँकि बिल में ऐसा कोई संकेत नहीं है इसलिये जब यह विधेयक एक्ट हो जायेगा उस वक्त अगर यह चैलेन्ज किया गया कि इस टैक्सेशन के मेजर को आरबिट्रेरीली लागू किया गया है तो ऐसी अवस्था में इसके ऊपर कोई अटैक न हो सकेगा, इसके बारे में शासन एक बार विचार करने की कृपा अवश्य करे।

इसके बाद मैं माननीय सदस्यों से एक आग्रह और करना चाहूँगा और शायद वह सीधे इस विधेयक से सम्बन्धित न भी हो लेकिन हम उपस्थित सभी माननीय सदस्य इस सदन की एक मर्यादा और अपना दायित्व रखते हैं, इसलिये माननीय अध्यक्ष, मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप कृपा करके जब विधानसभा में अपने दायित्व को पूरा करें तो पूरे संयम के साथ वह अपना दायित्व पूरा करें। यह इसलिये कहता हूँ कि मैं भी यहाँ

अधिकांश माननीय सदस्यों के साथ ही उपस्थित हुआ हूँ और हमारे आपके आपस के आचरण इस बात का संकेत करते हैं कि हम कितनी दूर तक अपने दायित्व को समझते हैं। इस पृष्ठभूमि में, मैं माननीय सदस्यों से केवल यह आग्रह करूँगा कि जब कोई ऐसा विधेयक और खासकर ऐसा कोई विधेयक यहाँ पर उपस्थित हो जिसके बारे में हाउस के अन्दर और बाहर शार्प ओपीनियन हो, उसके संबंध में अपनी राय प्रकट करें तो पूरे संयम से प्रकट करें क्योंकि संयम ही प्रजातंत्र का टचस्टोन है और अगर हमने इसको खो दिया तो हम समझते हैं कि जितने रूल्स, रेगुलेशन और कन्वेशन हैं उसके लिये कौन-सा आधार, कौन-सा सैक्शन रह जाता है जिसके द्वारा श्रीमान् आप इस सदन में व्यवस्था बनाये रख सकेंगे। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से अनुरोध करूँ कि आप इस बात की इन्क्वायरी करने के बाद कि धारा 4 जो आपने रखी है उसमें लैंड रेवेन्यू को आधार मानकर उसको उसी सीमा में कार्यान्वित करें। जब आप धारा 4 की जाँच कर लें और अच्छा होगा कि जाँच करने के दरमियान डायरेक्टर, लैंड रेवेन्यू के ऊपर ही आप न छोड़ें एक ऐसी कमेटी एपॉइंट कर दी जाये। यदि आप उचित समझें तो सदन के भी एक-दो सदस्य उसमें रख दें और अगर न समझें तो न भी रखें लेकिन यह जरूर है कि जो इस बात के एक्सपर्ट हों उनकी एक समिति नियुक्त आप कर दें। इसके अतिरिक्त मैं इस बात को और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी के मुताबिक यह विधेयक यहाँ पर इस वक्त नहीं आना चाहिए था। यह मेरा एक निश्चित् मत है। यह विधेयक आना चाहिए और जब कभी भी प्रॉपर्टी के मुताबिक यह आये तो जो आज की विचारधाराएँ हैं उनका इसमें समन्वय हो सके और लोगों की भी समझ में आ जाये तभी वास्तव में जैसा कि इसमें लिखा है रेशनलाइजेशन हो सकेगा।

विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव (पूर्वानुबद्ध)

अध्यक्ष : अभी मुझे माननीय मुख्य मंत्री की ओर से विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की लिखित सूचना प्राप्त हुई है और मैंने उसे अनुमति भी दे दी है। प्रस्ताव इस प्रकार है—

"आज दिनांक 3 अगस्त 1962 को दर्शक दीर्घा पर बैठे हुए कतिपय व्यक्तियों ने परचे फेंके और नारे लगाकर उन्होंने सदन की कार्यवाही में अड़चन डाली और उनका यह कार्य सदन के विशेषाधिकार का अतिक्रमण करता है। अतः उनके विरुद्ध सदन कार्यवाही करे।"

श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हों वे कृपया खड़े हो जायें।

(10 से अधिक सदस्य खड़े हुए)

अध्यक्ष : चूँकि 10 से अधिक माननीय सदस्य इसके पक्ष में खड़े हुए इसलिए सदन इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है।

श्री भगवन्तराव मण्डलोई (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भगवंतराव अन्नाभाऊ मंडलोई निम्नलिखित विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति नियम 209 के अंतर्गत चाहता हूँ :-

प्रस्ताव यह कि —

"आज दिनांक 3 अगस्त 1962 को दर्शक दीर्घा पर बैठे हुए कतिपय व्यक्तियों ने परचे फेंके और नारे लगाकर उन्होंने सदन की कार्यवाही में अड़चन डाली और उनका यह कार्य सदन के विशेषाधिकार का अतिक्रमण करता है। अतः उनके विरुद्ध सदन आवश्यक कार्यवाही करे और यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और समिति को यह आदेश दिया जाये कि वह आज चार बजे तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।"

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि —

"माननीय सदन के नेता ने जो विशेषाधिकार भंग की सूचना इस सदन को दी है और जिसे मैंने अनुमति दी है वह जाँच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये और वह अपना प्रतिवेदन आज चार बजे तक प्रस्तुत करे।"

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : मुख्यमंत्री जी का प्रस्ताव क्या है?

अध्यक्ष : विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव यह है कि —

"आज दिनांक 3 अगस्त 1962 को दर्शक दीर्घा पर बैठे हुये कतिपय व्यक्तियों ने परचे फेंके और नारे लगाकर उन्होंने सदन की कार्यवाही में अड़चन डाली और उनका यह कर्तव्य सदन के विशेषाधिकार का अतिक्रमण करता है। अतः उनके विरुद्ध सदन आवश्यक कार्यवाही करे।"

श्री गुलाबचन्द तामोट : माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का प्रश्न.....।

श्री गंगाराम तिवारी : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। अभी श्रीमान् ने रामस्वरूप वर्मा को मार्शल द्वारा बाहर निकाला था जो यहाँ पर उपस्थित हैं।

अध्यक्ष : ठीक है, वह बैठेंगे।

श्री गुलाबचन्द तामोट : तो विशेषाधिकार के प्रश्न पर.....।

श्री बापूलाल मालवीय : अध्यक्ष महोदय, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर। यहाँ जो पर्चे बाँटे गये हैं उसकी भाषा ऐसी है जिसमें धौंस दी गई है....।

अध्यक्ष : उसे विशेषाधिकार समिति देखेगी। आप दो मिनट बोलें।

श्री गुलाबचन्द तामोट (साँची) : विशेषाधिकार के प्रश्न पर मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आज सदन में आया है, अच्छा है जो कमेटी है करेगी और उसे इस प्रक्रिया को रोकने की क्षमता है या नहीं वह आगे की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठा देना आसान बात है लेकिन यह भी मालूम होना चाहिये कि विशेषाधिकार भंग करने वाले इतने उतावले हो गये। क्या वह इस देश के रहने वाले नहीं हैं? क्या उनमें देशभक्ति नहीं है? क्या वे प्रजातंत्रीय प्रणाली को मानने वाले नहीं हैं? क्या वे माँ के पेट से ही उद्दण्ड और उतावले पैदा हुए हैं? क्या कारण हैं कि आज यहाँ आकर अपनी उद्दण्डता उन्होंने प्रदर्शित की? अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी स्थिति है यदि हम उसको नहीं समझेंगे और इस प्रकार विशेषाधिकार के उपयोग करने की कोशिश की तो वे लोग जिन्होंने आज नारे लगाये हैं, जिन्होंने आज विशेषाधिकार भंग किया है तो वे आज चाहे थोड़ी ही तादाद में क्यों हों और जैसा कि मैंने सुना पहले भी इस किस्म की एक घटना यहाँ हो चुकी है— तो यह मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए कि नारे लगाने वाले नारे लगाकर यहाँ तक अपनी तकलीफों को सुनाने पहुँचे फिर भी जनमानस की भावना को न समझें और धमकी देकर रखें तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अपने पद और अधिकार का उपयोग भले ही वह करें लेकिन उसमें वास्तविकता से आँखें बन्द करने का प्रयत्न न करें। यदि ऐसा होता है तो मैं यही कहूँगा कि उनको अपने पद और अधिकार का लोभ बढ़ गया है, इतनी लालसा बढ़ गई है जो सीमा को पार कर चुकी है। जगह-जगह संविधान के अधिकारों को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है शासन.....।

अध्यक्ष : अब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसका विरोध कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द तामोट : जी हाँ।

अध्यक्ष : तो अब आप बैठें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मुझे सुन लिया जाये। मैं जो कहना चाहता हूँ उसको पहले आप सुन लें।

श्री तुलाराम सगर : प्वाइन्ट ऑफ ऑर्डर। माननीय सदस्य नियम बतायें कि इस नियम से यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैंने आपको पढ़ाने के लिये स्कूल नहीं खोल रखा है।

अध्यक्ष : दो मिनट में आपको जो कुछ कहना है वह कह लें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी काफी वृद्ध हैं शायद जीवन की लालसा और अधिकारों की लालसा उस अवस्था में मुझे लग रहा है, ऐसी बढ़ गई है जैसा कि मिश्र में पिरामिड बनाने वालों की थी, जिनकी लालसा पिरामिड बनाकर यह थी कि मरने के बाद वैसा ही भोग उनको फिर भी मिलता रहेगा। लेकिन मैं अपने मुख्यमंत्री जी को वैसा नहीं कहता हूँ फिर भी यह

कहना चाहता हूँ कि अपने पीछे आने वाले लोगों को अपने बच्चों के लिये आप कैसी बुनियाद डालना चाहते हैं उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ मेरी बात से आपको दुख हो यह मैं नहीं चाहता। एक छोटा लड़का आक्रोश में जिस प्रकार अपनी भावनाओं को अपने बड़े के सामने रख देता है उसी भाँति मैं भी आपसे अपनी भावनाओं को आपके सामने रख रहा हूँ और इसी सम्बन्ध में, मैं आपको एक उदाहरण दूँगा। कुछ दिन पहले जब डॉ. लोहिया जर्मनी में थे, वहाँ की संसद में वह एक दिन गये, दर्शकों में बैठे हुए थे। उसी दिन एक भारतीय राजा का वहाँ सम्मान करना था। उस सिलसिले में उस राजा का परिचय देते हुए यह कहा गया कि यह भारतीय प्रजा के प्रतीक हैं, उसी समय डॉ. लोहिया ने दर्शक गैलरी से खड़े होकर नारा लगाया कि वह प्रतीक नहीं हैं, प्रतीक मैं यहाँ बैठा हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी भावनाओं का नारा लगाते हैं, प्रजातंत्र का नारा लगाते हैं लेकिन जब शासन के भ्रष्टाचारी और दुष्चरित्र मंत्रियों के कारण जनता त्रस्त हो जाती है और उसकी सुनवाई आसानी से नहीं होती तब वह इस प्रकार नारे लगाती है उस समय.....

अध्यक्ष : आप बैठें। (फिर भी सदस्य के बोलते रहने पर)। अब आप बाहर जायें आपको सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं। आप सदन की प्रतिष्ठा नहीं रखेंगे, जो चाहेंगे वह बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? (पुनः बोलते रहने पर)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या बात करते हैं, क्या आप सदन की मर्यादा को बिलकुल नहीं मानेंगे और जो चाहेंगे सो आप बोलेंगे। क्या आप सदन की मर्यादा की प्रतिष्ठा को नहीं मानेंगे। आप बैठें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मुझे वह शब्द बताये जावें कि किन शब्दों पर आपको एतराज है, मैं उन शब्दों की व्याख्या करूँगा.....।

अध्यक्ष : मैं नहीं सुनूँगा।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं अपनी बात पूरी करूँगा और.....

अध्यक्ष : मार्शल आपको बाहर करे....

(कुछ ही क्षण में माननीय अध्यक्ष ने मार्शल को रोककर सदस्य को बोलने का अवसर दिया)

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मैं अपनी बात कहूँगा। मुझे कहने का अवसर दीजिये। आप मेरे कहने के इस अवसर को मुझसे छीनना चाहते हैं।

अध्यक्ष : आप शिष्ट भाषा का प्रयोग करिये। जहाँ सदन की मर्यादा भंग होती है वहाँ मैं आपको रोकता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैंने इल्जाम लगाये हैं और उन इल्जामों को न सुनने वाले पापी हैं, मैंने इल्जाम लगाकर कोई पाप नहीं किया है।

श्री व्यं. वि. द्रविड़ : यह जो दुराचारी शब्दों का प्रयोग किया है तो इसका इनको प्रमाण देना पड़ेगा नहीं तो चाहे जिस तौर पर आरोप लगाये जायेंगे।

अध्यक्ष : आपका यह कहना है कि मंत्रिगण दुराचारी हैं तो क्या यह शिष्टता है? मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने इन शब्दों को वापस ले लें।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अगर मैं इन शब्दों को साबित नहीं करूँगा तो वापस लूँगा। आप पहले मेरे दुराचारी शब्द की व्याख्या तो सुनिये।

अध्यक्ष : मैं व्याख्या सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप यहाँ पर विशेषाधिकार प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कोट किया है। जब वहाँ पर लोहिया जी ने यह शब्द कहे तो वहाँ के अध्यक्ष ने और वहाँ के समस्त सदस्यों ने अगर वह चाहते तो गोली से भी उनको मरवा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ उनको गैलरी से उठवाकर बाहर कर दिया तो वह, अध्यक्ष महोदय, कैसे उदार थे। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें अपने देश के अंदर प्रजातंत्र की आस्था रखवाना है और समानता रखना है तो कृपा करके सदस्यों के अधिकारों का हनन न होने दीजिए और जो इसके मूल कारण हैं उनको देखिए। हम तो सख्ती से इन चीजों का विरोध करते हैं, हम सदन की मर्यादा को भंग नहीं करते हैं बल्कि अपनी बात को आपके माध्यम से कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं बाहर कहूँ तो मुझे गोली से मरवा दिया जावे। तो हम आपकी सुरक्षा में

कहते हैं, आपसे अपनी बात कहने के लिए लड़ते हैं और आपको नाराज करके भी कह देते हैं लेकिन कह लेता हूँ यह आपको मानना पड़ेगा। अगर मैं बाहर कहूँ तो यह गुण्डों से पिटवा दें या कत्ल करवा दें। अध्यक्ष महोदय, सदन के ऊँचे आसन पर आप बैठे हैं, आप अच्छे विचार रखें। मैं इसका विरोध करता हूँ और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह कृपा करके इस प्रस्ताव को वापस लें, बहुत हो चुका है, उनको बाहर निकाल दिया गया है। आप तीन-चार और सुरक्षा प्रदान करें। बाहर वह चाहे जो कुछ करें चाहे मरवा दें। मैं फिर प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको वापस ले लें क्योंकि आपने उनको सदन से बाहर निकाल दिया है।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करने को खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह कोई सुख और सन्तोष की बात नहीं है कि यहाँ ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अगर कोई माननीय सदस्य इसको गौरव का प्रस्ताव समझते हैं, इसको प्रजातंत्र प्रणाली में अच्छी बात समझते हैं तो वह प्रजातंत्रीय सिद्धांतों से अवगत नहीं हैं। अभी पूर्व वक्ता महोदय ने कुछ सिद्धांतों का अध्ययन कराया। उन्होंने बताया कि प्रजातंत्र प्रणाली में पहली बात संयम रखना है ऐसा माननीय सदस्य ने सदन को समझाया था। प्रजातंत्रीय और एकतंत्रीय दो प्रकार के शासन होते हैं, दोनों में भेद है। प्रजातंत्रीय शासन में प्रत्येक बात के कहने का अलग फोर्स होता है। यदि एकतंत्रीय शासन होता है तो अनेक लोग आपके साथ हों तो और मैं भी आपके साथ होता कि राजा साहब से कहा जावे कि हमारा लगान न बढ़ाया जावे। यहाँ जो अधिकार माननीय सदस्यों को प्राप्त हैं उनको अमल में लाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने कड़ा विरोध किया उस समय आपको किसने रोका लेकिन जो प्रजातंत्रीय प्रणाली का विरोध करते हैं और जिनको प्रजातंत्र पर आस्था है वह वही कदम उठायेंगे, जो मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। यहाँ बहुत से उपस्थित सदस्यों ने उन लोगों को यहाँ आने के पासेज दिये इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि इस विषय पर प्रिविलेज कमेटी अपना निर्णय न दे।

अध्यक्ष : मैंने उसमें यह नहीं रखा है, सूचना में यह नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (श्योपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार भंग का प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री .....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना चाहूँगा। यह प्रस्ताव जो रखा है, जिन सदस्यों ने पासेज दिये हैं क्या उनका इसमें नाम नहीं है। क्योंकि यह उसका आवश्यक अंग है।

अध्यक्ष महोदय : उसमें नाम नहीं है। प्रिविलेज कमेटी उस पर विचार करेगी।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/3 अगस्त 1962, पृष्ठ- 2540-2547)

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस विधेयक का तृतीय वाचन हो रहा है और माननीय राजस्व मंत्री के कल के लास्ट अमेंडमेंट को मंजूर किया गया और उस संशोधन की पृष्ठभूमि में आज मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय कल जो मुझे शंका थी वह आज पूरी तरह साबित होती जा रही है। मैंने कल कहा था कि शायद राजस्व मंत्री महोदय ने इस विधेयक पर यहाँ पर लाते समय इस बात पर विचार नहीं किया कि किन आधारभूत बातों पर इस विधेयक को इस सदन में लाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके कल के इस संशोधन के स्वीकृत होने पर आज मेरा वह संदेह पूरी तरह साबित है। अभी भी उनको इस बात का भान नहीं है कि इस विधेयक का इरादा क्या है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि 1 एकड़ सिंचित भूमि को एक्ट में दो एकड़ माना गया है और आप इस संशोधन से 1 एकड़ सिंचित भूमि को 1 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर किस मापदण्ड पर मानते हैं। जो एक मापदण्ड पहले विधान में, लैंड रेवेन्यू कोड में, सीलिंग बिल में रखा है, मान्यता है कि एक एकड़ सिंचित भूमि बराबर 2 एकड़ असिंचित भूमि के। अगर वह किसी आधार पर रखा गया है तो इस विधेयक में एक एकड़ सिंचित भूमि को एक एकड़ असिंचित भूमि के बराबर नापना कहाँ तक सामंजस्यपूर्ण है, कहाँ तक न्यायपूर्ण है। अगर ऐसी बात है तो हेस्टिली हाउस में बिल को पास कराकर बाद में पश्चाताप न हो? अध्यक्ष महोदय, हमारा भी उत्तरदायित्व है, हम सदन में किसी

क्षेत्र को रिप्रेजेन्ट करते हैं, किसी क्षेत्र की जनता की आवाज उठाते हैं पर अनुशासन से भी बंधे होते हैं और यदि बिल पास होगा तो दस्तखत करेंगे लेकिन उसके पहले मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को, इस असामंजस्यपूर्ण बात को प्रस्तुत कर दूँ। असामंजस्य रूप से यह जो संशोधन स्वीकार करवा लिया है और सब माननीय सदस्य कहेंगे कि शासन को पूर्ण रूप से इस बात की जानकारी अभी भी नहीं है कि किस आधार पर लगान को बढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा यह कहना है कि अगर इन सिद्धान्तों को मानते हैं जिन्हें अन्य विधेयकों में मानते हैं तो आपके संशोधन में जहाँ 10 एकड़ सिंचित है वहाँ 20 एकड़ असिंचित भूमि एग्जेम्पट होनी चाहिए। आप असामयिक, अन्यायपूर्ण और अतर्कपूर्ण इस विधेयक को पारित करावेंगे तो मैं एक बात और आपकी सेवा में कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कल हमें यह बताया कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये हमें अपने तमाम रिसोर्सेज का टैप करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कर्तव्यपरायणता को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए इस कथन पर पूरी आस्था है और उस आस्था का आदर करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितना 12 करोड़ रुपये का उन्होंने उल्लेख इस मद में 5 वर्ष में पैदा करने का किया है अपने रिसोर्सेज से तो क्या वह 12 करोड़ रुपया अन्य रिसोर्सेज से पूरा किया नहीं जा सकता है जिसके बारे में अभी शासन ने नहीं सोचा है। ऐसे अनेक रिसोर्सेज इस राज्य में फैले हैं जिनके द्वारा हम 12 करोड़ रुपया 5 वर्ष में भलीभाँति पूरे कर सकते हैं। तकावी के एरियर्स हमारे प्रदेश में, मैं लगभग1-1/2 वर्ष पहले की, पब्लिक अकाउन्ट कमेटी के वक्त की बात कर रहा हूँ, लगभग 10 करोड़ बकाया पड़े हैं। अधिकांश तकावी बड़े किसानों को दी जाती है। 10 एकड़ से कम का किसान अर्जी नहीं दे सकता है। लोगों से तकावी वसूल करने के लिये थोड़ी कड़ाई की जाये तो उनके ऊपर कोई ज्यादती नहीं होगी। ऐसा करने में क्या कठिनाई है? अन्य टैक्सेज के बारे में उसके पास से कम लें तो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। तो क्या हम 12 करोड़ रुपया 5 साल में इकट्ठा कर सकेंगे? ऐसी भावना सदन में या बाहर की जनता में कदापि नहीं फैलने देना चाहिए कि शासन इस तरह की नीति चला रहा है कि जो अपना हिसाब फिक्स कर ले, जो अपना मामला फिक्स कर ले, उसका काम चल जाये, लेकिन जो फिक्स न कर सके, उसका काम न चले। ऐसी भावना फैलने देंगे तो मैं समझता हूँ, अपनी तुच्छ राय में कि अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से नहीं निभायेंगे। इसलिए आपके माध्यम से राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करूँगा कि इस विधेयक को सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण बनाने के लिये जो संशोधन कल मंजूर किया है या तो उसकी व्याख्या करके शंका समाधान करें या दूसरा संशोधन लाकर विधेयक को सदन से पास कराएँ।

श्री रामेश्वर अग्निभोज (पथरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने लगभग एक माह पूर्व भाषण दिया था, श्री गोमाश्ता जी के ही विधेयक पर और मुझे यह कहा गया था कि मैंने बड़े कड़े शब्दों का उपयोग किया और उसको गाली का रूप निरूपित किया। गोमाश्ता जी मेरे मित्र हैं और मुझे वह हितोपदेश याद है जिसमें कहा है— सत्य वद् और अप्रिय सत्य न बोलो। सत्यंब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् अप्रियम् सत्यं न ब्रूयात् परन्तु मेरा दुर्भाग्य है कि प्रिय सत्य बोलते हैं तो मेरे मित्र पर असर नहीं होता है। इसलिये कभी-कभी दुर्भाग्य से कड़े शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। आज ऐसी कोशिश करूँगा कि कड़े शब्दों का उपयोग न करना पड़े।

श्री सुन्दरलाल पटवा : यह माननीय सदस्य को पता नहीं कि किस के आगे बीन बजा रहे हैं?

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/ 4 अगस्त 1962, पृष्ठ 2590-2591)

6 अगस्त 1962 को मुख्यमंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश यूनिवर्सिटी फार एग्रीकल्चर एण्ड एप्लाइड साइंस बिल पर चर्चा प्रारम्भ हुई। इस चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने यह कामना की कि यह विश्वविद्यालय सदियों से चली आ रही कृषि की रूढ़ियों को तोड़ेगा और यहाँ के स्नातक अनुसंधान करके किसानों को नया रास्ता दिखाने में समर्थ होंगे। बहस में उनकी हिस्सेदारी इस प्रकार है :—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने यह विधेयक सदन के सम्मुख प्रस्तुत करके इस प्रदेश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा जीवनोपार्जन के साधन के प्रति शासन की जो सहानुभूति और सजगता बतलाई उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें दो मत नहीं हो सकते, कृषि विश्वविद्यालय से, यदि उसको सही ढंग से चलाया जावेगा, इस प्रदेश को बहुत ही फायदा होगा क्योंकि हम देखते आये हैं हमारे यहाँ अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग कृषि पर जीवन निर्वाह करते हैं और वह कृषि भी हजार-पन्द्रह सौ वर्ष पुरानी रूढ़ियों से चली आ रही है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद प्रदेश के लोगों को विश्वास कर लेना चाहिये कि इससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में अनुसंधान करके यहाँ के स्नातक नया रास्ता यहाँ के किसानों को दिखलाने में समर्थ होंगे।

अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय की स्थापना के विषय में और उसकी बारीकियों के विषय में जो अनेक तरह की चर्चा हुआ करती है, अनुभव भी है कि यहाँ कई विश्वविद्यालय चल रहे हैं, कोई नाम के रूप में चल रहा है और कोई सही ढंग से चल रहा है और जो सही ढंग से चल रहा है उसको अनुदान प्राप्त नहीं होता और जो नाम के ऊपर चल रहा है उस पर लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। इस तरह की असमानता पर शासन ध्यान रखेगा ऐसी आशा करता हूँ ताकि यह विश्वविद्यालय नाममात्र का नमूना बनकर न रह जायें। अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मैं प्रवर समिति के सामने एक सुझाव यह रखना चाहता हूँ और वह यह कि इस विधेयक की विभिन्न धाराओं पर विचार करते समय इस बात पर भी सिलेक्ट कमेटी विचार करे और मुझे बहुत सन्तोष है कि इसके सभापति नियमों के अनुसार प्रस्ताव पास हुआ तो हमारे उपाध्यक्ष महोदय होंगे, इसलिये हम और भी आशा करते हैं कि निष्पक्षता से इस बात पर भी विचार किया जावे कि क्या यह न्यायपूर्ण होगा कि इस विश्वविद्यालय को रीवा में कायम किया जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कोई माँग प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ न एक पक्षीय माँग की दाद देने के लिये खड़ा हुआ हूँ लेकिन मैं समझता हूँ अपने कर्तव्य के पालन के लिये ऐसी परिस्थितियों में इस बात की इच्छा करना आवश्यक है कि इस प्रदेश के एक बहुत बड़े भू-भाग की जो आकाँक्षाएँ हैं उस तरफ शासन का विचार आना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने केन्द्र के गृह मंत्री महोदय का पत्र पढ़कर सुनाया, वैसे तो अध्यक्ष महोदय, इसमें भी मुझे सन्देह है कि यह कहाँ तक प्रॉपर था कि गृह मंत्री का पत्र विधानसभा में पढ़ा जाये क्योंकि वह व्यक्तिगत पत्र था और मुख्यमंत्री को लिखा गया था, लेकिन स्पष्टीकरण करने के लिये उन्होंने यह पढ़ा और सदन को कान्फिडेन्स में लिया, बहुत अच्छी बात है।

श्री काशीप्रसाद पाण्डे : प्रश्न यह है कि तिवारी जी को इस पत्र का कैसे पता चला?

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : आपने ही बता दिया होगा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो इस विषय को विषयान्तर करने का प्रयास है। इस पत्र का पता कैसे लगा, इस पर तो मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, उससे तो स्पष्टीकरण हुआ और सदन को कान्फिडेन्स में लिया मुख्यमंत्री जी ने, वह तो ठीक ही हुआ लेकिन दूसरी तरह की बात इस पत्र के आ जाने के पश्चात् और सदन के रिकॉर्ड में आ जाने के पश्चात् मुझे कहने की ताकत मिली है कि मैं पुनः इस बात को मुख्यमंत्री के सामने रखूँ कि जिस समय सिलेक्ट कमेटी इस बात पर विचार करे उस समय यह भी विचार करे कि क्या रीवा में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकती है? मुख्यमंत्री जी ने दो-तीन बातों की ओर ध्यान दिलाया जिसको देखकर जबलपुर में विश्वविद्यालय रखने का विचार किया और उसमें इनमें से एक फौरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से सामने आये। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थिति में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और फौरेस्ट इंस्टीट्यूट के बारे में यदि कोई अंतिम निर्णय शासन ने ले लिया हो और यह दोनों इंस्टीट्यूट खोलने के बाद यह विश्वविद्यालय वहाँ स्थापित किया जा रहा हो यह शासन का क्राइटेरिया हो कि फौरेस्ट इंस्टीट्यूट भी वहाँ कायम हो तो वहाँ विश्वविद्यालय बनाया जावे लेकिन अगर यह निर्णय न लिया गया हो और शासन यह इच्छा रखता हो कि यह दोनों वहाँ कायम किये जाते हैं.....

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सवाल है केन्द्रीय शासन ने निर्णय ले लिया है और उसके मुताबिक इसकी वहाँ स्थापना की जा रही है।

श्री अर्जुनसिंह : एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एक ही जगह पर स्थापित हो यह विचाराधीन प्रश्न मुख्यमंत्री के सामने होना चाहिए। यदि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कायम होने के बाद यह अनिवार्य हो जाता है कि विश्वविद्यालय उसी स्थान पर हो तो मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी का कहना बहुत जायज है लेकिन यह क्राइटेरिया नहीं है। यह हमारी प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से है कि वह यह सब चीजें सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के सामने रखेंगे और यह उनके सामने आयेंगी तो वह इस पर विचार कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वह यह कि एक रिप्रेजेन्टेशन के बारे में मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है। इसमें क्या लिखा है इसका ज्ञान तो हमें नहीं है लेकिन इसके संबंध में जो पत्र है उसका उल्लेख किया गया है। अच्छा हो यदि वह रिप्रेजेन्टेशन सदन की टेबल पर रख दिया जावे, उसके रिकॉर्ड में आने की तो जरूरत नहीं है। यहाँ जो देखना चाहे वह देख सके या उसको सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जावे तो जो सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य लगभग 15,16 हैं और मंत्रीगण भी हैं वह देख सकेंगे और उस पर विचार कर सकेंगे और जो निर्णय सिलेक्ट कमेटी में हो और उसका जो प्रतिवेदन यहाँ आये वह उन तमाम तथ्यों को सामने रखते हुए हो ताकि समस्त सदस्यों को उसके देखने पर संतोष रहे। सिलेक्ट कमेटी कोई निर्णय लेती है तो वह धारणा पर नहीं करती बल्कि न्यायसंगत करती है। यहाँ पर विषयान्तर के रक्षण की रोक होते हुए भी मैं आपके द्वारा स्वायत्त शासन मंत्री जो कि हमारे प्रदेश के एक होनहार मंत्री हैं उनका भविष्य उज्जवल है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह आप राजनैतिक दृष्टि से कैसे कहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल है?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उनसे विशेष रूप से अपील करना चाहता हूँ कि वह इस बात में थोड़ा नेतृत्व करें जो त्याग में आता है। इसके लिये वह सदन को अनुगृहीत करें जिससे कि वह उनकी प्रशंसा करे।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/6 अगस्त 1962, पृष्ठ- 2640-2642)

9 अगस्त 1962 को साँची से चुनकर आये श्री गुलाबचन्द तामोट ने मन्त्रीमण्डल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने यह बात बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से कही कि प्रजातंत्र को चलाने का उत्तरदायित्व शासन वर्ग पर कम रहता है और विरोधी दल पर ज्यादा रहता है। प्रतिपक्ष को उसकी जिम्मेदारी का अहसास करवाते हुए उन्होंने काँग्रेस मंत्रिमण्डल में अपनी आस्था प्रकट की— (अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ और इसी दिन सत्रावसान हो गया।)

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अविश्वास के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा आपकी आज्ञा से हो रही है। जहाँ तक अभी भाषण हुए उन भाषणों को सुनने के पश्चात् मैं इस भ्रम में पड़ गया कि यह अविश्वास करते हैं मंत्रिमंडल पर या प्रजातंत्र पर। अध्यक्ष महोदय, दो मौलिक मतभेद हैं, शायद हमारे विरोधी दल के लोग जो प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, वह भूल गये। प्रजातंत्र में किसी वर्ग की सत्ता हो सकती है, हो सकता है कि किसी कारण से मैं ऐसा नहीं मानता। अभी कोई कारण नहीं है, किसी मंत्रिमंडल पर अविश्वास हो सकता है लेकिन मुझे दुख है अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास किया जा रहा है वह मंत्रिमंडल पर नहीं जितना अविश्वास किया जा रहा है, वह प्रजातंत्र पर। इस तरह अविश्वास करना यह प्रदेश के लिये अच्छा नहीं होगा और न स्वयं उनके लिये ही अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, पहला सेशन 7 दिवस का हुआ, केवल वोट ऑन अकाउन्ट को ही लिया गया था और अब दूसरा सत्र जिसे महीना-सवा महीना हो गया है, जिसमें बजट रखा गया है और हर विभाग को डिमान्ड पर 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा समय मिला, हर विभाग पर बहस हुई। कटौती प्रस्ताव रखे उन पर चर्चा हुई। इसके अलावा पिछले सवा महीने की कार्यवाही देखी जाये तो शायद ही कोई ऐसा दिन गया हो जबकि 3-4 एडजर्नमेंट मोशन न आये हों और एक कॉलिंग अटेंशन तो हर रोज आया करता था।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं माननीय सदस्य से आज की चर्चा के बारे में पूछना चाहता हूँ कि यह उन्हें अच्छी लग रही है या नहीं?

श्री अर्जुनसिंह : मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी आस्था प्रजातंत्र प्रणाली से उठ गई है। जब आपकी प्रजातंत्र प्रणाली से ही आस्था उठ रही है तब फिर मंत्रिमण्डल पर तो अविश्वास का प्रश्न उठता ही नहीं है। प्रजातांत्रिक मंत्रिमंडल पर आपका विश्वास फिर कैसे हो सकता है?

श्री गुलाबचंद तामोट : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी तो प्रजातंत्र में आस्था बढ़ रही है लेकिन आपकी प्रजातंत्र में कैसी आस्था है कि जो एक ही नेता के पीछे पड़े हो?

श्री अर्जुनसिंह : जैसा कि अभी श्री तामोट जी ने कहा है वही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि प्रजातंत्र में उनका विश्वास नहीं है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो प्रजातांत्रिक प्रणाली का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि सदन के अन्दर विरोधी पार्टी को किसी भी पार्टी के व्यक्तिगत या अन्दर की कोई भी चीज हो इस सदन के सामने नहीं कहनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं या नहीं। यह जरूर है कि इस बात के द्वारा सदन को वे यह बता रहे हैं कि प्रजातंत्र प्रणाली से वे अनभिज्ञ हैं। किसी भी विधानसभा की बैठक में इस तरह की चर्चा या इस तरह का लांछन लगाना कि मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, मैं समझता हूँ कि सबसे बुरी बात है, इस प्रजातंत्र के अन्दर। यह बात आपके अन्दर प्रजातंत्र प्रणाली के खोखलेपन की गवाही देती है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं है, यहाँ तो प्रश्न है कांग्रेस मंत्रिमंडल का। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो कोई भी नेतृत्व करेगा हम उसके साथ पूरे तौर से आस्था रखेंगे। यह कहना कि....

श्री रामेश्वर अग्निभोज : ऑन ए प्वाइंट ऑफ ऑर्डर सर, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि आप पार्टी में कुछ भी करें लेकिन जब आप सदन के सामने यह घोषणा करते हैं कि आपका मंत्रिमंडल में विश्वास है तो क्या आप विश्वास कायम रख सकेंगे?

अध्यक्ष : यह कोई प्वाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे बहुत ही स्पष्ट हो रहा है कि माननीय श्री अग्निभोज जो आज यहाँ पर एक निश्चित धारणा बना कर आये हैं कि चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे वे वही बात कहेंगे जिस बात की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ कि जो उनकी धारणा है वह गलत है। मैं कभी यह कहने नहीं जाऊँगा कि आपकी स्वतंत्र पार्टी के प्रेसीडेंट राजगोपालाचार्य हों या रंगा हों।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने जो एक सवाल उठाया कुछ आरोपों के बारे में। अध्यक्ष महोदय, आरोपों के बारे में आपके नियम हैं और आपके संरक्षण में और उसके तहत विरोधी पक्ष को सब कुछ कहने का अधिकार है। उन अधिकारों के बारे में, मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन पिछले समय में जब कोई चर्चा हुई, आरोप लगाये गये, एक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो निश्चित आरोप लगाये जाते हैं उनके लिये विरोधी पक्ष को पूर्ण स्वतंत्रता है और उन आरोपों की अनौपचारिक सूचना दूसरे पक्ष को दे दिया करते थे, मैं मानता हूँ वही प्रक्रिया अभी भी अपनाई गई होगी और यदि वह नहीं हुई है तो मैं आपके माध्यम से उसे यह प्रमाण मानूँगा कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में प्रजातांत्रिक तरीकों पर उनकी आस्था नहीं है।

माननीय तिवारी जी ने रिहन्द डेम आदि की ओर ध्यान दिलाया। उनको मालूम होगा कि सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव किया था कि रिहन्द या और जितने साधन हैं जहाँ पर अपने प्रदेश के साधनों का उपयोग किया जाता है, वहाँ शासन अपने प्रदेश के उपयोग के लिये चेष्टा करेगा। यह मामला उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच का है किसी व्यक्ति विशेष के बीच की बात नहीं है, जिसमें कोई भी मुख्यमंत्री जाकर आपस में समझौता कर ले। मैं मानता हूँ इसमें देरी हुई है लेकिन मैं इस बात को भी मानने के लिये तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे अभी मालूम हुआ है कि 13 तारीख को उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल पधारने वाले हैं और यहाँ पर चर्चा उस समय होगी।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह खुशी की बात है कि उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री 13 तारीख को यहाँ आयेंगे और आकर कहेंगे, तुमको बिजली नहीं दूँगा तब मण्डलोई साहब कहेंगे अच्छी बात है।

श्री अर्जुनसिंह : यह हाईपोथेटिकल बात है, इसका उत्तर मैं देना नहीं चाहता। एक बात जोर देकर कही गई है टैक्सों के बारे में। दो दिन पहले अभी टैक्सेशन के सभी बिलों को सदन ने पास किया। उसके बाद

अविश्वास प्रस्ताव में उसकी चर्चा सामयिक नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, सामयिक इसलिये नहीं है कि जब उन सभी बिलों पर जब हमको गिराने की कोशिश की, चाहे वह किन्हीं भी कारणों से क्यों न हो और आपकी बात मानी नहीं गई तब उसी बात को लेकर मोशन ऑफ नो कान्फिडेन्स में उठाकर आपने मोशन ऑफ नो कान्फिडेन्स की मर्यादा भंग की और उसकी निर्धारित प्रक्रिया के प्रति आस्था नहीं बताई। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, टैक्स अपनी जेब से कोई देना नहीं चाहता। आप यह न समझें खुशी से कोई टैक्स देता है और इस बात को जहाँ हमको मान्यता देनी पड़ेगी वहाँ यह भी मानना पड़ेगा कि ऐसे अवसर उन पीढ़ियों के सामने भी आये हैं जिन्होंने यह प्रयत्न किया है। वर्तमान चाहे कुछ भी हो, भविष्य हमें उज्ज्वल करना है। अनेक पीढ़ियाँ ऐसी आईं जिन्होंने वर्तमान से भविष्य को अधिक उज्ज्वल समझा और वह ऊपर नहीं उठ सकीं। यदि इस आस्था को समझते हुए शासन ने यह कर लगाया है तो वर्तमान कुछ भी कहे भविष्य हमें जरूर महत्व देगा। दोष और अदोष की बात मैं नहीं कहता। पाँच साल बाद मैं अपने क्षेत्र से चुनकर आऊँगा या नहीं; लेकिन मैं माननीय तामोट जी से और अग्निभोज से कहना चाहता हूँ कि विधानसभा में ऐसी बात नहीं लाया करें जिसके लिये हमें यह कहना पड़े कि प्रजातंत्र प्रणाली का उपहास कर रहे हैं क्योंकि आप इसको स्मरण रखें कि प्रजातंत्र को चलाने का उत्तरदायित्व शासन वर्ग पर कम रहता है और विरोधी दल पर ज्यादा रहता है। यह आप निश्चित मान लें, इतिहास साक्षी है कि जहाँ पर.....

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : यह प्रजातंत्र की जिम्मेदारी शासन के ऊपर है, यह शिक्षा आपको किसने दी है? क्या मंडलोई जी ने, शायद काटजू साहब तो ऐसा नहीं कहेंगे।

श्री गुलाबचन्द तामोट : विरोधी दल इसके लिए काफी जानकार है और आपसे ज्यादा।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूँ, विरोधी दल पर इसलिए जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि मैं समझता हूँ माननीय तामोट जी अखबार नहीं पढ़ा करते। वह एक इतिहास के जानकार हैं और मैं तिवारी जी को तो स्वयं जानता हूँ कि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पोलिटिक्स का अध्ययन किया है और राजनीति में वह हमारे गुरू हैं और हम किन्हीं विषयों में उनको गुरू मानते हैं, मैं नहीं मानता कि वह इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि प्रजातंत्र की नींव डालने में और उसको उखाड़ फेंकने में विरोधी दल ही सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर विरोधी दल अपनी जिम्मेदारी निभाने में बिलकुल सजग रहेगा तो कोई भी शासन पक्ष आयेगा तो वह कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा पायेगा, जिसके कारण कि प्रजातंत्र का हनन हो और यही कि विरोधी दल ऐसी भावना फैलायेगा तो मैं समझता हूँ वह आस्था में अनास्था सिद्ध हो। जैसा कि मैंने बताया विरोधी दल के सदस्यों ने ऐसी चीजें रखीं जिससे कि वह दल शासन चलाने में असमर्थ रहा और उन्होंने ऐसा एक प्रीसेशन वेव उठाया और शासन सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में दे दी जिनको प्रजातंत्र में आस्था नहीं है और वह उस बात से अनभिज्ञ होंगे। क्या वह चाहते हैं कि वैसा वातावरण पैदा करें और धीरे-धीरे लोगों में ऐसी आकाँक्षा को जाग्रत करें जो हम जानते हैं कि वह विरुद्ध में जा सकती हैं। प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले लोगों में ऐसी बातें इम्मॉरल होंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बात को ध्यान में रखें और बात के आचरण की दुहाई दे दें कि प्रजातंत्र पर अभिशाप न हो जावे। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/9 अग्सत 1962, पृष्ठ- 2798-2800)

विधानसभा के तीसरे सत्र का प्रारम्भ भारत पर चीनी आक्रमण की चिन्ताओं से हुआ। मुख्यमंत्री श्री भगवन्त राव मण्डलोई ने 10 दिसम्बर 1962 को सदन में एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया। इस पर 11 दिसम्बर को चर्चा प्रारम्भ हुई। इस चर्चा के दौरान श्री अर्जुनसिंह ने राष्ट्रवाद की अवधारणा पर तीखी बहस की। उन्होंने इसी दिन मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 1962 प्रस्तुत किया जिसे अनुमति प्रदान की गयी।

श्री भगवन्तराव मंडलोई (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, चीनी आक्रमण के कारण हमारे देश में संकटकालीन

परिस्थिति पैदा हो गई है और आज से विधानसभा का सत्र प्रारम्भ होने जा रहा है, मैं उचित व आवश्यक समझता हूँ कि सदन के सामने यह संकल्प प्रस्तुत करूँ—

"चीन सरकार की विशाल सशस्त्र सेनाओं द्वारा सभी अन्तर्राष्ट्रीय आचरण के सिद्धांतों की बेशर्मी से उपेक्षा कर, हमारे देश पर अकारण और विश्वासघाती हमले की यह सदन तीव्र निन्दा और तिरस्कार व्यक्त करता है।

इस सदन को हमारी सेना के साहसी और बहादुर जवानों तथा अधिकारियों पर गर्व है, जिन्होंने आकस्मिक और पूर्व नियोजित हमला होने पर देश की सीमा की रक्षा करने में बहादुरी और दृढ़ता से जूझ कर दुश्मन को भारी क्षति पहुँचाई। यह सदन, उन बहादुर जवानों तथा अधिकारियों के प्रति जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में अपने प्राणोत्सर्ग कर दिये, अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करता है और हमारी सशस्त्र सेनाओं के जवानों तथा अधिकारियों के प्रति आभार तथा प्रशंसा की भावना व्यक्त करता है।

यह सदन, हमारे देश की अखण्डता और स्वतंत्रता की रक्षा करने तथा हमारी सीमाओं से आखिरी हमलावर को खदेड़ने के लिए जो भी उपाय किये गये हैं या जो उपाय किये जायेंगे उन सब में हमारे प्रधान मंत्री और भारत सरकार का पूर्ण समर्थन करने के अपने संकल्प की घोषणा करता है।

यह सदन, संकट की इस घड़ी में, देशभक्ति की पुकार पर, हमारे समस्त देशवासियों और विशेषतः इस राज्य की जनता की ओर से जो स्वयं स्फूर्ति तथा प्रचंड सहयोग मिला, उसके प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करता है। यह सदन, वर्तमान संकट की चुनौती का सामना करने के लिये सम्पूर्ण जन, धन और सामग्री जुटाकर एक विशाल सर्वांगीण प्रयास करने के लिये कृत संकल्प है, हमारा पक्ष न्याय का होने के कारण हमें इसमें संदेह नहीं कि हम अपने देश पर हुए इस विश्वासघातपूर्ण हमले को परास्त करने में सफल होंगे और हमारी स्वतंत्रता और अखण्डता को ऐसे आधार पर स्थापित करें कि कोई भी दुश्मन कभी भी हमारी पवित्र भूमि को दूषित करने का दुस्साहस न करे।"

अध्यक्ष : इस संकल्प के पहले हिस्से में हम अपनी श्रद्धांजलि हमारे उन वीर सेनानियों और अधिकारियों के प्रति व्यक्त करते हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए व जिन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया उन्हें धन्यवाद देवें जैसा कि इस संकल्प में कहा है कि चीन ने विश्वासघात करके और इन्टरनेशनल परम्परा (Convention) की अवहेलना करके टिड्डी दल के मुताबिक सीमा पर आक्रमण किया उनके प्रति हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। हमारा यह भी कर्त्तव्य है कि जिन बहादुर जवानों व सेनानियों ने दुश्मन का मुकाबला किया उन सबकी, वीर सेनानियों की हम प्रशंसा करें। हमारा सबसे पहला कर्त्तव्य है कि हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने वीर गति पायी देशभक्ति के कारण और जिन लोगों ने जमकर मुकाबला किया उन अधिकारी और सेनानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस हिस्से पर हम अपनी मूक श्रद्धांजलि अर्पित करें।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि ..... (उपरोक्त)

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई- 10 दिसम्बर 1962, पृष्ठ- 4)

श्री अर्जुनसिंह : (मंझोली) माननीय अध्यक्ष महोदय, आज विधानसभा में ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो न केवल इस प्रदेश के भविष्य से सम्बंधित है बल्कि विश्व के भविष्य से भी सम्बंधित है। कल से इस पर जो बहस विधानसभा में हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधानसभा में जितने भी दलों को प्रतिनिधित्व मिला है वे सब ही आज की स्थिति से सजग हैं, ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसने स्थिति को नहीं समझा हो। जहाँ तक मुझे यह भान हुआ वहीं मुझे यह शंका हुई कि आज हमारे सामने जो संकटकालीन स्थिति पैदा हुई है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये था परन्तु उस तरफ से आँख मूँद लेना चाहते हैं। उनको महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं जिनके बारे में ध्यान देना आवश्यक है। कुछ देर पहले सुसनेर से आये एक माननीय विधायक ने यह बात बिलकुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर कही जिसको उनका दल बाहर कई दिनों से कहता आ रहा था। उनके दल के और अन्य माननीय सदस्यों ने भी उस बात को कहा था परन्तु इतना स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा था जितना आज उन्होंने कहा है और वह यह कहा कि भारतीय जनसंघ समाजवाद के खिलाफ है। भारतीय जनसंघ इस वक्त

संकट के समय आदर्श की बात नहीं करना चाहता केवल राष्ट्रवादिता सामने रखना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ, आज के युग में इस बीसवीं सदी में राष्ट्रवादिता का समय नहीं है, राष्ट्र की मर्यादा खत्म न हो, राष्ट्र की सीमा खत्म न हो। आज के युग का प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्र चलाने में उतना ही स्वतंत्र हो जितना कि दूसरा राष्ट्र, तभी अन्तर्राष्ट्रीय परिवार में रह सकते हैं, आज राष्ट्रवाद की यह परिभाषा है। जहाँ तक अध्यक्ष महोदय, आदर्श का सवाल आता है, कहा कि संकट के समय आदर्श की आवश्यकता नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आदर्श के लिये कई बार राष्ट्र ने खून बहाया है, यह बात दूसरी है कि आदर्शवाद से तत्कालिक लाभ नहीं होता, जहाँ हम इसको छोड़ दें तो यह बात दूसरी है कि हमें तत्कालिक लाभ मिल जाये लेकिन हमें तत्कालिक लाभ के लिये अपने आदर्श को नहीं छोड़ना होगा। शांति के समय में भी और लड़ाई के समय में भी भारत को यह बताना है। समाजवाद जिसको हमने माना है जो कि एक बेसिक फण्डामेन्टल है जिसको कि हम मानते हैं, यह हमारा आदर्श है, इसको हमें मानना है, सदन के बाहर और सदन के भीतर भी हमें जनता को यह बताना है और ध्यान आकर्षित करना है।

अध्यक्ष : लड़ाई में आदर्श की आवश्यकता नहीं यह कहा गया, इस तरह का विचार लड़ाई में हो सकता है लेकिन शांति के समय क्या होगा। क्या आज जो कुछ कहा जाये उस पर कल कोई पूछने वाला नहीं होगा इस पर विचार करना होगा। लड़ाई तो ऐसी परिस्थिति हो सकती है कोई बात सही भी हो सकती है और उसे लड़ाई गलत भी कर सकती है, इस बात को लेकर आदर्शवाद को छोड़ना समझ में नहीं आता।

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : यह कोई तात्कालिक लाभ की बात नहीं है। यह कहा गया है कि हमें बाद के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए।

श्री अर्जुनसिंह : अच्छा है यदि गलती सुधार ली है तो मुझे कुछ नहीं कहना।

श्री गुलाबचन्द तामोट : माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके नेता तो यह मानते हैं कि वे किसी सिद्धान्त के पक्ष में नहीं जब जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार बदल सकते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस दल के हैं अभी तक उस दल का रवैया यह रहा है कि उनके नेता कुछ कहते हैं और वे कुछ कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा स्मरण करें द्वितीय महायुद्ध के समय को। मैं समझता हूँ प्रथम महायुद्ध के समय तो जो यहाँ बैठे हैं उसमें से बहुत से पैदा भी नहीं हुए होंगे लेकिन द्वितीय महायुद्ध के समय में हम कुछ सोचने समझने लायक हो गये थे। तो राष्ट्रवादिता और आदर्शवादिता उस युद्ध में भी उठी थी। उस समय आदर्शवादिता का सिद्धांत हमारे मित्रराष्ट्रों की ओर से उठा था और राष्ट्रवादिता का सिद्धांत जर्मनी की ओर से उठा था, इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमें अपने कर्त्तव्य को इस समय भी निभाना है और संकट के समय में भी इस देश के नेताओं ने उस मूलभूत सिद्धांत की ओर से अपनी आँख नहीं मूँदी है। इस पर अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का समय इसलिये ज्यादा ले रहा हूँ ताकि हम अपने विचारों को प्रोपर प्रॉस्पिक्टिव में रख सकें, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि प्रॉयर्टीज सिक्योर करना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझ नहीं सका क्या माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद छोड़ दें। इसका आप कंडेमनेशन कर रहे हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं प्रॉयर्टीज चाहता हूँ, आप पहले राष्ट्रवाद और फिर आदर्शवाद चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की ओर ध्यान इसलिए आकर्षित किया है क्योंकि माननीय सदस्य ने इसको पहले स्पष्ट रूप से कहा है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आप प्रॉयर्टीज पर आ गये हैं, इसलिये राष्ट्रवाद के लिये क्या आपका यह कन्टेन्शन है या आपकी पार्टी की यह पॉलिसी है कि राष्ट्रवाद को छोड़ देना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं इस बात की कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ और इसे भूलिये नहीं कि मैं केवल यह कह रहा था कि जो आदर्श हमने रखा है उसका ध्यान हमारे सामने हर समय रहना चाहिए।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : आपका कहना है कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत जर्मनी में उठा था और इसलिये हमें नहीं उठाना चाहिये क्या यह मतलब है आपका?

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने समझने में गलती की है तो इसके लिये मैं क्या करूँ। मैंने कहा है कि द्वितीय महायुद्ध में जिसको मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य भी मानते हैं कि वह अच्छी राय थी तो उस समय राष्ट्र के नाम पर नहीं जिस समय हिटलर की फौज पानी के कारण से ब्रिटेन से 20 मील दूर थी। उस समय चर्चिल ने वहाँ के बादशाह की दुहाई नहीं दी थी और न उसने उस समय ब्रिटेन की ही कोई दुहाई दी थी। उसने उस समय यह कहा था कि चाहे ब्रिटेन मिट जाये लेकिन इतिहास यह कहे कि इस संकटकाल में भी ब्रिटेन ने आदर्शवाद को नहीं छोड़ा था जिन्होंने कि इस प्रजातंत्र प्रणाली को जन्म दिया।

अध्यक्ष महोदय, अटलान्टिक चार्टर को लीजिये, जिस वक्त अटलान्टिक चार्टर बनाया गया, जिस वक्त उसकी घोषणा की गई, उस वक्त यह नहीं कहा गया कि हिटलर की फौजों से ब्रिटेन, अमरीका या चार राष्ट्रों में से किसी को खतरा है बल्कि कहा यह गया कि उन चार सिद्धांतों के लोप होने का भय है जिन पर एक प्रगतिशील मानव समाज की रचना की जा सकती है।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : ब्रिटेन ने राष्ट्रवाद छोड़ नहीं दिया था।

श्री चन्द्रप्रताप तिवारी : जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, माननीय सदस्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि राष्ट्रवाद रहा है और रहेगा, हम राष्ट्रवाद के लिये मर रहे हैं। आप कोरे राष्ट्रवाद के नाम से जनता को भुलावा न दें, इस पर हम जोर दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : हम यह नहीं कहते कि हमें आदर्शों को छोड़ना है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन का ध्यान साम्यवाद, अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद और उसके अनेक रूपों की ओर जितना आकर्षित किया है और जो चौकन्नापन दिखाया है उतनी ही सतर्कता इस तथ्य के प्रति भी दिखायेंगे जो इन बातों की ओर प्रदेश को भ्रम में डालना चाहते हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो कांग्रेस के समाजवाद को नहीं मानते हैं उनको जेल में बन्द कर दिया जाये? मुख्य मंत्री जी को खुलकर बता दीजिये, वे हथकड़ी लेकर खड़े हो जायें।

श्री अर्जुनसिंह : जो जहाँ रहने लायक है, वह वहाँ जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक हलकी-सी झलक इस सदन में और इस सदन के बाहर भी आती है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि समाजवाद के पक्ष में जितना भी बोलना चाहें जल्दी बोल लें वर्ना कट्टर विरोध आ जायेगा तो मुश्किल हो जायेगी।

श्री अर्जुनसिंह : जब कट्टर विरोध आयेगा तो माननीय सदस्य भी उसमें हमारा साथ देंगे। वह हलकी झलक सदन में भी आई और सदन के बाहर भी आई। चूँकि उसका सम्बन्ध सीधे हमारे युद्ध की तैयारी से और जो युद्ध के कार्य में लगे हुए हैं, उसमें आता है इसलिये मैं सिद्धांत रूप से इस ओर कुछ कहने के लिये आपकी अनुमति चाहता हूँ।

अध्यक्ष : मैं आपको 5 मिनिट से ज्यादा समय नहीं दे सकता।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आज कहीं-कहीं सुनाई पड़ता है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने भाषण के अन्त में बहुत जोरदार शब्दों में एक नेता, एक झण्डा और एक राष्ट्र की बात कही थी उसके पीछे कुछ भावनाएँ हैं, उसके पीछे कुछ मान्यताएँ हैं। आज हमें ऐसा प्रतीत होता है, सदन में चाहे कहें या न कहें लेकिन जनता के बीच में ऐसी भावना फैलाने की कोशिश की जा रही है कि एक नेता, एक ध्वज और एक राष्ट्र नहीं है।

मैं उस पर कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसा नेता का नाम चाहे कुछ भी हो, मैं यह कहना चाहता हूँ कि वह कौन-सा विश्वास था जिसमें धोखा हुआ? वह कौन-सी आस्था थी जिसमें असफलता दिखाई दी? अध्यक्ष महोदय, इतिहास में ऐसे कई मौके आये हैं जब कि राष्ट्र की आस्थाओं को क्रूर तथ्यों ने गलत साबित किया और सम्भव है इतिहास भारतवर्ष के पृष्ठ पर लिखते समय कुछ अच्छी चीजें लिखेगा लेकिन मुझे विश्वास है उसको दुखद भले ही वर्णन करे निन्दनीय कभी न लिखेगा, यदि हमको विश्वास पर धोखा हुआ है तो वह मानवता के नैतिक स्तर पर धोखा हुआ है और यदि हमको आस्थाओं पर धोखा हुआ तो वह मानवता के सर्वोत्तम शान्तिप्रिय आस्थाओं पर धोखा हुआ है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य प्रदेश में

चले इस अभियान पर दिलाना चाहता हूँ जिसके द्वारा अपनी भावनाओं को हम कार्यरूप में परिणित करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वार दो फ्रन्टों पर लड़ी जाती है— एक एक्टिव फ्रन्ट है जहाँ सामने गोली चलती है, दूसरी लड़ाई पीछे के फ्रन्ट पर लड़ी जाती है, जो लड़ाई पब्लिसिटी है। आप कल्पना करें मध्यप्रदेश में 70 हजार गाँव हैं और यहाँ जो अखबार निकलते हैं पूरे प्रदेश में मिलाकर एक लाख कापियाँ छपती हैं, आज शासन के पास जो साधन हैं पब्लिसिटी का उसके द्वारा कोई पोस्टर निकला तो पच्चीस हजार या पचास हजार। आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक गाँव और झोपड़े में यह सन्देश पहुँच जाना चाहिए कि आज का युद्ध इस राष्ट्र का युद्ध है और जितनी ही पब्लिसिटी हम कर पायेंगे उतनी ही सफलता इस फ्रन्ट पर हम पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक अर्ज और है जो हमारी कैपेबिलिटी से सम्बन्धित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा हथियारों की कठिनाई से लोगों को ट्रेनिंग देने में कठिनाई पैदा होती है। मैं निवेदन करूँगा इसके लिये आर्म्स एक्ट को आप और सरल कर दें और वर्तमान स्थिति में उसको एबालिश ही कर दें तो बहुत अच्छा। मैं कहूँगा लायसेन्स के लिये कौन लोग दरख्वास्त देते हैं? जो लॉ-बाइडिंग सिटिजन्स हैं लेकिन जो समाज द्रोही तत्व हैं वह कभी लायसेंस लेने नहीं आते क्योंकि हम देखते हैं चम्बल के डाकुओं के पास वे हथियार मिलते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। इसलिए आर्म्स एक्ट को एबालिश करके सबको हथियार रखने की इजाजत दीजिए। इस तरह अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ, संकट का समय सबके लिये कसौटी तो है ही लेकिन सबसे बड़ी कसौटी उसकी होती है जो शासन का नेता होता है। आज मण्डलोई जी से कहना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है जहाँ से नेतृत्व संचालित होता है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी आपके कन्धों पर है। आप विश्वास रखें हमारे मतभेद आपस के चाहे कुछ भी हों आपके कार्यों में सहयोग देने से कभी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेतृत्व की कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, नेतृत्व के भार से दब तो नहीं गया, नेतृत्व की जिम्मेदारी को निभाने के लिये खुद की प्रेरणा पर चलता है या दूसरों की प्रेरणा से चलता है यह ऐसी बातें जो उसकी सीमा निर्धारित करती हैं। मैं समझता हूँ प्रदेश की निगाहें आपके नेतृत्व पर लगी हैं आप जिस तरह का नेतृत्व चलाते हैं उस पर ही आधारित यह प्रदेश महायज्ञ में अपना योग दे सकता है।

(मध्यप्रदेश विधानसभा कार्रवाई/11दिसम्बर 1962, पृष्ठ- 90-93)

अशासकीय विधि विषयक कार्य

मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), का पुरःस्थापन

श्री अर्जुनसिंह : मैं मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), के पुरःस्थापन की अनुमति चाहता हूँ।

अनुमति प्रदान की गई।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), का पुरःस्थापन करता हूँ।

अध्यक्ष : मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेण्डमेन्ट) बिल, 1962 (नम्बर 53 ऑफ 1962), पुरःस्थापित हुआ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/ 11 दिसम्बर 1962, पृष्ठ-55)

11 दिसम्बर 1962 को श्री अर्जुनसिंह द्वारा प्रस्तुत अशासकीय विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ हुई

और सदन के सभी सदस्यों ने इस विधेयक की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की। वे सब मिलकर राष्ट्र पर आये संकट के समय अपना तन-मन-धन न्यौछावर करने को तत्पर हुए। चर्चा के दौरान कुछ अप्रिय स्थिति भी पैदा हुई। कुछेक सदस्यों ने हँसी-ठिठोली भी की पर राष्ट्र के प्रति आये श्रद्धा के इस ज्वार में वह सब छोटे-मोटे कंकड़ों की तरह बह गया। यह बहस इस प्रकार हुई—

श्री अर्जुनसिंह (मुड़वारा) : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि— "मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 1962 (संख्या 53, 1962), पर तुरन्त विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, भाषण की विशेष आवश्यकता न होते हुए इस बिल में कर्त्तव्य के प्रति आह्वान किया गया है। इसके संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस विधेयक को विधानसभा में आने के लिये जो प्रेरणा आपसे मिली है, यह विधेयक बहुत थोड़े समय में लाया जा सका है लेकिन अध्यक्ष महोदय यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, इसमें शक नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक उन महत्वपूर्ण विधेयकों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी।

अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में विधानसभाएँ और दूसरी प्रतिनिधि सभाएँ जो होती हैं वे जनता की सार्वभौम सत्ता की प्रतीक होती हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ बैठे हुए हैं और जहाँ पर जाने के लिये हम जनता का आव्हान करें वहीं ही हमारी यह जिम्मेदारी हो जाती है कि वहाँ ही हमें भी जाना चाहिये। इसके लिये इस विधेयक को लाने की आवश्यकता हुई, साथ ही उदाहरण के लिये द्वितीय महायुद्ध के समय में दो सितम्बर सन् 39 को इस तरह का विश्वयुद्ध घोषित हुआ और दो सितम्बर 39 को ही इस तरह का बिल आया और दो सितम्बर को ही उस पर हाउस ऑफ कामन्स में बहस हुई और दो सितम्बर को ही वह पारित किया गया और फिर यह घोषित किया गया कि वे लोग हर बलिदान के लिये तैयार हैं, तो इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर के यह बिल यहाँ लाया गया है। यही मुझे निवेदन करना है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि—

"मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक 1962 (संख्या 53, 1962), अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेण्डमेंट) बिल 1962 (नम्बर 53 ऑफ 1962) पर तुरन्त विचार किया जावे।"

श्री सुखेन्द्र सिंह (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव सदन में रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है कि जहाँ तक सदन का प्रश्न है शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा या माननीय सदस्या होंगी जो कि इस विधेयक का विरोध करेंगी, लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस विधेयक को केवल विधेयकों की वृद्धि के लिये ही प्रयोग न करें बल्कि इसे कार्यान्वित करें और मैं चाहता हूँ कि जिन माननीय सदस्य का यह प्रस्ताव है वे इस संबंध में अग्रसर हों और सदन में जितने भी ऐसे तरुण विधायक हैं और जो उनके पीछे हैं वे इसमें अवश्य ही अग्रसर हों। अध्यक्ष महोदय, जब प्रथम प्रस्ताव मुख्य मंत्रीजी का इस आशय का आया था उस समय भी हम अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और कहा था कि हम तन, मन और धन से सहायता करेंगे। तो धन से और मन से हो जाती है लेकिन तन से नहीं होती थी लेकिन इस विधेयक से इसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिये अध्यक्ष महोदय मैं इसका फिर से समर्थन करता हूँ।

श्री एल.ए. जामनिक (साईंखेड़ा, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में आया है इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ क्योंकि आज इमरजेन्सी का समय है और जब इमरजेन्सी के ऊपर प्रस्ताव आया था उस समय नौजवान एम.एल.ए. जो पीछे बैठे हैं उन्हें समय नहीं मिला था लेकिन अब इस बिल को देखकर वे चाहते हैं कि हमारा तन-मन-धन सब कुछ भारत माता के काम में आये। हम उसे भूल नहीं सकते हैं हिमालय के पिघलने वाले हमारे भाई पत्थर के आज विन्ध्य और सतपुड़ा का काला पत्थर जाग उठा है और विन्ध्य का काला पत्थर आज हिमालय के सफेद पिघलने वाले पत्थर से जानना चाहता है कि वह उसके लिए किसी तरह काम में आये। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री लक्ष्मीनारायण नायक (लिधौरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज हर किसी के दिल में यह भावना होती है कि देश पर जो संकट है उसको किस तरह से मिटाया जाये। हमारी इस विधानसभा के जो मेम्बर हैं उनमें से कुछ साथी ऐसे हैं जो कि हथियार चलाने और लड़ाई के मोर्चे पर जाने के लिये तैयार हैं ऐसा कहा जा सकता है लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें मैं एक ऐसा हूँ कि अभी इस कला में माहिर नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ 3-4 दिन में माननीय गृह मंत्री द्वारा जो सिखाया गया उसमें कुछ जरूर थोड़ा बहुत सीख सका हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि अपने देश के संकट काल में लड़ सकें। मैं हृदय से चाहता हूँ कि इस काम में अपना जीवन दे सकूँ। इस प्रस्ताव का यह मतलब है कि हम इस काम में मदद दे सकें इसलिये मैं कह सकता हूँ कि देश के संकट में अपना जीवन भी दे सकूँ तो उसके लिये भी तैयार हूँ।

श्री बापूलाल मालवीय (देवास, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी ने यह जो बिल रखा है उसका समर्थन करने के लिये मैं उपस्थित हुआ हूँ। अधिकांश विधायक लोगों की यह इच्छा रही है। जब कभी भी हमने अखबार में पढ़ा हम सबने इच्छा व्यक्त की थी कि वास्तव में ऐसी व्यवस्था हो जाये ताकि हमारे शरीर की एक-एक बूँद देश की रक्षा के लिये काम आये। एक माता वह है जो पैदा करती है और दूसरी माता भारत माता है। एक माता वह है जो रोटी के लिये जिन्दा रहती है और दूसरी भारत माता वह है जो खून माँगती है। ऐसी भारत माता जो हमेशा रक्षा के लिये तत्पर है और हमें आव्हान करती है यदि हमारी भारत माता के ऊपर आँच आती है तो चुपचाप बैठना हमारा कर्त्तव्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यह सबसे बड़ी बात है कि आज विधायक होकर एक युद्ध हमने चुनाव का लड़ा लेकिन वह हमने देख लिया, दूसरा युद्ध हमें लड़ना है, हम भारत माता की रक्षा किस प्रकार कर सकें, हम वह युद्ध भी देख लें। उस समय हमारा मस्तक ऊँचा रहेगा जब हम असली भारत माता की रक्षा करेंगे और हमारा वह मस्तक हमेशा ऊँचा बना रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री रामदास अग्रवाल (मुड़वार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं प्रसन्नता से गदगद हो रहा हूँ। एक ऐसा सुन्दर विधेयक सदन के अन्दर आया है। हमारी आशाएँ जो थीं उनमें एक स्फूर्ति पैदा हुई है। जब देश में संकट आता है तो उस देश के संकट में हम सबका क्या कर्त्तव्य है इसके बारे में किसी शायर ने क्या ही सुन्दर शब्दों में कहा है :—

"मुल्क के काम न आये वह जवानी क्या है।
दूध में धार न आये वह पानी क्या है।।"

श्री सुन्दरलाल पटवा : मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आपकी भी एक पलटन तैयार हो जाये।

श्री रामदास अग्रवाल : मैं तैयार हूँ। आल्हा में कहा गया है:—

"खटिया पड़ के जो मरि जावै तो हवै है हँसी हमार।"

यदि मैं कुछ भी न कर सकूँगा तो कम से कम अपने जख्मी भाइयों को अस्पताल ले जाऊँगा मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझको भेजा जाये। मैं लड़ने के लिये किसी से कमजोर नहीं हूँ।

श्री कृष्णपाल सिंह : जो हमारे पुराने रक्षा मंत्री थे वे उसका नेतृत्व करते हुए जायें।

श्री रामदास अग्रवाल : मुझे खुशी है कि ऐसा सुन्दर प्रस्ताव आया.....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : श्री पटवा जी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे ऐसा क्यों समझते हैं कि वृद्ध लोग जवानों के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे, वे नेतृत्व देंगे तो वृद्ध लोग भी उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे।

श्री रामदास अग्रवाल : वृद्ध लोगों की शक्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन लोगों ने महाभारत पढ़ा नहीं है। महाभारत में वृद्ध भीष्म पितामह ने बड़े-बड़े नौजवानों के छक्के छुड़ा दिये थे और शर शय्या पर पड़े-पड़े गम्भीर नीति का उपदेश भी दिया था। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जवान लोग आपके प्रस्ताव पर ऑफर कर रहे हैं, लड़ाई में जाने के लिये तैयार हैं लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पाण्डवों के

तेरह वर्ष के वनवास में एक वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन वृहन्नला का वेष धारण करके रनिवास में रहे किंतु युद्ध में जब वह उस रूप में बाहर आये और बाणों की वर्षा करने लगे तब भीष्म पितामह ने कहा कि ये बाण तो अर्जुन के प्रतीत होते हैं इसलिये हमारे अर्जुनसिंह कहीं भी हों, कहीं भी बैठे हों लेकिन हम उनके इस काम से उनको याद कर लेंगे। किसी शायर ने कहा भी है :—

"दिल हो अर्जुन का, जिगर भीम का, अंगद का कदम।"

तो ऐसे बहादुर अर्जुनसिंह से हम आशा करते हैं कि वह यह न समझें कि हम वृद्ध होने के नाते लड़ाई में नहीं जा सकेंगे, युद्ध नहीं कर सकेंगे तो घायलों को ही अस्पताल तक पहुँचायेंगे।

मैं ठाकुर अर्जुनसिंह के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हुआ इस आशा को लेकर घर जाऊँगा कि मुझे भी लड़ाई में जाने की स्वीकृति तो मिलेगी लेकिन मेरे नौजवानों को भी स्वीकृति मिले।

श्री विष्णुचरण जोशी (शुजालपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के तरुण सदस्य अर्जुनसिह ने प्रस्ताव रखकर यह अवसर दिया है, खासकर हम जन प्रतिनिधियों को कि हम उनके प्रस्ताव के अनुसार उनकी कामना को पूरा करके दें और जो रुकावट आये उसको न आने दें। इसलिये आज जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सब कुछ कुर्बान किया था और कुर्बानी करने वाले लोग जो आज यहाँ बैठे हैं आज भारत माता पर इतना बड़ा संकट आया है तो ऐसे लोगों के लिये यह बड़े गौरव का समय है और इस समय श्री अर्जुनसिंह ने जो आव्हान किया है उसको हम स्वीकार करते हैं, साथ ही कुछ दिन पहले जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी हम लोगों ने कहा था, अपना एक दिन का वेतन देने के लिये, उसके लिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति चाहता हूँ कि हम अपना वेतन लाकर आपकी टेबिल पर रखें और आप उन शहीदों के लिये भेजने की कृपा करें। हम में से कुछ लोगों ने एक नागरिक होने के नाते और माननीय सदस्य होने के कारण जो एक दिन का वेतन देने की घोषणा की उसके अनुसार अध्यक्ष महोदय, मैं इजाजत चाहता हूँ कि मैं आपकी टेबिल पर इन रुपयों को रख सकूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ सिंह (भोमा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में श्री अर्जुनसिंह ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ व यह कहता हूँ कि कल हमने जो संकल्प लिया था कि तन, मन, धन से हम अपने आप को मातृभूमि की रक्षा के लिये न्यौछावर कर देंगे अगर यह संकल्प न आता तो वह अधूरा ही रह जाता। समय भी आ गया है (We should not curse the darkness but lights a candle) जब हम अंधकार को कोसने के बजाय ज्योति को प्रज्ज्वलित करें और उससे प्रकाश लें।

श्रीमती नारायण देवी झा (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, आज भाई अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव यहाँ प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से समर्थन करती हूँ। हमारा इतिहास बताता है कि जब-जब देश पर संकट आया है तब-तब नारियाँ किसी से पीछे नहीं रहीं हैं वह संकटकाल में सहायता देती रही हैं। मैं संकटकालीन स्थिति में नारियों की ओर से विश्वास दिलाती हूँ कि हम अब भी किसी से पीछे नहीं हैं हम से जो सहायता बन सकेगी करेंगी। हम भाई अर्जुनसिंह के साथ हैं।

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी (बरगी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री अर्जुनसिंह ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। वैसे जिनको लड़ाई में जाना चाहिये वह बोले कि इसकी परवाह क्या कि इसका अन्जाम क्या होगा और सहानुभूति दे दी। कहा कि भाई रामदास बहादुर है मैंने कहा कि उनको हार्ट डिसीज है, इसलिये वह सोचते हैं कि मुझे भेजा नहीं जायेगा।

श्री रामदास अग्रवाल : हार्ट डिसीज से मरने से तो यही अच्छा है कि वहीं जाकर मरें।"

श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी : उनका तो यह हाल है "नामर्दी खुदा ने दी, मार-मार से क्यों चूकें" फिर भी हमको उनके कहने से बल मिला है। जो प्रस्ताव आया है उसका मैं स्वागत करता हूँ और हमारी आशा है कि फरवरी में जो विधानसभा सत्र होने वाला है उसमें बहुत से सदस्य यहाँ अनुपस्थित होंगे और वह फ्रंट पर गये होंगे।

श्री रामकरण उग्र (व्यावरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात यह है कि सदन समाप्त होने जा रहा है और अन्तिम बेला में माननीय सदस्य अर्जुनसिंह ने एक प्रस्ताव रख कर बड़ा उत्साह दिला दिया

है। मैं यहाँ यह याद दिला दूँ कि हम लोग आपके बिल से प्रेरणा लेंगे और प्रेरणा लेकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये तन, मन, धन से जुट जायेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इसका दिल से समर्थन करते हुए इसका स्वागत कर रहे हैं और आज जैसी परम्परा हमको सदन में देखने को नहीं मिली किन्तु यह पहली बार ही देखने को मिली है कि हम इस बिल का एक मत से समर्थन कर रहे हैं। इसलिये मैं भी इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (राजिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ इस बिल का क्योंकि इस बिल के द्वारा हम प्रजातांत्रिक प्रणाली को क्रियान्वित करने जा रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिये या रक्षक और प्रहरी कहलाने का दावा करते हैं और जब हम इसके लिये जनता के सामने जाते हैं और आशा करते हैं कि वह अपनी जान की बाजी देश के लिये लगा दें तो हमें भी आगे-आगे जाकर अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहिये। मैं आशा करता हूँ कि जो इच्छुक हैं, मोर्चे पर जाने के लिये वह कम से कम इस बात की तैयारी करेंगे कि अपने में इतनी शारीरिक क्षमता पैदा करें, चाहे तो रोज दंड बैठक करें, चाहे तो वह 5 मील पैदल घूमने फिरने जायें और प्राणायाम करें और जिनकी काफी उम्र हो गई है और उनको काम नहीं दिया जा सकता तो मुझे आशा है कि वह इस बात की प्रार्थना करेंगे कि उनको कोई विशेष प्रकार का काम दिया जाये, शारीरिक या लिखने पढ़ने या मल्हम पट्टी का काम दिया जाये।

श्री भगवन्तराव मंडलोई (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा का सत्र एक संकटकालीन परिस्थिति में प्रारंभ हुआ और इस सत्र में पहला काम जो संकल्प शासन की तरफ से पेश किया गया और विधानसभा सदस्यों ने उन वीर सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात का निश्चय किया कि हम तन, मन और धन से अपने देश की स्वतन्त्रता, देश की अखंडता पर विश्वास करते हुए हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिये अपनी मातृभूमि के लिये तैयार हैं। सत्र के आखरी दिन इस तरह का एक विधेयक बिलकुल उपयुक्त है व हम कह सकते हैं कि संकटकालीन परिस्थिति में इस तरह का कानून बनना परम आवश्यक है, अध्यक्ष महोदय सदन के सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने संकल्प में भी एक मत से अपना निश्चय प्रकट किया और आज जो विधेयक विधि बनने जा रहा है उसे भी हम सब एक मन से मंजूर करने जा रहे हैं। हमारे लिये यह गौरव की बात है व साथ ही इस कानून का ऐतिहासिक महत्व है।

अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रस्तुतकर्ता महोदय ने अपनी समझ-बूझ के साथ जो विधेयक पेश किया और जिसको एकमत से समर्थन प्राप्त हुआ, मैं माननीय अर्जुनसिंह जी को बधाई देता हूँ।

विधानसभा की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में घोषणा

अध्यक्ष : बहुत से माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं इसलिये यह चर्चा 5 बजे के बाद तक चलेगी और इसके पश्चात् इस सत्र का अवसान हो जायेगा इसलिये मैं इस समय सदन की अनुमति से कुछ सूचना सदन को देना चाहता हूँ। संकटकालीन स्थिति को देखते हुए कल मैंने सदन के नेता और विरोधी दलों के नेताओं की एक संयुक्त बैठक अपने कक्ष में इसलिए की थी कि हम नियमों के अन्तर्गत रहते हुए भी सदन में कार्य संचालन की क्रिया को सरल बना सकें ताकि हम इस संकटमय स्थिति में कुछ समय बचा सकें। सब नेताओं ने मिल कर जो इस संबंध में सुझाव दिये हैं उन्हें मैं सदन के समक्ष रखता हूँ और सदन की राय जानना चाहता हूँ। सुझाव इस प्रकार है :-

(1) अभी तक प्रत्येक माननीय सदस्य दस प्रश्नों की सूचना दे सकता था और उनमें से 8 प्रश्न स्वीकृत किये जाते थे। अब यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक सदस्य केवल पाँच प्रश्नों की सूचना दे तथा ग्राह्य होने पर केवल चार प्रश्न ही स्वीकृत किये जायें दो तारांकित और दो अतारांकित।

(2) दूसरा सुझाव यह है कि आय-व्ययक पर अभी तक सामान्य चर्चा के लिये 5 दिन रखे जाते थे पर अब केवल चार दिन ही रखे जावें और माँगों पर मतदान के लिये जो 11 दिन का समय रखा जाता था उसे कम करके 8 दिन कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त प्रत्येक माँग पर दल द्वारा एक से अधिक कटौती प्रस्ताव न दिया

जाये पर उसके प्रस्तुतकर्ता एक नहीं अनेक सदस्य हो सकते हैं। यह निर्णय निर्दलीय सदस्यों को लागू नहीं होगा।

(3) तीसरा सुझाव यह है कि सदन की बैठकें शनिवार को भी रखी जाया करें।

क्या माननीय सदस्य इन सुझावों को स्वीकार करते हैं।

स्वीकृति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), पर चर्चा (पूर्वानुबद्ध)

श्री अब्दुल कादिर सिद्दीकी (बुरहानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि आबपाशी की बात है कि जो नौजवान लड़ाई पर जाना चाहें तो यह ठीक है लेकिन दुनिया में यही काम नहीं है कि हर आदमी बन्दूक लेकर मैदान में जाये बल्कि दूसरे और आवश्यक काम भी हैं जिसमें दूसरे मेम्बर साहबान काम कर सकते हैं। लड़ाई के वक्त ऐसे बहुत से दूसरे जरूरी काम रहते हैं जिन्हें वह कर सकते हैं। रहा यह कि जो बिल इस वक्त हाउस के पास पेश किया गया है वह वाजिब है, उसे पास हो जाना चाहिए।

श्री सूर्यदेव शर्मा (दतिया) : अध्यक्ष महोदय,

"यह खेल पाँसों का नहीं, यह प्राण पण का आज है।
जो आज जीतेगा उसी का जीतना कुरुराज है।।"

यह भी वीर रस का स्तुत्य आज सारे भारतवर्ष के कोने-कोने में फैल रहा है, चाहे कोई व्यक्ति हिमालय पर रहने वाला हा, चाहे कोई व्यक्ति कन्याकुमारी। का रहने वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति अटक का रहने वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति कटक का रहने वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति महलों का रहने वाला हो और चाहे कोई व्यक्ति जंगलों का रहने वाला हो हर एक व्यक्ति के हृदय में भारत माता की स्वतंत्रता की रक्षा के लिये उत्साह उत्पन्न हुआ है और उस उत्साह से प्रेरित होकर माननीय सदस्य द्वारा इस समय विधानसभा के समक्ष जो सुन्दर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे समय में जब कि हमारे देश पर आपत्ति.....

कई माननीय सदस्य : है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : है नहीं, मंडरा रही है, अभी आई नहीं है बल्कि आने वाली है, उस आपत्ति की तैयारी के लिये हम प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तो संधियों की बात चल रही है और पीछे हटने की बात हो रही है। जिस समय समरांगण में फौजें आगे बढ़ेंगी, उस समय भयंकर आपत्ति आ सकती है और उस भयंकर आपत्ति को सहन करने के लिये हमें तैयार होना होगा। जिस देश के रहने वाले घास की आधे पेट रोटी खाकर व भारत माता की रक्षा के लिये लड़ सकते हैं, उनके लिये यह वर्तमान आपत्ति कोई भयंकर आपत्ति नहीं है.....

अध्यक्ष : आप उनकी बात का जवाब न देकर अपनी ही बात कहें।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि यह भयंकर आपत्ति किसी रोज भी आ सकती है। उसके लिये हमें तैयार रहना है।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हो गया है इसलिये एक मिनिट में समाप्त करें।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अब यह छेड़छाड़ ज्यादा कर रहे हैं।

अध्यक्ष : कृपया एक मिनिट में भाषण समाप्त करें।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं वीर रस की तरफ जा रहा था, मुझे धकेल कर दूसरी तरफ ले गये तो कांग्रेस पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया है, अन्तिम समय में हम बिछुड़कर जा रहे हैं, मैं एक किस्सा सुनाता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : किस्सा न सुनाइये।

श्री सूर्यदेव शर्मा : एक मिनट का किस्सा है मैं सुनाता हूँ, चूँकि कांग्रेस पक्ष की तरफ से प्रस्ताव आया है, इसलिये सुना रहा हूँ .....

(अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आलोपित)।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर प्लीज। बहुत गम्भीर विषय है, और बहुत गम्भीर बातें यहाँ पर हो रही हैं। आपका इस तरह कहना सर्वथा अनुचित है।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : प्वाइंट ऑफ आर्डर। मेरा यह कहना है कि जो किस्सा सुनाया गया है माननीय सदस्य के तरफ से, ये सदन की मर्यादा को भंग करता है और सारे सदस्यों पर एक्सपर्शन है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसको एक्सपंज करता हूँ।

डॉ. टुमनलाल (लाल बहादुर नगर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मनुष्य की स्वयं की जिम्मेदारी के साथ समाज तथा देश की भी जिम्मेदारी निहित होती है इसलिये यह आवश्यक है कि इन जिम्मेदारियों को सुचारु रूप से भलीभाँति वहन करने के लिये तथा इस पुण्य पावन कार्य के लिये लोग तत्पर रहें।

अध्यक्ष : मैं लम्बा भाषण नहीं सुनना चाहता।

डॉ. टुमनलाल : जहाँ तक मेरा स्वयं का सम्बन्ध है, मैं महत्वाकांक्षी हूँ इसलिए मेरी महत्वाकांक्षा है कि वर्तमान संकट की स्थिति को देखते हुए अपनी चिकित्सा सेवा के साथ स्वयं अपने को अर्पित करूँ, इसकी सूचना मैंने अध्यक्ष महोदय को दे दी है तथा सदन के सामने बता देना चाहता हूँ कि मैं भी मातृभूमि के रक्षार्थ सीमा पर जाने के लिये कृत संकल्प हूँ। राष्ट्रपिता गाँधी जी का सिद्धांत कहते हुए इस खोज पूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री गौतम शर्मा (करेरा) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश ने जिस तरह से गुलामी के समय कुर्बानियाँ करके एक गौरवपूर्ण इतिहास बनाया और आजादी के बाद देश की रचना में जो एक गौरवशाली इतिहास की रचना की, उस इतिहास से, आज चीन के बर्बर आक्रमण के समय जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, वह उस कड़ी को जोड़ने वाला है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री गंगाराम जाटव (सारंगपुर, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

"भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह मनुष्य नहीं, वह मानुष है, जिसे मातृभूमि से प्यार नहीं।।"

आज देश की उत्तरी सीमा पर जो हमला होने के कारण संकट आया है, उस संकट के कारण जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री देवप्रसाद आर्य (चौकी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष बाबा, ये तो सब कोई जानत हैं कि गोंड़ किरात हल्बा कवर जो आदिवासी भाई हैं वो मन पक्का निशानाबाज वो तिरनदाज होता है। पहिली इहां सब सदस्य भाई बहिनी मन के रायफल प्रशिक्षण के जो परीक्षा होईस ओमें हमर आदिवासी भाई प्रतापसिंह सदस्य हा पहिली नम्बर आईस येकर से ये पक्का हो गेइस। अध्यक्ष बाबा येसे तो आदिवासी मन के शक्ति कतिर है येकर अंदाजा ला सब जान सकत हैं हमर आदिवासी भाई मन के शक्ति के परीक्षा हा येही संकटकाल में हो सकथे। ऐसन बेरा में भाई अर्जुन सिंह हर जौन प्रस्ताव लाये हावे ओमें हमला सब से आगू लड़ाई में जाये के मौका देवें। येशन तो हमेशा हम आदिवासी मन ला पीछे रखथें। पर ये मौका में मातृभूमि के सेवा करे खातिर अवश्य ही मौका देवें। हमर खून एकदम खौलत हावे कि हमर देश में विदेशी मन अकारण आक्रमण कर देईस हावे।

हमर कतरो सदस्य भाई और बहिनी मन आज रायफल परीक्षा में खड्डा के आदमी जैसे फोटोला गोली मारे के छेद दारिन हावें पर हमला सही में मौका देकर हमर शक्ति व देश भक्ति का परिचय देये के अवसर मिलहा येसे भरोसा हावे। मैं हर भाई अर्जुनसिंह के प्रस्ताव के फिर से समर्थन ला एकदम गदगद मन से करथों।

श्री रामेश्वरप्रसाद शर्मा (जाँजगीर) : संकटकालीन अवसर में और ठीक समय पर हमारे भाई अर्जुनसिंह जो प्रस्ताव लाये हैं उस पर बोलते समय जितनी गंभीरता हिन्दू महासभा के सम्माननीय सदस्य को रखनी चाहिए वह नहीं रखी थी। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। हमारे हृदय में पुरुषार्थ है, पराक्रम है। क्या आप समझते हैं कि काँग्रेस पक्ष के सदस्य लोग कमजोर हैं? हमने कुर्बानी की है और करके दिखाएँगे, और करते रहेंगे।

श्री सूर्यदेव शर्मा : मैं हिन्दू महासभा का नहीं हूँ।

अध्यक्ष : क्या आप बोलना चाहते हैं? यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं यह चाहूँगा कि आप यह कहें कि आपने जो कहा था वह गलत था और उसके लिए आपको दुःख है और आप सदन से उसके लिए माफी माँगते हैं।

श्री सूर्यदेव शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं हिन्दू महासभा का सदस्य नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ यह कहा है। उन्होंने गलत कहा है, मैं बोलना नहीं चाहता।

श्रीमती विद्यावती मेहता (छिंदवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, भाई अर्जुनसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है उसका हृदय से समर्थन करती हूँ। हमारे सब भाई समर्थन कर रहे हैं उसको देख कर विधानसभा के सभी सदस्य हर्ष के साथ एकमत से इसको पास करने जा रहे हैं। उस प्रस्ताव को सभी महिलाओं की तरफ से कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएँ पूरे प्रान्त के साथ सदा रहेंगी और जो कुछ भी काम आयेगा उसको सब मिलकर करने के लिए तत्पर रहेंगी। जो भी रेडक्रास और जो भी कोई काम है करने को तैयार हूँ। हम महिलाएँ लड़ाई में सामने नहीं जा सकती हैं, तो यहाँ पर पीछे जो भी काम हैं नर्सों का, रेडक्रास का उसका सब काम करके उनकी मदद करने के लिये हम लोग हमेशा तत्पर हैं। मैं अर्जुनसिंह भाई के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ और उनको बधाई देती हूँ कि उन्होंने विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा और मैं फिर से एक बार और बधाई देते हुए प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

श्री जुगलकिशोर (हट्टा) : भाई अर्जुनसिंह जी ने जो संकल्प रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। हमारे यहाँ भाषणबाजी की परम्परा चल रही है। मैं यह चाहूँगा कि माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं पहले उसको खुद करें। दूसरों से यह कहना कि फलाना काम करना चाहिए खून देना चाहिये, पहले खुद खून देकर आयें और फिर दूसरों से कहें। जो लड़ाई में जा सकते हैं उनको लड़ाई पर जाना चाहिए, जो यहाँ रहकर उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं वे उत्पादन बढ़ायें परन्तु देश के लिये कुछ न कुछ काम करें। इतना कहकर मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री शिवप्रसाद ओझा (जरहागाँव) : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मेरा यही कहना है कि हमारे देश की यह परम्परा रही है कि हम अपने देश की रक्षा के लिये मर मिटने के लिये तैयार रहते आये हैं। हम चीनी अधिकारियों को अपनी भूमि से खदेड़ कर ही दम लेंगे। मैं पूरे जोर के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री भागीरथ भंवर (अलीराजपुर, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, भाई अर्जुनसिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है मैं इसका आत्मा से समर्थन करता हूँ और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम आदिवासी इस संकटकाल में पूरा-पूरा सहयोग देने के लिये तैयार हैं। हमारे प्रदेश के आदिवासी कमजोर नहीं हैं, वे बहादुर हैं और मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि वे हमारे आदिवासी जिलों में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कायम करें जिससे कि आदिवासी उनमें ट्रेण्ड किये जा सकें।

श्री उमरावसिंह (आष्टा, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मैं पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के साथ चम्बल गया और भी कई स्थानों पर गया हूँ, वहाँ के बंगले खाली पड़े हुए हैं और सब प्रकार के वहाँ सुभीते हैं, क्यों न वहाँ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन्स कायम की जावें और क्यों न वहाँ सब सदस्यों को शिक्षा देने से शुरुआत की जावे।

श्री रंचूसिंह इव्राती (रामाकोना, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय संकट के समय में श्री अर्जुनसिंह जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री प्रभुदयाल जाटव (लहार, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यही है कि हमारे भिण्ड-मुरैना में बहुत डाके पड़ते हैं और वहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं, वहाँ के लोगों की अनिवार्य रूप से भरती की जावे। ऐसी भरती करने वालों को हिदायत दी जावे।

श्री गणेशमल भंडारी (डोगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। हमारे प्रदेश का प्रत्येक नागरिक चाहे छोटा हो या बड़ा सब को पता हो गया है कि देश पर संकट आया है। हम लोग जब अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जावेंगे और इन वीर रस-पूर्ण बातों का लोगों को पता चलेगा तो सारा मध्यप्रदेश वीर रस से परिपूर्ण हो जावेगा। हम सब लोग दुश्मन को पीछे हटा देंगे। इतना कहकर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मायाराम नन्दा (आलोट, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, हमारे भाई अर्जुनसिंह ने जो यह प्रस्ताव रखा है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। इस संकटकाल में अपने देश की रक्षा करने के लिये हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं श्री अर्जुनसिंह जी को धन्यवाद देता हूँ।

श्री रामधन सिंह (मेहगाँव) : अध्यक्ष महोदय, अर्जुनसिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सब लोग देश के संकटकाल में देश की सेवा करें।

श्री रामचरणलाल (गोहद) : अध्यक्ष महोदय, मैं सहर्ष इस सत्कार्य पर गौरव अनुभव करता हूँ और इस प्रस्ताव का पूर्णतया समर्थन करता हूँ।

श्री भैरव भारतीय (खाचरौद) : श्री अर्जुनसिंह ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री गुलाबचन्द तामोट (साँची) : चीन की विस्तारवादी सरकार ने हमारे देश पर जो हमला किया उसके खिलाफ परसों इस सत्र में हम लोगों ने जो संकल्प किया है, वह तो अपनी जगह पर है ही लेकिन आज जो भाई अर्जुनसिंह जी ने संकल्प रखा है वह विस्तारवादी चीन के मुँह पर एक करारा थप्पड़ है। इस विधानसभा के सदस्य भी मोर्चे पर जाने के लिये तैयार हैं। मैं इन शब्दों के साथ भाई अर्जुनसिंह बघेल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदन सर्वानुमति से पास कर इसे कार्यान्वित करेगा।

श्री भीकाजी टंटूजी (महेश्वर, संरक्षित स्थान) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अर्जुनसिंह जी ने प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री नर्मदाप्रसाद श्रीवास्तव (लाँजी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अर्जुनसिंह जी ने जो बिल रखा है उसका समर्थन करते हुए उसके साथ-साथ हमारे सभा के जितने सदस्य हैं, उनकी संख्या के अनुसार सिर्फ 10 सदस्य ही क्वालीफाइड हो सकेंगे। केन्द्रीय सरकार ने जो 35 साल की उमर रख दी है उसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल के साथ केन्द्रीय सरकार से उमर की कैद (बन्धन) दूर करने की भी प्रार्थना की जाये, जिससे हम अधिक से अधिक लोग जा सकें।

श्री रूपसिंह (मेहदवानी, संरक्षित स्थान) : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव पेश किया गया है, यह राष्ट्र के लिये बहुत बड़ा जोश, ताकत और हिम्मत बढ़ाने वाला प्रस्ताव है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूँ।

श्री शाकिर अली खाँ (भोपाल) : जनाबेआली, मैं भी अपने दिल की पूरी ताकत के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ। इसके साथ ही मेरी दरख्वास्त है कि यदि एम.एल. लोगों की उमर की जो कैद है उसे यदि बढ़ाया नहीं जाता तो वे फौजी खिदमात अपनी नहीं दे सकेंगे, इसलिये उनसे जो और डिफेन्स के काम हों वे काम लिये जायें और मैं श्री लल्लू भैया और मण्डलोई साहब की बटालियन के साथ हूँ।

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर माननीय सदस्यों ने जो भाव प्रकट किये हैं, वह उनके उत्तरदायित्व का सही-सही प्रतिबिम्ब हैं। उसके बारे में मुझे कहना कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने, सतना से आये हुए विधायक ने यह उल्लेख किया कि इस विधेयक के प्रस्तावक ने स्वयं के बारे में क्या निर्णय किया है। मैंने उसके बारे में अपने इस विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को ही साक्षी बनाया है। मैंने उनकी अनुमति प्राप्त करने के पहले उनसे यह आश्वासन लिया है कि वह मेरी दरख्वास्त इमरजेन्सी कमीशन के अधिकारियों के पास फारवर्ड करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह जानता हूँ कि हमारे अनेक भाई इसमें शामिल होने के लिये आगे आयेंगे और मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वे सामूहिक रूप से उन सबको उचित निर्णय के लिये उचित अधिकारियों के पास एक साथ भेजें ताकि हम आगे अपने प्रथम संकल्प का सही-सही प्रतिबिम्बन कर सकें। मुझे विश्वास है और आशा है कि हम में से एक या दस जो भी जायें वहाँ से ढाल लेकर आयेंगे या उसके ऊपर लेटकर आयेंगे, ढाल छोड़कर नहीं आयेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि— "मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962) अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, (1962

नम्बर 53 ऑफ 1962), पर तुरन्त विचार किया जावे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब यह सभा इस विधेयक पर खण्डशः विचार करेगी।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बनाया गया।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बनाया गया।

पूर्ण नाम तथा प्रस्तावना विधेयक के अंग बनाये गये।

श्री अर्जुनसिंह : श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा द्वारा विचारित मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962) विधि बने।

अध्यक्ष : प्रस्ताव हुआ है कि— "सभा द्वारा विचारित मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1962 (नम्बर 53 ऑफ 1962), विधि बने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि— "सभा द्वारा विचारित मध्यप्रदेश विधानसभा अनर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 1962 (संख्या 53, 1962), अर्थात् मध्यप्रदेश लेजिस्लेटिव असेम्बली प्रिवेन्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, 1962 (नम्बर 53 ऑफ 1962) विधि बने।"

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष द्वारा संबोधन

अध्यक्ष : इस ऐतिहासिक सत्र का अब अवसान हो रहा है। इस समय मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। हमने जनतंत्र के केन्द्र, इस पवित्र सदन में यह संकल्प किया है और यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक हम भारत की पवित्र भूमि से आताताई आक्रमणकारियों को खदेड़ नहीं देंगे जब तक चैन नहीं लेंगे और इस कार्य के लिये तन, मन और धन से जो कुछ भी हमें त्याग करना पड़ेगा उसे सहर्ष करेंगे। इस महत्वपूर्ण संकल्प को पूरा करने के लिये सबसे बड़ा और जरूरी कार्य हमारे लिये यह है कि जिस तेज को लेकर आज हमारा देश उठा है उसे हम प्रज्ज्वलित ही बनाये रखें जब तक इस दुश्मन को हमारी मातृभूमि से निकाल बाहर नहीं कर देते। दूसरा कार्य जो हमें करना है वह यह है कि वीर विक्रमादित्य से लेकर रानी झाँसी, रानी दुर्गावती के समय तक और उसके बाद भी जिन अनेक वीरों और वीरांगनाओं ने इस प्रदेश के नाम को अपने पराक्रम, शौर्य और तेज से सारे भारत में ही नहीं वरन् विश्व के इतिहास में उज्ज्वल किया हैं, उन वीरता और त्याग की परम्पराओं को आज हम देश की आजादी की रक्षा करने में उनका उनके उत्कृष्ट रूप में नवीनीकरण करें। हम कुछ ऐसा अदम्य उत्साह हमारे प्रदेश के नवयुवकों में भरें कि वे अभी तक इतिहास से, वीरता के जिस शानदार इतिहास से प्रेरणा लेते आये हैं उसके स्थान पर वे स्वयं वीरता तथा त्याग के स्रोत बन जावें। हमारी माता के मस्तक हिमालय को अपवित्र कर शत्रु ने जो हमें अपमानित किया है उसका बदला लेने के लिये हमारे प्रदेश के वीरों में होड़ लग जाये कि शत्रु के मुकाबले में लड़ने के लिये उनका स्थान प्रथम हो। आज प्रतिस्पर्धा इस बात में हो कि माता के सम्मान की रक्षा के लिये बलिदान देने के लिये कौन आगे आता है।

हमारा यह भी कार्य हो कि हम किसानों और मजदूरों को यह प्रेरणा दें कि वे दस गुने उत्साह से उत्पादन

की वृद्धि में लग जायें ताकि हमारे प्रदेश में अनाज का उत्पादन दुगना हो जाये और हम देश में अन्न की कमी की पूर्ति कर दें। हमारे प्रदेश के कारखानों के मजदूर भाई दूने उत्साह से कार्य करें, उत्पादन में वृद्धि करें यह सब कार्य हमें करना है। हमें उन धनिकों को भी यह बताना है कि देश के कार्य में जो सोना लगेगा वह सुगंधित हो जायेगा नहीं तो उस सोने में दुर्गन्ध आने लगेगी.....

मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि सारी जिम्मेदारी आप अपनी ही न समझकर, सदन के हर सदस्य की जिम्मेदारी, अपने प्रदेश की जितनी पार्टीज़ हैं, उनकी जिम्मेदारी भी समझकर सबका कान्फिडेन्स लेकर निश्चित करें। इससे आपको सुविधा मिलेगी और हम सबको भी संतोष अनुभव होगा कि हम भी शासन के काम चलाने में हाथ बँटा रहे हैं। इसके लिए हमें भी उत्तरदायी समझा जायेगा।

— मध्यप्रदेश विधानसभा में अर्जुनसिंह
20 नवम्बर 1957

1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963 1963

1963

27 फरवरी 1963 से विधानसभा का बजट सत्र प्रारम्भ हुआ। श्री कुंजीलाल दुबे के सभापतित्व में राज्यपाल श्री हरिविनायक पाटस्कर के अभिभाषण पर सदस्य श्री लक्ष्मीनारायण अवस्थी (जबलपुर-2) ने कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ हुई। इस चर्चा में बोलते हुए सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कहा कि हमारे समाज में बढ़ती हुई आकाँक्षाओं की क्रान्ति-सी हो रही है पर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग स्थिति है। हम उन पर विकास के बने-बनाये मॉडल न थोपें। परिस्थितियों के अनुकूल ही प्लान लागू किये जायें और उनमें प्रदेश की गरीब जनता की भागीदारी हो। उन्होंने उद्योगों की स्थापना के लिए समान व्यवहार पर जोर दिया। उन्होंने इस बात की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि हम पिछले छह वर्षों में बहुत-से कानून बनाते आये हैं। अब यह देखना होगा कि जनता पर उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी मशीनरी आखिर क्या कर रही है। इनकी समीक्षा होते रहना चाहिए। श्री अर्जुनसिंह का विस्तृत वक्तव्य इस प्रकार है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। आज की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण एक विशेष महत्व रखता है। वैसे तो यह एक परम्परा है, चली आ रही है कि हर साल जो भी राज्यपाल होगा वह अपना अभिभाषण देगा और उस पर कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव प्रस्तुत होगा और उसका कोई माननीय सदस्य समर्थन करेंगे और कुछ माननीय सदस्य उसका विरोध करेंगे, परन्तु वर्तमान परिस्थिति में यह भाषण एक विशेष महत्व रखता है और उस महत्व को सदैव हमें सामने रखना चाहिये। आज प्रश्न यह नहीं है कि राज्यपाल महोदय ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है, किस-किस बात की ओर संकेत किया है और किस-किस बात की ओर संकेत नहीं किया है। आज की पृष्ठभूमि है मानव समाज की बढ़ती हुई आकांक्षाएँ हैं और उनको तृप्त करने की हमारी चेष्टाएँ व सफलताएँ, अंग्रेजी में इसे (Revolution of rising expectations) कहते हैं, यानी बढ़ती हुई आकांक्षाओं की क्रांति। इन बढ़ती हुई आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिये हमारे सामने दो रास्ते हैं एक रास्ता जो हमारा देश अपनाये हुए है, वह है प्रजातंत्र का रास्ता और दूसरा रास्ता है जिसे टोटेलिटेरिएनिज्म या डिक्टेटरशिप कहते हैं। यह दो बिलकुल साफ रास्ते हमारे सामने हैं यदि इनमें से कोई चाहे कि बच निकले तो यह उसके लिये बिलकुल असंभव है। हमारे प्रदेश के नागरिकों को, हमारे देश की जनता को अब यह निश्चय करना है कि वे किस रास्ते में आस्था रखते हैं जिसमें उनकी आस्था है उनको उसी के अनुरूप चलना है इन दोनों से बचने की कोई जगह नहीं है। यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति या किसी पार्टी का किसी एक में कोई लाभ रहा हो जिसके कारण से वह उसमें आस्था रखता है। हमारे प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले नागरिकों में कुछ नेताओं ने प्रजातन्त्र के जो मूलभूत आधार हैं उनके पालन करने में यह आस्था नहीं दर्शाई हो जो नागरिकों को प्रभावित करती, इसी कारण से वहाँ पर विरोधाभास हो गया। किसी भी तन्त्र को यदि कोई वस्तु समाप्त कर सकती है तो वह है विरोधाभास। इसी कारण से लोगों में प्रजातन्त्र की ओर से वहाँ के नेता के प्रति विश्वास न होने के कारण वहाँ के लोग प्रजातन्त्र के आचरण में अपने को नहीं ढाल सके और उनमें अविश्वास करने की आस्था बढ़ती गई। प्रजातन्त्र के सिद्धांतों को शासन कायम रखे इस पृष्ठभूमि के आधार पर

आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हो सकती है। अब प्रश्न उठता है कि उस पृष्ठ भूमि को योग्य बनाने के लिये क्या साधन अपनाये जायें, उनको हल करने के लिये कौन-कौन सी नीति अपनाई जायें, इसका दिग्दर्शन राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है। राज्यपाल महोदय ने सरकार की इस बात को बताया है कि हमारी जो भी योजनाएँ कार्यान्वित की जायें उसको कार्यान्वित करने का एक सिद्धांत होना चाहिये और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो इस देश में अति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, यदि यह भावना जनता में फैली, किसी न किसी कीमत पर फैल गई कि हर एक काम किया जा सकता है, तो यह जनता के प्रति आस्था पैदा नहीं करता है और इसकी जानकारी राज्यपाल महोदय को भी है और शासन को भी है कि इस तरह भावना जनता में नहीं फैलने पावे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इस बारे में वे अपने प्रदेश में पहला कदम उठायें कि जिससे यह कहा जाये, इस तरह का सबसे पहला कदम मध्यप्रदेश में उठाया गया ब्रिटेन में और अमेरिका में जो कि डेमोक्रेटिक देश हैं वहाँ जब सदस्य मंत्री पद सम्हालते हैं तो उनके लिए अनिवार्य है कि उनके जो शेयर्स वगैरह कंपनियों में होते हैं या शेयर्स हों जिसका कि असर शासन पर पड़े उनको घोषित करके बेच देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी मंत्री बनने के उपरान्त शेयर्स को घोषित करके या खातों को घोषित करके बेच दें या खत्म कर दें और साथ ही ऐसे संबंध जिनका असर शासन पर पड़े उनको तोड़ दें तो एक अच्छा उदाहरण होगा। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय का कोई पुत्र यदि किसी पद पर हो जिसका कि सीधा सम्बन्ध शासन से आये तो उसको उस पद पर नहीं रखना चाहिए। यदि हम कहें कि हमारे अधिकारियों को बहुत ही ईमानदारी से काम करना चाहिये और विरोधाभास नहीं करना चाहिये लेकिन मंत्रियों के पुत्र यदि उन अधिकारियों के पास जाकर कुछ कहते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं कि यह हमारी डेमोक्रेसी की मखौल नहीं तो क्या है? हमने जो इस देश में त्याग किया है और जो काम किये हैं उसकी यदि इस तरह से मखौल उड़ायी जावेगी तो इससे किसका नुकसान होगा यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद में हमारे माननीय विरोधी दल के नेता श्री वीरेन्द्रकुमार जी सखलेचा द्वारा उठाया गया लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न पर कहना चाहता हूँ कि इस पर किसी के दो मत नहीं हो सकते हैं कि अपने प्रदेश में अमन-चैन बनाये रक्खा जाये। इस प्रदेश में जो डकैती की समस्याएँ हैं और जैसा कि माननीय सखलेचा जी ने कहा है डकैती की समस्याएँ विरासत में मध्यप्रदेश को मिली हैं, तो विरासत में तो अच्छी चीजें भी मिलती हैं और बुरी चीजें भी मिलती हैं, हमें चाहिये कि बुरी चीजों को हटाया जाये और अच्छी चीजों को बढ़ाया जाये, तो मैं सखलेचा जी से कहना चाहता हूँ कि इतना तो उन्हें मान ही लेना चाहिए और इसमें तो उन्हें विश्वास करना ही चाहिए कि शासन ने डकैती की समस्याओं को कम करने में काफी प्रयत्न किये हैं और माननीय सदस्य स्वयं भी उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। अभी तक जहाँ कहीं भी वारदातें हुई हैं उनमें सुरक्षा रखने की दृष्टि से ही कदम उठाये गये हैं। सदन में भी हमने इतना ही चाहा है कि सुरक्षात्मक कदम उठाये जावें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वे अब इस समस्या पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति करें जिसका कि अध्यक्ष एक हाइकोर्ट का जज हो और उसमें एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो और एक जन प्रतिनिधि हो। इस कमीशन में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी पहलुओं पर विचार हो सकेगा जिससे कि सरकार इस समस्या के निराकरण के लिये आवश्यक कदम उठा सके।

अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कृषि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देते हुए सदन से यह अपेक्षा की गई है कि वह बजट में जो कृषि के ऊपर प्रावधान किये गये हैं उनको मान्यता दे। कृषि के विशेष महत्व की ओर राज्यपाल महोदय ने इंगित तो किया है परन्तु केवल तथ्य की ओर इंगित कर देने से ही काम नहीं चल सकता। इसका महत्व सर्वविदित है। कृषि एक ऐसा विषय है कि जो इस विषय को समझता है वही इसको चला सकता है और वही इसमें उन्नति कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, कृषि कोई जनरल मरचेन्ट की दुकान नहीं है, वह तो एक टेक्निकल विषय है और आज के युग में तो और भी टेक्निकल होता जा रहा है, जो

कि सर्वविदित है। जब तक कृषि में अनुसंधान नहीं हो होता, जब तक उसमें रिसर्च नहीं की जाती तब तक उसमें उन्नति होना मुश्किल है। मुझे आश्चर्य है कि वित्त मंत्री जी ने अपनी बजट स्पीच में भी और माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में भी कृषि के इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा और न कोई प्रावधान रखने की बात कही गई। होता क्या है कि दिल्ली से खाद आता है जो कि कृषि विभाग के द्वारा वितरित किया जाता है। कृषि विभाग यह नहीं देखता कि यह खाद छत्तीसगढ़ में लाभदायक है और गुना में नहीं है, तो गुना वालों को नहीं दिया जाना चाहिये। उनका तो कोटा बंधा हुआ है, उसके अनुसार यह वितरित कर दिया जाता है। हमें, अध्यक्ष महोदय, खाद वितरण का प्रैक्टिकल अनुभव है। हमारे विभाग के द्वारा इस संबंध में कोई खोज नहीं की जाती कि अमुक स्थान के लिये यह खाद उपयुक्त है और अमुक स्थान के लिये नहीं है, तो उनको नहीं देना चाहिये। कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिये और हर बड़ी-बड़ी इकाइयों में अनुसंधान शाला कायम की जानी चाहिये, जहाँ पर कृषि संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान किया जा सके, तभी कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हमारे किसान अब केवल उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं, मौखिक उपदेश सुनने को तैयार नहीं हैं, जब तक आप उसको कार्यान्वित करके नहीं दिखायेंगे तब तक वह आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मौखिक रूप से आप उसको अनेक बार भी कहेंगे तो वह नहीं मानेगा, परन्तु यदि एक बार भी उसको कार्यान्वित करके दिखला दिया तो फिर वह कभी नहीं भूलेगा और उसको मान लेगा और समझ लेगा कि अमुक अनुसंधान मेरे लिये लाभदायक हैं। जब तक आप उसकी गारंटी नहीं दोगे कि यह लाभदायक है तब तक वह मानने के लिये तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, किसानों को बीज वितरित कर दिये जाते हैं, कृषि अधिकारी वितरित कर देते हैं परन्तु इस बात की जाँच नहीं करते कि यह बीज अच्छा है या नहीं। जब बीज नहीं उगता और कृषि विभाग से शिकायत की जाती है तो अधिकारी यही जवाब देते हैं कि वह तो ऊपर से आया था हमें नहीं मालूम क्यों नहीं ऊगा।

अध्यक्ष महोदय, कृषि के संबंध में एक बात और कहना चाहता हूँ जो कि सर्वविदित है। मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें भूमि ज्यादा है और आबादी कम है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष में यह बड़ी समस्या है, कृषि के संबंध में इसलिये ऐसे तरीके अपनाये जावें कि जिसमें भूमि के ऊपर प्रेशर न पड़े, जैसे कि उद्योग खोलना आदि, ताकि जो लैण्ड है उसके ऊपर प्रेशर कम हो। अध्यक्ष महोदय, इसके बिलकुल विपरीत अपने प्रदेश में समस्या वर्तमान में है। मध्यप्रदेश में लैण्ड पर प्रेशर नहीं है। यहाँ पर एक तरह की गुंजाइश है जो कृषि पर लागू की जा सकती है। हमारे कृषि मंत्री जी, जो बड़े ही प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं उनसे मैं आग्रह करूँगा कि कृषि संबंधी जो प्लान बनाये जायें, वह केन्द्रीय प्लानिंग बोर्ड के द्वारा बनाये गये, मध्यप्रदेश में लागू न कर दिये जायें। जो प्लान दिल्ली से बनकर आते हैं उस पर डाटेड लाइन पर दस्तखत न कर दें। उनसे कहें कि आप ऐसा प्लान दीजिए जो हमारी परिस्थितियों के अनुकूल हो। आप बंगाल या बिहार की परिस्थितियों में लागू होने वाले प्लान को मध्यप्रदेश में लागू न कीजिए।

माननीय राज्यपाल महोदय ने सिंचाई के संबंध में संकेत दिया। सिंचाई स्कीमों का स्टीरिओ टाइप प्लान रहता है। जहाँ इतना कैचमेन्ट एरिया होगा, जहाँ इतना डिस्चार्ज होगा तभी वह प्लान लागू होगा। जब वह बनकर तैयार होता है उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर एक्सपेरिमेन्ट करने की आवश्यकता है। आप एक्सपेरिमेन्ट करने के लिये ओपेन माइण्ड रखें। आपको प्रयत्न करना होगा और प्रयत्नों के विफल होने पर उसके लिये तैयार रहना होगा। मैं अपने सिंचाई मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इस पर बोल्ड एक्सपेरिमेन्ट करें।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो अपने शासन की नीति है उस पर इस प्रदेश का जो गहन हित है, जो वाइटल इन्टरेस्ट है, उसके बारे में मौन रखा। इस प्रदेश की जनता को अखबारों के द्वारा पता चलता रहता है कि प्रदेश की क्या स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के हित के बारे में सेन्ट्रल रीजनल एडवाइजरी कमेटी में अपने प्रदेश का हित रखा। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका तनिक भी उल्लेख नहीं है। क्या हम इस परिस्थिति में पहुँच चुके हैं जिस पर सदन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कौन-सी परिस्थिति है जिसके बारे में राज्यपाल महोदय ने मौन रखा। केवल रिहन्द और माताटीला के

बिजली और पानी का ही सवाल नहीं है, ऐसी अनेकों समस्याएँ आ गई हैं। आज भी पड़ोसी राज्य इस राज्य में सर्वे करा रहे हैं, निरीक्षण करा रहे हैं जिसका शासन को पता तक नहीं है कि सर्वे हो रहा है। जब वहाँ बाँध बन जायेगा, तब क्या हम कहेंगे कि हमें बिजली दीजिए, हमें पानी दीजिए। इसलिये यह मौन मुझे बहुत खटका। मैं कहूँगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने जवाब में इस पर प्रकाश डालें।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश खनिज सम्पदा से भरपूर है। उदाहरण के लिये मैं कहता हूँ, सिंगरौली कोयले की सबसे बड़ी खदान है। संसार में चाइना की जो सबसे बड़ी 250 फुट की पट्टी है, उससे यह 3 फुट कम है। इस तरह से यह दुनिया में दूसरे नम्बर की खदान निकल रही है। दुर्भाग्य से कहिए या सौभाग्य से वह हमारे जिले में है। मुझे वहाँ आने-जाने का बार-बार मौका लगता है। मैं जानता हूँ, वहाँ की कोयला खदान का उत्पादन नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कौंसिल के हाथ में है। नेशनल कोल डेवलपमेन्ट कौंसिल के द्वारा कार्य किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह कार्य वही करे किन्तु लाइसेन्स देते वक्त हमारे शासन को आवश्यक है कि वह उनसे समझौता करे चाहे वह मौखिक करे या लेखिक करे, मैं इस बात पर इसलिये जोर देता हूँ कि इस प्रदेश की जनता को कुछ न कुछ तो लाभ हो। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि वहाँ पर जो ड्रायवर्स और क्लीनर्स बुलाये गये हैं वह भी बिहार और यू.पी. से लाकर रखे जा रहे हैं और जहाँ की गरीब जनता है जहाँ बार-बार साल दो साल पीछे अकाल की परिस्थिति रहती है वहाँ केवल दो प्रतिशत लोग काम में लिये जा रहे हैं। अभी दो साल पहले, अध्यक्ष महोदय, आसाम में कितना बड़ा दंगा हुआ था। किसलिये हुआ था? वहाँ आसाम की जनता ने देखा कि उनके यहाँ तेल आदि के बड़े-बड़े काम हो रहे हैं लेकिन उनके प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिल रहा है और उसका नतीजा रायट हुआ। इसलिए इस बात पर सावधानी बरतना आवश्यक है। यही कारण है कि मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन कर रहा हूँ कि वह सिंगरौली पहुँचें और वहाँ की स्थिति को देखें जो बहुत गरीब, आदिवासी और पिछड़ा हुआ जिला है उनको देखें कि कितने लोगों को क्या दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बहुत सुन्दर भविष्य राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने रखा है और जैसी आशा थी और जैसे कर्मठ हमारे मंत्री महोदय हैं उनको देखते हुये उज्जवल भविष्य हो सकता है लेकिन आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से अवश्य कहना चाहता हूँ कि रीजनल इम्बैलेन्स वह न करे। एक भू-भाग को ज्यादा इण्डस्ट्रियलाइज करना और दूसरे को उपेक्षित करना यह आगे बुरी परिस्थिति पैदा कर देगा और आपस में ही आगे चलकर मनमुटाव पैदा हो जायेगा। मैं कहता हूँ कि यह भावना आज विद्यमान है, चल रही है इसलिये वे इस ओर ध्यान देंगे कि इम्बैलेन्स न पैदा हो और न किसी विशेष इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ विशिष्ट व्यवहार और सुविधा हो।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, अब हमारे विरोधी सदस्यों द्वारा जो नेशनल डिफेन्स फण्ड के सम्बन्ध में आरोप लगाया गया है उस पर कहना चाहता हूँ। कई सदस्यों ने कहा कि नेशनल डिफेन्स फण्ड के लिये जबरदस्ती वसूली की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं जहाँ तक समझता हूँ व्यापक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि जबरदस्ती नेशनल डिफेन्स फण्ड की वसूली की गई मेरी सीमित जानकारी है, हो सकता है कहीं कोई घटना हुई हो। मैं शासन से अनुरोध करूँगा कि बिना हिचकिचाहट के किसी भी सदस्य ने जब विधानसभा में यह शिकायत की है तो वह चाहे बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ ही क्यों न हो उसकी जाँच कर रिपोर्ट आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो इस सम्बन्ध में कहा है उसे हम सबको मानकर उसकी जाँच होकर सदन के सामने रिपोर्ट आनी चाहिये और जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे जिले में तो ऐसी शिकायत नहीं हुई। मेरे जिले में भी वसूली हुई फिर भी मैं समझता हूँ जो शिकायत है उसके बारे में मुख्य मंत्री जी ध्यान देंगे और जाँच करवाकर उसकी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में बहुत से नये-नये कानून बनते जा रहे हैं। पिछले 6 वर्षों के आँकड़े देखे जायें तो मैं समझता हूँ प्रति वर्ष बीस-पच्चीस कानून अवश्य बनते हैं और अब तक कुल डेढ़-दो सौ बन चुके होंगे। एक एक्स्टेन्शन ऑफ लॉज से ही जाने कितने कानून बना डाले गये, कानून बनना चाहिये, हम इसी की तनख्वाह पाते हैं तो कानन बनाना हमारा काम है लेकिन उनका प्रदेश की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी

हमको देखना चाहिये। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलता। शासन का काम सुचारु रूप से चलता है या नहीं, उसके सिंहावलोकन के लिये हमारे पास कोई मशीनरी है या नहीं यह भी देखना चाहिये क्योंकि जैसा कि विरोधी सदस्यों ने कहा, लैंड रेवेन्यू कोड बिल के प्रावधानों का बहुत अनुचित उपयोग किया जा रहा है। जैसा कि डायवर्शन ऑफ लैण्ड के बारे में ब्यौहारी के माननीय सदस्य ने कहा— यह प्रावधान उस बिल में अवश्य था कि बड़े-बड़े नगरों में बड़े-बड़े कारखाने कायम जहाँ होते हैं उनमें कृषि योग्य भूमि न चली जाये इसलिये वह प्रावधान रखा गया था लेकिन वह प्रावधान इसलिये नहीं रखा गया कि अधिकारियों द्वारा, यदि किसी आदिवासी ने जंगल में अपने निर्वाह के लिये कोई कोठरी बना ली तो उसको नोटिस दे दिया जावे कि तुमने डायवर्शन कर लिया है इसलिये तुमसे लगान वसूल किया जावेगा। हमारे यहाँ जो कानून इमपैक्ट, जो देश-विदेश में, कन्ट्री में होते हैं, उनका कभी-कभी सिंहावलोकन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ऐसे विषय के संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ जो स्वस्थ परम्पराओं से संबंध रखता है। आपकी छत्र-छाया में मुझे 6 वर्ष हो गये हैं ऐसा आपने एक भी मौका नहीं जाने दिया जबकि आपने स्वस्थ परम्पराओं के संबंध में अपनी आवाज न उठाई हो। मैं यहाँ एक बात रखना चाहता हूँ। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा 23 में इफीसियेन्सी सब-कमेटी के बारे में एक मंत्री महोदय का नाम लिया गया है। कम से कम इस विधानसभा में 6 अभिभाषण मुझे राज़्यपाल महोदय के सुनने का मौका मिला और मैंने देखा कि केन्द्र में, अन्य राज्यों में और हाउस ऑफ कॉमन्स में मैंने देखा कि कभी भी थ्रोन्स की ओर से या हेड ऑफ गवर्नमेंट की ओर से किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी पर्सनल नहीं होती, इमपर्सनल होती है अगर इसको पर्सनल मान लिया जावेगा तो ठीक नहीं होगा। हो सकता है धोखे से यह आ गया हो लेकिन यह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा शासन द्वारा किया जावेगा तो उचित नहीं होगा। जिस कमेटी के सम्बन्ध में कहा गया है मैं समझता हूँ कि वह अच्छा काम करे तो जो बात मितव्ययिता और इफीसियेन्सी की कही गई है उससे बहुत लाभ हो सकता है। राज्यपाल महोदय ने जिस कमेटी का जिक्र अपने भाषण में किया है उसकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि पटल पर रख दी जावे इससे यह लाभ होगा कि हमारे मंत्रियों ने जो उसमें सजगता दिखाई है उसका पालन हमारे कर्मचारी किस तरह करते हैं यह मालूम हो सकेगा और हम सदन में उसके सम्बन्ध में मंत्रियों को सजग कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, इतना कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/5 मार्च 1963, पृष्ठ - 425-429)

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत 1963-64 के आय-व्ययक पर चल रही चर्चा में श्री अर्जुनसिंह ने प्लानिंग बोर्ड की स्थापना पर जोर देते हुए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि वह अनेक संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान की समीक्षा करे। उन्होंने पंडित नेहरू के इस कथन का सदन को स्मरण कराया कि ऊँचे पदों पर रहने वाले अधिकारी रिटायर होने के बाद उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी न करें क्योंकि वे उनके काम के लिए शासन पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने समाजवादी समाज के हित में यह बात जोर देकर कही कि हम उद्योगों का एकाधिकार न होने दें क्योंकि राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। उनका यह सुविचारित सम्वाद यहाँ प्रस्तुत है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन दिन से आय-व्ययक पर चर्चा हो रही है। इस बजट को कुछ माननीय सदस्य समाजवाद के विपरीत बजट कहते हैं और कुछ इसको पूँजीवादी बजट कहते हैं लेकिन जो ऐसा कहते हैं उन्होंने बजट के ऐसे किसी भी अंग पर ध्यान आकर्षित नहीं कराया कि जिसके कारण वे इसे पूँजीवाद या समाजवाद के विपरीत बजट कहते हैं। ऐसा कोई पहलू उन्होंने सदन के सम्मुख नहीं रखा है। जो मोटे तौर से यह आरोप लगाया गया कि डायरेक्ट टैक्सेशन और इन्डायरेक्ट टैक्सेशन दोनों की उचित अनुपात

से वृद्धि नहीं हो रही है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो कि समाजवाद और पूँजीवाद से कुछ संबंध रखता है लेकिन देश की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्वाभाविक रूप से ज्यादा बढ़ेंगे इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेशन करने के रिसोर्सेज बहुत कम हैं और जो हैं भी उनको अगर ज्यादा कर दिया जायेगा तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश में चल रहा है उस पर फर्क पड़ेगा। इस पर यह कहना कि पूरा बजट पूँजीवादी है, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं होगा। आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या का एक व्यापक दृष्टिकोण में सिंहावलोकन किया जाये। आज हमारे देश को स्वतंत्र हुए 15 साल हो रहे हैं इन पन्द्रह सालों में प्रजातांत्रिक तरीके से शासन करने की चेष्टा की जा रही है। हमारी यह चेष्टा है कि इस देश में सदैव के लिये प्रजातंत्र की नींव सुदृढ़ हो जाये तब हमें यह सोचना चाहिये कि प्रजातंत्र के लिये प्रजातंत्र के सिद्धांत पर सम्पूर्ण आस्था किन लोगों को है और किन लोगों को नहीं है, मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि यह भावना लोगों में दिनों-दिन दृढ़ होती जा रही है कि वर्तमान में जो शासकीय कर्मचारी हैं उनकी प्रजातंत्र में आस्था संपूर्ण रूप से नहीं है। वे यह महसूस करते हैं कि जिस दिन से इस देश में प्रजातंत्र आया उस दिन से उनके अधिकारों पर अतिक्रमण चालू हो गया। तो अध्यक्ष महोदय, शासन का अंग तो वह हैं उन्हीं के द्वारा तो हमारी पॉलिसीज का क्रियान्वय होना है फिर कैसे यह सदन विश्वास करेगा कि हमारे यहाँ की पॉलिसीज का प्रजातंत्र की प्रणाली से इम्पिलीमेंट किया जा सकेगा। मैं मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूँगा कि इस ओर ध्यान देकर कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करें कि डेमोक्रेसी में जहाँ उनके अधिकार सुरक्षित हैं वहाँ कर्तव्य भी निश्चित हैं। जो अधिकार और संरक्षण उन्हें मिला है वह प्रजातांत्रिक तरीके से मिला है। यदि वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं तो उनका संरक्षण हटाया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आये दिन जो छोटी-मोटी शिकायतें यहाँ पर होती हैं उनका निराकरण उचित स्थान पर किया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बजट में जो प्लान कार्यान्वित करने की चेष्टा की जाती है, प्लान की कल्पना रूप में तो होनी नहीं है, यह प्लान यथार्थ को लेकर बनाये जाते हैं, कपोल कल्पित संख्या पर आधारित नहीं होते। सांख्यिकीय विभाग प्लान की जड़ है, अगर उसमें त्रुटि होगी तो सब में गड़बड़ होगी, प्लान में गड़बड़ होगी। मैंने पहले भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय और वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। सांख्यिकीय विभाग केवल इसलिये मंत्रियों की मंशा के मुताबिक आँकड़े प्रस्तुत न करें जो वे चाहते हैं, उसको वास्तविक स्थिति को रखना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारी जो एकॉनॉमिक पॉलिसी है उस पर असर पड़ता है, जो एकॉनॉमिक प्लान है उन पर असर पड़ता है वे सही स्थिति में नहीं चल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिये बताऊँ अभी 4-6 दिन पहले हमारे राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू पधारे थे और ग्राम रक्षा सेवा दल की रैली के अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री जी का बड़ा ही ओजस्वी भाषण हुआ था, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उस समय उन्होंने जो आँकड़े दिये थे उसमें उन्होंने 21 हजार 3 सौ ग्राम पंचायतों से 17 हजार में रक्षा दल कायम हो गया है और इसके बाद जो प्रश्न पूछा गया उसमें 15 हजार की संख्या बताई, इस तरह से 2 हजार कम बताये गये।

श्री जगमोहनदास : मैंने प्रधानमंत्री के सामने जो भाषण दिया है, उसमें बाद के कुछ आँकड़े और प्रश्न का जवाब पूर्व का है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सुनकर और भी आश्चर्य होता है, जो सदन की प्रक्रिया है, और उत्तर देने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से सभी भलीभाँति परिचित होंगे और मंत्री जी भी परिचित होंगे, विधानसभा सचिवालय में कम से कम 7 दिन पहले जो प्रश्न होता है उसका जवाब आ जाता है और इसके बाद 13 तारीख को भाषण दिया, यानी इसका उत्तर विधानसभा में उत्तर भेजने के बाद में भाषण दिया।

श्री जगमोहनदास : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कुछ समझने में गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वो आँकड़े प्रश्न के उत्तर के बाद के हैं।

श्री गुलाबचन्द तामोट : क्या इनकी संख्या 7 दिन में पाँच हजार बढ़ गई।

श्री जगमोहनदास : प्रदेश भर से सूचना आती हैं पहले जो सूचना आई थी उसे प्रश्न के उत्तर में भेज दिया गया था और बाद में विभाग से जो सूचना आई उसके आँकड़े प्रधानमंत्री के सम्मुख दिये गए भाषण में सम्मिलित किये गये।

श्री अर्जुनसिंह : मैं यह नहीं समझता था कि मैं जिस भावना से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता था उस भावना को लेकर मंत्री महोदय विचार नहीं करेंगे। आपको कोई गलत जानकारी दी गई है तो आप उन अधिकारी वर्ग के खिलाफ कदम उठाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तीन दिन पहले जो आँकड़े दिये गये और तीन दिन बाद जो आँकड़े दिये गये उनमें इतना अन्तर कैसे हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे मध्यप्रदेश की एक विशेष स्थिति है। प्लान्स की स्थिति.....

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय अर्जुनसिंह जी ने कहा भी कि सांख्यिकीय विभाग से शासन चाहे जैसे आँकड़े मँगवा लेता है। इसका मतलब मैं नहीं समझ पाया। सांख्यिकीय विभाग जो आँकड़े एकत्रित करता है वह अखिल भारतीय आधार पर करता है, उसमें यह कैसे संभव हो सकता है कि चाहे जिस प्रकार के आँकड़े मँगा लिये जायें क्योंकि ग्राम पंचायतों के कुछ आँकड़े हो सकता है कि आपकी निगाह में आये हों परन्तु वास्तविक बात यह नहीं है। क्या माननीय सदस्य के पास और ऐसे उदाहरण हैं।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो वित्त मंत्री महोदय ने सांख्यिकीय विभाग की वकालत की है जो कहा मैं नहीं समझता कि सांख्यिकीय विभाग स्वयं जिम्मेदार है या नहीं। सदन में आँकड़े प्रस्तुत करने का, वैसे मंत्री महोदय चाहें तो मैं उनको एक नहीं अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। कई बार यह पूछा जाता है कि खाद के गड्ढे कितने खोदे गये कभी कुछ जानकारी मिलती है और कभी कुछ जानकारी मिलती है। इस तरह मैं उदाहरण दोहरा कर सदन का समय नहीं लेना चाहता हूँ यदि मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं उनके कक्ष में अनेक इस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। हो सकता है कि यह पंचायत विभाग का प्रकरण हो इसलिये सांख्यिकीय विभाग ने विशेष आँकड़े नहीं दिये। हमारे मध्यप्रदेश की स्थिति विशेष है और उसको पूरे रूप से सिंहावलोकन करने के लिये राज्य स्तर पर प्लानिंग बोर्ड बनाया जाये। आजकल होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट अपने-अपने डेवलपमेंट के आँकड़े भेज देते हैं और सेक्रेट्रिएट में को-आर्डिनेशन किया जाता है। फिर हर डिपार्टमेंट यह चेष्टा करता है कि जो उसके यहाँ से माँग गई है वह न काटी जाये! जिसके मंत्री जोरदार होते हैं वह तो अपनी चेष्टा कर लेते हैं जिसके मंत्री महोदय कमजोर होते हैं उनका प्रावधान नहीं हो पाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि प्लानिंग बोर्ड बनाया जाये जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में बनाया जा रहा है। और जिसकी मंजूरी प्लानिंग कमीशन ने भी दे दी है। हमारे प्रदेश में भी प्लानिंग बोर्ड बनाने की चेष्टा की जानी चाहिये। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे प्रदेश की स्थिति विशेष है उसके अनुरूप ही हमारे स्टेट की प्लानिंग हो सके। उसके लिए प्लानिंग बोर्ड बनाना जरूरी है। बजट पर भाषण करते हुए हमारे विरोधी दल के माननीय नेता ने यह कहा था कि इस बजट में इमरजेन्सी के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। उनकी इस बात को सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है और मैंने यह निश्चय किया कि चाहे तीन-चार दिन क्यों न लग जायें मैं बजट को देखूँगा। मैंने तीन-चार बार बजट को देखा वैसे तो यह स्पष्ट है कि सुरक्षा हमारे प्रदेश की विशेष रूप से समस्या नहीं है यह केन्द्रीय शासन से सम्बन्धित है परन्तु एक बात जरूर है कि सिविल डिफेन्स का जो प्रावधान होना चाहिये था परन्तु मुझे दुख हुआ जब इस संकट काल में एक नया पैसा भी सिविल डिफेन्स के लिए मुझे नहीं दिखाई दिया। माननीय मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि यहाँ पर भोपाल में, इन्दौर में, ग्वालियर में हवाई हमले का कोई खतरा नहीं है लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में मिलिट्री टारगेट नहीं हैं और क्या आप कह सकते हैं कि जहाँ मिलिट्री टारगेट हैं वहाँ आपने सिविल डिफेन्स के लिये कोई प्रावधान रखा है और अगर रखा है, तो उसको बतलाने में आपको क्या आपत्ति है।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि सदन मिनरल डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान दे क्योंकि मिनरल डेवलपमेंट इस प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है और उसको अगर हम रखे ही रहते हैं तो सम्भव है कि उसको जंग लग जाये। अभी तो ऐसा लगता है अध्यक्ष महोदय, कि वह कुंजी न केवल मंत्री जी की किसी जेब में है बल्कि वह किसी ऐसे बक्से में है जिसकी जानकारी मंत्री जी को भी नहीं है। इसके लिए 3 लाख रुपयों का

प्रावधान है जिसमें से 2 लाख रुपया तो स्टेब्लिशमेंट पर खर्च होगा और एक लाख रुपया नैसर्गिक साधनों पर खर्च होगा और मैं आशा करता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस महत्व को समझते हैं और चाहे वे इसको कह न सकते हों लेकिन उनको इस ओर ध्यान अवश्य देना चाहिये जो कि आपके देश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है और जब वह देश के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है तो क्यों उसकी इस प्रकार से उपेक्षा की जावे। उदाहरण के लिये यहाँ एक अल्युमीनियम फैक्ट्री की स्थापना की बात थी तो वह रिहन्द के पास चली गई है और उसके बाद फिर सुना अध्यक्ष महोदयं, कि हंग्री का कोई डेलीगेशन यहाँ पर आने वाला है और उसके द्वारा वह एल्युमीनियम फैक्ट्री बनेगी लेकिन उसका अभी तक पता नहीं क्या होने वाला है। इसके बाद ग्रान्ट्स इन एड विभिन्न संस्थाओं को दी जाती है और इनके बहुत से नाम हैं भारत दलित वर्ग संघ, वनवासी सेवा मण्डल, भारत सेवक समाज आदि इनको एड दी गई है। मैं इनके एड देने के खिलाफ नहीं हूँ बल्कि मैं चाहता हूँ कि पब्लिक एकाउन्ट कमेटी की जो रिपोर्ट्स् हैं इन एड के संबंध में उनको यदि हमारे मंत्री जी पढ़ लिया करें और फिर देखें तो उनको पता लगेगा कि इस तरह कितने धन का अपव्यय होता है। इन रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि केवल कुछ लोगों को प्रश्रय देने के लिए इस धन का अपव्यय किया जाता है। अभी केन्द्रीय शासन का ध्यान भारत सेवक समाज के खर्चे की ओर आकर्षित किया गया है और कहा गया है कि जो खर्चा होता है उसका अपव्यय होता है और इस प्रदेश में भारत सेवक समाज के संयोजक एक मंत्री महोदय हैं और वे बहुत ही निष्ठावान हैं तो वे इस चीज को देखें कि जो ग्रान्ट इसको दी जाती है उसके अनुरूप काम होता है या नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदय, रोड ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइजेशन के विषय में इस सदन में प्रश्नों द्वारा अन्य-अन्य समयों पर सवाल उठाये गये हैं और इस सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में भी इस सवाल पर चर्चा की है कि कानून में संशोधन करने से रोड ट्रांसपोर्ट के नेशनलाइजेशन में सरलता हो सकती है। अभी स्टेट ट्रांसपोर्ट के जनरल मैनेजर ने ग्वालियर में एक स्टेटमेन्ट दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात बार-बार इस सदन में उठाई जा चुकी है कि नीति के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण घोषणा सबसे पहले सदन में की जानी चाहिये और आपने मुख्य मंत्री का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उन्होंने नेशनलाइजेशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थीं कि जबलपुर, ग्वालियर और इन्दौर संभाग से शुरू किया जावेगा। जिस संभाग के बारे में विशेष रूप से सदन में बार-बार आग्रह किया जाता रहा है कि छत्तीसगढ़ के वायेबिल यूनिट को सबसे पहले तोड़ा जावे, परन्तु मुझे दुख है कि हमारे इस कथन के संबंध में शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं मुख्य मंत्री जी का तथा संबंधित मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि हम समाजवादी समाज की जब बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उद्योगों का एकाधिकार न होने दें क्योंकि राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते। अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष बजट सत्र में यह कहा था कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने प्रोफेसर गाडगिल के कन्वोकेशन एड्रेस के संबंध में यह आदेश दिया था कि इसमें जो कुछ कहा है उसके संबंध में कार्यवाही की जावे। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर में यह सुनना चाहता हूँ कि प्रोफेसर गाडगिल ने अपनी रिपोर्ट में बिग बिजनिस इन्टरेस्ट के किस तरह शासन पर हावी होकर शासन तंत्र में दुरुपयोग की शिकायत की थी। इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई इसके संबंध में मुख्य मंत्री सदन को सूचना देने की कृपा करें क्योंकि हम देखते हैं कि इस प्रदेश में बड़े पूँजीपतियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और उसको रोकना अनिवार्य है।

अध्यक्ष महोदय, शासन ने एक इकॉनामी कमेटी बनाई थी और बहुत ही कर्मठ और कुशल मंत्री को उसका चेयरमेन बनाया गया। उसकी सिफारिश के अनुसार एक करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। मैं इसके लिये उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कि ऐसे कुछ विषयों पर निर्णय लेने के लिये शासन से सिफारिश की कि जिससे कि फिजूलखर्ची रोकी जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि अगर उस रिपोर्ट की एक-एक प्रति हम लोगों को भी दे दी जावें तो हम लोग भी उस पर चेक रख सकते हैं कि उस पर अमल हो रहा है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी और प्रत्येक मंत्री से आग्रह करूँगा कि मितव्ययिता केवल प्लान बनाने से नहीं आती, कहने से नहीं होती, वह तो सांकेतिक कार्य करने से होती है जिससे कि समाज और जनता

पर यह असर पड़े कि शासन दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वह मितव्ययिता करेगा और फिजूलखर्ची को रोकेगा। अध्यक्ष महोदय इस इमरजेंसी के समय में 26 दिसम्बर को नागदा में राइफल क्लब का उद्घाटन हुआ। मैं जानता हूँ कि उसका ज्यादा संबंध प्रदेश के शासन से नहीं रहा है, किसी निजी व्यक्ति ने उसका आयोजन किया था जिसमें कि केन्द्र के वित्त मंत्री को आमंत्रित किया गया था, समाचार पत्रों से मुझे मालूम हुआ था कि उसमें हमारे शासन के तीन मंत्री— मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री वहाँ गये थे। अध्यक्ष महोदय, बंदूक चलाने की शिक्षा देने के लिये इमरजेन्सी के समय में उद्घाटन समारोह की क्या आवश्यकता है, यह कोई मितव्ययिता नहीं है। चाहे मंत्रियों का आने जाने में 100 रुपयों से भी कम खर्च हुआ हो या एक पैसा भी खर्च न हुआ हो परन्तु जनता के मन में क्या भावना होगी। उद्घाटन का जो क्रम है वह अब भी चालू है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ जाकर जो काम हुआ उसको पढ़कर और भी आश्चर्य हुआ। उस उद्घाटन में बंदूक चलाने को कहा गया, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने तो बंदूक चलाई परन्तु हमारे शासन के मंत्रियों ने बन्दूक चलाने से इंकार कर दिया।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : अध्यक्ष महोदय, यह इतनी बड़ी गलतफहमी है, मैं समझ नहीं सकता कि ऐसी गलतफहमी क्यों है। हमारे लिये उद्घाटन का कोई सवाल ही नहीं था और न हमको बन्दूक चलाने को कहा ही गया और न हमने बन्दूक चलाने से इंकार ही किया। हो सकता है माननीय सदस्य श्री अर्जुनसिंह जी की सूचना अखबारी हो। वहाँ पर अगर बन्दूक चलाने को कहा गया था तो केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को कहा गया था और उन्होंने बन्दूक चलाई भी। अगर मुझसे कहा जाता तो मैं भी जितना चला सकता, चलाता। वास्तव में वह मौका हमारे लिये था नहीं। अगर हम अर्जुनसिंह जी से बैठकर कोई बात करते हैं और वही न्यूज का कारण बन सकती है तो बात दूसरी है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमसे बन्दूक चलाने को वहाँ पर कहा ही नहीं गया।

श्री शाकिर अली खाँ : आप साफ क्यों नहीं कह देते कि हम बन्दूक चलाने को तैयार हैं।

श्री अर्जुनसिंह : आप ऐसा न कहिये, कहीं वह बन्दूक आपकी ओर ही न चल जाये।

श्री शाकिर अली खाँ : चले तो कहीं भी चले।

श्री अर्जुनसिंह : मेरी सूचना समाचार-पत्र के आधार पर थी। मैंने उसकी कटिंग रखी है, उसको मैं वित्त मंत्री जी को दिखला भी सकता हूँ। उन्होंने उससे इंकार भी किया है। बन्दूक चलाने, न चलाने से उतना संबंध नहीं था मेरा मतलब यह था, कि मंत्री महोदय, केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को लिख सकते थे कि क्लब के उद्घाटन के लिये आने का यह अवसर नहीं है।'

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : जिस बात पर इतना ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, उस पर माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी वहाँ पर राइफल क्लब के उद्घाटन के लिये नहीं गये हुए थे, वहाँ पर नागदा में एक बड़ी रकम भेंट की जाने वाली थी, उसके लिये ही वे वहाँ आये हुए थे, वहाँ पर 5 लाख रुपये भेंट किये भी गये थे। अब वहाँ पर दूसरे फंकशन भी हो सकते हैं। वे केवल राइफल क्लब का उद्घाटन करने वहाँ गए हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री अर्जुनसिंह : जिन महाशय की ओर से ये 5 लाख रुपए भेंट किये गये हैं, वे वहीं पर दिल्ली में रहते हैं। वे दिल्ली में ही 5 लाख रुपये भेंट कर सकते थे। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी को यहाँ पर क्यों बुलाया गया।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : यह तो देने वाले के ऊपर है।

श्री अर्जुनसिंह : जब शासन के मंत्री वहाँ जायेंगे तो उसका जनता पर क्या असर होगा, क्या उसके ऊपर भी आपने विचार किया है?

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : पिछले सोलह सालों में यह मेरा पहला मौका है जब मैं वहाँ पर नागदा में वित्त मंत्री की हैसियत से गया। इसको विवाद का विषय बनाना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि वे केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का सवाल यहाँ पर क्यों उठा रहे हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं उस प्रश्न को यहाँ पर उठा नहीं रहा हूँ, मैं केवल सांकेतिक रूप से निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री पंढरीराव कृदत्त : यह ऐसा बड़ा सवाल है जिसको माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने ऊपर ले लिया

है। आप जो खर्च करने वाले हैं, उसके ऊपर सतर्क नहीं हैं। अगर सदस्य कोई सूचना देते हैं तो उसको आप उस प्रकार से नहीं लेते हैं जिस प्रकार से लेना चाहिये, आप उसे व्यक्तिगत आरोप मान लेते हैं और अधिकारियों के संरक्षण के लिये, अपने संरक्षण के लिये ऐसा जवाब देते हैं जिससे किसी को सन्तोष नहीं होता है।

श्री मिश्रीलाल गंगवाल : आपका यह ख्याल भी सही नहीं है।

श्री गुलाबचन्द तामोट : जो वित्त मंत्री जी ने कमजोरी बताई कि वे बहुत दिनों से नागदा नहीं गये थे तो आप नागदा नहीं गये लेकिन नागदा वाले तो आते रहे। क्या आप इस इन्तजार में रहे कि मौका मिले तो नागदा जायें।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक जो बहुत बड़ा सवाल है हमारे प्रदेश में, वह एरियर्स का है। अनेक तरह के करों का लाखों, करोड़ों की संख्या में एरियर्स पड़ा है और उनको वसूल करने में शासन को विशेष रुचि दिखलानी चाहिये। उदाहरण के लिये दो दिन पहले माननीय वित्त मंत्री जी ने केवल सेल्स टैक्स 24 लाख कुछ हजार रुपया बकाया पड़ा है, यह बताया। उसी तरह पैसेन्जर टैक्स बकाया पड़ा हुआ है। उन एरियर्स को कड़ाई से वसूल करें तो हमारे घाटे में एक करोड़ रुपये की कमी तो ला सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्य मंत्री जी से कि आप इस प्रदेश के जनमानस को बनाने की चेष्टा करें। इसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति विशेष को नुकसान हो, असुविधा हो और असन्तोष हो। आप विश्वास रखिये कि आपके इन प्रत्येक कार्यों में इस सदन का प्रत्येक सदस्य समर्थन करेगा लेकिन यदि व्यक्ति विशेष की सुविधा, उसके असंतोष को सर्वोपरि रख कर काम करेंगे तो अध्यक्ष महोदय, शासन जनता में विश्वास पाने में असफल रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, एक विलक्षण केस है जो कि मेरे अनुभव में कभी नहीं आया। एक केस अदालत में चला। जज का फैसला है। सेसन जज ग्वालियर ने 16 अगस्त 1962 को फैसला किया उसका संबंध मध्यभारत रोडवेज से है। अध्यक्ष महोदय, एक विलक्षण केस है जिसमें जो मुख्य व्यक्ति श्री कोचर, जनरल मैनेजर थे, न तो श्री कोचर को अभियुक्त बनाया गया और न उनकी गवाही हुई। उनके प्रॉसीक्यूशन के बारे में प्रेस किया गया होगा और प्रॉसीक्यूशन नहीं हुआ होगा इसलिये जज को यह लिखना पड़ा होगा कि उनको पूर्णरूपेण अभियुक्त होना चाहिए था।

श्री गुलाबचन्द तामोट : अध्यक्ष महोदय, 19 मुकदमे इससे संबंधित हैं, बावजूद इसके सनसनीखेज मामला है, अभी तक शासन छिपाये है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहूँगा कि इस जजमेन्ट को सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को दिया जावे और प्रत्येक माननीय सदस्य इस पर विचार हो। यदि प्रजातंत्र में ऐसे शासकीय कर्मचारियों को इतना बड़ा संरक्षण दिया जावेगा तो कहाँ तक हम प्रजातंत्र की नींव को नीचे ले जा सकेंगे? जज ने अपने फैसले में लिखा है कि—

"It is surprising to note, that with so much of evidence, against him, the Government, has not granted sanction for his prosecution in absence of his prosecution the part, assigned to the other accused, is proportionately lessened. If he was an accused in this case, and if he wanted to explain his conduct and part, with which other accused persons are connected, and who want to take advantage of his omissions and commissions, they would have certainly been able to arrange that defence better. I do not agree with the arguments of defence that non-examination of Shri Kochar by the prosecution, after citing him a witness, has materially prejudiced the case of the defence. It was as a matter of fact for the accused, to have examined him in defence, if they wanted to take advantage of his acts of commission and omission. They cannot take advantage of the fact that the prosecution has left him out, and therefore, all acts should be presumed to be done in the official course of business.

मैं चाहता हूँ कि जो हो गया सो हो गया। यदि यह विषय एक थानेदार का होता तो दूसरे दिन डी.आई.जी.

के पास से उसे नोटिस मिलती और सजा दी जाती फिर क्या कारण है कि हम किसी तरह भी इस प्रश्न पर विचार न करें? आज आपका विश्वास क्या है, क्या कारण है कि इतने पर भी श्री कोचर को कोर्ट में ले जाकर खड़ा न किया जाये। ऐसे ही प्रकरणों के कारण अविश्वास और असन्तोष की भावना पूरे प्रदेश में फैली हुई है। यह आपका विश्वास होगा कि यह जजमेंट कुछ नहीं होगा लेकिन जनता इन चीजों को ध्यान में रखती है इसलिये हम बाध्य हैं अपना उत्तरदायित्व पूर्णरूपेण निभाने के लिये और चाहते हैं कि यह शासन सुदृढ़ हो। हम चाहते हैं कि प्रदेश की उन्नति हो और शासन सुदृढ़ हो तभी हमारी विशेष जिम्मेदारी पूरी की जा सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा उदाहरण है। 3 दिन पहले माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने सदन को नागदा म्युनिसिपल कमेटी के बारे में.....

{इसके पश्चात् सभा उपाहार के लिए स्थगित हुई तथा 2 बजे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुनः आरंभ हुई}

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान पिछले दो दिन के पूर्व की माँग स्वायत्त शासन मंत्री महोदय.....

श्री भगवन्तराव मण्डलोई : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने रोड ट्रान्सपोर्ट के संबंध में चर्चा करते हुए एक मुकदमे की चर्चा की जिसका जजमेंट 1962 में हुआ और रोड ट्रान्सपोर्ट के जो जनरल मैनेजर थे उनके फैसले में लिखा गया फिर क्यों नहीं प्रॉसीक्यूशन हुआ ऐसी एक चर्चा हुई थी। मैं सदन को आपके द्वारा बता देना चाहता हूँ कि जब यह विषय आया तब उस वक्त हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री के पास वह विषय गया और प्रॉसीक्यूशन की सेंक्शन देना या न देना तब हमारे विधि सचिव और पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे उनकी बैठक 3 या 4 दफा मुख्य मंत्री के यहाँ हुई। वह खुद एक मशहूर एडवोकेट हैं व बड़ी बारीकी से जाँच करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि इसमें प्रॉसीक्यूशन करने की मंजूरी नहीं देना चाहिये इसलिये मंजूरी नहीं दी गई और यह फैसला किया गया कि उनके ऊपर विभागीय यानी डिपार्टमेंटली इन्क्वायरी की जाये और विभागीय इन्क्वायरी की गई और उसकी रिपोर्ट भी पेश हो गई है, चूँकि श्री कोचर आय.ए.एस. होने के कारण यह मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के पास गया हुआ है। अतएव जहाँ तक इसका संबंध है इसके निस्बत मैं पूरी जानकारी देना आवश्यक नहीं समझता हूँ।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो जानकारी दी है उसके लिये मैं उनका आभारी हूँ और जो कारण थे जिनकी वजह से उसके प्रॉसीक्यूशन करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकी उसको मुख्य मंत्री जी ने बताया। वह उस समय के लिये पर्याप्त हो सकता है लेकिन किसी न्यायालय का फैसला होने के बाद जिस किसी शासकीय कर्मचारी के ऊपर न्यायालय के फैसले में विशेष रूप से कोई आलोचना या आक्षेप किया जावे तो उस पर पुनर्विचार करके उन पर पुनः मामला चलाने का सोचा जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि इसे प्रॉसीक्यूशन के लिये मंजूरी देने की इस फैसले के बाद पुनः विचार किया जाना चाहिये और इन पर कोर्ट ऑफ लॉ में कान्सप्रेसी 420 के तहत प्रॉसीक्यूशन होना चाहिये। इस तरह के जघन्य अपराधों में डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी से कोई सजा दी जा सकेगी तो शायद आप उनको रिटायर कर देंगे इसलिये मैं पुनः आग्रह करूँगा कि फैसला होने के बाद अब ऐसे कारण उत्पन्न हो गए हैं कि आप इस पर पुनः विचार करें और कोर्ट ऑफ लॉ में प्रॉसीक्यूशन करें, केवल इसमें डिपार्टमेंटल जाँच पर्याप्त नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन पहले का उदाहरण दे रहा था कि स्वायत्त शासन मंत्री के बारे में कि शासन पक्ष किस तरह गुस्से में कह सकता है। उन्होंने नागदा म्युनिसिपेलिटी के बारे में उल्लेख किया था कि नागदा में कुछ लोगों के विरोध के कारण म्युनिसिपेलिटी कायम करने में रुकावट हुई है और वह निर्णय लेंगे कि एक इन्डस्ट्रियल स्टेट है वहाँ क्या किया जाये। इन्डस्ट्रियल स्टेट हो ऐसा मैं नहीं कह सकता और इन्डस्ट्रियल होने के कारण ही वहाँ की ज्यादा पापूलेशन बढ़ी हो लेकिन जो एक तथ्य है जिसकी ओर भी मैंने संकेत किया था और आज पुनः कहना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें जनता के सामने आती हैं। एक प्रश्न के उत्तर में श्री मथुराप्रसाद दुबे ने 16 मार्च को यह बताया था कि यहाँ पर रेयन सिल्क मिल को जो नागदा में है एक करोड़ गैलन पानी जो उन्होंने

डैम बनाया है उसमें से लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि अगर वहाँ म्युनिसिपेलिटी होती तो उस म्युनिसिपेलिटी के द्वारा उक्त मिल को पानी दिया जाता यदि म्युनिसिपेलिटी मंजूर कर देती, लेकिन इस माँग को पूरी नहीं कर सके। आज भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इतना बड़ा कारखाना है उसने भोपाल बोर्ड को पानी देने को कहा होगा और जब उसने अपनी असमर्थता प्रकट की होगी तब कारखाने ने अपना डैम बनाया होगा.....

श्री जगमोहनदास : कारखाने ने जो डैम बनाया है क्या वह नगरपालिका के बन जाने पर उसका हो जावेगा?

श्री शाकिर अली खाँ : पानी का पैसा न लेना और एक करोड़ गैलन पानी लेने देना यह कहाँ का इन्साफ है?

श्री जगमोहनदास : मैं माननीय सदस्य से यह पूछना चाहता हूँ कि वहाँ नगरपालिका बन जावेगी तो क्या वह डैम नगरपालिका का हो जावेगा?

श्री शाकिर अली खाँ : उनसे एक करोड़ गैलन का पैसा लेना चाहिये, बिना पैसे के उनको पानी क्यों दिया जाता है?

श्री अर्जुनसिंह : आपने उनको डैम क्यों बनाने दिया आप खुद डैम बनाते और 37 न.पै. प्रति हजार गैलन उनसे चार्ज करते। आप जनता से भी तो 37 न.पै. प्रति हजार गैलन चार्ज करते हैं अगर आप यह उनसे भी चार्ज करते तो 3700 रु. प्रति दिन की आमदनी होती। वह डैम आप बनाते आप सुविधा दें लेकिन सुविधा देने में कोई ऐसा भाव न हो जिससे यह मालूम हो कि आप प्रश्रय देना चाहते हैं। आपको मालूम होगा कि 3, 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम इस बात के विरोधी हैं कि ऊँचे दर्जे के अधिकारी रिटायर होने के बाद किसी उद्योगपति के यहाँ नौकर हो जावें। इसका मतलब यह है कि वह उद्योगपति के कामों के लिये शासन में प्रभाव डालेंगे। मैंने जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहाँ चर्चा हो रही थी तब कहा था कि मंत्रियों के लड़के और उनके रिस्तेदार उनके यहाँ सर्विस में होते हैं जिनको आप कन्शेसन देते हैं तो यह बात जनता में आ सकती है कि वह उनके काम के लिये प्रभाव डालेंगे और अगर इस जनतन्त्र के शैशवकाल में इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में जनतन्त्र का भविष्य उज्ज्वल नहीं है। मैं कहूँगा कि कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है, आलोचना करने खड़ा न हुआ हो और जिसने आलोचना न की हो। क्या आप जनता को इस जगह लाकर खड़ा करना चाहते हैं जहाँ वह यह कहने को बाध्य हो जाये कि :—

For the forms of Government let fools contest, that Government is best that rules the least.

अगर यह चाहते हैं तो प्रदेश के जनतन्त्र का नहीं एकतन्त्र का भविष्य उज्ज्वल होगा। मुख्य मंत्री जी यहाँ नहीं हैं वह इस पर विचार करें और ऐसी बातें करें जिससे जनता की शिकायतों का निराकरण हो सके और हम बापू के बनाये हुए मार्ग पर चल कर उनके सपनों को साकार बनाने में सफल हों और उन कर्तव्यों का पालन कर सकें जिनके लिये उन्होंने अपने प्राण दिये।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/18 मार्च 1963, पृष्ठ/1084-1091)

1963-64 के आय-व्ययक पर मतदान। मुख्य मंत्री श्री भगवन्तराव मण्डलोई ने अपने विभागों से संबंधित माँगें प्रस्तुत कीं जिनमें वाहनों पर कर, राज्याध्यक्ष, मंत्रीगण तथा सचिवालय पर खर्च, पुलिस व्यवस्था, प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन, भारतीय राजाओं के निजी व्यय तथा भत्ते आदि विषयों पर माँग रखी गयी। इस पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए और चर्चा प्रारंभ हुई। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने एक प्रजातांत्रिक सुझाव रखा कि शासन को जनता की शिकायतें दूर करने के लिए विरोधी दलों के सुझाव सुनना चाहिए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया कि मंत्रीगणों के रिश्तेदारों या लड़कों को उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी न दिलायी जाये।

इसी चर्चा के दौरान सदस्य श्री सुन्दरलाल पटवा ने 'भारत हृदय बैले' को अनावश्यक निरूपित किया, इस पर श्री अर्जुनसिंह ने कहा— "यदि संकीर्ण विचारों के आधार पर कला की विशेषता पर विचार किया जायेगा तो भारतवर्ष में कला के लिए यह बड़ा दुर्दिन होगा।" उन्होंने यह भी

कहा कि इस बैले में ज्यादा लोग बंगाल या मद्रास से आये और यहाँ के दस-पाँच आदमी ही हैं इसलिए वह कला अच्छी नहीं है यह कहना अनुचित है। यह चर्चा इस प्रकार है—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, जनसंघ के विधायक श्री सुन्दरलाल पटवा का भाषण आज आत्म हत्या से शुरू होकर आत्म ग्लानि पर समाप्त हुआ। इस तरह का मनोभाव रखने वाले माननीय सदस्यों को किसी बात को अच्छी तरह से समझने की जो कठिनाई है, वह कितनी बड़ी है, इसे आप खुद समझ सकते हैं। उन्होंने विधानसभा में बोलते हुए इस बात का जिक्र किया कि शासन किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ या हानि पहुँचाने के कदम उठा रहा है। मैं माननीय सदस्य के इस कथन का सोलह आने समर्थन करता हूँ कि यदि ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए। शासन तन्त्र को किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष को दबाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, यदि इस प्रकार की कोई चेष्टा की जाती है तो वह प्रजातन्त्र के विपरीत है लेकिन मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि जिस चुनौती का उन्होंने उल्लेख किया है, उस चुनौती को हम लोग छुपाना नहीं चाहते, न उसके बारे में शंका है, न उसके बारे में कहने में संकोच है, न शर्म है। वह चुनौती हमारे नेता ने स्वीकार की है और उस नेता के प्रत्येक अनुयायी ने स्वीकार की है, हमने स्वीकार की है। वह चुनौती आपसे संघर्ष के कारण नहीं, वैमनस्य के कारण नहीं बल्कि इस देश में एक ऐसे प्रशासन को जन्म देना, एक ऐसे समाज की रचना के लिये कार्य करना है जिसमें न किसी कुल का सवाल है और न यह सवाल है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। उसमें आप हमें पंचतन्त्र के छोटे-मोटे श्लोक और चुटकुले सुनाकर विचलित नहीं कर सकते। इस समय प्रश्न केवल इस बात का है कि हमने अपने देश में प्रजातन्त्र स्थापित करने का संकल्प किया है और मैं मानता हूँ कि विरोधी दल के बैठे हुए प्रत्येक सदस्य का वह संकल्प है। अगर है तो आवश्यक है उस संकल्प की पूर्ति के लिये समय और एक दूसरे के प्रति साधारण तौर पर विश्वास रखना चाहिये, उसका प्रदर्शन विधानसभा में करें, बाहर करें। देखने में यह आया है कि उस संयम और विश्वास का लोप होता जा रहा है जो विरोधी दल, शासकीय दल में होना चाहिये। छोटी-छोटी बातों को लेकर एक विकराल रूप देना उस विश्वास का द्योतक नहीं है जो प्रजातन्त्र में रखना चाहिए। क्या नीमच और या दूसरी छोटी-बड़ी जगह किसी एक पुलिस अधिकारी या अन्य शासकीय अधिकारी के द्वारा किया हुआ जघन्य काम पूरे शासन को बदनाम करने के लिये पर्याप्त है? मैं जानना चाहता हूँ कि यदि एक व्यक्ति ने कहीं पर गलती की है तो लांछन लगाना और लांछन ही नहीं बल्कि नीयत पर आघात करना क्या आपके शुद्ध मनोभाव का द्योतक है, यदि ऐसा उनका कहना है तो निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपनी मनोभावना को टटोलें। जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है वह प्रजातन्त्र को नहीं बढ़ाता है....।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितनी घटनाओं का उल्लेख किया है, क्या वे अपर्याप्त हैं?

श्री अर्जुनसिंह : मैं कहता हूँ कि जिन घटनाओं का वर्णन किया है वह इस बात को कहने के लिये अवश्य पर्याप्त हैं कि मुख्य मन्त्री जी या शासन इन घटनाओं को करने के लिये शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहन देता है, यह बात आपने जिम्मेदारी से नहीं कही है। अगर इन घटनाओं पर शासन कार्यवाही नहीं करता है और दण्ड नहीं मिलता है तो उन व्यक्तिगत कर्मचारियों के प्रति शासन का जो कर्तव्य है उसको नहीं निभायेगा लेकिन यह कहना कि जिन घटनाओं का उल्लेख किया है वह शासन की प्रेरणा से की गयीं हैं, तो मैं कहूँगा कि प्रजातन्त्र को अच्छी तरह से चलाने में हमारा हाथ नहीं बँटा रहे हैं बल्कि उन वर्गों को बढ़ा रहे हैं जो प्रजातन्त्र को लोप करने में सतत प्रयत्न कर रहे हैं। 6 दिन से विधानसभा में बहस हो रही है, राज्यपाल के भाषण पर बहस हुई। जनरल डिबेट पर बहस हुई। बार-बार हमारे सामने एक प्रश्न आता है और वह है प्रशासन को जनतंत्र में किस हद तक रिस्पांसिव होना चाहिये, किस हद तक जनता की जरूरतों के प्रति सजग रहना चाहिये। इसके बारे में करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इस विषय पर वह माननीय विरोधी दल के नेता महोदय को और वह खुद अपने दल के दो-दो सदस्यों को यदि वह चाहें तो और शासन के दूसरे अधिकारियों को बुलाकर एक कान्फ्रेन्स करें और उसमें जो चीज पास हो उसको लागू करने की चेष्टा करें ताकि जो यह शिकायत है, शासन के रिस्पान्स की शिकायत है वह नहीं मिलनी

चाहिये। यदि ऐसी मीटिंग बुलायेंगे तो उसमें विरोधी दल के नेता अपने सजेशन देंगे ताकि वह घटनाएँ नहीं हो सकें।

श्री सुन्दरलाल पटवा : हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर एक सवाल लॉ एण्ड आर्डर का, सुरक्षा के सम्बन्ध में कहा जाता है। अध्यक्ष महोदय, डाकू समस्या के बारे में आपने स्वयं एक स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय देते समय कहा कि यह ऐसा व्यापक सवाल है जिस पर आप मुख्य मंत्री जी से मिलकर स्वयं चर्चा कर लें फिर विचार किया जा सकता है। मैं दो-तीन बातें आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहता हूँ जैसा कि प्रत्येक माननीय सदस्य मन्जूर करते हैं कि डाकू समस्या केवल सुरक्षा की समस्या नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में अन्य चीजें हैं जिसके कारण वह समाप्त नहीं हो सकी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उन समस्याओं के लिये उतनी लगन से ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। जैसा कि यहाँ पर एक घटना को विकृत रूप देकर शासन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अगर आप उसके महत्व को समझते हैं तो आप मुख्य मंत्री जी से और अधिकारियों से चर्चा करें और उसके कारणों की खोज करने की चेष्टा करें कि हम किस प्रकार उस पर काबू पा सकते हैं।

मैं शासन से निवेदन करूँगा कि इस पर व्यापक रूप से विचार करने के लिये प्रयत्न किया जाये कि हमें क्यों इस कार्य में ज्यादा सफलता नहीं मिली है। मैं आशा करता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और ऐसा कमीशन गठित करेंगे जिससे जनता संतुष्ट हो सके। हमारे सीमित साधन हैं उसके अनुसार कोई प्रयत्न ऐसे नहीं हैं जो उठा न रखे हों।

अध्यक्ष महोदय, माननीय पटवा जी ने केवल चलते-चलते भारत हृदय का उल्लेख करके कुछ नाट्य नृत्य के बारे में दो शब्द कहे.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : आपने सुन तो लिया अब आप उससे ज्यादा क्या कहेंगे?

श्री अर्जुनसिंह : आपने अपने मन की बात कही, अब आप मेरे मन की बात तो सुन लें। अध्यक्ष महोदय, इस नाट्य नृत्य के बारे में आलोचना इस विधानसभा में हुई। कुछ आलोचना उस समय हुई जब अखबारों में लोगों ने पढ़ा कि नाट्य नृत्य होने वाला है। कुछ आलोचना पटवा जी ने आज की जब कि वह नाट्य नृत्य देख चुके हैं....

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने नहीं देखा, मैंने देखने की जरूरत नहीं समझी, वह अनावश्यक है।

श्री अर्जुनसिंह : आप देख चुके हैं ऐसा समझकर मैंने कहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में 2-3 चीजें मुख्य तौर पर सदन को देखना चाहिये, वैसे तो मैं इसका उल्लेख नहीं करता लेकिन जब माननीय सदस्य ने बार-बार यहाँ उठाने की चेष्टा की तो मैं भी उस पर अपने कुछ विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ। कुछ तथ्य इसके पीछे हैं। पहला तथ्य यह है कि यह हार्ट ऑफ इन्डिया, किताब इस प्रदेश के पब्लिसिटी डायरेक्टर ने लिखी इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। दूसरा तथ्य यह है कि हार्ट ऑफ इन्डिया, भारत का हृदय जो यह टाइटिल है इसके नाम से एक नाट्य नृत्य तैयार किया गया, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त बाकी जिन सदस्यों ने उल्लेख किया वह जानकारी से सत्य नहीं लगती। यह कहना कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी ने इसको लिखा है लेकिन वह लिखने के पात्र नहीं हैं, तो वास्तव में उन्होंने इसको लिखा नहीं केवल किताब की टाइटिल को उपयोग में लाये हैं। नाटककार तो कोई दूसरे महोदय हैं। अब उन महोदय के सम्बन्ध में जानकारी न हो और उनके गुण दोष पर विचार करें, यह संगत नहीं लगता।

श्री सुन्दरलाल पटवा : मैंने तो इसके गुण दोष पर चर्चा नहीं की। मेरा तो कहना यह था कि वह इस समय अनावश्यक और असामयिक है।

श्री अर्जुनसिंह : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूँ। कई माननीय सदस्यों ने जो कहा है उस पर कह रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, जिसके सम्बन्ध में हम नहीं जानते उसके बारे में यहाँ कुछ कहना न्यायसंगत नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिसिटी इस शासन के एक कर्मचारी हैं और इस विधानसभा के अन्तर्गत शासन के एक कर्मचारी हैं, इसलिये यदि उन्होंने इस हार्ट ऑफ इण्डिया के द्वारा एक पैसे का भी अनुचित लाभ उठाया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही जरूर होनी चाहिये लेकिन अगर उन्होंने कोई लाभ नहीं उठाया

है तो दोषारोपण उन पर करना हम लोगों के लिये उचित नहीं है। अब प्रश्न यह जरूर आता है कि कहाँ तक यह एक उच्च कला है और कहाँ तक निम्न कला है। मैं तो कला के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। केवल इतना जानता हूँ कि साधारण से साधारण व्यक्ति का हृदय भी यदि सामने कोई चीज दिखाई गई तो उसके प्रति थोड़ा-सा प्रेम उत्पन्न हो और उसके प्रति कुछ सोचने के लिये साधन मिलें। इतना ही मैं जानता हूँ। मैं तो.....

श्री देवीसिंह पटेल : कला का समय हुआ करता है। इस समय ऐसी कला की क्या आवश्यकता है।

श्री अर्जुनसिंह : माननीय देवीसिंह जी एक ऊँचे कलाकार और पेन्टर हैं। वह समझ सकते हैं लेकिन कला की निन्दा करना अच्छा नहीं है। खासतौर से यह कहना कि मुख्य कलाकार तो बंगाल से आये या मद्रास से आये और यहाँ के दस-पाँच ही आदमी हैं इसलिये वह कला अच्छी नहीं है, यह उचित नहीं है और यदि इन संकीर्ण विचारों के आधार पर कला की विशेषता पर विचार किया जायेगा तो भारतवर्ष में कला के लिये यह बड़ा दुर्दिन होगा। मैं यह नहीं जानता कि जो लोग बंगाल या मद्रास से इसमें आये वे लायक हैं या नहीं लेकिन महज इसलिये कि वे वहाँ से आये हैं, इसलिये यह कला अच्छी नहीं है, यह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ। वह है प्रशासन में चुस्ती लाने से सम्बन्धित, जो दो-चार कदम शासन ने उठाये हैं। आपको मालूम है कि इस प्रदेश में लगभग 5 साल पहले एक एन्टी करप्शन बोर्ड बनाया गया था और एक ऊँचे पुलिस अधिकारी उसके एक्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किये गये थे। मैं मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूँगा कि प्रतिवर्ष उस बोर्ड के कार्यालय की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होनी चाहिये। जैसी रुचि और जैसी आशा इस विधानसभा में व्यक्त की गई है, यह उसके अनुरूप ही होगा यदि एन्टी करप्शन बोर्ड के कार्यकलाप विधानसभा में प्रस्तुत किये जायेंगे कि इस बोर्ड ने कितने केसेज इनवेस्टीगेट किये और उनका अन्तिम निर्णय क्या हुआ।

अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में श्री पटवा जी ने जो प्रस्ताव रखा और उसके साथ मेरा भी नाम जोड़ा उसके विषय में भी दो शब्द कह देना चाहता हूँ। मैंने जो यह सुझाव दिया था किसी व्यक्ति विशेष पर आक्षेप रूप में नहीं किया था। मैं आभारी हूँ माननीय पटवा जी का कि उन्होंने भी उसे उसी रूप में ग्रहण किया और मैं यह भी कह सकता हूँ कि मुख्य मंत्री जी ने भी उसे उसी रूप में लिया है जिस रूप में मैंने वह सुझाव रखा था क्योंकि मुख्य मंत्री जी की सदैव यह चेष्टा रही है कि इस प्रदेश में निष्पक्ष और निष्ठावान शासन कायम किया जाये। मैं यह जानता हूँ कि उनकी यह मान्यता है जिसका समय-समय पर आभास मिलता रहा है कि प्रजातन्त्र में पद व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के लिये नहीं सेवा के लिये होता है। तब यह आवश्यक है कि इस स्वस्थ परम्परा को इस प्रदेश में डालकर पूरे देश के लिये एक आदर्श कायम किया जाये, परन्तु इसके ऊपर न तो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में और बजट भाषण पर ही कोई प्रकाश डाला गया है इसलिए मैं इस आशा से पुनः इस प्रस्ताव को रखना चाहता हूँ कि वह इस पर अपने मत प्रकट करने की कृपा करेंगे कि जिससे इस प्रदेश में ऐसी परम्परा डाली जाये कि मन्त्री महोदय के रिश्तेदार या लड़कों को किसी भी उद्योगपति के यहाँ नौकरी न दिलायें इस प्रकार की परम्परा स्थापित करें जिससे समूचे देश के लिये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। इन सब बातों पर विचार करके मैं चाहता हूँ कि सदन इन माँगों को स्वीकार करे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/20 मार्च 1963, पृष्ठ/1300-1303)

श्रममंत्री श्री व्यंकटेश विष्णु द्रविड़ ने राज्यपाल महोदय के लिए राज्य की संचित निधि से कृषि, पशुपालन, श्रम तथा सेवा नियोजन, कृषि योजनाओं और बहुउद्देशीय नयी योजनाओं के लिए माँगें प्रस्तुत कीं। इन माँगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। सदस्य श्री अर्जुनसिंह ने कृषि की समस्याओं पर चर्चा में भाग लेते हुए खेती पर नयी शोध की हिमायत की तथा पंचायतों और सहकारिता विभाग की भूमिका को रेखांकित किया। उनका वक्तव्य इस प्रकार है:—

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, कृषि की माँग पर यह चर्चा का दूसरा दिन है और इसके महत्व को सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य ने भलीभाँति समझा है यह इस प्रदेश के किसानों के लिये बड़े हित की बात है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य किसानों के प्रति यह भावना रखता है कि उनकी बातों और उनकी समस्याओं को सुलझाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : परन्तु मिनिस्टर साहब तो विचार नहीं करते हैं।

श्री अर्जुनसिंह : मैं मिनिस्टर साहब के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर टेक्निकली कहें तो वह लेबर के वर्कर रहे हैं और इसकी उनको जानकारी है और हम यह भलीभाँति कह सकते हैं कि अन्वेषण की दृष्टि से उन्होंने इस विभाग का संचालन करना प्रारम्भ किया है उसमें किसी को शक नहीं हो सकता है। जो समस्याएँ उनके सामने आती हैं वह उन पर विचार करते हैं। गतिशील होने के बारे में कहा गया है कि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुई चर्चा में कहा था इसमें रिसर्च होना चाहिये। मुझे हर्ष है कि मंत्री महोदय ने प्रथम बार, मैं प्रथम बार पुनः कहूँगा कि प्रत्येक संभाग में एक अनुसंधान शाला रखने का प्रावधान किया है, इसका नतीजा 2, 4 साल में भले ही न निकले 6, 7 साल में आप देखेंगे कि प्रत्येक संभाग में जो नतीजा आयेगा उसका लाभ कृषक लोग उठा सकेंगे।

अब मैं एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में कहूँगा। वहाँ जो रिसर्च होती है वहाँ जो अनुसंधान शाला चल रही है उनको एग्रीकल्चर कॉलेज से अटैच कर दिया जावे.....

अध्यक्ष : इनको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ अटैच क्यों न कर दिया जावे।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी तो एक ही जगह रहेगी, वहाँ फण्डामेंटल रिसर्च हो सकती है, लेकिन सवाल एप्लाइड रिसर्च का है, जो किसानों के रोजमर्रा काम में आती है। हम देखते हैं कि फण्डामेंटल रिसर्च इंग्लैंड में होती है। अनेक राष्ट्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से एप्लाइड रिसर्च होती है यही कारण है कि अमेरिका में एप्लाइड रिसर्च बढ़ जाने से धन-धान्य पैदा करने में अग्रसर हुआ और उसके सामने यह समस्या हो गई कि वह इसको कैसे पूरा करे। जो कृषि विद्यालय हैं उनमें जोर दिया जावे कि वहाँ रिसर्च किया जावे जो उस संभाग के लिये काम आ सके। ग्वालियर में अगर नारंगी की रिसर्च होगी तो वह ग्वालियर में काम नहीं आवेगी। जबलपुर में काम देगी। तो नारंगी की रिसर्च जबलपुर में होना चाहिये और ग्वालियर संभाग में काम आने वाली ग्वालियर में उन समस्याओं से संबंधित वहाँ रिसर्च हो। मंत्री महोदय इस तरह का प्रावधान केरिकुलम में रखने की कृपा करें।

दूसरा प्रश्न कोऑरडीनेशन का है। बिना कोऑरडीनेशन के एग्रीकल्चर में यदि आप अपनी तरह से चाहें तो सुधार नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में, माइनर इर्रीगेशन, इर्रीगेशन और वेटेरिनरी का कोऑरडीनेशन होना जरूरी है। वेटेरिनरी का जहाँ तक सम्बन्ध है वह एग्रीकल्चर विभाग के अन्तर्गत ही है। उसका सम्बन्ध आसानी से हो सकता है, लेकिन इर्रीगेशन और एग्रीकल्चर का समन्वय कैसे होता है इसका भान हमें नहीं है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का सवाल है, उसमें माइनर इर्रीगेशन का बहुत महत्व है, जिस पर कि धन बहुत कम व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा जहाँ साधनों के अभाव में एग्रीकल्चर सफर करता है, मैं अपने जिले की ही बात कहता हूँ, वहाँ चार-पाँच साल में साइकिल के रूप में अकाल की स्थिति आती है माननीय चन्द्रप्रताप जी तिवारी जो विरोधी पक्ष के नेता हैं जिन्हें इसकी पूरी जानकारी है, मेरी बात का समर्थन करेंगे, वहाँ के लिये (सीधी जिले के लिये) प्रावधान बहुत कम रखा गया है। यदि कृषि विभाग पर समन्वय का भार होता तो वह यह कह सकते थे कि इस क्षेत्र को चार-पाँच साल में अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है इसलिये प्राथमिकता ऐसे स्थानों को देना चाहिये। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन दोनों विभागों के समन्वय की नितान्त आवश्यकता है।

मुझे एक बात और यह कहना है कि एग्रीकल्चर की विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में, इन स्कीमों के जरिये जो साधन किसानों को उपलब्ध कराना चाहते थे, वह समय पर उपलब्ध नहीं करा सके हैं। इसका कारण क्या है यह मैं नहीं कह सकता। व्यवहारिक रूप में हम यह देखते हैं कि जहाँ एक शीप फार्म खोला गया है वहाँ एक वेटेरिनरी के डॉक्टर को इंचार्ज बनाया गया है। उस डॉक्टर को केटिल्स की बीमारियों की तो जानकारी हो सकती

है लेकिन भेड़ों की बीमारी का ज्ञान उसे नहीं होता, इसलिये वह उनकी उचित देखभाल नहीं कर सकता। इसी तरह कुक्कुट पालन केन्द्रों में स्टॉकमैनों को इंचार्ज बना कर रखा गया है, उन केन्द्रों को किस तरह चलाना है, उसकी पूरी जानकारी उस स्टॉकमैन को नहीं होती। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, मैं चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय उनकी तरफ ध्यान दें और उचित व्यवस्था करें। यह समस्याएँ किसानों से संबंधित हैं। अभी कुछ दिन पहले संकेत रूप में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि हम चाहते हैं कि इन पुराने हलों की किसान होली जला दें। उनके कहने का मतलब यह नहीं था कि लाल परेड ग्राउंड पर हल इकट्ठे करके उनकी होली जला दी जाये। हमें खुले दिमाग से उस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार हम थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा उत्तम साधन किसानों तक पहुँचा सकते हैं। इससे मैं समझता हूँ कि सहकारिता विभाग और पंचायातों का बड़ा योगदान हो सकता है। शायद आगे चलकर जब पंचायतों का नया प्रावधान लागू होने पर पंचायतों में गति आयेगी तब सफलतापूर्वक पंचायतों और सहकारिता विभाग के माध्यम से इस तरह साधन किसानों तक पहुँचाये जा सकें।

अन्त में, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि जैसा मेरे पूर्व वक्ता रघुवंशी जी ने कहा कि फ्लोर प्राइज हमें किसानों के हित में फिक्स करना आवश्यक है। बिना इसके किसान हर वक्त मारा जाता है। टैक्सेशन का भार भी अन्त में जा कर किसानों पर पड़ता है और उसको अपनी उपज के उपयुक्त दाम नहीं मिल पाते हैं।

मैं आशा करता हूँ कि मन्त्री महोदय इस कठिनाई की तरफ ध्यान देकर उपयुक्त व्यवस्था करने की कृपा करेंगे।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/26 मार्च 1963, पृष्ठ - 2103-2105)

वित्त मंत्री श्री मिश्रीलाल गंगवाल द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक (क्रमांक-2) 1963 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए श्री अर्जुनसिंह ने यह व्यावहारिक प्रश्न उठाया कि शासन इस बात पर विचार करे कि सर्विसेज के लिए जो नियम लागू किये गये हैं उनसे संतोष का वातावरण निर्मित हुआ है या नहीं। उन्होंने मंत्रिगणों द्वारा बरती जाने वाली मितव्ययिता का प्रश्न भी उठाया साथ ही अपने उन प्रश्नों को सदन में फिर दुहराते हुए प्रस्ताव रखा कि मंत्रीगण अपने उन शेयर्स की घोषणा करें जो शासन से संबंधित हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री से वक्तव्य देने का आग्रह भी किया —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने शासन के कुछ मुद्दों की ओर वित्त मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है जिनके लिये सदन पिछले पाँच-सात दिनों में अनुदान की माँगें स्वीकृत कर चुका है। यदि सदन में इन माँगों पर हुई चर्चा का सिंहावलोकन किया जाये तो दो-तीन बातें मुख्य रूप से सामने आती हैं, मैं चाहता हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी नये साल के लिये रुपया खर्च करते समय उस पर विशेष ध्यान रखें।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात जो सामने आती है वह यह है कि हमारे यहाँ की सर्विसेज, उनकी कर्त्तव्यपरायणता और उनके कार्य करने का तरीका कहाँ तक प्रजातन्त्र के अनुरूप है या कहाँ तक उनके विपरीत है। मैं समझता हूँ, मुख्य मंत्री जी इस विशेष विषय को महत्व देंगे, खास कर आज की इस दुर्घटना के बाद। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें यह गौर करना होगा कि हमें सर्विसेज से संतोष क्यों नहीं मिल रहा है। हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि जो हमारी सर्विसेज की कण्डीशन्स हैं क्या उनसे वह सर्विसेज सन्तुष्ट हैं और जो नियम हमने उनके ऊपर लागू किये हैं क्या वह उनसे भी संतुष्ट हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक सर्विसेज के लिये संतोषजनक वातावरण का निर्माण नहीं होगा उनमें पूरी एफीशियेन्सी नहीं आ सकेगी। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि सन् 1956 से जब से नया मध्यप्रदेश बना है सर्विसेज के इन्ट्रीग्रेशन का काम हाथ में लिया गया है लेकिन आज सन् 1963 में भी शासन की तरफ से यह नहीं कहा जा सकता कि एकीकरण का कार्य पूर्णरूपेण पूरा किया जा चुका है। अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि इसके जवाब में हमें एक लिस्ट दी जाये और यह बताया जाये कि अमुक-अमुक विभाग में इस हद तक हम पहुँच चुके

हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, केवल इस तरह की कोई लिस्ट निकाल देना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमें उसमें यह देखना होगा कि उस लिस्ट को फाइनल इंट्रीग्रेशन के अनुरूप ढालने की चेष्टा की गई है या नहीं। यदि इस तरह के तथ्य सर्विसेज के सामने आयेंगे और उसके कारण उन्हें असंतोष होगा तो यह सदन कैसे आशा करे उन सर्विसेज से कि वे संतोषप्रद शासन चलाने में सक्षम होंगे? यदि आप उदाहरण चाहें तो प्रस्तुत कर सकता हूँ जहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कहीं-कहीं रीजनल बेसिस पर, रीजनल ग्राउन्ड्स पर इस तरह की कार्यवाहियाँ की गई हैं जो बिलकुल न्यायोचित नहीं है और प्रक्रिया द्वारा निर्धारित जो सर्वोच्च संस्था है उसके अंतिम निर्णयों के प्रतिकूल काम किया गया है। जैसे एस.आर.सी. में विदित है कि सब अपीलें सेंटर में जाती हैं, वहाँ इसके लिये एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है लेकिन वहाँ के निर्णयों को नहीं माना गया है। कई प्रकरणों में जब ऐसी अवस्था होगी तो सर्विसेज के अन्दर असंतोष बढ़ना और शासन तंत्र में उसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। मैं मुख्य मंत्री जी से आशा करूँगा कि वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे प्रदेश पर एक दफा कलंक लग चुका है जो देश भर में कहीं नहीं हुआ वैसा हमारे प्रदेश में हुआ है, जब सिविल सर्विस द्वारा स्ट्राइक हुई है। उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये, इसकी तरफ मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी का ध्यान होना चाहिये। इस तरह के असंतोष को दूर करने के लिये कदम उठाना चाहिये, जैसे विटले कमेटी की चर्चा की गई थी उसी तरह की कमेटी चाहे अप्वाइंट की जाये और जो छोटे-छोटे मामले हैं उनमें सर्विसेज को संतोष दिलाया जाये।

दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुआ इस बजट के दौरान में वह था जनता की जो कठिनाइयाँ हैं, शिकायतें हैं, उसका निराकरण कैसे होता है? सामान्य चर्चा में भाग लेते समय और उनके अन्य विभागों की चर्चा के दौरान मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया था और पुनः दोहराना चाहता हूँ, वैसे संकोच होता है पुनः-पुनः दोहराने में किन्तु जैसा विरोधी दल के नेता ने कहा, कुछ दुख होता है, जब ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में शासन मौन रहता है तो दोहराकर संतोष करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं रहता है.....

श्री सुन्दरलाल पटवा : आप दोहरायेंगे और वित्त मंत्री जी नियम की पुस्तिका लेकर बताने के लिये खड़े हो जायेंगे।

श्री अर्जुनसिंह : इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसकी रिमेडी के बारे में शासन को विशेष रूप से प्रयत्न करने की आवश्यकता है और चूँकि इसका संबंध शासन तंत्र में चुस्ती लाने से है इसलिये इसमें पार्टीबाजी का प्रश्न नहीं उठता है। तो मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि सदन की बैठक समाप्त होने के पश्चात् विरोधी दल के नेताओं के साथ स्वयं बैठकर एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करने की कोशिश करें, ताकि छोटी-छोटी जो शिकायतें हैं वह ज़िला स्तर पर ही दूर हो सकें और विधानसभा में न आयें क्योंकि अभी यहाँ ऐसी-ऐसी बातें लाकर कहनी पड़ती हैं जिनका निराकरण नायब-तहसीलदार के यहाँ हो सकता है। यदि उसके पास ऐसे सर्कुलर हों कि उसका निराकरण होना चाहिये तो हो सकता है। इसलिये मैं आग्रह करूँगा कि इस बात को विशेष महत्व देना चाहिये और ऐसी कांफ्रेन्स बुलावें और एक कोड ऑफ कंडक्ट इवाल्व किया जाये।

दूसरा प्रश्न आया खर्च के बारे में। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में एक प्रश्न उठा कि माननीय मंत्री महोदयों के घरों में कितनी बिजली खर्च होती है? उसकी क्या प्रतिक्रिया देश में हुई वह आप से छिपी नहीं है। लोकसभा में उसके ऊपर क्या चर्चा हुई और सदन के सब तबकों के माननीय सदस्यों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई, यह भी सर्व-विदित है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, अपने यहाँ भी इस संबंध में प्रश्न पूछा गया और उसकी सूचना माननीय शुक्ल जी ने दी। केन्द्र के गृह मंत्री के उदाहरण को हमारे मंत्रिमंडल के कौन से मंत्री अनुकरण करना चाहेंगे, यह उंनकी आस्था पर छोड़ता हूँ, लेकिन उनसे इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि यह कोई टाल देने वाली बात नहीं है और खास कर आज की परिस्थिति में जबकि रोज-रोज कहना पड़ता है एक-एक पाई पर कड़ी नजर रखनी चाहिये, उस वक्त कहीं पाँच-छः सौ रुपया महिना केवल बिजली पर खर्च हो, चाहे किसी कारण से हो, यह ठीक नहीं है, इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है, इसको दुर्लक्ष्य नहीं किया जा सकता। मैं आशा करूँगा कि माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में सहयोगी मंत्रियों से परामर्श करेंगे और कोई उपाय निकालेंगे ताकि इस खर्चे को कम किया जा सके और उसकी सदन को जानकारी देंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात्, माननीय विरोधी दल के नेता ने नियोगी कमीशन की चर्चा की। यह प्रश्न कई दफा माननीय दल के नेता ने उठाया, अन्य लोगों ने भी उठाया। मैंने नियोगी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है और मेरी राय उसके बारे में यह है कि नियोगी कमीशन ने उसमें दो विभाजन किये हैं। धर्म परिवर्तन के पश्चात् देश विरोधी कार्यवाहियाँ करते हैं उसके बारे में नजर रखना और कड़ी कार्यवाही करने की सिफारिश की है। उन्होंने ऐसा मानकर नहीं लिखा है कि प्रत्येक धर्म परिवर्तित व्यक्ति देश विरोधी हो जाता है। इतना विश्लेषण करना आवश्यक है वर्ना यह धारणा हो सकती है कि सब क्रिश्चियन देश विरोधी हैं।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कौन-कौन सी रिकमेन्डेशन पर कार्यवाही करना चाहिये। रेगे कमीशन की रिपोर्ट है चिल्डरन का धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

श्री अर्जुनसिंह : आपकी शिकायत करना स्वाभाविक है। आप व्यापक रूप में प्रस्ताव करते हैं। दूसरे पहलू पर विचार करना चाहिये।

श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा : नागालैंड के अन्दर क्या हुआ और किस तरह अलग नागालैंड की माँग हुई यह भी बताया है।

श्री अर्जुनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब एक प्रश्न आता है जो अहम और महत्वपूर्ण है जिस विषय को मैं इसी विधानसभा में, इसी सत्र में तीन अवसरों पर उठा चुका हूँ। पहला राज्यपाल महोदय के भाषण पर हुई चर्चा में, वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट की सामान्य चर्चा में और माननीय मुख्य मंत्री महोदय की माँगों पर हुई चर्चा में। अध्यक्ष महोदय, मैं मान सकता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण विषय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय के लिये न हो लेकिन आज प्रजातंत्र में इस विधानसभा और इस प्रदेश की जनता के लिये अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उनकी ओर से आज पुनः मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूँ तो क्या आशा कर सकता हूँ आज बजट के अंतिम दिन वे दो शब्द कहने की कृपा करेंगे? वह एक मान्यता और स्वस्थ परम्परा कायम करने से संबंध रखता है। मैंने कहा था कि मंत्रियों को अपने शेयर्स की घोषणा करके बेचना चाहिये जो कि ऐसी कंपनियों में हैं जिनका संबंध शासन से हो। रिश्तेदारों का उद्योगपतियों के यहाँ नौकर रखने के संबंध में भी मैंने कहा था। यह ऐसा विषय है जो प्रजातंत्र में आस्था लाने के लिये एक महत्वपूर्ण विषय होगा। अगर मुख्य मंत्री जी इस संबंध में दो शब्द कहने की कृपा करें तो बहुत अच्छा हो, और आशा करूँगा कि यह पैसा जो सदन मंजूर करने जा रहा है, उसका उपयोग देश के भविष्य के लिये किया जायेगा।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/29 मार्च 1963, पृष्ठ - 2516-2518)

मध्यप्रदेश की डाकू समस्या पर श्री वीरेन्द्रकुमार सखलेचा ने विशेष चर्चा प्रारम्भ की। श्री सखलेचा द्वारा उठाये गये मुद्दों से अपनी सहमति जाहिर करते हुए श्री अर्जुनसिंह ने इस बात पर जोर दिया कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में इस समस्या के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करें और इसकी जड़ में जो जातिवाद का विष भी घुला हुआ है उसका शमन करने के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करें। सब कुछ शासन के भरोसे छोड़ देने से समस्या हल न हो सकेगी। उनका वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत है —

श्री अर्जुनसिंह (मंझोली) : अध्यक्ष महोदय, आज इस विशेष विषय पर चर्चा का अवसर आपने प्रदान किया, इससे सर्वविदित है कि आप और यह सदन इस डकैती समस्या को इस प्रदेश में एक विशेष महत्व की समस्या समझते हैं, उसके व्यापक उन्मूलन के लिये इस सदन में आपने सुझाव देने का अवसर दिया है। मध्यप्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य के 43 जिलों में से 7-8 जिलों में यह समस्या अधिक उग्र रूप से देखने को मिलती है जिन को अभी उत्तरी जिलों के नाम से माननीय विरोधी दल के नेता ने बताया। जनसाधारण का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक है कि आखिर कौन-सी ऐसी विशेष बात है जो प्रदेश के इन्हीं 7-8 जिलों में डकैती समस्या के रूप में सामने आई। यदि हम कहें कि भिण्ड, गुना, मुरैना ऐसे

जिले हैं जो इतने पिछड़े हैं, आवागमन के साधनों से रहित हैं जितने दूसरे जिले नहीं हैं तो मैं समझता हूँ, वह उचित तथ्य नहीं है क्योंकि उनसे ज्यादा पिछड़े हुए, इकॉनॉमिक और आवागमन की दृष्टि से, दूसरे जिले अपने प्रदेश में हैं, क्या कारण है कि न तो वहाँ पर डाकू उत्पन्न होते और न एक डाकू के खत्म होने पर रावण के सिर जैसे दूसरे डाकू ही पैदा होते। ये ऐसे तथ्य हैं जो हम लोगों को सोचने के लिये बाध्य करते हैं। यह डकैती समस्या जो है, उस क्षेत्र में कुछ विशेष तथ्यों के कारण उत्पन्न हुई समस्या है जब तक उनके बारे में खुले दिमाग से, खुले दिल से और बल्कि मैं समझता हूँ एक प्रेरणा के रूप में सोचने के लिये, कार्य करने के लिये तत्पर नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ दस क्या पच्चीस वर्षों तक काबू पाने की संभावना नहीं है इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के सामने कहना चाहता हूँ, मेरी समझ से दो-तीन चीजें उन जिलों में मुख्य रूप से हैं। सबसे पहली चीज, आपको विदित है हमारे पूरे प्रदेश में एक मूव्हमेन्ट चला ईक्वालाइज करने का, जाति के आधार पर या समाज में इकॉनॉमिक बेसिस पर, कुछ ने ऐसा लिया। कुछ ने सही मानकर चलने का निश्चय कर लिया, कुछ ऐसे तत्व रहे जिन्होंने उसके अनुरूप ढलने की कोशिश नहीं की। उसका उग्र रूप देखने को वहाँ मिलेगा।

आये दिन विधानसभा के सदस्यों द्वारा दिये गये और शासन के आँकड़े जो देखने को मिलते हैं उनसे पता चलता है कि डाकू दल का जब कभी भी आघात होता है तो यह देखने को मिलता है कि एक जाति का डाकू होता है तो अवश्य दूसरी जाति के लोगों पर प्रहार करेगा। जातिवाद का जितना यहाँ पर व्यापक फैलाव है जिसको हम कंट्रोल करने में केवल शासन को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम सब लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी इसके बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जो माननीय सदस्य उस क्षेत्र से आये हैं, संस्थायें हैं, जो यहाँ विद्यमान हैं वे इस बात को मानते हुए कि यह प्रमुख कारण है, उस भू-भाग में डाकुओं को पनपने का, जो कास्टिइज्म है उसको मिटाने का प्रयत्न किया जा सके, तो एक निश्चित और अच्छा प्रयत्न कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न जो मेरी समझ में है, जिसके बारे में मैं माननीय विरोधी दल के नेता से पूर्णतया सहमत हूँ, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्रय ऐसे तत्वों को, वह सही रूप में मानते हैं कि इस समस्या को सुलझाने में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करते हैं। यह दल विशेष का प्रश्न नहीं है इसलिए उनके उद्‌गारों से मैं पूर्णतया सहमति व्यक्त करना चाहता हूँ और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से मैंने पहले आग्रह किया था कि एक कमीशन की नियुक्ति बिना पार्टी की दृष्टि से, बिना किसी भेदभाव के नियुक्त की जाये जिससे उसके पूर्ण तथ्य सामने आवें। यदि प्रजातंत्र में विश्वास है, एंटी सोशल ऐलीमेंट को खत्म करना है, हमारी पुलिस की बंदूक और अन्य हथियार काम में आते हैं वहाँ उससे भी बड़ा हथियार प्रजातंत्र में पब्लिक ओपीनियन है और प्रजातंत्र में आस्था रखने वाले लोग पब्लिक ओपीनियन को इतनी इम्पोरटेंस नहीं देना चाहते तो मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी आस्था उचित नहीं है। ऐसे एलीमेंट को बिना शील-संकोच के पब्लिक ओपीनियन के द्वारा एक्सपोज कर दिया जाना चाहिए और फिर देखिए कि वहाँ फिर कैसे डाकुओं को कोई प्रश्रय देगा। यदि उन्हें एक बार यह ज्ञान हो जायेगा कि हम चाहे जिससे संबंधित हों यदि ऐसा काम करेंगे तो कभी संरक्षण नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा करना बड़े रूप को छोटा रूप देना होगा। इस चीज को हम अपने प्रदेश में फैलते हुए केंसर के रूप में देखेंगे। अध्यक्ष महोदय, केंसर की कुछ दिन दवाई की जाती है और जब दवाई से लाभ नहीं होता है तो जीवन-मरण के बीच में झूलने वाले पेशेन्ट को आपरेशन टेबिल पर ले जाते हैं, इससे इस विषय में आपरेशन करने की आवश्यकता है। हमें अपना ही हाथ काटकर क्यों न फेंक देना पड़े लेकिन इस प्रदेश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने और प्रदेश पर लगे हुए कलंक को मिटाने के लिए हमें एक अंग कटाना पडे तो उचितहै।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न यह आता है कि अभी माननीय सखलेचा जी ने इकॉनॉमिक प्रॉबलम के बारे में कहा जो कि विशेष रूप से सामने आती है। जहाँ तक इकॉनॉमिक इशूज का संबंध है उनके बारे में वही बात दुहराना चाहता हूँ। इकॉनॉमिक प्वाइंट ऑफ व्यू अन्य जो प्रदेश के पिछड़े हुए हिस्से हैं, जैसे सीधी, वहाँ पर भी लोग बहुत गरीब हैं तो वहाँ डकैती क्यों नहीं करने लगते। भिण्ड-मुरैना में जो इकनॉमिक पोजीशन साधारण लोगों की है, मैं एक-दो बार वहाँ गया हूँ उसे देख कर कह सकता हूँ कि उससे 100 गुना ज्यादा बद्‌तर स्थिति

यहाँ है। आँकड़े देखे जायेंगे तो वहाँ पर एक साल में एक बार डकैती पड़ती है। केवल इकॉनॉमिक प्वाइंट ऑफ व्यू को सामने रख कर इस बात पर विचार न हो क्योंकि इससे यह हो सकता है कि जो बेसिक इशूज हैं उन पर हम ध्यान न दे सकें।

और मैं यह नहीं कहता कि इस हिस्से में इकॉनॉमिक डेवलपमेंट न हों और काम न खोले जावें, वह सब होंगे लेकिन मुख्य रूप यह हो सकता है कि जब आप एक विशेष एरिया में ऐसे तत्वों को रिप्रेजेन्टेटिव प्वाइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो डाका डालने वालों को राजा कहेंगे और मिल में काम करने वालों को मजदूर कहेंगे तो ऐसे तत्व समाज में आज मौजूद हैं और इसके लिए ही वह डाका डालने के लिए चल सकते हैं तो यह मान्यता हमको सुधारना पड़ेगी और इसका दायित्व केवल राज्य शासन पर ही नहीं है वरन् इसका दायित्व प्रत्येक ऐसे शख्स पर भी है जो यह समझता है कि इस प्रदेश में यह समस्या एक कलंक के रूप में है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब ज्यादा समय न लेकर केवल एक-दो मिनिट में ही समाप्त कर दूँगा। मैं माननीय सदस्यों से और शासन से यह कहना चाहता हूँ कि जब कभी इससे संबंधित कोई घटना या कोई ऐसी वारदात उनकी जानकारी में आती है तो उनका भी कर्तव्य है कि वह ऐसी घटनाओं के ऊपर अपने क्षेत्र में पूर्ण रूप से ध्यान रखने का अपना अधिकार बरतें। अध्यक्ष महोदय, इस डाकू समस्या को जरूरत से ज्यादा महत्व देने से समस्या को अधिक जटिल बनाने में सहयोग मिलता है क्योंकि इस चीज को इससे ज्यादा महत्व देना इसको और आगे ले जाना है। इसके आँकड़ों से सर्वविदित है कि इस डाकू समस्या के जो आँकड़े हैं और जो परसुएट करते हैं कि शासन की कठोरता से कुछ आँकड़ों में कमी हो गई है और 1959 की सेन्सस रिपोर्ट से मालूम होता है कि भारतवर्ष में कम आँकड़े रहे और 1963 में दो-तीन मास की रिपोर्ट है उसमें कुछ परसेन्ट बढ़ जाये, लेकिन मैं निवेदन करूँगा कि एक विशेष घटना को विशेष महत्व देकर, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य इसको विकृत करने की तरफ जाते हैं और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए शासन का प्रत्येक कदम हो तो आप अपना कहाँ पर शासन को सहयोग दे सकते हैं इस पर आपका ध्यान हो और यदि शासन की नुक्ताचीनी की तरफ ध्यान बँटा रहा तो क्या होगा। अभी मान लीजिये किसी गाँव में 6 आदमी मार दिये, हो सकता है कि दूसरे गाँव में शासन की तत्परता से 5 आदमी मार दिये जावें या कोई भी किसी खास गाँव में न मारा जावे और वहाँ न मारा जाकर दूसरी जगह मारा जावे। इसलिये मैं आग्रह करूँगा कि आप इस समस्या पर विचार करते हैं, और इसका विकृत रूप न देते हुए, इस समस्या का मूल रूप क्या है तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इस आधुनिक युग में समाधान न किया जा सके, लेकिन इसके उत्तरदायित्व का पहला कदम शासन को उठाना चाहिए और फिर जनता को और सदन के माननीय सदस्यों को उठाना चाहिए तब ही हम इसको सफल कर सकेंगे ऐसी मेरी मान्यता है।

(म.प्र. विधानसभा कार्रवाई/3 अप्रैल 1963, पृष्ठ/2857-2859)

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
E.L., BHOPAL
26922

CAREER COLLEGE
ACC.No.....
Book No.....
Date.....
B.H.E.L., BHOPAL
26922



26922